राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 5] सप्तम् विधान सभा के पंचम सत्र का ग्यारहवां दिवस [संख्या 9

1] [2

वृहस्पतिवार

दिनांक 16 सितम्बर, 1982

विधान सभा की बैठक म. पू. 11·00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

सीकर नगर परिषद् की सीमा

103. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार सीकर नगर परिषद सीमा का विस्तार करने का विचार कर रही है ? क्या इस सम्बन्ध में सीकर नगर परिषद की ओर से कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि समर्थपुरा, घोराणा, सोसिंगपुरा, चैनपुरा, चारण का बास, उदयदास की ढाणी, नानी, नाथावतपुरा, सबलपुरा और सांवली के क्षेत्र सीकर नगर परिषद सीमा से मिले हुए हैं और नागरिक सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं ?

(3) क्या इन क्षेत्रों के अलग रहने से नगर परिषद, सीकर को आर्थिक हानि नहीं हो रही है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) जी हां ।

(2) जी नहीं । ये ग्राम सीकर नगर परिषद की सीमा में अभी सम्मिलित नहीं हुए हैं । इन्हें नागरिक सुविधाएं तो प्राप्त हैं, किन्तु नगरीय सुविधाएं नगर परिषद की सीमा में सम्मिलित किये जाने पर ही उपलब्ध कराई जा सकेंगी ।

(3) जी नहीं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं स्वायत्त शासन मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई नोटिफिकेशन जारी किया था ? वह कब जारी किया गया था ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उस नोटिफिकेशन में किन-किन क्षेत्रों को सम्मिलित करने की बात कही गयी थी ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : जी हां, नोटिफिकेशन जारी किया गया था। यह नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था 14·9·81 को। उसके अन्दर जिन विलेजेज को सम्मिलित करने की बात है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : समर्थपुरा और सोसिंगपुरा की जो ढाणियां हैं, उनके नाम....

श्री श्रीराम गोटेवाला : किन ढाणियों के लिये कह रहे हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो भी हों।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं आपको पूरा गजट नोटिफिकेशन सुना दूं। उसमें आपका असली मकसद क्या है, बोलिये ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): मकसद यह है कि दूर के गांवों की ढाणियों को तो सीमा में सम्मिलित कर लिया, लेकिन कम दूरी वालों को सम्मिलित नहीं किया है। वे छूट गये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि सीमा के अन्दर जो गांव आते हैं, उनको सम्मिलित किए जाने की बात है। एक नोटिफिशकेन अलग से जल्दी निकाला जा रहा है, जिसमें बाहर के सारे एरियाज को सम्मिलित किया जा रहा है। जो नोटिफिकेशन निकाला है, उसको आपकी सेवा में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री महोदय जानते हैं। कुछ गांव ऐसे हैं, जो नगर परिषद की सीमा में सम्मिलित किए गये हैं लेकिन इनके बीच में कुछ ढाणियां, गांव रह गये हैं जो उन से कम दूरी पर हैं, उन्हें शामिल नहीं किया गया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस सम्बन्ध में निवेदन करूं कि दो महीने का समय दिया गया था उसके बाद भी कोई आपत्ति आयी नहीं, तो उसके अन्दर क्या किया जा सकता था। दो महीने का समय देकर जिलाधीश ने बाकायदा आपत्तियां मांगी। यहां बैठे तो पता नहीं लगता है कि कौन-कौन से रह गये। उस समय सम्माननीय सदस्य का दायित्व था कि जो गांव रह गये हैं, उनके बारे में....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : समर्थपुरा, सोसिंगपुरा पर सीमा रेखा निर्धारित की है। इसमें कौन सी ढाणिया आती हैं ? यह ढाणियां ऐसी हैं, जिनको आपने छोड़ दिया, सीमा में नहीं आती हैं, उनको छोड़ दिया। यह सारा पॉलिटिकल ढंग से किया गया है।

श्री अध्यक्ष : शायद ऐसा हुआ है कि जो गांव एक किलोमीटर की परिधि में नहीं आते हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ढाणी सालमसिंह, जिसको आपने सम्मिलित किया है, वह सड़क से आयेंगे तो दूर पड़ती है। एक ही जगह है, उन ढाणियों में एक भी घर का अन्तर नहीं है। आपने उनमें ढाणी सालमसिंह को तो सम्मिलित कर लिया और दूसरी को छोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जिनमें कांग्रेस के वोट हैं, उनको तो सम्मिलित कर लिया और जिनमें नहीं हैं, उनको छोड़ दिया। ढाणियों के नाम बता दीजिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने प्रश्न का उत्तर दिया था और कहा था कि ऑब्जेक्शन इन्वाइट किये गये थे, आप आज फरमा रहे हैं। जिलाधीश की रिपोर्ट है, एक भी ऑब्जेक्शन नहीं है।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) : वह ढाणी तो दूर है, लेकिन सवलपुरा को क्यों छोड़ दिया ? वह तो एक मील से भी कम दूरी पर है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो ऑब्जेक्शन इन्वाइट किये, उसमें यह सब करना था। फिर भी फरमाते हैं तो इस मामले में राज्य सरकार की जिद नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कि समर्थपुरा, सोसिंगपुरा को सम्मिलित किया, पर मैं कहता हूं कि उदयवास की ढाणी दोनों एक मील की डिलिमिटेशन में आती नहीं....

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है। आपको कोई आपत्ति हो तो मंत्री महोदय को बता दें, उस पर विचार करेंगे।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : जिस एरिया को म्यूनिसिपल एरिया में लिया, वहां के लोगों को क्या नगरीय सुविधायें हैं, वहां पानी नहीं है, न ही सफाई है। जैसे सोसिंगपुरा, समर्थपुरा इनको कोई सुविधायें नहीं हैं। जबर्दस्ती उनको उस एरिया में लेकर जमीन हड़पने की साजिश है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरी समझ में नहीं आया। दूरी वाले गांवों को सम्मिलित किया है। जो दूसरी ढाणी के गांव हैं, क्या इस चुनाव के पहले उनको भी सम्मिलित कर लेंगे, यह बता दीजिए ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार इस सम्बन्ध में सारी कार्यवाही की जा चुकी थी। राज्य सरकार की इस बारे में कोई जिद नहीं है। मास्टर प्लान में सारे गांवों को सम्मिलित करने के लिए कहा है। माननीय सदस्य उसके बारे में कुछ तथ्य लेकर आते हैं, मैं उसके बारे में जांच करूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस चुनाव से पहले....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा है कि नोटिफिकेशन निकला उस वक्त आपके ध्यान में यह बात नहीं थी। मन्त्री महोदय ने कह दिया, मैंने भी यह आग्रह किया कि इस तरह रह गये हैं तो बता दीजिए।

अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। अब और पूरक प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नोटिफिकेशन में नोटिफाई किया है, क्या वर्तमान चुनाव से पहले सीकर नगर परिषद की सीमा में सम्मिलित करके....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नोटिफिकेशन निकाला है, उनको चुनाव से पहले सम्मिलित करेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अब मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, कृपया बैठ जायें। माननीय सदस्य, जिद नहीं करें। कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जिद नहीं करनी चाहिये, माननीय सदस्य। कृपया बैठ जायें। ज्यादा समय हो गया।

श्री कैलाश मेघवाल

पोषाहार केन्द्रों के दलिये की कालाबाजारी

104. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या कारागृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर के केन्द्रीय कारागार में समाज कल्याण विभाग द्वारा पोषाहार केन्द्रों पर वितरण के लिये दिये गये दलिये को बाजार में बेचे जाते हुए पकड़ा और आठ बोरी आटा जेल में जमीन में गड़ा हुआ बरामद होने पर जांच कराई गई थी ?

(2) यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट मय उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, कारागृह (श्री दिनेश डांगी) : (1) समाज कल्याण विभाग के पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन का कार्य केन्द्रीय कारागृह, अजमेर में किया जाता था और पके हुए दलिये का वितरण पोषाहार केन्द्रों पर किया जाता था। इस दलिये को बाजार में बेचा जाते हुए पकड़ा जाने की कोई शिकायत कारागृह विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 12-11-80 को दोपहर बाद ढाई बजे एक गोपनीय सूचना के आधार पर नगर दण्डनायक, अजमेर, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर पर आये और उन्होंने गुप्त सूचना के बताए गये स्थान को खुदवाया, जहां दलिया नहीं निकला, परन्तु 7–79 क्विन्टल आटा निकला।

नगर दण्डनायक, अजमेर के निर्देशों की पालना में सन्दर्भित मामले की जांच का कार्य अजमेर के उप-अधीक्षक द्वारा किया गया।

महा निरीक्षक कारागार द्वारा सन्दर्भित मामले में उप महा निरीक्षक कारागार से भी जांच करवाई गई थी।

(श्री दिनेश डांगी)

(2) सन्दर्भित मामले में केन्द्रीय कारागृह, अजमेर के तत्कालीन उप अधीक्षक द्वारा तथा उप महानिरीक्षक कारागार द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

उप अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर की जांच रिपोर्ट में केन्द्रीय कारागृह, अजमेर के कनिष्ठ लिपिक, श्री करणसिंह, जो पोषाहार केन्द्र के भण्डारी का कार्य कर रहे थे, को दोषी बताया गया था, परन्तु उप महानिरीक्षक कारागार द्वारा की गई जाँच को दृष्टि में रखने पर केन्द्रीय कारागृह, अजमेर पर पद स्थापित निम्नलिखित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई, जिनका विवरण प्रत्येक के नाम के सामने अंकित है—

---

1. श्री चेतनदेव उपाध्याय, तत्कालीन अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर 2. श्री भगवानसिंह साईवाल, तत्कालीन उप अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर। 3. श्री श्यामलाल, उद्योग शाला पर्यवेक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर।	इन्हें सतर्कता और सावधानी से कार्य करने हेतु लिखा गया।
4. श्री करणसिंह, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, केंद्रीय कारागृह, अजमेर।	भविष्य के लिए सही लेखा-जोखा रखने की चेतावनी दी गई।
5. श्री नाहरसिंह, उच्च मुख्य प्रहरी, केंद्रीय कारागृह, अजमेर।	भविष्य के लिए चेतावनी दी गई।

प्रहरी श्री सत्तार खाँ एवं श्री श्यामलाल के विरुद्ध दोष प्रमाणित न होने से उन्हें दोषमुक्त किया गया।

(जांच रिपोर्ट के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि 19-11-80 को वहां पर जेल में 31 कट्टे आटा और दलिया गड़ा हुआ मिला था। क्या यह सही है कि साईवाल और अंसारी ने जो जांच की और उसमें करणसिंह और उद्योग शाला पर्यवेक्षक पोषाहार कार्यक्रम, इन दोनों को स्पष्ट रूप से दोषी माना था ?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, उनके खिलाफ कोई भी बयान देने को तैयार नहीं है, और जब तक वे दोषी नहीं पाये जाते तब तक उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल में आटा गड़ा हुआ मिला। जेल में एक-एक कदम पर निगरानी रखी जाती है। 19 माह तक मैं भी जेल में रहा हूं। 8 क्विण्टल आटा और 29 क्विण्टल दलिया का पता ही नहीं लगा और, अध्यक्ष महोदय, बयान भी दिये हैं। साईवाल और अन्सारी की फाइण्डिग है। उसके बाद में मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि बयान नहीं दिये। आप इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिये। जेल अधीक्षक की स्वयं की फाइण्डिग है कि यह उद्योग शाला में कार्य नहीं करते हैं और काम चोरी करते देखा गया। इनको कब मौका मिला ? मैं आपको वह पैराग्राफ पढ़ देना चाहता हूं, उसमें स्पष्ट रूप से इनको अपराधी माना है और गवाहों ने बयान दिये हैं।

श्री दिनेश डांगी : बयान दिये हैं लेकिन यह नहीं कहा कि चोरी की है। चीजें जरूर मौके पर मिली हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट में साफ लिखा है, दलिया गड़वाया गया और इन्होंने दलिया निकलवाया। माननीय मन्त्री महोदय जिस तरह का बयान दे रहे हैं, सही नहीं है। इन दोनों रिपोर्ट्स में स्पष्ट बयान हैं, इन्होंने गड्ढा खुदवाया और आटा गड़वाया। मैं इस रिपोर्ट को इतनी जल्दी पढ़ नहीं सकता, इसका आखिरी पैराग्राफ पढ़ कर बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने पढ़ ली है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस डॉकूमेन्ट को सदन की मेज पर रखवाया जाय, इसमें तथ्य हैं। बयान में यह कहा गया है कि इन्होंने गड़वाया। करणसिंह के खिलाफ बयान है। सड़ा-गला आटा कभी-कभी इस खड्डे में गड़वा दिया जाता था। इसका मतलब यह है कि आटा गड़वाया जाता है और यह सही है, जो सड़ा-गला आटा है, उसकी जांच होनी चाहिये। स्पष्ट रूप से आटा गड़वाया और छिपाया जाता है। यह उद्योगशाला पर्यवेक्षक के अधिकार में है, वह जहां बैठता है वहां से आटा निकला है। आपने कहा कि चेतावनी दे दी, यह जेल की हालत है। जेल में आटा इस तरह चोरी हो जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से कहिये कि जो रिपोर्ट की फाइण्डिग है उसके आधार पर कार्यवाही की जाय।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न के दो पहलू हैं । एक तो, आटा बाजार में बेचा गया, सो नहीं बेचा गया, दूसरा कि दलिया गाड़ा गया सो उसकी पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करा दी गई लेकिन किसी ने बयान नहीं दिये, किसने गाड़ा । नगर दण्डनायक ने जांच कर ली, वह जगह तो सही निकली लेकिन आरोप सिद्ध नहीं होने पर कैसे उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सी. आई. डी. से जांच करवाइये, सरकार आपके पास है ।

श्री कैलाश मेघवाल : जेल में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो जाय और सरकारी अधिकारी इसका पता लगाने में असमर्थ हैं ।

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं····

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : स्टोर में से आटा तोलकर निकाला जाता है ।

श्री दिनेश डांगी : आपको मालूम है, यह किस विभाग के अन्तर्गत आता है ? यह समाज कल्याण विभाग का है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वहां पर गड्ढे में क्या उड़कर चला गया ?

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । यह आटा समाज कल्याण विभाग का था । और चीजें बाजार से खरीदी जाती हैं, यह फ्री में मिलता है, इसलिए कुछ पैसा देकर अधिकारियों ने खरीद लिया । यह आटा किसका था, अगर यह मालूम नहीं तो फिर चेतावनी किस को दी ? और आपको जब यह मालूम है कि यह आटा किसका है तो आपने उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की, उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया ? वहां जो चीज खरीदी जाती है, उसको सब अधिकारी मिलकर खरीदते होंगे, तो आपको उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री दिनेश डांगी : मैं अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस पूरे केस की जांच करवाई जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है, आश्वासन दे दिया है कि वे जांच करवायेंगे ।

श्री कैलाश मेघवाल : सर्विसेज रूल्स के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही कराकर क्या आपने उनको चेतावनी दी है ?

श्री दिनेश डांगी : नियमों के अन्तर्गत, जैसा आप फरमा रहे हैं, वैसे की है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री सुखलाल सैंणचा ।

श्रमिक ठेका सहकारी समिति ग्राम बिराटिया खुर्द

105. **श्री सुखलाल सैंदणा** (रायपुर): क्या सहकारिता मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बिराटिया खुर्द तहसील रायपुर मारवाड़ में एक श्रमिक ठेका सहकारी समिति का गठन किया गया है ? गठन करने के लिये नियम के अन्तर्गत कौन-कौन इसके सदस्य बन सकते हैं ? कृपया उक्त नियमों की प्रति तथा उक्त समिति के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समिति का गठन, रजिस्ट्रेशन किस अधिकारी द्वारा किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि नियमों के विपरीत कुछ व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पाली ने उक्त समिति के गठन का रजिस्ट्रेशन किया ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) उक्त समिति ने रजिस्ट्रेशन के पश्चात् कौन-कौन से ठेके, कितनी-कितनी राशि के सिंचाई एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त किये एवं कहां-कहां पर कार्य किया, एवं कितनी-कितनी धनराशि प्राप्त हुई, एवं कितने-कितने सदस्यों को लाभ हुआ ? कृपया विस्तृत सूचना सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त समिति में कितनी आय एवं कितना व्यय हुआ एवं किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कितना घोटाला किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या राज्य सरकार किसी विशिष्ट अधिकारी द्वारा सारे प्रकरण की जांच अविलम्ब कराना आवश्यक समझती है ?

राज्य मंत्री, वन (**श्री गोविन्द सिंह गुर्जर**) :

(1) जी हां। गठन करने के लिए उप नियम सं० 4 के अनुसार समिति के कार्य क्षेत्र के 18 वर्ष से अधिक आयु वाले एवं स्वस्थचित्त वाले श्रमिक व सदस्यों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) समिति के गठन के पत्रादि विभागीय सहायक निरीक्षक, पाली के द्वारा तैयार किये गये तथा पंजीयन सहायक रजिस्ट्रार, पाली द्वारा किया गया।

(3) जी नहीं, इस प्रकार की शिकायत या जानकारी नहीं है। अतएव अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(4) सार्वजनिक निर्माण/सिंचाई विभाग वालों से प्राप्त सूचनानुसार समिति को प्राप्त ठेकों का विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ठ "ख" में अंकित है।

(5) अभी तक विभाग को किसी प्रकार के घोटाले की जानकारी प्राप्त नहीं है।

(6) जी हां। कथित प्रकरण की जांच विभाग के जोइन्ट रजिस्ट्रार से कराई जा रही है।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री सुखलाल सेंणचा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि मैंने सारे प्रकरण की जांच कर उस अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग की है। क्या उसको सस्पेंड किया गया ? एक विधायक ने यह सारी कार्यवाही की है, क्या सरकार इस पर जांच करेगी ?

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : इसमें मीठालाल नाम का एक व्यक्ति है, उसने पाली सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक का जो डायरेक्टर है, अध्यक्ष महोदय, उसके खिलाफ ढाई लाख रुपये के गबन का प्रस्ताव रखा····

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में बताया कि किसी प्रकार का कोई केस उस व्यक्ति के विरुद्ध नहीं पाया गया। तो फिर मंत्री महोदय ने कैसे कहा कि उसकी जांच करवायेंगे ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष, महोदय, खारची से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा उसके लिये निवेदन कर दूं, मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं जोइन्ट रजिस्ट्रार से उसकी जांच करवाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस सोसाइटी का गठन देखा तो मैंने पाया कि यह एक बहु-जातीय सोसाइटी है। इसमें हरिजन भी हैं, नाई भी हैं, जैन भी हैं, इसमें महाजन भी हैं, राजपूत भी हैं।

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सेंणचा : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। यह सदन को गुमराह करने स्थिति पैदा की जा रही है। उन सदस्यों को पता ही नहीं है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पहले मंत्री महोदय का पूरा जवाब तो आ जाये।

(व्यवधान)

अगर उनका दिल साफ है तो पहले जवाब सुन लें।

(व्यवधान)

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : क्या यह सही है····

(व्यवध्यान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायें।

श्री सुखलाल सेंणचा : यह सारा फर्जी मामला है।

(व्यवध्यान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है।

(श्री अध्यक्ष)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हू कि प्रश्नकाल में सरकार से सूचना चाही जाती है, अगर किसी माननीय सदस्यों का आपस में कोई विवाद है, मतभेद है तो उसके लिये सदन का प्रांगण उपयुक्त स्थान नहीं है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री प्रश्न था, पहले मंत्री महोदय उसका तो जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया गया।

श्री रामकिशोर मीणा।

ग्राम पंचायत कालवान (सिकराय) के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

106 श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायत कालवान पचायत समिति, सिकराय के वर्तमान सरपंच, श्री रामसहाय शर्मा के विरुद्ध (पूर्व पंचायत के सरपंच कालावधि की शिकायत) राज्य सरकार को कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(2) उन पर राज्य सरकार द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या सरपंच द्वारा उन पर आरोपित आरोपों का स्पष्टीकरण दे दिया है ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा कब-कब अनुस्मरण पत्र जारी किए गए ?

राज्य मन्त्री, पंचायत (श्री शीशराम ओला) : (1) ग्राम पंचायत कालवान पंचायत समिति सिकराय के वर्तमान सरपंच श्री रामसहाय शर्मा के विरुद्ध एक शिकायत जिलाधीश, जयपुर को दिनांक 29-10-79 को प्राप्त हुई थी।

(2) जिलाधीश, जयपुर से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17(4) के अन्तर्गत दिनांक 28-8-81 को सरपंच का स्पष्टीकरण मांगा गया।

(3) जी हां। सरपंच द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से राज्य सरकार के संतुष्ट नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध उप जिलाधीश, दौसा द्वारा विस्तृत जाँच करवाई जा रही है।

श्री रामकिशोर मीणा : यह जो एस. डी. ओ., दौसा द्वारा जांच कराने का आपने कहा, वह कब किया और उनसे स्पष्टीकरण कब-कब मांगे गये ?

श्री शीशराम ओला : एस. डी. ओ. को जांच सौंपी गई 10-12-81 को। स्पष्टीकरण मांगे गये इसी तारीख को, और रिमाइंडर्स भेजे गये 19-2-82 को, 4-6-82 को और 1-9-82 को।

श्री रामकिशोर मीणा : इतनी लम्बी अवधि के बाद भी केवल कह देना कि जाँच

(श्री रामकिशोर मीणा)

चल रही है, इससे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा देरी कर रहे हैं। इस संदर्भ में पहले भी शिकायतें हुई थीं। राज्य सरकार की तरफ से ज्यादा ध्यान नहीं देने की वजह से अभी तक जांच पूरी नहीं की गई, तो आपकी पार्टी के लोग उनको जान से खतम कर देंगे। इसलिये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप कब तक जांच करायेंगे? क्योंकि उसने खुद के नाम से अलाटमेंट करवाए, अपने रिश्तेदारों के नाम से करवाए। दो-दो, तीन-तीन बार विकास अधिकारी से जांच करा ली, एस0 डी0 ओ0 से जांच करा ली। बार-बार जांच करवाते हैं, कब तक जांच पूरी करवायेंगे? जांच नहीं करवायेंगे तो उसको खतम कर देंगे और गांव वाले दोषी ठहराये जायेंगे। तो, जल्दी से जल्दी इसकी जाच करायें।

श्री अध्यक्ष : खतम कर देंगे, ऐसी बात माननीय सदस्य के लिये ठीक नहीं। पहली बार सरपंच कब चुना गया?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य का मतलब है कि जांच जल्दी पूरी की जाय।

श्री अध्यक्ष : पहली बार सरपंच कब बना?

श्री रामकिशोर मीणा : इससे पहले 1978 में भी सरपंच बना था।

श्री अध्यक्ष : ढाई साल में क्या हुआ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ढाई साल वाला फार्मूला यहां नहीं लगेगा।

श्री शीशराम ओला : ये सरपंच पहले भी थे, उससे मुझे सरोकार नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि क्या चार्ज उनके खिलाफ हैं, क्या नहीं है, जांच चल रही है। फिर भी, जैसे माननीय सदस्य ने फरमाया, इनकी बात को मानते हुये, यकीन करते हुए हम इसकी जांच तीन महीने में पूरी करवा देंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : 6 महीने तो पहले ही हो गये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कनक राज मेहता। Sorry श्री अमीन खां।

ग्राम गडरा रोड व ग्राम देवीकोट में पशु चिकित्सालय

107. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के ग्राम गडरा रोड व जिला जैसलमेर के ग्राम देवीकोट में पुनर्वास विभाग द्वारा पशु चिकित्सालय भवन व रिहायशी क्वार्टर्स बनकर तैयार हो चुके हैं?

(2) यदि हाँ, तो सरकार का इन दोनों स्थानों पर डाक्टर्स व अन्य स्टाफ लगा कर चिकित्सालय कब तक प्रारंभ करने का विचार है?

पशुपालन मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां।

(2) देवीकोट में पशु औषधालय स्वीकृत है, जो उक्त भवन में स्थानान्तरित कर

(श्रीमती कमला)

दिया जावेगा। औषधालय में डाक्टर के पद सृजित नहीं हैं। गडरा रोड में नया पशु चिकित्सालय स्थापित करने का प्रावधान वर्ष 83-84 के प्रस्तावों में सम्मिलित किया जा रहा है। बजट मिलने पर ही क्रियान्विति हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री कनकराज मेहता।

जालौर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रिक्त पदों की पूर्ति

108. **श्री कनकराज मेहता** (सांचौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा उनमें संवर्ग अनुसार कितने डाक्टर्स, कम्पाउण्डर्स, नर्सेज, एल0 एच० वी० एम० आई० आदि के पद किस-किस स्थान पर कितने अर्से से रिक्त हैं?

(2) यह भी सत्य है कि रिक्त पदों के कारण जनता को पूर्ण लाभ नहीं हो रहा है? रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे?

चिकित्सा मन्त्री (श्री सी० एल० कंवरिया : (1) जालौर जिले में कुल 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। रिक्त पदों की विवरण सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। चिकित्सकों का पदस्थापन कर दिया गया है। योग्य प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होने पर शेष रिक्त पदों की पूर्ति करना संभव होगा जिसके लिये प्रयास जारी हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री कनकराज मेहता : आपने जैसा फरमाया, 5-5 साल हो गये हैं इन स्थानों की पूर्ति अभी तक क्यों नहीं कर सके हैं? फिर इन पदों का औचित्य क्या है? कब तक ये स्थान भर दिये जायेंगे? आपने फरमाया कि ये स्थान रिक्त हैं तो 5-5 साल तक आपको ये लोग क्यों नहीं मिल रहे हैं, ? कोई न कोई आल्टरनेटिव निकालना जरूरी है।

श्री सी० एल० कंवरिया : वैसे राजस्थान में, यह जो पैरा मेडीकल स्टाफ है जिनमे ए० एन० एम०, कम्पाउंडर्स, लैब टैक्निशियन्स, एल० एच० वी० और रेडियोग्राफर्स की कमी है, हरेक के लिये ट्रेनिंग सेन्टर्स खुले हुये हैं। ए० एन० एम० के लिये 18 सेन्टर्स हैं जिनकी इन्टेक केपेसिटी 540 है। कम्पाउडर्स, मेल और फीमेल के लिये 12 ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं जिनकी इन्टेक केपेसिटी 250 है। लैब टेक्निशियन्स के लिये एक ट्रेनिंग सेन्टर है जिसकी इन्टेक केपेसिटी 20 है। एल० एच० वी० के लिये 3 सेन्टर्स हैं जिनकी इन्टेक केपेसिटी 90 है, और रेडियो ग्राफर्स के लिये 2 सेन्टर्स हैं जिनकी इन्टेक केपेसिटी 24 है। जो कमी राजस्थान में है उसका विवरण इस प्रकार है : ए० एन०एम० 290, कम्पाउंडर्स, मेल व फीमेल 86 प्लस 250, लैब टैक्निशियन्स 30, एल० एच० वी० 300, रेडियोग्राफर्स की 10 की कमी है। तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर्स खुले हुये हैं इनसे हर साल ट्रेनिंग पाकर जो निकलते हैं उनको खाली जगहों पर लगाया जाता है. लेकिन कमी के कारण

(श्री सी० एल० कंवरिया)

कुछ बैक लॉग भी हैं। दो तीन वर्ष तक ये ट्रेनिंग सेंटर्स बहुत संख्या में बन्द कर दिये थे, दुबारा मैंने····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। उत्तर आने दीजिए।

श्री सी० एल० कंवरिया : इस प्रकार राजस्थान में जालौर जिले में सी० ए० एस० डाक्टरों के जो रिक्त स्थान थे उन पर पोस्टिंग कर दी गई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रिश्वत खाकर उनकी बदली करते हैं

(व्यवधान)

मैंने इस सदन में चार्ज लगाया था

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मैं आपको अवसर दे दूंगा। पहले मंत्री जी का उत्तर सुन लें। आर्डर प्लीज।

श्री सी० एल० कंवरिया : जालौर जिले में जो डाक्टरों की कमी है वह कमी पूरी कर दी गई है, बाकी स्टाफ की पूर्ति 1983-84 में ज्यों ही ट्रेनिंग लेकर निकलेंगे, की जायेगी और जितनी जल्दी हो सकेगा उनको लगा दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे जैसलमेर के अस्पताल में कोई डाक्टर नहीं है, कम्पाउन्डर्स तक भी नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठिये। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे जालौर जिले में अभी जो अस्पताल खुले हैं वहां न कोई डाक्टर हैं, न कोई कम्पाउन्डर्स हैं। वहां प्राथमिक केन्द्रों पर आज तीन तीन साल से न तो कोई नर्सेज हैं और न ही वहां पर कोई दूसरा स्टाफ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर, आर्डर। मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री सी० एल० कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, अभी जो नये अस्पताल खुले हैं और जो नये प्राथमिक केन्द्र खुले हैं वहां पर अब स्टाफ का पोस्टिंग हो रहा है। मैंने पहले अपने उत्तर में निवेदन किया कि

(श्री सी० एल० कंवरिया)

अभी आर० पी० एस० सी० से 600 डाक्टर्स का सलेक्शन हो गया है और अब उनका पोस्टिंग किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस महीने के अन्दर अन्दर ही पोस्टिंग करदी जावेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं तीन चार सदस्यों को एक-एक पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा। मैं नाम लेकर पुकार रहा हूं। श्री यदुनाथसिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले विधान सभा सत्र में भी इस बारे में प्रश्न आया था और उसमें यह कहा गया था कि जब डाक्टर्स की पोस्टिंग रूरल हॉस्पिटल्स में होती है ये वहां पर नहीं जाते हैं और आज वहां पर रूरल हॉस्पिटल्स में 250 जगह खाली पड़ी हुई हैं जो अब, अध्यक्ष महोदय, 500 के करीब हो गयी हैं। जहां पर प्राथमिक केन्द्र हैं वहां पर स्थिति ऐसी है कि वहां पर न तो नर्सेज हैं, न डाक्टर्स हैं। जिन डाक्टर्स का गांवों में पोस्टिंग होता है उनको शहरों में डेपुटेशन पर लगा दिया जाता है इसलिए गांवों में डाक्टर्स की जगह बिलकुल ही खाली पड़ी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन जगहों पर डाक्टर्स का पोस्टिंग किया जाय। प्राथमिक केन्द्रों में आपने जो स्टाफ की पोस्टिंग बता रखी है, सही मायने में वह तो कागजों में ही है वहां पर स्टाफ है ही नहीं, इसलिये इसकी व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा।

श्री यदुनाथ सिंह : तो, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि इन पदों की पूर्ति कब तक हो जायेगी ?

श्री सी० एल० कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया कि डाक्टरों के सलेक्शन की लिस्ट पी० एस० सी० से आ गयी है और अब उन डाक्टर्स के पोस्टिंग आर्डर्स निकल रहे हैं और जहाँ भी डाक्टर्स की आवश्यकता है वहां पर पोस्टिंग हो रही है। यहां पर जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि गांवों से लोग शहरों में डेपुटेशन पर आ जाते हैं, तो उसके लिये व्यवस्था यह है कि वहां पर सी० एम० एच ओ. उनके पास जहा तीन-तीन डाक्टर्स हैं उनमें से एक-एक डाक्टर, जहां भी आवश्यकता होती है लगा देते हैं। सी० एम० एच० ओ० ही अपने यहां पर एडजस्टमेन्ट कर लेते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जयपुर में डाक्टर्स की बहुत कमी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, जयपुर में बहुत डाक्टर्स भरे पड़े हैं, यहां पर कोई कमी नहीं है। कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर मन्त्री महोदय ने यह कहा

(श्री नाथूसिंह)

कि जहां पर नर्सेज और डाक्टर्स की कमी है वहां पर डाक्टर्स और नर्सेज व कम्पाउण्डर्स को लगाया जा रहा है और जल्दी ही पूर्ति हो जायेगी, तो मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह कब तक होगा ? यह मन्त्री हैं तब तक होगा या इनके जाने के बाद होगा, यह बता दें ? क्योंकि यह मुझे मालूम तो नहीं है लेकिन यह बात जरूर है कि आज कई डाक्टर्स का पोस्टिंग तो गांवों में है पर वह यहां जयपुर में डेपुटेशन पर हैं। इसके अलावा जहां पर प्राथमिक केन्द्र खुले हुए हैं वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया, आप क्या कहना चाहते हैं। आपका मतलब यह है कि डाक्टर्स गांवों में नहीं हैं बल्कि जिनका पोस्टिंग गांवों में है वह शहरों में डेपुटेशन पर बैठे हुए हैं और वहां पर जगह खाली हैं।

श्री सी० एल० कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, वैसे जहां तक डेपुटेशन का सवाल है ऐसी स्थिति है नहीं। कोई विशेष परिस्थितियां हों तो बात अलग है लेकिन अब रूरल हॉस्पिटल्स में डाक्टर्स लगाये जा रहे हैं। जो नये 600 डाक्टर्स पी० एस० सी० से सलेक्ट होकर आये हैं उनके लिये यह कण्डीशन भी लगा दी है कि उन्हें गांवों में लगाया जायेगा और किसी का भी पोस्टिंग टाउन में नहीं होगा।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : अध्यक्ष महोदय, क्या सही है कि कुछ डाक्टर्स, जिनका पोस्टिंग गांवों में होता है, गांवों में नहीं जाकर छुट्टी लेकर बैठ जाते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री सी० एल० कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, ऐसा वैसे बहुत कम होता है, अगर कोई वहां पर कैम्प वगैरह लगा हो तो उसमें से एकाध डाक्टर डेपुटेशन पर आते हैं पर दूसरे स्टाफ का या डाक्टर्स का आम तौर पर डेपुटेशन नहीं होता है।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हमारे जैसलमेर में एक भी कम्पाउण्डर नहीं है और जो लोग वहां ट्रान्सफर होते हैं वह अपना राजनीतिक कारण बताकर ट्रान्सफर निरस्त करा लेते हैं। ऐसा जवाब दिया जाता है।

श्री छोगालाल बकोलिया (रेवदर) : आपको तो ऐसा ही जवाब मिलेगा।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक नीति सम्बन्धी सवाल पूछना चाहूंगा। क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सी० एम० एच० ओ० जो हैं वह अपने जिले के डाक्टर्स की पोस्टिंग करने में सक्षम है या नहीं है या यह राज्य स्तर पर ही हो सकती है ?

श्री सी० एल० कंवरिया : अध्यक्ष महोदय, सी. एम. एच. ओ. अपने क्षेत्र में सिर्फ क्लास फोर्थ के लोगों के ट्रान्सफर कर सकते हैं, बाकी जितना भी स्टाफ है उसकी

(१८)

(श्री सी० एल० कंवरिया)

नियुक्ति और ट्रान्सफर मेडिकल के डाइ-रेक्टोरेट से ही होता है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पहले तो ऐसी व्यवस्था थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं। सुश्री पुष्पा जैन।

जयपुर नगर में बरामदों को खाली कराना

109. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर में बरामदों को खाली करवाने के सम्बन्ध में नगर परिषद, जयपुर द्वारा हाल ही में क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या यह सही है कि बरामदों को खाली करवाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या यह सही है कि पूर्व सरकार ने बरामदों के प्रश्न पर जांच कर अपनी रांय देने के लिये एक न्यायिक आयोग का गठन किया था? यदि हां, तो इस आयोग की कार्यवाही कब से और क्यों बन्द करदी गई?

राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) जयपुर नगर में बरामदों को खाली करवाने के लिये नगर परिषद, जयपुर ने सम्बन्धित दुकानदारों को दिनांक 5-10-81 से 14-12-81 तक नोटिस दिये कि वे बनाये गये बरामदों को खाली कर देवें तथा बरामदों के अतिक्रमणों को हटाते समय शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस से सहायता के लिये मांग की।

(2) जी हां। सितम्बर, 81 में निर्णय लिया गया था।

(3) जी हां। परन्तु राष्ट्रपति शासन के दौरान यह निर्णय हुआ कि इस प्रश्न को नई लोकप्रिय सरकार के समक्ष ही रखा जावे। इसलिये निर्वाचित लोकप्रिय सरकार के समक्ष पुनः प्रस्तुत होने पर बरामदों को खाली कराने का निर्णय ले लिया गया है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि मन्त्रिमण्डल ने यह निर्णय लिया था कि इन बरामदों को 24 घण्टे में खाली करवाया जाय? यदि हां, तो अभी तक इनको खाली कराने के निर्णय पर अमल नहीं करने का क्या कारण है?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है, नगर परिषद ने 24 घन्टे में बरामदे खाली करवाने का तो नहीं कहा पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि बरामदों को खाली करवाया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर भी कोई मियाद तो रखी होगी?

सुश्री पुष्पा जैन : आपने जो नोटिस दिये हैं वह कितने समय के हैं?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद ने नोटिसेज दिये हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : मन्त्री महोदय, जवाब दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, अभी इतनी डिटेल तो मेरे पास नहीं है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह तो इसका रेलेवेन्ट सवाल है, इसका तो मन्त्रीजी के पास जवाब होना चाहिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सदस्या, आप विराजें तो सही, मैं रेलेवेन्ट जवाब ही दे रहा हूं, आप बिराजिये, मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही मन्त्रिमण्डल ने यह फैसला किया कि बरामदे खाली कराये जायं उसके लिये नगर परिषद् को आदेश दिया गया कि जयपुर में बरामदें खाली कराये जायं। लेकिन माननीय सदस्या, जो आमेर से आती हैं, ने कहा कि 24 घन्टे में खाली कराने के लिये कहा गया। तो मेरा निवेदन है कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि 24 घन्टे में बरामदे खाली करवाने के लिये कहा गया। मैंने अपने उत्तर में कहा है कि जयपुर नगर में बरामदों को खाली करवाने के लिये नगर परिषद, जयपुर ने सम्बन्धित दुकानदारों को दिनांक 5-10-81 से 14-12-81 तक नोटिस दिये कि वे बनाये गये बरामदों को खाली कर देवें तथा बरामदों के अतिक्रमण को हटाते समय शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस से सहायता की मांग की। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जयपुर राजधानी होने की वजह से और पिछले दिनों में यहां पर कई बार हड़तालें व आन्दोलन होते रहने की वजह से पुलिस उसमें लगी रही इसलिए उसकी सहायता उपलब्ध नहीं हो सकी अतः कार्यवाही नहीं हो सकी है, अभी तक।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि अब जिस समय पुलिस को समय मिलेगा तब उसकी सहायता लेकर इन बरामदों को खाली करवा दिया जायेगा ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि विरोधी दल के नेता महोदय ने एक प्रश्न पूछा है तो इसकी अहमियत को मैं ज्यादा मानकर चलता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न की अहमियत को स्वीकार करता हूं स्वयं इन्होंने भी, जब यह मुख्य मंत्री थे तो, स्वीकारा और इन्होंने उस प्रश्न को जो उत्तर दिया था वह मैं आपके समक्ष निवेदन कर रहा हूं। क्योंकि जितनी जल्दी यह बात कर रहे हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे उत्तर का सवाल नहीं है यहां।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपका उत्तर दे रहा हूं। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है उससे अवगत करा दिया। हमारी प्रेक्टिकल डिफिकल्टी है। जब श्री रामकिशन गुप्ता ने प्रश्न पूछा था तो आपने स्वयं ने कहा है कि बरामदों की समस्या नयी नहीं है। इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि जिन लोगों ने बरामदों में एन्क्रोचमेन्ट किया है उनको हटायें या उनको किराये पर दें, या जमीन की कीमत लेकर राइट-ऑफ करें। तो, जहां तक बरामदों को खाली कराने का प्रश्न आता है मैं स्वयं चाहता हूं कि बरामदे

(18)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

खाली होने चाहिए। बरामदे खाली होने चाहिए इसके बारे में राज्य सरकार ने भी निर्णय ले लिया है उसको बदलने की कोई स्थिति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा सवाल बिलकुल स्पेसिफिक था। मेरा सवाल यह था कि क्या नगर परिषद् को जिस दिन पुलिस की सहायता उपलब्ध हो जायेगी आप पुलिस की सहायता से बरामदे खाली करायेंगे ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने, अध्यक्ष महोदय, लास्ट में निवेदन कर दिया कि बरामदे खाली करवाने का राज्य सरकार का मानस है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह उत्तर दिया कि हमें पुलिस की सहायता नहीं मिली इसलिए बरामदे खाली नहीं करवा सके, और उन्होंने मेरा उत्तर भी पढ़कर सुनाया। मैंने यह कहा है कि मामला बड़ा गम्भीर है और इस पर विचार करना चाहिए। आपको जानकारी होगी कि हाई कोर्ट के एक जज थे, श्री महेन्द्र भूषण, उनको यह काम सौंपा था कि वह गवर्नमेन्ट को इस मामले में एडवाइस करें। आपने महेन्द्र भूषण जी से जांच नहीं करवाई और राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया बरामदे खाली करवाने का और 24 घण्टे का नोटिस दिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम बरामदे खाली करवाने में आपका सहयोग चाहते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो न जाने किस-किस में हमारा सहयोग चाहेंगे। मैं तो विचार करके दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सीधा-साधा प्रश्न है कि क्या सरकार ने अन्तिम रूप से यह फैसला कर लिया है कि बरामदे खाली करवाये जायेंगे ? क्या यह सही है कि बरामदे इसलिए खाली नहीं करवाये जा सके कि आपको अभी तक पुलिस सहायता उपलब्ध नहीं हो पाई है ? इन दो बातों का जवाब दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, इन दोनों बातों का उत्तर तो मैं पहले दे चुका हूं। जहां तक विरोधी दल के नेता महोदय पूछ रहे हैं, मैं पुनः यह कहता हूं कि सरकार की इच्छा निश्चित रूप से बरामदों को खाली करवाने की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा तो सीधा-साधा सवाल है उसका जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

सुश्री पुष्पा जैन : आप अपनी इच्छा की क्रियान्विति कब तक कर पायेंगे ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अतिशीघ्र करेंगे। मैं इसकी क्रियान्विति में आपका भी सहयोग चाहता हूं।

(7)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, क्या यह सही है कि इन बरामदों को बनवाने में संघर्ष समिति के चेयरमैन आप थे ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, पता नहीं किस जमाने की बात कर रही हैं। न तो मैं कभी संघर्ष समिति का चेयरमैन था....

श्रीमती उजला अरोड़ा : चतुर्भुज जी के जमाने में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, विषयान्तर हो रही हैं। श्री भंवरलाल।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय एक तो यह बतायें कि किन धाराओं के अन्तर्गत आपने इनको नोटिस दिये हैं ? और यह बतायें कि पुलिस को अन्तिम बार आपने कब लिखा और वहां से क्या उत्तर आया ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है। विस्तार में जाना चाहते हैं और यह सम्भव है नहीं। आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री हीरालाल आर्य।

श्री दाऊदयाल जोशी।

ग्राम डोबरली (कोटा) स्थित मालादेवी नामक गुफा

110. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) व **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कोटा जिले की नायब तहसील इन्द्रगढ़ के ग्राम डोबरली में स्थित मालादेवी नामक गुफा, जो कि राजस्थान का एक आश्चर्य बन सकती है, के सम्बन्ध में तथ्य एकत्रित कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) : जी नहीं, कभी नहीं। गुफा की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पिछली विधान सभा में जो उत्तर दिया गया था इस प्रश्न का वह है और उसमें सरकार ने यह कहा कि हम इसकी जानकारी कर रहे हैं और यदि वास्तव में राजस्थान का आश्चर्य बनने वाली जगह है तो निश्चित रूप से जानकारी करके उसे डवलप करेंगे। लेकिन मंत्री महोदय कहते हैं कि हमने कोई आश्वासन नहीं दिया। जो जवाब दिया था....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मेरे पास भी है। आप बता दें कहां आश्वासन दिया है।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था, "क्या यह सही है कि जानकारी प्राप्त करने की सरकार ने घोषणा की थी" तो उत्तर है, "जी हां"। "फिर, यदि हां,

(श्री हीरालाल आर्य)

तो सरकार ने इसकी जानकारी प्राप्त करने में अब तक क्या कार्यवाही की।" आपने फिर जवाब में कहा है, "जिलाधिकारियों के सहयोग से इस गुफा की जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये गये किन्तु सुरंग में थोड़ी दूर पर ही अंधेरा आ जाता है और क्योंकि ग्रामवासियों को सुरंग के भीतर शेर जैसे खतरनाक जानवरों के होने का भय है अतः इस दिशा में कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई।"

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह आश्वासन हुआ क्या ?

श्री दाऊदयाल जोशी : जी हां।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : तब तो आप बहुत अच्छा समझते हैं। यह आश्वासन है क्या, मैं जानना चाहता हूं ?

श्री हीरालाल आर्य : मैंने एक प्रश्न में पूछा था कि इस सुरंग की कितनी लम्बाई है तो इसका उत्तर मिला था कि सुरंग की लम्बाई की जानकारी नहीं है क्योंकि सुरंग प्रारम्भ से ही एक अंधेरी गुफा के रूप में है। सुरक्षा, जाँच दल एवं रोशनी जैसे उपकरणों के अभाव में लम्बाई की जानकारी नहीं की जा सकी है। ग्रामवासी भी गुफा में जंगली जानवरों के भय से प्रवेश करने से डरते हैं। तीसरे अंश के उत्तर में स्पष्ट है, सुरंग की जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय हीरालालजी उलझ गये दिखते हैं। मैं विपक्ष के नेता महोदय से अर्ज करूंगा कि इनको जरा आश्वासन की डेफिनेशन बता दें और प्रश्न भी आपने पूछा है, इतना इन्टेलीजेन्ट आप अपने दल को कहते हैं। आपने प्रश्न पूछा, "क्या यह सही है कि कोटा जिले की नायब तहसील इन्द्रगढ़ के ग्राम डोबरली में स्थित मालादेवी....."

मैं बस यही पूछ लूं कि क्या यह कोटा जिले में है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : हां, हां, कोटा जिले में है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : निर्णय नहीं हुआ है अभी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अच्छा पूछिये।

श्री हीरालाल आर्य : कोटा जिले में ही है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप कन्फर्म कर लें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां कन्फर्म कर लिया। नोटिफिकेशन नहीं निकला। बड़ी इन्टेलिजेन्टली इत्तला दे रहे हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : बून्दी में जाने का प्रस्ताव है। बून्दी में गया नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फैसला हो जाये, दोनों में कौन इन्टेलीजेन्ट है।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही इस पर शायद एक कट-

(श्री हीरालाल आर्य)

मोशन भी था। उसके जवाब में भी सरकार ने लिखा है, कोटा जिले की नायब तहसील इन्द्रगढ़ स्थित मालादेवी में एक सुरंग रूपी लम्बी गुफा है। जिलाधीश से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह सुरंग एकदम अन्धेरी गुफा है तथा अभी तक किसी ने भी इस सुरंग के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की है क्योंकि सुरक्षा सामग्री तथा रोशनी के अभाव में यह कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। पर्यटन विभाग इस सुरंग के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहा है और यदि यह स्थल पर्यटकों में लोकप्रिय होने के योग्य होगा तो इसके प्रचार प्रसार का अवश्य प्रयत्न किया जायेगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : Let an intelligent answer come.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : Intelligent answers will always come, Chaturvedi Ji. You quote one single instance in this sub-continent....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : Sub-continent :

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अरे हुजूर, आप इस देश का एक भी एग्जाम्पल दे दीजिये जहां पर गुफा डवलप की गयी हो—फार टूयूरिस्ट अट्रेक्शन परपज। मैं तो माननीय सदस्यों की मदद करना चाहता हूं, आप इस मैले के स्थान को डवलप करवाना चाहते हैं या गुफा को। जितनी बार, आपने चार बार प्रश्न पूछे हैं, हर समय आपने····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : इस देश में कई गुफायें डवलप की गई फार टूयूरिस्ट परपज····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको थोड़ा अनुभव लगता है।

श्री राजबहादुर : एक बम्बई के पास····

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे राजबहादुरजी····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, कॉम्पलेक्स बनाते कैसे हैं ? आप गुफा में घुसेंगे नहीं, अन्दर से देखेंगे नहीं····

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : तब तक कैसे पता चलेगा कि····

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप इतने बहादुर बन रहे हो तो चलो न हमारे साथ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, कृपया बैठिये।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मालादेवी नामक गुफा, जो कि राजस्थान का एक आश्चर्य बन सकती है, फारेनर्स को आकर्षित कर सकती है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त हुआ। आसन पैरों पर है, भाषण नहीं करें, माननीय सदस्य, बैठ जायं, आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है, माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पिछड़ी जातियों के छात्रों से शिक्षण शुल्क की वसूली

95. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपलदा) **श्री बाऊदयाल जोशी** (बीगोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों से शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है ? यदि हां, तो पिछड़ी जातियों की मान्यता प्राप्त सूची तथा शिक्षण शुल्क हेतु मुक्ति के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आदेशों के बावजूद भी अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों से शिक्षण शुल्क वसूल किया जाता रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) हां। पिछड़ी जातियों की मान्यता प्राप्त सूची तथा शिक्षण शुल्क मुक्ति के आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) ऐसी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है कि अन्य पिछड़ी जातियों से शिक्षण शुल्क लिया जाता है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

राजस्थान विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम

96. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के 1980–81 के परिणाम घोषित करवाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष अनुदान दिया था एवं परिणाम जल्दी निकालने के लिए आग्रह किया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि 1980–81 का परिणाम अन्य वर्षों की अपेक्षा बहुत कम समय में निकाला गया था ?

(3) वर्ष 1980–81 में कितने छात्रों ने रिअसेसमेन्ट के लिए आवेदन किया था

(श्री हंसराज शर्मा)

एवं उनमें से कितने छात्रों के परिणाम बदले हैं ? यह अन्य वर्षों की तुलना में अधिक हैं या कम ?

(4) परीक्षा परिणाम एवं रिवेल्यूएशन के परिणाम समय पर घोषित करवाने के लिए राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) वर्ष 1980-81 में कुल 17,394 छात्रों ने रिअसेसमेन्ट के लिए आवेदन किया एवं उनमें से 2942 छात्रों के परिणाम बदले हैं जो अन्य वर्षों की तुलना में बहुत कम हैं।

(4) परीक्षा परिणाम एवं रिवेल्यूएशन के परिणाम शीघ्र घोषित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति प्रयत्नशील है।

कृषि उपज मण्डी समिति, कामां द्वारा सड़क निर्माण

98. **श्री चांद खाँ** (कामां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, कामां जिला भरतपुर के अन्तर्गत कुछ समय पूर्व जिन सम्पर्क सड़कों का निर्माण शुरू किया गया था, वे अभी तक भी पूरी नहीं हो पाई हैं ?

(2) क्या सरकार इन निर्माणाधीन सड़कों को अन्य ठेकेदारों से पूरा करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यो ? अब ये सड़कें कब तक बना दी जावेंगी ?

(3) क्या सरकार निम्नलिखित सड़कों का निर्माण तत्काल पूरा करवाने का इरादा रखती है—

(क) ऊदाका से अकाता सड़क

(ख) कामां से बड़ोली धाड़ सड़क

(ग) ग्राम सोनोकर से नोनेरा सड़क ?

उत्तर :—

(1) जी हां। यह सही है।

(2) जी हां। इन सड़कों को पूर्ण करने का ठेका अन्य ठेकेदारों को दे दिया गया है। निर्माणाधीन सड़कें वर्ष 1982-83 में ही पूर्ण हो जायेंगी।

(3) इनमें से केवल एक ऊदाका से अकाता की सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा इसी वर्ष इसका निर्माण पूरा हो जायेगा। अन्य सड़कों के लिये मण्डी के पास धनराशि उपलब्ध नहीं है।

चिकित्सा शिक्षा की समयानुकूल योजना

99. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री सी. पी. जोशी)

(1) क्या यह सच है कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की समयानुकूल योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य मेडिकल कालेजेज में ग्रामीण स्वास्थ्य वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ?

(2) यदि हां, तो ऐसे कितने वाहनों का उपयोग हो रहा है एवं कितनी-कितनी लागत के कितने वाहन कहां-कहां उपयोग में नहीं आ रहे है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) प्रत्येक मेडिकल कालेज को एक एक वाहन आवंटित है जिसका उपयोग किया जा रहा है । कालेजों के वाहन में से कोई वाहन खराब नहीं है ।

इसके अतिरिक्त निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अधीनस्थ इस कार्य के लिए आवंटित 10 में से 9 वाहनों का उपयोग हो रहा है । एक वाहन जिला भरतपुर में चालक के अभाव में माह मार्च, 81 से उपयोग में नहीं आ रहा है । चालकों के पदस्थापन पर प्रतिबन्ध हटते ही व्यवस्था हो सकेगी ।

रेडियोग्राफर्स को एक्स-रे टैक्निशियन के पद पर नियुक्ति

100. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत रेडियोग्राफर्स को 18 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण के पश्चात् रेडियोग्राफर्स के पद पर नियुक्ति न दी जाकर एक्स-रे टैक्निशियन के पद पर नियुक्ति दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि एक्स-रे टैक्निशियन के रेडियोग्राफर्स के पद पर पदोन्नति के लिए नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(3) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में रेडियोग्राफर्स एवं एक्स-रे टैक्निशियम के अलग-अलग कितने-कितने पद हैं और इन पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के श्रेणीवार कितने-कितने कर्मचारी हैं ?

(4) क्या यह सही है कि रेडियोग्राफर्स के कुल पदों की संख्या को देखते हुए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नियुक्त कर्मचारियों की संख्या आरक्षण के अनुसार पूरी नहीं है ? यदि हां, तो इस वर्ग के एक्स-रे टैक्निशियनों को पदोन्नति दी जाकर आरक्षित पदों की पूर्ति करने में क्या आपत्ति है ?

उत्तर

(1) वर्तमान नियमों के अनुसार 18 माह का रेडियोग्राफर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त असिस्टेन्ट रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान

(चिकित्सा मन्त्री)

है। एक्स-रे-टैक्निशियन्स के पद वर्तमान नियमों के अन्तर्गत समाप्त किये जा रहे हैं। नियमों का उद्धरण संलग्न है।

(2) जी हां नियमों की प्रति खण्ड (1) के उत्तर के साथ सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) विभाग में वर्तमान में रेडियोग्राफर्स के 104 एवं एक्स-रे-टैक्निशियन के 135 पद स्वीकृत हैं। उन पदों पर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के निम्न प्रकार कर्मचारी कार्यरत हैं—

	अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति
रेडियोग्राफर।	4
एक्स-रे-टैक्निशियन।	9

(4) जी हां। वर्तमान में कार्यरत अनुसूचित जाति/जनजाति के एक्स-रे टैक्निशियन निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं अतः आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

जैसलमेर जिले के स्वास्थ्य उप केन्द्र

101. **श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर में कितने स्वास्थ्य उप केन्द्र हैं ?

(2) उक्त उप केन्द्र कौन-कौन से गांव में स्थित हैं व किस-किस वर्ष में खोले गये ? ग्राम व वर्षवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) उक्त उप केन्द्रों में से कितने बन्द हैं और कितनी अवधि से ? कृपया ग्राम व उप केन्द्रवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार उक्त बन्द पड़े उप केन्द्रों को पुनः प्रारम्भ कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में 9 स्वास्थ्य उप केन्द्र हैं।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) प्रश्न के भाग 2 के सन्दर्भ परिशिष्ट में अंकित है।

(4) जी हां।

प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होने पर बन्द पड़े स्वास्थ्य उप केन्द्रों को पुनः प्रारम्भ करना संभव होगा जिसके लिये प्रयास जारी हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

सवाई माधोपुर में अवस्थित क्षय चिकित्सालय

102. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाईमाधोपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर की जनता द्वारा वहां अवस्थित क्षय चिकित्सालय को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की थी ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि जिस स्थान पर अभी क्षय चिकित्सालय है उसके पास बना वार्ड पुराना तथा गन्दा है ? यदि हां तो फिर उसको बाहर अस्पताल के वार्डों में ले जाने में अब तक क्या कठिनाई आई है ?

उत्तर

(1) जी हां । परन्तु टी0बी0 अस्पताल को आबादी शहर से दूर ले जाने का व्यावहारिक दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है । समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर जनरल अस्पताल के प्रांगण में नया टी0बी0 अस्पताल भवन बनाने पर वर्तमान अस्पताल को वहां पर स्थानान्तरित करना संभव होगा ।

(2) वार्ड पुराना है परन्तु गन्दा नहीं कहा जा सकता । समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान वार्डों का स्थानान्तरण करना फिलहाल संभव नहीं है ।

भीलवाड़ा जिले में अस्पतालों/डिस्पेन्सरियों में स्वीकृत पद

103. **श्री बंसीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में विभिन्न अस्पतालों, डिस्पेन्सरियों में स्वीकृत पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने, कब से और क्यों ? कृपया विवरण मय सूची के सदन की मेज पर रखें ।

(2) अब रिक्त पदों की कब तक पूर्ति हो जायेगी ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

रिक्त पदों की सूची संलग्न है ।

(2) चिकित्सकों के रिक्त पद तो भर दिये गये हैं, शेष पदों को योग्य एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होने, पदों को भरने पर लगे प्रतिबन्ध हटने तथा पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की पदोन्नति करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर भरना संभव होगा जिसके लिये प्रयास जारी है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

रिस्क-मनी की बकाया राशि

104. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(27)

(श्री कैलाश मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग को गत वर्षों में विभिन्न व्यापारियों/फर्मों द्वारा निविदाओं की शर्तों के अनुसार कच्ची औषधियां तथा अन्य सामान सप्लाई नही किये जाने के परिणामस्वरूप उन व्यापारियों/फर्म्स के विरुद्ध "रिस्क-मनी" के रूप में एक भारी रकम बकाया है।

(2) यदि हां, तो दिनांक 31-7-82 तक किन-किन में किस-किस तारीख से कितनी राशि "रिस्क मनी" की बकाया है? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह "रिस्क मनी" व्यापारियों/फर्म्स द्वारा सप्लाई किये गये अन्तिम आइटम के बिल के चुकारे से नहीं काटी गयी? यदि हां, तो क्यों और अब वसूली की क्या कार्यवाही चल रही है?

उत्तर

(1) विभागीय लेखों के अनुसार केवल 2,30,629.20 रु. रिस्क मनी के बकाया हैं।

(2) दिनांक 31.7.83 तक बकाया रिस्क मनी का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) वर्ष 1980-81 तक विभाग में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार क्रय आदेश निदेशालय से दिये जाते रहे हैं एवं भुगतान संबंधित प्रभारी अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशाला द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त विभिन्न रसायनशालाओं से "रिस्क मनी" की सूचना व्यवस्थापक राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशालायें अजमेर के माध्यम से निदेशालय को प्राप्त होती थी। फर्म/व्यापारी को रिस्क मनी की राशि जमा कराने के लिये नोटिस दिया जाता है। संबंधित व्यापारी द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत करने पर जांच कर सुरक्षा राशि जब्त करने एवं वसूल करने की अन्य प्रक्रियाएं प्रारम्भ की जाती हैं। "रिस्क मनी" व्यापारियों द्वारा सप्लाई किये गये अन्तिम आइटम के बिल के चुकारे से नहीं काटे जाने के निम्न कारण हैं :—

(1) कतिपय फर्म तो ऐसी हैं, जिन्होंने एक वर्ष निविदा देने के बाद दूसरी बार निविदा ही नहीं दी एवं उनसे कोई सामग्री क्रय ही नहीं की गई।

(2) राज्य सरकार के आदेशों के अन्तर्गत लघु उद्योग इकाइयों से सुरक्षा राशि जमा कराने का प्रावधान नहीं है। ऐसी फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग द्वारा निदेशक उद्योग विभाग राजस्थान जयपुर से सम्पर्क किया जा रहा है ताकि उनके सहयोग से "रिस्क मनी" वसूल हो सके।

(3) दिनांक 31.1.82 तक की स्थिति के अनुसार 2,59,625.60 रुपये "रिस्क मनी" बकाया थी। इस राशि में से दिनांक 31.7.82 तक 28,996;40 रुपये वसूल किये जाकर चालान द्वारा राज्य कोष में जमा कराये जा चुके हैं। दिनांक 31.7.82 के पश्चात भी 14,417.93 रु. की वसूली की जा चुकी है। इसके अलावा व्यापारियों/फर्मों द्वारा उठायी गयी आपत्तियों पर अन्तिम निर्णय लेकर वसूली व्यापारियों की

(28)

(आयुर्वेद मंत्री)

एच.डी.आर (जो विभाग के पास है) अथवा बिलों के भुगतान एवं पी.डी.आर. एक्ट के अन्तर्गत की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

भीलवाड़ा में अनधिकृत निर्माण व अतिक्रमण के मामले

105, **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नगर परिषद् भीलवाड़ा में सन् 1981-82 में कितने अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के मामले पकड़े गये, कितने मामले नगर परिषद् द्वारा निबटाये गये और कितनों के न्यायालय में चालान पेश हुए और न्यायालय द्वारा अब तक कितने मामलों पर निर्णय हो चुका है ? कृपया पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगर परिषद् भीलवाड़ा से प्राप्त सूचना के अनुसार नगरपरिषद् भीलवाड़ा में वर्ष 81-82 में हुए अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमणों के मामलों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

रामगंज मण्डी नगरपालिका क्षेत्र की सड़कें एवं पेयजल समस्या

106. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रामगंज मण्डी नगरपालिका क्षेत्र की सड़कें टूट फूटी हैं तथा अधिकतर नालियां भी टूटी हुई हैं ? इन्हें ठीक करवाने हेतु सरकार कितना अनुदान दे रही है ?

(2) क्या रामगंज मण्डी नगरपालिका के कितने ही वार्डों में न तो पानी की लाइन है न हैड पम्प, सरकार पेयजल समस्याग्रस्त वार्ड्स के निवासियों को जलप्रदाय की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) रामगंज मण्डी नगरपालिका की कुछ सड़कें एवं नालियां मरम्मत योग्य हैं। नगरपालिका ने विशेष अनुदान की मांग नहीं की है। नगरपालिका के वर्ष 82-83 के स्वीकृत बजट में मरम्मत एवं निर्माण कार्यों हेतु 1,40,000 रु. का प्रावधान है।

(2) नगरपालिका के कुल 13 वार्डों में से ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां पूर्णतः पानी की लाइन या हैण्ड पम्प नहीं हो। 19 हैण्ड पम्प एवं 23 सार्वजनिक नल चालू स्थिति में हैं। इसके लिए पांच हजार रुपयों का प्रावधान नगरपालिका के बजट में स्वीकृत है।

नगरपालिका प्रतापगढ़ द्वारा भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव

107. **श्री मन्नालाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नन्दलाल मीणा)

(1) नगरपालिका प्रतापगढ़ द्वारा माह मार्च, 1982 से जुलाई, 1982 तक भूमि अवाप्ति के कितने प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तावित किये गये ? कृपया आराजी नम्बर सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) इन प्रस्तावों में से कितने प्रस्ताव नगरपालिका द्वारा पारित किए हुए हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका ने भूमि अवाप्ति का एक ही प्रस्ताव संख्या 6 पारित कर राज्य सरकार को प्रेषित किया है। आराजी नम्बर सहित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न के भाग (1) में इसका भी उत्तर सम्मिलित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

सहकारी संस्थाओं के चुनावों का स्थगन

110. **श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पूर्व)** : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी संस्थाओं के शेष चुनाव स्थगित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार का भविष्य में कब चुनाव कराने का विचार है ?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में 147 में से 124 सहकारी संस्थाओं के चुनाव मार्च, 1982 व 12 सहकारी संस्थाओं के चुनाव अप्रेल, 1982 में कराये जाने का निश्चय किया गया था ? यदि हां, तो चुनाव स्थगित कराये जाने के क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) जी हां, केवल क्रय विक्रय, होलसेल उपभोक्ता भंडार, केन्द्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक भूमि विकास बैंक एवं शीर्ष सहकारी संस्थाओं के चुनाव माह नवम्बर, 82 के लिए स्थगित किये गये हैं। इसके पश्चात् ही चुनाव कराये जाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

(2) माह मार्च एवं अप्रेल, 1982 में शेष रही 134 सहकारी संस्थाओं के ही चुनाव सम्पन्न कराये जाने थे, परन्तु राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण चुनाव नहीं कराये जा सके तथा इसके पश्चात् ऋण वितरण एवं ऋण वसूली तथा लोक सभा, विधान सभा के उप चुनावों की महत्ता को देखते हुये राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13-4-82 के द्वारा समस्त चुनाव 30-6-82 तक के लिए स्थगित कर दिये गये।

झालावाड़ जिले में पर्यटन स्थलों का सर्वे

111. **श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग)** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या झालावाड़ जिले में पर्यटन स्थलों के लिये कभी पर्यटन विभाग द्वारा सर्वे कराया गया है ?

(30)

(श्री बालचन्द्र आर्य वीर)

(2) क्या यह सही है कि झालावाड़ में मगरनाथ की डूंगरी के नाम से एक स्थान है जिसका विभाग द्वारा सर्वे कराया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या वह स्थान पर्यटन योग्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका सर्वे करवा कर इसे पर्यटन स्थल बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से मगरनाथ की डूंगरी महत्वपूर्ण स्थल नहीं है ।

(3) जी नहीं ।

राजस्थान नहर हेतु विदेशों से सामान का आयात

112. श्री नाथूसिंह (सांदीकुई) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले दो वर्षों में राजस्थान नहर हेतु कितना सामान किन-किन देशों से आयात किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) राजस्थान नहर के सम्बन्ध में कब-कब कौन-कौन से आयोग बैठाये गये हैं ? उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है ? कृपया रिपोर्ट्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या आयातित समस्त मशीनरी ही अब काम आ रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पिछले दो वर्षों में 5 नम्बर डी-8 के रिपर ब्रिटेन से आयात किये गये जिनकी कुल राशि 80,00,000/- रुपये थी । इनको सुचारु रूप से चलाने के लिए अनुमानित 20,00,000/- रुपये के पुर्जे आयात किये गये ।

(2) कोई नहीं ।

(3) आयातित सभी 5 डी-8 टेक्टर्स राजस्थान मुख्य नहर पर कार्य कर रहे हैं ।

ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को आवासीय भू-खण्ड का आवंटन

113. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के कितने परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवंटित किए गये हैं ? इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कितने-कितने व्यक्ति हैं ?

(2) प्रत्येक जिले में कितने-कितने भू-खण्ड आवंटित किए गए ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) 22 जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर 84089 परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं। इसमें अनुसूचित जाति के 35834, व अनुसूचित जनजाति के 16072 एवं अन्य 32183 व्यक्ति हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। शेष 5 जिलों से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं।

(2) इस प्रश्न का उत्तर भाग (1) में दिया जा चुका है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

ग्राम पंचायत भूपाल सागर द्वारा चुंगी लगाने का निर्णय

114. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत भूपाल सागर, जिला चित्तौड़गढ़ ने मई, 1980 में पंचायत क्षेत्र में चुंगी लगाने का निर्णय लिया था ? यदि नहीं, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत भूपाल सागर के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार में अपील दायर की गई थी ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों द्वारा तथा राज्य सरकार ने किन अधिकारों के अन्तर्गत स्थगन आदेश दिया ?

(3) क्या वर्तमान में भी स्थगन आदेश जारी है ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत भोपालसागर द्वारा दि. 5-5-80 को पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत चुंगी लगाने का निर्णय लिया था।

(2) जी हां। पंचायत भोपालसागर के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा अपील प्रस्तुत की गई:—

1. श्री मगन मोहन नाथ
2. ,, हिल्ला अग्रवाल
3. ,, गणेशराम जाट
4. ,, माधवलाल जाट
5. ,, शंकरलाल जाट
6. ,, किशोरीलाल
7. ,, भगवान माली
8. ,, महादेव जाट
9. ,, राजमल

राज्य सरकार ने प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांक 5-5-80 को राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 65 (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत स्थगन आदेश जारी किये।

(3) जी हां।

चित्तौड़गढ़ जिले में बन्द प्राथमिक शालाएं

115. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में प्राथमिक पाठशालाएं अध्यापकों के अभाव में बन्द पड़ी हैं? यदि हां, तो पचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करावें।

(2) राज्य सरकार बन्द पड़ी पाठशालाओं में अध्यापक कब तक नियुक्त करने की स्थिति में है?

करना

(1) जिला चित्तौड़गढ़ की निम्न पंचायत समितियों में पाठशालाएं अध्यापकों के अभाव में बन्द हैं:

पंचायत समिति का नाम	प्राथमिक शाला का नाम
1. छोटी सादड़ी	मालीखेड़ा अखेपुर
2. राशमी	गंगरार सालरियां
3. डूंगला	जाजलवास
4. अरनोद	कन्या प्रा0 वि0 अरनोद

(2) जो पाठशालायें बन्द हैं उनमें शीघ्र ही अध्यापक लगाये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

चित्तौड़गढ़ जिले में पंचायत स्तर पर अध्यापकों के स्थानान्तरण

116. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में पंचायत समिति स्तर पर अध्यापकों के किये गये स्थानान्तरण पर किस-किस पंचायत समिति को राजाज्ञा द्वारा स्थगन आदेश कब-कब जारी किये गये? कृपया माह मार्च, 1982 से जुलाई, 1982 तक की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार पचायत समितियों में स्वायत्तता की हामी नहीं है? यदि हां, तो अब तक हस्तक्षेप के क्या कारण रहे हैं?

उत्तर

(1) विकास अधिकारी पंचायत समिति, प्रतापगढ़ द्वारा श्री नानालाल मीणा, श्री ओंकार सिंह मीणा व श्री रामनिवास जागीड़ अध्यापकों के किये गये स्थानान्तरण आदेश को विभागीय आदेश दिनांक 30-7-82 के द्वारा निरस्त करने हेतु निर्देश दिये गये थे। तत्पश्चात् प्रधान, पंचायत समिति ने तथ्यों से अवगत कराते हुए चाहा है कि राज्य सरकार के आदेश को निरस्त किया जावे जो विचाराधीन है।

(पंचायत राज्य मन्त्री)

(2) राज्य सरकार अधिनियम एवं नियमों में प्रदत्त सीमा तक पंचायत समितियों की स्वायत्तता की हामी है। इन अध्यापकों के स्थानान्तरण राजनैतिक दुर्भावना से होना उन अध्यापकों ने प्रगट किया था तथा जाहिर किया था कि कुल 93 अध्यापकों के स्थानान्तरण किए गये थे जिनमें से 90 के तो विकास अधिकारी एवं प्रधान जी ने निरस्त कर दिए परन्तु इनके स्थानान्तरण निरस्त नहीं किए अतः उक्त आदेश दिए गये। राज्य सरकार द्वारा यह स्वायत्तता के हनन का कोई मामला नहीं बनता है।

प्रदेश में भूमि जल की स्थापना

117. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या भू-गर्भ जल विभाग मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे:--

(1) क्या राज्य सरकार प्रदेश में भू-गर्भ जल निगम की स्थापना पर विचार कर रही है?

(2) निगम को स्थापित करने में कितना रुपया व्यय होगा तथा प्रारम्भिक दौर में किन-किन जिलों का सर्वेक्षण किया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) (i) निगम पर कितना व्यय होगा विचाराधीन है।

(2) (ii) निगम के द्वारा सर्वेक्षण का कार्य प्रस्तावित नहीं है।

सुल्तानपुर पं. स. की बकाया राशि

118. **श्री बाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर में किन किन व्यक्तियों पर गत तीन वर्षों से तकावी खाद बीज के ऋण एवं अन्य बकाया की धन राशि शेष है? गत तीन वर्षों में उक्त धन राशि के वसूल करने हेतु किन किन पर कब कब क्या क्या कार्यवाही की

उत्तर

(1) पंचायत, समिति, सुल्तानपुर को वर्ष 1959-60 से 1968-69 तक जो ऋण राशि दी गई थी उनमें से निम्न राशि बकाया है :-

कृषकों में बकाया राशि	17,19,851,78
सहकारी समितियों में बकाया	2,21,288,26
योग	19,41,140.04

उक्त बकाया राशि मार्च, 1982 में प्राप्त सूचना के आधार पर 3510 कृषकों में बकाया है। कृषकों के नाम की सूची विस्तृत होने के कारण इसको समय की मेज पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

(पंचायत राज्य मन्त्री)

सहकारी समितियों में बकाया की सूची संलग्न है।

जहां तक बकाया राशि की वसूली का प्रश्न है, इस वसूली हेतु मांग पत्र पंचायत समिति, सुल्तानपुर द्वारा संबंधित तहसीलदार एवं सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, कोटा को प्रति वर्ष दो बार यानी 15 अप्रले व 15 अक्टूबर को भिजवाये जाते रहे हैं

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

[illegible]श : ग्रासन पैरों पर है। ग्राडंर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्तवों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) सर्व श्री लच्छूराम, भरोसीराम, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से ग्राम पंचायत दुलेहपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के भूतपूर्व सरपंच द्वारा विधान सभा सदस्य चुने जाने के बाद पंचायत का चार्ज, जिसमें गेहूं, बिजली का पंपिंग सैट तथा रेकार्ड है, मोजूदा सरपंच को न सम्भलाने के बारे में,

(2) श्री छीतरलाल ग्रार्य, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से ग्रटरू की ग्रनाज मण्डी को कृषि उपज मण्डी घोषित करने के सम्बन्ध में,

(3) श्रीरामकंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से फागी विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की कमी के विषय में,

(4) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से गत 9 सितम्बर की रात्रि को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के शास्त्री नगर स्थित हाउसिंग बोर्ड कार्यालय से हैड केशियर के गायब हो जाने के विषय में,

(5) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से, उदयपुर नगर स्थित जग निवास को गैर-कानूनी तरीके से तोड़ फोड़ करने के सम्बन्ध में,

(6) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से ग्रावासन मण्डल में 1972 से पंजीकृत नागरिकों को मकान ग्रावंटित न करने के सम्बन्ध में,

(7) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से ग्राम पंचायत कलमीपुरा, तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़-गढ़ के सरपंच को भूतपूर्व सरपंच द्वारा रेकार्ड न सौंपे जाने के विषय में;

(8) श्री यदुनाथसिंह, सदस्य विधान सभा की ग्रोर से सरदार शहर ग्रायुर्वेदिक विद्यालय में मारपीट की घटनाग्रों के कारण छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ने के विषय में;

(9) हाजी चाव खां, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जिला भरतपुर में गांव गुलपाड़ा से जुरहरा तक की सड़क का निर्माण कार्य ग्रधूरा होने के विषय में;

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम बीलवा, जिला जयपुर में पुलिस की मनमानी के कारण एक महाजन द्वारा अपने मकान की चारदीवारी बनाने की अनुमति न देने के विषय में;

(11) श्री महावीर प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के 23 विद्यालयों में उर्दू के अध्यापकों की कमी के विषय में;

(12) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीपल्दा तहसील के गैंता कस्बे में उच्च जलाशय बनने के बावजूद विद्युत का कनेक्शन न देने के विषय में;

(13) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर परिषद् के अधिकारियों द्वारा जयपुर में घरों के बाहर बंधी हुई गायों को खोलकर ले जाने के विषय में;

(14) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर के महाविद्यालय में पोस्ट-ग्रेजुएट, एल. एल. बी, संस्कृत व कृषि के विषय खोले जाने के बारे में;

(15) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर में राजकीय माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय व कन्या महाविद्यालय की छात्राओं को प्रवेश न मिलने के सम्बन्ध में;

(16) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर नगर परिषद् द्वारा सफाई व्यवस्था न करने के विषय में;

(17) सर्वश्री दाऊदयाल जोशी, गुलाबचन्द कटारिया, अनंग कुमार जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा वेरी वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू न करने के विषय में।

इस विषय में राज्य सरकार से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, किन्तु पुनः विस्तृत जानकारी देने को कहा जा रहा है;

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा; और

(18) श्री समर्थलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सन् 1981–82 में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के करीब 40 छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने के विषय में,

इस स्थगन प्रस्ताव पर भी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा.

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है:—

(1) श्री हाजी घाव खां—जिला भरतपुर व अलवर के मुसलमानों को, जिन्हें बकाया क्लेम की भूमि दी गई थी पुनर्वास विभाग द्वारा 400 रुपये प्रति बीघा वसूल

(श्री अध्यक्ष)

किये जाने के विषय में,

सरकार ने सूचित किया है कि गत 10 फरवरी को मुख्य मन्त्रीजी ने भारत सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है और उत्तर अपेक्षित है।

(2) श्री जीतमल जैन—भारत एलम्स तथा कैमिकल्स, अलवर द्वारा उत्पन्नप्रदूषण,

सरकार ने सूचित किया है कि इस फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित जल से पशुधन पर विपरीत प्रभाव पड़ा हो, ऐसा नहीं लगता। किन्तु फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस उद्योग का पूरा मामला अलवर न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

(3) श्री कैलाश मेघवाल—जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में अव्यवस्था,

सरकार ने सूचित किया है कि कुछ मामलों में इन्फैक्शन होने से मृत्यु हुई है, और अस्पताल की व्यवस्था में सुधार करने के पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं, तथा एक वार्ड बाय को निलम्बित करके अनुशासनात्मक कार्यवाही की का रही है।

(4) श्रीमती उजला अरोड़ा—जयपुर में पेय-जल की कमी,

सरकार ने सूचित किया है कि जयपुर में जल-वितरण संतोषजनक हो रहा है। कभी कभी बिजली कम मिलने पर उसका प्रभाव जल वितरण पर पड़ता है।

(5) श्री बन्शीलाल पटवा—भीलवाड़ा स्थित गांधी अस्पताल में सर्जन्स की कमी,

सरकार ने सूचित किया है कि सर्जन के पद पर एक चिकित्सक को पदस्थापित कर दिया गया है और कुछ पद अभी भी खाली हैं,

(6) श्रीमती विद्या पाठक—महात्मा गांधी अस्पताल यूनिट में कोबाल्ट यूनिट की स्थापना न होने के बारे में,

सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त मशीन आवश्यक उपकरणों के अभाव में बन्द थी, जो गत 10 सितम्बर को प्राप्त हुये हैं और लेक्चरार के पदस्थापित होने पर यूनिट चालू हो जायेगी।

(7) श्री हंसराज शर्मा—सवाई माधोपुर की डेयरी द्वारा काश्तकारों को दूध का भुगतान न करने के बारे में,

सरकार ने सूचित किया है कि कुछ केन्द्रों से प्राप्त दूध का कोई भुगतान संघ में बकाया नहीं है। केवल एक समिति का दो दिनों का भुगतान बाकी है, जिसका निपटारा करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त आधारों पर मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्री चन्द्रवीर सिंह—जैसलमेर जिले में पाकिस्तानी डकेतों द्वारा ऊंटों को पाकिस्तान ले जाने तथा जैसलमेर व अन्य सीमान्त जिलों में 10 हजार से अधिक गायों-बैलों की चोरी कर पाकिस्तान ले जाने के विषय में,

इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा सदन में एक वक्तव्य दिया जायेगा, जिसकी तिथि बाद में तय की जायेगी।

(श्री हंसराज शर्मा)

(2) श्री भंवरलाल शर्मा—जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मेडिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट का निर्माण,

इस विषय में सरकार द्वारा सदन में एक वक्तव्य दिया जायेगा, जिसकी तिथि बाद में तय की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : अब जिन माननीय सदस्यों को....

(व्यवधान)

अभी अध्यक्ष आपकी सेवा में खड़ा है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

इतने आवेश में आने की क्या बात है। अभी मैं अपने पैरों पर हूं। मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। मैं कुछ व्यवस्थाएं देना चाहता था; बीच में ही नाराज हो गये।

अब जैसी कि सदैव हमारी परम्परा रही है जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकृत कर दिये हैं, अथवा राज्य सरकार का उत्तर आने के पश्चात अस्वीकार कर दिये हैं, उनके सम्बन्ध में माननीय सदस्य दो-दो मिनट में अपनी बात कहने की कृपा करेंगे। उसके पश्चात् किसी माननीय सदस्य को कोई शंका रह जाय, तो जैसा मैंने आपको पूर्व में निवेदन किया है, और बार-बार करता रहता हूं कि स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में अमुक स्थगन प्रस्ताव के बारे में सूचना आई, नहीं आई, कब आपने दिया, उसका मैं तत्काल उत्तर देने की स्थिति में यहां नहीं होता। उसके लिये मेहरबानी करके यदि आपको कोई कठिनाई हो तो मुझ से मेरे चैम्बर में मिलने की कृपा करें, ताकि आपके जो विषय हैं, प्रस्ताव हैं, संकल्प हैं उनके बारे में मैं व्यवस्था कर सकूं। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से कि....

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था, वह महत्वपूर्ण है। एक विधायक की गिरफ्तारी का मामला है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो भी नोटिस देने थे—एक तो 127 में और एक 131 में नोटिस दिया। माननीय सदस्य ने एडजोर्नमेंट मोशन पेश किया, एक विधायक का मामला है। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आज-कल, जिस समय भी आप उचित समझें अपनी व्यवस्था दें, एक विधायक की गिरफ्तारी का मामला है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं, यह मसला मेरे ध्यान में है और इस पर किसी न किसी दिन इस सदन में चर्चा होगी....

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

मैंने माननीय सदस्यों को निवेदन किया, स्थगन प्रस्ताव में क्या स्थिति है, सरकार से उत्तर प्राप्त हो गया है अथवा नहीं हो गया है, उसमें वक्तव्य दिया जाना चाहिये अथवा नहीं दिया जाना चाहिये, किसी प्रकार की माननीय सदस्यों को शिकायत हो तो माननीय सदस्य कृपया मेरे चेंबर में मुझ से मिलने की कृपा करें। मैं तत्काल कुछ नहीं कह सकता हूं। आज का जो स्थगन प्रस्ताव है, उदयपुर वाला, वह मेरे ध्यान में है। मैंने माननीय सदस्यों को निवेदन भी कर दिया था कि उसमें कुछ व्यवस्था ऐसी की जायगी कि आपको शंका न रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, चेंबर में आपने व्यवस्था दी थी कि कल जो हरिजनों पर लाठी चार्ज हुआ है उसमें सरकार को....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। दूसरी तरह के, तीसरी तरह के अब माननीय सदस्य प्रश्न न पूछें।

अब, जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकार कर दिये हैं जिन माननीय सदस्यों के मैं नाम पुकारू, वे कृपया उन पर दो-दो मिनट बोल ले।

(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी (नीमका थाना): अध्यक्ष महोदय, एक विधायक का मामला है, विधायक को पुलिस ने झूंठा मुकदमा लगाकर गिरफ्तार कर लिया।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया, आपने सुना नहीं है क्या ?

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला है, राज्य सरकार ने उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। मैं उस पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिलाने का प्रबन्ध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है। आज इतने दिन असेम्बली को चलते हुए हो गये, सरकार को चाहिये था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस पर अब चर्चा नहीं होगी

श्री चाव खां।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष : श्री चाव खां। भूमि की कीमत की वसूली के सम्बन्ध में।

श्री भंवरसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष : मैं किसी का उत्तर नहीं दूंगा।

श्री भंवरसिंह गुर्जर : बहुत गंभीर मामला है, साहब, दो मिनट शालीनता से सुन लें। गलत हो तो आप अपनी व्यवस्था दे देना। अध्यक्ष महोदय, सही 11-00 बजे सभी विधायक असेम्बली में आते हैं और असेम्बली में आने के बाद किसी को अचानक सिर दर्द हो जाय या अन्य कोई तकलीफ हो जाय....।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में चर्चा नहीं उठा सकते हैं।

श्री भंवरसिंह गुर्जर : 10 दिन से होमियोपैथिक अस्पताल में दवाइयां नहीं हैं। किसी फोड़े-फुन्सी की दवा नहीं है और विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, 295 के तहत एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मैंने श्री चाव खां को बोलने का अवसर दे दिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बहुत आवश्यक है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं बाद में अवसर दे दूंगा, मेरे ध्यान में आ गई बात।

श्री चाव खां।

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 8 तारीख को एक प्रस्ताव दिया था और वह प्रस्ताव क्या था कि हमारे अलवर और भरतपुर के जो मुसलमान हैं, उनके जो क्लेम बकाया थे उसके सम्बन्ध में सरकार का वायदा था। जो-जो पाकिस्तान जा रहे थे उनको सरकार ने रोका। सन् 47 में जब वे पाकिस्तान जा रहे थे, महात्मा गान्धी आये और उनको विश्वास दिलाया, उनको रोका और यह कहा आपको आपकी जमीनें और मकान वापस दिये जायेंगे। सरकार उनको देती भी रही लेकिन असली जमीनें न देकर उनको पट्टे की जमीनें देती रही। अब सरकार ने सन् 75 में फैसला लिया और जिन लोगों के क्लेम्स में जो रकबा दिया जा रहा है उसकी 400) रुपये बीघा, यानि एक हजार रुपये की कीमत वसूल की जा रही है। यह उन लोगों पर बड़ा अन्याय है। क्लेम में जो रकबा दिया जा रहा है उसकी 400) रु0 बीघा कीमत ली जा रही है, और दूसरी तरफ सरकार अलाटमेंट के आधार पर जो रकबे दे रही है उस पर भी 400) रु0 बीघा की कीमत है। यानि क्लेम पर भी 400) रु0 और दूसरों को जो अलॉटमेंण्ट के आधार पर दी जा रही है उसकी भी 400) रु0 कीमत। यह उनके साथ सरासर अन्याय है। इसलिये मैं

(श्री चावखां)

सरकार से निवेदन करूंगा कि जो रकबा उनको क्लेम्स में दिया जा रहा है, उसकी कीमत वसूली बन्द की जाय। जो बिना क्लेम के रकबा दिया जाय उसकी कीमत की कोई आपत्ति नहीं है....

(व्यवधान)

सन् 75 में यह कीमत कांग्रेस सरकार ने तय की थी। उसके बाद में जनता पार्टी की सरकार आई और उसके सामने भी यह मसला आया। जनता पार्टी के उस वक्त जो मन्त्री थे जो यहां पर भी बैठे हुए हैं, 30 तारीख को एक मीटिंग हुई उसमें इस पर स्टे लगा दिया और कहा, सरकार इस की कोई कीमत वसूल नहीं करेगी। इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, अध्यक्ष महोदय, फिर इस स्टे को खतम कर दिया और खतम करके कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिया कि कीमत वसूल की जाय। इसके अलावा मैंने एक प्रश्न और किया था सरकार से, क्या यह सही है कि अलवर और भरतपुर के मुसलमानों को क्लेम के बदले में आवंटित की गई भूमि का 400) रु0 बीघा सरकार वसूल कर रही है, तो सरकार जवाब देती है जी नहीं। आगे मैंने प्रश्न किया था, क्या सरकार इस कीमत को समाप्त करने का इरादा रखती है; तो जबाब में कहते हैं, 'प्रश्न उपस्थित नहीं होता'। एक तरफ तो कहती है सरकार कि हम कीमत वसूल नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही सरकार कलेक्टर्स को आदेश कर रही है कि कीमत वसूल करो। यह सरासर धोखा है, यह सरकार सदन को धोखा दे रही है। यह आदेश 30. 7. 80. का है, कि वसूली नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ कलेक्टर्स को आदेश जारी कर रहे हैं कि कीमत वसूल करो। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जड़ से इस कीमत को समाप्त करो और जो मकानों के क्लेम्स बकाया हैं, उनकी पूर्ति करो। यही मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष : श्री जीत मल जैन। भारत एलम्स तथा कैमिकल्स के बारे में।

श्री सम्पत राम (खैरथल) अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस सम्बन्ध में कुछ अर्ज कर दूं।

श्री अध्यक्ष : किस सम्बन्ध में ?

श्री सम्पत राम : अभी जिस सम्बन्ध में चाव खां जी बोले हैं। मैं साधारणतः सदन का समय नहीं लेता लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आज चाव खांजी इसको पूर्ण रूप से नहीं रख सके इसलिए निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था कि जब 1947 में दंगा हुआ तो मेव हमारे यहां से चले गये। वह तो पाकिस्तान चले गये लेकिन बीच में जो लोग रहे उनको गांधीजी व दूसरे लोगों ने रोका। वे आज अपने घरों में आबाद हैं। तो जो वापस हो गये या यहीं रुक गए उनके लिए यह तय किया गया कि जो खुद की खातेदारी की जमीन थी, तथा जिसके वे मालिक थे, उनकी वह जमीन उनको रैस्टोर कर दी जाय। दुर्भाग्य से यह हुआ कि उनकी जमीन पुरुषार्थियों या शरणार्थियों को, या दूसरे क्लेम में दे दी गयी और मेव बेचारे टापते ही रह गये। अब यह विषय बहुत

(श्री सम्पतराम)

लंबा चौडा है, तथा बहुत दिन से पेंडिंग था, विचार-विमर्श भी हुआ, शायद वहां जमीन की कमी भी थी। तो एक सवाल तो यह है कि जिन मेंबों की खुद की काश्त की जमीन सरकार के फैसले के मुताबिक उनको मिलनी चाहिए थी, यदि किन्हीं कारणों से सरकार उनको वह जमीन देने में असमर्थ है तो, या तो मुआवजा दे, या और कहीं उनको बसाये और इसके ऊपर कोई निर्णय ले। एक तो यह है। दूसरा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि जो जमीन कस्टोडियंस की थी, जिसको सी. ओ. पी. लैण्ड डिक्लेयर किया गया था वह जमीन तीन तरीके से अलॉट की गयी एक तो उन लोगों को अलॉट की गई जो पाकिस्तान से आये अपने पुरुषार्थी हिन्दू भाई थे, चाहे वह वहां जमीन के मालिक थे या नहीं, लेकिन सरकार ने उनके कुटुम्ब की संख्या को देखते हुए 16, 19 और 24 बीघा जमीन देने का फैसला किया। दूसरे लोग वे थे जिनके क्लेम लैण्ड, प्रोपर्टी और अन्य प्रकार के भी थे, उनके क्लेम के अगेन्स्ट जमीन दी गयी थी। उस समय की सरकार, जिसमें मैं भी शामिल था, मोहन लालजी सुखाड़िया वगैरह सब मिले थे और पण्डितजी ने यह फैसला किया था कि जो वेकेंट लैण्ड पड़ी हुई है, उसको नीलाम करके क्लेमेन्ट को नहीं देनी है बल्कि अपने छोटे किसानों को ही देनी है। वह लम्बी चौड़ी बात नहीं कहूं, किसानों को दे दी, उसका पैसा तय हो गया, वेकेंट डील हो गया। उसके मुताबिक राजस्थान सरकार उन किसानों से पैसा वसूल कर रही है और भारत सरकार को दे रही है। अब दूसरा मुद्दा एक सैकण्ड में अर्ज करना चाहता हूं जिसके बारे में हाजी साहब तो नहीं कह सके, शायद कहा भी है लेकिन साफ नहीं हुआ। इसके अलावा जब हमारे यहां पर सन् 75 या उसके बाद बड़ी लम्बी-चौड़ी जमीन पर अलॉटमेंट हुआ तो अलवर और भरतपुर में खास तौर से कस्टोडियन जमीन का भी अलॉटमेन्ट हुआ। अध्यक्ष महोदय हजारों वर्षों से जो जमीन आपरेशन में थी, जिसमें वे लोग काश्त करते थे, निश्चित रूप से अच्छी और समतल थी, और जो लोगों को अलॉट हो गयी, छोटे किसानों को हुई हो या मेंबों को हुई हो, प्रशासन को देनी थी, वह दे दी, लेकिन वह जमीन ऊबड़-खाबड़ थी। वहां जमीन की बड़ी शॉर्टेज है, छोटी-छोटी होल्डिंग पड़ते हैं फिर भी वहां लैण्ड की कमी है, डले होने के कारण ऊबड़-खाबड़ थी लेकिन फिर भी आवश्यकता तो थी इसलिए वह जमीन लोकल लोगों को अलॉट कर दी गयी। यह उन लोगों का दुर्भाग्य है कि जो जमीन सैटल्ड, आपरेशन्ड, या इरिगेटेड थी, या अदरवाइज थी, उससे भी ज्यादा कीमत उस जमीन की ली जा रही है जो ऊबड़-खाबड़ और बेकार पड़ी हुई थी। उस समय सरकार ने यह फैसला किया था कि जब तक कीमत जमा नहीं कर देंगे तब तक इनको पजेशन नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर कब्जा नहीं दोगे तो नतीजा क्या होगा, जिनको नहीं देनी, वे कब्जा कर लेंगे और यह बेचारे बैठे रह जायेंगे क्योंकि पैसा यहीं दे सकेंगे। अच्छा होगा कि हम इस जमीन का उन्हें कब्जा दे दें और जैसे ही उनकी माली हालत सुधरे उसके मुताबिक हम किश्तों में वसूली कर लें।

(श्री सम्पतराम)

यह बड़ा मोटा सवाल है । राजस्थान सरकार का यह दायित्व है कि वह भारत सरकार को स्पष्ट शब्दों में लिखे कि इतनी ऊंची कीमत हमने कस्टोडियन जमीन की भी नहीं ली है, बहुत बढ़िया जमीन की भी नहीं ली है, बेचारे हरिजन और गरीब जो भूमिहीन हैं, सीधे उनको जमीन दी गयी थी, उन्होंने बेचारों ने ऊबड़-खाबड़ जमीन को ठीक किया है, छोटे छोटे पैसेज हैं इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है तो उस कीमत को कम करके एक रेशनल पैमाने पर हमारे किसानों से वसूल करें । यही मुद्दा शायद चाव खां जी ने उठाया है ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : सर, पाइन्ट आफ आर्डर । अध्यक्ष महोदय, 131....

श्री यमुनाथसिंह : कौन सा रूल ?

श्री नाथूसिंह : 131 अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में रखते हैं और वह पब्लिक इम्पार्टेन्स के विषय में रखते हैं । मै आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने 31.8.1982 को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था और उसकी सूचना, जैसी मेरी जानकारी में है, अभी तक आपके पास....

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है इसलिए यह निरस्त किया जाता है ।

इस सम्बन्ध में मैं बार-बार माननीय सदस्यों को निवेदन कर चुका हूं, चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, उस सम्बन्ध में कृपया आप मुझे चैम्बर में मिलने का कष्ट करें । मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यथा सम्भव, क्योंकि समय की सदैव कमी रहती है, देख सकूं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक ही आ सकता है एक दिन में, तीन-तीन नहीं ।

श्री नाथूसिंह : आपके पास भी जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : उसका पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होगा, माननीय सदस्य । यह पाइन्ट ऑफ आर्डर का विषय नहीं है । कृपया बैठ जायें । समय नहीं लें । आर्डर, कृपया बैठ जायें । मुझसे अलग से मिल लें ।

श्री नाथू सिंह : और आपके पास इसका जवाब तक नहीं । इसको जान बूझकर....

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब आया है कि अस्पताल की व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, इसकी प्रामाणिकता तो तब होती कि कुछ ऐसे कदम उठाये जाते जिससे, जो दुरावस्था चल रही है, उसमें सुधार हो सकता । मैं आपसे निवेदन करूं कि टिटनेस हो गया आपरेशन वार्ड में, और एक मरीज को टिटनेस होने से ऑपरेशन वार्ड बन्द कर दिया गया । पिछले साल से एक मांग उठ रही है कि ऑपरेशन थियेटर के नीचे तांगा स्टैण्ड है उसको वहां से हटाया जाय । अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात है, प्रामाणिकता से यह बात कही जाती है कि घोड़े की लीद में टिटनेस के

(श्री कैलाश मेघवाल)

कीटाणु होते हैं। बार बार कहने के बावजूद आज तक उस तांगा स्टैण्ड को वहां से हटवाने के लिए अस्पताल के किसी अधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की। आज, ठीक है, उस आॅपरेशन थियेटर को कीटाणु रहित करके आॅपरेशन वापस चालू कर देंगे लेकिन तांगा स्टैण्ड के कारण खतरा टिटनेस का हमेशा बना हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महिला मरीज को एनेस्थीसिया दिया गया और एनेस्थीसिया देते ही वह मर गयी। प्रश्न यह है कि एनेस्थीसिया देने में क्या कोई सावधानी बरती गयी ? मानव जीवन के साथ डाक्टर्स कितना खिलवाड़ करते हैं। वह महिला मर गयी, उसके बाद डाक्टरों की जांच कमेटी बैठी और उसका निष्कर्ष यह निकला कि जब उसका हृदय बन्द हो गया तो हमने मालिश करना चालू किया और वापस हृदय की धड़कन चालू कर दी, उसके बाद भी मर गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य का विषय है। एनेस्थीसिया ज्यादा दे दिया गया, ज्यादा देने से उसकी मौत हो गयी और उसके बाद क्योंकि एनेस्थीसिया देने से उसकी मौत नहीं हुई केवल यह साबित करने के लिए उन्होंने यह कहा उसके हृदय की धड़कन वापस चालू कर दी। कितने अफसोस की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय। फिर एक वार्डर, जो ट्राली चलाते हैं, के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। कार्यवाही किस के खिलाफ की गई ? ट्रॉली वाली चलाता है। कार्यवाही किस लिए की गई कि वह ट्रॉली से साथ चल रहा है और कारबोलिक एसिड की शीशी टूट गई। उस समय कम्पाउण्डर्स थे, नर्सेज थीं, सब चल रहे थे, लेकिन जिम्मेदारी किस की ? वार्डबॉय की। क्या वार्डबॉय ही सारा चलाता है ? छः छः मरीज जिसमें घायल हुए हों, उनके शरीर पर एसिड के घाव हुए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। और एक बहुत आश्चर्य की बात आपसे कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर का जो चिल्ड्रन वार्ड है उसमें अस्सी प्रतिशत केजुअल्टीज होती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अस्सी प्रतिशत कैजुअल्टीज, जिससे पता चल सकता है कि हमारे यहां के चिकित्सक, बाल चिकित्सक जिनको कहते हैं, चिकित्सा करने का जिनका उत्तरदायित्व है, उनकी क्या हालत है। केवल बीस प्रतिशत बच्चे बचते हैं, वे तो साधारण बीमारियों में वैसे भी बचते हैं। वहां पर आकर कोई बच्चा बच कर नहीं जाता फिर, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे स्वास्थ्य मन्त्रीजी अजमेर के पास बीचला मोहल्ला के रहने वाले हैं। अजमेर के पास रहने वाले हैं और वहां के अस्पताल की यह हालत हो रही है। डाक्टर समय पर आते नहीं हैं। स्टाफ पर कोई अनुशासन नहीं है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। इसके पीछे सबसे मोटी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि 15-15, 20-20 सालों से लोग वहां पर जमे हुए हैं। अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस जमा रखी है। प्राइवेट क्लीनिक्स से उनके कांटेक्ट हैं और अस्पताल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अजमेर के अस्पताल की यह दुरावस्था है, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक तथ्य और आपको बताने वाला हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

(श्री कैलाश मेघवाल)

एक मरीज ग्राया सात साल पहले, मरीज ठीक हो गया। मरीज सात साल पहले ग्राया, मरीज का नाम जगदीश। मरीज ठीक हो गया ग्रौर ग्राज भी वह मरीज ग्रस्पताल में भर्ती है। एक स्थायी बेड उसको दे रखा है। उसका काम क्या है कि मरीजों के, इन्जेक्शन लगवाने में, सामान बंटवाने में ग्रौर सामग्री बंटवाने में वह सब की मदद करे। उसको एक ग्रालमारी दे रखी है जिसमें वह दवाइयां रखता है ग्रौर मेडिकल डिपार्टमेंट की दवाइयां वह मरीजों को ग्रस्पताल में बेचता है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय,. ग्राखिर क्या हालत है। उस मरीज का नाम जगदीश है ग्रौर जगदीश ग्रवैतनिक कर्मचारी है जिस पर उन सब डाक्टरों ने, नर्सेज ने एजेन्ट के रूप में जिम्मेदारी डाल रखी है। वह मरीजों को दवाइयां बेचता है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा ग्रापके द्वारा कि ग्रस्पताल की स्थिति सुधारी जाय ग्रौर वहां मरीजों का वास्तविक रोग निदान का कार्य प्रारम्भ हो, यही मेरा ग्रापसे निवेदन है।

श्री ग्रध्यक्ष : श्रीमती उजला ग्ररोड़ा। जयपुर में पेयजल की कमी के सम्बन्ध में, ग्रापका एक ग्रौर प्रस्ताव है, परीक्षा के सम्बन्ध में, दोनों पर एक साथ बोल लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर। मेरा निवेदन करना है कि एडजोर्नमेंट मोशन पर बोल कर कैलाशजी मेघवाल स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान दिलवाना चाह रहे थे इस सारी ग्रव्यवस्था के विषय में....

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : यह कोई पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर का विषय नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ग्राप बात तो सुनिये।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बैठ जायें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई सुनने वाला नहीं है....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर माननीय सदस्य, बैठ जावें, यह तरीका नहीं है। ग्रार्डर, ग्रार्डर।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापकी ग्रनुमति से पहले रूल 293 के तहत एक निवेदन करना चाहती हूं। मैं उस समय इसलिये कहना चाहती थी कि मन्त्री महोदय बैठे थे ग्रौर ग्रधिकारी महोदय बैठे थे लेकिन इस समय दोनों चले गए। ग्रध्यक्ष महोदय, वे चले गए, लेकिन ग्राप तो हैं, ग्राप हमारे ग्रधिकारों की रक्षा करेंगे। मैं कहना चाहूंगी कि यहां पर तिब्बिया कॉलेज यूनानीपैथी की परीक्षा दिलवाता है जिसमें प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष ग्रौर स्नातकोत्तर तक के लड़के पढ़ते हैं। मान्यवर, प्रथम वर्ष की परीक्षा कल प्रारम्भ होने वाली है, 17 तारीख को। यहां के डिप्टी सेक्रेटरी, जो चिकित्सा, के हैं। ने कह दिया, बिना कारण बताये कि कल से परीक्षा नहीं होगी। यह बहुत चिन्तनीय विषय है। तीस

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

छात्र इसमें भर्ती किये गए, चयनित करके भर्ती किए, नियमानुसार भर्ती किए गए हैं और दिल्ली का जो कानून माना है उसके अनुसार यहां छात्रों को भर्ती किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में उनकी परीक्षा लेने से मना किया गया है। यह बड़ा चितनीय विषय है। कोई छात्र गोरखपुर का है, कोई अलीगढ़ का है, कोई लखनऊ का है, कोई जयपुर का है इस तरह से तीस छात्र आये हैं। दस प्रतिशत राजस्थान के हैं और बाकी नब्बे प्रतिशत बाहर के विद्यार्थी हैं। मैं चाहती हूं कि परीक्षा कल होनी चाहिए। आपने नियमानुसार प्रवेश दिया है। साल भर उनके मां-बाप ने बड़ी मुश्किल से पढ़ाया है। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन-तीन हजार रुपये इस तिब्बिया कॉलेज को चलाने के लिए, जमाने के लिए उन्होंने प्रत्येक छात्र से डोनेशन लिया। मान्यवर, यह तो एक तरह से उनका एक वर्ष बेकार करने की योजना है। उनको एक तरह से लूटने की योजना है। आपने रुपये ले लिए इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, और चाहिएं तो वह भी ले लें, और भी चाहिए तो हम कहीं से मांग कर लाकर दे देंगे पर परीक्षा कल प्रारम्भ होनी चाहिए। किसी भी सूरत में होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में आप व्यवस्था करवायें। इस व्यवस्था को कराने के लिए ही मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। मेरे इस पूरे प्रश्न को, पूरी सूचना को आपकी टेबल पर रखने की अनुमति मुझे दें, मैं फिर प्रश्न पूछना शुरू करती हूं। आपकी अनुमति है?

श्री अध्यक्ष : बाद में रख देना। पहले आप बोल दीजिए, बाद में रख देना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैंने जयपुर में पीने के पानी के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव रखा था उसकी अहमियत थी। अभी न तो कोई लाइन टूटी हुई है, जमवारामगढ़ की दो लाइनें हैं, न वह टूटी है, अमानीशाह के नाले में पानी आने के कुए हैं, जहां से नलों में पानी आता है, उस में भी कोई दिक्कत नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करना है जब अध्यक्ष महोदय का ध्यान नहीं है तो मैं क्या करूं।

श्री अध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कुछ पढ़ रहे थे। मेरी गुस्ताखी माफ करें। तो मैं चाह रही थी कि आप ध्यान से सुनेंगे तो व्यवस्था करायेंगे।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था तो मैंने अपनी तरफ से जो हो सकती थी कराने की कोशिश की है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इन्होंने गलत सूचना दी है। आप भी जयपुर में रहते हैं। इन दिनों बिजली की एक दिन तो तीन घण्टे तक अव्यवस्था रही, दूसरे दिन भी तीन बार बिजली गई उस समय पानी चला जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। आजकल व्यवस्था यह है कि 3 बजे नल खुलते हैं और 5 बजे पानी गायब हो जाता,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

है। गर्मी के दिन हैं। सुबह जब 7 बजे; छः बजे आदमी उठता है तो नलों में पानी नहीं मिलता। मैं पूछना चाहूंगी कि वह पीयें क्या, नहाये किससे, खाने की व्यवस्था कैसे करे? जयपुर की 14 लाख की आबादी है। ये लोग दस लाख की कहते हैं, मैं 14 लाख मानती हूं क्योंकि खाद्य विभाग ने 14 लाख यूनिट अपने यहां से वितरित किये हैं। मैं कहना चाहती हूं कि 14 लाख आदमियों के साथ में यह क्या मजाक किया जा रहा है। पानी जीवन के लिए पहली आवश्यकता की चीज है और यही उसको उपलब्ध नहीं कराया जावे, यह बहुत गलत बात है। यह झूठा कहा गया कि पानी दिया जा रहा है। मुझे ध्यान है अच्छी तरह से, जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि मैं बिना नहाए एक दिन आया था। मैं भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दिनों में चार बार बिना नहाए आई हूं।

(व्यवधान)

यह तो एम. एल. ए. साहबान थे। पिछले दिनों में निरन्तर पानी आता था। मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं है कि बिजली खराब हो गई, कुएं खराब हो गए, उसकी कोई दिक्कत नहीं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आदमी को पानी तो मिलना चाहिए। जयपुर में पीने के पानी के कुएं नहीं हैं। जो कुएं थे वे या तो गवर्नमेंट की तरफ से बूर दिए गए हैं या उनकी सफाई नगरपरिषद नहीं कराती। या तो आल्टरनेटिव व्यवस्था कीजिए, टंकियों से पानी की व्यवस्था करें, किसी भी तरह से पानी पहुंचाया जावे। मैं कहना चाहूंगी कि पानी पहुंचाने की व्यवस्था गवर्नमेंट करे। कल की एक घटना मैं बताना चाहती हूं। कंवरनगर में एक भंडारा था। कोई संत आए हुए थे। मुझे इतनी कठिनाई हुई सौ रुपया देने के बाद भी, नगर परिषद में पैसा जमा कराने के बाद भी पानी नहीं मिला। मैंने 8 बजे उनसे कहा कि मैं आदमी भेज रही हूं, सौ रुपये जमा कराने हैं। मान्यवर, फिर 11 बजे तक नगर परिषद की गाड़ी नहीं आई। भंडारा कोई एक आदमी का तो होता नहीं यहां पर जितने सिंधी लोग हैं, वे भी समर्थक लोग हैं, उनके भक्त लोग हैं। सौ रुपया देने पर भी पानी उपलब्ध नहीं हुआ। जयपुर के साथ यह क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस बात की ताइद करें कि पानी की अव्यवस्था नहीं हो। रामगढ़ के बन्धे में जल स्तर काफी ऊंचा है। नौकाओं की प्रतियोगिता को लेकर जयपुर का खिलौना नहीं मानें। या तो कह दें कि आपके पास पानी नहीं है। आप कहीं से भी उपलब्ध करायें लेकिन साफ करके पीने का पानी, नहाने का पानी, घर के काम में आने वाला पानी उपलब्ध होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले जो व्यवस्था थी, सुबह 9-10 बजे तक पानी आने की, शाम को पानी आने की, उसको दुबारा चालू किया जावे, यही मेरा आपसे आग्रह है। आप विभाग को सतर्क करेंगे और जो गलत सूचना दी है उसके लिए उनको डांट बतायेंगे और पानी की व्यवस्था

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

करायेंगे, इस आग्रह के साथ में अपनी बात समाप्त करती हूं।

आपने जो आदेश दिया है उसके तहत पूरी सूचनायें आपको प्रस्तुत करती हूं, आप इसकी व्यवस्था कराइये। उसके लिए समय बाकी नहीं है। बच्चे असमंजस में हैं कि पढ़े कि नहीं पढ़ें, परीक्षा होगी कि नहीं होगी। वे भयभीत हैं, कृपया व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा, भीलवाड़ा गांधी अस्पताल में सर्जन का अभाव।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा के गांधी अस्पताल के बारे में मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था वह एक सर्जन को लेकर, कुछ रिक्त पदों को भरने तथा कुछ अनियमितताओं को लेकर दिया था। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि राजस्थान में जो गिनती के सर्जन हैं, उनमें से किसी एक सर्जन को किन्हीं कारणों से राज्य सरकार ने भेज दिया। इस विवाद में जाने के बजाय कि यह उन्होंने जनहित में किया नहीं किया, इसका जिक्र नहीं कर सकता हूं। लेकिन यह जरूर है कि भीलवाड़ा के गांधी अस्पताल को अपग्रेड किया। अपग्रेड करने के बाद कई पोस्ट्स नयी बनाई गईं, कायम की गईं। ऐसी स्थिति में वहां पर कोई अच्छा सर्जन आये, सीनियर स्पेशलिस्ट आये। अब आपको सूचना दी गई है कि सर्जन की व्यवस्था कर दी गई है। एक सर्जन का तो कोटा से ट्रांसफर किया था, लेकिन वह यहां पर नहीं पहुंचे। दूसरा स्थानान्तरण किया, कोई किसी भण्डारी का वह भी नहीं पहुंचे, इन्ट्रेस्टेड नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : पहुंचे और जोइन कर लिया।

श्री बंशीलाल पटवा : आ गये लेकिन मेरी बात तो सुनें। आप भी अपनी बात कह देना। आपको शिकायत नहीं हो सकती है। मुझे अपनी शिकायत है, वह अर्ज कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं, वह करप्शन का अड्डा बना हुआ है। आगे जाकर मैं डाक्यूमेंटरी आधार पर अर्ज करूंगा।

श्री अध्यक्ष : इसके ऊपर लम्बी चर्चा नहीं होगी। दो मिनट में कहें।

श्री बंशीलाल पटवा : लम्बी नहीं कर रहा हूं। मुझे पांच मिनट आप दीजिये। पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा। सर्जन्स का इस तरह अभाव है। कई रिक्त पद और भी हैं। इसके साथ-साथ वहां बहुत अनियमितताएं फैली हुई हैं। डाक्टरों ने एजेन्ट बना रखे हैं। पब्लिक को जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिये, असिस्टेंस मिलनी चाहिये, वह असिस्टेंस मिलने के बजाय कुछ ऐसे डाक्टर्स हैं, मैं नहीं कहता सारे डाक्टर्स खराब हैं, लेकिन पांच पर्सेन्ट इस तरह के डाक्टर और स्टाफ हैं जिसके कारण से पिछली लम्बी अवधि से अस्पताल बदनाम हो रहा है। वहां अव्यवस्था हो रही है, रोगियों के साथ जिस प्रकार का ट्रीटमेण्ट वहां किया जाता है। रिक्त पद और भी हैं जिनको भरा नहीं गया है। इसके साथ-

48

(श्री बंशीलाल पटवा)

साथ में आपको बताना चाहता हूं, अप-ग्रेड अस्पताल होने के बाद अच्छे सर्जन, फिजीशियन आने चाहिये पर वहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है। अब जो नया सर्जन भेजा गया, उसके बारे में अर्ज करूं। नया सर्जन प्रमोट करके भेज दिया। क्या राजस्थान में अच्छे सीनियर सर्जन नहीं मिल सकते हैं, जिनको वहां पर लगाया जा सके ? बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए अच्छा सर्जन लगाना चाहिये। लेकिन वहां पर बदनाम डाक्टरों को किस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है। एक डाक्टर आर्थोपिडिक के चतुर्वेदी हैं, जो बदनाम हैं।

श्री अध्यक्ष : किसी डाक्टर का नाम नहीं लेंगे। आर्डर प्लीज। यहां पर आरोप लगाने के लिये नियम हैं, इसके बाकायदा नियम बनाये गये हैं। मैं इजाजत नहीं दूंगा। यदि आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो लिखित में सब तथ्यों सहित दें।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं नाम नहीं लूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, । मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका यह स्थगन प्रस्ताव है, इसके दायरे से बाहर नहीं जायें।

श्री बंशीलाल पटवा : मेरा निवेदन है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि डाक्टरों को करप्ट करने के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरा निवेदन है, वहां पर सुधार किया जावे। जो डाक्टर फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं, गलत प्रेक्टिस करते हैं, चीटिंग करते हैं, उनको इस तरह से संरक्षण नहीं दिया जावे। मेरे पास इस तरह के आधार हैं, राज्य सरकार चाहे तो मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूं। एक महीने में किस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट एक डाक्टर बनाता है। एक ही महीने में फर्जी डिस-एबल बनाता है, उसी महीने में नो-डिस-एबल लगाता है, फिर उसकी डिसबिलि लगाता है। इस तरह की करप्ट प्रेक्टिस करते हैं उनका प्रमोशन कर दिया है। आखिर इसका राज क्या है ? इसके बारे में मेरा निवेदन है इतना बड़ा हॉस्पिटल भीलवाड़ा का है, मुख्य मन्त्री का जिला है, वहां दो-तीन हॉस्पिटल हैं अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये, करप्ट डाक्टर्स को हटाया जाना चाहिये। जिस डाक्टर ने करप्ट प्रेक्टिस कर रखी है, उसको प्रमोशन करके वहां लगाया जाता है, इसमें कोई न कोई राज है। उस राज को मालूम करके दूर किया जाय। मेरा निवेदन है, इस तरह की आलोचनाओं में मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन करप्ट प्रेक्टिस करते हैं, उसको प्रोत्साहन राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है, यह नितान्त गलत है, अनुचित है। मेरे पास इसके लिये आधार हैं, मैं बिना आधार के बात नहीं कर रहा हूं। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन कॉम्पीटेंट डाक्टर लगें, काम्पीटेंट व्यवस्था की जाये। यदि समुचित व्यवस्था नहीं की जायेगी तो मैं इतना जरूर बता दूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि किसी भी दिन भीलवाड़ा में एक बहुत बड़ा असन्तोष फैल सकता है। इस असंतोष के परिणाम क्या निकल सकते हैं।

(श्री बंशीलाल पटवा)

उस हास्पिटल की अव्यवस्था को लेकर कई बार हुडदंग हुआ था, गोलियां चली थीं। इस तरह की अनियमितताएं नहीं फैलें, यही मेरा निवेदन है स्वास्थ्य मन्त्री जी से आपके माध्यम से। इसमें तुरन्त सुधार किया जावे। मुख्य मन्त्री का क्षेत्र है, जिला केन्द्र है वहां पर दो चार करप्ट डाक्टर बैठे हैं, सारे नहीं है, उनको हटाया जाये। जो अच्छे सीनियर सर्जन अनुभवी है, उनको लगाया जाये, अच्छे फिजीशियन की व्यवस्था की जाये। रिक्त पद भरे जायं। इतना ही कहकर मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मन्त्री से निवेदन करता हूं, जिन भ्रष्ट व्यक्तियों का प्रमोशन किया है, उस पर पुनः विचार करें और विचार करने के बाद, वहां जो अव्यवस्था है, उसको सुधारें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जो जवाब दिया है, मेडिकल विभाग की ओर से, वह बिलकुल ही अपर्याप्त और असन्तोषजनक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 महीने हो गये, पिछले जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने कोबाल्ट यूनिट का उद्घाटन किया था एक लाख रुपया जोधपुर जेसीज ने इसकी बिल्डिंग के लिये दिया था। बिल्डिंग बन कर तैयार हो गयी। 10 लाख रुपया सरकार ने कोबाल्ट की मशीनरी पर खर्च किया। वह मशीन 6 महीने पहले ही आ गयी। अब वहां 6 महीने से सुविधा की कार्यवाही इसी वजह से रुकी हुई है कि वहां कोई अधिकारी मशीन आपरेट करने नहीं भेजा जा रहा है। विभाग का कहना है कि हमारे पास अधिकारी नहीं है। विभाग यह कहता रहे, कि अधिकारी नहीं है, तो यह स्थिति कब तक बनी रहनी है। अब स्थिति यह बन गई है कि बीकानेर का कोबाल्ट सेंटर भी खराब है। अभी राजस्थान में कोबाल्ट की सुविधा वहां के अलावा महजं जयपुर में उपलब्ध है। जब तक बीकानेर की कोबाल्ट मशीन ठीक नहीं होती तब तक क्यों नहीं वहां के अधिकारी को जोधपुर लगाया जा सकता है? और क्यों अन्य दूसरे को भी ट्रेण्ड नहीं करवाया जा सकता है? बाद में जो यह जवाब दिया है उसके अनुसार तो वही स्थिति है जो 6 महीने पहले थी। फिर हमारा सदन में ध्यान आकर्षण करने का क्या मतलब है सूचना मिलने पर इन्होंने क्या कार्यवाही की? माननीय बहिन उजला जी, जो जयपुर ग्रामीण से आती है, ने भी इस बात को बताया तो इससे मेरा टोटली इत्तफाक है। अभी सदन में चल रही हलचल से लगता है कि कुछ कार्यवाही आप इस विषय में अवश्य करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि जब कभी भी माननीय सदस्य बोल रहे हों तो उनके और आसन के बीच में से माननीय सदस्य नहीं निकलते हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रही थी, अभी माननीय सदस्य अजमेर से पधारने वाले ने अजमेर हास्पिटल में अनियमितताओं,

(50)

(श्रीमति विद्या पाठक)

और लापरवाही की चर्चा की। भीलवाड़ा से तशरीफ लाने वाले माननीय सदस्य ने भी वैसी ही चर्चा की, जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या ने भी बड़े गंभीर विषय की चर्चा की, विद्यार्थियों का भविष्य जिससे संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूं। माननीय डिप्टी सैक्रेटरी जो राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के हैं, उनको इन सब को देखने की फुरसत नहीं है। अभी होम्योपैथी कॉलेज के चुनाव होने वाले हैं। वह एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उस बोर्ड में। उसके बावजूद यह स्वयं कनवेसिंग करते फिर रहे हैं। वह चुनाव संबंधी गडबड़ियां हैं, और वे लोगों को प्रेसराइज करते फिर रहे हैं। अभी अजमेर में डेढ़-दो महीने पहले किसी एक होम्योपैथी कॉलेज में रिकॉग्निशन के लिए एप्लीकेशन दी है। नागर साहब वोटर लिस्ट बढ़वाना चाहते हैं। वहां के कुछ वोटर्स इसके विषय में रटे लेकर आये हैं। अकसर महोदय का ट्रांसफर हो गया था बीच में, उसको पुनः इन्होंने कैंसिल करा दिया। हम लोगों का चार्ज है कि उनका वेस्टेड इन्ट्रेस्ट इस डिपार्टमेंट में है। मुझे इस बात की खुशी होगी कि आप गंभीरतापूर्वक इसमें कुछ कार्यवाही करने के लिये मंत्री महोदय को आगाह करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप अनुमति दें तो कल आपसे जिसके लिये परमिशन ली थी उसके विषय में दो मिनट में कह कर अपनी बात समाप्त करती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में एक गांव है, बीलवा। बीलवा के एक वृद्ध महाजन, जो 70 वर्ष के हैं, के पक्के मकान जिसका पट्टा पंचायत का और सारे वैलिड पेपर्स उनके पास है, की कच्ची बाउण्ड्री वाल पिछले साल बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गयी। उस क्षतिग्रस्त बाउन्ड्री वाल को, वह महाजन किसन लाल माहेश्वरी हैं, उन्होंने बनाने के लिये निर्माण कार्यवाही शुरू की। गांव के कुछ लोगों ने उसमें बाधा डाली। उस बाधा के लिये जब चर्चा बढ़ी, तो गांव में चाकसू पुलिस गई। पुलिस सेटिसफाइ थी कि कार्यवाई गलत नहीं है और वापस लौट आयी। उसके तुरन्त बाद उसी दिन सर्कल आफिसर, जो सांगानेर जयपुर के हैं, मैंने इसके बारे में लिखित में दिया है इसलिये नाम भी बताऊंगी, श्री मदनसिंह हैं, वह सांगानेर से पुलिस फोर्स, यद्यपि वहां थाना चाकसू लगता है, लेकर वहां पहुंच गये। वहां उन्होंने उक्त महाजन परिवार से मिस-बिहेव किया, अभद्र व्यवहार किया। गांव वालों के सामने उन्हें अपमानित किया। बाउंड्री वाल का निर्माण रुकवा दिया। वहां पर कुछ दिनों बाद पुनः निर्माण प्रारम्भ करने पर इसी तरह की वारदात हुई, फिर उक्त पुलिस-अधिकारी महोदय मौके पर पहुंच गये। इस बात का वहां के सारे लोग विरोध कर रहे थे, उनका कहना यह था कि इससे रास्ता संकरा हो जायगा। उस दिन सर्किल ऑफिसर श्री मदनसिंह से मैंने टेलीफोन पर बात की। मैंने उनसे पूछा, आप जाकर आये हैं ? मेरे पास ऐसी-ऐसी शिकायत आयी हैं, क्या मामला है ? उन्होंने सारी बात बताई, वह संतोषजनक नहीं थी। शाम को हमारी पार्टी के हमारे वकील साथी को लेकर मैं

(श्रीमती विद्या पाठक)

स्वयं देखने गई गांव में, पेड़ के नीचे खड़े होकर दोनों पार्टियों से बातचीत की और इस बात की सहमति कराने की कोशिश की कि अगर किशनलाल माहेश्वरी थोड़ा सा रास्ता और अपनी जमीन से निकाल कर दे दें तो बाउंड्री वाल बन सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायतकर्ताओं के शब्द यह थे कि हमारे नेता बाहर गये हुए हैं, उनके आने पर आपको इंटीमेट करेंगे। उसके बाद की घटना में सरकार का सीधा इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद बाउण्ड्री-वाल बनवानी शुरू की गई तो फिर उक्त पुलिस अधिकारी स्वयं वहां गये, उन्होंने वहां बाधा डाली और चार पुलिस के कर्मचारी वहां तैनात कर आये। यह बात है एक डेढ़ महीने पहले की। आज भी वहां पर चार पुलिस कर्मचारी तैनात हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बीच में दूसरी पार्टी स्टे ले आयी। स्टे वेकेट भी हो गया। एस0 डी0 एम0 ने मौका-जांच कर ली, रेकार्ड देख लिया और स्टे वेकेट कर दिया। उसके बाद उस स्टे वेकेशन की सूचना सर्किल आफिसर श्री मदनसिंह को भी दे दी गई, वहां तैनात सिपाहियों को भी दे दी गई कि वे हट जायें, बाउण्ड्री वाल बनने दें, उसके बावजूद वे वहां डटे रहे। आपको आश्चर्य इस बात का होगा कि स्टे वेकेशन की सूचना मैंने लिखित में जयपुर के आई. जी., डी. आई. जी., एस. पी., जयपुर को दी। मैंने यह निवेदन किया, टेलीफोन पर और लिखित में भी कि अगर आप बाउण्ड्री वाल नहीं बनने देना चाहते हैं तो यह पुलिस अधिकारियों पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। मगर इसके बावजूद आप देखते हैं, कोर्ट की अवहेलना किस तरीके से करते हैं। उनकी बाउण्ड्री वाल नहीं बनने दी है। आनदकांट्रेरी, सर्किल आफिसर, श्री मदन सिंह उसी दिन यहां से 50 सिपाहियों की फौज ट्रक में लेकर गये। इस सूचना को कन्फर्म किया है, सांगानेर के ए. एस. आई. भंवरसिंह ने। वह वहां जाकर फिर गांव में....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्रीमती विद्या पाठक : आधा मिनट में समाप्त कर रही हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 50 आदमियों को लेकर गांव में टेरेराइज कर आये। एक ओर तो पुलिस इतनी निष्क्रिय है कि वह चोरी-डाके तक नहीं रोक सकती, दूसरी ओर शांति भंग के नाम पर इंटरफियर गांवों में कर रहे हैं। तो यह स्वयं में पुलिस पर बहुत बड़ा चार्ज बनता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस का इतना प्रोम्प्ट एक्शन और वह भी एक 70 वर्षीय आदमी के विरुद्ध, जिससे गांव के लोग डरते नहीं हैं, उसके खिलाफ पुलिस इतनी प्राम्प्ट हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा चार्ज है, Sorry अध्यक्ष महोदय, सीधा चार्ज है गृह विभाग और उसके अधिकारियों पर कि एक वी. वी. आई. सी. के सुपुत्र भी वहां हैं, उनका डायरेक्ट इन्वाल्वमेंट उस पंचायत के भ्रष्ट सरपंच में है। यह पुलिस के देखने का काम नहीं है कि बाउण्ड्री-वाल वैध बन रही है या अवैध बन रही है। उन्हें सिर्फ शांति-व्यवस्था तक सीमित रहना चाहिये। उनके पास कोई कलेक्टर, तहसीलदार या पंचायत के आदेश नहीं थे। फिर क्या अधिकार था कि बाउण्ड्री-वाल तोड़ी और किशनलाल के परिवार को टेरेराइज

(श्रीमती विद्या पाठक)

किया ? ग्राज भी पुलिस के चार ग्रधिकारी वहां मौजूद हैं। वहां बी. वी. ग्राई. सी. के जो सुपुत्र हैं वह ग्राज भी सारी कार्यवाही में संलग्न है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्रपति कहते हैं कि हमारे यहां....

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त कीजिये। लंबी चर्चा नहीं होगी।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मन्त्री महोदय इस पर कुछ शब्द कहें, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, पुलिस की कार्यवाही को रुकवाया जाय।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रा की सहूलियत के लिये हालांकि मैंने ग्रवसर दे दिया लेकिन लंबी चर्चा इसमें नहीं होगी। ग्रार्डर प्लीज।

श्रीमती विद्या पाठक : कार्यवाही के लिये भेज दिया क्या, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय ?

श्री ग्रध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा। सवाई माधोपुर डेयरी के संबंध में।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, डेयरी के संबंध में मैंने जो सवाल पूछा ग्रौर उसका जो जवाब ग्राया है उससे मैं संतुष्ट नही हूं। सवाई माधोपुर ग्रौर टौंक में डेयरी फार्म राज्य सरकार के माध्यम से चलाया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में यह योजना प्रारंभ की है। सवाई माधोपुर के उन क्षेत्रों में काश्तकारों ने दूध बेचने की दृष्टि से जानवर खरीदे, ग्रौर राज्य सरकार को ग्रपने केन्द्रों पर दूध देते रहे। किन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि वहां के ग्रधिकारियों ने वहां समय समय पर दौरे नहीं किये, जानवरों के इलाज के लिये किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की, ग्रौर निष्क्रिय होकर बैठ गये। परिणाम यह हुग्रा, वहां के कर्मचारी भी बैठे रहे, लोगों को नहीं संभाल सके ग्रौर सवाई माधोपुर ग्रौर टौंक डेयरी फार्म जो चल रहे थे वह करीबन 13-14 लाख के नुकसान में चले गये। राजस्थान के ग्रन्य जिलों में जो डेयरी फार्म चल रहे थे वे भारी नुकसान में हैं। किन्तु उनको बन्द नहीं किया गया ग्रौर सवाई माधोपुर में जो यह योजना चल रही थी उसको राज्य सरकार ने तीन महीने से बन्द कर दिया है। इसका परिणाम यह हुग्रा कि ग्रस्पताल में दूध की सप्लाई में ग्रव्यवस्था हो गई है। काश्तकार जो पहले लोगों को दूध देते थे, उसको बन्द करके राज्य सरकार को डेयरी में दूध देते थे, सब उनका दूध नहीं बिक रहा है ग्रौर काश्तकार ग्रपने कर्जों को चुकाने में ग्रसमर्थ हो गये हैं। ग्राज की तारीक में सर्वत्र दूध की ग्रव्यवस्था है। ग्रध्यक्ष महोदय, जैसा कि सरकार ने एक प्रश्न के जवाब में कहा है कि कुछ लोगों का पैसा केन्द्र में बकाया है। ग्रध्यक्ष महोदय, केन्द्र एक निश्चित स्थान पर होता है। उस निश्चित स्थान से जंगल, जहां दूध उत्पादक पलते हैं, से ग्राकर उस सारे केन्द्र पर दूध सरकारी डेयरी में देते थे। सम्पूर्ण डेयरी के दूध का बकाया है ग्राज की तारीख में, बिलकुल पेमेन्ट नहीं हुग्रा है। यहां तक कि खन्डार के बड़ीकलां ग्राम का केन्द्र है उसका पेमेन्ट काफी दिनों से बकाया चल रहा है, ग्राज तक नहीं हुग्रा है। इसलिये, ग्रध्यक्ष महोदय, उस स्थान पर डेयरी फार्म के तबेले, ठीकरे, कुंडियां ग्रादि किसी मकान में बन्द पड़े हैं,

(श्री हंसराज शर्मा)

मकान मालिक उनको लाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक साल से मकान का किराया बकाया है। उसका कहना है कि दूध का पेमेन्ट नहीं किया, किराया कहां से देंगे। पहले किराया देते जाओ, दूध का पेमेन्ट कर जाओ और जो सरकारी ठीकरे हैं उनको उठा कर ले जाओ। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के काश्तकारों के साथ यह अन्याय क्यों किया जा रहा है? यदि आपका विभाग नुकसान में है तो मैं आपको उसका कारण भी बता देना चाहता हूं। आपके पास इतनी बड़ी, मोटी फाइल होगी, जो कर्मचारी लगाये हैं उन्होंने अनियमितताएं की हैं पर्चेजिंग में घोटाले किये हैं। मैं बहुत बार ध्यान आकर्षित करता रहा हूं कि लाखों रुपये का घोटाला हो रहा है, अव्यवस्थाएं हो रही हैं, काश्तकारों को पैसा नहीं मिल रहा है। आप जांच करो। मैं नहीं कहता कि आपने जांच नहीं की। लेकिन जांच का क्या परिणाम हुआ? इसका हम को पता नहीं है। हमारे सामने समस्या है कि दूध का कार्य बन्द कर दिया। उसको कृपया चालू करने का कष्ट करें और बकाया पेमेन्ट देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हंसराज शर्मा : राज्यपाल महोदय ने डेयरी फार्म का उद्घाटन किया है और राजस्थान के लोगों से, महिलाओं से ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पादन का निवेदन किया है। मैं आपको निवेदन करूंगा कि उत्पादकता बढ़ाने में सहयोग करें, और इस संस्था का उत्थान करने का प्रयास करें। आपने मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से निवेदन कर रहा हूं, श्रीमन्, राजस्थान के मुख्य सचिव ने घोषणा की थी कि एक महीने के अन्दर-अन्दर राजस्थान के राज्य कर्मचारियों के बेरी वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय ले लिया जायेगा। स्पष्ट घोषणा है....

श्री अध्यक्ष : मैं निरस्त करता हूं। यह कोई चर्चा का विषय नहीं हो सकता। बैठ जाइये, माननीय सदस्य। इस तरह कोई भी विषय जब मन चाहे चर्चा का विषय बना दें....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। श्री देवी सिंह।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य, बैठ जायं। मुझे क्यों बाध्य करते हैं। हर काम यहां नियमों के अनुसार होता है। आपको यह जानना चाहिये कि कौन सा विषय किस तरह उठाया जाता है न कि यह कि जो आपके दिल में आ गया....

(व्यवधान)

समय व्यर्थ न कीजिए, प्लीज़।

याचिका का उपस्थापन

बीकानेर रानी बाजार से औद्योगिक क्षेत्र की तरफ जाने वाली सड़क की मरम्मत

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं,

(1) याचिका देने वाले एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित बीकानेर रानी बाजार से औद्योगिक क्षेत्र की तरफ जाने वाली सड़क की मरम्मत करवाने;

बीकानेर रेलवे स्टेशन व सार्वजनिक उद्यान में अण्डर-ग्राउण्ड ड्रेनेज की सफाई

(2) याचिका देने वाले एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित बीकानेर रेलवे स्टेशन व सार्वजनिक उद्यान में अण्डर-ग्राउण्ड ड्रेनेज की सफाई कराने,

तहसील कौलायत के ग्राम पंचायत मुख्यालय मानकासर से भलूरी, गोकुल, घोला, कश्मीर मार्ग को डामर सड़क से जुड़वाना

(3) याचिका देने वाले एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित तहसील कोलायत की ग्राम पंचायत मुख्यालय मानकासर से भलूरी, गोकुल, धोला, कश्मीर मार्ग को डामर सड़क से जुड़वाने; तथा

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में मुरब्बों पर खाला बनाने के कारण काश्तकारों को हुई क्षति का मुआवजा दिलवाना

(4) याचिका देने वाले एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में मुरब्बे पर खाला बनाने के कारण काश्तकारों को हुई क्षति का मुआवजा दिलवाये जाने से सम्बन्धित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

शासकीय वक्तव्य

प्रदर्शनकारी हरिजन महिलाओं पर लाठी चार्ज व घुड़सवार पुलिस का प्रयोग

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य।

चांदपोल गेट, जयपुर के बाहर पुलिस द्वारा चार हरिजन महिलाओं को पकड़ कर ले जाने व अदालत में पेश न करने तथा विधान सभा के समक्ष हरिजन महिलाओं के प्रदर्शन पर दिनांक 15 सितम्बर, 1982 को लाठी चार्ज करने के सम्बन्ध में।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर परिषद् के सफाई कर्मचारी दिनांक 27-8-82 से आम हड़ताल पर हैं। कल दिनांक 15-9-1982 को 1200–1300 हड़ताली कर्मचारियों का जुलूस, जिसमें लगभग 300–400 महिलाएं थीं, उत्तेजनात्मक नारे लगाता हुआ अपराह्न 4.30 बजे विधान सभा भवन पर पहुंचा।

इन प्रदर्शनकारियों ने माणक चौक चौपड़ एवं सुभाष चौक की ओर अपनी साइकिलों को मुख्य सड़क पर आड़ा खड़ा कर दोनों ओर से आने जाने वाले यातायात का मार्ग अवरुद्ध कर दिया जिस कारण कुछ वाहन भीड़ में फंस गये और आम नागरिकों को असुविधा पैदा हो गई।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

विधान सभा भवन, रथखाना गेट पर नियुक्त थाना प्रबन्धक, माणक चौक ने कुछ पुलिस कर्मचारियों को साथ लेकर इन अवरोधों को हटाने एवं फंसे वाहनों को निकालने के उद्देश्य से. उन प्रदर्शनकारियों को समझाया। मगर उन्होंने कोई परवाह नहीं की और जोरों से नारे लगाने लगे। खड़े हुए वाहनों में बैठी हुई सवारियों को आतंकित करना आरंभ कर दिया तथा थाना प्रबन्धक एवं पुलिस कर्मचारियों को घेर लिया।

जब अन्य पुलिस कर्मचारी रथखाना गेट से उन घिरे हुए पुलिस कर्मचारियों की सहायता हेतु बढ़े तो उन्हें आता देख कर प्रदर्शनकारी भागने लगे। पुलिस पर पथराव प्रारंभ कर दिया। इस पर पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया और 13 प्रदर्शनकारियों को शान्ति एवं व्यवस्था भंग करने के आरोप में मौके पर ही गिरफ्तार कर शान्ति स्थापित की। इस पथराव के कारण 6 पुलिस कर्मचारियों के चोटें आई हैं। प्रदर्शनकारियों में से केवल एक व्यक्ति स्वयं कल रात अस्पताल पहुंचा जिसके हाथ में फ्रेक्चर होने का सन्देह करते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया, जहां उसका उपचार जारी है। इस समय नगर में जन-जीवन सामान्य है।

(1·04 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, सदासीन)

दिनांक 14 सितम्बर को चांदपोल गेट बाहर चार हरिजन महिलाओं को गिरफ्तार करने की जिस घटना का जिक्र किया गया है वह कतई निराधार है। उक्त दिन पुलिस द्वारा किसी भी महिला को चांदपोल गेट के बाहर से न तो पकड़ा ही गया और ना ही इस प्रकार की कोई घटना ही घटित हुई।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह राज्य मन्त्री ने कहा कि चांदपोल पर किसी भी चार हरिजन महिलाओं को नहीं पकड़ा गया है। मैं आज भी यह कह रहा हूं कि वे चार महिलाएं आज तक अपने घर नहीं पहुंची है। नगर परिषद् के आयुक्त श्री चड्ढा ने उन चारों महिलाओं को इंडिया रेस्टोरेन्ट के पास से उठवाया है। इसमें कुछ असामाजिक तत्व, नगर परिषद् के अधिकारी और पुलिस कर्मचारी थे, और वे उनको गाड़ी में साथ बिठाकर ले गये हैं। वे महिलाएं आज तक घर पर नहीं पहुंची हैं, यह सत्य है। शासन ही इसका फैसला करे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : महिलाओं के नाम बताइये।

श्री गोपाल पचेरवाल : हां, महिलाओं के नाम बताता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, बोलिये। समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं आपको नाम बताता हूं, माननीय उपाध्यक्ष, यह महिलाए झोटवाड़ा हरिजन बस्ती की रहने

(श्री गोपाल पचेरवाल)

वाली हैं। इनके नाम हैं, श्रीमती लक्छो पत्नी बाबूलाल; श्रीमती कैलाशी पत्नी प्रभुलाल; श्रीमती इन्दिरा पत्नी रामदास और श्रीमती सीता पत्नी श्यामलाल। यह सब झोटवाड़ा हरिजन बस्ती की रहने वाली हैं....

(व्यवधान)

आपको शर्म नहीं आती, महिलाओं को पुलिस ने पकड़ लिया और आप हंसते हैं। आपकी पत्नियों को भी पुलिस वाले उठा कर ले जाएंगे तो पता चलेगा। यह हरिजन महिलाएं हैं इसलिये आप हंस रहे हैं। शर्म नही आती।

श्री उपाध्यक्ष : Ignore them.

श्री गोपाल पचेरवाल : यह मखौल उड़ा रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय। इससे पता चलता है कि आपका चेहरा कितना दोहरा है। हरिजन महिलाओं को पकड़ लिया और आप हंस रहे हैं। आपको डूब कर मर जाना चाहिये। आपको शर्म आनी चाहिये।

(व्यवधान)

आप गांधीवाद और समाजवाद की बात करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि राजस्थान के गृह राज्य मन्त्री ने इतनी असत्य बात कही। या फिर यों कहें, यह अयोग्य मन्त्री हैं, जिनको पुलिस गुमराह कर रही है, जिसको यह पता नहीं है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। इनको यह पता नहीं है कि मेरे विभाग में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, वह कितना दल-दल में फंसा हुआ है। नगर परिषद् का सतर्कता आयुक्त जहां इसकी पोस्ट नहीं है वहां पर पुलिस अधिकारी को बैठा कर जनता के साथ किस प्रकार अन्याय, अत्याचार कर रहा है। नगर परिषद् के श्री चढ्ढा, सतर्कता आयुक्त ने इन महिलाओं को उठवाया है। अभी तक वे अपने अपने घर पर नहीं पहुंची हैं।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, मन्त्री महोदय ने कहा कि हरिजनों ने सड़क को घेर लिया। मैं यह कहना चाहता हूं, मन्त्रीजी, हरिजनों की हड़ताल 27 तारीख को हुई। 27 तारीख से रोजाना, निरन्तर उनकी सभाएं, जुलूस जलेब चौक में, चौगान स्टेडियम में शान्ति पूर्ण ढंग से हो रहे है। 4 तारीख को उन्होंने एक मौन जुलूस निकाला था उसमें कोई घटना नहीं हुई है। मैंने स्वयं ने यह देखा है। आपकी पुलिस गुण्डागर्दी कर रही है। आपकी पुलिस के नेतृत्व में नगर परिषद् के अधिकारी और गुण्डे हरिजन बस्तियों में जाकर उनकी पिटाई कर रहे हैं। मैंने टेलीफोन पर मुख्य मन्त्रीजी को कहा। मैंने मुख्य मन्त्रीजी को चिट्ठी लिखी। इन्दिरा गांधी के भक्त, गांधीवाद, समाजवाद की बात करने वाले मुख्य मन्त्री, आपके राज्य में हरिजन बस्तियों में जाकर पुलिस बदमाशी कर रही है, गुण्डागर्दी कर रही है। मैंने ऐसी चिट्ठी लिखी। जब चिट्ठी से काम नहीं चला तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उनको एक तार दिया। तार से भी

(श्री गोपाल पचेरवाल)

काम नहीं चला तो मैंने उनको टेलीफोन किया कि आपकी पुलिस की मौजूदगी में, उनके संरक्षण में, नगर परिषद् के अधिकारी श्री चड्ढा और श्री के0 के0 चौधरी के संरक्षण में बदमाश, हिस्ट्रीशीटर पुलिस के साथ जाकर बस्तियों में मारपीट कर रहे हैं। यह मैंने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : चिट्ठी तो आपने लिखी होगी लेकिन जो एडजेक्टिव आपने अभी बोले हैं वह नहीं लगाये होंगे। एडजेक्टिस बोले हैं चीफ मिनिस्टर के नाम के साथ, वह नहीं लगाये होंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल : वह लगा दिये हैं। वह मैंने टेलीफोन पर कहा था। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने कहा कि सड़क को घेर लिया। मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं, मन्त्रीजी, शायद आपको पता नहीं है। चार तारीख को मौन जुलूस निकला, कोई घटना नहीं घटी। बिलकुल मौन, उनका बेनर लगा हुआ था "कृपया शान्त रहो, सरकार सो रही है" उस समय कोई घटना नहीं घटी। पांच हजार आदमी थे। यह जुलूस चौगान स्टेडियम से लेकर गवर्नमेन्ट होस्टल तक पहुंचा। पुलिस की रिपोर्ट आपके पास आयी होगी। सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट आयी होगी। श्री रामजी गोटेवाला ने एम0 आई0 रोड पर इस जुलूस को देखा है। उनको पता है कि जुलूस कितना बड़ा था और कितना शान्तिपूर्ण था। मैं यह निवेदन करूंगा कि 7 तारीख को विधान सभा पर उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। मुख्य मन्त्री से मिले, गोटेवाला जी से मिले, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई क्योंकि वे आपका स्वागत करने को आये थे, लो, मुख्य मन्त्री जी, आप हमारी मांगें नहीं मानो परन्तु यदि आप में थोड़ी सी हिम्मत हो तो आप माला पहन लो। लेकिन आप में हिम्मत नहीं थी कि मेहतरों की माला पहन लें। सार्वजनिक रूप से आप माला कैसे पहनें, क्योंकि आप अछूत हो जायेंगे, वे आप से भिड़ जायेंगे। छुआछूत कानून के अन्तर्गत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिये, राजस्थान के मुख्य मन्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिये। 8 तारीख को विधान सभा पर प्रदर्शन हुआ, 9 तारीख को विधान सभा पर प्रदर्शन हुआ। 10 और 11 तारीख को भी वे प्रदर्शन लेकर आये पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, सड़क को नहीं रोका, आपकी तरफ पत्थर नहीं फेंके, आपकी पुलिस को नहीं मारा। लेकिन कल 4·30 बजे जब उनका जुलूस यहां पर पहुंचा, ऐसी कौनसी परिस्थितियां बन गयी थीं? वे बैठ भी नहीं पाये थे अपनी जगह पर, कार्यवाही भी शुरू नहीं कर पाये थे, 25 व्यक्ति गले में माला डाल कर केवल गिरफ्तारी देने आये थे कि निकम्मी सरकार के लोगों, हरिजन उद्धार की झूठी बात करने वाली निकम्मी सरकार के नेता और मन्त्रियो, देखो, पुलिस हम पर डंडे चला रही है। हम अपनी मांग के लिये नहीं, बल्कि यह कहने आये थे कि पुलिस हम पर डंडे चला रही है। यह कहने आये थे आप से। आप बड़ा नाटक करते हैं हरिजन बस्ती में जाकर पानी पीने का, आप नाटक करते हैं इन हरिजन बस्तियों में गांधी की

(श्री गोपाल पचेरवाल)

तस्वीर को माला पहनाने का। वे आपसे कहना चाहते हैं, नकली गांधीवादियो, फर्जी गांधीवादियो, गद्दारो, आप हमारी मांगें नहीं मानते हो तो मत मानो, हम तो आपके सामने अपनी गिरफ्तारी देने आये हैं। वे गिरफ्तारी दे रहे थे। आपने पहले जिन 25 हरिजनों को गिरफ्तार किया था उनको आमेर ले जाकर छोड़ दिया। वे गिरफ्तारी देना चाहते हैं। उनको आप गिरफ्तार करना नहीं चाहते हैं। वे आपको माला पहनाना चाहते हैं तो आप माला पहनना नहीं चाहते हैं, वे मांगें रखते हैं तो आप उनकी मांगों को मानना नहीं चाहते हैं। आप उन पर डंडे चलवाना चाहते हैं, वह चलवाते भी है। पुलिस में जिस तरह के लोग है उनके बारे में कुछ करने के लिये आप मजबूर हैं और पुलिस से इतना डरते हैं कि आप उनके खिलाफ कुछ करना नहीं चाहते हैं क्योंकि कल पुलिस वाले और सी. आई. डी. वाले, जिनके पास आपके सारे काले कारनामे हैं उनको कहीं उजागर नहीं कर दें, कहीं पुलिस का विद्रोह नहीं हो जाये। आप आई. जी से डरते हैं, इसलिये बैठ गये हैं। वे लोग वहां पर बैठ भी नहीं पाये थे कि सुमेरसिंह, जो कि माणक चौक थाने का इंचार्ज है, ने सबसे पहले एक पुलिस के सिपाही की लाठी लेकर मारी। मैं नाम बताना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने रास्ता रोक लिया था। इतने दिनों तक तो रास्ता नहीं रोका था, इतने दिनों तक तो उन्होंने गड़बड़ी नहीं की थी, कल ही ऐसा कौनसा पहाड़ टूट रहा था। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वे तो गिरफ्तारी देने आये थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुमेरसिंह, जो कि माणक चौक थाने में है, ने रमेश नाम के एक लड़के को मारा, उसको दो-तीन डंडे मारे लेकिन उसके बाद भगदड़ मच गयी। मुझे अफसोस इस बात का है कि राजस्थान विधान सभा के दरवाजे पर जहां हम सब लोग बैठे थे, सारे जन प्रतिनिधि थे और राजस्थान की सरकार बैठी थी, वहां पर महिलाओं पर इतना जबर्दस्त निर्मम लाठी चार्ज किया। मैं समझता हूं कि मेरे पूरे राजनैतिक और सामाजिक जीवन में मैंने इतना निर्मम लाठी चार्ज कभी नहीं देखा होगा। हम सामान्तवाही को नहीं चाहते हैं, उनको भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उनके राज में भी इस तरह का व्यवहार तो नहीं होता था, वह राज भी इससे अच्छा राज था। उस जमाने में हमको एक तरह से सामाजिक अधिकार नहीं थे लेकिन जो जुल्म कि इन्होंने किया ऐसा तो उन्होंने भी नहीं किया था। इतना निर्मम प्रहार किया उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत देंगे तो, मैं आपको बता सकता हूं, मैं माणक चौक की चौपड़ पर दस बच्चों को खड़ा करके आया हूं जिनकी पिटायी की गयी थी और जिनके सर फूट गये है, उनके सर पर पट्टी बंधी हुई है वहां पर औरतों की चप्पलों जूतें और साइकिलों का ढेर लगा हुआ है। वहां पर बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। उनको माणक चौक की चौपड़ ही नहीं, जौहरी बाजार तक नहीं छोड़ा गया। वे इधर-उधर गलियों में भाग गये। प्रद्युम्न सिंहजी, आपकी जेलों में तो मार-पिटाई होती है, औरतों के साथ बलात्कार किया जाता है,

(श्री गोपाल पचेरवाल)

लोगों के साथ अन्याय किया जाता है उनको आप पिटवा नहीं सकते हैं, उनको तो आप सजा नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनको आपका संरक्षण प्राप्त है। लेकिन आप आप गरीबों को सरक्षण नहीं दे सकते हैं, आप गरीबों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, आप उनकी मांगों को नहीं मान सकते हैं, उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आपको यह भी अधिकार नहीं है कि आप उनको मारें, उनकी पिटाई करें। यह आपका अधिकार नहीं है कि आप किसी पर भी डंडे चला दें। रात को मैं वजाजनगर बस्ती में गया था। श्रीमान्, जब मैं रात को यहां से गया तो वहां पर 9 घायल थे जिनमें दो औरतें थी शांति और सीता। यह मेरे पास प्रमाण है। चोटें लगीं 9 आदमियों के और जिस लड़के के फ्रेक्चर हुआ था उस लड़के को तो अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। बाकी से यह कहा गया कि अगर आप थानेदार से लिखा लाओ कि तुम्हारे चोटें आयी हैं, मेडिकल ग्राउन्ड है तो तुमको भर्ती कर लिया जायेगा। मुझे बड़ा अफसोस है, श्रीमान्, यह सब हुआ और आपने किया। 42 की लिस्ट तो मेरे पास है। आप कहेंगे तो और प्रस्तुत कर दूंगा, मैंने मंगवायी है। लाठी चार्ज किया, मैं आपको बताऊं, इस तरह से हुआ। एक औरत की साड़ी खून में हो गई और यह एक शर्ट एक लड़के ने मुझे दी जो कि खून में रंगी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि इस तरह की घटना हुई और आप कहते हैं कि पुलिस ने हल्का लाठी-चार्ज किया था। यह सब जान बूझकर सुमेरसिंह ने किया था। वह सभा शुरू भी नहीं हो पायी थी। कि बिना कारण के लाठी चलाई। विरोधी दल के नेता महोदय आये, माननीय अध्यक्ष महोदय आये। उनको आकर कहा कि नीचे जाकर देखें कि क्या स्थिति है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर वह सीन आप भी देखते तो आपका भी दिल कांप उठता। पुलिस की हरकतों से ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा डाका होने वाला हो। कौनसा खतरा हो गया था? सरकार को कौनसा खतरा हो गया था उनसे कि उन को डंडे मारने पड़े और जौहरी बाजार और सुभाष चौक के कोने तक और जलेब चौक के गेट तक उनका पीछा किया गया और उनको मारा गया। वे लोग इतने आतंकित थे कि जब हम लोग गये तो लोग हमें भी देख कर भागने लगे कि पुलिस हमको मारेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस ने इतना निर्मम लाठी चार्ज किया, इसका क्या कारण था? आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ जब कि लोग भर्ती हैं, जिनको चोटें आयीं उनको दवाइयां नहीं दी गयीं। उनको कहा गया कि तुमको चोट आयी है तो पुलिस से लिखवा कर ले कर आओ। मैं पूछना चाहता हूं, प्रद्युम्नसिंहजी, आपने यह क्यों करवाया? श्री रामजी का तो स्वार्थ था, हो सकता है उनको नगर परिषद् से पैसा कमाना हो, चौधरी का स्वार्थ था कि उसको फर्जी मस्टर रोल बनाकर अपनी तिजोरी भरनी थी। उनका मिट्टी से पेट नहीं भरा। जयपुर शहर की गंदगी × × ×

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(व्यवधान)

(60)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

बैठ जाइये । आप बैठ जाइये, श्रीरामजी ।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहनी है....

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : आप बैठ जाइये, श्री रामजी × × ×

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : आप हरिजनों को, श्री राम गोटेवाला जी, **खून में रगना चाहते हैं** ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : × × × बैठ जाइये । आप बोल नहीं सकते ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर । आर्डर प्लीज ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : आप तो परसों ही कह रहे थे कि मैं इस आन्दोलन को कुचलूंगा । आपने यह लाठीचार्ज इसलिये ही करवाया है । you are responsible for that.

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : इन्होंने जिन हरिजनों को मारा है, पिटवाया है तो × × ×

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अलोपित की गई ।

(व्यवधान)

ये इस आन्दोलन को कुचलना चाहते है

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बात आपने तो परसों ही कह दी थी ।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : इस घटना की जांच लिए आपको जाँच आयोग का गठन करना चाहिए....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं तो एक ही....

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : बैठ जाइये, पहले मैं बोलूंगा....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है ।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय मेघराज तावड़, आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

हरएक को अपने विचार रखने का अधिकार है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) ; उपाध्यक्ष महोदय, यह पक्षपातपूर्ण है। पहले माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त कर लें, फिर ही ये बोल सकते है।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल × × ×

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पहले गोपालजी बोलेंगे, फिर उसके बाद कोई बोलेगा।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : इसके लिये सरकार को जांच आयोग बैठाना चाहिए।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले पूरी बात कहूंगा उसके बाद ही यह बोल सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पक्ष को विचार प्रकट कर लेने दें, उसके बाद मन्त्री महोदय अपना स्पष्टीकरण दे दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने में मदद करें। कृपया शांत हो जायें।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : जब हम लोग चुपचाप सुनते हैं तो इनको भी सुनना चाहिए....

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो एक ही बात कहनी है।

श्री मेघराज तावड़ : नहीं करने देंगे पहले हम बोलेंगे। हम बोल रहे है तो ये नहीं बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने एक बात कहने को कहा है।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ × × ×

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह बोलने में बाधा डालते हैं तो हम भी इनको नहीं बोलने देंगे ।

श्री परसराम मदेरणा (लक्ष्मणगढ़) : हम आपको भी नहीं बोलने देंगे ।

श्री यदुनाथ सिंह : कैसे नहीं बोलने देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह हरिजनों का नाम लेकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं ।

एक माननीय सदस्य : सुनने की हिम्मत रखो ।

एक माननीय सदस्य : जब मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हों तो कृपया सुनें ।

श्री मोहनलाल मोदी : शर्म आनी चाहिए आपको ।

श्री यदुनाथ सिंह : शर्म तो आपको आनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : पाइन्ट ऑफ आर्डर ।

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ आर्डर ।

श्री मेघराज तावड़ : कौनसा नियम है यह नहीं बोलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

माननीय मेघराज तावड़ । माननीय मेघराज तावड़, सदन से बाहर चले जाइये । माननीय मेघराज तावड़ ।

श्री यदुनाथ सिंह : हरिजनों का खून है, इसमें गोटेवाला जी का हाथ है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है ।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर ।

एक माननीय सदस्य : किस नियम के तहत ?

श्री उपाध्यक्ष : यह मेरा काम है, आपका नहीं ।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज ।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : अगर माननीय सदस्य मन्त्रीजी को कहें कि × × × हैं, यह बहुत गलत बात है । आपने जो....

श्री यदुनाथ सिंह : आपको क्या पता ?

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

एक माननीय सदस्य : आपको मन्त्री पद नहीं मिलने वाला है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री बिहारी लाल पारीक : हां, यह शर्मनाक बात है कि जो बात नहीं कहनी चाहिए ××× कहते हैं । मनमानी बात कर रहे हैं । अफवाहें उड़ाते हैं । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह की बात नहीं हो ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : देख लीजिए, किस वर्ग के आदमी खड़े हैं ।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप किस वर्ग के हो ?

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्रीजी माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज़ ।

I will not permit this please Sit down.

आसन पैरों पर है, आप बोलते जा रहे हैं ।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री यदुनाथ सिंह : गलती हो गयी, सर ।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज । कृपया । क्या कह रहे हैं आप ? बोलिए ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइये, माननीय सदस्य ।

श्री दुलाराम : पॉइन्ट आफ आर्डर, सर ।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : पॉइन्ट ऑफ आर्डर ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ आर्डर । श्री दुलाराम

श्री दुलाराम : मेरा निवेदन, सर, यह है कि माननीय सदस्य दाऊ दयाल जोशी ने एक कमीज, जिसमें ब्लड लगा हुआ है, सदन में दिखाई । मेरा निवेदन यह है कि अपने कब्जे में लेकर, सीज करके केमिकल के लिए भेजी जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राज बहादुर ।

(व्यवधान)

जांच करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री यदुनाथ सिंह : सबसे बढ़िया अदालत है ।

श्री उपाध्यक्ष : केमिकल जांच करने का हमारा काम नहीं है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : भूतपूर्व मन्त्री महोदय का प्रस्ताव है और सरकार की इज्जत का सवाल है। खून हरिजन का है, या किसी और का है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सींह : बकरी....

(व्यवधान)

किसी का खून थोड़े ही है। यह तरीका आप लगाते हो। गये खेतड़ी काण्ड में पता नहीं, किसकी चोली उठा लाये थे।

श्री राजवहादुर : जो मैम्बर शान्तिपूर्ण बोले रहे थे, माननीय सदस्य बोले रहे थे उनको....

श्री उपाध्यक्ष महोदय : I do not allow this is be laid down on the table

श्री राज बहादुर : मैं आप से बात कर रहा हूं। शांतिपूर्ण संचालन के लिए आवश्यक है कि....

(व्यवधान)

बात तो करने दीजिए....

(व्यवधान)

मैम्बर साहब बोल रहे थे, उनको अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए। जिनको बोलना हो, बुलवाइये। गोपाल पचेरवाल बोल रहे थे, इनको बोलने दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : गोपाल पचेरवाल ।

श्री भैरूं सिंह गुर्जर (खारची) : मन्त्री महोदय का जवाब दिलाया जाये।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पहले मन्त्री महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : गोपाल पचेरवाल बोलेंगे ।

श्री मोहन लाल मोदी : पहले आपने मन्त्री महोदय को आदेश दिया है, मन्त्री महोदय बोलेंगे। मन्त्री महोदय को उत्तर देने दीजिए, इनके बाद ये बोलें।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : जनतांत्रिक तरीका है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाधा न डालिए। कृपया बाहर जाइये।

श्री दीपेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मन्त्री महोदय को फर्मा दिया है।

(व्यवधान)

अन्याय होगा। मन्त्री महोदय को बोलने दीजिए, आपने फरमा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठें, प्लीज, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : आपने फर्मा दिया है मन्त्री महोदय के लिए ...

(65)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी, उसके बाद....

श्री दीपेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल वाले बरगला रहे हैं, सदन को गुमराह किया जा रहा है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य ।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : पहले मन्त्री महोदय, को बोलने दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री दीपेन्द्र सिंह : ×××

श्री भैरू सिंह गुर्जर : ×××

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : ×××

श्री विष्णु प्रकार बजारी (ब्यावर) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है । कृपया बैठ जाइये । मैं नियमों का पालन करूंगा अब ।

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

Please sit down.

श्री दीपेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मन्त्री महोदय बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सयस्य, आपको सोचना चाहिए इस बात को । बैठ जाइये ।

श्री दीपेन्द्र सिंह : तथ्यों को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है । सही तथ्यों की जानकारी सदन में पहले आनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जायें ।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : क्या आप हमारे मन्त्री महोदय को सक्षम नहीं समझते ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं किसी के प्रति रू–रियायत नहीं करूंगा, चाहे सत्ता सक्ष के हों, विपक्ष के हों । कोई बाधा डालेगा, मैं नियमानुसार कार्यवाही करने को बाध्य हूं ।

(व्यवधान)

पहले विपक्ष को मोका दूंगा ।

(व्यवधान)

प्लीज, माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जाइये । ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जांय

श्री दीपेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर तो ग्रापको सुनना पड़ेगा । उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न रखने से कैसे मना कर सकते है ।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप बोल नहीं रहे, शोर ज्यादा कर रहे हैं जो ग्रापको नहीं करना चाहिये ।

श्री पचेरवाल ।

(व्यवधान)

सदन के बाहर चले जाइये ।

(व्यवधान)

श्री भैरू सिंह गुर्जर : व्यवस्था का प्रश्न ग्रापको सुनना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर जिसका है वह कहे ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : ये डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब कभी भी बहस हो ग्रौर सत्ता पक्ष में से....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ग्रापने बाहर जाने के लिए कह दिया । बोलने की ग्रनुमति कैसे दे रहे हैं ? ग्राप पहले ग्रादेश वापस लीजिये ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : या ट्रैजरी बैंचेज में से कोई भी मन्त्री ग्रगर बीच में, ग्रन्त में या शुरू में बोलना चाहे तो ट्रेडिशनली उसका ग्रधिकार होता है ग्रौर ग्रासन उसको ग्रधिकार देता है बोलने के लिए ।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा नियम है ? क्वोट कीजिये ।

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इस हाउस की ट्रेडीशन है, उपाध्यक्ष महोदय । ग्रापने मन्त्रीजी का नाम पुकारा । उनका ग्रधिकार बनता है । मन्त्रीजी उसका उत्तर दें । ग्रापने उनको ग्रधिकार दे दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उनको ग्रवसर दे दूंगा बोलने का । हां जी ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान)

बैठ जाइये ।

एक माननीय सदस्य : ×××

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, ××× क्या होती है यह....

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : यह एक गम्भीर मसला है, इसको हमको, और सदन को और सबको गम्भीरता से लेना चाहिये । लेकिन मुझे तो अफसोस इस बात का है, श्रीमन्, गांधी को माला पहनाने वाले लोग, और गांधी के सहारे टिके लोन इस बात का मखौल उड़ायें । यह उन गांधी की बात कहने वालों के लिए बहुत शर्म की बात है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह उनको कहने का हक है । कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन कर रहा था सरकार की तरफ से किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, गिरफ्तार होने के बाद में जिनको चोटें आईं उनको दवा नहीं दी गई । मैंने माननीय मदेरणा साहब से कहा, देखिये यह हालत है । श्रीमान, इस तरह की चोटें आई हैं, और पुलिस की हिरासत में चोटें आई हैं । अब तक मेरी जानकारी के अनुसार उनका उपचार नहीं किया जा रहा है । हालांकि मदेरणा साहब ने मुझको आश्वस्त किया था कि वे उनसे कहेंगे, इस तरह व्यवस्था की जायेगी लेकिन आज सुबह दस बजे तक भी, मेरी जानकारी के अनुसार उनको कोई उपचार नहीं दिया गया । जो हिरासत में थे उनको तो दिया नहीं गया बल्कि जिनको बाहरी चोटें आईं और एस. एम. एस. में गये या पास के किसी अस्पताल में भी गये उनको भी उपचार नहीं दिया गया । उन्होंने कहा कि पुलिस के लाठी चार्ज से हम जख्मी हुए, पुलिस के लाठी चार्ज से बच्चों को चोटें आई हैं, हमारे बच्चों, हमारी मां भाइयों को, हमारे बुजुर्गों को चोटें आई हैं इनकी चिकित्सा की जानी चाहीये । मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा, आपकी जानकारी के लिए, श्रीमान, उनको यह कहकर वहां से वापस भेज दिया गया, आप पुलिस के जिस थाने में यह हुआ है उस के एस. एच. ओ. से लिखवाकर लाइये । माणक चौक सर्किल में लाठी चार्ज हुआ है तो वहां के इन्चार्ज से लिखवाकर लाइये तब चिकित्सा करेंगे, तब आपको हम दवाई देंगे । उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों को दुसरी डिस्पेन्सरीज

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(68)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

में जाकर, प्राइवेट अस्पताल में जाकर पट्टी बंधवानी पड़ी. किसी को मरहम लगवाना पड़ा ।

श्री उपाध्यक्ष : इन्जरी रिपोर्ट के लिए पर्ची जरुरी होती है, लेकिन दवा देने के लिए कोई डाक्टर मना नहीं कर सकता ।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं यही निवेदन कर रहा हूं । उन्होंने यह कहा कि हमको पुलिस द्वारा पीटा गया....

श्री उपाध्यक्ष : यह हुआ है तो डाक्टर का नाम दीजिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं नाम बता दूं जिसने इन्कार किया कि मैं दवा दारु नहीं देना चाहता....

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : एम. एल. सी. केस में यह नियम है दूसरा डाक्टर नहीं कर सकता ।

श्री गोपाल पचेरवाल : तो, श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया ? क्या अपराध उन्होंने किया ? वे केवल अपनी मांग ही तो रख रहे थे, अपनी बात कहने सरकार के पास आये ही तो थे । सरकार की तरफ से बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के लाठी चार्ज हुआ । यहांतक जानकार मुझे मिली है कि उस वक्त वहां कोई मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं था केवल सुमेरसिंहजी वहां भीड़ में गये । उन्होंने कहा, आप लोग यहां से जाइये, हम आपकी कोई गिरफ्तारी नहीं करेंगे । लोगों ने कहा, हम शान्तिपूर्ण तरीके से निरन्तर अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं, आप यहां इस प्रकार उत्तेजित वातावरण बनाने आये हैं यह हम नहीं चाहते । यहां तक उपाध्यक्ष महोदय बड़ी शर्म की बात है, मैं तो खैर विरोधी पार्टी का हूं, मजदूर कार्यकर्त्ता के नाते उनकी मदद करता रहा हूं । उनके बीच जाता हूं, सुनता हूं या कहता हूं । इस बात का माननीय श्री गोटेवाला साहब को भी पता होगा कि जब वे जुलूस लेकर आये तो इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद के नारे लगाते आये थे । जब पुलिस बहुत आ रही थी तो भी इन्दिरा गांधी के नारे लगाते हुए आ रहे थे । उन्हें हटाने के बाद भी इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद के नारे लगाये । ज्यों ही उन्होंने इन्दिरा गांधी के नारे लगाये सुमेरसिंहजी ने उस पर डण्डे मारे । सुमेरसिंहजी को क्या तकलीफ हो रही थी, इन्दिरा गांधी का नारा लगाने से ? क्या प्रद्युम्नसिंहजी यह नहीं चाहते के इन्दिरा गांधी का नारा लगाया जाय ? क्या एस. पी. या डी वाई. एस. पी., जो सर्किल के इन्चार्ज हैं, नहीं चाहते कि इन्दिरा गांधी के नारे लगाये जायं ? अगर यह बात है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है । लेकिन, प्रद्युम्न सिंहजी, आप अगर इन्दिरा गांधी के खिलाफ हैं, आप तो ऐसे रहे हैं और आपका माथुर सरकार को गिराने का प्रयास है । श्री पहाड़िया जी को लाने की बात कर रहे हैं और इस तरह का वातावरण बनाने की आप बात कर रहे हैं तो फिर मुझे कुछ

(श्री गोपाल पचेरवाल)

नहीं कहना है। मुझे तो अफसोस इस बात का है....

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिये बिना मन्त्री पर आरोप

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं रूल 273 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। "किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधरोपक स्वरूप आरोप नहीं लगाया जावेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मन्त्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मन्त्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके।"

परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा। यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सदन की गरिमा के विरुद्ध है। या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोक हित सिद्ध नहीं होगा।

(व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा था। माननीय सदस्य ने....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बताइये, क्या है ?

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य में

(व्यवधान)

जरा शान्ति से सुनिये, आपको चिन्ता नहीं होनी चाहिये। अपने भाषण में किसी पर आरोप नहीं लगायें, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कौन सा शब्द कहा ?

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तीवाड़ी : मास्टरों के ट्रान्सफर में पांच-पांच सौ रुपये लिये।

(व्यवधान)

पांच-पांच सौ रुपये लिये मैं चार्ज लगाता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी : आप चुनाव मैदान में आइये।

(1.40 म. प.)

(व्यवधान)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पांच-पांच सौ रुपये लेकर सौ-सौ मास्टरों के ट्रान्सफर किये।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठिये।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर मेरा यह था।

श्री अध्यक्ष : मैंने सुन लिया।

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय सदस्य, अपना भाषण सीमित रख कर किसी पर आरोप नहीं लगायें, यही मेरा निवेदन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह सदन में जब इस तरफ बैठते थे तो इन्होंने बद्रीप्रसाद जी के खिलाफ जेहाद छेड़ दिया था। उस समय कहां थी माननीय सदस्य की····

श्री अध्यक्ष : यदि किसी माननीय सदस्य अथवा सदस्यों ने अपने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 50 के अन्तर्गत कोई स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी हो और आसन से यह व्यवस्था हो जाये कि उस पर मंत्री या राज्य सरकार को वक्तव्य देना है तो उस स्थिति में केवल वक्तव्य दिया जाता है। अपने नियमों के अन्दर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उस पर नई चर्चा हो। सदन के अन्दर जो कार्य सूची ली जाती है किसी सत्र में या किसी बैठक में, उस पर कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के अनुसार सदन अपनी सहमति व्यक्त करता है। उसी के अनुसार सब कार्य हाथ में लिया जाता है। लेकिन आपकी ओर से पीठासीन व्यक्ति को यह अधिकार है कि अल्पावधि के जो प्रस्ताव आदि आदि आते हैं, पीठासीन व्यक्ति अपने विवेक से उनके लिए समय निश्चित करे। अपने यहां यह परम्परा रही है कि आम तौर से जब वक्तव्य दिया जाता है उसके बाद में जिन माननीय सदस्यों की उस विषय में रुचि हो, अथवा निर्णय में कोई कमी, कोई त्रुटि, हो अथवा कम बात कही हो तो उसके बारे में वह कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं स्पष्टीकरण के तौर पर। आप जानते हैं कि सदन के समक्ष काफी लम्बा विधायी कार्य है और उसको आज समाप्त करना है। कल विपक्ष के सभी दलों के नेतागण एवम् सदस्यगण इस बात को लेकर मेरे पास आये थे कि विधान सभा के समक्ष ही इस प्रकार की घटना हुई है तो मैंने उन परिस्थितियों में यह उचित समझा। कहीं पर, आंखों से ओझल कोई घटना हो, उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता, जितना हमारे समक्ष हो जाये उसका पड़ता है। इसी दृष्टि से हालांकि दुर्घटनायें, अपराध वगैरह सब कुछ होते रहते हैं वह एक तरीके से सदन के समक्ष आते हैं, लेकिन सदन के समक्ष कोई नहीं आये तो भी अपराध करने वाला अपराधी मुक्त नहीं रह सकता। सरकार की लॉ एण्ड आर्डर की मशीनरी रात दिन कार्य करती रहती है। क्योंकि विधान सभा के समक्ष महत्वपूर्ण मामले लाये जाते हैं, लाये जाने चाहिये, इस दृष्टिकोण से कुछ इस तरह के मामलों का सदन के समक्ष आना उचित होगा। इसी दृष्टि से मैंने कल अनुमति दी थी। आपकी तरफ से मौखिक रिक्वेस्ट आयी थी। इस पर राज्य सरकार ने वक्तव्य देना था, राज्य सरकार ने वक्तव्य दे दिया। समय का सवाल है इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पर कोई बड़ी डिबेट हो, ऐसा उचित नहीं है। माननीय सदस्यों, चाहे वह सत्ता पक्ष के हों, को अगर इस विषय में रुचि है तो वे इस विषय पर स्पष्टीकरण के तौर पर कुछ प्रश्न

(श्री अध्यक्ष)

पूछ सकते हैं। इस पर लम्बी-चौड़ी चर्चा होना उचित नहीं है। मुझे आशा है कि इस सदन के माननीय सदस्यों का इसमें सहयोग मिलेगा। अब एक प्रश्न उठाया, जो महत्वपूर्ण है। नीम का थाना से आने वाले माननीय सदस्य, यदि मानहानिकारक, किसी व्यक्ति को आरोपित करने वाला इस तरह का मामला इस सदन में आये यह ठीक नहीं। हमारे नियमों के अन्दर ऐसी व्यवस्था है कि उसकी पूर्व सूचना आसन को देनी होती है, और उस विभाग से सम्बन्धित जो मंत्री हैं उनको भी प्रतिलिपि देनी होती है। अभी यह विषय सदन के विचाराधीन है। अपमानजनक, आरोपित करने वाले इस तरह के मामले बिना पूर्व सूचना के नहीं उठाये जाते। अब प्रश्न यह उठता है कि मंत्री अथवा इस सदन के माननीय सदस्य उस वक्त उपस्थित हों, तो क्या उस अवस्था में इस तरह के पूर्व सूचना आवश्यक होगी। मैंने कई दफा इस पर गहराई से विचार किया। अगर कोई माननीय सदस्य या मंत्री इस स्थिति में है कि वह उसका उसी समय उत्तर दे सकता है तो मैं समझता हूं कि उसमें पूर्व सूचना की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर स्वयं किसी मंत्री या माननीय सदस्य के ऊपर आरोप है तो यह आवश्यक नहीं कि अपने कागज-पत्र लेकर आये और कहे कि मैने यह अपराध किया है। यह जरूरी नहीं है। वह अपनी याददाश्त से कह सकता है कि मैने यह किया या यह नहीं किया है। उस अवस्था में, जब कोई व्यक्ति उपस्थित हो और अपना स्पष्टीकरण देने की स्थिति में हो तो उसके लिये ज्यादा जरूरी नहीं है, या फिर यह बताये स्पष्टीकरण देने वाला कि उनको स्वयं कोई पत्रावली देखनी है तो इस तरह के प्रश्न से एक भिन्न स्थिति बन सकती है। इस सम्बन्ध में मेरा यही निवेदन है कि यदि स्वयं शासन राज्य मंत्री कोई स्पष्टीकरण देना चाहें तो मैं उनको भी अवसर दूंगा। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन करना है कि दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें। माननीय सदस्य जानते हैं कि इसके बारे में कोई आपने लिखित प्रस्ताव नहीं दिया····

श्री यदुनाथ सिंह : 295 में दिया है····

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी सुविधा के लिए इसका उपयोग कर रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य महत्वपूर्ण विषयों को सदन के समक्ष ला सकें। 295 की मंशा यह नहीं है कि कोई भी यहां पर बाधा उपस्थित कर सकता है। केवल एक प्रावधान उसमें दिया हुआ है, जिसका अपना सदन इतनी तत्परता के साथ पालन नहीं कर रहा है जितना करना चाहिये। एक ही माध्यम है पाइन्ट ऑफ आर्डर, जिससे चर्चा या विषय को रोका जा सकता है। कोई ऐसा विषय हो जो पाइन्ट ऑफ आर्डर की परिभाषा में नहीं आता हो तो 295 को माध्यम बनाकर रखा जा सकता है, उसमें बहुत ही सीमित दायरा है। लेकिन उसका उपयोग हम जन-हित में करते रहे हैं। अगर किसी विषय पर माननीय सदस्यों ने कुछ बात कहनी है जो नियमों का अन्दर लिबरली इंटरप्रिटेशन करके माननीय सदस्य सूचना देते हैं। यह तो आप जानते हैं कि कुछ विषय स्पष्ट ही नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आने

(श्री ग्रध्यक्ष)

चाहिये। ग्राप जानते हैं ग्राज जवाब देना था, ग्रौर कार्य सूची भी लम्बी है, इसलिये मेरा कोई विचार नहीं था कि सदन में इस प्रस्ताव पर कोई वक्तव्य रखा जाये। चूंकि वह मंत्री नहीं हैं, चले गये इसलिये दूसरे मत्री ने जवाब दिया। ग्रासन की माननीय सदस्यों की सहूलियत के लिये हमेशा यह मंशा रही है कि यथा संभव उन को ग्रधिक ग्रधिक उपयोगी विषय लाने की सुविधा मिले। उसमें ग्रासन की जो कठिनाइयां हैं उनकी तरफ भी ग्रापका ध्यान रहना चाहिये, ग्रापको भी सहानुभूति ग्रासन के प्रति दिखानी चाहिये। ग्रापसी विषयों में ज्यादा समय खर्च हो जाये यह उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिये नम्र शब्दों में ग्रापसे निवेदन करता हूं कि ग्राप थोड़े-थोड़े शब्दों में ग्रपनी बात कह दें, हर स्थिति में दो बजकर दस मिनट पर इस विषय को समाप्त कर दिया जायेगा।

स्थगन प्रस्ताव ग्रादि पर चर्चा

श्री गोपाल पचेरवाल : मैंने, ग्रध्यक्ष महोदय, सरकार से इस घटना के बारे में जानकारी मांगी थी। मैंने गृह राज्य मंत्री जी से भी कहा कि उन चार महिलाग्रों को तुरन्त छुड़वाने की व्यवस्था करें, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने उन महिलाग्रों को हिरासत में नहीं लिया है। मैंने उनको चारों महिलाग्रों के नाम लिखकर दिये थे, उनसे कहा कि उनको बन्दी बनाकर रखा गया है। वह पता नहीं किस हालत में कहां पर हैं, वह ग्रभी तक ग्रपने घरों को नहीं पहुंच पाई हैं। यह बहुत गम्भीर बात है। ग्राप उन महिलाग्रों को तत्काल घर पहुंचाने की कार्यवाही करने के लिये कहें। दूसरा मेरा निवेदन है कि कल जो घटना हुई उसमें पुलिस ने बिना मजिस्ट्रेट की ग्रनुमति के लाठी चार्ज किया था, इसकी भी जांच होनी चाहिये जो लोग घायल हुए हैं, ग्रौर ग्रस्पताल में हैं उनको राहत दी जानी चाहिये ग्रौर जो ग्रधिकारी इसमें दोषी हैं उनको निलम्बित किया जाना चाहिये।

श्री राजबहादुर : मैं एक मिनट में बात कहूंगा। यह सब कुछ हमारे सदन के भवन के सामने घटा। ऐसी घटना कहीं नहीं होनी चाहिये। मैं यह ग्राशा करूंगा मंत्री महोदय जी से कि बिना किसी मजिस्ट्रेट की इजाजत के यह सब कुछ कैसे हो गया, इस पर वह खेद प्रकट करें। मैंने ग्रपनी ग्रांखों से देखा, बीसियों साइकिलें वहां पड़ी थीं लोगों की, लोगों को चोटें लगीं। ग्रापके सामने लाठी चार्ज हुग्रा है, ग्रौर ग्राप यहां बैठे रहे। इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, यह घटना घटी है, यही ग्रपने ग्राप में दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, विधान सभा के बाहर बिना मजिस्ट्रेस्ट के ग्रादेश के इस प्रकार से क्रूर प्रहार उन लोगों पर किया जाये जो हमारी गन्दगी सिर पर ढोते हैं, ग्रध्यक्ष महोदय, विधान सभा के बाहर की यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण ग्रौर शर्मनाक है। कल यहां जुलूस ग्राया था। जुलूस में से कुछ लोग, जो बैठे

(श्री यदुनाथ सिंह)

हुए थे, रास्ता रोकने की कोशिश की। लेकिन 60 महिलाए वहां बैठी थीं उन पर बुरी तरह से लाठी चार्ज किया गया। 87 आदमियों की मेरे पास लिस्ट है जो गम्भीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पतालों में दवायें नहीं दी गईं। अध्यक्ष महोदय, जो सरकार भंगियों के कष्टों को दूर करने का संकल्प लेती है, पिछड़े को आगे लाओ का नारा लगाती है, इस तरह की सरकार जो लोग उनकी गन्दगी को सिर पर ढोते हैं, उन पर लाठी चार्ज करती है....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्शक्ष महोदय, कल जो घटना हुई है, महिलाओं को चोटें आईं। उनको चोटियों से पकड़कर उनको खींचा गया, बुरी तरह से पीटा गया। मैं चाहूंगा कि आप यह जांच की व्यवस्था करें कि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश से उन पर लाठी चार्ज कैसे किया गया।

मैं चाहूंगा कि आप व्यवस्था करें। यहां लाठी चार्ज किया, तो मैं पूछना चाहता हूं, पहले जुलूस को आने ही क्यों दिया? पहले प्रद्युम्नसिंह कहां सोए हुए थे? क्या आपके खिलाफ थे? क्यों जुलूस को आने नहीं देना चाहते थे? अध्यक्ष महोदय, आप बाहर निकलकर देखते, इस तरह से जूती, चप्पल और साइकिलें कितनी ही बिखरी हुई पड़ी थीं जैसे कोई वहां पर गोली चली हो। इस तरह का माहौल बना हुआ था। यह इस सरकार के लिये डूब मरने की बात है। ये जो बातें करते हैं, जो संकल्प बनाते हैं, इनका तो एक ही संकल्प है किसी तरह का अन्याय हो, भ्रष्टाचार हो, किसी तरह से अपनी कुर्सी पर जमे रहें। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिये और जिन लोगों को चोटें आई हैं उनकी सहायता करें। जो हड़ताल है उसके क्या कारण हैं उन्हें दूर करके जल्दी से जल्दी उसको समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोडा : अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने इस सारे दृश्य को नीचे देखा। मैं कल थाना गई थी, माननीय माननीय भैरोंसिहजी और गोपालजी, हम तीनों साथ थे, नीचे कहा गया कि हम साइकिलें नहीं उठायेंगे पर साइकिलें उठाकर थाने में रख दीं, एक कम 60 साइकिलें थाने में रख दीं। मैं पूछना चाहूंगी, माइक और रिक्शा वाले उनके साथ थे। उन्होंने क्या जुल्म कर दिया? प्रदर्शनों में माइक आते ही हैं। बेचारे गांव के रहने वाले हैं। उसने कहा कि मुझे छोड़ो, उसको नहीं छोड़ा। एक माइक, तीन हार्न और एक रिक्शा, सबको थाने में जमा कर रखा है। 15 आदमी भी थाने में हैं। न मालूम मंत्री महोदय ने कितने बताये। मैं कहना चाहूंगी विवरण देने के बाद, किसको कहां चोट आई है। रात मैंने एस० पी० साहब, माननीय कलेक्टर साहब और माणक चौक के श्री बोहरा साहब के घरों पर फोन किया, लेकिन वे नहीं मिले। मैंने कन्ट्रोल रूम को फोन करके कहा कि जब भी उपलब्ध हो जायें मैं सिरहाने फोन रखकर बैठी हूं, मेरी बात करवा देना ताकि उनका उपचार हो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सके जो 15 जने थाने में बंद हैं लेकिन किसी से बात नहीं करवाई। एस० पी० से नो रिप्लाई था, कलेक्टर से नो रिप्लाई। यह बात रात को डेढ़ बजे की है, इन्चार्ज थाने में नहीं थे। यह अन्याय किया गया, अत्याचार किया गया। एक हो तो बता दूं कि किसको कहां चोट आई। औरतों जिनकी गोद में बच्चा था, को खुद नीचे उतरकर देखा, घायल औरतों को देखा। इमर्जेंसी केसेज थे उनकी रिपोर्ट नहीं की गई, सबको थाने में रख लिया। एक आदमी जो चाय पी रहा था उसको उठा कर ले गये। हीदा की मोरी, जैतपुरा, पुरानी बस्ती के 15 हरिजन लोग हैं लेकिन सैकड़ों की संख्या में जो स्त्री-पुरुष घायल पड़े हैं उनका उपचार नहीं किया गया और उनको भी थाने में रखा गया। मैं सरकार की निंदा करती हूं, प्रशासन की निंदा करती हूं जिन्होंने इस गरीब से गरीब तबके को नहीं संभाला, न उनका उपचार किया, बिना किसी मजिस्ट्रेट की आज्ञा से लाठी चार्ज किया गया। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी इसकी जांच कराने का आदेश दें।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है जो के विधान सभा के सामने और इस प्रजातंत्र युग में हुआ। हम एम० एल० ए० आज यहां बैठे हैं, आसन सर्वोच्च यहां है राजस्थान का। बेशर्म मंत्री बैठे-बैठे हरिजनों पर लाठी चार्ज कराते हैं, उनके खून के कपड़े यहां हैं। उनकी हालत क्या है और × × × होकर हंस रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर × × × शब्द को कार्यवाही से हटाया जाय। भाषा में संयम रखें।

श्री मेघराज तावड़ : हमरा खून उबल रहा है।

श्री अध्यक्ष : भाषा में संयम बरतना होगा।

श्री मेघराज तावड़ : मह किसको सुनायें ? कहाँ जायं ? ऊपर आसमान नीचे धरती, हमारे कौन रक्षक हैं ? बादशाहों और मुगलों के दिनों में लोग घंटी बजाते थे, कोई दुखी आता था, वे उनकी बात तो सुनते थे, उनको न्याय मिलता था। अब प्रजातंत्र में जब कि हमारा ही राज्य है, हम समझते हैं, हमरा राज है, हमको न्याय मिलेगा, हरिजन अपने न्याय के लिये आये थे। मैं कहना चाहता हूं, ऐसे मंत्री से इस्तीफा दिलाया जाय। लाठी चार्ज करने का अधिकार किसने उनको दिया ? क्या प्रद्युम्नसिह ने अत्याचार करने का उनको अधिकार दिया ? अगर उन्होंने नहीं दिया तो मैं निश्चित मानता हूं कि जो हरिजनों के कट्टर दुश्मन हैं स्वायत शासन मंत्री श्रीराम गोटेवाला, उन्होंने दिया है। इसकी जांच करायी जाय। मैं पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस सरकार से कि यह यहां किस

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मेघराज तावड़)

मुंह से हरिजनों और आदिवासियों के कल्याण की बात करते हैं ? जिस दिन इस पर विस्तृत चर्चा होगी, जिस दिन शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिडयूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट पर बहस होगी उस दिन मैं ज्यादा जोर देकर कहूंगा क्योंकि गोटेवाला को मालूम है....

श्री अध्यक्ष : नाम न लें।

श्री मेघराज तावड़ : वह स्वायत मंत्री हैं ऐसा कह दूं उनको मालूम है, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है, गोली और बन्दूक के बल पर, अपनी लाठी के बल पर चलेंगे, गोटेवाला साहब। वे हरिजन हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मैं गोटेवाला स्वायत शासन मंत्री से कह देना चाहता हूं कि वे हरिजन अपनी मांगों को लेकर आपके पास आ रहे हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, एक वक्त ऐसा आयेगा कि हरिजन जिस टोकरी में कचरा डालकर बाहर फेंकता है ××× वह दिन भी आने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस कांड की जांच की जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करिये।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच की जाय। जिन अधिकारियों ने लाठी-चार्ज किया है, अध्यक्ष महोदय, श्रीराम गोटेवाला के आदेश से ऐसा किया गया।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, उनके आदेश से विधान सभा के सामने यह अत्याचार आज गरीब हरिजनों के साथ किया गया है तो फिर जंगलों में हरिजनों के साथ कैसा अत्याचार होता होगा। उसको कौन सुनता है जब यहां ही कोई नहीं सुनता है तो।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। श्री विपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसको तो आपने देखा होगा।

श्री अध्यक्ष : घटना तो मैंने नहीं देखी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, घटना केवल नहीं लाठी चार्ज तक ही सीमित नहीं है घटना के बाद में जो साइकिलें वहां पड़ी थीं, और भयभीत होकर जिस प्रकार से महिलायें भाग रही थीं वह तो आपने देखा होगा। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपने यहां चप्पलों का ढेर भी पड़ा देखा होगा। इसलिये घटना केवल लाठी चार्ज तक ही सीमित हो, वह बात नहीं है। अगर लाठी चार्ज को देखना ही आप घटना समझें तो वह तो मैंने

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

भी नहीं देखी है लेकिन मैंने सुना कि कई माननीय सदस्यों ने इस घटना को देखा है। मैंने भी बाद में नीचे जाकर जानकारी प्राप्त की तो मालूम हुआ कि यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, इसमें कोई सन्देह नहीं। अध्यक्ष महोदय, आज से चार दिन पहले सरकारी प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि इन हरिजनों को तो हड़ताल करने की आदत पड़ गयी है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार इस हड़ताल से किस प्रकार से निपटना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जब सार्वजनिक रूप से यह बयान आये कि हड़ताल और हड़तालियों के संबंध में सरकार का रवैया क्या है, और जब इस प्रकार का स्पष्टीकरण सरकार के द्वारा हो तो मैं समझता हूं कि जो प्रशासनिक मशीनरी है, जो कि लॉ एण्ड आर्डर को मेन्टेन करती है और सब कुछ काम करती है, उस पर क्या असर पड़ता है। आज, अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों पर लाठी-चार्ज हुआ, और जिन्होंने लाठी-चार्ज किया उन लोगों के मस्तिष्क में यह बात जरूर आ गयी होगी कि सरकार इस हड़ताल को उचित नहीं मानती है और सरकार इस आन्दोलन को कुचलना चाहती है। जिस प्रकार की भाषा का आज से चार दिन पहले प्रयोग किया गया है उससे एक बात का अनुमान तो निश्चित रूप से लगा सकती है कि सरकार इस आन्दोलन को किसी प्रकार से कुचलना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, मशीनरी को इस प्रकार का संकेत मिल जाय तो मशीनरी फिर अपने किसी भी ढंग से उस आन्दोलन को कुचलने की कोशिश करती है। यह तो आपको मानना पड़ेगा, मशीनरी अपने ढंग से मूव करेगी और अपने ढंग से सारी चीजों का निपटारा करेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हड़ताल हो रही है आखिर इस हड़ताल का कहीं न कहीं तो अन्त करना पड़ेगा। आज चाहे स्वायत्त शासन मन्त्री जी यह कह कर बात टाल दें कि आज जयपुर शहर में सफाई हो रही है, आज सड़कों की सफाई हो रही हैं और शहर में किसी प्रकार की गंदगी नहीं है लेकिन वास्तविकता को यह कह कर नहीं ढका जा सकता है। आखिर शहर में गंदगी है और उस गन्दगी को साफ कराने के लिये सरकार को ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। सभी जगह पर सफाई मेंन्टेन कराने में निरन्तर ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। जो जितना काम करना चाहता है उतना काम करके चला जाता है और फिर हर शाम को उनको भुगतान भी करना पड़ता है। सारी पुलिस और सरकारी मशीनरी इस हड़ताल को दबाने के लिये लगी हुई है। स्वयं स्वायत्त शासन मन्त्री जी इस के लिये चिंतित हैं, नगर-परिषद चिंतित है, सारी सरकारी मशीनरी इसके लिये चिंतित है कि इस समस्या का किसी प्रकार से समाधान किया जाय। इसके लिये चिन्ता सरकार को भी करनी पड़ती है अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दो तीन दिन से इस मसले के लिये मुख्य मन्त्री जी से बात करके इसको निपटाने की वर्या व्यवस्था की जाय, इसकी बात करना चाहता था। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई क्रेडिट लेने के लिये यह नहीं करना चाहता हूं। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें बात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह है कि स्वायत्त शासन मंत्री जी ने इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, और समस्या आज हरिजनों और स्वायत्त शासन मंत्री जी के बीच फंस गयी है। उन्होंने इस बात को अपनी इज्जत का प्रश्न बना लिया है। उनका कहना है कि हरिजनों की तो यह आदत पड़ गयी है, मैं उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हूं। इधर उन्होने यह कहा और उधर हरिजनों ने यह तय कर लिया कि हम आंदोलन करेंगे। अब इन दोनों के बीच में कहीं न कहीं, कोई न कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अब ऐसी स्थिति में मुख्य मंत्री जी के सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है जो कि इस मसले को निपटा सके। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा में पिछले चार दिन से मुख्य मंत्री जी अनुपस्थित हैं। मुख्य मंत्री जी की चार दिनों की अनुपस्थिति से मैं यह समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, अगर मैं बड़े शब्दों में कहूं तो यह है कि विधान सभा उनकी निगाहों में कुछ नहीं है, और दूसरे शब्दों में कहूं तो इसका मतलब यह है कि सदन का कोई महत्व उनके लिये नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रसंग में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो लाठी-चार्ज कल हुआ था उसके लिये माननीय गृह मंत्री जी, जो यहां पर बैठे हैं, को सदन में खेद व्यक्त करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी कल वाले लाठी चार्ज को लाठी-चार्ज तो नहीं मानेंगे लेकिन, अध्यक्ष महोदय, पुलिस और हरिजन दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं वह कोई मध्य प्रदेश से नहीं आये या और दूसरे प्रदेशों से नहीं आये थे। आखिर वह भी राजस्थान के सरकारी कर्मचारी थे चाहे वह पुलिस कर्मचारी थे चाहे हरिजन कर्मचारी थे। उन में किसी प्रकार का भेदभाव क्यों बरता गया? जो हरिजन कर्मचारी मेडिकल एग्जामिनेशन कराने गये उनका तो आपने एग्जामिनेशन नहीं होने दिया बल्कि उन्हें आपने पकड़ कर कोतवाली में लाकर बैठा दिया और अपने पुलिस के लोगों को गाड़ी में ले जाकर उनका आप मेडिकल एग्जामिनेशन करा लाये। आखिर आपने यह भेदभाव क्यों बरता जब कि दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं? यह आपने डिक्रिमिनेशन क्यों किया? इसका मतलब यह हुआ कि सरकार इस हड़ताल को, इस आंदोलन को डन्डे के जोर से कुचलना चाहती है। यह तो डेफिनेट हो गया। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यह सही है कि आपके हाथ में सरकार है, आपके हाथ में पुलिस है, आपके हाथ में गोली है और आपके हाथ में लाठी है, आप हरिजनों की मांग को इनके सहारे कुचल सकते हैं और आप कुचलने की ताकत भी रखते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, यदि यही हरिजन और दूसरे लोग संगठित होकर सरकार के सामने हो गये तो वह किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। न आपको छोड़ने वाले हैं, और न, उस समय कोई भी सरकार हो, उसको छोड़ने वाले हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप, जो यह लोकतन्त्र की व्यवस्था है उस व्यवस्था को चुनौती मत दिलाओ, आप ऐसा वातावरण मत बनाओ। यदि आप मांग मंजूर नहीं कर सकते हैं तो आपको ऐसा वातावरण बनाना चाहिये कि जिससे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसका अन्त हो। मैं समझता हूं कि इसके लिये स्वायत्त शासन मंत्री जी को खुद को बातचीत करनी चाहिये थी। अगर वह बात नहीं करना चाहते थे तो आपकी कांग्रेस पार्टी के पांच विधायक, कांग्रेस के कोई भी पांच सीनियर विधायक जाकर उनसे बातचीत करते। अगर वह भी नहीं करें तो जो भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री जी हैं वह उनसे बातचीत करते। अगर वह भी नहीं करें तो माननीय परसराम जी मदेरणा, जो कि सीनियर मंत्री हैं, उनसे बात कर लें। आखिर, अध्यक्ष महोदय, कहीं न कहीं, जो रोड़ा आ रहा है उसको तो निकालना पड़ेगा। अगर आप डन्डे के बल से इस समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं कि चाहे आप हरिजनों को विधान सभा के सामने डन्डे मारें, चाहे आप जाकर उन हरिजनों के मोहल्लों में डन्डा चलाइये, पर एक दिन ऐसा आयेगा कि दुनिया में वह ताकत आ जायेगी और वह ताकत पैदा करनी पड़ेगी कि जिस डन्डे से आपने गरीब को मारा है उसी डन्डे को वह गरीब पकड़ेगा और उसी डन्डे से वह आपको मारेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप ऐसा वातावरण न बनावें। यह वातावरण न आपके अनुकूल पड़ता है और न ही इस प्रकार का वातावरण सरकार के लिये ही अनुकूल पड़ता है। इस प्रकार का वातावरण लोकतन्त्र की व्यवस्था और लोकतन्त्र के प्रतिकूल पड़ता है। इसलिये, मुख्य मंत्री जी तो यहां हैं नहीं, यहां पर परसराम जी मदेरणा साहब बैठे हैं, उनको नम्रतापूर्वक, बड़ी ही विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी लाठी के बल, अपनी ताकत के बल पर हरिजनों के आंदोलन को कुचलने की चेष्टा मत कीजिये। उनकी समस्या का डन्डे से समाधान करने की चेष्टा आप मत करो। उनको बुलाओ और आप उनसे बातचीत करो। बातचीत के दौरान, हो सकता है आप में और उनमें समझौता न होने में कोई तनाव भी पैदा हो सकता है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब समझौता रूस और अमेरिका में हो सकता है, जब समझौता हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में कुछ मसलों पर हो सकता है, जब पहाड़िया के ग्रुप में और शिवचरण जी माथुर के ग्रुप में कुछ मसलों पर समझौता हो सकता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि हरिजनों और इस सरकार के बीच में समझौता क्यों नहीं हो सकता है। जब हरिजन और यह सरकार दोनों ही श्रीमती इन्दिरा गांधी की जय बोलती हैं फिर इनके बीच में समझौता क्यों नहीं हो सकता है? इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कल की घटना के लिये गृह मंत्री जी यहां पर खेद प्रकट करें। माननीय श्री परसरामजी मदेरणा से निवेदन करना चाहूंगा कि श्री श्रीराम गोटेवाला के भरोसे अगर वह सोचें कि इस समस्या का कोई हल निकल जायेगा तो वह बात नहीं है। हालांकि श्री श्रीराम गोटेवाला बहुत होशियार हैं, वह कुछ करना चाहते है, और उनके मन में भी है कि कुछ देना है, पर यह तब ही हो सकता है जब यह कुछ करना चाहें। पर इन्होंने तो इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। यह चाहें तो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं लेकिन यह करना नहीं चाहते हैं। इसलिये मैं,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, श्री परसरामजी मदेरणा से निवेदन करना चाहूंगा कि वह श्री श्रीराम जी की प्रतिष्ठा को बचायें। क्योंकि मुख्य मंत्री जी तो, अध्यक्ष महोदय, सदन में आते नहीं हैं, हमारे सामने तो रोजाना यहीं बैठे रहते हैं, इसलिये इनको ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को हाथ में लेकर इसका निपटारा करावें।

मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि मेरा या पचेरवाल जी या सम्पतराम जी, जिनका भी इस मसले को तय कराने में आप सहयोग लेना चाहें, निश्चित रूप से सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपील करूंगा कि आप इस मामले को निपटाने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतराम।

श्री सम्पतराम (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, पक्ष और विपक्ष की काफी बातें सदन के सामने आई। लाठी-चार्ज करने का औचित्य था या नहीं था लेकिन जो कुछ यह सदन के सामने हुआ गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ। सभी माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करते हैं, और शायद सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है। मैं एक और बात अर्ज करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आन्दोलन हमारे देश में बहुत होते हैं, लेबर क्लास के भी एजीटेशन होते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, राज्य कर्मचारियों का भी आन्दोलन होता है, स्ट्राइक होती है और उनकी भी निश्चित मागें होती हैं और जितने भी सरकार के साधन होते हैं उनके मुताबिक कोई भी सरकार उसका निपटारा करने की बात भी सोचती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि आज जो समाज आपके सामने अपनी मांगें लेकर आया है क्या वह समाज का हिस्सा नहीं है, हमारे दूसरे स्ट्राइक करने वाले जो लोग हैं वे समाज के नहीं हैं? लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हो सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के साथ-साथ सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं। वे बेचारे आज मजबूर हैं आपकी गलियों को साफ करने के लिए। आज उनके अपने साधन नहीं होते हैं। यदि किसी हलवाई की दुकान पर जाकर कोई हरिजन बरतन साफ करना चाहे तो, माफ करना, कितने हलवाई उसको रखेंगे? आज प्याऊ के ऊपर कोई दूसरा आदमी 50 रुपये महीना ले और वह 25 रुपये में तैयार हो जाये तो कितने जैन हैं जो उनको प्याऊ पर रखेंगे? सामाजिक तौर से एक पिछड़ा हुआ तबका है। राजनीतिक आजादी मिलना अपने आप में अधूरा है जब तक कि हम सामाजिक तौर से या आर्थिक दृष्टि से उनको ऊपर नहीं लायें। आज कितना भी कोई वैल टु डू आदमी है लेकिन यदि सामाजिक दृष्टि से उसको छोटा समझा जाये तो उसका स्वाभिमान गिरता है। यदि देश के एक भी नागरिक का स्वाभिमान गिरता है तो उससे हमारे भारत का स्वाभिमान गिरता है। हमारी राजस्थान कैनाल में इतना घोटाला, हो गया, हम दुनिया भर की तनख्वाहें देते हैं, हम दुनियां भर के दान देते हैं फिर क्यों नहीं हम पिछड़े तबके लिए कुर्बानी करें और जो उनकी उचित मागें हैं उनको दे दें। इसमें क्या जुल्म होगा? आप एम. एल. एज.

(श्री सम्पतराम)

तनख्वाह में से काट लीजिए। आज बहुत से लोग हैं जो कुर्बानी करेंगे, उनसे ले लीजिए। नगर-नगर में घर-घर से चन्दा ले लीजिए लेकिन शोषित और गरीब तबके के लिए कुछ तो कीजिए, जो कि सबसे पहले आपको सलाम करता है, आपसे दूर रहता है, झूटन आपकी खाता है, खाट पर आपके सामने नहीं बैठता, ईश्वर का पुजारी है। जैसी हमारी कांग्रेस सरकार और गांधी जी की बुनियादी नीति है मैं समझता हूं कि आपको बोल्ड एनफ होकर काम करना पड़ेगा जैसा अभी भैरोंसिंह जी ने कहा, इनका जवाब देंगे। इसका जवाब यह नहीं है। शोषण रोज होते रहेंगे लेकिन सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उनको जब तक ऊपर नहीं उठाया जायेगा तब तक कुछ नहीं होगा।

आज भैरोंसिंह जी ने लाठी देख ली, खून देख लिया लेकिन आज बहुत गरीब हैं जिनके घरों मे खून पड़ा हुआ है उसको कौन देखने वाला है? उनको भी देखने के लिए जाने वाला कोई चाहिए। आज जरूरत इस बात की है। आज बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, बड़ी-बड़ी चीजें बनती है और कितने ही लेबर मजदूर हैं हमारे सामने हम गरीब से गरीब आदमी को ऊंचा उठाने की बात करते हैं। आप छोड़ दें दूसरों को बनाने की बात। हमारे मेहतरों को ले लीजिए। समाज के सबसे निम्न स्तर के लोग हैं। उनकी बहबूदी के लिए हमारा बीस सूत्री कार्यक्रम लागु होगा और उसमें हम पैसा लगायेंगे। उसमें वैल टु डू हैं उनको छोड़ दीजिए। वह झाड़ू लगाने नहीं आते, और काम करके चले जाते हैं। तो आज जो सामाजिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से और आर्थिक तरीके से शोषित हैं उनके लिए हमको जवाब नहीं चाहिए, हमको उनके लिए पेट भर रोटी चाहिए, शिक्षा चाहिए, समाज में आदर चाहिए। वह तो जो मिलेगा, वह बदलेगा समाज अपनी तरह से बदलेगा, लेकिन आपको चाहिए कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। आप अपने सोर्सेस जुटाइये। जहां तक हो सके आप जमीनों को नीलाम कर सकते हैं, आप चन्दा लगा सकते हैं, आप हरिजनों के वेलफेयर के नाम से टैक्स लगा सकते हैं। राजस्थान की जनता के ऊपर एक-एक रुपया लगा दें सारे राजस्थान के लोग चन्दा देंगे। लेकिन उन बेचारों की बात तो सुनो, उनका कोई मसला हल करो। यह शक्ति परीक्षण का समय नहीं है। वह तो गरीब हैं उनसे कहां लड़ रहे हो? शक्ति परीक्षण का समय तो समाज के सामने बहुत आयेगा। तो मेरी गुजारिश है, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि इसे मानवीय समस्या एक सामाजिक पहलू मानकर, देश की प्राथमिक आवश्यकता मानकर हमारा परम कर्तव्य हो जाता है कि हम कोई निश्चित निर्णय पर पहुंचें और उनकी मांगों को स्वीकार करें। आखिर मांगें क्या हो सकती हैं? वह बेचारे गरीब हैं, सत्ता के सामने उनका क्या टिकाव? वह तो रो धोकर बैठ जायेंगे, उनका क्या है। इसमें कोई बड़प्पन आपको तब मिलेगा जब उनकी मांगों को स्वीकार करेंगे। आप ऊंचे उठेंगे। वह तो बेचारे वहीं के वहीं रहने वाले हैं। उनका कोई भला होने वाला नहीं है। तो आप अपने दिल को साफ करके जितने आपके पास साधन हैं उनके अनुसार आप उनका फैसला कीजिए। अगर पैसा नहीं है तो राजस्थान

(श्री सम्पतराम)

की जनता पर हरिजन वैलफेयर के नाम से टैक्स लगा दें ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सम्पतराम :....अपने आप डाकखाने में जमा करा देंगे। आपकी मंशा होनी चाहिए। यही मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री श्रीराम गोटेवाला (स्वायत्त शासन राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि इसमें कोई मेरे द्वारा उत्तर देने की बात नहीं थी लेकिन अभी सम्माननीय सदस्य, जो केशोरायपाटन से आते हैं, ने जिस प्रकार की और जिस भाषा में बातें कही और जिस प्रकार के आरोप जोश-जोश के अन्दर मेरे ऊपर भी लगाये उसके सम्बन्ध में तो विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज की हड़ताल को सुलझवाने के लिए विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने भी कहा और पचेरवाल साहब सब बैठे थे वहां पर, बात भी हुई थी। मैंने उनसे एक ही बात कही, जिस आदत का विरोधी दल के नेता महोदय ने उल्लेख किया, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैंने उस रोज भी कहा था मीटिंग में कि हड़ताल करते हो तो कोई नोटिस तो देने की बात करो, कोई बैठकर बात तो करो, कोई मांग तो बताओ कि तुम्हारी यह मांगें बाकी रहती हैं। सम्माननीय सम्पत राम जी ने कहा, मैं उनकी इज्जत करता हूं, मैं स्वयं मानता हूं, हमारी राजस्थान की सरकार ने भीलवाड़ा और मकराना के भंगी कष्ट मुक्ति आन्दोलन में शामिल हो करके मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए कदम उठाये हैं और उसके लिए राजस्थान की सरकार ने 5 लाख रुपये करीब 6 महीने पहले दिये हैं। इस प्रकार की हमारी योजना सारे राजस्थान में है। यह मैं स्वयं चाहता हूं, आज भी हमारे सिर पर यह कलंक है कि एक इन्सान का मैला इन्सान ढोकर ले जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सम्माननीय नेता महोदय और विरोधी दल के नेता महोदय, या जो भी बुजुर्ग बोले हैं वह कम से कम मांग तो देखें कि कोई मांग है या नहीं या बिना किसी मांग के रोज शाम को 3 बजे मीटिंग और दूसरे दिन काम पर नहीं आयेंगे।

श्री अध्यक्ष : मांग क्या है, ध्यान में है क्या आपके?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मांग पत्र भी मैंने पढ़ा है और मांगें भी मेरे ध्यान में हैं लेकिन बात किससे करूं?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करूंगा, मुझे पता नहीं। यह श्रीमान् फरमा दें। मैं उसके बारे में दूसरी बात कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन मैं इतना ही अनुरोध करता हूं, यह कहते हैं कि मैं बात किससे करूं और मैं यह पूछता हूं कि मांगें क्या हैं जिनके ऊपर बात करूं।

जहां तक प्रतिष्ठा की बात के लिए कह रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वह हरिजन हमारे अंग हैं। मैंने उस रोज भी

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

सारी बातों का रेफरेन्स देते हुए बातें कही थीं, उनकी जेल में चिट्ठी आई वह भी मैंने यहां पर पढ़कर सुनाई थी। मैंने उसके बारे में कहा था कि हमारे और उनके बीच में सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध हैं लेकिन बीच में कुछ तत्व ऐसे आ गये जो जान बूझकर उनके हितों पर चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राजस्थान की वर्तमान सरकार हर कीमत पर हरिजनों का उद्धार करना चाहती है, प्रयास करना चाहती है। हमारी कोशिश है कि अकेले जयपुर शहर में ही नहीं राजस्थान के विभिन्न शहरों के अन्दर हम गटर लाइन डलवा देंगे। इसकी ठीक व्यवस्था करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। अब इसमें समय लगेगा, साधन चाहियें। सारी नगरपालिकाओं को उसके लिए हिदायत दी जा रही है। अब कोई एक दिन का तो, अध्यक्ष महोदय, यह काम नहीं है। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि हमारी सरकार कमिटेड है इस बात के लिए कि यह हमारे सिर पर कलंक है कि इन्सान का मैला इन्सान सिर पर ढोकर उठाये। उस सारी बात के लिए और इनके मोहल्लों के विकास के लिए, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, के लिये जितने साधन दिये जा सकते हैं वह सारे साधन दिये जा रहे हैं। मैं पुन: आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा, मैंने उस दिन भी कहा था कि कोई बदले की भावना नहीं है। और फिर बदला किससे लें ? मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि वर्तमान में सरकार ने इस बात की व्यवस्था की है कि सफाई की समुचित व्यवस्था रहे। हमारे कांग्रेस (आई) के सैंकड़ों कार्यकर्ता हर मोहल्ले के अन्दर जा जाकर सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं। उस रोज गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य बड़े भावुक हो रहे थे कि चांदपोल हनुमानजी के साथ हमारे बड़े भावनात्मक सम्बन्ध जुड़े हुए हैं, वहां गन्दगी है, तो वहां भी कांग्रेस (आई) के सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने सारे बाजार में खड़े रहकर सफाई की व्यवस्था की है। खाली कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओं ने ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैंने उस रोज आंकड़े दिये थे, पूरे फिगर्स तो मुझे इस समय याद नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण के लिये क्यों बोल रहे हैं आप ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : 1832 कर्मचारी, जिनमें करीब एक हजार स्थाई कर्मचारी हैं, आज वहां पर, अध्यक्ष महोदय, काम पर हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग और सारी स्थिति के बारे में इतना ही अनुरोध कर दूं कि जो पिछली हड़ताल 25-6-1982 को हुई थी, उसमें जो फैसला हुआ था उसमें दो सौ कर्मचारियों को और रखने की बात हुई थी क्योंकि इनको रोजगार चाहिये और अन्य कोई इनको नौकरी नहीं देते हैं। यद्यपि हमारा जो हिसाब है उस हिसाब से हमारे यहां 4 हजार 640 कर्मचारी होने चाहिये लेकिन आज 5 हजार दो सौ के करीब सफाई कर्मचारी हमारे यहां पर हैं। फिर भी इनको कोई राहत नहीं मिलती है इसलिए दो सौ की और हमने स्वीकृति दे दी।

झगड़े की जड़ यही है कि जिस मेहतर मजदूर संघ के श्री पचेरवाल जी. महामन्त्री हैं, मुझे पता नहीं किस पद पर हैं, उनका कहना था कि हमारी मार्फत नौकरी दी

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

जाय और हमने यह किया कि नौकरी एक-एक लाटरी निकल कर जितनी एप्लीकेशन्स आई थीं उनको नौकरी दी। काफी हद तक झगड़े का विवाद यही है और इस विवाद को लेकर अनावश्यक रूप से यह हड़ताल हुई है। इस बात के लिये मैं अनुरोध करता हूं कि अनावश्यक रूप से ये उनका अहित करवा रहे हैं सरकार की तरफ से कहीं कोई बदले की भावना नहीं है।

यह सही है कि आवश्यक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत या जैसा कि मैंने उस रोज निवेदन किया था, अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण विधेयक, 1970 की धारा 3 (1) के अनुसार 31-3-1982 से स्थानीय निकायों जैसी समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध घोषित की हुई है। अब जो वफादार कर्मचारी हैं उन्हें अनावश्यक रूप से काम पर जाने से रोकेंगे उनके प्रति इस कानून के तहत कार्यवाही करेंगे। फिर भी हम अनुनय-विनय करके काम को निपटाने की बात कर रहे हैं। अब मैं पुन: आपके माध्यम से अपील करता हूं कि जो भी अपने प्रभाव का उपयोग कर सकें, इस सम्बन्ध में करें और अगर उनको सद्बुद्धि दिलाने का प्रयत्न कर सकते हैं तो वह करें। सरकार कहीं पर भी उसमें बाधक नहीं बनने वाली है और कहीं पर भी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। लेकिन प्रश्न एक ही है कि जब काम करेंगे तो ही वेतन मिलेगा। जो आदमी जिस समय काम नहीं करेगा उसको वेतन तो नहीं दिया सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जब कोई मांग पत्र ननहीं है तो हड़ताल कैसे होगी ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपकी अनुमति से····

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, यदि गृह राज्य मंत्री को सुनना चाहें, तो····

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हम सुनने के लिये तैयार हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, यह कुछ प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया जैसे मांग पत्र····

श्री अध्यक्ष : कैसी प्रतिष्ठा का प्रश्न ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने भाषण आज भी सुना है और पहले भी सुना है, कुछ ऐसी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया कि वह तो यह तक भी कहने लग गये हैं कि कोई मांग-पत्र नहीं है, और कि उनकी मांग क्या है ? मैं ऐसा समझता हूं कि उनके साथ बैठकर कोई बात-चीत हो जाय, उनकी समस्या का निराकरण हो जाय, इसकी कोई संभावना नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, माननीय राजस्व मंत्रीजी, कि क्या दोनों के बीच में मध्यस्थता कर सकते हैं ? मुझे आशा है कि यदि उन्होंने मध्यस्थता का काम किया तो कोई संभावना हो जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यदि माननीय सदस्य सुनना चाहें गृह राज्य मंत्रीजी को तो मैं उनको अवसर दे दूं वरना इस पर चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : श्री के० के० चौधरी घूस खाना चाहते थे इसलिये हमने ही लॉटरी की मांग की थी और हमने ही लॉटरी निकलवाई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दो बातें कहनी हैं। श्रीमन्, इनका कहना है कि सरकार लाठी के बल पर हड़ताल को तुड़वाने का इरादा रखती है। सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह हड़ताल करीब 30-8-82 से चल रही है, कई रोज यहां पर उन्होंने प्रदर्शन किये पर कभी कोई कन्फ्रंटेशन का अवसर नहीं आया। इस विधान सभा के समक्ष इस सत्र के दौरान ही प्रदर्शन हुये, पर किसी संघ से या आर्गेनाइ-जेशन से कोई कन्फ्रंटेशन का अवसर नहीं आया, सिर्फ कल की स्थति यह है कि उन्होंने ट्रैफिक को रोक दिया, ट्रैफिक के बीच में कुछ गाड़ियां फंस गई....

श्री अध्यक्ष : वह आपने फरमा दिया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो 13 आदमी घायल हुए हैं उनमें से कस्टडी में कोई नहीं है, इसको मैंने वेरिफाई कर लिया है। दुबारा कोई इन्जर्ड नहीं हुआ है, इसके अन्दर पुलिस ने बड़े संयम से काम लिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आप खुद जाकर देख लें, सब घायल हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस तरह की चर्चा की मैं इजाजत नहीं दूंगा। चर्चा समाप्त हुई।

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि वहां पर कोई घायल है या नहीं है ? तो, अध्यक्ष महोदय, आप विधान सभा की एक कमेटी बनाकर उससे जांच करवा लें कि घायल है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृषि मन्त्री महोदया।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायकों की एक कमेटी बनाकर जांच करवा लें कि मन्त्रीजी ने जो कहा है सही है····

श्रीमती उजला अरोड़ा : 13 व्यक्ति घायल हैं। किसी के हाथ टूटे हुये हैं, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी के सिर पर लगी हुई है। चल नहीं सकते हैं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बैठिये। आर्डर प्लीज। माननीय कृषि मन्त्री।

कोटा जिले में सिंचाई विभाग द्वारा दाईं मुख्य नहर से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध न कराने से फसलों को होने वाली क्षति

श्रीमती कमला (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले की चम्बल की नहरों से सिंचाई के लिए प्रतिवर्ष अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जल वितरण कमेटी की मीटिंग आमंत्रित कर दाईं-बाईं मुख्य नहर प्रणालियों में जल प्रवाह का कार्यक्रम तय किया जाता रहा है।

(2·28 म० प०)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वर्ष 1981-82 में राजस्थान एवं मध्यप्रदेश कन्ट्रोल बोर्ड की स्टेण्डिग कमेटी नम्बर 2 द्वारा दिनांक 24-9-81 को दोनों राज्यों की नहरों में पानी का वितरण तय किया गया जिसका अनुमोदन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की बैठक में किया गया। इस प्राधिकरण की बैठक में राज्य अधिकारियों के अतिरिक्त कृषि एवं सिंचाई विशेषज्ञ व राज्य सरकार द्वारा मनोनीत जन प्रतिनिधि एवं कृषक प्रतिनिधि भी शामिल थे।

वर्ष 1981–82 में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा यह कार्यक्रम दिनांक 26–9–1981 को 17 मार्च, 1982 तक के लिये तय किया गया। मार्च, 18 से 25 तक अतिरिक्त मांग की पूर्ति बान्धों से पर्याप्त पानी उपलब्ध न होने के कारण नहीं की जा सकी।

माह मई, 1982 में जलाशयों में पानी की नगण्य स्थिति के कारण धान नर्सरी हेतु पानी देना संभव नहीं था अत: इस हेतु समय पर सबको सूचना/विज्ञप्ति प्रसारित कर दी गई थी कि नहरी क्षेत्र में यह कार्य हाथ में न लें। वर्षा अच्छी होने के उपरान्त जलाशयों में पानी एकत्रित हो जाने की स्थिति में तथा कृषकों की मांग को देखते हुये खरीफ की खड़ी फसल को बचाने के लिये दिनांक 13–9–1982 से दाईं नहर में पानी चालू कर दिया गया है। दिनांक 16–9–1982 यानि आज से 2000 क्यूसेक्स पानी चलने लगेगा जो आवश्यकता की पूर्ति कर सकेगा।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ कि 18 से 25 मार्च तक पानी इसलिये नहीं दिया गया कि पानी नहीं था, सिंचाई मंत्री यहां बैठे हुये हैं। जब आप मन्त्री नहीं थीं तब मुझे आपने एक बार चर्चा में कहा था कि जब मैं बोलती हूं तो

86

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

मेरा सेक्रेटरी नोट करता है और इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं मुझे उसकी रिपोर्ट करता है। सिंचाई मन्त्रीजी ने और कृषि मन्त्रीजी ने जो यहां आश्वासन दिया वह पूरा नहीं हुआ। आपका सदन में दिया हुआ आश्वासन भी पूरा नहीं होता है, यह मुझे आज इनके वक्तव्य से मालूम पड़ा। इस सदन में पिछले सत्र में आपने विश्वास दिलाया था कि 18 से 25 मार्च तक पानी चलाया जायगा और आज कृषि मन्त्री जी जवाब दे रही हैं, पानी इसलिये नहीं चलाया जा सका कि उसमें पानी नहीं था। यह बात जो आज इनके मुंह से कहलवा रहे हैं, आप ही उस समय कह देते कि पानी नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिक्कत यह आ गई है कि चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड की जो कमेटियां बनी हुई हैं, उन कमेटियों में सामंजस्य नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व उसमें होता है उसमें भी जो गत वर्ष मीटिंग हुई थी स्टेण्डिग कमेटी नं० 1 की, उसमें मध्य प्रदेश का कोई प्रतिनिधि नहीं आया। उसके मिनट्स की कॉपी मैंने यहां प्रस्तुत की है, उसको मध्य प्रदेश ने नहीं माना। पिछली स्टेण्डिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई हुई थी उसमें हमारे राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि, यदि मैं कहूं, मुख्य मंत्रीजी नहीं थे। वे यह आश्वासन दे आये कि जो जोइन्ट कमेटी है उसमें तीसरी पार्टी सी. डब्ल्यू. सी. को भी वे बनावें। उस समय उनका ध्यान नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं। जब यहां के आफिसर्स ने कहा तो उनका ध्यान आया, तब उस स्टेण्डिग कमेटी के मिनट्स को राजस्थान ने मानने से इन्कार कर दिया। एक स्टेण्डिग कमेटी की मीटिंग के मिनट्स को मध्य प्रदेश ने मानने से इन्कार कर दिया, दूसरी हुई उसको राजस्थान ने मानने से इन्कार कर दिया। कैसे माना जाय? और आप विश्वास दिलाते हैं कि पानी चल गया। यह पानी वैसे ही चलेगा जैसा 18 से 25 तक चला था। मुझे आश्चर्य होता है, हमारे सिंचाई मंत्रीजी ने अभी कुछ दिन पहले यह आश्वासन दिया था राजस्थान नहर के प्रश्न पर कि हमको पंजाब से पर्याप्त पानी मिल रहा है। यह सदन को आश्वासन दिया था। आज मैंने मुख्य मंत्री जी का भाषण पढ़ा, वे कहते हैं केन्द्र सरकार को यह आपत्ति है कि पंजाब हमारे साथ में अन्याय कर रहा है। मुख्य मंत्री जी सही हैं या सिंचाई मंत्री जी सही हैं– यह बात मेरी समझ में तो आई नहीं। यह आश्वासन आप उसी प्रकार का दे रहे हो जैसा आपने दो हजार क्यूसेक्स पानी छोड़ने के बारे में दिया था। क्या दो हजार क्यूसेक्स पानी छोड़ने से आर. एम. सी. में कोई नहर चल सकती है? मेरा पहला प्रश्न है। इसके बारे में पिछली बार भी आपने कहा था कि पानी नहीं छोड़ा जा सका। छोड़ा गया केवल ढाई हजार क्यूसेक्स पानी 18 से 25 तक आर. एम. सी. की केपेसिटी क्या है और जो नहरें उसमें से निकलती हैं उनका लेवल क्या है? उसमें कितना पानी चल सकता है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सिंचाई विभाग के अधिकारी नहरें बनाने में तो इन्ट्रेस्टेड हैं लेकिन पानी कब चलना चाहिये, फसलें सूख रही हैं या हरी हैं, यह देखने का कष्ट सिंचाई विभाग

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

के इंजीनियर्स नहीं करते । इनको आप पहले खेती की ट्रेनिंग दीजिये ताकि किसान की खेती से इनकी आत्मीयता हो जाय कि पानी कब छोड़ना चाहिये और कब नहीं छोड़ना चाहिये ।

मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं जुलाई का महीना पूरा निकल गया, वर्षा नहीं हुई, अगस्त के महीने में लोगों ने सोइंग किया और सोइंग करने के बाद जो वर्षा शुरू हुई। लोगों ने बीज तो सूखे में डाला और जब वर्षा शुरू हुई तो 30 दिन तक लगातार वर्षा हुई, कई-कई जगह । 19–20 अगस्त तक ऐसी वर्षा हुई कि जो बुआई सूखे में हो गई वह तो हो गई और जो बो फसलें दीं, वह सारी की सारी फसलें गल गईं। तिल्ली की फ़सल नष्ट हो गई, मक्का की फसल नष्ट हो गई, बहुत सारी ज्वार नष्ट हो गई। जो ज्वार थोड़ी बहुत थी वह बीज के कारण नहीं उगी ले देकर के जो 2-3 फसलें थोड़ी बची हैं उनको भी यदि समय पर पानी नहीं मिला, सिंचाई विभाग की गड़बड़ रही तो ये सारी फसलें सूख जायेंगी । आज एक-एक बून्द के लिये वहां त्राहि-त्राहि हो रही है। मैं स्वयं के. सी. ए, डी. के कमिश्नर से मिलकर आया हूं। मैंने कहा फसलें सूख रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिला कृषि अधिकारी, बारां और कोटा ने भी लिखकर दिया है कि हम दौरा करके आये हैं, फसलें मुरझा गई हैं। आज कितनी गर्मी है, उपाध्यक्ष महोदय, कैसी पड़ रही है गर्मी । आपको भी कमरे में कूलर की जरूरत पड़ती है । हम भी एयर-कन्डीशन में बैठे हैं लेकिन आज एक महीना हो गया फसलों को पानी नहीं मिला । मैं कहता हूं, आपके पास पानी कम है ? आपने अपने स्टेटमेंट में यह नहीं बताया कि गान्धी सागर में कितना पानी आ गया है । आपने यह नहीं बताया कि आप हमको इस फसल में कितना पानी दे सकेंगी, आगे कितना देंगी, मन्त्री महोदया ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर मन्त्री तो आपकी सुनते नहीं हैं, आप उनको हटाना चाहती हैं वे हटते नहीं हैं····

(व्यवधान)

सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी—आप कहिये, आपकी बात मानते हैं ?

श्रीमती कमला : उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं यही कह रहा हूं, इस विभाग के सेक्रेटरी तो आपकी बात मानें नहीं । आप यदि पर्सनली देखेंगी जितना पानी उपलब्ध है मैं यह नहीं कहता कि पानी की पूरी डिमाण्ड फुलफिल की जाय—ऐसा नहीं है मगर जितना पानी उपलब्ध है वह पानी समय पर किसानों को मिल जाय और उससे ठीक-ठीक पानी का उपयोग हो सके तो किसानों की फसल बच जाय यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । मैं जानता हूं, गेहूं की फसल के लिये आप पूरा पानी नहीं दे सकती हैं क्योंकि यह सरकार कमजोर है। मध्य प्रदेश ने पानी रोक लिया । आपकी सरकार

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

ने रोका, हमारी सरकार ने रोका यह विवाद का प्रश्न है लेकिन यह सिद्ध हो सकता है, कैसे रोका और कब रुका, इसका आप क्या जवाब देंगी यह मैं जानता हूं। लेकिन उन्होंने जब हमारे साथ ज्यादती की है तो हम भी हमारा जो पानी है, राजस्थान का, उसका पूरा-पूरा उपयोग कर सकें इसका प्रयत्न करें ताकि किसानों को पानी मिले।

यह जो बताया गया है कि किसान प्रतितिधि भी बुलाये जाते हैं तो क्या आर. एम. सी. के किसी भी कैनाल पर कोई जल वितरण समिति बनी हुई है ? किन किसान प्रतिनिधियों को बुलाते हैं आप ? किस हैसियत से बुलाते हैं आप ? क्या आपने उनमें से किसी किसान प्रतिनिधि को नॉमिनेट कर रखा है ? उनको कोई नहीं पूछता। वहां बैठकर जो वे करते हैं वही हो जाता है। जब पानी की जरूरत नहीं होती है तो पानी छोड़ते हैं और जब जरूरत होती है तो नहरें बन्द हो जाती हैं। आप देख रही हैं, कितना पानी वेस्ट हो रहा है, कितने नालों का पानी व्यर्थ जा रहा है जिससे कई हजार एकड़ जमीन सिंचित हो सकती है। किन्तु इस बात का ध्यान सिंचाई विभाग को नहीं है। सिंचाई विभाग तो इन्ट्रेस्टेड है नहरें बनाने में, उनको चलाने में वह इन्ट्रेस्टेड नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस समस्या को व्यक्तिगत रूप से देखें ताकि किसान को समय पर पानी मिल सके और जो फसल थोड़ी बहुत बची है वह किसान को प्राप्त हो जाय। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुर्वेदीजी।

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि-मन्त्रीजी ने बताया, 13-9-82 से दो हजार क्यूसेक्स पानी चम्बल की नहरों में छोड़ा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 13-9-82 से ही पानी क्यों छोड़ा गया, इसलिये छोड़ा गया कि 13-9-82 को यह प्रस्ताव हमने राज्य सरकार को आपके माध्यम से दिया था। राजस्थान सरकार पानी के मामले में, जैसा कि सदन में विरोधी दल के नेता बार-बार इस बात को दोहराते रहते हैं, अक्षय रही है, चाहे वह पंजाब का मामल हो, चाहे हरियाणा का मामला हो और चाहे वह मध्य प्रदेश का हो। मध्य प्रदेश की सरकार ने चम्बल की दो स्टेण्डिग कमेटियां बनाई हैं उनमें से एक है स्टेण्डिग कमेटी नम्बर—1। मैं राजस्थान के कृषि मन्त्री जी पूछना चाहता हूं स्टेण्डिग कमेटी नम्बर 1 की मीटिंग कब हुई ? मैं कहता हूं, अभी तक नहीं हुई। डेढ़, ढाई साल हो गया लेकिन मीटिंग नहीं हुई।

स्टेन्डिंग कमेटी नम्बर–2, इसकी मीटिंग अब तक क्यों नहीं हुई ? जब किसान टुकुरटुकुर अपनी खेती को देख रहा है, जब उसकी फसल जल रही है और जब उसको

(श्री दाऊदयाल जोशी)

खेत के अन्दर पानी की आवश्यकता है तब आपकी राजस्थान में और मध्यप्रदेश सरकार ने स्टेण्डिग कमेटियों की घोषणा की है। आपकी सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने इसकी तारीख तय की है। 29 सितम्बर को। 29 सितम्बर तक तो कोटा जिले के किसान मर जायेंगे तब तक उसकी फसल जल कर राख हो जायेगी। उसके बाद आपकी सरकार सोचेगी कि कितना पानी कोटा जिले को देंगे ? मैं पूछना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदया से कि चम्बल की नहरों से कितना पानी आप छोड़ते हैं ? मैं चम्बल की नहर के किनारे रहता हूं कोटा नगर में। रोज आपका चम्बल, बनास से कितना पानी छोड़ा जा रहा है और कितना वेस्ट हो रहा है यह मुझे अच्छी तरह मालूम है। नदी में तो पानी बहाया जा रहा है लेकिन आपकी सरकार ने यह घोषणा की कि धान नहीं बोया जाय। यह कहकर आपने छुट्टी करदी। 500 क्यूसेक्स पानी राणा प्रताप सागर से जवाहर सागर होता हुआ कोटा आता है लेकिन कोटा की नहरों में वह पानी नहीं जाता है, नदी में बहा दिया जाता है। डेढ़ लाख क्यूसेक्स पानी आपकी सरकार ने पिछले दिनों में, जिन दिनों में कोटा में गन्दा पानी आया था, जैसा कि कल जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री महोदय बता रहे थे, डेढ़ लाख क्यूसेक्स पानी आपने नदी में बहा दिया, फेंक दिया। आप उस पानी को यूटिलाइज कर सकती थीं, आप कोई तरीका निकाल सकती थीं। आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है ऐसी स्थिति में आपने और कोई व्यवस्था नहीं की इससे आज कोटा जिले के किसान पानी के बिना तरस रहे हैं, मर रहे हैं। हमारी फसलें जलती चली जा रही हैं और आप कह रही हैं कि जन प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाकर हम पानी वितरित कर देंगे। कब होगी मीटिंग, हम तो यहां बैठे हैं ? आपने 13 तारीख को पानी छोड़ा। राजस्थान की विधान सभा 5 तारीख से चल रही है और 4 तारीख को हम यहां आ गये। आपने मीटिंग कब बुलायी ? आपके अधिकारियों ने मीटिंग कब बुलायी ? और मीटिंग बुलायी थी तो क्या हमको सूचना दी थी ? जब सूचना देदी तो हम तो यहां बैठे हुए हैं, फिर 13 तारीख को निर्णय कैसे ले लिया गया ? आपके अधिकारी हमें कभी बुलाते नहीं हैं और बुलाते हैं तो उपेक्षा बरतते हैं, हमारी बात पर ध्यान नहीं देते। यह बात मैं कहने जा रहा हूं, जब सरकार कटघरे में खड़ी हुई है तब गर्व के साथ राजस्थान की कृषि मन्त्री जी कह रही हैं कि दो हजार क्यूसेक्स पानी हम छोड़ देंगे। यह पानी टेल के कितने गांवों तक पहुंचेगा ? यह पानी टेल तक पहुंचने वाला नहीं केवल कुछ छोटे-मोटे खेतों तक पहुंचेगा। माननीय कृषि मन्त्रीजी, जिस वाणी से आप अक्सर बोलती हैं, अगर आप सक्षम हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार के सामने लड़िये, मुख्य मन्त्रीजी से लड़िये, सिंचाई मन्त्रीजी से दो-दो हाथ कीजिये और उनको कहिये कि मेरे किसान मर रहे हैं, कोटा जिले के किसान और यह आकर मेरी जान खा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो दो हजार क्यूसेक्स पानी छोड़ा है वह सीवरेज में बह जाता है। कोटा जिले की जितनी नहरें हैं, आप कोटा में देखने गयी हैं, कोटा में कितना बड़ा सीवरेज है। आज

(श्री दाऊदयाल जोशी)

बीस साल होने आये लेकिन आप सीवरेज को नहीं रोक सके, जो जगह-जगह भरा पड़ा है। उसका कोई उपाय नहीं हो रहा है। भगवान के नाम पर, कोटा और गंगानहर दो जिले हैं जो राजस्थान का पेट पाल सकते हैं। एक तरफ तो सारे राजस्थान में लोग अकाल से ग्रस्त हैं, परेशान हैं, जिसकी आवाज कल यहां सुनायी दी थी, दूसरी तरफ कोटा और गंगानगर का जो हिस्सा बचा हुआ है उसको भी आप और आपकी सरकार दोनों पानी देने में अक्षम हैं। गंगानगर की बात लोग बराबर कहते हैं लेकिन यह चल नहीं सकता, अगर कोटा में फसल नहीं हो तो एक तरफ अकाल है उसके कारण लोग परेशान हैं। आशा है, आप इस पर ध्यान देकर दो हजार क्यूसेक्स पानी और बढ़ायेंगे और मध्य प्रदेश से लड़कर हिस्सा लेंगे। यही मेरा कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री जी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उनका क्षेत्र और है।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा की दाईं ओर जो मुख्य नहर है, उससे निकलने वाली इटावा ब्रान्च से मेरे पीपल्दा क्षेत्र की सिंचाई होती है।

श्री उपाध्यक्ष : This is the last.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : But not the least.

श्री हीरालाल आर्य : और मेरा क्षेत्र एकदम टेल पर पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मन्त्रीजी ने अभी जो वक्तव्य दिया है कि 13 तारीख से दो हजार क्यूसेक्स पानी छोड़ा जा रहा है, उसमें आर० एम० सी० की केपेसिटी कितनी है, क्या वह बताएंगी ? आर० एम० सी० की केपेसिटी 6.5 हजार क्यूसेक्स है और जब पूरा पानी छोड़ा जाय तभी नहरें चलती हैं। अब केवल 2 हजार क्यूसेक्स पानी छोड़कर यह कहना कि हमने पानी छोड़ दिया और सिंचाई हो जायेगी, यह सम्भव नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी वितरण के लिए जो कमेटी है उसमें कृषकों का कोई प्रतिनिधि कभी नहीं बुलाया जाता। किसानों को पानी की आवश्यकता है और अधिकारियों में कोई तालमेल नहीं होता, इस वजह से वक्त-बेवक्त पानी छोड़ते हैं। मेरा इलाका टेल पर पड़ता है जिसमें पानी की हमेशा समस्या रहती है। इटावा ब्रान्च कैनाल, केता डिस्ट्रीब्यूटरी, शेरगंज माइनर, लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी और कडालिया माइनर के किसान हमेशा पानी की मांग करते रहते हैं उनके खेतों में पानी नहीं पहुंचता। हमारे क्षेत्र के दो सब-डिवीजनों, मांगरोल और इटावा में जब पानी चलता है तो हमारे किसानों को भी पानी पहुंचना चाहिए। कोई अधिकारी या कर्मचारी मिलता नहीं और किसान की कोई बात सुनता नहीं है। फलस्वरूप किसानों के खेत सूखे रह जाते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि एक तरफ चूंकि मेरा इलाका टेल पर है इसलिए वहां हर साल पानी की आवश्यकता रहती है, दूसरी तरफ आप पानी कम छोड़ रहे हैं तो एक तो पानी

(श्री हीरालाल आर्य)

अधिक छोड़ा जाय ताकि टेल तक पानी पहुंच सके। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हमारे यहां इटावा में सिंचाई डिवीजन हैडक्वार्टर की स्वीकृति दी हुई है लेकिन एक्स० ईएन० इटावा में न बैठकर कोटा में बैठता है जब कि एक्स० ईएन० का दफ्तर लाखों करोड़ों की बिल्डिंग का इटावा में में डिपार्टमेन्ट ने बनाकर रख छोड़ा है। एक्स० ईएन० वहां नहीं बैठता और किसान आते हैं तो वहां ए० ईएन० भी नहीं मिलते। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि एक्स० ईएन० हैड-क्वार्टर के कर्मचारियों को कहें कि गांवों में जाकर किसानों की समस्या को दूर करें।

मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन और है कि इस साल हमारे क्षेत्र में तिल्ली अधिक बोयी गयी है। तिल्ली कटते ही किसानों को अगली पिलाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है इसलिए तिल्ली कटते ही पानी छोड़ा जाय ताकि अगली फसल के लिए पिलाई की व्यवस्था हो सके। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : एक सवाल, केवल।

पॉइन्टेड क्वेश्चन करना चाहता हूं। जिस दो हजार क्यूसेक्स पानी की चर्चा अपने वक्तव्य में माननीय मन्त्री महोदय ने की है उससे क्या मन्त्री महोदय आश्वस्त हैं कि टेल पर प्रत्येक क्षेत्र इससे पिलाई कर सकेगा ? पॉइन्टेड क्वेश्चन है, और यदि पिलाई नहीं हो सकेगी तो क्या मन्त्री महोदया तुरन्त यहां से आदेश देकर, हालांकि 6.5 हजार क्यूसेक्स केपेसिटी है किन्तु 4 हजार क्यूसेक्स पानी पिलाने का यहां वायदा करेंगी ? इन दो बातों को जवाब मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदया।

श्रीमती कमला (कृषि मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने 4–5 मुद्दे स्पष्टीकरण या जानकारी के तौर पर प्रस्तुत किये हैं। उनमें सबसे पहला मुद्दा जो खास है, जो इसमें आया है, वह यह है कि 17 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में जो पानी की मांग थी उसका आश्वासन दिया गया था लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हुई। मैंने यह कहा है कि क्योंकि पानी मिला नहीं इसलिए पानी नहीं दिया जा सका। वास्तव में पानी की जरूरत थी चार-साढ़े चार हजार क्यूसेक्स और पानी सिर्फ 5 सौ क्यूसेक्स छोड़ा गया। लेकिन 5 सौ क्यूसेक्स पानी छोड़ने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह नहर में घूम-घामकर रह जाता है और किसानों के खेतों में नहीं पहुंचता। जवाहर सागर से जो पानी रिलीज हुआ वह नहीं के बराबर था, इसलिए नहरें चलीं, न चलीं बराबर रहीं और हमको पानी नहीं मिल पाया। यह ठीक है कि हमको यह एन्टि-सिपेट करना चाहिए था कि जब हमें 17 मार्च तक का प्रोग्राम पर्याप्त नहीं होता, हमें पिछले अनुभवों के आधार पर मार्च के तीसरे सप्ताह तक भी आवश्यकता महसूस होती है तो मार्च के आखिरी हफ्ते तक का

(श्रीमती कमला)

भी जल वितरण का प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए था। लेकिन विभाग और कमेटी के लोग जो जल वितरण की व्यवस्था या प्रोग्राम तय करते हैं उनका कहना है कि मध्य प्रदेश इसको नहीं मानता ! वह कहता है कि हम 17 मार्च या दूसरे हफ्ते से आगे का पानी नहीं निकालेंगे क्योंकि हमको पावर जनरेशन के लिए चाहिए, आगे खरीफ के लिए चाहिये। हमको दरअसल अनुभव के आधार पर एक हफ्ते के लिए और ज्यादा प्रोग्राम बनाना चाहिए था। उसी की कमी के कारण यह रहा कि उन्होंने प्रोग्राम 17 मार्च तक का बना दिया और उसे दोनों स्टेट के बोर्ड्स ने मिलकर तय कर दिया। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी नहीं रहती है और हम दबाव भी नहीं डाल सकते कि आप 17 मार्च के बाद भी रिलीज करो। इसलिए 18 मार्च के बाद भी यदि पानी ड्र करने का प्रोग्राम होता तो हम पानी ड्रा करने के हकदार हो जाते लेकिन दोनों की मिली हुई कमेटी, स्टेंडिंग कमेटी नम्बर दो, ने जो जल वितरण का प्रोग्राम तय किया उसमें 17 मार्च तक का प्रोग्राम तय किया था। जो कुछ भी पानी रिलीज हुआ वह उनकी मेहरबानी से हुआ और वह पर्याप्त नहीं था, न के बराबर था इसलिए यह स्थिति हुई। दूसरी बात यह है कि पिछली बार भी और उससे पहली बार भी और उससे पहली बार भी खरीफ के अन्दर हमने एक-एक बार पानी दिया और 80 में तो हमने दो तीन पानी भी दिये थे जिससे कि दो-ढाई महीने नहर चली थी। लेकिन ,1 के अन्दर भी एक बार खरीफ में पानी दिया। इस बार भी अभी 24 अगस्त को आखिरी बारिश कोटा के अन्दर हुई। इसके बाद दो तीन सप्ताह हो गए लेकिन बरसात नहीं हुई। वैसे तो बरसात के समय में पानी की जरूरत नहीं होती है लेकिन चूंकि अभी तीन सप्ताह के बाद में बारिश बिलकुल नहीं आई है और गर्मी बहुत कड़ाके की पड़ी है इसलिए उसकी जरूरत महसूस हुई थी इसलिए 13 तारीख से नहरें खोली गई हैं। 13 तारीख से वे एकदम नहीं खोलना चाहते थे क्योंकि वे खुलती नहीं हैं और न ही इतना पानी एकदम से मिलता ही है। इसलिए पहले पांच सौ क्यूसेक्स पानी खोला गया, फिर 900 क्यूसेक्स खोला और अभी, आज के दिन दो हजार क्यूसेक्स पानी चल रहा है। लेकिन जैसा कि चतुर्वेदीजी ने पूछा है कि आज क्या इसको पर्याप्त मानते हैं, काश्तकार की जरूरत की क्या इससे पूर्ति हो जावेगी। मैं यद्यपि इसको पर्याप्त नहीं मानती हूं, लेकिन लगता ऐसा है कि इससे ज्यादा पानी नहीं मिलेगा। कोशिश इस बात की बात करेंगे, माननीय सिंचाई मन्त्री जी यहां पर हैं, ये भी मध्य प्रदेश सरकार से बात करेंगे और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि जितनी आवश्यकता है उसके मुताबिक इन नहरों में पानी छोड़ा जा सके। लेकिन इस वक्त इस बाबत में मैं कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हूं।

जहां तक यह पूछा गया है कि पानी नहीं मिल रहा है तो आप मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे हैं, कोई व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं। इस मामले में यह है कि हर वर्ष सितम्बर के महीने में कमेटियों की मीटिंग्स होती हैं। चाहे वह कमेटी नम्बर–

(श्रीमती कमला)

2 आपके बोर्ड की हो, चाहे हमारे प्राधिकरण की कमेटी हो सितम्बर में आगे रबी के लिए जितनी भी जल वितरण की स्कीमें हैं वह सारी तैयार होती हैं। अभी 23 सितम्बर को मीटिंग बुलाई है। उस 23 सितम्बर की मीटिंग में कितना पानी किस-किस नहर से, किस-किस तरह से मिलेगा, किस-किस डेट में मिलेगा, वह सब प्राधिकरण और हमारे अधिकारीगण बैठकर तय करेंगे और उसकी विज्ञप्ति पहुंचायेंगे। यह मीटिंग जो होने वाली है उसमें खरीफ के लिए किसी भी प्रकार से पानी देने का प्रावधान इसलिए नहीं रखा जाता कि आम तौर पर खरीफ की फसल बिना सिंचाई के ही की जाती है और मानी जाती है। लेकिन अगर पर्याप्त पानी उस वक्त में उपलब्ध होता है, जो छोड़ा जा सकता है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। कभी एक बार मिल जाता है, कभी दो बार मिल जाता हैं, कभी नहीं भी मिलता है। तो, इस तरह की स्थिति इसकी है।

इसके अलावा माननीय सदस्यों ने यह कहा कि आपने यह डिटेल्स नहीं दिए कि इस वक्त में नहर में कितना पानी भरा हुआ है। मैं कहना चाहती हूं कि इसका इससे ताल्लुक नहीं है। इसी की खास तौर से आप जानकारी चाहें तो मैं आपको आंकड़े पढ़कर बता सकती हूं लेकिन इससे इसका कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक यह है कि टाइम अहैड में, जबकि काश्तकार ने इस वक्त लगभग चालीस हजार एकड़ के अन्दर बुवाई की हुई है, जहां फसलों को पानी की सख्त जरूरत है, वहां कितना पानी दिलवा सकते हैं। हम अभी दो हजार क्यूसेक्स पानी इसमें छोड़ पाये हैं, कोशिश करेंगे कि आवश्यकता के मुताबिक और ज्यादा छोड़ा जा सके। मेरा माननीय सिंचाई मन्त्रीजी से भी निवेदन है कि वे हमारी इसमें मदद करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंचाई मन्त्रीजी।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एक मिनट। यह तो किसानों की फसलें सूख रही हैं, उनका प्रश्न है, साहब। एक बात करने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा हो गई।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उनको भी मदद मिलेगी, उपाध्यक्ष महोदय, आप कभी इतने····

(व्यवधान)

यह जो दो हजार क्यूसेक्स पानी छोड़ा है, आर० एम० सी० में इससे राइट मेन कैनाल की कितनी माइनर चल सकेंगी, जिससे सिंचाई हो सकेगी ?

(व्यवधान)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

यदि इतना ही पानी आप छोड़ेंगी जो केवल आर. एम. सी. में ही चलता रहे, माइनर कैनाल्स में नहीं जावे तो यह पानी भी, जैसा अभी तक आप एक महीने से नदी में पानी छोड़ रही हैं, नदी में जाने दीजिए । पानी एक महीने से नदी में जा ही रहा है । तो मेरा यह क्वेश्चन है कि इस दो हजार क्यूसेक से क्या आर. एम. सी. की जितनी कैनाल हैं, वे भर जायेंगी जिससे यह पानी खेतों में पहुंच सकेगा या नहीं पहुंच सकेगा ?

श्री हीरालाल आर्य : एक मेरा भी है, उपाध्यक्ष महोदय । मेरा प्रश्न यह है कि पीपल्दा क्षेत्र टेल पर है इसलिए हमारे किसानों की हमेशा पानी की समस्या रहती है । उन्हें हमेशा इस बात की शिकायत रहती है कि हमारी ज्वार की फसल सूख जाती हैं । तो जब इटावा ब्रांच में पानी नहीं जाएगा तो खेतों में कैसे पहुंचेगा ? आप इसका आश्वासन दें कि टेल क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी ।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सालों का जो अनुभव है उसके हिसाब से स्थिति यह है कि 3500 से लेकर साढ़े चार हजार क्यूसेक तक जो पानी छोड़ दिया था उससे फसलों की पिलाई हुई थी । इसलिए दो हजार क्यूसेक से, जैसा मैंने आपसे स्पष्ट कहा है, मैं नहीं मानती कि पूरी तौर से फसलों को पानी मिलेगा । पिछली बार 80 में हमने जो पानी छोड़ा था वह लगभग पैंतीस सौ से लेकर साढ़े चार क्यूसेक छोड़ा था जिससे फसलों को पूरा पानी मिला था । अब हम कितना और पानी अवेलेबल करा सकेंगे, इस वक्त मैं आपको कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं ।

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप कह दीजिए, खेतों में पानी नहीं पहुंच सकता तो पानी किसलिए चला रही हैं ? सरकार आश्वासन नहीं दे सकती तो आश्वासन कौन देगा ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : खेतों को पानी नहीं जा रहा है····

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मन्त्री महोदय के वक्तव्य से क्या समझे, वह आप हमें समझाइये । वे स्वयं मान रही हैं कि पैंतीस सौ से साढ़े चार क्यूसेक पानी यदि नहीं छोड़ा गया तो खेतों को पूरा पानी नहीं मिलेगा । जब वे स्वयं इस बारे में कन्विन्स्ड हैं तो दो हजार क्यूसेक पानी छोड़ने से मतलब क्या है ? क्या केवल नहरों के पास में जो खेत हैं उनमें पानी की पिलाई करनी है ? बाकी सारा क्षेत्र जो चालीस हजार का रकबा उन्होंने बताया है, क्या प्यासा रहेगा ? वे सोचते रहेंगे कि नहर में पानी तो चल रहा है और हमारे खेत प्यासे रहेंगे ? यह कौनसी स्थिति है ? हमारी सरकार की मशीनरी वहां पर खड़ी होगी ? क्या मुख्य मन्त्री महोदय, सिंचाई मन्त्री महोदय, कृषि

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

मन्त्री महोदय, खेतों को सूखते देखते रहेंगे। क्या मध्य प्रदेश के लोगों को बुला कर कन्विन्स करने की स्थिति में नहीं हैं? क्या प्रधान मन्त्री को इस बारे में इण्टरवीन करने की आवश्यकता नहीं है? हमारी सरकार है कि क्या है। हमारे प्रदेश के मन्त्री हैं कि क्या हैं। कौनसी मशीनरी क्या कर रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है?

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मध्य प्रदेश में वर्षा हो चुकी है, वहां कतई जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई मन्त्री जी।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सदस्यों की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। विपक्ष के नेता महोदय भी यह जानते हैं कि स्टेंडिंग कमेटी नम्बर 2 के अन्दर पानी के रेगुलेशन और डिस्ट्रिब्यूशन के सम्बन्ध में निर्णय लेना पड़ता है। कमेटी नम्बर 2 की मीटिंग ही नहीं हुई। मध्य प्रदेश ने जो इन्डेण्ट दिया है वह एक अक्टूबर से पहले पानी नहीं चाहते। वे नहीं चाहते तो अभी जो कुछ भी डिसीजन लिया है या पानी छोड़ा गया है वही निर्णय है, हमने केवल राजस्थान की फसल को बचाने के लिए लिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसका है यह निर्णय?

श्री परसराम मदेरणा : उसमें सभी ने बैठ कर निर्णय लिया है। स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निर्णय किसका है?

श्री परसराम मदेरणा : आप स्वयं जानते हैं कि जिसके हाथ में रेगुलेशन होता है वही निर्णय ले सकता है। इसलिए....

(व्यवधान)

जरा सुनिये इस बात को। इसलिए इस सम्बन्ध में, जैसा कि अभी कृषि मन्त्री जी ने कहा, इन स्टेट्स ने रोटेशन का प्रोग्राम बनाया है। क्रोस रेगुलेशन तक उसका ब्रॉड लेवल खड़ा करके रोटेशनल प्रोग्राम बना लेंगे। आखिर जल वितरण कमेटियां हैं उनकी भी मीटिंग होंगी। जैसा कृषि मन्त्री जी ने कहा कि उनकी तारीखें निश्चित कर दी गई हैं। पानी के सम्बन्ध में अगर हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता हुई तो जनरेशन के इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुए मैं स्वयं इस सम्बन्ध में दोनों ही डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन करके कोई न कोई निश्चित तौर पर उनको निश्चित निर्देश दे दूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पिलाई हो जावेगी, यह गारण्टी दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं हो रही है?

श्री परसराम मदेरणा : स्टेंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई जरूर है पर मुझे तारीख मालूम नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब से नहीं हुई है, यह बता दीजिए। या यह तारीख भी मालूम नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : 23–9 जैसा कि कृषि मन्त्री जी कह रही हैं, मुझे तो तारीख मालूम नहीं है, 29–9–82 को बुलाई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो उन्होंने बुलाई है, मैं तो यह पूछ रहा हूं कि कब से नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : यह स्टेंटिंग कमेटी की मिनिट्स आप स्वयं जानते हैं कि मेरे में पास में आती नहीं। वह एक बोर्ड है।

श्रीमती कमला : 29-9-81 को हुई थी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उसमें मध्य प्रदेश का भी कोई प्रतिनिधि था ?

श्रीमती कमला : मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि थे या नहीं थे, वह तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मीटिंग हुई थी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि थे और उन्होंने आपके क्लेम को नहीं माना।

श्री उपाध्यक्ष : 23–9 को नेकस्ट मीटिंग है। Now here is nothing new.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सवाल यह नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, सवाल समय का नहीं है। सवाल यह है कि स्टेंडिंग कमेटी नम्बर 2 की मीटिंग नहीं हुई। अगर मीटिंग हुई जैसा आप बता रहे हैं, 20–9–81 को मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि आते नहीं। मध्य प्रदेश ने अपनी रिक्वायरमेंट अक्टूबर, 1982 तक प्रकट की है। अक्टूबर, 1982 तक तो राजस्थान के किसानों को पानी मिलेगा नहीं। क्योंकि जब तक स्टेण्डिग कमेटी नम्बर दो की मीटिंग नहीं होती, गांधी सागर से पानी रिलीज नहीं होगा। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, चम्बल वैराज से इसके लिये पानी नहीं जाता उस समय तक राजस्थान के किसानों को पानी नहीं मिलेगा, जब तक स्टेण्डिग कमेटी की मीटिंग नहीं होती। यह मसला आपके और मध्य प्रदेश के बीच उलझा है।

श्रीमती कमला : 23-9-83 को मीटिंग हो रही है। आने वाली फसल के लिये वह मीटिंग हो रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपनी फसल आज सूख रही है। 23-9-83 को मीटिंग, उनकी रिक्वायरमेंट, जो अक्टूबर में आती है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिये हो रही है। उनको तो आज पानी की जरूरत नहीं है। भिंड और मुरेना में काफी बरसात हो गई। कई दिनों यदि नहर का पानी भी नहीं जायें तो भी उनका काम चल सकता है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहता हूं, जैसा मुख्यमन्त्री रावी-व्यास नदियों के बारे में प्रधान मन्त्रीजी से मिले हैं, इस मध्य प्रदेश के मसले को भी ज्यादा उलझायें नहीं। मध्य प्रदेश के सामने ग्राप एक गलती कर चुके हैं, यह उस गलती का नतीजा है। ग्राज स्टैण्डिग कमेटी की मीटिंग में शामिल क्यों नहीं होते ? उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापको सुन कर ताज्जुब होगा कि हमारे मुख्य मंत्री जी वहां वायदा कर ग्राये है, जो जोइन्ट कन्ट्रोल बोर्ड है। चम्बल बैराज में पानी कितना रिलीज किया, उसका काम ग्रभी तक मध्य प्रदेश ग्रौर राजस्थान के बीच था। ग्रब इस साल हमारे मुख्य मन्त्री वहां हां भर कर ग्रा गये कि सैन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन के ग्रादमी भी इसमें शामिल होंगे। जिस चीज का राजस्थान पिछले बीस साल से विरोध कर रहा है, उस चीज की हां भर ग्राये। ग्रब यह सरकार कहती है कि तुम्हारे मिनट्स ठीक नहीं हैं ग्रौर जो ग्रापके मिनट्स लिखे जाते हैं, उसको मध्य प्रदेश की सरकार स्वीकार नहीं करती है। दोनों के झगड़े में कोटा डिस्ट्रिक्ट का काश्तकार तबाह हो रहा है। सिंचाई मन्त्री, कृषि मन्त्री जी, हम फंस गये, बुरी तरह फंस गये। इस मामले का निराकरण ग्रापके या मुख्यमन्त्री के लेवल पर नहीं होगा। फिर मैं चाहूंगा भारत सरकार के लेवल पर इसका निपटारा करवाइये ताकि राजस्थान के किसानों को ग्रपने हिस्से का पानी मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : Let us try to confine it to the subject.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं पॉइन्टेड सवाल कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं सिंचाई मन्त्री महोदय, ने ग्रभी जो वक्तव्य दिया, उससे मुझे लग रहा है कि जो स्टैण्डिग कमेटी की मीटिंग नहीं हुई हैं, उसके कारण विधान सभा के पटल पर वह कुछ कहने से झिझक रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, सिंचाई मन्त्री महोदय, कृषि मंत्री महोदय, कोटा जिले से ग्राये प्रतिनिधियों के साथ बैठकर विचार-विमर्श करें क्योंकि ग्रभी फसल है। 23 तक तो मीटिंग होगी, 30 तक भी कुछ नहीं बनेगा, फिर भी वह नहीं ग्रायेंगे। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, हम पर कृपा करिये। कुछ चिन्ता करिये, राजस्थान के किसान की करिये, उसका कुछ हल करवाइये। ग्रन्यथा कुछ काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार की बात ग्रायी उससे तो ऐसा ही लगता है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : 2000 क्यूसेक्स पानी यदि किसान के खेत में नहीं मिल सकता है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, Don't repeat what you have already said.

(व्यवधान)

मुझे कहने दीजिये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, मैं ग्रर्ज कर रहा हूं, ग्राप बैठ जायं।

श्री दाऊदयाल जोशी : लेकिन सरकार ने संकर ज्वार का बीज बांटा। लोगों ने संकर ज्वार बो दी ग्रौर संकर ज्वार सूख रही है।

श्री उपाध्यक्ष : Is it befitting that you go on speaking when I am standing ?

सीखो !

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हमारी तो हालत ऐसी है ।

श्री उपाध्यक्ष : That is all. माननीय मन्त्री जी ।

श्री परसराम मदेरणा : प्रतिपक्ष के माननीय नेता कह रहे हैं, मुख्य मन्त्री ने कुछ गलती कर दी या जोइन्ट कमेटी की बात को स्वीकार किया । यह बात तथ्यों के आधार पर सही नहीं दिखती है और आपका आरोप निराधार है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको यही कहना चाहिये था ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं रिकार्ड से पूर्व कर दूंगा । आप चाहते हैं तो मैं रिकार्ड से प्रूव कर दूंगा । अध्यक्ष महोदय, देखना चाहे तो उनके सामने मैं अपना रिकार्ड भी ले आऊंगा ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कौनसा रिकार्ड ?

श्री परसराम मदेरणा : जिस रिकार्ड की आप बात कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जिसको मध्य प्रदेश नहीं मानता है ।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन मैं एक ही निवेदन यह कर रहा हूं जब मैंने बिजली वालों से यह बात की, उन्होंने बताया यह रबी की फसल का पानी तो है नहीं । जोइन्टली रेगुलेट करके पानी डिलीवर करने का प्रश्न रबी की फसल के अन्दर आता है, रबी की फसल का पानी नहीं है, यह तो एक ऐसी स्थति खड़ी हो गई है । अब खरीफ की फसल को बचाने का प्रश्न है, रबी का तो पानी रबी में चाहेंगे, उसके लिए दो हजार क्यसेक्स पानी है । क्रॉस रेगुलेटर डालकर उसके लेवल को ऊपर उठाकर चार हजार एकड़ के अन्दर उस पानी को रोटेशनली देने का प्रोगाम बना लिया गया, एक बात । मुझे यह बताया गया है कई अधिकारियों के द्वारा कि उससे ज्यादा एरिया और क्षेत्र में पानी देने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही एरिया पानी मांगता है । इसलिए छोटी और बड़ी सभी नहरों का रोटेशनल प्रोग्राम बना लिया गया है । उसके उपरान्त भी जो कुछ भी पानी के संबंध में रास्ता निकल सकता है, क्या है, क्या नहीं, मैं अभी प्रतिपक्ष के नेता से बात कर लूंगा । मैं सदन में कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि यह कहना ठीक नहीं रहेगा । स्टेण्डिग कमेटी-1 की मीटिंग नहीं हुई । जब एक की मीटिंग नहीं हुई है तो मैं आज ही उनको बता दूंगा कि पानी की व्यवस्था कैसे की जा सकेगी, कैसे नहीं की जा सकेगी । इसलिये अभी वर्तमान में कुछ रास्ता निकल सकता है, इसके संबंध में निश्चित रूप से शार्ट आउट कर लेंगे ।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई विधायी कार्य। श्रीमती कमला, प्रभारी मंत्री राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1982 पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगी।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मन्त्री।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करती हूं।

व्यवस्था

राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1982 प्रख्यापित करने का औचित्य

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1982 के संबंध में भैरोंसिह द्वारा उठाये गये प्रश्न पर व्यवस्था।

दिनांक 8 सितम्बर, 1982 को जब सदन में राजस्थान नगर पालिका(संशोधन)अध्यादेश 1982 (अध्यादेश संख्या 6, सन् 1982) को अस्वीकार करने के संबंध में विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत परिनियत संकल्प ध्वनिमत से अस्वीकार किये जा चुके थे और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका था, उसके पश्चात् विपक्ष के माननीय नेता ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि प्रस्तुत परिस्थितियों में राजस्थान नगरपालिका संशोधन अध्यादेश, 1982 राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित किये जाने के बाद भी उसके प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई और इस प्रकार उक्त अध्यादेश जारी करना आवश्यक नहीं था।

जैसा कि मैंने एक पूर्व व्यवस्था में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 213 में यह व्यवस्था है कि यदि राज्यपाल का समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके अनुसार तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस व्यवस्था में जिस बात पर बल दिया गया है, वह यह है कि अध्यादेश तभी जारी किया जाना चाहिए जब कि उसके बिना काम न चल सके और तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता हो। यह ठीक है कि अध्यादेश को जारी करने के विषय में जो निर्णय राज्यपाल लेंगे वह उनके स्वयं के

(श्री उपाध्यक्ष)

विवेक पर ग्राधारित होगा व इस विवेक को लेकर किसी प्रकार का ग्रापेक्ष नहीं किया जा सकता । इसके बावजूद यह बात भी स्पष्ट है कि ग्रध्यादेश जारी करने के ग्रधिकार एक ग्रसाधारण प्रकृति के हैं ग्रौर चूंकि कानून बनाने का ग्रधिकार संविधान द्वारा विधायिका को ही दिया गया है, ग्रतः केवल इस दृष्टि से कि शासन को किसी भी विषय में ग्रावश्यक कार्यवाही करने में कोई बाधा उत्पन्न न हो, राज्यपाल महोदय को ग्रध्यादेश जारी करने का ग्रधिकार दिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यों को देखने से ज्ञात होता है कि उपरोक्त ग्रध्यादेश 31 जुलाई, 82 को प्रख्यापित किया गया था ग्रौर 2-8-82 को राजस्थान राजपत्र में ग्रध्यादेश की धारा 1 की उपधारा (2) में भी यह प्रावधान किया गया है कि यह तुरन्त प्रभावशाली स्थिति से लागू होगा। चर्चा के दौरान माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने सदन को बताया कि इस ग्रध्यादेश के ग्रन्तर्गत तीन नगरपालिकाग्रों को ग्रधिसूचित घोषित करने का विचार किया गया था, उनमें से एक नगरपालिका ग्रर्थात् माउन्ट ग्राबू के सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी जिससे राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2-8-82 को निम्नलिखित ग्रादेश जारी किया गया—

Issue notice of the Stay application to the non-petitioners. Meanwhile, the non-petitioners are restrained from dissolving, superseding or reconstituting Mount Abu Municipal Board.

इस स्थगन ग्रादेश के कारण राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) ग्रध्यादेश, 82 के ग्रन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया । विपक्ष के माननीय नेता ने जिस समय यह प्रश्न उठाया उस समय ग्रध्यादेश को ग्रस्वीकार करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत परिनियत संकल्प सदन द्वारा ग्रस्वीकार किया जा चुका था ग्रौर राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 82 को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका था । उपरोक्त परिस्थितियों में व्यवस्था के प्रश्न को निरस्त करते हुए ग्रौर राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 82 को विचारार्थ लेने के प्रस्ताव पर जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उस पर ग्रग्रेतर चर्चा करने की ग्रनुमति प्रदान करता हूं ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

निम्नलिखित सदस्यों ने भी जनमत जानने हेतु प्रस्ताव दिये हैं । सर्व श्री हीरा लाल ग्रार्य, बालचन्द्र ग्रार्य, हंसराज शर्मा, ग्रनंग कुमार जैन, रघुवीरसिंह कौशल, गुलाब चन्द कटारिया, बंसीलाल पटवा, नाथूसिंह, घनश्याम तिवाड़ी, यदुनाथ सिंह, देवीसिंह भाटी ग्रौर हरिसिंह ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : यह तो उस दिन बोल चुके थे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिनियत संकल्प पर बोला था। इस पर नहीं बोला था। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सरकार को इन तीन नगरपालिकाओं को ही नोटिफाइड एरिया घोषित करना होता तो इस अध्यादेश के द्वारा उनके नाम से अध्यादेश जारी कर सकते थे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह चाहते थे कि ऐसा व्यापक शस्त्र सरकार अपने हाथ में ले ले जो पर्यटन के विकास के, चाहे अन्य किसी नाम पर हो ताकि सरकार की जब इच्छा हो जाय सरकार किसी भी नगरपालिका क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर देगी। जयपुर में मान लीजिये बाढ़ आ गई, सरकार कहेगी कि बाढ़ का इलाज नगरपरिषद से नहीं हो सकता इसलिये नोटिफाइड एरिया घोषित किया जाय। ऐसा करके सरकार हरएक बात को अपने हाथ में लेना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की और कोई मंशा नहीं। आज तक पर्यटक आते रहे, जैसलमेर, पुष्कर में आते रहे, लेकिन वहां नगरपालिका द्वारा कोई समस्या नहीं आई। सरकार का मुख्य उद्देश्य जयपुर नगर परिषद् को अपने हाथ में लेना है, जयपुर का सारा मामला है। जयपुर नगर परिषद् अपने हाथ में लेने के लिये, पूरे नगर परिषद् को लेने की भी आवश्यकता नहीं है और उसके कुछ क्षेत्र अपने हाथ में लेने के लिये यह इस प्रकार कार्यवाही करना चाहते हैं। अगर इन्हें यह व्यापक हथियार दे दिया गया, जनमत के लिये प्रसारित नहीं किया गया तो जब यह चाहेंगे, किसी भी नगरपालिका क्षेत्र को अपने हाथ में ले लेंगे। फिर यह क्या करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय ? मैं निवेदन करना चाहता हूं, जयपुर नगर परिषद् के बरामदों का मामला था। आज सवेरे बरामदों का मामला उठा, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, इन्होंने जनता पार्टी के समय का उदाहरण दिया, उस समय सारा मामला उलझनपूर्ण था। उसमें साफ तौर से लिखा गया था कि बरामदे खाली कराये जायं या नहीं कराये जायं, किराये पर दिये जायं या नहीं, कोई भी मानस इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने नहीं बनाया था। उसके बाद राज्य सरकार ने एक जुडिशियल आफिसर को नियुक्त किया कि न्यायिक जांच हो, बरामदों की समस्याओं को भी सुना जाय ताकि इस समस्या को सुनने के बाद में व्यापक निर्णय ले सकें। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उस आदेश को खतम कर दिया गया और उसे खतम करने के बाद एक नया आदेश जारी किया गया कि 24 घन्टे में बरामदे खाली करो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा, कहां है वह आदेश, जिसमें स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने कहा कि 24 घंटे में बरामदे खाली करो ? न राज्य सरकार ने स्टे दिया, न किसी कोर्ट ने स्टे दिया और दूसरे दिन स्वायत शासन मन्त्री जी ने यह आदेश रोक दिया। क्या कारण था इसका, उपाध्यक्ष महोदय ? कारण एकमात्र था, चन्दा वसूली। यह एक धमकी का हथियार है जो इन बरामदे वालों पर लटका रखा है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं, स्वायत्त शासन मंत्री जी ने 24 घन्टे का नोटिस दिया था। फिर उसका क्या हुआ ? उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि ये अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं कि कौन-कौन सी नगरपालिकाओं में ऐसे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

क्षेत्र हैं जिनसे इनकी जेब भर सकें। आज भी, उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के बरामदे वालों पर इनकी तलवार लटक रही है। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि पुलिस नहीं मिली इस कारण खाली नहीं करा सके। यह कोई जवाब है? इनके कहने से पुलिस नहीं मिलेगी? इनको पुलिस मिली, बाजार में ठेले वालों, मालिनों को हटाने के लिये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विषय से हट रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं पॉइन्ट पर आ रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। आपको पुलिस मिली। आप जयपुर में ठेले वालों, सब्जी बेचने वालों को उठा-उठाकर ट्रकों में डाल कर ले गये। और बरामदों के लिये पुलिस नहीं मिली? यह एक बहाना था। उन्होंने आपको थैलियां भेंट की। उन थैलियों के कारण आपने बरामदे खाली नहीं कराये। अगर आप साफ हैं तो खड़े होकर कहिये कि बरामदे खाली कराने हैं या नहीं कराने हैं। लटका कर मत रखिये तलवार को। आज इस अध्यादेश के द्वारा इस प्रकार किसी भी क्षेत्र को नोटिफाइड एरिया घोषित करके, उन पर तलवार लटकाकर सारा पैसा अपनी जेब में डालने का कानून बना रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कानून बनाने का इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। राजस्थान में यह सबसे बड़ा मजाक कानून बनाने का है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है? मैं निवेदन करना चाहता हूं यहां नगर परिषद्, जयपुर में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको यह कह कर कि विकास ढंग से नहीं हो रहा है, पर्यटन केन्द्र है जयपुर के, ऐसे कुछ क्षेत्रों को नोटिफाइड एरिया घोषित करना चाहते हैं। जैसा पहले मैंने निवेदन किया अगर तीनों को ही घोषित करना था तो तीन का स्पेसिफिक आर्डर जारी कर देते। मैं निवेदन करना चाहूंगा जयपुर के मामले में, उपाध्यक्ष महोदय, पिछली साल जयपुर में बाढ़ आई उसमें जो मिट्टी आई थी....

श्री उपाध्यक्ष : यह बातें तो ठीक है, अलग से कह सकते हैं। जनमत जानने के लिये आवश्यक है इस पर बयान कीजिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसी पर बोल रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, बिल पर बोलना है और आप जयपुर की मिट्टी हटवा रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हटायें तो जन सेवा है, लेकिन कृपापूर्वक पाइन्ट पर तो बोलिये। आप जयपुर शहर की मिट्टी हटाने में लग गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो चेहरों पर मिट्टी पड़ी हुई है उसको जरा साफ करवा रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में मिट्टी उठाने का ठेका जो दिया गया है वह 14 लाख रुपयों का दिया गया है। यह काम चार-पांच लाख से ज्यादा का नहीं है परन्तु 14 लाख रुपये में मिट्टी उठायी गयी है, यह काम जिस संस्था के द्वारा किया

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गया है वह खेजड़े के रास्ते में मकान नम्बर 1282 में है, उसको यह ठेका दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस संस्था के नाम टेन्डर लिये बिना ही ठेका दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : मेन इश्यु पर बोलिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बिल नोटिफाइड एरिया के लिये लाया गया है। नोटिफाइड एरिया कर इस संस्था को ठेका दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप कहिये, जनमत के लिये क्यों भेजा जाये। This is not relevant.

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : It is relevnnt, Sir.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह वही संस्था है जिसने हरियाणा से ट्रैक्टर मंगवाये। मैं ग्रापको नम्बर बताता हूं, ग्रार एच टी 5227, ग्रार ग्रार एम 5038, 175, ग्रार एस एम 3812 ग्रौर इनको जुलाई, 1982 में 9 हजार 582 रुपये का भुगतान किया गया है। यह भुगतान उक्त संस्था द्वारा उठाया गया है। इस प्रकार से हजारों के बिलों का इस संस्था को पेमेन्ट किया गया है। मेरा चार्ज है कि इस संस्था को ग्रौर कोई नहीं चलाता है श्रीराम जी गोटेवाला के भाई चलाते हैं। उन्हें जयपुर में मिट्टी उठाने का ठेका दिया गया है। यह तो मना करेंगे परन्तु इनमें ग्रौर इनकी सरकार में थोड़ी भी नैतिकता है तो जांच करा लें। चाहे मिट्टी उठाने का सवाल हो, बरामदों का सवाल हो, सीवरेज का मामला हो ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चार्जेज लगा रहे हैं। ग्राप मेहरबानी कर के नोटिस दीजिये, निममों का पालन कीजिये। ग्राप ऐसे ही ग्रारोप लगा रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं संस्था का नाम बता रहा हूं। मैं चार्ज लगा रहा हूं। इस संस्था के संचालक श्री श्रीराम गोटेवाला के भाई हैं....

व्यवधान

श्री उपाध्यक्ष : There is many occasions to speak about. It is not the proper time. You will have enough time.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार में नैतिकता नाम मात्र की भी है तो यह इस मिट्टी उठाने के काम की जांच करवा लें। इसमें भ्रष्टाचार हुग्रा है।

व्यवस्था का प्रश्न

बिना पूर्व सूचना के ग्रारोप

श्री माणकमल मेहता (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, on a point of order,

(श्री माणकमल मेहता)

sir. I rise on a point of order under sec. 272. इसमें लिखा है 'बी' में :

'A member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is peneing.

(b) make a personal charge against a member;'

उस वक्त पहले भी डिस्कशन हो गया है। यह आपका कर्त्तव्य है कि पर्सनल चार्जेज कोई लगाता है तो उसे रोकें, उसे पर्सनल चार्जेज लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यहां पर मैं रूल 272 निवेदन कर रहा हूं, बिजनेस कन्डक्ट रूल्स, इसमें 'बी' में लिखा हुआ है No member shall make a personal charge against a member.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनके भाई पर लगाये हैं। आप बैठ जाइये।

श्री माणकमल मेहता : यह तो उपाध्यक्ष महोदय कह सकते हैं। आप नहीं कह सकते। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि पर्सनल चार्जेज लगाने के लिये नियम बने हुये हैं, उन नियमों के अनुसार कार्यवाही हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि First he is a membar then he is a Minister. मैम्बर के खिलाफ कोई चार्ज पर्सनली नहीं लगाये जाते हैं। अभी तक नियम का पालन नहीं हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पर्सनल चार्जेज में इन नियमों का पालन नहीं होता है तो फिर आप कोई व्यवस्था दें। इससे इस सदन की गरिमा नहीं रहती है। हम लोग जो अनर्गल बातें करते हैं जो हमारे प्रदेश के कोने-कोने से एक-एक लाख जनता के रिप्रजेन्टेटिव्ज यहां पर आये हैं वे लोग हमारा क्या मजाक उड़ाते होंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने पहले से ही व्यवस्था दे दी है....

अध्यादेश को विधान बनाने की परिस्थितियों का विवरण

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह रूल 63 है आपको निकाल कर बताता हूं। Whenever a Bill seeking to replace an ordinance with or without modification is introduced in the House there shall be placed before the Honse along with Bill a statement explaining the circumsrtances which had necessitated immediate legislation by ordinance

जब कभी भी आॅर्डिनेशन आयेगा और वह बिल का रूप लेगा तो यह जरूरी है कि उसके रीजन बताये जायेंगे कि यह बिल आप क्यों इन्ट्रोड्यूज कर रहे हैं, यह कानून आप क्यों बनाना चाहते हैं। यह रीजन्स थे, यह कारण था। कौनसी नगरपालिका का एरिया नोटिफाइड करना चाहते थे। इसलिये अभी माननीय सदस्य बता रहे हैं वे रीजन क्या हैं, वे यह बता रहे हैं। आपने जो रीजन दिया वह रीजन सही नहीं है। रीजन यह बता रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : रीजन यह बता रहे हैं कि खेजड़े के रास्ते में ठेके दिये गये।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

यह रीजन है ? इस बिल में खेजड़े का रास्ता कहां ले आये ? आप बिल पर बोलिये । आप तो पुराने विधायक हैं ।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को लाने के क्या रीजन्स हैं, वह नहीं दिये गये हैं । वास्तव में नीयत क्या है, यह, माननीय सदस्य, बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष : पाली से आने वाले माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । मानीय सदस्य । आसन पैरों पर है । एक सवाल उठाया है और रूल 272 को रेफर किया है और माननीय सदस्य भंवरलाल शर्मा ने रूल 63 को कोट किया है....

श्री माणकमल मेहता : 63 रेलेवेन्ट नहीं है । जो माननीय सदस्य कह रहे थे, चार्जेज लगा रहे थे, उसके विषय में मैंने निवेदन किया है । चाहे बिल पर डिस्कशन हो, चाहे किसी पर भी डिस्कशन हो उस पर चार्जेज नहीं लगा सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक 63 और 272 का सवाल है, दोनों को साथ पढ़ने से ऐसा लगता है कि किसी माननीय सदस्य के खिलाफ चाहे कन्डक्ट के मुताबिक उस पर रिफ्लेक्शन पड़ता हो....

"reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms :

इसलिये मेरी व्यवस्था है कि आक्षेप उनके करेक्टर पर नहीं लगाये जायें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष ने आज ही यह व्यवस्था दी थी कि कोई मंत्री यहां पर उपस्थित हो....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । This is something very irrelevant. It is not to the point. I will request the Hon'ble member to stick to the point.

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : रेलेवेन्ट और इर्रेलेवेन्ट की जो सफाई दी गयी और आपने जो व्यवस्था दी है, आपने हवाला दिया है 272 (5) का और यह 272 (2) है ।

श्री माणकमल मेहता : व्यवस्था देने के बाद कोई पाइंट नहीं उठाया जा सकता ।

श्री राजबहादुर : 272 (5) एप्लीकेबल नहीं है ।

श्री माणकमल मेहता : उपाध्यक्ष महोदय व्यवस्था दे चुके हैं ।

श्री राजबहादुर : गलत रूलिंग हो जाये तो ठीक नहीं है। यह आता है 272 (2) में, 272 (5) में नहीं।

श्री माणकमल मेहता : मैंने 272 (2) ही कहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है 272 (2) I agrce with you.

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री श्रीराम गोटेवाला : बाबूजी आप स्वयं बहुत बड़े आदमी रहे हैं। एक बार ही खण्डन नहीं किया, तीन-तीन बार खंडन किया है। कोई मुद्दे की बात करें। बहुत जरूरी काम करने बैठे हैं और अनावश्यक रूप से बात कर रहे हैं। कभी तो मतलब की बात करनी चाहिये। टू दी पाइन्ट कहिये। परसों ही मैंने चैलेन्ज कर दिया था....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपमें हिम्मत है तो जांच करवा लीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं इनके सवालों का जवाब दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप क्यों खण्डन करते हैं। आप जांच करवा लीजिये आपमें हिम्मत है तो। लाखों रुपयों का ठेका लिया है। आपने सरकार को लूटा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार ठेका देंगे, किसी भी नगरपालिका के अन्दर मंत्री को जंचे उस कार्य के लिये नोटिफाइड एरिया घोषित करेंगे। बरामदे में लूटा, मिट्टी हटाने में लूटा और यहां हर बात का खण्डन कर देते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि आप इसकी जांच करवायें। मैं आपको फैक्ट्स दूंगा, मैं आपको डाकूमेंट्स दूंगा आप इसकी न्यायिक जांच करवा लें। मैं कहता हूं कि मैं साबित करूंगा न्यायिक जांच में कि इन्होंने जयपुर को लूटा है। राजस्थान के इतिहास में किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार से किसी को नहीं लूटा गया होगा, इस प्रकार लूटा है। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात पर तो आये ही नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वही बात कह रहा हूं। इस बिल को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये, जिससे कि हम जनता के सामने इनकी पोल खोल सकें, जनता इस पर अपनी राय दे सके, सही मन्तव्य इनका जो है इस बिल को लाने में, वह प्रकट हो सके, उनकी सारी बात प्रकट हो सके और राजस्थान की जनता को इनके चेहरे पर जो मिट्टी पड़ी है उसको ठीक ढंग से साफ करके इनका असली चेहरा दिखाया जाये, इसके लिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है। इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री देवीसिंह भाटी।

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह

(अनुपस्थित)

श्री बिहारीलाल पारीक।

एक माननीय सदस्य : पुष्पा जैन का नाम है....

श्री उपाध्यक्ष : पुष्पा जैन का नाम नहीं है। आप बोलना चाहती हैं ?

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : हां, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : You have already said.

सुश्री पुष्पा जैन No, no, Sir; इनके बाद बोल लूंगी।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है :

"राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मन्त्रीजी का पहला संकल्प है चुनाव का, अच्छी व्यवस्था देना चाहते हैं, यह एक अच्छी भावना है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : (जयपुर ग्रामीण) : बीस सूत्री कार्यक्रम है पहला तो।

श्री बिहारीलाल पारीक : देखो मैडम, माननीय सदस्या, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या। हां, आप बोलें।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं जानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि माननीय मन्त्री जी से उनका व्यक्तिगत द्वेष है, लड़ाई है, वे हमें बोलने नहीं देना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप व्यवस्था दे दें कि मन्त्री जी नहीं पधारें ताकि हम बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : अपनी बात कहें, माननीय सदस्य।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : हमारी लड़ाई वैसी नहीं है जैसी कि आपकी शिवचरणजी से है।

एक माननीय सदस्य : वह घर की बात है।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं दूसरी बात कहूंगा तो यह व्यवधान डालेंगे इसलिये मैं तो मेरे क्षेत्र के लिए ही बोलता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्रीजी की भावना है कि प्रथम चुनाव कराये जायें। सारे चुनाव करा दिये, नगरपालिका के बच गये नगरपालिका के चुनाव नहीं हुए....

श्री उपाध्यक्ष : आपने कोई संशोधन दिया है क्या, माननीय सदस्य ?

श्री बिहारीलाल पारीक : विचार व्यक्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी सुनें। जनमत जानने के लिये प्रस्ताव दिया है आपने, उस पर ही बोलें।

श्री बिहारीलाल पारीक : उसी पर आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उसी पर बोलें। दूसरे की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, आज आप ज्यादा ही कठोर नजर आ रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : प्रिजुडिस हैं आप।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। आपने उनको तो इतना बोलने दिया, मुझे भी मेरे क्षेत्र के लिये बोलने दें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि....

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : बोलने दें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री बिहारीलाल पारीक : मांडल क्षेत्र में जनता की मांग है कि नगरपालिका को भंग कर दिया जाय और आप उसे नोटिफाई कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप उसको भंग कर दें। सारे नागरिकों ने मुझ से कहा है, मैंने ध्यानाकर्षण भी दिया है। वह तो आपने मौका दे दिया इसलिये बोल रहा हूं। मन्त्रीजी ने कहा है, मैं आकर देखूंगा, इसलिए उम्मीद तो करनी चाहिए कि वे आकर देखेंगे। पिछले वर्ष भी नगरपालिका होते हुए भी हमारे यहां लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिली है। हमको किंचित मात्र भी राहत नहीं मिली। नागरिकों ने तहसील पर प्रदर्शन किया है कि उन्हें अकाल राहत में काम दें। अकाल में, यदि वहां नगरपालिका हो तो वहां पर अकाल राहत की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, इसलिये उनको काम नहीं मिलेगा जब कि वहां पर वास्तव में अकाल है। पिछले चार सालों से वहां अकाल पड़ रहा है इस साल भयंकर स्थिति है, गये साल भी भयंकर स्थिति थी। वास्तव में नगरपालिका होने के कारण अकाल की स्थिति में भी काम नहीं दिया गया इस कारण पिछले साल लोग काफी तड़पे। उन लोगों ने मध्य प्रदेश और गुजरात में जाकर काम किया। जिसको यहां काम दिलाया उनको भी पेमेंट नहीं हुआ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, ये किस पर बोल रहे हैं?

श्री बिहारीलाल पारीक : आप बोल रहे थे एक घंटे से, तब नहीं कहा आपने?

श्री भगवानदास शास्त्री : पंडित जी, मुझे तो कोई नाराजगी नहीं है। आप तो कथा बांच रहे हैं सत्यनारायण जी की।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं नगरपालिका के ऊपर निवेदन कर रहा था। नगरपालिका के विकास के लिये। मैं यह बात....

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं।

श्री राजबहादुर : बातें तो बहुत हो चुकी हैं, उपाध्यक्ष महोदय, अब तो कथा चल रही है।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं तो यही कहना चाहता हूं कि

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको समझ कर बोल रहे हैं ?

श्री बिहारीलाल पारीक : मांडल नगरपालिका 16-17 गांवों को मिलाकर बनायी गयी थी लेकिन वहां पर कोई हैंड पम्प की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां पर प्रशासक लोग हैं, राज्य सरकार के अधिकारी हैं लेकिन जन प्रतिनिधि नहीं हैं। कोई काम करता है कोई नहीं करता है। इसलिए निवेदन है कि तत्काल चुनाव करवाये जायें, नगरपालिका भंगकर दी जाये और बोर्ड बनाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह बाद में आयेगा, यह जनमत जानने के लिये है। इसके लिये आपके पास क्या ग्राउन्ड्स हैं ? आप किन कारणों से इसको जनमत जानने के लिये भेजना आवश्यक समझते हैं ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह अपने क्षेत्र को नोटिफाइड करना चाहते हैं।

श्री बिहारीलाल पारीक : आप ही, श्रीमान्, ऐसा करेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा ?

श्री उपाध्यक्ष : Come to the point.

श्री बिहारीलाल पारीक : आप तो ऐसा न करें, मैं तो बोल ही नहीं सकूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो यह कह रहा हूं कि आप जिस पाइन्ट के लिए बोल रहे हैं, जिसके लिये आपको समय दिया गया है उसी पर बोलें आपको जनमत पर बोलना है, उस पर आइये।

एक माननीय सदस्य : उस पर आ रहे हैं।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैं उसी पर आना चाहता हूं लेकिन ये लोग फिर मुझे उधर ले जाते हैं। आपने उनको तो रोका नहीं वे अपने यहां की रोड्स की, सड़कों की न जाने किस-किस की बातें कह गये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : You have said nothing in support of your motion.

(व्यवधान)

अगर किसी ने एक बार कोई गलती की है या कर देता है तो यह कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वह दुबारा भी की जाय।

श्री अनंग कुमार जैन : आप भी × × × के खिलाफ ऐसे ही पाइन्ट लाकर बोलें।

श्री बिहारीलाल पारीक : नगरपालिका मांडल है उस पर बोलने दें। वहां पर जो नगरपालिका है उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। वहां पर जो चुंगी आती है उसको

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बिहारीलाल पारीक)

लोग खा जाते हैं। आमद नहीं होती है, हालत खराब है इसलिये वहां से तत्काल नगरपालिका हटायी जाय। मैं निवेदन करूंगा कि करना है तो नोटिफाइड एरिया घोषित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : You have already said.

एक माननीय सदस्य : अच्छा बोल रहे हैं, कृपया मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : No comments

श्री रामकिशोर मीणा : प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : मेरी जगह ये बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : It is putting a cart before the horse.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : ऐसा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आउट राइट दिया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : उनको बोलना चाहिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा यह निवेदन है कि पहले दिया था, उसके बाद में बहुत सारे विधेयक आ गये इसलिये माननीय सदस्य ने आउट राइट दिया....

श्री उपाध्यक्ष : She is the mover of the motion. जिन्होंने संशोधन दिया है वे ही बोलेंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी दिया हुआ है।

श्री बिहारी लाल पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि....

श्री उपाध्यक्ष You have said or what ?

सुश्री पुष्पा जैन : सरकार की तरफ से जो भी विधेयक आज पेश होता है उसके लिए जनमत जानने की जरूरत हम जानते हैं, मेरा निवेदन यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : विनती करता हूं, बैठ जायें।

श्री बिहारीलाल पारीक : शब्द इस तरह के यूज करते हैं, वह ठीक नहीं है। इन्होंने इतना बोला....

श्री उपाध्यक्ष : सुनिए आप, आप कह रहे हैं, जनमत जानने की जरूरत नहीं तो बोलने की भी जरूरत नहीं।

जनमत जानने के लिए कहा, अब इसको प्रवर समिति के लिए....

सुश्री पुष्पा जैन : जनमत जानने के लिए बोली नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : She has spoken already देखिए, नाम बोला था।

सुश्री पुष्पा जैन : नाम बोला था, But I was absent.

श्री उपाध्यक्ष : All right. पुष्पाजी, बोलिए।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्य, बैठ जायें, बात नहीं। कृपया बोलने दीजिए।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, जब विधान सभा चल ने वाली थी उस समय माननीय मन्त्री महोदय एक आर्डिनेंस लाये उस आर्डिनेंस को लाने की क्या आवश्यकता थी। अभी जैसा कि आपने अध्यक्षीय व्यवस्था में कहा कि माउन्ट आबू में नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाना चाहती थी सरकार, चुनांचे हाई कोर्ट से स्टे आ गया, बना नहीं पायी। उपाध्यक्ष महोदय, अचानक बैठे बैठे मन्त्री महोदय को माउन्ट आबू में को नोटिफाइड एरिया करने का विचार कैसे आया? इसलिए नहीं कि वहां कोई डवलपमेंट करना था, इसलिए नहीं कि फर्दर विकास करना चाहते थे। अगर नोटिफाइड एरिया कमेटी द्वारा कोई विकास करना होता, डवलपमेंट करना होता तो मैं कहना चाहूंगी, उदाहरण के तौर पर आमेर में भी नोटिफाइड एरिया कमेटी मैं है पूछना चाहूंगी, मन्त्री महोदय, कि आज तक आपने आमेर नोटिफाइड एरिया कमेटी ने क्या किया? क्या डवलपमेंट किया? कितना खर्च किया? कितना खर्च करने की योजना बनाई? इन्कम के साधन क्या हैं, मालूम है कुछ आपको? नोटिफाइड एरिया कमेटी मान्उट आबू में बनाने का महज एक मकसद था और वह मकसद बहुत बड़ा था। मैं कहना चाहूंगी, किसी बहुत बड़े षडयन्त्र का शिकार हो रहे थे जान-बूझकर हो रहे थे। मैं बताना चाहूंगी, उपाध्यक्ष महोदय, छोटा सा किस्सा है लेकिन उसे बताना बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी लाइट में मैं यह साबित कर सकूंगी कि जिस व्यक्ति को चेयरमैन बनाने के लिए मन्त्री महोदय ने आर्डिनेंस लाने की आवश्यकता समझी, उसके पीछे राज क्या है। उपाध्यक्ष महोदय; मुझे याद दिलाने की आवश्यकता नहीं। मैं माउन्ट आबू दो तीन महीने पहले गयी थी। उस समय, सौभाग्य से आप भी वहां मौजूद थे। माउन्ट आबू म्यूनिसिपैलिटी....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री छोगाराम बकोलिया : एलीगेशन गलत लगा रही हैं, कैसे बर्दाश्त किया जायेगा?

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं अपनी पूरी बात करने में....

(व्यवधान)

मेरी कोई बात यह साबित करे कि मैं इर्रेलेवेन्ट हूं...

श्री उपाध्यक्ष : She is advocate and I presume, she will stick to the point.

श्री चन्दन मल बैद (वित्त मन्त्री) : Most of the advoctes are irrelvant.

श्री उपाध्यक्ष : I said I presume.

श्री चन्दनमल बैद : Some of then may be.

श्री राजबहादुर : अगर यह कहते हैं कि एडवोकेट इरॅलेवेन्ट हैं, तो इनको क्या कहा जाये ? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो और....

श्री चन्दनमल बैद : I belong to the same category.

सुश्री पुष्पा जैन : माउन्ट आबू के एक व्यक्ति, मैं नाम बताना नहीं, चाहूंगी उपाध्यक्ष महोदय, जिसने नक्की लेक पर ठेका ले रखा है, माउन्ट आबू में, कहना चाहिए जिनके सारे शिकारे चलते हैं निक्की लेक में, उस व्यक्ति की पर डे इन्कम कितनी है ? कहने की आवश्यकता नहीं, बड़े बड़े नेताओं को अपनी जेब में रखता है यह उसके स्वयं के शब्द हैं। अभी दो तीन महीने पहले माउन्ट आबू मैं गयी थी, उस समय सौभाग्य से एस. टी. कमेटी भी आयी हुई थी। उस व्यक्ति ने पूरी शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमेटी को खाने पर बुलाया, मुझे भी बुलाने आया। मैंने कहा आप क्या हैं क्या हस्ती रखते हैं कैसे खाने पर बुलाने आये। कोन्फिडेंस से उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि मैं यहा नक्की लेक पर ठेकेदार हूं मेरी वोट चलती हैं, नक्की लेक पर मेरा ठेका है, मैं बहुत जल्दी नोटिफाइड एरिया कमेटी का चेयरमैन बनकर आने वाला हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कहने की आवश्यकता नहीं, शायद आपको जानकारी हो या नहीं हो मेरा पार्टी के दो माननीय सदस्यों, श्री मालाराम जी और नंदलाल मीणा को मैंने उस समय अपने कमरे में बुलाया और कहा कि इस व्यक्ति के यहां आपकी कमेटी को खाना खाने नहीं जाना चाहिए। वह कह रहा है कि मैं इन नेताओं को टुकड़ो पर पालता हूं आपको वहां खाने पर जाने की आवश्यकता नहीं। मैं आभारी हूं उस कमेटी की, जिसके चेयरमैन हरसहाय मीणा थे, उन लोगों ने विचार-विमर्श किया, उन्होंने तुरन्त कहलाया कि इस व्यक्ति के यहां हम खाने नहीं जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, माउन्ट आबू नगर पालिका को नोटिफाइड एरिया कमेटी क्यों बनाया जा रहा है ? उस व्यक्ति ने मुझे कहा था, बहुत जल्दी ही चेयरमैन इस्तीफा दे रहे हैं उसके बाद बोर्ड भंग हो जायेगा, नोटिफाइड एरिया कमेटी बनेगी आर्डिनेंस के तहत मैं उसका चेयरमैन बनूंगा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मुझे मालूम हुआ कि वहां के चेयरमैन से इस्तीफा ले लिया गया। चेयरमैन से इस्तीफा लिया, कोई विरोध नहीं....

(व्यवधान)

आप बीच-बीच में मत बोलिए, या तो आप कह लीजिए जो कहना है....

उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसा तरीका है बीच में बोलने का ?

श्री उपाध्यक्ष : Please, sit down.

बैठ जाइये।

श्री छोगा राम बकोलिया : अगर कोई व्यक्ति....

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : इसलिए आवश्यकता समझी कि उस कमेटी

(श्री नन्दलाल मीणा)

में आप होते तो न केवल खाना खाने जाते बल्कि....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : हम खाना खाने नहीं गये। नाव की भी व्यवस्था थी। हमने वहां पर ठुकरा दिया, उस मीटिंग में....

सुश्री पुष्पा जैन : मैंने तो आभार प्रकट किया, उस कमेटी का कि उसने उसका खाना स्वीकार नहीं किया। मैंने चार्ज नहीं लगाया है। मेरी बात कहने के बाद, सुनने के बाद, विरोध है तो खड़े होकर बोल सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय उसके थोड़े दिन बाद मालूम पड़ता है, कि चेयरमैन का इस्तीफा हो गया। उसके बाद आर्डिनेंस आता है, माउन्ट आबू नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाई जायेगी। आखिर इसके पीछे कौनसी शक्ति काम कर रही थी ? मैं कहना चाहूंगी, मन्त्री महोदय, जो यह कहता है कि मैं नेताओं को अपनी जेब में रखता हूं, आप उसकी जेब में चले गये, जेब में जाकर आपने आर्डिनेंस इश्यू कर दिया, विधेयक ले आये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी वह व्यक्ति कौन है, अखबार में उस व्यक्ति के लिए रिवार्ड छपा है। कहना चाहूंगी

Rs. 5000 reward for arrest of wanted man.

The collector of customs preventon has annouced a cash reward of Rs. 5,000 for information leading to the arrest of Ramesh alias Babu Palenupri alias Babubhai also B. Kashyap who has gone underground. Babubhai alleged to be a notorious smuggler is wanted in connection witht he seizure of 1,000 tolas of gold valued at Rs. 6.30 lakhs near the Moire cinema, Bombay or Friday. The gold was seized from Mohammad Shah and Mohmmad Mobin Shaik alias Saeed...."

श्री उपाध्यक्ष : What are you aiming at ?

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यक्ति बहुत बड़ा स्मगलर है, इसका फोटो अखबार में छपा है, इसके लिए कलेक्टर कस्टम ने रिवार्ड घोषित किया है 5 हजार रुपये का। मन्त्री महोदय, आखिर कहां ले जाना चाहते हैं, दुनिया को ? आप इस राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं ? ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बनाकर शासन करना चाहते हैं, फिर कहते हैं, मैं तो बिलकुल पाक हूं, मेरे भाइयों का कोई लेना देना नहीं। मैं कहना चाहूंगी, उपाध्यक्ष महोदय, अभी भाई घनश्याम बोल रहे थे तो मन्त्री महोदय ने यह कहा। एक दिन पहले

(सुश्री पुष्पा जैन)

मन्त्री महोदय, आपने फरमाया था, आपके भाइयों का लेना देना नहीं। मैं दुबारा चार्ज लगाती हूं आप पर कि जयपुर में आपने ठेका यू. आई. टी. को नहीं नगर परिषद को दे दिया क्योंकि यू. आई. टी. के चेयरमैन आपकी साजिश में शरीक नहीं होना चाहते थे। ऐसे व्यक्तियों की सरकार बनाने के लिए आर्डिनेंस जारी किया, यह विधेयक लाये।

उपाध्यक्ष महोदय, कहने की आवश्यकता नहीं, ऐसे विधेयक का, ऐसे आर्डिनेंस का, जिसके बारे में मन्त्री महोदय का ऐसी मंशा है, मैं तो घोर विरोध करती हूं, सदन आवश्यक समझे तो मैं सदस्यों से गुजारिश करूंगी कि जनमत जानने हेतु भेजा जाये। इसलिए मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया

(3.52 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री स्वायत्त शासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने हेतु सम्माननीय सदस्यों ने अपने अमूल्य सुझाव यहां प्रकट किये। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक, क्योंकि इसमें टू दी पाइन्ट तो कोई बात कही नहीं गई है केवल आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं ...

सुश्री पुष्पा जैन : टू दी पाइन्ट तो आप खुद भी नहीं हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप सुनिये तो सही, मैं आपकी बात सुनता हूं कुछ तो कृपा करो आप।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तीन बातों के बारे में उत्तर दूंगा। एक तो माननीय सदस्या, ने जो आमेर से आती हैं कहा कि क्या आमेर में डवलपमेन्ट के साथ इसे नोटिफाइड एरिया करने लिए....

श्री राजबहादुर : यह रेलेवेन्ट नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं इतना ही निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, 1980 में 6,72,180 रुपए की आय थी और आज नोटिफाइड एरिया होने के पश्चात वह आय 27,19,081 रुपये हो गई।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : आपने क्या दिया ?

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नोटिफाइड एरिया किया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 27 लाख की आय हुई उसकी एक लम्बी लिस्ट है जिसके

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

द्वारा आमेर का पूरा, ठीक ढंग का डवलमेन्ट किया गया। मैंने उस रोज भी अनुरोध किया था कि नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाने का हमारा मकसद केवल मात्र यह है कि राजस्थान के कुछ ऐसे स्थल हैं जिनकी राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर ख्याति हैं उनको ठीक ढंग से डवलप किये जाने की सरकार की मन्शा है। मैंने स्पष्ट शब्दों में उस रोज अनुरोध किया था कि प्रमुख जगहों को सरकार ने इस बात के लिए छांटा है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सीकर से आने वाले सम्माननीय सदस्य को कि हम जयपुर के अन्दर कहीं भी नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाने नहीं जा रहे हैं। आपकी किसी भी प्रकार की आशंका पता नहीं किस बात के ऊपर आधारित है। जहां तक सवाल इस बात का है, उन्होंने एक आरोप लगाया किसी ट्रैक्टर कम्पनी को ठेका देने का, मैंने अभी इस बारे में जानकारी प्राप्त की। वहां पर एक अनएम्प्लाइड एग्रो इन्जीनियर्स की सोसायटी है और मेरे जमाने में उसको काम नहीं दिया गया। बहुत पहले से वह सोसायटी है। गवर्नमेंट का सर्कूलर है कि ये जो एग्रीकल्चर के अनएम्प्लाइड इन्जीनियर्स हैं, उनको काम देने के लिए, उनके टेण्डर लेना आवश्यक नहीं है और उसके अन्दर भी इस बात की सतर्कता बरती गई कि कहीं वहां पर उनकी रेट ऊंची न हो। उनको भी जो दूसरों की रेट आई उसी रेट के अन्दर नगर परिषद् के प्रशासक ने मिट्टी उठाने का काम दिया है। चूंकि इनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है और इन बातों के बारे में ये लगातार कहते रहे हैं जब कि यह मैं उस वक्त भी निवेदन कर चुका था और, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से फिर अनुरोध करूंगा जो काम हम करने जा रहे हैं, कृपा करके, उसके महत्व को समझें। ये कितना ही इस बात के बारे में कहते रहें, इनका काम है कहते रहना और मेरा काम इस बात का है कि मेरी पार्टी ने जो नीतियां, कांग्रेस ने जो नीतियां निर्धारित की हैं उन नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए लगातार प्रयास करना। यह मेरा काम है। ये तो लगातार इन बातों के बारे में कहते रहे हैं। अभी जिन-जिन बातों का इन्होंने उल्लेख किया है, बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा और सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस बात को उन्होंने बड़ा घुमा-फिराकर, बड़ा सस्पेंस क्रिएट करके माउण्ट आबू की उस नोटिफाइड एरिया कमेटी के चेयरमैन बनाये जाने का नाम लिया। मैं स्वयं भी जानता हूं बाबू भाई कश्यप नाम है उनका। मैं इनको नियम की जानकारी दे देता हूं....

(व्यवधान)

आप सुनिये जरा। मैं बोल रहा हूं इस समय, आप जब-जब बोलती हैं तब मैं सुनता हूं।

मैं अनुरोध कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, इनको इतनी तो नियम की जानकारी होनी चाहिये कि जो आदमी म्यूनिसिपैलिटी का ठेकेदार है उस आदमी को मैं चेयरमैन बना दूंगा, क्या यह सम्भव है? मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को, हमारी

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

जो नीतियां हैं, जिनके बारे में मैंने घोषणा की है, राज्य सरकार का जैसा निर्णय है, उस निर्णय के अन्दर इस प्रकार के जिन लोगों की आदत बन गई है और आप लोगों के जमाने के अन्दर ही वहां कोई बैठा होगा, हमारे जमाने में तो उनको किसी प्रकार इस प्रकार की कमेटी का चेयरमैन बनाना तो दूर है मैम्बर तक नहीं बनाया जायगा। आखिर आप बदनाम करना चाहते हैं। हम यहां पर लाखों रुपया लगा कर के....

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले एक सम्माननीय सदस्य ने बरामदों के नाम से एक और आरोप लगाया। इन्होंने यह कहा, यद्यपि उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं और सुबह 11 बजे, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के माध्यम से सारी स्थिति क्लियर कर चुका हूं। लेकिन फिर भी न जाने कौनसी चन्दा वसूली और कौनसा नासिक का कारखाना का उसका उन्होंने उल्लेख किया। अब मैं उन्हीं के उल्लेख के आधार पर यहां पर आपके समक्ष, मेरे को दो-तीन मिनट तो लगेंगे, पेश कर रहा हूं। 1978 के अन्दर राजस्थान सरकार....

श्री अध्यक्ष : आगे और मौके आयेंगे, अभी....

(व्यवधान)

मेरा उद्देश्य यह है जितनी स्टेजेज जल्दी निकल जायं उतना ही अच्छा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा लेकिन मैं यह अनुरोध करूंगा इस बात के बारे में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बात नहीं करेंगे, माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बरामदा समस्या, आपकी चन्दा वसूली और आपके नासिक के नोट, पता नहीं क्या-क्या बातें यह किस भावुकता में कह जाते हैं और मेरे भाइयों की बात पर पता नहीं कितने-कितने आरोप लगाये जाते हैं। जयपुर में तीस साल से इनके आरोप सुनता रहा हूं। आगे भी इस बात का मैं अनुरोध करता हूं, इस प्रकार के लोग, जो मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, इन शहरों का विकास नहीं होने देना चाहते, उनका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि 19-12-78 का केबिनेट मीमो है इसमें उन बरामदों के बारे में लिखा है:—

"The Committee strongly recommends that the varendahs should be reopened and encroachments made on the adjacent road should be removed. Three months time may be given so that shop keepers get time to remove their stock by date or by shifting material to storage elsewhere. The floor level in the varendahs have

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

become uneven due to encroachment and also due to structural problem to drain covered road level etc.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ऑफ ग्रार्डर, सर।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : तथ्यों के ग्राधार पर जब मैं ग्रापकी यहां पर पोलें खोलता हूं, ग्राप जब नासिक के नोट छापने की बात करते हैं ग्रौर नासिक के नोट लेकर के चले गये, 140 रु0 गज की जमीन ढाई रुपये गज में बेच करके चले गये, उन बातों को याद करो।

व्यवस्था का प्रश्न

मन्त्रिमण्डल की बैठक की कार्यवाही के संक्षिप्त विवरण का उद्धरण

श्री ग्रध्यक्ष : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर वे।

(व्यवधान)

पहले, माननीय सदस्य शान्त रहें। शान्त रहिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना नहीं है, तथ्यों को कोट करें। किन्तु क्या ग्राप इसको ग्रलाउ करेंगे कि केबिनेट की मीटिंग की जो मिनट्स हैं, जो सीक्रेट ग्रौर कान्फिडेन्शियल होती हैं उनके ग्राधार पर मन्त्री महोदय को मिनट्स कोट करने का ग्रधिकार है ग्राप यहां देंगे? यह पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है।

श्री ग्रध्यक्ष : मन्त्रिमण्डल की क्या राय है?

श्री चन्दनमल बैद : मन्त्रिमण्डल में जो निर्णय होता है जनता को बताना जरूरी है। उससे हम जनता को ग्रवगत करा सकते हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मिनट्स की बात कर रहा हूं मैं। निर्णय निश्चित रूप से जनता में जाय, जाना चाहिये जिसके लिए हित है। किन्तु मिनट्स, जिनको सीक्रेट कहा जाता है, जिनको कान्फिडेन्शल कहा जाता है, को कोट करने के लिए माननीय मन्त्री महोदय या मन्त्रिमण्डल के सदस्य, को ग्रलाउ करेंगे? मुझे तो यह पूछना है ग्रौर कुछ नहीं पूछना है।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ये मिनट्स हैं या मीमो?

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापका क्या ग्रनुभव है इसमें?

श्री राजबहादुर : ग्राफिशियल सीक्रेट एक्ट के ग्रन्तर्गत ग्रगर यह ग्राता है....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राता है कि नहीं ग्राता है, यह तो....

श्री राजबहादुर : मेरा विचार है अगर किसी भी डाकूमेन्ट को कोट करते हैं मिनट्स हों या केबिनेट मीमो हो, तो उस डाकूमेन्ट की कापी इनको यहां रखनी पड़ेगी, टेबल पर।

श्री अध्यक्ष : कापी तो ये रख देंगे। उसकी कापी रख देते हैं तो क्या आपत्ति है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप रखवा दीजिये, मन्जूर है।

(व्यवधान)

मैं निवेदन करूंगा, इसकी कापी यहां रखवाइये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं इनके सारे डाकूमेण्ट्स की कॉपिया रखता हूं।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करूंगा कि अगर आगे कभी ऐसा कोई मसला आयेगा तो इसी नमूने के आधार पर क्या मन्त्री महोदय और भी जो कान्फीडेन्शियल मिनिट्स की कॉपी हैं वह सब रखेंगे? यह भी विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष : सभा के समक्ष जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं, निर्णय उस तरह से दे सकते हैं कि लिये जायेंगे या नहीं लिये जायेंगे। मैं समझता हूं कि यहां वह कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकती। वह किस प्रकार के पत्र हैं, पत्रावलियां हैं या डाकूमेंट्स हैं उन पर निर्भर करता है। आपने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया कि यदि उन्होंने जिस पत्र को पढ़ा है उसको सदन के पटल पर रख देते हैं तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये जो आपने पाइंट ऑफ आर्डर उठाया है, उसको मैं निरस्त करता हूं। मन्त्री महोदय, कृपा करके उसका उपयोग करने के पश्चात् उसे सदन के पटल पर रखें।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, और यह केबिनेट मीमो की बात फरमा रहे हैं। मैं कहता हूं कि इन्होंने 2-9-79 को यह तय किया कि इन बरामदों को किराये पर दे दिया जाये। मैं खुद विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन इनकी आदत है, इनकी मुझ पर कुछ विशेष कृपा है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह अनुरोध कर रहा था कि इन्होंने उस बैठक में तय किया कि इन बरामदों को किराये पर दे दिया जाये। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वित्त सचिव, नागरिक आयोग और प्रशासनिक नगर पालिकाओं के अध्यक्षों को नोटिस दिया। उसके ऊपर तत्कालीन माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी, जो बड़े जोर से कहा करते हैं, चन्दा इकट्ठा करने की बात कहा करते हैं, स्वयं ने मई, 79 को कहा कि मुख्य मन्त्री जी ने विधान सभा में आश्वासन के विपरीत यह कहा है, और यह मुख्य मन्त्रीजी के आश्वासन के विपरीत है। वह सब मैंने सुबह आपके सामने अनुरोध किया तो, अध्यक्ष महोदय, यह इनकी व्यवस्थायें हैं,

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

मन्त्रिमण्डल पूरा निर्णय करता है और स्वायत्त शासन मन्त्री, मैं तो राज्य मन्त्री हूं वह मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे, वह यह लिखते हैं कि यह मुख्य मन्त्रीजी के आश्वासन के विपरीत है।

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न है। माननीय मंत्रीजी, जो सचिवालय में सचिव स्तर की और मंत्री के स्तर की जो पत्रावलियां होती हैं, उनमें मंत्री नोट लिखते हैं, मैं समझता हूं कि वह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है। उसके ऊपर सचिवालय से क्या आदेश प्रसारित हुए हैं, यह उठाना चाहिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह सारी बातें मुझे इसलिये कहनी पड़ रही हैं कि इनके समय में सचिव ने उत्तर दिया था कि किस प्रकार आगे की कार्यवाही रोक दी जाये। इस प्रकार से आज यह यहां इस प्रकार का माहौल पैदा करने की बात करते हैं और यह चन्दा इकट्ठा करने की बात मुझ पर कहते हैं, इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं। हम और आप सार्वजनिक जीवन के लोग हैं। यहां पर राजस्थान के लाखों, करोड़ों लोग हमसे आपसे किन्हीं विकास के काम के बारे में बात करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि ढाई साल इन्होंने खड्डे खुदवाये, लेकिन कुछ नहीं कर सके। आज जब इन कामों को छोड़ कर हमारी सरकार शहरों का विकास, गांवों का विकास करना चाहती है तब इनको वही बातें याद आ रही हैं। मैं उन सारे तथ्यों में नहीं जाना चाहता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सारी फाइलें दिखाऊंगा कि इन्होंने किस प्रकार से क्या-क्या कारनामे किये हैं। हमारी सरकार की मंशा साफ है, हम इन शहरों को विकसित करना चाहते हैं। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि जो आपने इस विधेयक को जनमत जानने के लिये जो प्रस्ताव रखा है, वह कृपा करके वापस ले लें और इसको पारित करवाने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

अगला प्रस्ताव।

विधेयक का पारण

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : आज सात विधेयक पारित करने है सभा को, इसलिये मेरा निवेदन है, माननीय सदस्यों से कि इसके लिये मैं समय सीमा 15 मिनट की निर्धारित करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने कहा है कि हम सार्वजनिक जीवन के लोग हैं और हमें सार्वजनिक जीवन में विकास का काम करना चाहिये। इस प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप लगायेंगे तो जनता क्या समझेगी? इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में रहने वालों की चादर बिलकुल साफ होनी चाहिये। आपको इस तरह से खण्डन या विखण्डन न करके जांच के द्वारा इस बात को प्रमाणित करना चाहिये कि हमारी चादर कितनी सफेद है, कितनी कालिख लगी हुई है। जब माननीय सदस्यों की चादर साफ होगी तो लोगों को पता लगेगा कि हमारे क्या कृत्य हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जो चार्ज लगाये हैं, उनका मन्त्री महोदय खण्डन करने के बजाय उनकी जांच करायें। लेकिन वह जांच नहीं करवायें और आरोपों का खण्डन करते हैं, तो यह ठीक नहीं है, इससे काम चलने वाला नहीं है। दूसरी बात मंत्री महोदय ने कही कि हमें इससे 27 लाख की आमदनी होगी। अध्यक्ष महोदय, जन प्रतिनिधित्व के काम पर इनका यह सीधा प्रहार है। इसका मतलब यह हुआ कि चुनी हुई नगरपालिकायें, चुने हुए पार्षद ठीक से काम नहीं करते और इनके द्वारा नियुक्त जो व्यक्ति है वह ठीक काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे कार्य प्रजातांत्रिक देश में लोकल सैल्फ बाडीज पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। क्या नगरपालिकायें, जो जनता द्वारा चुनी हुई हैं, ठीक से काम नहीं करतीं? मन्त्री महोदय ने तो प्रतिवेदन जारी कर दिया है कि जितनी भी नगर-पालिकायें चुनी हुई हैं, वह ठीक से काम नहीं करतीं। इन्होंने उनकी प्रशासनिक क्षमता पर आरोप लगाया है। वह आरोप ठीक नहीं है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय मैं चाहूंगा कि वह अपना आक्षेप वापस लें। आप स्वयं देखें, सरकार नगरपालिकाओं, नगर परिषदों, लोक सभा या विधान सभाओं में जन कल्याण की योजनाओं की घोषणायें करती है। फिर क्या कारण था जो इस प्रकार का नोट लाया गया? क्या कारण था जो गांवों में पंचायतों के अधिकार छीन लिये? क्या सरकार राष्ट्रपति शासन पर विचार कर रही है जो नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के अधिकार छीन लिये। एक तरफ मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि जन-कल्याणकारी सरकार आएगी वह विचार करेगी। दूसरी तरफ मन्त्री महोदय ने नगरपालिकाओं व उनके पार्षदों पर आरोप लगाया, आक्षेप लगाया कि ठीक से काम नहीं करते हैं इसलिये उनको हटाया जाय और गवर्नमेंट के व्यक्ति नियुक्त किये जायं क्योंकि वे नियुक्त व्यक्ति ठीक प्रकार से काम करते हैं। उसके लिये आमेर का

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)!

उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। इस राजस्थान विधान सभा में जो स्वायत शासन मन्त्री हैं उन्होंने जितने भी नगर-पालिकाओं के सदस्य और पार्षद हैं उनको अयोग्यता का प्रमाणपत्र दिया है, उनको अक्षमता का प्रमाण पत्र दिया है, उनको अयोग्य बताया है और उनकी निर्वाचन पद्धति पर आरोप लगाया है, प्रजातांत्रिक संस्थाओं का मजाक किया है। यह प्रजातंत्र के लिए घातक है। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के विधेयक का विरोध किया जाए और इस विधेयक को पारित न किया जाय।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय की शब्दावली में जाना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। यह विधेयक है। मन्त्री महोदय के बारे में कोई विधेयक का निर्माण नहीं हो रहा है, विधेयक है नगरपालिकाओं के संबंध में। कृपया आप बतायें कि इसको पारित क्यों न करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं उसी संबंध में कहना चाहूंगी। मान्यवर, मन्त्री महोदय 2 अगस्त को एक अध्यादेश लाये और उसके बारे में यह दलील दी कि मुझे मालूम नहीं था कि विधान सभा आने वाली है। हर कर्मचारी, हर अधिकारी....

श्री अध्यक्ष : वह बात बहुत पुरानी हो गई। उस पर तीन प्रस्ताव और आपने पारित कर दिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऐसे अज्ञानी मन्त्री को यहां रखने से क्या फायदा है जिसको यह मालूम नहीं कि विधान सभा का सत्र कब आने वाला है, कब बिल लाना चाहिये ? ऐसे अध्यादेश की आवश्यकता नहीं थी, सीधा बिल लेकर सदन में आ सकते थे, बिल पारित किया जा सकता था। लेकिन मन्तव्य गलत था। श्रीमती गांधी का जो नया 20 सूत्री कार्यक्रम है उसका पहला संकल्प है चुनाव कराना। उस संकल्प के विपरीत ये बिल लेकर ही नहीं आये हैं उस पद्धति के विपरीत अभी ये बड़े जोर से हाथ लम्बे करके बयान कर रहे थे कि हम अपनी पार्टी की नीति और कार्यक्रमों को लागू करना चाहते हैं। बिलकुल उसकी भावना के विपरीत है 20 सूत्री कार्यक्रम, जिसका कैलेंडर, जिसकी पुस्तकें जनता में वितरित की गईं, पैसा खर्च किया गया और सरकार ने माना कि हम उसको मान्यता देंगे, उस कार्यक्रम को पूरा करेंगे, के अन्तर्गत, अभी आपको ध्यान होगा, पंचायतों के चुनाव कराए गए। उसके विपरीत, इन चुनी हुई नगरपालिकाओं के बजाय ये चाहते हैं कि नोटिफाइड एरिया घोषित किये जायं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, खुद पार्षद रह चुके हैं जयपुर नगर परिषद् में, ऐसा चुनाव हुआ जिसमें व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का हनन करें, वहां के जन प्रतिनिधियों के, अधिकारों का हनन करें। वहां की समस्याओं के संबंध में, कार्यक्रमों की क्रियान्विति न होने दे।

(श्रीमती उजला अरोड़ा) .

मैं कहना चाहूंगी, इस तरह के जनप्रतिनिधियों, चाहे कांग्रेस से चुनकर आये, में कौनसी आपत्ति है ? आप अच्छा काम काम करेंगे तो कांग्रेस के व्यक्ति आयेंगे। नोटिफाइड एरिया करने की क्या जरूरत है, आप नगरपालिकाओं में सीधे प्रभाव में आते हैं। आप अच्छी तरह से चुने हुये सदस्य रह चुके हैं। जिस तरह से सभी नगरपालिकायें इलेक्टेड हैं उसके भी चुनाव करा देते तो वहां पर वह अच्छा काम करते। यहां जो तथ्य दिये गये उनके बारे में एक बात कहना चाहूंगी, पिछली बार ये बिल लाये थे, जो लोग वोट दे सकते थे उनके वोट देने का अधिकार का हनन करने का ताकि 18 साल का जो जवान व्यक्ति है, वह वोट नहीं दे सके। दूसरा बिल यह लाये थे, जिन्होंने करों की चोरी की है, चाहे वह साइकिल चलायें, चाहे उन पर भवन कर बकाया है, वह भी चुनाव लड़ सकें। ऐसी कल्पना आप लेकर आते है। यह बिल आपने पिछली विधान सभा में बहुमत के आधार पर पास तो करा दिया लेकिन आपने जनता के हित का ध्यान नहीं रखा। उस बिल में है जो कि कर की चोरी करें, चाहें तो मैं दुबारा पढ़ दूं आपने पास कराया था। हमारी दिक्कत यह है कि जहां नोटिफाइड एरिया इस समय है वहां कोई काम नहीं हो रहा है, उनकी कोई देखभाल नहीं, इनको बजट अच्छा दिया नहीं। हमारी भावना है कि उन जगहों, जैसे अजमेर, दूसरा कहा जसलमेर, जहां-जहां नोटीफाइड एरिया करने जा रहे है वहां काम नहीं करने वाले हैं, अपने लोगों को ठेका देंगे जो इनकी जेबें भरेंगे। इस तरह की कल्पनाओं की क्रियान्विति कर रहे है उसको देखकर हमें आशंका है, इसलिए हम जाकरूक और सतर्क होंगे। हम नहीं चाहते कि खुले हाथ इसकी छूट दें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसलिये, जो आरोप लगाया उसका खंडन करना अलग बात है। कैबिनेट के मिनिट्स मंत्री महोदय यहां लाकर गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी, नोटिफाइड एरिया किये जाने का जो विधेयक लाए हैं इसको यहीं रिजेक्ट किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा। समय का ध्यान रखें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं तो सदन का समय बिल्कुल नहीं लेना चाहता। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने मुझे दो दिन से इस बात की प्रेरणा दी है कि मैं बोलूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधेयक पर विचार रखने से पहले चार्जेज के नाम पर कुछ बातें उन्होंने कही हैं। यद्यपि आपका यह निर्णय था कि जो कुछ मेरे खिलाफ उन्होंने कहा है किसी भ्रष्टाचार के आरोप के दायरे में नहीं आता है, यह केवल ××× कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी····

श्री अध्यक्ष : आपने शब्द ××× कहा था ?

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने कहा था यह आरोप नहीं है।

(व्यवधान)

हां गला बैठा हुआ है मैं अभी आपको भी बिठा देता हूं।

(व्यवधान)

तो मेरा निवेदन है कि ये पिछले दो तीन दिन से लगातार कुछ आरोप, जिनको आप आरोप नहीं मानते, लगाने की कोशिश कर रहे हैं और आज फिर इन्होंने वही रिपीट किया है, इसलिये मुझे बोलने की आवश्यकता हुई। आज इन्होंने यहां केबिनेट की कार्यवाही पढ़कर सदन को यह समझाना चाहा कि कोई ऐसी बात हुई थी; जैसे कोई बड़ा घोटाला हो। अंग्रेजी था इसलिये उसे आप पढ़ नहीं सके और समझा नहीं सके। केबिनेट में जो कुछ निर्णय हुआ होगा वह इस सदन में लाकर सबके सामने रखा कि यह हमारा निर्णय है। सदन में उस पर चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद लोगों ने अपने विचार रखे और हमारे उदार मुख्य मंत्री ने कहा कि हमारा निर्णय कुछ भी हुआ होगा लेकिन सदन की इच्छा है कि कमीशन बिठाकर उस कमीशन द्वारा जांच करा कर निर्णय लागू किया जायगा, जिसमें जनता के प्रतिनिधि अपने विचार रखें और बाकी लोग भी रखें। जो भी जनता अपनी बात रखना चाहेगी, उस पर निर्णय कमीशन करेगी, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया। फिर पूरी सरकार का कर्त्तव्य था जब सदन में इस प्रकार की घोषणा हुई है तो उसको आनर करना चाहिये। अगर कोई राज्य मंत्री भी इस बात की घोषणा कर दें तो हम ऑनर करते हैं वह तो मुख्य मंत्री की कही हुई बात थी जिनको हमने ऑनर किया।

श्री अध्यक्ष : केबिनेट मीटिंग की तो मुख्य अध्यक्षता मंत्री कर रहे होंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : बिल्कुल, वही करते हैं लेकिन जब यह मामला सदन में आ गया तो हाउस सबसे बड़ा है। जब माननीय सदस्यों का यह मत बना कि इसमें कुछ करना चाहिये तो हमने भी कहा, ठीक है, कमीशन बिठाकर सबकी राय लेकर फैसला करें। यद्यपि वह मुख्य मंत्री थे; प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले व्यक्ति की कभी यह जिद् नहीं हो सकती इसलिये हमने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद हमने निर्णय किया कि जो भी निर्णय हुआ होगा हम उस पर कोई जिद् नहीं करेंगे और जो आश्वासन दिया गया है उस आश्वासन का पालन करेंगे, उस निर्णय को ऑनर करेंगे, जो करना चाहिये। आरोप लगाये जाते हैं, हमारी उदारता है, हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। यहां आरोप लगा दिया कि भीलवाड़ा में····

श्री अध्यक्ष : इस पर नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह मेरे खिलाफ है। I have got a right to personal explanation, Sir.

मैं बोलता भी नहीं। मैं खुद भी जानता हूं। आपने खुद फर्मा दिया लेकिन जब रोज-रोज प्रहार होंगे, कुछ न कुछ कहेंगे इसलिये आज मैंने जरूरी समझा, मैं बोलूं।

1947 में जब हिन्दुस्तान पाकिस्तान बने थे तब लोग अपना घर-बार छोड़कर यहां अपना जीवन निर्वाह करते थे।

भीलवाड़ा के लिये कहा और इसी प्रकार आपने वहां के 77 परिवारों के बारे में कहा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

यह वही 77 परिवार के लोग थे जो अपनी थड़ियां लगाते थे। उन लोगों के वहां थड़ियाँ लगाने के कारण वहां की सड़क, अध्यक्ष महोदय, थोड़ी कम चौड़ी हो गयी, तो नगरपालिका ने यह अनुभव किया, यह सन् 71 की बात है या सन् मुझे याद नहीं है क्योंकि फाइल इनके पास हैं; लेकिन नगर पालिका ने इस बात का अनुभव किया कि इस सड़क को चौड़ा किया जावे। इसलिये वहां पर चूंकि रेलवे की जमीन थी और रेलवे की जमीन होने के कारण उन्होंने वह बातचीत करके अपने पजेशन में ले ली और उन थड़ी होल्डर्स से कहा कि आप इस मैदान में आ जाइये जिससे कि सड़क भी चौड़ी हो जावेगी और आपको व्यापार करने का भी अवसर मिलेगा। उनके और नगर-पालिका के बीच में एक एग्रीमेन्ट हुआ और उस एग्रीमेन्ट के आधार पर यह निर्णय हुआ कि जो दुकानें वहां बनायी जावें वह पक्की बनायी जावें और नगरपालिका को दुकानें बनाने के बाद 50 रुपया किराया देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, फिगर्स तो मुझे याद नहीं, दो तीन रुपये इधर-उधर हो सकता है, क्योंकि इतने दिन हो गये। थोड़े ही दिनों में इमर्जेन्सी आ गयी। इमर्जेन्सी जाने के बाद इनके हाथ में लकड़ी आ गयी और डण्डा आ गया। इन्होंने दुकानदारों के कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उन दुकानदारों ने भी यही सोचा कि वह अब कुछ कर नहीं सकते हैं। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि अब हम तुमको दुकानें बनाकर नहीं देंगे, तुम्हें अपनी दुकानें बनानी पड़ेगी। अब हम तुम्हें दुकानें बनाकर नहीं देंगे बल्कि तुम्हें अपनी दुकान खुद बनानी पड़ेगी, वरना तुम्हें हटायेंगे। तो उन्होंने कहा साहब, इससे तो हमारा रोजगार ही चला जायेगा, हम क्या करेंगे ? तो उन्होंने एक शर्त लगायी कि हम जमीन तो तुम्हें दे देंगे पर दुकान वहां पर तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। उन पर यह पाबन्दी भी लगा दी कि आप लोग खुद अपना पैसा लगाकर दुकानें बनायेंगे, दुकानें तुम्हें ही रखनी पड़ेगी फिर भी आपको दुकानों का किराया म्युनिसिपैलिटी को ड्योढ़ा देना पड़ेगा। नगरपालिका से यह उनका एग्रीमेंट था। उस समय इमर्जेन्सी का डण्डा था इसलिये वह लोग नगरपालिका के खिलाफ में बोल नहीं सके। उसके बाद में उन लोगों से दुकानें बनाने के बाद किराया ड्योढा लिया गया। फिर एक वह दिन शुभ आया जब कि इनकी सरकार हट गयी और जनता पार्टी का शासन आ गया, वह लोग मेरे पास आये, उन्होंने कहा कि "हमारे साथ अत्याचार हुए हैं, और यह भी कहा कि इमर्जेन्सी में इस प्रकार से हमें परेशान किया गया। तो मैंने कहा कि यह बहुत ही गलत हुआ। जब आपने सारा रुपया लगाया है और दुकानें जब आपने ही बनायी हैं तो आप दुकान के मालिक हैं, नगरपालिका की केवल जमीन है वह भी आपके पास 20 वर्षों से थी वह जमीन छोड़ी है आपने तब आपको मिली है। फिर हमने रियायती दर पर उनको वह जमीन अलाट की। उन्हीं लोगों को वह जमीन अलाट की गयी जो 77 परिवार सन् 48 से वहां पर बैठे हुए थे, और उसी सीरियल नम्बर से उनको वह दुकानें दी गयीं। उस समय कई कांग्रेसी नेता मेरे पास आये और कहा कि आप माई बाप हैं, माई बाप कहते थे हमको, और कहते थे कि हमारे साथ बड़ा भारी अन्याय

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हुआ है इसलिये हमने उनको वह दुकानें दीं। यह यहां पर यह कहते हैं कि हमने कोई अनियमितता की है, हमने कोई भ्रष्टाचार किया है। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? यह ठीक है कि आप पर बहुत सारे आरोप लगे हैं और अभी बहुत सारे आरोप लगेंगे भी। आपने आरोप लगा दिया माननीय भैरोंसिहजी शेखावत के ऊपर, आपने विरोधी दल के नेता पर आरोप लगाया। आपके खिलाफ में जो आरोप लगाये गये....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे में क्षमता है आपने जो आरोप लगाये उनका जवाब देने की।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने आरोप लगा दिया विरोधी दल के नेता पर। आप कह रहे थे कि यह मेरे पास कागज है। बड़ा नाटक किया था आपने। लेकिन जब आप पर आरोप लगाया था तो आप में हिम्मत नहीं थी जवाब देने की। अगर आप में हिम्मत होती तो आप कहते कि मैं चैलेन्ज करता हूं। आप उसको चैलेन्ज करते तो आप सदन में नहीं होते। मैं एक बात आप को और कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो आरोप लगाये उससे तो आप सदन के बाहर ही जाते, पर मेरे खिलाफ में अगर आरोप लगाया तो आप यहां नहीं होंगे, जयपुर में नहीं रहोगे और जयपुर में अगर रहोगे तो आप जेल के सीकचों में ही रहोगे। क्योंकि अभी भी ऐसी धारायें हैं कि अगर किसी आदमी को कोई बदनाम करे तो वह जेल के सीकचों में रह सकता है। मैं आपको चैलेन्ज करता हूं कि आप पत्रकारों के सामने यह कहें, उनके सामने आप आरोप लगायें, ऐसे नहीं जैसे आप हाथ उठाकर यों ही चाहे कुछ कह देते हैं, आप चाहे जो आरोप लगा देते हैं। यह कोई बात है। एक बात आपने दौसा के बारे में कही। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन चाहता हूं कि वह फाइल आप मंगाइये और उस फाइल को मंगा कर आप देखिये। अगर आपको कहीं कोई भी भ्रष्टाचार की गन्ध नजर आती है तो आप मुझे कान में कह देना, मैं खुद ही सदन छोड़ कर चला जाऊंगा। यह क्या आप इस तरह से बातें कह रहे हैं, क्या आरोप लगा देते हैं आपको ध्यान रखना चाहिये। आप जैसे आदमी यों ही आरोप लगा देते हैं। आप ने माननीय भैरोंसिह जी पर आरोप लगा दिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरे पास प्रमाण हैं, मैं प्रमाण दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बीच में नहीं बोलें, क्योंकि आप इस बात के बड़े आदी हैं कि जब भी कोई बीच में बोलता है तब आपको बहुत बुरा लगता है। आप थोड़ा धैर्य रखिये। मैं तो कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं तो आपको यह कहना चाहता हू कि जो दुर्गति आपकी उस दिन हुई....

(व्यवधान)

मैं कोई आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनके मन्त्रिमण्डल के सदस्य के खिलाफ

(श्री मोहनलाल मोदी)

में यहां पर आरोप लगाया था। उसकी अगर जांच करायी जाती तो 50 लाख रुपये का घपला उसमें आपको मिलता।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह कहा कि आप जांच करावें, तो मेरा निवेदन यह है कि मैं तो जांच करा नहीं सकता हूं, आप जांच करा सकते हैं जांच, गृह मन्त्री जी बैठे हैं वह करा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, श्री श्रीराम जी, आपको चुनौती देना चाहता हूं, आप तो सरकार में बैठे हैं, आपके पास सरकार है, आप बड़े ज्ञानी हैं और ऐसे जासूसी काम आप करने में होशियार है, आप मेरी फाइलें निकालिये। अध्यक्ष महोदय, आप फाइल मंगायें। अगर आप उस फाइल को देखकर यह निर्णय दे दें, और चाहे जो भी आप निर्णय दें, उसमें अगर आप किसी भी तरह की अनियमितता पावें या कोई घपला पावें, या उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ पूरा होता देखें तो फिर किसी और बात की जरूरत नहीं है, आप खुद कह देना, मैं सदन को छोड़कर चला जाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हो तो उन्हें आप ताड़ना दीजिये कि यह व्यवहार आपका ठीक नहीं है, आप मन्त्री स्तर के हैं, आप हमारे जयपुर के प्रतिनिधि हैं और जब आप ऐसी बातें करते हैं तो हमें नीचा देखना पड़ता है। आपने उस दिन जो हरकत की, उसके बाद में आपकी जो दुर्गति हुई उसमें हमको नीचा देखना पड़ता है, लोग कहते हैं कि आपने किसको मन्त्री बना दिया है। और कोई आपको काबिल आदमी मिला ही नहीं था क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप साफ हैं तो मन्त्री महोदय को कहिये कि आप हिम्मत करें, आप जांच करावें। मैं आपको एक मित्र के नाते यह सलाह देना चाहता हूं। आप जांच करवाने के लिये घोषणा कर दें। इससे इनकी बोलती बन्द हो जावेगी। और अगर नहीं होती है तो आप बाहर हो जाओगे। दोनों काम ही आपके लिये सुविधाजनक होंगे। आपको जांच कराने में क्या परेशानी है ? आप पर जो चार्ज लगाते हैं उसमें मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं, आप चाहें तो वकील बनने को भी तैयार हूं आपका।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपको वकील बनाकर मुझे डूबना थोड़े ही है। आप कितने काबिल वकील हैं वह मुझे मालूम है। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा कि आपको वकील बनाऊं।

श्री भंवरलाल शर्मा : चलो ठीक है आप तो ऐसा वकील बनाना जो कि आपके कारनामों को दबा दे। मुझे मत करना, चलो ठीक है। इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं इनको मित्रता के नाते समझा रहा हूं। आप हमारे नगर के मन्त्री हैं यह जितने भी चार्जेज आप पर लगाये हैं, आपको इन चार्जेज का जवाब देना चाहिए। कोई लीपा पोती से

(श्री भंवरलाल शर्मा)

काम नहीं चलने वाला है। आप आज ही घोषणा कीजिये कि आप पर लगे आरोपों की जांच कराने को तैयार हैं। आपको क्या चिन्ता है? आप जब पाक हैं, आप साफ हैं तब आपको चिन्ता क्या है? आप पवित्र हैं तो फिर आपको क्या चिन्ता है? यहां आपकी कोई बहन नहीं है, यहां आपका कोई भाई नहीं है और न आपका कोई यहां पर बहनोई है, आप जब बिलकुल ही नेक हैं, आप साफ हैं तो फिर आपको चिन्ता किस बात की है। किस बात का आपको डर लग रहा है? आपको मेरे लिये तो जांच की जरूरत नहीं है। आप तो, अध्यक्ष महोदय, को सिर्फ कन्विन्स कर दें। वह अगर यह कह देंगे कि इसमें गड़बड़ी है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। इसमें परेशानी की क्या बात है? श्री श्रीरामजी आप यहां पर चार्ज लगाते हैं लेकिन मैं आप पर आरोप नहीं लगाता हूं। आपके पास तो फाइलें हैं, मेरे पास तो अभी फाइलें भी नहीं है। पर आप अगर आरोप लगाते है तो फिर मेरे पास भी कागजात हैं। श्री श्रीराम जी, आप तो नगरपालिका के मैम्बर रह चुके हो, आपने वहां पर क्या क्या किया है यह आपकी भी जानकारी में है और मेरी भी जानकारी में है। इसलिए आप इन बातों को मत करिये, आप इन बातों में मत पड़िये कांच के घर में रहकर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बहुत सलाह दे दी। अब तो आप विराजिये, साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, अब आइये न।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं तो सब जवाब दूंगा, आप तसल्ली रखें। आपके सब आरोपों का जवाब दूंगा। आप तसल्ली रखें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप कांच के घरों में रहते हो इसलिए लोगों के घरों में पत्थर मत फेंको। आपका जयपुर के अन्दर शहर में मकान है, और उस मकान पर आप आते थे। याद है ना आपको? आपने उस मकान में नगरपालिका की जमीन पर चबूतरा और बालकोनी बनायी और बिना पैसे दिये उस जमीन को हड़प लिया। अब आप यह कह देंगे कि वह बात पुरानी हो गयी। वह बात नहीं है। आप कह देंगे कि मियाद बाहर हो गयी। पर हमें चिन्ता नहीं है। आपकी दुकान भी, श्रीरामजी, गोटे की मिश्र राजाजी के रास्ते में है। उसकी भी कितनी जमीन आपने रोक रखी है, वह भी नगरपालिका की जमीन आपने बिना पैसे रोक रखी है और वहां आपने मकान बना रखा है। बनीपार्क में एक मकान आपने यू. आई. टी. की जमीन को लेकर बनाया है, वहां पर आपने जमीन इल्लीगली एक्वायर कर ली है। इस तरह आपने जनाना होस्पिटल के पीछे नमक का गोदाम आपने एक साथी के साथ बनाया है। क्या बात करते हैं आप? आपके मकान के पीछे एक सार्वजनिक बगीची है उसकी आपने जमीन कितनी हड़प ली है, मैं नहीं बताना चाहता हूं।

(व्यवधान)

128

एक माननीय सदस्य : आप बता दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारी तो दोनों तरफ से मुसीबत हैं क्योंकि अगर हम इस जांघ को उघाड़ते हैं तो यहां की लाज उघड़ती है और उस टांग को उघाड़ते हैं तो वहां की लाज उघड़ती है। आप जयपुर के हैं। अगर आप जयपुर के नहीं होते तो हम आपको मटियामेट कर देते।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अब मंत्री हैं आप जरा अब नियमित काम करिये, अच्छे काम करिये, ईमानदारी से काम करें, जन-सेवा का काम करें। यह स्वार्थ सिद्धी का काम छोड़ दें। हम आपके साथ हैं, आप अच्छे काम करें। अभी आप पिछले दो तीन दिन से इस प्रकार की बाते कर रहे हैं इसीलिए मैं आपको यह सलाह देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय से सलाह कर ली जाती, यह कहा कि यह मामला ऐसा है। ऐसी बातों से मतलब निकलने वाला नहीं है। आपने इस बिल को लाने के पहले कहा और आमेर का उदाहरण दिया कि वहां की इनकम बढ़ गयी। किस से? नोटिफाई करने से बढ़ गयी? तो यह इनकम बढ़ाने के लिए नोटिफाई कर रहे हैं क्या? इस स्टेटमेंट में आपने जो रीजन्स दिये हैं उसमें यह नहीं है कि हम नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहते हैं, इसलिये हम इसे नोटिफाई एरिया बनायेंगे। यह नहीं है। और जवाब क्या दिया आपने, नोटिफाई करने से वहां की इनकम बढ़ती है? तो यह तो आप कभी कह देंगे कि यह नगरपालिका घाटे में चल रही है। मैंने उस दिन विधान सभा में भी कहा था कि नगरपालिकाओं को नोटिफाई करने से इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ाने के लिये जिसको चाहेंगे आप नोटिफाई कर देंगे। कभी विरोधी पक्ष का चेयरमैन अनुदान मांगने आयेगा तो आप कहेंगे, अच्छा आपकी इनकम नहीं है, तो, अच्छा, नोटिफाई किया जावे। दे दिया आपने प्रसाद उनको। यह आप क्या करने जा रहे हैं? ठीक है जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि माउण्ट आबू का कोई व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट हो सकता है। फिर बाकी की सब जगह क्यूं ऐसा कानून लागू करने जा रहे हैं? आपकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, आपका कुछ एग्रीमेन्ट उनके साथ हो सकता है, कुछ समझौता हो सकता है। रात दिन आप काम करते हैं, बहुत लोग आपके पास आते हैं। आप फर्मा रहे थे कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं। तो वह भी आपके पास आ गये होंगे। तो अकेलों के लिए क्यों सारे प्रदेश को डुबो रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री श्रीराम गोटेवाला (स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर अभी जो दो सम्माननीय सदस्य

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

बोले हैं उनको बहुत संक्षेप में एक-एक लाइन का जवाब ही दूंगा।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कोई अनावश्यक बात नहीं करूंगा। जहां तक मकान के पीछे बगीची का ताल्लुक है, मैंने कितना बिगाड़ा और कितना नहीं बिगाड़ा, उसका आप कभी भी अवलोकन कर लें।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक दौसा की फाइल के लिए उन्होंने कहा है मैंने आपको भी कहा था कि आप उसका अवलोकन कर लें और आप स्वयं देखें। फिर किस तरह से यह कहते हैं और मुझे इस प्रकार की धमकियां देते हैं कि यहां नहीं बाहर आप जेल के सीखचों में होंगे। मैं बहुत विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि फिर यह जेल के सींखचों वाली बात के अन्दर लपेट कर कहते हैं कि इधर की जांघ उघाडूंगा तो इधर की दिखेगी और उधर की जांघ उघाडूंगा तो उधर की जांघ दिखेगी। मैं और यह नगरपालिका के साथ-साथ मैम्बर थे। मैं इनके सारे फार्मूलों को जानता हूं कि कौन-कौन फार्मूले कब कब अजमाते हैं। मैं इनके फार्मूलों के कहीं चक्कर में आने वाला नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना विनम्र निवेदन करूंगा कि ऐसी बहुत अनर्गल बातें इस सदन के अन्दर कही हैं। अब खण्डेला गोटा स्टोर का जिक्र कर दिया। खण्डेला गोटा स्टोर वाला तो इनका खुद का कार्यकर्त्ता है। मेरा तो उससे दूर का भी सम्बन्ध नहीं है। यह कहते हैं, कभी बहिन नहीं, कभी कहते हैं बेटी नहीं। अब हो सकता है, मेरा इतना लम्बा चौड़ा परिवार है, मैं चुनाव जीतता हूं तो उनकी बदौलत से, इनकी मेहरबानी से या इनकी सलाह से तो जीतता नहीं हूं। यह ठीक है कि आपस में मतभेद रहते हैं। कभी-कभी यह मन से नहीं चाहते होंगे कि इनका वह आदमी जीते, लेकिन यह मेरी मदद के लिये आते हैं। इसलिये सारी बातों के लिए न तो इनकी सलाह की आवश्यकता है और न कोई और आवश्यकता है।

एक और मुद्दे की कहूंगा। इन्होंने एक बात यह कही कि चुने हुए आदमी प्रजातंत्र को समाप्त कर देंगे और इस नोटिफाइड एरिया कमेटी के बारे में कहा कि आमेर की इन्कम बढ़ गयी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह भी कहा है कि इन्कम के साथ ही साथ कितना विकास के लिये काम किया उसके बारे में इनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सारे कामों से इन्कम कैसे हो सकती है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट से भी पैसा लिया गया और भारत सरकार से भी, जिन-जिन शहर को नोटिफाइड एरिया बनाने की बात कही है उनको हम भारत सरकार से भी स्पेशल स्कीम में इनक्लुड कराकर उस सारी व्यवस्था को करवाना चाहते है।

एक जो इन्होंने प्रजातन्त्र को समाप्त करने की बात कही है मैं सम्माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमने यह अमेन्डमेन्ट धारा 313 में किया है। म्युनिसिपल एक्ट की धारा 314 भी यहां मौजूद है जिस धारा में यह क्लीयर लिखा हुआ है :

"Constitution of the notified area committee.—(1) There shall be

130

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

established for each notified area a committee consisting of such number of members as may be fixd by the State Government and such members shall, for the first term, be appointed and for the subsequent terms be elected, or partly elected as the State Government may direct."

तो कहीं पर भी कोई इलेक्शन को इग्नोर करने की बात नहीं है। यह बात, अध्यक्ष महोदय, जरूर है कि इन्होंने प्रशासन में बैठकर 1977 में चुनी हुई 140 नगरपालिकाओं को एक कलम की नोक से कत्ल किया था। जो हमारा नाव चुका वायदा था और हमारे संकल्प का जो पहला संकल्प था उसके अनुसार हमने 142 नगरपालिकाओं के चुनाव कराये हैं। अब जनता ने इनकी छुट्टी कर दी तो मेरा क्या अपराध है? तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इसमें कोई खास बात नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि यह विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया गया।

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1982।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक के साथ उद्देश्य एवं कारणों का विवरण

श्री भंवरलाल शर्मा : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। यह जो आपने विधेयक पेश किया है इसके रीजन्स देने जरूरी हैं कि यह क्यों लाये हैं यहां पर वह नहीं दिये हैं। स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स आपने नहीं दिये। इसमें यह लिखा है:

"According to the provisn of sect'on 16, appeal against the order of assessment is entertainable on payment of one half of the tax assessed. It has been decided by the Government that appeal should only be entertainable after payment of the whole of the t:x assessed."

क्या रीजन है यह? You have decided What is the reason?

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : हमने तय किया कि पूरा टैक्स देने के बाद ही अपील होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : रीजन नहीं है यह।

श्री चन्दनमल बैद : क्यों नहीं है?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं अभी अर्ज कर देता हूं।

"According to the proviso to section 16, appeal against the order of assessment is entertainable on payment of one half of the tax assessed. It has been decided by the Government that appeal should only be entertainable after payment of the whole of tax assessed."

What is the resons for this amendment? It is your decision, not reason.

दो संशोधन लाये हैं आप। एक संशोधन तो यह लाये हैं कि आप ब्याज लगायेंगे लोगों पर और एक यह लाये हैं कि अपील कोई करेगा तो, अब तक पहले का यह प्रोवीजन है कि आधा पैसा जमा कराने के बाद ही अपील कर सकता है, अब आपने इसको खतम करके यह तय कर दिया कि जितना भी अमाउन्ट नीचे की अदालत तय करेगी, उसका असैसमेंट होगा, वह पूरा का पूरा अमाउन्ट जमा कराने के बाद ही उसे अपील का अधिकार मिलेगा। दूसरे में आपने यह तय किया है कि अगर पेमेन्ट नहीं करता है तो ब्याज देना पड़ेगा। दो अमेन्डमेन्ट लाये हैं आप। एक तो रीजन आपने बता दिया कि ब्याज इसलिये लगाया है कि पेमेन्ट जल्दी हो जाये, आदमी पेमेन्ट करने के लिए प्रेरित हो, नहीं तो उसे ब्याज भी देना पड़ेगा। तो वह तो ठीक है। But what is the reason for this amendment? इसमें क्या रीजन दिया है, वह बता दीजिए आप। आपको नींद सवेरे खुली और तय कर दिया, यह बता दीजिए।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता कि एतराज क्या है। सरकार ने यह तय किया कि जो पहले आधा पैसा देने के बाद अपील कर सकता था उसके बजाये पूरा पैसा देने के बाद अपील एन्टरटेन की जायेगी। इस बात के लिये हम बिल को लाये हैं और क्योंकि अभी तक पैसा नहीं चुकाने पर ब्याज लेने का प्रावधान नहीं था अब ब्याज लेने का प्रावधान कर रहे हैं। यह हमने तय किया है और इसको पूरा करने के लिये अमेन्डिग बिल लाये हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि यह क्या बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देख लें जरा। यह जरा कानून की पेचीदगी है। इसमें यह लिखा है :

"It has been considered necessary that such a provision be made so that the assessees may pay their dues in time."

सैकण्ड अमेन्डमेंट के लिये रीजन दिया आपने। आपने डिसीजन डिक्लेयर कर दिया, उसके पीछे रीजन्स क्या हैं, यह कहीं भी नहीं है इसमें, जब कि रीजन्स होने चाहिये। अध्यक्ष महोदय, खुद देख लें एक बार।

श्री चन्दनमल बैद : यह रीजन अपने आप में काफी है कि सरकार ने यह तय किया। जरा पढ़िये :

(श्री चंदनमल वैद)

"It has been considered necessary that such a provision be made so that the assessees may pay their dues in time."

यह दोनों को एप्लाई करता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसी व्यवस्था रही है और परम्परा भी रही है कि हमेशा जब भी कोई बिल आयेगा....

श्री अध्यक्ष : परम्परा का कोई सवाल नहीं है इसमें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं क्वोट करता हूं।....

श्री अध्यक्ष : कानूनी कौन सी गलती होगी, यह पहले बतायें। उसके बाद में जो आपने एतराज किया है, वह आयेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले यह तय हो जाय कि यह रीजन्स हैं क्या।

श्री अध्यक्ष : रीजन पर्याप्त हैं लेकिन क्योंकि आगे भी माननीय सदस्य आपत्ति उठायेंगे, तो इस बात की व्यवस्था हो जाय कि रीजन देना जरूरी है या नहीं, संविधान और कानून के अनुसार।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह जो उन्होंने दिये हैं।....

श्री अध्यक्ष : यह जो उन्होंने दिये हैं उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। रीजन उन्होंने बता दिये हैं लेकिन रीजन्स देना जरूरी है क्या, संविधान या अन्य किसी कानूनी प्रावधानों के अनुसार ?

श्री भंवरलाल शर्मा : Yes, Sir. इसमें जहां तक पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस का सवाल है शकधर यह कहता है :

"It has been uniform practice since 1862 to append to every Bill a statement of objects and reasons briefly explaining the purpose of proposed legislation."

यह मैंने शकधर में से पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष : मैं संतुष्ट हो गया आपकी बात से।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) : अध्यक्ष, मेरा निवेदन करना यह है कि स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स क्या हों, यह शकधर संदर्भ से जरूरी देना चाहिये। लेकिन एक बात समझ लेना बहुत आवश्यक है कि जो स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स दिया जाना जरूरी है, वह बिल इन्ट्रोड्यूज करते समय दिया जाना जरूरी है। जो अमेन्डमेन्ट लाये जा रहे हैं और इसमें जितने प्रोविजन्स दिये हैं क्या उन प्रोविजन्स के अलग-अलग रीजन्स दिये जाने जरूरी हैं ? मेरे ख्याल से केवल बिल के रीजन्स दिये जाने जरूरी हैं। स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स, किसी एक बिल के लिये है न कि अलग-अलग प्रोविजन्स के लिए।

श्री अध्यक्ष : अपने सामने छोटा बिल हो, चाहे एक खण्ड का हो, चाहे 100 खण्डों का हो, चाहे मूल हो, चाहे संशोधन के रूप

(श्री अध्यक्ष)

में हो, ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स जब विधियों का निर्माण करते हैं, तो इस तरह की परम्परा पिछले बहुत लम्बे अर्से से चली आ रही है और इसमें ऐसी व्यवस्था दे दी गयी है कि यह जरूरी होते है। अब इसमें आगे बोलने और वाद-विवाद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स इसमें दिये हुये हैं और किस उद्देश्य से यह संशोधन लाये हैं उसके बारे में वित्त मंत्री जी ने कह दिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि उन्होंने इस विधेयक के उद्देश्य आदि-आदि सब ठीक ढंग से बता दिये हैं। इसलिये जो आपत्ति है उसको मैं निरस्त करता हूं।

(व्यवधान)

अब रीजन्स तो अपने-अपने रूल के अनुसार हर एक आदमी देगा। आपने कह दिया, यह कारण है, ठीक है, उन कारणों के पीछे अपन थोड़े ही जायेंगे ? लाने के कारण दिये गये है वह पर्याप्त है।

(व्यवधान)

This is not part of law, but it has been the practice continuously for oné century that objects and reasons must be given, and in this Amendment Bill also......

श्री भंवरलाल शर्मा : It is necessary.

श्री अध्यक्ष : The concerned Minister has given the Objects and Reasons and there has been sufficient compliance of the practice which has been p evalent in our country.

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह परम्परा यहां भी नहीं टूटनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : टूटी नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सन् 52 से यह परम्परा चली आ रही है साहब, उसे तोड़ें नहीं।

श्री अध्यक्ष : तोड़ा कहां है ? उस परम्परा को माना है और यह भी माना है कि उस परम्परा के अनुसार उन्होंने कारण और उद्देश्य दोनों दे दिये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यही मैं अर्ज कर रहा हूं, साहब। एक सैकण्ड मैं आपका लूंगा और अर्ज करूंगा। इन्होंने यह कहा है कि रीजन हमने बाद में लिखे हैं। रीजन्स में क्या लिखा है आपने—

"Moreover, there is no provision in the Act at present for levying interest in case the amount of tax or penalty is not paid within the amount of tax or penalty is not paid within the time allowed. It has been considered necessary that such a provision be made so that the assessees may pay their dues in time."

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री भंवरलाल शर्मा : केवल ड्यूज के लिये है।

श्री अध्यक्ष : ऑब्जेक्ट्स दे दिये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : केवल ड्यूज का टाइम पर पेमेन्ट हो जाय। इन्ट्रेस्ट के कारण।

श्री अध्यक्ष : दोनों के लिये है।

श्री चन्दनमल बैद : सर, मैं आपसे निवेदन करूं....

श्री अध्यक्ष : वह हो चुका है, ठीक है।

This is sufficient compliance.

This is my ruling.

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपसे निवेदन करूं कि हिन्दी के अधिकृत अनुवाद में यह है कि यह विधेयक पूर्व उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये है।

श्री अध्यक्ष : हो गया, ठीक है, मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 19:2 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : संशोधन प्रस्ताव है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। कई संशोधन हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कृपया समय का ध्यान रखें। विधेयक के लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया जाता है।

इनको अवसर नहीं मिला है मेरे ख्याल से। श्री कटारिया जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं इनके बाद बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है, मैं इनके बाद बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष : नहीं अभी 5 और विधेयक इसके पश्चात् हैं।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं, "राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1982 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स एक्ट की कुछ धाराओं में हम कुछ अमेन्डमेन्ट ला रहे हैं। उसमें कुछ हम भी जोड़ रहे हैं। 15–ए क्लाज में हम यह जोड़ रहे हैं कि इसके साथ ब्याज को और मिला लिया जाय। क्लाज 16 में और 17 (ए) में यह है कि इन्ट्रेस्ट किस हिसाब से लगेगा, 15 पर्सेन्ट के हिसाब से इन्ट्रेस्ट लगेगा 30 दिन के पश्चात्। इसमें हम यहां पर यह जोड़ रहे हैं। एक प्रमुख

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बात यह है कि यदि वह असेसमेंट के विरुद्ध अपनी बात कहना चाहता है कि मेरा यह असेसमेंट ठीक नहीं है, उसकी जो भी असेसमेंट अथोरिटी है, उसने जो असेसमेंट किया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। अब तक तो उसके लिये उसको अपील करने का अधिकार था उस अधिकार के तहत जितना पैसा बनता था उसका आधा जमा कराना पड़ेगा, उसके बाद वह अपील में जा सकता था। अब आपने इसको बढ़ा कर पूरा कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि टैक्स को आप जितना बढ़ाते चले जायेंगे, जितनी आप इसकी सीमा बढ़ायेंगे उतनी ही टैक्स की चोरियां भी बढ़ती चली जायेंगी। यह साधारण सा फार्मूला है जो हर अनपढ़ जो गांव का आदमी है वह भी इस बात को समझता है। लेकिन हमको तो यह दिखता है कि जैसे हम टैक्स लगायेंगे वह सब ऊपर से बढ़कर हमारे खजाने में जमा हो जायगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि आदमी की चोरी करने की मनः स्थिति उसमें बनती है, वह जानता है कि यदि असेसमेंट अथोरिटी, मान लो एक हजार रुपया तय करती है कि उसको एक हजार रुपया देना पड़ेगा तो उसकी अपील में जाने की स्थिति तब आयेगी जब उस गरीब की पॉकिट में एक हजार रुपये होंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि शहर में सारे मकान करोड़पतियों के नहीं है, लखपतियों के नहीं है, शहरों में मेरा ऐसा अनुमान है कि 70 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए दो कमरे या तीन कमरे भी नहीं होंगे जिनमें उनके परिवार आसानी से रह सकें। आपके असेसमेंट के हिसाब से जिसको पहले कभी 30 हजार का मकान कूतते थे, 50 हजार का कूतते थे आज उसकी कीमत दो लाख हो गई है, जिस ढंग से जमीनों की कीमत बढ़ी है, आपके हिसाब से वह 5 लाख की हो गई, दस लाख की हो गई। तो बिलकुल छोटे परिवार, जो छोटे से मकानों में रहते हैं उनके मकान का भी अगर वेल्यूएशन किया जाय, तो वह शायद 4 लाख, 5 लाख आयेगा और आपने छूट दे रखी है एक लाख तक की। एक लाख के बाद आपका लैण्ड एंड बिल्डिंग टैक्स प्रारंभ हो जाता है और इसके कारण से अति सामान्य व्यक्ति भी इसमें आयेगा।

(4.50 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वास्तव में आपकी इच्छा यह हो कि हमारी जो आय है, उसमें बढ़ोतरी हो तब इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। आप ऐसे लोगों पर टैक्स लगायें जिनके मकान वास्तव में 20 लाख के हैं 25 लाख के हैं। कोई न कोई सीमा निश्चित करें आप। आपने इतना अमेन्डमेंट किया कम से कम उन लोगों को इस सीमा से अगर आप नहीं निकालते तो एक अमेंडमेंट इसके साथ और जोड़ देते कि जैसे जैसे समय बढ़ता जायेगा, 5 साल के बाद जैसे जैसे उसकी वेल्यूएशन बढ़ायगे, उसकी सीमा बढ़ती चली जायेगी, तभी गरीब आदमियों को रिलीफ मिल सकती है, उसे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

छूट मिल सकती है। 10 साल के बाद एक लाख का मकान 5 लाख का हो जाएगा और उस समय टैक्स सीमा भी आगे हो जायेगी। आप जानते हैं अपने देश में, सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से समझिये, किस तरह से असेसमेंट होता है, किस तरह से सारी प्रक्रिया चलती है? आपने जाने-अनजाने उन बेईमानों को और अवसर दे दिया कि अपनी बेईमानी आराम से करो। मैं यह समझता हूं कि जो सामान्य व्यक्ति ईमानदारी से चलना चाहता है वह यह समझता है कि वह ईमानदारी से टैक्स जमा कराये इस अमेंडमेंट के बाद वह ईमानदारी से नहीं चल पायेगा। अगर वह अपील करना चाहेगा तो पहले दो हजार की व्यवस्था करनी होगी तब वह सोचेगा कि जो असेसमेट अथोरिटी है उसको दो सौ रुपये देने से मेरा काम चल सकता है। जब वह असेसमेंट 5 सौ रुपये कर देता है तो दो सौ रुपये देने के पश्चात् उसे 1500 रुपये का फायदा होता है। ये 200 रुपये ज्यादा नहीं हैं और इससे काफी खर्चा बच गया। जो कुछ इस देश का करेक्टर है और जिस ढंग से इस देश का करेक्टर बनता जा रहा है उसमें आप इस बात को स्वयं मानेंगे। क्योंकि आप बहुत विद्वान हैं, आप अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं आपकी मनः स्थिति केवल यह है कि इस दिवालिया सरकार को किस तरह टिकाऊं, इसलिए इधर--उधर हाथ मार रहे हो। लेकिन आप कृपा करके हाथ मारने से पहले यह देख लीजिए कि इस देश का जो नेचर बन गया है, इस देश के लोगों की सोचने की जो मनः स्थिति बन गई है उससे लगता है कि कहीं से भी, भले डाका डाला जाय, जहां हाथ मारें वहीं से पैसा मिलना चाहिये, यह मनोवृत्ति हो गई है। मेरी यह मान्यता है, इसके द्वारा निश्चित तौर से बेईमानी का जो अभी बोलबाला है उसका बाजार और गरम होगा। अब तक जो असेसमेंट होते हैं, मैं आपको कहता हूं, जितने भी लोग समझदार हैं वे मिल-जुल करके अपना हिसाब अपना असेसमेंट बिठा लेते हैं। लेकिन जो तबका गरीब है, पढ़ा-लिखा नहीं है, जो समझता नहीं है और बड़े ऑफिस की उस फाटक को खोलकर जो देख नहीं पाता है, घूजता है, थर्राता है ऐसे' लोगों पर यह टैक्स लगेगा। और जो साधन सम्पन्न लोग हैं, जो बुद्धि वाले लोग हैं, जो कुछ कर सकते है वे तो इस चोर रास्ते से फिर निकल जायेंगे।

मेरी यह मान्यता है कि हिन्दुस्तान में जो पूरा टैक्स चुकाता है वह गरीब आदमी ही चुकाता है। हिन्दुस्तान के जितने आदमी बड़े और पैसे वाले बनते हैं उतने ही चोर और डकेत बनते जा रहे हैं, और आप उसकी गलियां निकालने के लिये फिर से रास्ता निकाल रहे हो। अब तक तो यह सोचकर वह भुगतता था कि चलो, अपील में जायेंगे, कोई बात नहीं, आधा पैसा लगेगा। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं, आप अपील के पैसे खतम करें। आपकी असेसमंट अथोरिटी ने असेसमेट कर दिया और मुझको लगता है कि असेसमेंट ठीक नहीं हुआ है तो फिर कोर्ट में जाने की छूट क्यों नहीं देते हैं? अगर अपील में जाने के बाद मेरा फैसला यही हो जाता है कि नहीं यही फैसला रहेगा और यही इसकी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कीमत आंकी जायेगी तो जब आपने ब्याज का प्रोविजन डाल रखा है, ब्याज के पैसे ले लेने में आपको तकलीफ क्या है ? मुझे ब्याज के हिसाब से रकम देनी है जिसको मैं कहीं ले नहीं जा सकता हूं। मेरी ऐसी मान्यता है, मंत्री महोदय, फिर से इस पर विचार करें। यह बात जरूर है कि आपको जल्दी है और आपको विश्वास है, अगर लोकतन्त्र चल सकता है तो आर्डिनेन्स के द्वारा ही चल सकता है बाकी तो हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र रहेगा नहीं। अन्यथा क्या हम इस पर खुला डिस्कशन करते। आपके भी माननीय सदस्य सोचते अवश्य हैं, लेकिन चूंकि सरकार की तरफ से आर्डिनेन्स आ जाता है और यहां विधेयक बन कर आ जाता है तो कैसे विरोध करेंगे, कैसे उसकी खिलाफत करेंगे और कैसे खिलाफ वोटिंग करेंगे ? इस कारण आपने अच्छा रास्ता निकाल रखा है, विधान सभा भले ही थोड़े दिनों बाद शुरू होने वाली हो लेकिन आपको लगता हैं 6 महीने से ज्यादा गैप तो नहीं है। 6 महीने से ज्यदा गैप नहीं है क्योंकि एक विधान सभा से दूसरी विधान में कानून के तहत पाबन्दी लगा रखी है कि 6 महीने में तो चलेगी ही। 6 महिने में आप कौनसा करिश्मा करने वाले हैं ? लेकिन आपको लगता है, नहीं, यह रास्ता है, पीछे से इस रास्ते से घुस जाओ क्योंकि इससे भी इस देश का लोकतन्त्र चल रहा है और उसके हिसाब से एक ठप्पा लगा दो। आपके मन में क्या है ? जो 6 करोड़ की अभी आप वसूली कर रहे हैं इसके द्वारा आपकी मंशा क्या है ? 6 करोड़ तो मोटयान का है। लेकिन जो कुछ आप वसूल कर रहे हैं, मैं कहता हूं जितना टैक्स का पैसा बढ़ाते जाते हैं उतनी ही चोरी बढ़ती जाती है, मेरी यह निश्चित मान्यता है। आपने जो एक लाख की सीमा कर रखी है इसे ही आप पांच लाख पर ले जाइये और हर साल के बाद आप पांच लाख को रिवाइज करिये। पांच साल बाद हो सकता है उसकी वेल्यूएशन सात लाख हो जाय। आखिर कोई न कोई सीमा निश्चित करके करेंगे तो आपको भी फायदा होगा और जो ब्याज लगाया है, 15 प्रतिशत का लगाया है, शहर का सामान्य व्यक्ति भी इसकी सीमा में आ जायेगा—एक लाख की सीमा में। चार मकान, जो उसके रहने के हैं—100 बाई 100 का या 25 बाई 25 का भी प्लाट होगा तो उसकी वेल्यूएशन क्रास कर जायेगी शहर में। इस कारण उन सब लोगों को इस बात की परेशानी हो जायगी कि कोर्ट में घूमते फिरो, असेसमेंट ऑफिस में घूमते फिरो और अपना समय बरबाद करते फिरो। इसलिए मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस पर फिर से विचार करें और यह जो अपील का अधिकार है, जो पूरा पैसा जमा कराने के बाद लेने का है इसको छोड़ दीजिये। अपील उसको फ्री में करने दीजिये, जाने दीजिये उसको अगर बिना किसी पैसे के अपील में जाय और अपील से अपने केस को डिसाइड करा लाता है अपने फेवर में, तो ठीक है और अगर अपील उसके फेवर में नहीं होगी तो ब्याज आपका लगा हुआ है उससे ब्याज सहित वसूल कर लें। इसलिये मैं आपसे और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से इस पर विचार करने के लिये निवेदन करना चाहता हूं। यह नहीं कि कोई बात हमने कह दी, वह बेकार है और फालतू है, ऐसा विचार मत करिये।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आप अगर वास्तव में राज्य की आय को बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरीके से राज्य की आय बढ़ायें कि उसमें हमारी ईमानदारी को भी कहीं बचने की गुंजाइश मिले नहीं तो हर आदमी चोर हो जायगा। क्योंकि एक लाख, दो लाख में उन सबको जाने-अन्जाने और न चाहते हुए भी इस श्रेणी में खड़ा करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको गलत रास्ते अपना कर अपना काम करना पड़े। यदि हिन्दुस्तान में सभी लोगों को चोर बनाना है तो सभी आदमियों पर टैक्स लगा दो, वे निश्चित रूप से चोर हो जायेंगे, यह मेरी गारन्टी है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जनमत जानने का जो संकल्प रखा है, आप उसका समर्थन करें ताकि जनता यह तय कर सके कि जो कुछ आपने निर्णय लिया वह उचित है या नहीं।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के
निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाय।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक के लिये बढ़ा दिया जाय ?

(व्यवधान)

दो घंटा बढ़ा देते हैं फिर बढ़वा लेना।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दो घटे का प्रश्न नहीं है आज की कार्य-सूची पूरी न हो तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : सभापति महोदया, कल 11 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय क्योंकि खाने की व्यवस्था इन्होंने कर दी।

श्री सभापति : सबके लिये या आपके लिये ?

सदन की अनुमति है, दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय ?

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : कार्य सूची समाप्त हो, तब तक के लिये बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : सदन अप्रूव नहीं करता है।

एक माननीय सदस्य : दो घंटे बहुत हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कार्य सूची शीघ्र समाप्त करने का प्रयत्न किया जायगा।

(श्री सभापति)

तब तक दो घंटे समय बढ़ा दिया जाय। इसके बाद फिर बढ़ा देंगे।

(व्यवधान)

सभी को जल्दी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा तो प्रस्ताव यह है कि कार्य सूची समाप्त न हो तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : हम इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं क्योंकि मुख्य सचेतक महोदय ने खाने की व्यवस्था कर दी है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : दो घंटे बढ़ाने दीजिये फिर बाद में और बढ़ा देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो यही प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य-सूची समाप्त हो तब तक के लिये समय बढ़ा दिया जाय।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : दो घंटे में ये खाने की व्यवस्था नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाय।

(व्यवधान)

सदन का मूड नहीं है।

(व्यवधान)

इस पर वोटिंग क्यों करवाइये ? मामला तो बहुत छोटा सा है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदया की व्यवस्था ठीक है, दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदया, एक व्यवस्था देने की कृपा करें। दो घंटे समय बढ़ायेंगे तो मुख्य सचेतक महोदय हमारे खाने की व्यवस्था नहीं करेंगे और आज की कार्य-सूची पूरी होने तक बढ़ायेंगे तो खाने की भी व्यवस्था करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक मिनट बचा है, आप शीघ्रता करिये।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या यह रिकार्ड पर जा रही है खाने वाली बात ? मैं समझता हूं उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : अभी दो घंटे के लिये एग्री कर जाइये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 5 बज रहे हैं आप जल्दी कीजिये। कार्य-सूची समाप्त होने तक समय बढ़ा दें।

श्री सभापति : अभी दो घंटे बढ़ा दिया जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, साहब। मेरा प्रस्ताव तो यह है कि कार्य-सूची समाप्त होने तक के लिये बढ़ा दिया जाय और आप कहते हैं, दो घंटे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। दो घंटे के लिये समय बढ़ाया जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज (टोडा रायसिंह) : हमारा प्रस्ताव जब तक कार्य सूची समाप्त हो तब तक समय बढ़ाने का है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसको प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनायें।

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज : हमारा कार्य सूची की व्यवस्था का प्रश्न है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : व्यवस्था दी जा चुकी है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य कुछ पूछ रहे थे ?

श्री राजबहादुर : मैं यह पूछ रहा था....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे दो बार इनीशियली कह चुकी हूं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कुछ व्यवस्था पर पूछूं, दो घण्टे का रहा ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब दो घण्टे का समय है।

श्री राजबहादुर : सभापति महोदय, एक तो जो खाने की व्यवस्था रिकार्ड पर आयी है, इसको रिकार्ड से निकाल दिया जाय।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सभापति महोदया, जो मूल प्रस्ताव में अमेन्डमेंट यहां रखा गया, बिना सदन की अनुमति के यहां नहीं किया जा सकता। इसमें, यहां सदन में....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमने प्रस्ताव दो घण्टे का रखा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो चेयर पर बैठता है उसकी बात फाईनल होती है। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सदन का समय दो घण्टे बढ़ा दिया गया है।

श्री राजबहादुर : अब तक यह परम्परा थी, उससे इन्कार करना चाहते हैं और बहुमत के आधार पर करना चाहते हैं, यह

(श्री राजबहादुर)

परम्परा अच्छी नहीं है. यह डेमोक्रेटिक नहीं है। मैं कहूंगा कि सभापति ने जो निर्णय दिया है, उसको मानना चाहिए। इसमें डेमोक्रेटिक भावनाओं की कद्र होती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम मान गये जी। हमने तो यह प्रस्ताव रखा है कि आज की कार्य सूची समाप्त होने तक कार्यवाही चलेगी, लेकिन माननीय सभापति महोदय ने खड़े होकर यह कह दिया दो घण्टे बढ़ा दी गयी, तो बढ़ाइये।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री सभापति : डा० उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): : माननीय सभापति महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1982 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

माननीय समापति महोदय, राजस्थान भूमि एवं भवन कर में संशोधन लेकर माननीय मन्त्री महोदय आये हैं वह भी अध्यादेश के माध्यम से और वह भी बहुत गलत ढंग से लाये हैं। दरें पहले निर्धारित कर दीं। एक ओर तो माननीय मन्त्री महोदय ब्याज की परिकल्पना करते हैं। ब्याज लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई देरी से देता है तो ब्याज की कल्पना की जा सकती है लेकिन, 15 प्रतिशत, मैं समझती हूं, बहुत ज्यादा है। इतना रुपया जो जनता का बैंक में जमा करते हैं उस पर ब्याज देते हैं उसके अनुसार इस देरी में देय पर ब्याज लिया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, दूसरी ओर मन्त्री महोदय संशोधन लाये हैं कि सम्पूर्ण टैक्स की रकम जमा होने पर ही अपील में जा सकेगा। आज तक हम सोचते रहे कि गरीबों को, सामान्य लोगों को न्याय मिलेगा, सस्ता और समय पर मिलेगा। मान्यवर मन्त्री महोदय, समय की देरी के लिए उनको न्याय ही नहीं मिले, क्या इसलिए यह बिल लाये हैं? हर साल आधा पैसा तो आप ले ही रहे थे, आधा पैसा देने के बाद ही अपील में जा सकता था। लेकिन, मन्त्री महोदय, उसके लिए पूरा पैसा जमा करके, वह भी विभाग के लोग असेसमेंट करेंगे, असेसमेन्ट चाहे जितना हो जाय, चाहे ज्यादा हो जाय, पूरा पैसा जमा हो जाने के बाद ही अपील में जा सकेगा। आज मंहगाई के जमाने में कई लोगों के पास कोर्ट फीस तक का पैसा नहीं है उसके बावजूद यहां पर मैं समझती हूं कि टैक्स की पिछले दिनों दर बढ़ा दी गई थी। शुरूआत में जो कल्पना थी, उसके बाद दो बार टैक्स बढ़ाया गया। मन्त्री महोदय गलत ढंग से यह बिल लाये हैं। ब्याज में इन्हें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन इस ढंग से जो बिल लेकर आये हैं कि अपील में जाने से पूर्व पूरा पैसा जमा कराये, यह ठीक नहीं है। एक ओर व्याख्या करते हैं, इस 15 ख के अधीन धारा 10, 11, 14, 15 या 15 ख के अधीन व्यथित व्यक्ति की, यह खुद व्यथित व्यक्ति मान रहे हैं और फिर उसके लिए कह रहे हैं कि अपील में पूरा पैसा जमा कराके

(102)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

ही जायेगा । मैं समझती हूं कि ऐसा बिल, ऐसा अध्यादेश यहां नहीं लाना चाहिए था लेकिन यह लाये हैं । जनता से चुनकर आये हैं तो इनको चाहिए, मैं आपसे प्रार्थना करूंगी, मेरा इसमें मत है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रेषित किया जाय ताकि जनता इस बात को समझे कि उनके द्वारा दत्त-मत्त लोग किस तरह स उनके ऊपर गलत-गलत बात थोपना चाहते हैं और ऐसा प्राधिकरण थोपना चाहते हैं जिसके माध्यम से हमें न्याय नहीं मिलेगा । जैसा मेरे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य, गुलाब जी कटारिया ने कहा कि लोग लैकूना ढूढेंगे चोरी के रास्ते आगे बढ़ाने के लिए । यह इस बिल को लाये हैं, मैं आग्रह करूंगी कि इसको जनमत जानने के लिए प्रेषित किया जाय ।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरा लाल आर्य ।

(अनुपस्थित)

श्री छीतर लाल आर्य ।

(अनुपस्थित)

श्री अनंग कुमार जैन

(अनुपस्थित)

श्री बालचन्द्र आर्य

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी

(अनुपस्थित)

श्री बंशीलाल पटवा

(अनुपस्थित)

श्री नाथूसिंह

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी

(अनुपस्थित)

श्री यदुनाथ सिंह

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल शर्मा

(अनुपस्थित)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप इनको बाहर जाने को कह रही हैं ।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय ।

श्री चन्दनमल बैद : सभानेत्री जी, इस कर के बारे में उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तथा सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने....

श्रीमती उजला अरोड़ा : सांगानेर वाली नहीं, जयपुर ग्रामीण वाली ।

श्री चन्दनमल बैद : जयपुर ग्रामीण से आने वाली। नजदीक ही है सांगानेर भी जयपुर ग्रामीण के। कोई बात नहीं।

एक बात तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभानेत्री महोदया, कि गरीबों का नाम लेकर भाषण देने की एक परिपाटी चल रही है, हर बात में गरीबों पर टैक्स, गरीबों पर टैक्स। एक लाख से ऊपर जिसकी इमारत होगी, वह भी 11 शहरों में, उस पर यह टैक्स लगता है। एक लाख से ऊपर, और कौनसी कीमत पर, 73 की कीमत पर। यह भाव बढ़ाने की बात कर रही हैं। वह इस बात को भूल जाती हैं कि अभी जो टैक्स है वह 73 की कीमत पर असेस किया जा रहा है। पिछली विधान सभा में ही जब 10 साल समाप्त हो रहे थे तो इसके लिए 5 साल बढ़ाया गया था। तो 73 की कीमत और 85 की कीमत में कितना फर्क हो जायेगा, यह सोच लीजिए एक लाख की जायदाद होगी वह 3-4 लाख की हो जायेंगी। 3-4 लाख की जायदाद वाले 11 शहरों में रहने वाले को गरीब कह सकते हैं, सभानेत्री महोदया, तो हमको बधाई दीजिए कि हमने कितना विकास कर दिया, कितने लोग सम्पन्न हो गये कि 3-4 लाख वाला भी आज गरीब माना जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने संशोधन रखा कि इस असेसमेंट की प्रक्रिया में भी गलती कर रहे हैं। इसलिए जो 10 हजार का है वह एक लाख का हो गया और इस असेसमेन्ट को जो 10 हजार का एक लाख ले रहे हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्या।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सभापति महोदय, क्या यह उचित है कि जब मैं जवाब दे रहा हूं, इस तरह से बीच में खड़ी हो जायें? मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप और बोलना चाहें और बोल लीजिए, मैं बाद में खड़ा हो जाऊंगा लेकिन मेहरबानी करके मेरा तारतम्य न तोड़िये। एक बात आपने कही कि दो बार टैक्स बढ़ा दिया गया। सभानेत्री महोदया, हमने तो कोई टैक्स बढ़ाया नहीं, जनता पार्टी की सरकार ने जो टैक्स तय किया था वैसा का वैसा रखा है, उसमें कहीं हेर-फेर नहीं किया है। हम तो आपकी ही बात मान रहे हैं और आप मुझे ही ओलमा दे रही हैं। तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो हमने पूरा टैक्स देकर अपील करने का अधिकार दिया है, वह किस वास्ते दिया है। एक प्रश्न के जवाब में मैंने एक सूची सदन की मेज पर रखी थी कि किस किस पर कितना टैक्स बकाया है। उस समय बड़े जोश के साथ कोटा से आने वाले माननीय सदस्य दाऊदयाल जोशी ने कहा था कि 74 से रकम बकाया है, कोर्ट ने स्टे कर रखा है, आपने क्या किया। मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि कोई एक दफा अदालत में चला जाता है और 74-75 से टैक्स नहीं आता तो कितने साल बीत जाते हैं? अब इतने साल बीत जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि आप लोग अपील में जाना चाहते हैं तो हमारा टैक्स है, आप गरीब नहीं हैं, आपके पास 3-4 लाख की इमारत है आप हमारा टैक्स दे दीजिए और राजी-राजी आप अदालत में जाइये फिर चाहे 10 साल लगें, चाहे 15 साल लगें। आखिर आज ब्याज की दर है बाजार

(श्री चन्दनमल बैद)

में 18 और 20 पर्सेंट है। हम तो 15 पर्सेंट लेंगे। अभी दूसरा विधेयक मैंने पेश किया था उसमें 18 और 24 पर्सेंट का प्रावधान किया था क्योंकि वह दूसरी तरह के लोगों के लिए था। लेकिन चूंकि ये ऐसे लोग हैं जो शहर में बसते हैं और यह टैक्स नहीं है, यहां तो उनकी खुद की रकम है उनको दे रहे हैं, इस वास्ते मैंने उचित समझा कि उनके ऊपर 15 पर्सेंट ब्याज ही लगाया जावे, ज्यादा ब्याज नहीं लगाया जावे। माननीय सभानेत्री महोदया, यह बिलकुल निर्दोष बिल है, बिलकुल निर्दोष विधेयक है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए आपने ऐसे शब्द काम में लिए कि यह गरीबों पर टैक्स लग रहा है और कि यह काला कानून है। यह न कोई काला कानून है, न कोई गरीबों पर टैक्स लगाया जा रहा है। यह तो उनके लिए है जिनके पास बड़ी-बड़ी जायदादें हैं। अभी आप कह रहे थे कि यह तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सन् 85 तक तो यही टैक्स है इसी आधार पर हमको असेसमेंट करना है। 85 के बाद में तो कई समय आयेंगे। अगर हम देखेंगे कि जमीनों की कीमतें और बढ़ गई हैं, और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम समझते हैं कि टैक्स एग्जोरबीटेंट हो गया है तो कम भी कर सकते हैं और अगर यह समझेंगे कि कम हो गया है तो बढ़ा भी सकते हैं। यह अधिकार तो सरकार को हमेशा रहता है। उस समय भी इस प्रकार का एतराज कर सकते हैं और यह कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज के परिपेक्ष में यह बिलकुल निर्दोष विधेयक है, इसको विचारार्थ ले लिया जावे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1982 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विचारार्थ....

श्री चन्दनमल बैद : विचारार्थ लिए जाने के लिए तो आप पूछेंगी।

(व्यवधान)

विचार के लिए हमसे राय लेंगी।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डश : विचार।

विचारार्थ रखिए, माननीय महोदय।

श्री चन्दनमल बैद : विचारार्थ लेने का प्रस्ताव तो मैंने पहले ही रख दिया और

(श्री चन्दनमल बैद)

विचारार्थ लेने का प्रस्ताव भी पास हो गया। अब तो खण्डों पर संशोधन रखना चाहें तो रखिये ।

श्री सभापति : खण्ड 2 पर कोई संशोधन नहीं है ।

श्री चन्दनमल बैद : है एक संशोधन । खण्ड 3 में एक संशोधन है ।

श्री सभापति : खण्ड 2 पर नहीं है । प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 3. संशोधन, श्री हरिसिंह ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापति महोदया, जो प्रिंसिपल एक्ट की दफा 16 है उसको खण्ड 3 अमेंड कर रहा है । जैसा कि अभी विचार चल रहा था कि आधे की जगह समस्त टैक्स दाखिल करने पर ही अपील होगी, इस पर मैंने अमेंडमेंट मूव किया है । उसमें मैंने यह अमेंडमेंट मूव किया है कि Substitute the words "two third "for the word "whole" which is sought to be substituted." इसके पीछे मेरी भावना यह है। मेन एक्ट की दफा 16, इस एक्ट में वह दफा है जिसमें कि किसी व्यक्ति, जिस पर टैक्स निर्धारित हुआ है, को अधिकार दिया गया है प्रथम अपील करने का । किसी भी लेजिस्लेचर की मंशा यह हुआ करती है कि जब आप अपील के लिए अधिकार देते हैं तो वह अधिकार इसलिए देते हैं कि वह अपील के अधिकार का उपयोग कर सके । ऐसा आपको नहीं करना चाहिए कि एक तरफ तो, एक हाथ से तो आप अधिकार देते हैं, दूसरी तरफ आप दूसरे हाथ से उस अधिकार को सरकमवेंट करते हैं, अधिकार को खतम कर देते हैं । यहां दफा 16 में, पहले तो यह प्रावधान था कि आधा टैक्स जमा कराके आगे वह अपील कर सकता है, अब यह कह रहे हैं कि जब तक समस्त टैक्स जमा नहीं करा देगा तब तक उसको अपील के दरवाजे भी नहीं खुलेंगे । यह एक टैक्सेशन लेजिस्लेशन है, उसमें जो टैक्सेशन अथोरिटीज हैं वह कोई जुडिशियल अथोरिटीज नहीं हैं, माननीय सभापति महोदया, वह राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त वे आफिसर हैं जो कि राज्य सरकार के सीधे कण्ट्रोल में हैं, जिनका अपाइन्टमेंट, जिनका प्रमोशन, जिनका ट्रांसफर राज्य सरकार के हाथ में होता है । तो हम उनसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते और उम्मीद करें तो भी जुडिशियल कोर्ट का मैंने ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं देखा जिसमें किसी भी आदमी के लिए प्रथम अपील में जाने से मना कर दिया गया हो। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, ऐसे कितने ही स्टेट्यूट्स हैं, आप इन्डियन इनकम टैक्स एक्ट देख लीजिए, आप वैल्थ टैक्स एक्ट देख लीजिए, आप स्टेट ड्यूटी एक्ट देख लीजिए और आप राजस्थान सैल्स टैक्स एक्ट देख लीजिए उनमें भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कि एक आदमी को इसके लिए बाध्य किया जावे कि जब तक वह पूरी रकम जमा नहीं करा देगा तब तक वह अपील में नहीं जा सकता ।

(श्री हरिसिंह)

सेल्स टैक्स एक्ट तो वह एक्ट है, माननीय सभापति महोदया, जिसमें कि व्यक्ति औरों से सेल्स टैक्स वसूल कर लेता है, वह उसके पास होता है और वह राज्य सरकार में जमा कराता है। सेल्स टैक्स एक्ट में भी यह प्रावधान नहीं है। ऐसे एक्ट में प्रावधान नहीं है जो और लोगों से रकम वसूल कर की जाती है तो इस एक्ट मे प्रावधान करना न्यायपूर्ण नहीं है। मैं सेल्स टैक्स एक्ट का मुलाहिजा कराना चाहता हूं। सेल्स टैक्स एक्ट की दफा 13 में अपील कंटेस्ट की जाती है। उसमें यह है। उसमें यह है, 13 का (ए) (बी) (II) का प्रोविजो (3):

"Provided further that no appeal shall be entertained under this sub-section unless it is accompanied by satisfactory proof of the payment of tax or other amounts admitted by the appellant to be due from him or of such instalment thereof as might have become payable, as the case may be."

इसमें भी जो असेसी है वह जितने अमाउण्ट को डिस्प्यूट नहीं कर रहा है, ऐसे एडमिटेड अमाउण्ट को पेश करके अपील कर सकता है। दूसरा प्रावधान यह है कि अपील पेश करने के बाद में अपीलेट अथोरिट है उसका यह अधिकार है कि उसको स्टे कर सकता है। इसका सेक्शन आप देखें। सेल्स टैक्स एक्ट का सेक्शन है 11। 11 के (3) का प्रोविजन है:

"Provided that where an assessee has presented an appeal under section 13, the Commissioner or Deputy Commissioner (Administration), subject to such limits and conditions as may be prescrib d in this behalf. may, on application in writing from the assessee, stay the recovery of the disputed amount or any part thereof during the pendency of the Bill if the assessee furnishes sufficient security to his satisfaction in such form and in such manner as may be ptescrlbed-"

अब, इस एक्ट के तहत तो यह प्रावधान कर दिया कि आपको समस्त रकम जमा करानी ही करानी पड़ेगी। अपीलेट अथोरिटीज को आप यह डिस्क्रिशन नहीं दे रहे हैं कि वह स्टे कर सके। उसके अन्दर एक प्रोविजन यह है दूसरा उसके अन्दर यह प्रोविजन कर रहे हैं कि जब तक रिकवरी नहीं होगी उस पर इंट्रेस्ट लेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे एक्ट के अन्दर प्रावधान करने का मतलब यह होगा कि आप अपीलेट अथोरिटीज के दरवाजे बन्द कर रहे हैं, उस आदमी के लिए। मैं आपको इंस्टांस देता हूं।

इस एक्ट के अन्तर्गत बहुत से मंदिरान एग्जम्प्ट हैं और कोई भी असेसिंग ऑफिसर यह चाहता है या समझिये कि वह अनजानकारी में करता है या जान बूझकर करता है, वह मन्दिर की समस्त प्रॉपर्टी,

(श्री हरिसिंह)

जिसकी कीमत कई लाख रुपये हो सकती है, पर टैक्स लगा देता है यद्यपि प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट है। कोई भी असेसिंग अथोरिटी गलती कर सकती है। हम यह मान कर नहीं चल सकते कि असेसिंग अथोरिटी जितनी भी राजस्थान के अन्दर हैं वे सब जो फैसला करेंगी वह सब सही-सही फैसला करेंगी, सेंट पर्सेन्ट सही फैसला करेगी अगर आप यह बात मान कर चलते हैं तो अपीलेन्ट का प्रोविज़न हटा दीजिए। जब आप अपील का प्रोविजन कर रहे हैं, तो मैं मन्दिर का इंस्टांस देकर आपको निवेदन कर रहा हूं कि कई लाख की प्रॉपर्टी है मन्दिर के पास, जो एग्जम्प्ट है उस पर टैक्स लगा दें तो कई हजार रुपया उस पर टैक्स कायम हो गया। उस मन्दिर के पुजारी के पास में पैसा नहीं है टैक्स जमा कराने के लिए तो वह अपील नहीं कर सकता। ऐसे कई इंस्टांसेज आ सकते हैं जिसमें कि वह आदमी अपील करने से डिबार हो जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, और आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपने हर जगह प्रोविजन किया है अपील का तो इसके ऊपर ही क्यों ऐसा प्रोविजन ला रहे हैं। उसके लिए आप ऐसा कर दीजिए कि वह अपील नहीं कर सके। आप अपीलेट ऑथोरिटिज को यह अधिकार दे दीजिए कि 2/3 टैक्स जमा करा के अपीलेट अथोरिटी के सामने आये। अगर वह स्टे दे दे तो ठीक है और अगर स्टे नहीं देता है तो रिकवरी हो जाएगी। अपील पेश करने का मतलब यह नहीं होता कि आप टैक्स रिकवरी बन्द कर दें। आपके पास में टैक्स रिकवरी की मशीनरी है। आप वसूली क्यों नहीं कर लेते हैं। यह कोई तर्क नहीं होता कि 74 का टैक्स बकाया पड़ा हुआ है इसलिये आप इस प्रकार का प्रोविजन कर दें। यह तो जिनकी रिकवरी बाकी है वह आपकी मशीनरी की सुस्ती से वसूली नहीं कर पा रहे हैं। आप मशीनरी की सुस्ती की वजह से एक्ट में ऐसा अमेंडमेंट ला रहे हैं, जैसा कि हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कहीं कोई प्रोविजन नहीं देखा जिसमें सेंट पर्सेन्ट टैक्स जमा कराके अपील का प्रोविजन किया गया है। जैसा मैंने निवेदन किया, आपका ही सेल्स टैक्स एक्ट है जिसके प्रावधानों में भी ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा कोई भी एक्ट बतायें जिसमें सेन्ट पर्सेन्ट टैक्स वसूल करने के बाद में अपील का प्रोविजन किया गया हो। आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी है तो, जैसा मैंने अमेंडमेंट दिया है, आप टू थर्ड कर दीजिए। अपील करने वाले के लिए कम से कम यह तो होना चाहिए कि मुझे अपील करने का सरकार ने समय दिया है, मैं अपील पेश कर रहा हूं और यह अपील करने के लिए कानून में जा सकता हूं तो मेरा आपसे, मन्त्री महोदय, निवेदन है कि आप इस अपील के मामले में "होल" के स्थान पर "टू-थर्ड" का प्रोविजन कर दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): माननीय मन्त्री महोदय, यह जो संशोधन लाये हैं इसमें शायद आपकी नीयत यह है कि सरकार के खजाने में लोगों का जो टैक्स बकाया है वह समय पर आ जाय

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ताकि आपका खजाना भरा रहे। सेल्स टैक्स एक्ट भी तो आपके अधीन है, आपने आंकड़े देखे होंगे। सेल्स टैक्स की ज्यादा रिकवरी होती है या लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स की ज्यादा वसूली होती है ? अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिये तो, सेल्स टैक्स लोगों के पास जनता का जमा रहता है, जो सरकार का पैसा है, यह अमेंडमेंट उधर ले आते तो पैसा आपको ज्यादा मिलता। लेकिन आपकी कठिनाई मैं जानता हूं, अगर सेल्स टैक्स लेते हैं तो व्यापारी वर्ग पर प्रभाव पड़ता है और उनको छेड़ना बड़ा कठिन है····

श्री श्रीराम गोटेवाला : अभी तो आप उपदेश दे रहे थे कि गलत आक्षेप मत लगाओ, अब आप ही लगा रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, आक्षेप नहीं है, यह मैं सरकार की मंशा बता रहा हूं। आप व्यक्तिगत पर मत जाइये। मैं सरकार की बात बता रहा हूं। मैं जब आपको एड्रेस करता हूं तो सरकार से मतलब है। तो मेरा निवेदन है कि यदि आपको पैसा चाहिये तो जहां से ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि आपका ही पैसा है' सेल्स टैक्स का पैसा जनता व्यापारियों को देती है, वे आपके बिहाफ पर पैसा इकट्ठा करते हैं, तो यह अमेंडमेंट उस पर ले आते कि आप कोई भी अपील करेंगे तो उसका पैसा जमा कराना पड़ेगा। ब्याज की दर लगाई है, वह, मैं ठीक बोल रहा हूं तो 6 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी सेल्स टैक्स में····

श्री चन्दनमल बैद : नहीं ज्यादा है। 15 और 18 प्रतिशत है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं चुकाते हैं तो 18 प्रतिशत है, पहले 15 प्रतिशत ही है, साहब। आज जो व्यापारी सरकार का पैसा जनता से वसूल करके आपको नहीं देवे, अपने व्यापार में लगा देवे तो उससे भी 15 प्रतिशत वसूल करोगे और किसी बेचारे ने मकान बना लिया और गलती से उसके पास आ गया उससे भी। उसकी कठिनाई क्या है, अगर उसको किराये पर देता है और किरायेदार खाली नहीं करता, किराया नहीं देता तो उसके सामने तो संकट है। उसको और सेल्स टैक्स वालों को आपने बराबर खड़ा कर दिया। जो व्यापारी आपका पैसा वसूल करते हैं उनको तो अपील करने का अधिकार दिया है, जो एक्सेप्टेड अमाउण्ट है वह जमा कराने के बाद वह अपील कर सकता है और लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स के ओनर है वह जब तक पूरा पैसा न देंगे तब तक अपील नहीं कर सकते ? आप खुद कानून के जानकार हैं, वह अपील करेंगे और अपील सुनने का जो अधिकारी है उसको राइट होता है कि वह स्टे दे या न दे। आप कह सकते हो कि कई बार कोई व्यक्ति टैक्स को अवोइड करने के लिये कोर्ट में चला जायेगा और आपका पैसा नहीं आयेगा। यह भी आर्गूमेंट मान लिया जाय तो इतना कर दीजिये कि जो अपीलेट अथॉरिटी है जिसके सामने अपील होती है·········

श्री सभापति : माननीय सदस्य, गैलरी में बात करना नियमों के विपरीत है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह जिस अधिकारी के सामने अपील करेगा, कलक्टर को अधिकारी रखा है तो उस पर छोड़ दीजिये वह जस्टिस करेगा, समझेगा कि पर्टीकूलर केस में देना या नहीं। तो आप उसके भी अधिकार छीन रहे हो जो निर्णय करेगा, कि टैक्स लेना वाजिब है या नहीं, उचित टैक्स लग गया या नहीं या रिकवरी कैसे की जाय। यह जो न्याय सुनने वाले अधिकारी का अधिकार है उसको भी आपने खतम कर दिया। कलक्टर आखिर नौकर तो आपका ही है, अगर वह समझेगा कि कठिनाई जेनवी है, जैसे अदालत में रोज आते हैं, अगर ठीक समझेगा तो स्टे कर देगा और अगर यह समझेगा कि अपील इसलिये की गई है कि टैक्स देना नहीं चाहता तो स्टे नहीं देगा। तो उस पर छोड़ दीजिये इस बात को। मेरा आपसे निवेदन यह है कि यह जो कानून आप लाये हो इससे आपकी मन्शा लगती है कि जिसके पास थोड़ी भी जमीन है उसके प्रति आपका रुख कड़ा है। कानून वह बनाइये जिससे लोगों पर अन्याय, असुविधा न हो। जिनके पास बिल्डिंग है उसके लिये कुछ भी करेंगे आप उनके साथ तो यह कभी भी अच्छा राज नहीं हो सकता है। समाजवादी समाज की कल्पना करने वाली, जन-जन के हित की कल्पना करने वाले सरकार का ऐसा दृष्टिकोण नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पास बिल्डिंग है, तुम मकान बना रहे हो इसलिये तुम्हारे साथ कुछ भी करेंगे। इसलिये मकान है भी और आजकल तो 50 हजार, एक लाख की सीमा है····

श्री चन्दनमल बैद : 1973 की कीमतों पर।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो फिर 73 तक वह कहां से असेसमेंट करेगा, किनको पूछेगा? अगर उसका डिस्क्रिशन है तो आपसे कह देगा कि आपकी 73 के हिसाब से एक लाख से कम है और मैं जाऊंगा तो कहेगा कि आपकी तो चार लाख की है। तो आप जनता को ऐसे लोगों के हाथ में काहे के लिये छोड़ रहे हैं, न आप कुछ कर सकेंगे, न वह कुछ कर सकेगा, लोग हैल्पलैस हो जायेंगे। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि अगर असेसमेंट हो भी जाता है तो फाइनल नहीं माना है, आपने अपील करने का अधिकार दिया है जैसा भरतपुर से पधारे माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे थे आपने अधिकार दिया या नहीं दिया, सब बराबर कर दिया आपने। इसलिये मेरा निवेदन यह है, आज इतना संशोधन स्वीकार कर लीजिये न तो 2/3 हो, न 1/2 और न पूरे की बात मानिये आप तो कह दीजिये, यह एक्सेप्टेड है। आखिर वह भी रिटर्न भरेगा तो उसमें टैक्स कुछ तो मानेंगे। तो जो मानते हैं वह तो जमा कर दिया और डिस्प्यूटेड अमाउण्ट को अपील के बाद जमा कर देगा। वरना क्या होगा? आपने ज्यादा भी ले लिया और 6 साल तक अपील का निपटारा नहीं हुआ और 6 साल के बाद वापिस मिलेगा तो ब्याज देंगे उसको? उसको किस प्रकार कम्पनसेट करेंगे? 15, 18 प्रतिशत ब्याज आप लेंगे लेकिन पैसा जो आपके पास रहेगा उस पैसे को ब्याज समेत लौटायेंगे आप?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री भंवरलाल शर्मा : बस यही कहना चाहता हूं।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन करूंगा कि कानून जितना सरल और व्यावहारिक होगा उतना ही राज्य सरकार को आर्थिक लाभ ज्यादा होगा। अभी श्री हरिसिंहजी ने संशोधन प्रस्तुत किया है उसको सुनने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि स्वतन्त्र नागरिक के जो अपील करने के अधिकार हैं उन द्वारों को बन्द किया जा रहा है। रुपया जमा कराने के बाद अपील का कोई महत्व नहीं रहता। मकान का असेसमेंट हमारे सुयोग्य अधिकारीगण करेंगे। मान लीजिये, किसी कारणवश किसी व्यक्ति से बददयान्ती हो जाती है तो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मेरा सुझाव है कि रुपया जमा कराने के पहले यदि अपील में कोई असुविधा आपको हो तो कम से कम इतना कह दीजिये कि जितना रुपया निकलता है उसका आधा हिस्सा जमा करा दे उसके बाद अपील कर दे। वह वट्टे वाला मेरा विषय नहीं है। मेरा वास्तव में यह विषय ही नहीं है। मैंने अनाधिकार चेष्टा की है सिर्फ। जब माननीय हरिसिंहजी के भाषण को ध्यान से सुना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी को अपील करने के लिये उसके दरवाजे बन्द हमको नहीं करने चाहिये। यह आपके माध्यम से माननीय मन्त्रीजी को मेरा विनम्र सुझाव है इस पर ध्यान दें।

श्री सभापति : अब जवाब देंगे, माननीय मन्त्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : सभानेत्री महोदया, अपील के पहले कितनी रकम जमा करा दें यह विवाद का विषय, मैं समझता हूं, बनना नहीं चाहिये। जो उदाहरण कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया है कि किसी मन्दिर पर टैक्स लग जाये और उसके पुजारी के पास पैसा न हो तो वह अपील कैसे करेगा। तो दो तिहाई वह कहां से ले आयेगा ? अगर दो हजार का टैक्स लगा है, दो हजार नहीं है तो दो हजार के दो तिहाई 1500 रुपये, उसके पास कहां से आ जायेंगे ?

एक माननीय सदस्य : मजबूरी में लायेगा·······

श्री चन्दनमल बैद : उसकी मजबूरी होगी, आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? मजबूरी में 1500 रुपये लायेगा तो दो हजार रुपये भी ला सकता है। प्रश्न यह है, टैक्स असेस करने के बाद दो साल, चार साल, पांच साल, जितने भी अपील में लगें, हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन यह कहना कि बड़ा अन्याय हो जायेगा इसके पहले यह देखिये कि किस पर हम टैक्स लगा रहे हैं। न्याय अन्याय की बात उस समय सोचनी चाहिये कि। पात्र देख कर हमें सोचनी पड़ेगी कि पात्र कौन है। 15 साल में एक बार असेसमेंट होगा, जिनका 73 में हो गया अब उनका 1985 में होगा, 12–13 साल बाद असेसमेंट होगा, यह उनका सवाल है। 11 शहरों जो बड़े-बड़े हैं, में 1978 की कीमत से एक लाख रुपये के ऊपर की जो जायदाद है, जैसे डेढ़ लाख की है तो पचास हजार पर आधा पर्सेन्ट टैक्स लगेगा। यह बहुत

(श्री चन्दनमल वैद)

बड़े लोगों पर टैक्स लगेगा, सम्पन्न लोगों पर टैक्स लगेगा। उन लोगों से हम यह उम्मीद करते हैं कि हमने जो टैक्स असेस किया है, मेहरबानी करके उसे जमा करा दीजिये, उसके बाद में अपील में जाइये। सभानेत्री महोदया, इसकी मेरे पास में लिस्ट है, मैं यह बता कर सदन का समय नहीं लूंगा। इस लिस्ट में जिनमें पैसा बकाया है वे सारे के सारे उद्योगपति, रईस और राजा महाराजा हैं और दूसरे कोई नहीं हैं। ऐसे लोगों पर यह टैक्स है, गरीब पर नहीं है.........

(व्यवधान)

वसूली कर रहे हैं। उन्होंने स्टे ले लिया इसलिये वसूल नहीं कर पा रहे हैं। हम यह प्रावधान करना चाहते हैं कि स्टे तभी मिले, तभी अपील में जा सके जबकि हमारा पैसा जमा करा दें। इस वास्ते, सभानेत्री महोदया, माननीय सदस्य ने जो मार्मिक अपील की, वे समझ नहीं पा रहे हैं, किसी गरीब आदमी पर यह टैक्स नहीं है। इन्दोरिया जैसे आदमी पर यह टैक्स नहीं लग रहा है। यह टैक्स 11 शहरों में लग रहा है, उन लोगों पर लग रहा है जिनकी जायदाद 1973 की कीमत से एक लाख से ज्यादा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों की भावना यह रही है कि जो बड़े-बड़े लोग हैं जिनके पास बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टी हैं वे तो कोर्ट में चले गये हैं और जो छोटे-छोटे लोग हैं उनसे आप वसूली कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल वैद : सभानेत्री महोदया, छोटे नहीं हैं। सभी बड़े ही बड़े हैं। इस बात में मेरी मजबूरी है कि मैं इस संशोधन को मानने में असमर्थ हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्या आप अपना संशोधन वापस लेंगे ?

श्री हरिसिंह : मुझे संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह वापस लेने की अनुमति दी जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभानेत्री महोदया, मैं संशोधन वापस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया।

खण्ड 4 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

खण्ड 1 अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड (1) अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मन्त्रीजी प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री चन्दनमल बैद : सभानेत्री महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभानेत्री महोदया, यह भूमि एवं भवन कर अधिनियम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इसके विभाग की भी मैं तो आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। जैसा मन्त्री महोदय ने फरमाया है कि यह केवल राजस्थान के 11 शहरों में लगेगा और उनके पास में खूब जमीन है, प्रॉपर्टी है। इसके लिये करना यह चाहिये था कि किसी एक्ट की धारा में उप धारा जोड़ देते। एक ही धारा निकाल देते कि पांच आदमी के परिवार के लिये, पांच आदमी के परिवार के आकार के लिये इतने मकान की आवश्यकता है, बाकी सबके सब मकान उससे ले लिये जाते। राज्य सरकार का भी बीस सूत्री कार्यक्रम है जिसमें गरीब को छप्पर देने का सूत्र है, उनको छप्पर मिल जाता और जंगल में मंगल हो जाता और जो शहरीकरण बढ़ रहा है उस पर भी असर पड़ता। सभानेत्री महोदया, यह भी एक विशेष आराम हो जाता। जिस समाजवादी समाज की सरंचना करने का यह सरकार वायदा करती है भावना तो इस सरकार की है नहीं बातें ही बातें करती है। यदि किसी भी परिवार को यह महसूस हो जाये कि इससे ज्यादा भूमि सरकार नहीं रहने देगी तो उसको इस मामले में प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और न तो वह अपनी पूंजी बढ़ायेगा और न ही यह जो भ्रष्टाचार है, अनियमितताएं हैं, वे बढ़ेंगी। मेरा तो मन्त्री महोदय को यह निवेदन है कि इस सबको वियड़ा करके एक ही, जैसा पण्डित जी ने फरमाया सादा बिल बना दें ताकि उससे ज्यादा जितनी भी जमीन, मकानात हैं वे मकानात कोई आदमी नही रख सके। न तो पैसे की जरूरत पड़ेगी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप ऐसा सुझाव देना चाहते हैं कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भगवानदास शास्त्री। तीन-चार मिनट में समाप्त करें।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : सभानेत्री महोदया, मुझे तो उम्मीद थी, वित्त मन्त्रीजी कम से कम अपना और जनता का कुछ भला सोचेंगे।

(श्री भगवानदास शास्त्री)

किन्तु मुझे पुरानी कथनी याद है, जब भी किसी को वित्त मन्त्री बनाया जाता है तो जनता की नजरों में गिराने के लिये बनाया जाता है जैसे कौल साहब का हाल हुआ। यह मैं आपको पूर्व घटना बताना चाहता हूं। मैं साफ बताना चाहता हूं, 1950 में जो मकान बना था, उसका वेल्यूएशन पांच हजार रुपये था, 1970 में वह 50 हजार का हो गया और 1975 में उसका वेल्यूएशन होगा एक लाख 50 हजार और उसके बाद जो वेल्यूएशन होगा वह 3 लाख का होगा। आप वेल्यूएशन ऑफिसर रखते हैं। वेल्युएशन का अधिकारी आपके कर्मचारियों तक ही सीमित रहेगा या जो प्राइवेट एजेन्सीज हैं या पी. डब्ल्यू. डी. है वह निर्धारित करेगा इसको, कृपया मन्त्रीजी स्पष्ट करें ? दूसरी बात जो आपने टैक्स जमा कराने के बारे में कही है उसके बारे में मैं तो कहता हूं, यह जो लिखित में नाम दिये हैं, यह भूमिका है, जड़ें इसकी कहीं और हैं, यह गुलदस्ता है, पेड़ नहीं। मारेंगे छोटों को और नाम बड़ों का लेते हैं, कोई बिल पेश करते हैं तो यही कहते हैं। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस पर विचार करें कि जिन नगरों के लिये आप यह विधेयक लाये हैं उन नगरों की हालत क्या है, जनता से क्या लेना चाहते हैं। वित्त मन्त्रीजी, आपकी मेरे मन में बड़ी इज्जत है, आप जिसटाइप के है। रिकवरी करना चाहते हैं, ओवर ड्राफ्ट को कम करना चाहते हैं, राज्य सरकार टैक्स लगाये, इस बात से मुझे इन्कार नहीं है, मैं टैक्स का विरोधी नहीं हूं, टैक्स भी लगाना ही होगा, लेकिन टैक्स ऐसे लगने चाहिए कि एक व्यक्ति उस बोझ को सहन करने वाला है, वह कर सके। 15 किलो का बोझ सहन कर सकता है और उसकी जगह ढाई मन की बोरी रख दें तो उसकी कमर झुक जायेगी। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको महाराष्ट्र या गुजरात न समझें, इसको दिल्ली न समझें, राजस्थान की हालत बहुत कमजोर है। हम जनता के बीच में जाते हैं, आप जब चुनाव होंगे तब जायेंगे तब आपको पता चलेगा। वोट मागेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी बुरी हालत है। ऐसा नहीं है कि मैं नाटक कर रहा हूं, यह नाटक की बात नहीं है कि हाउस में ऐसा कह रहा हूं, जनता की बुरी हालत है यह सच है इसीलिये मैं आपको कह रहा हूं। फुल पेमेंट का प्रोविजन कर रहे हैं इसको आधा करदें। जो वेरीफिकेशन है तो वह किससे करायेंगे ? होगा यह कि लोग इसको दे नहीं पायेंगे, आप कुड़की निकालेंगे और लोग अपने मकान आपको सौंपकर चले जायेंगे। मन्त्री महोदय, आज 3 करोड़ की जनता में 10 प्रतिशत लोग ही आपको ऐसे मिलेंगे जो कि इस प्रकार के हैं बाकी सब तो मध्यम वर्ग के लोग आते हैं। उनकी इतनी बुरी हालत है कि मत पूछें। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि इसे आधा कर दें। श्रीमान्, यह वेरीफिकेशन डिक्लेयर कौन करेगा, पी० डब्ल्यू० डी०। तो पी० डब्ल्यू० डी० को तो आप जानते ही हैं, वह पांच दस पर्सेन्ट तो ले लेते हैं। जब वे ठेकेदारों को नहीं छोड़ते हैं तो वे आम जनता को क्या छोड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी जो इज्जत है आपकी जो पोजीशन है, मैंने पूरे राजस्थान

(श्री भगवानदास शास्त्री)

का इतिहास देखा है, आप अपनी इज्जत अपनी शान अपनी पोजीशन पर दया करें, थोड़ी सी उन लोगों पर दया करें। आप तो फिर जैन हैं, आप तो कहते हैं कि जियो और जीने दो, पर यह तो मरो और मरने दो वाली बात है। इसके साथ-साथ अकेला व्यक्ति नहीं मरेगा। वह वह पैसे नहीं दे पायेगा, तो क्या होगा। आपका जो इतिहास है उसको आप भूलें नहीं। आप जनता से क्या मांग कर रहे हैं? इतना पैसा वह कहां से लायेगी? अगर आप बैंकों में जायेंगे तो देखेंगे कि फिक्स डिपोजिट करा देने वाले बहुत कम हैं। आज देश में चारों ओर महंगाई है। जो कुछ कर रहे हैं उससे क्या होगा? कितनी ही सफाई पॉलिटिकल पार्टीज की करें, इस बात से आपको कोई जस मिलने वाला नहीं है। जब बड़े-बड़े लोगों को नहीं मिला तो आपको क्या मिलेगा। इसलिये आपसे कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इस टैक्स को कम करें, आधा करें और यह बतायें कि वेरीफिकेशन कोई प्राइवेट पार्टी करेगी, कोई इंजीनियर करेगा या कोई ऑफिसर करेगा, कौन करेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। दो मिनट में।

श्री देवीदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, वित्त मन्त्रीजी ने जो अमीरों की टेन्डेन्सी को नोट किया, वह ठीक नोट किया है। वे वास्तव में टैक्स को अवोइड करते हैं। अपील भी इसलिये ही की जाती है कि पैसे बचाये जायें। टैक्स आप एक साथ लेंगे, बराबर लेंगे यह तो ठीक है लेकिन एक जस्टिस नहीं किया है। मान लो कि पांच-छः साल तक वह मामला कोर्ट में चलता है और उसमें सरकार हार जाती है तो उसको आप जो पैसे लौटायेंगे वह आधे लौटायेंगे जबकि आपका पैसा डबल हो जायेगा, क्योंकि छः साल में पैसा डबल हो जाता है। उसको कम से कम 6 प्रतिशत ब्याज तो दिया ही जाये जब उसको पैसा लौटाया जाये। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : मन्त्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह जो 73 वाला असेसमेंन्ट का समय बताया है कि वेरीफिकेशन होगा, जिन लोगों ने अपने मकान 75 के बाद बनाये हैं और यू० आई० टी० में रिकार्ड है कि उन्होंने 8 रुपये, 10 रुपये और 12 रुपये फीट में जमीन खरीदी है, तो 60 × 40 का प्लाट 18 हजार 24 हजार में आया। उस पर चार कमरे का आज के हिसाब से एक लाख से कम का असेसमेंट नहीं होगा तो उसको आप किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, यह भी बता दिया जाय।

श्री सभापति : मन्त्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदया, मैं निवेदन कर चुका हूं कि सन् 73 के आधार पर ही उनका मूल्यांकन किया जायेगा, जो 73 में मूल्य थे उनके आधार पर। आज भी जो प्रॉपर्टी हैं उसका भी सन् 73 के मूल्य के आधार पर ही मूल्यांकन किया जायेगा। मूल्यांकन के लिये

(श्री चन्दनमल बैद)

इसी विधान सभा में कहा गया है कि 85 तक का मूल्यांकन कर दिया है। री-एस्टीमेट 85 तक किया हुआ है, जो एस्टीमेट हो गया है वह फाइनल है। दूसरी बात बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि जिन लोगों से सरकार मुकदमा हार जायेगी उनको कम से कम ब्याज तो दिया जाय। तो मैं इसका प्रावधान करूंगा और नहीं तो कम से कम प्रशासकीय आदेश से करूंगा क्योंकि जो सैल्स टैक्स में भी केसे जीत जाते हैं उनको हमें 12 प्रतिशत ब्याज से पैसा वापस करना होता है।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : फिर तो 12 प्रतिशत कर दें।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं 12 प्रतिशत नहीं 6 प्रतिशत ही करेंगे। ऐसा नहीं है, मैं इतना कमजोर तो नहीं हूं कि कम की मांग करेंगे तो ज्यादा कर दूंगा।

श्री सभापति : उनका मतलब यह था कि....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : प्रशासकीय आदेश की बात करूंगा कि जो केस जीत जायेगा और हमें यह महसूस हो जायेगा कि उसमें अधिकारियों ने नाजायज रूप से ज्यादा पैसा वसूल कर लिया है तो उसको हम जो पैसा वापस करेंगे उसमें उसके साथ-साथ 6 प्रतिशत से ब्याज दिया जायगा। सभापति महोदया, जो सैंटीमेण्टस अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिखाये, उनसे मैं इतना ही निवेदन करूंगा, और मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि यह जो टैक्स है वह ऐसे लोगों पर है, जिसका जिक्र कर रहा हूं, यह टैक्स कुछ सम्पन्न लोगों पर ही है। कुल जनसंख्या के मुश्किल से 10 प्रतिशत लोग ही होंगे। यहां पर मुश्किल से 10 प्रतिशत भी टैक्स देने वाले नहीं हैं। कई हजार आदमी ही यह टैक्स दे रहे हैं। 11 शहरों में, मैं समझता हूं, कम से कम जनसंख्या होगी 50 लाख या एक करोड़ के आसपास, उसमें से, इतनी जनसंख्या के बावजूद भी कुछ हजार लोग ही हैं जो कि यह टैक्स दे रहे हैं। 10 प्रतिशत भी नहीं होते हैं शायद वे। और एक भी टैक्स देने वाला ऐसा नहीं है जो कि सम्पत्ति बेच कर गया हो, जिसने यह कहा हो, लो, सम्पत्ति सम्भालो। मैं तो चाहता हूं कि कोई तो आये ऐसा, कहने वाला। एक उन्होंने कहा कि मैं जैन हूं तो, माननीय सभापति महोदय, यह सरकार न किसी जैन की है, न किसी वैष्णव की है और न किसी इसाई की है।

श्री भगवानदास शास्त्री : मेरी भावना यह नहीं थी।

श्री चन्दनमल बैद : यह तो एक सेक्युलर स्टेट है। मैं सरकार की तरफ से बोल रहा हूं, कोई जैन होने के नाते नहीं बोल रहा हूं।

श्री भगवानदास शास्त्री : माननीय मन्त्रीजी, हाउस में अपन सब एक हैं बराबर हैं। मेरी कोई भावना ऐसी नहीं थी। मैंने तो शिष्टाचार में आकर यह बात कही थी। आप इतने आवेश में न आयें।

श्री चन्दनमल बैद : आवेश में नहीं आ रहा हूं, मेरी आवाज ऊंची है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा सबसे पहला ध्येय है, मेरी दया है तो उन लोगों के प्रति है जिन लोगों ने मुझे चुनकर यहां भेजा है और उनके हक का जो पैसा है वह मैं निकाल कर लूंगा। यह पहले सोचूंगा, बाद में दया करूंगा। यह कोई मेरा पैसा तो है नहीं, जनता का पैसा है। इसमें दया की बात कहां आती है? मेरे घर का पैसा हो तो आप चाहें तो आपको दे सकता हूं। लेकिन यह सरकारी खजाने का पैसा है, जनता के हक का पैसा है यह तो, मैं आपको कहूंगा कि देना ही होगा। इस वास्ते मैं क्षमा चाहता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे विचार से तो जो टैक्स लगेगा, वह आप पर ही लगेगा हम पर तो लगने से रहा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बात न करें।

मन्त्री, श्री जयकृष्ण शर्मा।

मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : इसको तो मैं रख चुका हूं। उस समय उजला जी बोल रही थीं, जब यह अधूरा रहा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : आप तो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुकी हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं, मैं बोल रही थी। आधा ही बोल पायी थी कि इतने में ही सदन की कार्यवाही समाप्त हो गई, समय नहीं बढ़ाया गया था।

श्री सभापति : ठीक है, आप 5 मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ठीक है, मैं एक मिनट में समाप्त कर देती हूं। मेरे कागज निकाल लूं, तब तक आप किसी अन्य को मोका दे दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : खेतसिंह जी कुछ बोल रहे हैं क्या?

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1981 को एक माह के

(श्री बन्शीलाल पटवा)

लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

माननीय सभापति महोदया जी, मोटर यान (संशोधन) विधेयक जो प्रस्तुत किया गया, इस संबंध में मेरा निवेदन है कि जहां यह संशोधन लाया गया है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री बन्शीलाल पटवा : मैं उसी पर बोल रहा हूं। मेरा निवेदन यह है कि मोटर यान (संशोधन) विधेयक लाया गया है, इसका सीधा सम्बन्ध है मोटर के स्कोप्स से कि हम किस तरह का स्कोप तय करें वहां पर। मेरा इस बारे में निवेदन यह है कि जो बिल लाया गया है, पहले कुछ लोग मोटर ऑपरेटर्स अपील अॉथोरिटी के पास चले जाते थे इसलिए केवल बंधन डालने की दृष्टि से यह संशोधन लाया गया है। इसके अतिरिक्त और कोई इसमें अंतर नहीं लगता। बाकी, पहले भी रूट्स तय करते थे, स्कोप्स के बारे में पहले भी गुंजाइश थी। अब सीमा तय करने के लिए लोक परिवहन प्रणाली में सुधार की दृष्टि से, जनहित में, सारी बातें कही गयी हैं। लेकिन जनतंत्र में हम रहते हैं, और जनतंत्र में कोई भी व्यवस्था हो, वह न्याय के साथ जोड़ी जानी चाहिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि नेशनलाइजेशन का कोई फायदा नहीं है या इस तरह से हम उनके हमदर्द नहीं, या कि हम नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इस तरह से जैसे मोटर ऑपरेटर्स पहले अपील में चले जाते थे, उन पर अब बंदिश लगा दी गयी। लिमिटेशन वाली बात, रूट्स वाली बात, छोटा सा मामला है। मान लो, किसी ने एप्लाई कर दिया तो उसे रूट्स देने का क्या मापदण्ड होगा? और आपके जो ये आर. टी. ओ. रीजनल अथोरिटी और ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी हैं, आपने भी उनके बारे में सारी बात सुनी होगी, उनका इतिहास क्या रहा है, किस तरह से परमिट अलॉट करते हैं, किस तरह से सीमा तय करते हैं। जैसे स्कोप्स वाला मामला है उसमें 10 गाड़ियां चलायेंगे। 5 गाड़ियां चलायेंगे। आखिर क्या मापदण्ड है, किस मापदण्ड के आधार पर स्कोप्स तय होने चाहिए? इसके साथ-साथ इस बिल में, संशोधन में लिख दिया कि ट्रिब्यूनल में है तो डिवीजन नहीं कर सके, अपील नहीं कर सके, यही अंतिम आदेश होगा यह तानाशाही हुक्म है। इसलिए मेरा निवेदन इस बारे में यह है कि कोई भी ऑपरेटर यदि यह मामला ट्रिब्यूनल, अथोरिटी के पास ले जाना चाहे तो उसको हक मिलना चाहिए। यदि हक नहीं मिलता है, मैं सोचता हूं इस तरह संशोधन करने के बजाय मार्शल लॉ हुक्म निकाल दीजिए, उसके आधार पर आदेश करें। इस तरह मेरा निवेदन यह है कि यह जो अंतिम आदेश वाली बात लिखी गयी है और स्कोप्स वाली बात कही गयी है, यह बात तो पहले भी थी, इस संशोधन की, मैं समझता हूं, आवश्यकता नहीं। छोटी मोटी त्रुटियां थीं, सुधार देते। लेकिन आपने जो बंदिश लगायी है, ऐसी बंदिश है, जिसके मैं समझता हूं, दुष्परिणाम निकलेंगे। और जब अपील में नहीं जा सकेंगे, तो लोग न्याय से वंचित रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन

(158)

(श्री बन्शीलाल पटवा)

यह है कि अपील में जाने वाला मामला है, यह संशोधन इसके पक्ष में नहीं हो सकता, इससे कुप्रभाव पड़ेंगे। मान लो, किसी रूट पर ज्यादा गाड़ियों की आवश्यकता है, पर आप गाड़ियां कम चलायें, आपने कम स्कोप्स तय कर दिया, ज्यादा की मांग पर आपकी अथोरिटी ने परमिट नहीं दिया, तो अपील में जाना चाहे, तो नहीं जा सकेगा, इसलिए यात्रियों को तकलीफ बढ़ेगी। कई कॉम्पलीकेशन खड़े हो जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि किसी को न्याय से वंचित रखना नीतिगत नहीं है, अनुचित है। डेमोक्रेसी को हम जिन्दा रखना चाहते हैं तो किसी को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके बारे में मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको जनमत जानने के लिए एक महीने के लिए परिचालित किया जाये। लोगों की राय आने दीजिए। पहले का कानून चल जायेगा। और जो बाकी की दिक्कते हैं उनके लिए अलग से बिल ला रहे हैं टैक्सेशन का, उस समय देख लें यह रूल्स का मामला है, इसलिए इसको जनमत जानने के लिए भेजने का तय करिये। मैंने जो कुछ बातें आपके समक्ष रखीं वे नीतिगत हैं। मैं समझता हूं, न्याय से किसी को वंचित रखना डेमोक्रेसी को जिन्दा नहीं रखता है, इसका विचार कर लीजिए। इसके लिए मेरा सदन से निवेदन यह है कि इसे जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। यही मेरा निवेदन है, और जनमत जानने के लिए भेजा जाये यही मेरा मकसद था। मैंने जो बातें कही, संक्षेप में कही हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, उजला अरोड़ा। आप दो मिनट के अन्दर अपना भाषण पूरा करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, पहले मैंने इस बिल के बारे में कहा था अगर हम इस ट्रिब्यूनल अथोरिटी में जाने का अधिकार छीन लेंगे, ट्रान्सपोर्ट अथोरिटी के अधिकार देंगे नहीं, अपील में जाने का अधिकार छीन लेंगे तो इसमें बेईमानी की बहुत बड़ी सम्भावना हो जायेगी। अभी तक भी आरोप लगते आये हैं, जब तक अपील का अधिकार था तब भी, मुझे याद है जब रूट्स पर ट्रान्सपोर्ट की, बसेज की व्यवस्था नहीं थी अब उन पर भी उनके जाने का अधिकार छीना जा रहा है। छोटे छोटे मार्गों के लिए अपने पास, रोडवेज के पास बसेज नहीं हैं, अनुबन्धित बसें प्राइवेट लोगों से ली जा रही हैं। यहां तक तो यह बात ठीक है। लेकिन उन मार्गों को मांगने का अधिकार क्यों नहीं हो? जो आदमी जेब में पैसा डाल दे अथोरिटी के, उनको तो रूट पास कर दें, अन्यथा नहीं करें, मनमाने ढंग से करें। मैं समझती हूं कि इस तरह से, गलत तरीके से अधिकार नहीं दिये जाने चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री भगवान दास शास्त्री : मेरा संशोधन है।

(5.55 म.प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री भगवानदास शास्त्री)

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 है, क्षमा करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में....

(व्यवधान)

ठीक है, माननीय सदस्या, मेरे दल की है, नयी खिलाड़ी नहीं हैं, पुरानी राजनीतिज्ञ हैं।

मोटर यान के बारे में जो संशोधन विधयक आया है, इसके जो उद्देश्य और कारण हैं, उसमें 1939 से लेकर 1964 के उपबन्धों को आपने विद्यमान उपबंध के द्वारा बंद कर दिया, कानूनी सहायता मांगने के बारे में मोटर यानों के स्वामित्व के बारे में तो आपके राजस्थान में इतना लफड़ा है कि मोटर तो है किसी मंत्री महोदय की, नेता की, नाम चलता है किसी रिश्तेदार का। आपाधापी जो है, भाई भतीजावाद....

(व्यवधान)

आप रहने दीजिए आप कहते हैं, घूंघट में रहने दो, घूंघट खुल गया तो पोल खुल जायेगी। यह जो पोल है, जिस से हम पहले से ही परेशान थे, मैं तो कहता हूं आजकल जो अनुबंधित बसें हैं, सबसे ज्यादा उपयोगी रही हैं जो बुरा हाल हमारी रोडवेज का है, उसमे ज्यादा अच्छी रहती हैं वे बसें, उनमें सुविधा भी है, समय भी कम लगता है, स्वच्छता भी रहती है। उनमें तो बिना हॉर्न के छम-छम बजता लगता है। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं, बसों के मालिक हैं, काफी पता होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो मंजिली गाड़ियों के परमिट के बारे में लिखा है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस बारे में संशोधन को लाने की जरूरत नहीं। वैसे भी इस राज्य सरकार की कमियां हैं, राज्य सरकार की जो कमजोरियां हैं, उनको छिपाने के लिए आप बार-बार अमेंडमेण्ट बिल लायें, उससे खास फायदा मिलने वाला नहीं है। इस विषय पर मैं आपको बताऊंगा, भुगतना पड़ेगा किसको? जनता को। यही तो मोटर वाले चाहते हैं कोई न कोई बिल किसी पर, किसी न किसी कानून की खामी पर लायें। वह कहेंगे हमें क्या, सरकार ने तो बढ़ा दिया टैक्स। आठ आने का एक रुपया लेंगे, एक का दो रुपये लेंगे। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जितनी खुशी ट्रेजरी बेंचेज को नहीं होगी, उससे ज्यादा खुशी मोटर वालों को होगी। मैं कहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि संशोधन बिल आते हैं, ये इसलिए आता है: कि बिल को थोड़ा क्लियर करना जरूरी है। मोटर यान अधिनियम, 1939 के बारे में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के जितने भी टैक्स हैं, इनमें संशोधन करने से पहले यह भी तो देखें क्या हाल है हमारा। इसके पीछे हमारा शर्म से सिर झुक जाता है। हरियाणा वाली बस में बैठें, हरियाणा वाली जल्दी पहुंचाती है. उसके ड्राइवर अच्छे हैं, सीटिंग बड़ी अच्छी है। मैं कहता

(श्री भगवानदास शास्त्री)

हूं शर्म आ जाती है। ठीक है, प्राइवेट मालिक हैं, उनकी कान्ट्रैक्ट बेसिस पर बसेज चलती हैं उसमें रत्ती भर भी शर्म नहीं। किन्तु बाहर की गाड़ी आ जाय, बड़े-बड़े अधिकारियों ने कहा, वे कहते है, हरियाणा की बस बढ़िया है, वहां की बसेज जल्दी पहुंचाती हैं, दो घण्टे में पहुंचा देती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यह समय ही नहीं है इस सशोधन को लाने का, इस विधेयक को लाने का। आप अपना सुधार करें और इस अमेंडमेंट बिल से जो चोरी हो रही है, उसे रोकें। उसके साथ जेब कटेगी आपकी और हमारी दोनों की, ट्रेजरी बैन्चेज की? उनके पास तो कार है, आपके पास वायुयान भी है। यह जनता, जो मध्यम वर्ग की है, का रात-दिन का रोटी-रोजी का मामला है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर गंगानगर वालों की जेब कटेगी इसलिए मैं कहता हूं, बार-बार संशोधन विधेयक लाना निरर्थक है, इसको समाप्त किया जाय या वापस लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा। बोल चुके।

श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोटर यान राजस्थान संशोधन, विधेयक, 1982 के अन्तर्गत नये मार्ग खोलने और बसों की संख्या तय करने का मामला तय करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स को है और किस-किस रूट पर कितनी बसे चलनी चाहिए में, और कौनसे नये मार्ग खुलने हैं यह भी वे तय करते हैं; और इसमें यदि कोई अव्यवस्था होती है, कोई गड़बड़ी होती है, किसी व्यक्ति को कोई शिकायत होती है, बस मालिकों को, तो उसको अपील करने का अधिकार है, इस बिल के माध्यम से वह अपील करने का अधिकार छिन रहा है। यह प्रजातन्त्र के साथ कुठाराघात है, और यह उनके साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं! आज आप देखते हैं कि व्यक्तियों को परिवहन निगम की बसों से आवागमन में बड़ी असुविधा रहती है। व्यक्तियों को बाहर जाना हो तो वह सोचते हैं कौनसी बस मिलेगी, समय पर पहुंचायेगी या नहीं, वह जो बस चल रही है, निश्चित स्थान पर पहुंचायेगी कि नहीं, रास्ता ठीक भी है या नहीं, कौनसी बस मिलेगी, बस समय पर पहुंचायेगी या नहीं और जो बस चल रही है वह उपलब्ध भी होगी या नहीं, यह कोई भरोसा नहीं है। तो जनता को अधिक से अधिक आवागमन की सुविधा देनी चाहिये। मोटर आपरेटर्स निश्चित रूप से अच्छी सेवायें देते हैं। आज रोडवेज की बात है, रोडवेज से लोग बड़े परेशान है। न समय पर मिलती हैं, इनकी बसें खटारा हैं, कहीं चलीं, कहीं रास्ते में ही रह जायं, रास्ते में इनका कोई भरोसा नहीं! प्राइवेट बसेज का भरोसा रहता है, समय पर बस चलेगी, पहुंचेगी, अच्छी बसें हैं इतना तो कम से कम उनका भरोसा रहता है। ये जो मोटर मालिक हैं, उनके अधिकारों पर अपील की पाबन्दी अगर लगाई जाती है तो उनके अधिकारों पर कुठाराघात

(श्री हीरालाल आर्य)

किया जा रहा है । इसके साथ ही जो पब्लिक के आवागमन का हित साधने में लगा हुआ है उसको आप इग्नोर करके यह बिल लाते हैं तो ठीक नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह बिल लाने से पूर्व जनता में इस बात को हम प्रचारित करें कि यह बिल आ रहा है, इसकी मन्शा क्या है, इसकी इच्छा क्या है । इसलिए इस पर जनमत आना चाहिये । इसलिए मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री छीतरलाल आर्य ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर ।

(अनुपस्थित)

श्री हंसराज शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री अनंगकुमार जैन

श्री गुलाबचन्द कटारिया ।

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी

(अनुपस्थित)

श्री देवीसिंह भाटी

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी

(अनुपस्थित)

श्री यदुनाथसिंह

(अनुपस्थित)

श्री देवीसिंह भाटी

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर मीणा

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल गवर्नमेंट को मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1939 की जो धारा 47 है उसमें राज्य सरकार ने सब-सैक्शन (3) के बाद में यह सब-क्लाज जोड़ा है और एक जो प्रजातान्त्रिक अधिकार कहते हैं, प्रजातान्त्रिक प्रणाली में उसको इस सब-क्लाज जोड़ने के मार्फत, खतम कर दिया गया । इस सबक्लाज के माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक कि राज्य सरकार को भी, जो आर. टी. ओ. पर भी लागू होगा उसकी अपील नहीं की जा सकेगी, उससे राज्य सरकार को भी वंचित कर दिया गया है । तो इस सन्दर्भ में जो सब-क्लॉज जोड़ा है, उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि पब्लिक इण्ट्रेस्ट को और जो इसमें चार-पांच कारण दिये हैं उनको ध्यान में रखकर जोड़ा गया है । लेकिन यदि ध्यान में नहीं रखते हैं उन कारणों को, और उसके बाद

(श्री रामकिशोर मीणा)

में परिमिट जारी करते हैं और स्टेट कॅरियर्स की संख्या निर्धारित करते हैं तो उसके विरोध में राज्य सरकार को सुनने का अधिकार अब तक है, इस सब-क्लॉज के जोड़ने से वह छीन लिया गया है। यह अधिनायकवादी अधिकार है, जिसको मोनोपोली कह सकते हैं, उस अधिकार को उस क्षेत्र के अन्दर, वह जैसा चाहे, इग्नोर कर केकर, उपाध्यक्ष महोदय, सब-सेक्शन (3) में पहले था :—

The Regional authority may having regard to the matters mentioned in sub section (1)....

सब-सेक्शन (1) के अन्दर जो पांच कारण दिये गये हैं उनको अब उसके अंतर्गत रखना जरूरी नहीं है। उनको बगैर ध्यान में रखते हुए जो आर. टी. ओ. निर्धारित कर देगा, उसी को मानना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेण्डमेंट को लाने के पीछे भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी बू आती है, भयंकर दुरुपयोग इसका किया जायगा। यदि कोई इसका दुरुपयोग करता है तो उसके विरुद्ध न तो किसी न्यायालय में जाने का अधिकार है, य हमारे पास कमिश्नर, ट्रान्सपोर्ट के पास जाने का अधिकार है और न राजस्थान स्टेट ट्रान्सपोर्ट ट्रिब्यूनल के पास जाने का अधिकार शेष रह जाता है। इस कारण से यह जो अमेण्डमेंट किया गया है इसको, मेरा निवेदन है, अच्छी तरह सोच समझकर लाना चाहिये था। अब इसको जनमत जानने के लिये परिचालित कर दें। इस सन्दर्भ में मेरा निवेदन है कि इसको हाल की जयपुर शहर की व्यवस्था के सन्दर्भ में देखा जाय। उसके बाद में हालत यह है कि चाहे जिस रूट को आर. टी. ओ. पास करेगा, चाहे जितनी वह बसेज चलायेगा। जो सब-क्लॉज (3) के अन्दर सेक्शन 1 में पांच कारण दिये गये हैं उनको मद्दे नजर रखते हुए उनके आधार पर फैसला देना जरूरी नहीं है। आर. टी. ओ. एक व्यक्ति होता है, एक अधिकारी होता है, उसके पास न कमेटी होती है जो वह उसमें रखे। मनचाहे, जो नीचे के अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट लेकर के चाहे जो मार्ग, जैसा मैंने शुरू में कहा, वह कोई संख्या निर्धारित कर सकता है, वाहनों की संख्या निर्धारित कर सकता है। यह जो अमेंडमेंट किया गया है यह हमारे लॉ मेकर्स की इन्टेन्शन के विरुद्ध भी है, उपाध्यक्ष महोदय लॉ मेकर्स की इन्टेन्शन के हिसाब से सुनवाई का पूरा अधिकार होना चाहिये जो मार्ग आर. टी. ओ. निर्णय कर रहे हैं उसमें कोई ठीक है या नहीं, और उसके विरुद्ध जो अपील करने का अधिकार है, जो हमारा अधिकार है वह छीन लिया गया है। इसमें बहुत बड़े भ्रष्टाचार की संभावनायें बढ़ जायेंगी। पहले ही यह भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी पूर्ण जानकारी हेतु जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो हमने प्रस्ताव किया है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिहारीलाल पारीक।

श्री बिहारीलाल पारीक (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह राजस्थान मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 1982 लाया गया

(श्री बिहारीलाल पारीक)

है मैं उसका पुरजोर स्वागत करता हूं। यह बात सही है कि हमारे सुयोग्य अधिकारी ने सरकार का ध्यान भ्रष्टाचार मिटाने की तरफ दिलाया। मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार मिटना चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि अगर मोटर-मालिकों को राज्य में दो रूट एक जगह लगा दें और अधिकारी उनकी व्यवस्था करे। लेकिन मैं समझता हूं कि उनको अपील करने की जो स्थिति है, जो उनका अधिकार है, उनसे ले लिया गया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि यह नहीं लिया जाये। जो रूट चलता है, अगर मोटर मालिक को 200 किलोमीटर तक का परमिट नहीं मिले तो यह छोटे-छोटे मोटर मालिक, जो अभी चल रहे हैं, की स्थिति हम देख रहे हैं, प्राइवेट बसों और सरकारी बसों में अभी बहुत फर्क है, यह फर्क और बढ़ जायेगा। मैं समझता हूं, सरकार की मंशा ठीक करने की है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसकी वास्तविक प्रक्रिया इसमें शामिल नहीं है। मैं चाहता हूं अधिक टैक्स भार के कारण उनको जो ट्रीट मिलना चाहिये वह मिले, वह अपनी बात कह सकें। अगर अपील नहीं कर सकेंगे तो यह ठीक नहीं होगा उनके लिये। मैं राजस्थान मोटरयान 'संशोधन' विधेयक, 1982 का स्वागत करता हूं। मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्रीजी उत्तर देंगे।

श्री भंवरू सिंह गुर्जर : हमने भी संशोधन दिया है, हमारा भी नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका अमेण्डमेन्ट है, जब वह आयेगा तब आपको बोलने का मौका दिया जायेगा।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मुझे कुछ कहना है। मैं जनरल सवाल करना चाहता हूं। मैंने कल-परसों मंत्रीजी को सवाल दिये थे, जो जयपुर शहर में राजस्थान राज्य परिवहन निगम की सेवायें हैं, उनके बारे में। वह मैं जरा पढ़ कर आपको सुना देना चाहता हूं, कि मेरे सवाल क्या थे और सरकार के जवाब क्या था।

मैंने तीन सवाल किये थे; क्या राज्य सरकार की नगर परिवहन की बसों की समस्त राष्ट्रीयकरण की नीति रही है, कब तक रही है, कब तक रहेगी? यदि हां, तो उस नीति का उल्लंघन करके मिनी बसों को राष्ट्रीय मार्गों पर चलने की अनुमति कब और किन शर्तों के आधार पर दी गयी? क्या इन मार्गों पर राज्य परिवहन की गाड़ियां नहीं चलायी जा सकती थीं? इन सब का ही जवाब था, जी नहीं। इसका मतलब यह कि राष्ट्रीयकरण की नीति नहीं रही। और मिनी बसों को परमिट किस आधार पर दिये गये, कब दिये गये, इसका जवाब भी नहीं था। आपकी नीति क्या है? यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या सरकार परिवहन सेवाओं के लिये राष्ट्रीयकरण की नीति में कोई आमूल-चूल परिवर्तन करने का विचार कर रही है? अगर है तो कृपा करके विवरण सदन के पटल पर रखें। मेरी इतनी ही गुजारिश मन्त्री महोदय से है

(श्री राजबहादुर)

कि क्या आपका माइंड क्लीयर है, क्या हमारे विचार बिलकुल साफ हैं कि हम क्या करना चाहते हैं ? यानि राष्ट्रीय नीति है, जहां तक मैं जानता हूं, राष्ट्रीय मार्गों पर, राजकीय मार्गों पर, स्टेट हाइ वे पर, नेशनल हाइ वे पर जो सेवायें होंगी, उनका राष्ट्रीयकरण होगा। उससे हमने विचलित होकर काम किया है। मैं जानना चाहता हूं मिनी बस मालिकों ने हमारी बड़ी भारी आवश्यकता को पूरा किया, उसके लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं उनका रोजगार नहीं छीनना चाहता, लेकिन आपकी नीति क्या है ? आपकी जो सेवायें हैं, जिनके स्केण्डल उठे हैं, मैं उन स्केण्डलों की कहानी में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यह निश्चित बात है कि निजी बसों के जो मालिक हैं, उनके बारे में मन्त्री महोदय बतायें कि भविष्य में नीति क्या है, रीति क्या है, क्या चाहते हैं ? दूसरी चीज, राष्ट्रीयकरण की नीति के बारे में मुझे तब और भी सन्देह होने लगा जब मेरे पास फैक्ट्स आये हैं 1981 के जनवरी, 1981 में तीन स्कीम राष्ट्रीयकरण के लिये स्वीकृत हुई। एक थी बहरोड़ से अटेरी; एक बहरोड़ से शाहजहांपुर और तीसरी थी कोटपुतली से कहीं जाने के लिये। इन तीनों स्कीमों को एप्रूव कर दिया गया, गजट हो गया, जनवरी की 15 तारीख मुकर्रर हो गयी। मन्त्री महोदय, आप उस समय नहीं आये थे इस डिपार्टमेंट में। 15 तारीख के लिये राजस्थान परिवहन निगम ने एप्लाई कर दिया। उसके बाद 12 तारीख की शाम को, उससे तीन दिन पहले, कहीं से उच्चतम सत्ताधारी व्यक्ति का एक टेलीफोन जाता है कि इनको रोक दीजिये, और वह रोक दी जाती है। क्या यही राष्ट्रीयकरण की नीति है ? क्यों गजट में साया किया गया ? राष्ट्रीयकरण तीन दिन पहले रुक गया। उसका नतीजा क्या हुआ ? नतीजा यह हुआ, आर. टी. ए से कहा गया, उन रूटों को, जो निर्धारित हो गये थे, पोस्टपोन कर दिया गया। ए. आई. टी. सी से मालूम पड़ा तो उन्होंने कहा कि हम भूख हड़ताल करेंगे और उन्होंने की भी। सारा काम पैरेलाइज हो गया। कोटपुतली डिपो में 50 वाहन और 200 का स्टाफ है, 20 रूट्स हैं जो बन्द हो गये। तब सरकार ने यह वायदा किया कि हम जून में चालू करेंगे। लेकिन तब से लेकर आज सितम्बर तक राष्ट्रीकरण की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। कहीं तो पूरा राष्ट्रीयकरण है, कई जिले भाग्यशाली हैं जहां राष्ट्रीयकरण नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। यह निश्चित बात है कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं, चाहे वह नगर की सेवायें हों, चाहे राष्ट्रीय मार्ग की सेवायें हों, चाहे स्टेट हाइ वे हों, उनके बारे में आपकी नीति क्या है, आप चाहते क्या हैं, आप जाना कहां चाहते है, कम से कम इसको स्पष्ट तो करें।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो सेवायें चल रही हैं उनसे लोग सन्तुष्ट हों, ऐसा तो नहीं है। आपकी आर्डिनरी बसों की हालत खराब है, यह मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं अक्सर आपकी डीलक्स बसों में जाता हूं। वह जब शाहपुरा से तीन किलोमीटर दूर जाती हैं तो मालूम होता है कि उनका डीजल खतम हो गया। उधर से

(श्री राजबहादुर)

राजस्थान परिवहन निगम की बस आ रही थी उससे डीजल मांगा तो उसने साफ मना कर दिया। फिर शाहपुरा से मैकेनिक को बुलाया गया, दो-तीन घण्टे तक हम वहां पड़े रहे। मुझे तो बाद में टैक्सी मिल गई, इसलिये मैं तो चला गया। लेकिन जो असुविधा यात्रियों को हुई, उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं।

एक बात और, हम दिल्ली से डीलक्स बसों से अक्सर आते जाते हैं। हम लोग सवेरे आते जाते हैं, हमें यह सुनने को मिलता है कि रात भर में जो ड्राइवर बस लेकर आया था वही सुबह भी बस ले जायेगा। रात भर का जागा हुआ ड्राइवर सवेरे लेकर आता है, आप इसकी जांच करवा लीजिये। अक्सर यह सुनने को मिलता है। इससे भयंकर एक्सीडेन्ट हो सकता है। इसलिये मैं विनती करूंगा, चाहे आपके ऑपरेशन्स हों, चाहे आपका रख-रखाव हो, मैं जानना चाहता हूं कि कि उसका पर्सेंटेज क्या है? इनका इंजीनीयरिंग स्टाफ क्या करता है? ये बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आप इस मौके पर, नये मन्त्री बने हैं, अपनी नीति घोषित करें और स्पष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्रीजी उत्तर दें।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, परिवहन) : उपाध्यक्ष जी, जो बिल मैंने पेश किया है वह एक बहुत सीधा-सादा बिल है। उसकी मन्शा भी साफ है क्योंकि, जैसा आप जानते हैं किसी भी देश में यातायात व्यवस्था और यातायात की सुगम व्यवस्था जनता को प्राप्त कराना हर राज्य सरकार का कर्त्तव्य है। और, जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा कि स्कोप्स वृद्धि और नए रूट्स खोलने के लिये जो बिल लाए हैं, उसमें जो कुछ पावर्स हमने कर्टेल की हैं उनकी मन्शा किसी को खास महत्व देने और किसी का हानि पहुंचाने के लिये है, पर ऐसा नहीं है। माननीय सदस्य, जब कभी भी इस सदन में और बाहर भी विचार-विमर्श होता है, माननीय सदस्य हमेशा यह कहते हैं कि बसेज ओवरलोड चलती हैं, बसेज मिलती नहीं, बसेज के ज्यादा से ज्यादा रूट्स खुलते नहीं, लोगों के आवागमन के साधन हैं नहीं। इन सभी को दृष्टि में रखते हुए हमने यह संशोधन आपके सामने प्रस्तुत किया है। संशोधन क्या प्रस्तुत किया है, नए रूट्स खोलने की, स्कोप वृद्धि करने की राज्य सरकार को पहले भी पावर्स थीं, परंतु, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको मालूम है, जब भी नए रूट्स खोले जाते है तो उस रूट के आस पास के जो बस आपरेटर्स हैं, वे यह नहीं चाहते कि नए रूट्स खोले जायं। पुराने ऑपरेटर्स, जिनकी बसेज चलती हैं, की बहुत अर्से से किसी रूट पर दो बसेज चलती हैं, अगर हम स्कोप वृद्धि करते हैं और ज्यादा बसेज लगाना चाहते हैं तो वे रिवीजन में चले जाते है, अपील में नहीं, वह रिवीजन में चले जाते हैं 64/ए में, जिसमें हमने उनको पावर दे रखी है, वह पावर यह है कि जो भी आर. टी. ए. फैसला करती है उसके खिलाफ वह रिवीजन में चले जायं। जब रिवीजन में चले जाते हैं, तो मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं, 64ए के अन्दर पावर्स हैं उनको आर. टी. ए. के खिलाफ एस. टी. ए. टी. में जाने की। वह क्या है? यह कि

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

परमिट के खिलाफ जायं और कोई डिसीजन आर. टी. ओ. का या आर. टी. ए. की डिसीजन हो उसके खिलाफ जायं। उनको जाने की आज भी छूट है उनको रोका नहीं।

बहुत से माननीय सदस्यों को यह डर है कि यह जो स्कोप निर्धारित करेंगे, यह जो नए रूट्स खोलेंगे उसका अधिकार कहीं डी. टी. ओ. और आर. टी. ओ. को दे रहे हैं। ऐसा नहीं, यह अधिकार आर. टी. ए. को दे रहा हूं। आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि आर. टी. ए. जो हमारे राजस्थान के अंदर हैं वह सुपर टाइम स्केल का आई. ए. एस. अधिकारी है और वह जो फैसला करता है उनका रिवीजन एस. टी. ए. टी. में जाती है और वह स्टे कर देता है और स्टे लम्बे समय तक चलता रहता है। मेरे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जनता परेशान रहती है और 5-5 साल तक, 4-4 साल तक, 3-3 साल तक वह उसको मुकदमों में लटकाये रखते हैं। इधर जनता को लगातार यातायात, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आवागमन के साधन चाहिये और उधर जाकर स्टे ले आते हैं। बहुत समय तक वे नए मार्ग खुलने बन्द हो जाते हैं, स्कोप वृद्धि बंद हो जाती है। इससे जनता को ही परेशानी होती है, नए रूट्स नहीं खुल पाते हैं, स्कोप वृद्धि नहीं कर पाते, इसलिये जनता को दिक्कत होती है। इसलिये यह स्कोप वृद्धि पर और नए रूट्स खोलने के सम्बन्ध में जो हमने कहा है कि रिवीजन एस. टी. ए. टी. में नहीं जाय, जानकारी के तौर पर माननीय सदस्य, जो भरतपुर से आते हैं, से निवेदन करना चाहूंगा और सब माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि यह जो मामला है इसको कोर्ट ने भी क्वासी जुडिशियल माना है यह एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश है। पर चूंकि 64 में एक प्रोविजन है कि हरएक आर. टी. ए. का कोई भी रिकार्ड एस. टी. ए. टी. मंगा सकती है, उस पर विचार कर सकती है, इसलिये जब प्रशासनिक आदेश हैं जिसको उन्होंने भी माना है, फिर प्रशासनिक आदेश पर कोई स्टे दे दे तो आप समझिये क्या प्रशासनिक आदेश हुए? कोई प्रशासनिक आदेश में तो नहीं हुआ इसलिये हमने इस मजबूरी में इस बात को सोचा कि जनता को ज्यादा से ज्यादा यातायात सुविधा प्राप्त करायें, ज्यादा से ज्यादा बसेज का इन्तजाम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमिट मिल सकें, ज्यादा से ज्यादा रूट्स खुल सकें।

आज नई-नई सड़कें बन रही हैं, चाहे वह फेमिन में बनी हों चाहे वैसे बनीं हों। एक गांव से दूसरे गांव को हम यातायात की सुविधाओं से जोड़ सकें, यह हमारा प्रयत्न लगातार रहा है और लगातार रहेगा। इसी संदर्भ में हमने रिवीजन का अधिकार, जो एस. टी. ए. टी. को था, को लेने का सोचा है।

इसके साथ कुछ शिकायतें हैं। हमारे माननीय सदस्यों ने स्कोप की बात कही है, यह तो सीधा सादा बिल है जिसमें और विषयों को नहीं लिया। कोई किसी को परमिट दे, उसमें माननीय सदस्य कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो जायेगा। आज भी परमिट्स के लिए एप्लीकेशन्स आती हैं कि

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

उसके बाद ग्रार. टी. ए. की मीटिंग्स होती हैं उसमें चूंकि हर एक को ग्रपनी बात कहने का ग्रधिकार है, वे ग्रपनी बात कहते हैं, फिर उसके ग्रन्दर जो भी होता है उसी के ग्रनुसार उसको परमिट दिया जाता है। किसी को परमिट दिया जाता है, किसी को ग्रौर कुछ दिया जाता है। हरेक को परमिट देने के बाद उसको ग्रपील में जाने का ग्रधिकार है, उस ग्रधिकार को हमने छीना नहीं है। केवल हमने उस ग्रधिकार को छीना है जो प्रशासनिक ग्रादेश के खिलाफ है क्योंकि उसके ग्रन्दर लिखा हुग्रा है ग्रार .टी. ए. के तमाम रेकार्ड को मंगाने का ग्रौर उस पर विचार करने का एस.टी.ए.टी को ग्रधिकार है। इसलिये, ग्रौर रिकार्ड्स में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रादेश था यह भी उसके ग्रन्दर था इसलिये हम उसको ग्रमेंड करने के लिये ग्रापके सामने उपस्थित हुए हैं।

ग्रापने एक नीति का प्रश्न उठाया रोडवेज के सम्बन्ध में। मैं समझता हूं, ग्रभी तो मेरा टैक्सेशन का बिल ग्रौर ग्रायेगा उस समय भी रोडवेज के संबंध में बोलूंगा, इसलिये मैं बार-बार इस सम्बन्ध में न बोलकर टैक्सेशन का बिल जब ग्राएगा उस समय ग्रापके प्रश्नों, जो बाबू राज बहादुर ने रखे हैं, का उत्तर दूंगा। क्योंकि उन्होंने एक मुद्दे की कही, ग्राज से डेढ़ साल पहले एक रूट का नेशनलाइजेशन हुग्रा। इस बात को मैं मानता हूं कि डेढ़ साल पहले जिन रूट्स का उन्होंने जिक्र किया, कई रूट्स हैं उनका नेशनलाईजेशन हुग्रा। रोडवेज की बसेज चलाने की बात उन्होंने की। रोडवेज की जब बस चलने की बात चल रही थी, कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गये, थोड़े समय में स्टे ले ग्राये ग्रौर ग्राज सुप्रीम कोर्ट में चले गये हैं। ग्रब उसमें थोड़ी इतनी देरी हुई कि उनको समय मिल गया, स्टे लाने का, इस बात के लिये मैं कोई चिन्तित नहीं हूं क्योंकि कानून के लम्बे चौड़े हाथ हैं, ग्राप लोग भी सलाह देते रहते हैं, जब हाई कोर्ट से स्टे ले ग्राये ग्रौर उसी कारण से मजबूरी में ग्राज से डेढ़ साल पहले बसेज नहीं चल पाई ग्रौर ग्रभी राजस्थान रोडवेज को पावर्स हैं तो जब उनके परमिट की मियाद खतम हो गई, हमने एप्लीकेशन्स दे दीं ग्रौर उनके परमिट्स वापस लेने की व्यवस्था कर दी कि हम पर लागू नहीं होता है हाई कोर्ट व सुप्रिम कोर्ट का स्टे, क्योंकि उनके परमिट की मियाद खतम हो गई। इसलिये रोडवेज ने उसमें कार्यवाही चालू कर दी है, मैंने ग्रापकी जानकारी के लिये कह दी। ग्रापकी ग्रौर नीति सम्बन्धी बातों का उत्तर फिर दूंगा।

यह तो स्कोप वृद्धि का ग्रौर नए रूट्स खोलने का बहुत सीधा सादा बिल है इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह जन हित में है, क्योंकि ग्रापने प्रजातंत्र की दुहाई दी थी ग्रापने कहा था प्रजातन्त्र पर कुठाराघात है। प्रजातन्त्र में प्रजातन्त्र के हितों पर ग्राप कुठाराघात करवाना चाहते हैं, फिर कहते हैं यह कैसा प्रजातन्त्र है? जनता के हितों पर कुठाराघात करवाना चाहते हैं ग्रौर फिर प्रजातन्त्र की दुहाई देते हो? जनता सर्वोपरि है। जनता के हितों का ख्याल करना इस प्रजातन्त्र में सबसे बड़ा है ग्रौर जन

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

हित में है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोप वृद्धि करें, ज्यादा से ज्यादा नए रूट्स खोलें हम लोगों को यातायात की सुविधायें ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करायें। कुछ गिला, कुछ नाराजगी आपको रोडवेज से हो सकती है परन्तु जनता से तो नहीं है, नए रूट्स खोलने से, नई स्कोप वृद्धि से तो नहीं है? अगर रोडवेज की हालत खराब हैं, रोडवेज से आपको असुविधा है, उसको सुधारने का प्रयत्न किया जाएगा, उसको सुधारेंगे।

यह तो स्कोप वृद्धि और नये रूट्स वहीं खुलेंगे जो कि एक गांव से दूसरे गांव, जिन जिन जगह पर बसें नहीं चलती हैं, उन जगहों पर कि जहां बहुत पुराने अर्से से दो बसें चल रही हैं। आज के समय आप देख रहे हैं, मैं तो जहां कहीं भी दौरे पर जाता हूं, जहां भी रूट्स को देखता हूं लोगों को छत के ऊपर देखता हूं। लोग कहते हैं वर्षों से बसें नहीं बढ़ी हैं बसें बढ़वाइये, ट्रिप्स बढ़वाइये, स्कोप बढ़वाइये, यह लोगों की मांग लगातार रहती है। इसलिए उसी की दृष्टि में रखते हुए मैं यह विधेयक लाया हूं आपके सामने और मैं आशा करता हूं, यह तो बिलकुल सीधा है, जनता के हित में है। इसे आप स्वीकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि जनमत जानने के लिए जो आपने कहा है उसको वापस लें और इस बिल को आप पारित करने का कष्ट करें।

श्री राजबहादुर : मैं एक प्रश्न करूंगा ताकि रिकार्ड से ठीक रहे और वास्तविक रहे, यह मेरी आशा और इच्छा है। इसी नाते कहता हूं कि 15 जनवरी को जो रूट्स लिया जाने वाला था, किसके कहने से और क्यों रुका, इसका जवाब दे दें? फिर कभी दुबारा बहस होगी तब, और कहूंगा फिर आपने जून तक का मौका क्यों बढ़ाया कि हाईकोर्ट में जाकर स्टे ले आये? हाई कोर्ट ने तो नहीं दिया ......

श्री जयकृष्ण शर्मा : हाई कोर्ट ने दिया था स्टे और उसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट चले गये।

श्री राजबहादुर : मैं इतना जानता हूं जुलाई सन् 80 के बाद कोई नया रूट नेशनेलाइज नहीं हुआ। और दूसरा, जहां यह सवाल है मैं कह दूं कि जून तक आपको टाइम देना है, यह आपको मान लेना चाहिए कि जनवरी से जून तक का टाइम दे रहे हैं। Yo are giving them time to bring stay order. इसमें कौन इन्ट्रेस्टेड था?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 1982 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किये जायं।

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु संशोधन प्रस्ताय अस्वीकार किये गये।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया

विधेयक पर खण्डश: विचार

श्री रतनलाल ताम्बी, संशोधन प्रस्तुत करेंगे खण्ड 2 के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 1982 पर हम विचार कर रहे हैं। मन्त्री महोदय के इस अमेन्डमेन्ट को लाने के लिए विचार हमने सुने....

श्री भगवानदास शास्त्री : खण्ड 1 तो पास करवा दीजिये जिसमें कोई अमेन्डमेन्ट है ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : सबसे बाद में होता है वह।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं इसके ऊपर यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में दो तरह की व्यवस्थायें हैं, एक राष्ट्रीयकृत मार्गों की है और एक निजी वाहन मार्गों की है। इन दोनों के बारे में अलग-अलग प्रकार की प्रक्रिया अलग-अलग प्रकार के कानून है और इसी की आये दिन जो पेचीदगियां हमारे सामने आती हैं, वह भी सामने हैं। मेरा मतलब केवल इतना सा था कि अभी जो वर्तमान में स्कोप निर्धारित करने की प्रक्रिया है वह भी काफी मजबूत है। उसके लिए व्यापक सर्वे होता है और सर्वे करने के बाद में अधिकारी उसको प्रस्तुत करते हैं, गजट में प्रकाशन होता है, आर. टी. ए. की मीटिंग में विचार और एतराज सुने जाते हैं और फिर इसका स्कोप निर्धारित किया जाता है। उसके बाद में किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो उसके लिये एस.टी.ए.टी. में जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को समाप्त करने से कई प्रकार की पेचीदगियां सामने आयेंगी। जिस मोटरयान एक्ट का हम सरलीकरण करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार, पक्षपात और अन्याय से मुक्त करना चाहते हैं इस अमेन्डमेन्ट के बाद उस अधिकारी की मर्जी पर सारे स्कोप का कार्य निर्धारित होगा, स्कोप वृद्धि का काम निर्धारित होगा। मनमाने ढंग से होगा, उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां हो सकती हैं और बहुत ज्यादा स्कोप निर्धारित करने से जो व्यवस्था आज यातायात की सुलभ होती है उसमें भी कठिनाई आ सकती है। इस लिहाज से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धारा 3(2) में जो तीसरा अमेन्डमेन्ट कर रहे हैं, उसमें The R.T.A. may after taking into consideration the interest of general public and the adequacy के आगे मैं केवल यह चाहता था which includes the consideration of 200 Km. per day operation of each Bus.

इसका अर्थ है यह है कि वर्तमान बसों को 200 किलोमीटर के लगभग प्रति बस

(श्री रतनलाल ताम्बी)

चलाने की यदि व्यवस्था सुलभ हो जाती है तो ग्राम तौर से अपील करने की या लिटिगेशन करने की प्रक्रिया सामने नहीं आयेगी। यह कब आती है, जब आप किलोमीटर आपरेशन के पूरे नहीं देते हैं और स्कोप और अधिक निर्धारित कर देते हैं, या व्यापक तौर से जब गाड़िया और बढ़ा देते हैं। तो उस समय बढ़े हुए टैक्स, बढ़े हुए खर्चे और बढ़े हुए व्यवसाय में सामने खर्चे आते हैं उन सबको देखते हुए कठिनाई आ जाती है। इसलिए एक तरफ आप यह करना चाहते हैं तो 200 किलो मीटर पर-डे पर बस ऑपरेशन की व्यवस्था को आप इनमें इनक्लुड कर दें तो, मैं समझता हूं कि आपकी मंशा भी पूरी हो जायेगी और इस व्यवसाय में जो आये दिन लिटिगेशन बढ़ते हैं, अपीलें होती हैं उनमें भी कमी आ सकती है।

आज जो प्रक्रिया आपकी वर्तमान में मौजूद थी वह काफी उपयुक्त थी। उसमें सर्वे के बाद, जनता के एतराज सुनने के बाद और जनता की मांगों को दृष्टिगत रखते हुए आपने सारा अब तक किया था, इसलिए मैं समझता हूं कि न्याय के हित में अपील करने पर रोक करना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है कि वह अपनी बात कह सके। अगर यहां न्याय प्राप्त नहीं हुआ हो, अगर किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आगे की एस.टी.ए.टी की कोर्ट्स हैं या उच्च न्यायालय है वह वहां न्याय प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान में वर्तमान में जो रोडवेज की व्यवस्था है उसके मुकाबले निजी वाहनों को इस नये अमेन्डमेन्ट से काफी ज्यादा कठिनाई आने वाली है। यह व्यवस्था जनता के हित में करना चाहते हैं? कहीं और बसें लगाने की बात नहीं है और लोग इस व्यवसाय से हटते चले जायें, तो व्यवस्था आगे से सुलभ है गांवों में वह भी बन्द हो जायेगी, क्योंकि आज कच्चे रूट पर रोडवेज की बसें नहीं जाती हैं, निजी वाहन जाते हैं। इन निजी वाहनों के सामने यह कठिनाई आ जायेगी कि जहां पर 5 बसें हैं या 10 ट्रिप की वर्तमान व्यवस्था है, वहां इस व्यवस्था के बाद आप उनके हाथ में व्यवस्था छोड़ देना चाहते हैं कि 5 के बजाय 25 भी लगा दें और 25 बसों में दस आदमी नहीं चल पायें तो वे बसें बन्द हो जायेंगी, चल नहीं पायेंगी। इसीलिये मेरा निवेदन यह है कि इसके साथ में आप 200 किलो मीटर पर-डे पर बस की व्यवस्था कर दें तो मैं समझता हूं कि कोई कठिनाई नहीं आयेगी। आपकी ट्रिप ज्यादा हो जायेगी तो वर्तमान व्यवस्था से अधिक से अधिक सेवा देने की बात सुलभ हो सकती है। इसलिए, माननीय मन्त्री महोदय, मैंने एक व्यावहारिक और अच्छे ढंग से यह अमेन्डमेंट प्रस्तुत करके इस अपेक्षा के साथ निवेदन करना उचित समझा है कि आप इसमें यह,

which includes the consideration of 200 km. per day operation of each bus वाली बात जोड़ दें तो मैं समझता हूं कि दोनों तरह से आपकी बात भी इसमें बैठ रही है और इस व्यवसाय में लगे हुए लोगों के सामने भी कठिनाई नहीं आयेगी और इस व्यवसाय

(श्री रतनलाल ताम्बी)

का अच्छे ढंग से संचालन हो सकता है। आप और हम सब जानते हैं, राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बसेज की और निजी बसों की जब तुलनात्मक स्थिति को देखकर चलते हैं तो आजकल निजी व्यवस्था को लोग इसलिए ज्यादा पसन्द करते हैं कि उनकी एफीशिऐन्ट सर्विस है, उनकी बसों का मेन्टीनेन्स वगैरह सबसे अच्छी होता है। इसी आधार पर यह सब कुछ है। इस तरह के व्यवसायि को आगे प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इस प्रकार का जो अमेन्डमेन्ट मैंने प्रस्तुत किया है, माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि उस अमेन्डमेंट को स्वीकार करें। राजस्थान की जनता के हित में इस व्यवसाय को आगे बराबर जाने से अधिक सेवा हो सके उस दृष्टि से देखते हुये इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ में संशोधन प्रस्तुतत करता हूं :

इस खण्ड द्वारा मूल अधिनियम में प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा 47 की उप धारा 3 में—

(i) तृतीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "adequacy" व "of other" के मध्य "which includes the consideration of 200 Km per day operation of each bus" अन्तः स्थापित किये जायं, और

(ii) इस उप धारा के अन्त में प्रयुक्त शब्द "and such order shall be final" को विलोपित किया जाय।"

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री जी।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है वह अपने आप में ही ठीक नजर नहीं आता है, क्योंकि मैंने अपने भाषण में पहले ही कहा है कि स्कोप वृद्धि के साथ-साथ ट्रिप वृद्धि का भी हमारा ख्याल है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह तो प्रशासनिक आदेश है। मैंने खुद ने अपने भाषण में कहा है, प्रशासनिक आदेश मैंने बताये हैं, जब मैंने खुद ही यह बात बतायी है कि हम ट्रिप बढ़ायेंगे तो जो बसें अच्छी हालत में होंगी उनकी तो अपने आप ही हम ट्रिप बढ़ा देंगे। इससे जनता को सुविधा मिल सकेगी और इसकी स्कोप की वृद्धि की जायेगी। स्कोप वृद्धि की बात इसलिये मैंने खुद की है अपने भाषण में 200 किलो मीटर या 150 किलो मीटर तक की लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जो बसें खराब हैं या जिन बसों के गाड़ी के पहिये ही खराब है तो वह गाड़ियां चल नहीं सकती हैं और जनता की सुविधा के लिये सही तौर पर ट्रिप्स नहीं कर सकतीं। पर 200 किलो मीटर कैसे चलेंगी? अगर वह 200 किलो मीटर चल नहीं सकती है तो फिर वैसे काम चलेगा? यह तो बसों की हालत पर निर्भर करेगा। यह देखकर ही ट्रिप्स का निर्धारण किया जायेगा और फिर ट्रिप्स और स्कोप की वृद्धि की जायेगी। जैसा कि मैंने कहा, Interest of general public and the adequacy of other passenger transport service operating.....

यह बात सही है इसलिये मैं आप से कहना चाहता हूं कि इसमें किसी बात का सन्देह नहीं है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

नुकसान पहुंचाने की बात हमारे दिल और दिमाग में नहीं है। हम ऐसी धारणा से काम नहीं कर रहे हैं कि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की बसे नहीं चलें। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की बसों को नहीं चलने दूंगा तो मैं रोड टैक्स किससे लूंगा, किससे पेसेन्जर्स टैक्स लूंगा ? तो क्या मैं यह जानता नहीं हूं कि इसका क्या होगा ? दूसरे, जनता को आवागमन की सुविधा नहीं मिलेगी तो इसके अन्दर सरकार की हिज्जे होगी। इसलिये इस दृष्टिकोण से हमने सर्वप्रथम जनता की आवागमन की सुविधा का ख्याल रखा है। यह तो सर्वप्रथम दृष्टिकोण है हमारा। उसके बाद में ट्रिप रखने के लिये कोई भय की बात नहीं है कि हम प्राइवेट बस आपरेटर्स जो है उन्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं इसमें हम नये लोगों को भी आगे लाना चाहते हैं। जब तक थोड़ी बहुत ही आमद नहीं होगी तब तक बस ऑपरेटर्स बस कैसे चलायेंगे, इस दृष्टिकोण को सरकार ने अपने सामने रखा है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार के पक्षपात की बात नहीं है, केवल जनता को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमने ऐसा किया है। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि पहले जो व्यवस्था थी वह ठीक थी तो मैं यह बताना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो व्यवस्था थी, एक मिनट, पहले हमने स्कोप वृद्धि जो की थी वह सन 78 में की थी तब वह लोग एस. टी. ए. में चले गये। उस वक्त हमारी 8 थी, उनकी 6। उसके बाद एस.टी.ए. में तीन साल बाद में 5, 12 का अनुपात रखा, उसके तीन साल बाद 8 और 16 हुई। उसके बाद में 5 और 12 हुई। और उसके तीन साल बाद में फिर हमने किया 6 : 5 तो उन्होंने कर दिया 2 : 3। अब इस प्रकार मेरे पास 11 रूट्स के उदाहरण हैं जिसमें आर.टी.ए. ने तीन साल पहले निर्धारित किया और उसमें कहीं पर आधा कर दिया और कहीं पर पूरा कर दिया, कहीं तीन-तीन साल में उन्होंने स्कोप वृद्धि कर दी। यह तो हालत देखकर तय किया जा सकता है कि रूट्स क्या खोलेंगे और स्कोप वृद्धि कितनी करेंगे। समस्या हो सकती है, अगर मोनोपोली हो, कुछ लोग जो अपने रूट्स पर वर्षों से चल रहे है, वह बात अलग है कि उनकी ही बसें वहां चलती रहें, दूसरे लोग आगे नहीं आयें, और जनता को यातायात सुविधा नहीं मिले। दूसरे हमने इस दृष्टिकोण को अपने सामने रखा कि जो पुराने बस ऑपरेटर्स हैं उनको किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं हो और नये बस ऑपरेटर्स भी आगे आयें जिससे जनता को यातायात की सुविधा मिल सके। इस दृष्टिकोण से इस अमेण्डमेंट, जो माननीय सदस्य ने दिया है, को मैं मानने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन माननीय सदस्य ने दिया है उसको स्वीकार किया जाड ?

श्री रतनलाल ताम्बी : एक दो सवाल, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब के वक्त। अभी नहीं।

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, एक दो सवाल ही हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं जैसा कि इन्होंने बताया कि हम इसकी स्कोप वृद्धि करना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें मोनोपोली वाली बात नहीं है, इसमें जो स्कोप की प्रक्रिया है वह निश्चित है जब आप चाहें तब तक स्कोप बढ़ा सकते हैं, यह तो पहले ही है। दूसरी बात, जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें कई दिक्कतें आ सकती हैं, इसमें आप जब चाहें तब ट्रिप्स बढ़ा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य, आपका यह जुरिस्डिक्शन नहीं है, यह आपके जुरिस्डिक्शन के बाहर है। यह कॉन्टीट्यूशन के बाहर है। यह कॉन्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया के अन्तर्गत आता है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन श्री रतनलाल ताम्बी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

(व्यवधान)

अच्छा तो मैं दुवारा पढ़ देता हूं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में श्री रतन लाल ताम्बी ने जो संशोधन पेश किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 में कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, ना पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, हां पक्ष जीता।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम, आदि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

श्री जयकृष्ण शर्मा, प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटरयान (राज-

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

स्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय ।

श्री राजबहादुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो निश्चित बात है कि बिल में स्कोप के नाम पर जो अमेण्डमेंट किया गया है जैसा कि माननीय सदस्य श्री रतनलाल ताम्बी ने कहा कि आपने कुछ अधिकार अधिक दे दिये । इसलिए उन पर जो नियंत्रण पहले था वह भी अब नहीं रहा । पहले नियन्त्रण था, उसमें रिवीजन करने का अधिकार था वह भी समाप्त कर दिया है; पहले वे स्टे ला सकते थे, वह अब नहीं रहा । मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पहले फेवरटिज्म था, उसके लिये आपने क्या किया ? यह तो आपने बिना लगाम के घोड़े की तरह कर दिया, इसमें पक्षपात होने का पूरा खतरा है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बिल की लास्ट स्टेज है ।

श्री राजबहादुर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता है, अब जनरल पॉलिसी पर ही बोल रहा हूं, अमेण्डमेन्ट पर नहीं बोल रहा हूं ।

मेरा निवेदन यह है कि इसमें पक्षपात का भय है । जहां तक संशोधन किया है उसकी कोई बात नहीं पर आप किन अवस्थाओं के ऊपर, किन कंण्डीशन्स पर, किन सूरतों पर यह करेंगे ? इसकी लिमिट क्या होगी ? इसके आपके क्या नियम होंगे ? क्या आपका क्राइटेरिया होगा ? आप किस प्रकार से इसको करेंगे ? क्या आपने इसके लिये रूल्स बनाये हुये हैं कि नहीं ? हैं, तो क्या है ? क्या नये रूल्स आप बनायेंगे ? कोई रूल्स हैं, आपके उनको क्या आप रिवाइज करेंगे ? करेंगे तो उनकी कण्डीशन्स क्या होगी । मैं तो यह कॉशन का वर्ड लेना चाहता हूं जिससे कि रिश्वत, न चले और उसमें पक्षपात नहीं हो ।

श्री रामसिंह विश्नोई : काफी सुधार हुआ है

श्री राजबहादुर : वह तो हमें मालूम है कि आपके यहां पर नेशनाइजेशन जो हुआ है वह कई जिलों में तो हो गया है और कई जिलों में बिलकुल ही नहीं हुआ है, इसमें कुछ जिले ऐसे हैं जैसे आपके पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान, जिनमें आप नाम ही नहीं लेना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं वहां तो नेशनाइजेशन हुआ ही नहीं है । जहां आपने नेशनाइजेशन कर दिया फिर भी वहां पर 20-20 प्राइवेट बसें चलती है और वहां पर वे आपके रूट्स की सवारी उठाकर ले जाते हैं और आपके नेशनलाइजेशन की बसें देखती रह जाती हैं ।

(व्यवधान)

जी । मैं संशोधन की बात नहीं कर रहा हूं । मैं तो जानता हूं कि बिल पारित होने की स्टेज पर है, उसमें पॉलिसी की बात कर सकते हैं । मैं पॉलिसी की ही बात कर रहा हूं । वैसे मुझे लेजिस्लेशन का थोड़ा तजुर्बा है इसलिये यहां पर मैं संशोधन की बात नहीं कर रहा हूं, वह स्टेज गयी । आपने जो रिवीजन की पावर्स अपने हाथ में ले रखी है उसके लिये क्या कॉशन दिया है

(श्री राजबहादुर)

आपने, प्रोटेक्शन क्या दिया है उसके लिये, यह आप बता दें। लोगों को न्याय मिले और अन्याय नहीं हो लोगों के साथ, उसके लिये आपने क्या स्टेप लिये हैं? आप न्याय कैसे देंगे? आपके कोई रूल्स रेगुलेशन भी हैं क्या? आप क्या क्राइटेरिया रख रहे हैं? फेवरिटिज्म नहीं हो, इसके लिए आप क्या काम करने जा रहे हैं? इसका उत्तर मन्त्री महोदय अपने जवाब में दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री।

श्री रामकिशोर मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मोटर यान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 की धारा 43 और 64 ए में जो अमेण्डमेन्ट किया है उसके सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह जो तामिलनाडु में सन् 1978 में एक्ट नम्बर 16 था उसकी नकल की गयी है, उसी के अनुसार यह अमेण्डमेन्ट किया गया है, उसकी नकल की गयी है। उसकी नकल करने में आप देख लें कि जहां पर यह अमेण्डमेंट किया गया था वहां पर इस अमेण्डमेंट का क्या परिणाम रहा। आप वहां की परिस्थितियां देखें इस अमेन्डमेन्ट को लाने के पहले और यह देखें कि बाद में उसका क्या फर्क पड़ा। उसके तहत, आप जब जवाब दें तो उसका विशेष रूप से उल्लेख करें कि वहां पर क्या विशेष उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। उसकी आपने नकल तो कर दी पर उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? कृपया सभी बातों का जवाब मन्त्री महोदय इस सन्दर्भ में दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री। उत्तर देंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रकार की शंका व्यक्त की। पावर्स के बारे में जैसा कि 64 (ए) में उल्लेख किया है—

may call for the record of any case in which an order has been made by S.T.A. or R.T.A. and in which no appeal lies.

यह तो इसके अन्दर इसके खोलने और नये रूट्स खोलने के लिये एडमिनिस्ट्रेआर्डर्स हैं इसलिये यह एस.टी.ए.ठी. में ठीक जायेंगे, यह मान्यता राज्य सरकार की है। माननीय सदस्य, जैसा मैंने कहा कि इसके और जो रूट्स खोलने की बात थी उसको मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया, अगर इसमें डिले की जाय, यह अभी रिवीजन में बताया, यह बिल नहीं है रिवीजन है। जाने की बात मैंने कही और देखिये, अगर ऐसी बात है नहीं, जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि तामिलनाडु में क्या हुआ? मैं यह कह सकता हूं कि तामिलनाडु की बात की मुझे ठीक प्रकार से जानकारी नहीं है तामिलनाडु में यह जरूर बना हुआ है। जिस तरह का कानून मैं लाया हूं वह तामिलनाडु में है, लेकिन राजस्थान में बहुत पहले से ही, बहुत दिनों से ही चल रहा है। यह प्रश्न आज का नहीं है मेरे सामने। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह आपके राज में भी चल रहा था, मेरे राज में भी चल रहा है, यह बहुत पुराने अर्से से है। मैं उन बातों को ही कहता रहता हूं

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

कि आपके राज में भी चला था और मेरे राज में भी और हमारी पार्टी में भी और आपकी पार्टी में भी। यहां पर पार्टी का कोई सवाल नहीं है। यह तो जनता की सुख-सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये बहुत अर्से से पैंडिग है, आज का नहीं हैं, यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

इसलिए मैं कहूंगा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने कही, आर. टी. ए. को पावर दे रहा हूं, आर. टी. ओ. को नहीं दे रहा हूं, डी. टी. ओ. को नहीं दे रहा हूं। आर. टी. ए. को पावर दे रहा हूं जिस आर. टी. ए. के बारे में आपको कोई शंका होनी ही नहीं चाहिये। हम भी आय में वृद्धि करना चाहते हैं। जो नये रूट्स पर खोलना चाहते हैं, आखिर किसके लिये खोलना चाहते हैं? इसलिये थोड़े ही खोलना चाहते है कि जिनके रूट्स दिये जायेंगे उनको शायद लाभ नहीं हो? तो प्राइवेट बस आपरेटर्स क्यों बसें चलायेंगे? इसलिए इस बात को भी हमें मद्दे नजर रखना पड़ेगा कि बस आपरेटर्स को कितना आर्थिक लाभ उन रूट्स से होता है, हमको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि लोग जो आते हैं उनको साधन यातायात के किस प्रकार से सुलभ हो सकते हैं।

इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि इस विधेयक को आप पारित करें। यह यातायात सुविधाओं में जनता को ज्यादा से ज्यादा योगदान देगा और किसी को किसी भी प्रकार से हानिप्रद नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा : चूंकि सैन्ट्रल एक्ट है इसलिए उसी तरह से स्टेट में बना रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ...

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप घड़ी-घड़ी में यह कहते रहेंगे? इसका अन्त नहीं होने देंगे?

श्री रामकिशोर मीणा : एक उदाहरण के तौर पर निवेदन कर रहा हूं। आप अमेन्डमेंट कर रहे हैं। इसके पहले यह भी देखें कि ऑल इण्डिया की क्या स्थिति है, किन स्टेट्स में है। किस आधार पर अमेण्डमैंट कर रहे हैं? उसके क्या परिणाम आये....

श्री जयकृष्ण शर्मा : वह बाद में पता लगेगा कि क्या परिणाम निकला....

(व्यवधान)

लेकिन बिल मैं तब ही लाया हूं जब मेरे मन में और सरकार के दृष्टिकोण में इस अमेण्डमेंट को लाना अच्छा समझा गया। परिणाम क्या निकलेंगे. यह बाद में देख लेंगे। आज आप यह कैसे कह सकते हैं? अगर अच्छे परिणाम निकलते ही नहीं तो मैं इसको लाता ही नही।

श्री रामकिशोर मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, 1971 में तमिलनाडु में यह बिल लाया गया था, उसके वहां परिणाम निकले?

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह मुझे पता नहीं कि वहां क्या परिणाम निकले?

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा : इसलिये, तमिलनाडु में इसके क्या परिणाम निकले, यह हमें देखना पड़ेगा कि वहां क्या निकला....

श्री उपाध्यक्ष : आपको पता है तो आप बता दीजिये न।

श्री रामकिशोर मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि वहां पर इसके अच्छे परिणाम नहीं निकले।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मोटरयान (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1982। श्री नाथूसिंह परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री नाथूसिंह।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सदन का समय आज की कार्य सूची सम्पूर्ण हो तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से जब तक विधेयक पारित न हो जाय तब तक के लिये सदन का समय बढ़ाया जाता है।

(व्यवधान)

राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982
परिनियत संकल्प

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आपस में बात नहीं, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा 3 अगस्त, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1982) को अस्वीकार करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये हैं इस आर्डिनेन्स को लाने के लिये उसमें यह है कि पैसेन्जर एण्ड गुड्स टैक्स को समाप्त करके स्पेशल रोड टैक्स करके उसमें रोड टैक्स को बढ़ा दिया और टैक्स फ्लेट रेट पर निर्धारित कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय, ने अपने बजट भाषण, जो उन्होंने दिया था....

(व्यवधान)

क्या कह रहे है आप ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे बात नहीं करें।

श्री नाथूसिंह : तो, उपाध्यक्ष महोदय, वित्त महोदय ने जो बजट भाषण दिया था,

(श्री नाथूसिंह)

उसमें उन्होंने इसके बारे में जो बजट प्रावधान रखा वह मैं पढ़कर सुनाता हूं रोड्स एण्ड पैसेन्जर टैक्स— राज्य सरकार का यह भी विचार है कि वर्तमान में लगे हुये पैसेन्जर तथा गुड्स टैक्स का मोटर व्हीकल टैक्स में यूनिफिकेशन कर दिया जाय, जिसके फलस्वरूप इसकी आय की वसूली की प्रक्रिया सरल हो जायेगी । ऐसा अनुमान है कि प्रस्तावित संशोधित प्रक्रिया से लगभग 4 करोड़ की प्रतिवर्ष अतिरिक्त आय होगी ।

उन्होंने इसको क्षेत्रीय आय, इन्कम माना है । 4 करोड़ का प्रावधान है बजट भाषण में वित्त मन्त्री मोहदय के ! लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जितना टैक्स यह बढ़ा रहे हैं उसका यदि विचार लगाया जाय, तो लगभग 7 करोड़ के आसपास होगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस बजट के प्रोविजन को देखें तो 7 करोड़ रुपये अगर इस तरह से इनको जुटाने हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं लेकिन जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है । इस समय केवल 4 करोड़ का अनुमान है, 2 करोड़ भी हो सकता है, दो करोड़ लगा दें आप, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, 7 करोड़ के जनता पर टैक्स लगायेंगे जब कि उस समय जनता से वायदा किया था कि टैक्स नहीं लगायेंगे, लेकिन फिर भी इस तरह से टैक्स बढ़ा रहे हैं, यह भार किस पर पड़ेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : बस ऑपरेटर्स पर ।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बस ऑपरेटर्स पर नहीं, यह भार तो सीधा जनता पर पड़ेगा, आम जनता पर जाकर इसका भार पड़ेगा । इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो टेन्डेन्सी इनडाइरेक्ट टैक्स वसूली की इनकी है, चोर दरवाजे से टैक्स लगाने की, बजट में प्रावधान नही करना और बाद में जनता से विश्वासघात कर के टैक्स लगाने की, यह जनता के साथ विश्वासघात है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से इन्कम बढ़ जायेगी तो क्या भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा ? रूट्स की लड़ाई होने वाली है, कौनसा रूट किसको दिया जाय, छोटे-छोटे रूट्स हैं, इन छोटे-छोटे रूट्स पर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स बस चला रहे हैं, राजस्थान रोडवेज की बसें इन छोटे रूट्स पर चल नहीं रही हैं ।

(7.00 सायं)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

जहां रोडवेज की बसें नहीं चलती हैं वहां वे मैदान छोड़-छोड़ कर भाग जायेंगे इसलिये जो टैक्स बढ़ा रहे हैं इसका भार आम जनता पर पड़ेगा । उनको जो सुविधायें उपलब्ध थीं वे सुविधायें उनको नहीं मिल पायेंगी । इसलिये आपने यूनिफिकेशन के नाम पर जो सारा काम किया है इससे इनडायरेक्टली आपने जनता पर टैक्स इम्पोज किया है और यह जनता के हित में अच्छा नहीं है । मैं समझता हूं कि इस ऑर्डिनेन्स की, अभी जो आपकी मूल भावना है; इसके पीछे यूनिफिकेशन या किसी को

(श्री नाथूसिंह)

लाभ पहुंचाने का कोई इरादा हो, ऐसा नहीं है। आपका तो, जैसा आपने कहा अभी, पैसा इकट्ठा करने का इरादा है। टैक्स बढ़ाकर जनता से पैसा छीनने का इरादा है इसलिये इस इरादे को त्यागें। मैं इस सदन से अपेक्षा करता हूं कि सरकार जो चोर दरवाजे से पैसा लूट रही है उसको रोकें। सदन इस ऑर्डिनेन्स को अस्वीकार करे, उसके बाद विचार-विमर्श करे और फिर जावे। इसमें आपको क्या परेशानी है? चार करोड़ का प्रावधान किया है, उस के हिसाब से ही लावें तो मैं समझता हूं उचित होगा। मैं सदन से यह अपेक्षा करता हूं कि इस ऑर्डिनेन्स को अस्वीकार करे।

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा 3 अगस्त 1982 को प्रख्यापित राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1982) का अस्वीकार करता है।

इसके लिये मेरा निवेदन है, शब्दावली तो बहुत बढ़िया प्रयोग की है, माननीय सभापति महोदया। सरलीकरण सुव्यवस्थितीकरण, एकरूपीकरण, यह आपने अपना उद्देश्य बताया है और इस उद्देश्य के साथ अध्यादेश लाये हैं। माननीय सभापति महोदया, आज धीरे-धीरे हम कहते हैं कि हमारे ज्ञान की वृद्धि हो रही है, हम कह रहे हैं कि वैज्ञानिक तौर-तरीके इस जीवन में अपना रहे हैं और उन वैज्ञानिक तौर-तरीकों को हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदया, पिछले कर लगाने के जो हमारे तौर-तरीके थे इस अध्यादेश द्वारा समाप्त किये गये हैं। वह एक प्रमाणिकता थी। अब प्रमाणिकता इसलिये थी कि एक बात तय हुई कि कितना यात्री कर आया और उसमें से कितना प्रतिशत लिया जाय, उस यात्री कर में से उतना प्रतिशत ले लीजिये वह एक प्रमाणिकता थी। कितना भार ढोया जा रहा है और जितना भार ढोया गया है यान में, उस भार के ऊपर जितना अपना कर लगता है वह कर ले लीजिये– वह एक प्रमाणिकता थी। हम अब कम्प्यूटर ऐज में चल रहे हैं और इस कम्प्यूटर ऐज में हमारा भी एक कानून प्रमाणिक रूप से कर वसूल करने का है। माननीय सभापति महोदया, यह कहने में खेद है, और मुझे दुःख भी है कि सरकार उस कानून को लागू करने मे असफल रही है। सरकार का प्रशासनिक तन्त्र उस कानून के अनुसार ठीक ढंग से काम करने में असफल रहा है। और पिछले साल, यह जो आपका ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट है, जो इस तरह का कर वसूल करने वाला रहा है पूर्णतः अव्यवस्थित और वहां की स्थिति सन्तोषप्रद नहीं रही है। वह इसलिये कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय माननीय यातायात मन्त्रीजी तो बड़े आंकड़े लेकर प्रमाणिकता से बात करते हैं और मुझे गौरव है कि उनके विचार इतने विकसित हैं. मैं दो-चार सवाल पूछना चाहता हूं आप उन सवालों का विस्तृत जवाब दे दें। आप यह बताइये, आपके यहां असैसमेंट में यात्री कर का कितना प्रतिशत वसूल होता है? कितनी

(185)

(श्री कैलाश मेघवाल)

बसों का होता है ? और माल भाड़ा कितना माल वाहनों से वसूल करना बाकी है ? उसके विभिन्न प्रकरणों के कितने मामले आपके पास विचाराधीन हैं ? आपकी प्रशासनिक मशीनरी कितनी है ? आपका प्रशासनिक तन्त्र कितना है ? उस तन्त्र का कितना मापदण्ड है ? जिला यातायात अधिकारी, सहायक यातायात अधिकारी, आयुक्त और सहायक आयुक्त आदि ये जो आपके अलग अलग दफ्तर हैं और इन दफ्तरों के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को मापदण्ड के हिसाब से कितने प्रकरण महीने में निपटाने चाहिये थे और उन्होंने कितने निपटाये हैं और कितने नही निपटाये हैं ?

माननीय सभापति महोदय, मुझे अफसोस है कि अपने विभाग की कार्य प्रणाली सुधारने के बजाय, अपने विभाग में चल रही आपा-धापी को ठीक करने के बजाय आप हमारे यहां इस विधान सभा में, मैंने जैसा कहा, बड़े अच्छे शब्द हैं सरलीकरण, वैज्ञानीकरण लिखा है, यह घड़ी का जो कांटा है उसको आप पीछे ले जा रहे हैं। यह प्रमाणिकता के आधार पर नहीं है। बस में लोग बैठें या नहीं बैठें आप टैक्स लेना चाहते है बस यात्री से। मैं निवेदन करूं, माननीय सभापति महोदया, आज भी ठीक ढंग से कार्य नहीं चल रहा है और इस पर आपने यह प्रणाली लागू कर दी तो जो भ्रष्टाचार है उससे ज्यादा ही भ्रष्टाचार होने वाला है। उस भ्रष्टाचार के आधार पर, आप चाहे अच्छे उद्देश्य घोषित कर रहे हों लेकिन आप प्रमाणिकता से टैक्स वसूल नहीं कर सकोगे क्योंकि, माननीय यातायात मन्त्री-जी, यह स्पष्ट है कि आपके विभाग की हालत क्या है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सबसे बड़ी बात यह छोड़ दीजिये, ये यात्री कर वसूल करें, चाहे फ्लेट रेट से वसूल करें, चाहे यात्रियों के हिसाब से, प्रमाणिकता से वसूल करें या जो भार रजिस्टर्ड है माल यानों का, उसके हिसाब से वसूल करें, रसीदें तो इनको देनी पड़ेंगी। रसीदें आज इनके विभाग में देने की क्या स्थिति है, माननीय सभापति महोदया, मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से नहीं कहना चाहता हूं।

माननीय यातायात मन्त्रीजी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सन् 1977-78 का है और उस लेखा परीक्षण में पेज 29 पर पैरा 3 और 13, जिसकी प्रमाणिकता से आपको मालूम पडेगा कि आपका विभाग कैसे चल रहा है, न सरलीकरण, न सु-व्यवस्थितीकरण, न एकरूपीकरण और रसीद भी नहीं देनी पढ़ती है। इसलिये कहना चाहता हूं कि रसीदों के बारे में क्या लिखते हैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक—रसीद किताबो का लेखा ना रखना। वे लिखते हैं, राजस्थान सामान्य वित्त व लेखा नियमों के अन्तर्गत उन विभागों को, जिनमें अधिकारियों को सरकार की ओर से धन प्राप्त करना व उसके लिये रसीद जारी करना अपेक्षित है, कोरी व काम में लायी रसीद किताबों की प्राप्ति व जारी करने का एक उचित लेखा रखना अपेक्षित है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर के

(श्री कैलाश मेघवाल)

कार्यालय' के वर्ष 1972-73 की लेखा परीक्षा के दौरान यह ध्यान में आया, (फरवरी-मार्च, 1974) कि राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त हुई 16 कोरी व काम में लाई गई 100 पृष्ठों वाली रसीद किताबों की प्राप्ति व जारी करने का कोई लेखा विभाग द्वारा नहीं रखा गया। इन किताबों का ठौर-ठिकाना भी विभाग को मालूम नहीं था।"

केवल टैस्ट चैक। यह ए. जी. साहब का सब ऑफिसेज का चैकिंग नहीं है। यह तो एक टैस्ट चैक है और एक डिपार्टमेंट को चैक किया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर को इन किताबों का ठौर-ठिकाना भी मालूम नहीं है।

इसके बाद "राजकीय मुद्रणालय, जोधपुर द्वारा जनवरी, 1969 में भेजी गई 65 रसीद किताबों में से 19 कोरी किताबें कार्यालय द्वारा प्राप्त नहीं हुई बतायी गईं तथापि नवम्बर, दिसम्बर, 1977 में की गई लेखा परीक्षा के दौरान यह ध्यान में आया कि इन 19 रसीद किताबों में से एक के द्वारा 22 अगस्त, 1971 व 16 जनवरी, 1972 के मध्य 15,054 रुपये 96 पैसे की राशि संग्रहीत की गई। अतः यह सम्भव है कि बची हुई अप्राप्य व लाई 18 रसीद किताबें भी प्राप्त हो गई हों तथा राजस्व संग्रह के लिये उपयोग में लाई गई हों या राजस्व कठिनाई के लिए उपयोग में लायी गयी हों। लापता रसीद किताबों द्वारा प्राप्त राजकीय राजस्व पर प्राप्त दुरविनियोजन की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता।" मैं पूछना चाहता हूं कि यह क्या है? माननीय यातायात मन्त्रीजी, क्या आप बतायेंगे कि आपके यहां जितने विभागों में रसीदें जारी की गयी हैं, उन सब रसीदे को इन्टैक्टरखा, उनकी पूरी निगरानी, उनकी पूरी जानकारी रखी कि उनके ऊपर पूरा नियंत्रण है और वे चोरी में नहीं गयी हैं? यह इसलिए कहना चाहता हूं कि आप विभाग को सुधारिये। आप विभाग की प्रशासनिक कुशलता को ठीक नहीं कर सकते। आज यह आप विश्वास के साथ कह सकेंगे कि हमारे यहां रसीद ठीक ढंग से रखी जाती है, हिसाब से हम रसीद जारी करते हैं, ठीक ढंग से जारी करते हैं? माननीय सभापति महोदय, यहां नहीं, मैं जनरल इसलिए कहता हूं कि आपके इसमें सुधार आना क्या जरूरी है।

एक दूसरा पैराग्राफ दूसरे साल की रिपोर्ट से पढ़ना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया, कर-लैजर का अनुचित निर्धारण। कर-लैजर, यहां बैठे हुए प्रत्येक माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदया, आप भी जानती हैं कि यह प्रत्येक व्हीकल का रजिस्टर होता है, चाहे यात्री बस हो, प्रत्येक व्हीकल चाहे वह माल यान चाहे स्कूटर या मोटर साईकिल हो, जिसमें सड़क कर देय है, जिसमें यात्रा कर देय है और जिसमें माल यान भी शामिल है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रेशन को कर-लैजर कहलाते हैं। उस कर-लैजर के आधार पर ही, माननीय सभापति महोदया, यह मालूम पड़ सकता है कि किस नम्बर के व्हीकल्स का नियमित रूप से हमारे यहां सड़क यातायात कर या रोड टैक्स या और किसी तरह का

(श्री कैलाश मेघवाल)

टैक्स, जिसको यातायात विभाग को इकट्ठा करने का अधिकार है, वसूल हो रहा है या नहीं।

उसके बारे में, माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय यातायात मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आपके यहां स्थिति क्या है। यह है 78-79 के लिए भारत के नियंत्रक महा लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन इसमें उनका लिखना है, "कर-लैजरों का अनुचित संधारण—कर-लैजर परिवहन विभाग का एक आवश्यक अभिलेख है क्योंकि इससे कर संग्रहण पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। वर्ष 1973-74 के लिये भारत के नियंत्रक महा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) के अनुच्छेद 50 (ख) में विभाग द्वारा लैजरों के दोषपूर्ण संधारण के विषय में उल्लेख किया गया था। सरकार ने लोक लेखा समिति को सूचित किया (जुलाई, 1978) कि जुलाई, 1974 में विभाग का पुनर्गठन किया गया है और संशोधित, प्रबन्ध के अन्तर्गत लैजर के रख-रखाव में इंगित की गई अनियमितता फिर से घटित नहीं होगी। यह जांच करने के लिए कि अधिक नियंत्रण लागू करने के लिए संशोधित प्रबन्ध प्रभावी हैं या नहीं, क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालय जयपुर, कोटा, सीकर और सवाई माधोपुर द्वारा संधारित जनवरी, 1975 से मार्च, 1979 की अवधि के कर-लैजरों के करीब 11440 लेखों की नमूना जांच की गई। निम्न-लिखित अनियमितताएं निरन्तर घटित होती पायी गयीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, खारची से आने वाले।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदया, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि 1974 में लेखा-परीक्षण के दौरान इनसे कहा गया कि कर-लैजर ठीक नहीं है और यातायात विभाग ने विश्वास दिलाया कि वे कर निर्धारण ठीक कर देंगे। इस विश्वास को आधार मानकर 1978-79 में 4 जिलों का, "केवल 4 जिलों "जयपुर कोटा, सीकर और सवाई माधोपुर के कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और उसमें केवल 11440 लेखों की जांच की गयी।" अब, जांच के नतीजे क्या आये, माननीय सभापति महोदया, माननीय यातायात मन्त्रीजी, सुन लीजिए चौंकाने वाले हैं. केवल चार जिलों के इनको सुधारते तो आपको यह संशोधन बिल नहीं लाना पड़ता। आपने सारी स्थिति को ठीक किया नहीं; नतीजा क्या आया, सुनिये, माननीय सभापति महोदय।

"एक-1344 मामलों में वाहनों के सवामित्व परिवर्तन की टिप्पणी दी हुई नहीं पाई गई जिसके फलस्वरूप कर बकाया के लिये चूककर्ता वाहन स्वामियों को नोटिस नहीं दिये जा सके, लैजर कम्पलीट नहीं इसलिए। दो-1417 मामलों में अभिहस्तांकन/पंजीयन के दिनांक से कर भुगतान की कोई प्रविष्ठियां नहीं थीं। तीन-1530 मामलों में भुगतान किये गये कर का दो वर्षों से कोई अंकन नहीं किया गया था। चूककर्ताओं की सूची न तो अन्य जिला परिवहन अधिकारियों को प्रेषित की गयी और न वाहन स्वामियों को कर

(श्री कैलाश मघेवाल)

भुगतान करने के लिये नोटिस ही जारी किये गये थे। चार-89 मामलों में वाहनों की पंजीकृत भार वाहन क्षमता/नहीं लादे गये भार और बैठने की क्षमता में परिवर्तन की टिप्पणियां कर-लैजर में नहीं दी गई थीं जब कि पंजीयन अभिलेखों में परिवर्तन कर दिये गये थे। अतः इन मामलों में कर-लैजरों से सही कर देयताएं प्रकट नहीं होती थीं। 479 मामलों में वाहनों के चालन क्षेत्रों के विवरण, जिसके आधार पर कर राशि निश्चित की जानी थी, नहीं दिये गये थे। 42 मामलों में यद्यपि वाहन राज्य छोड़ चुके थे, पर जाने की तिथि, कर भुगतान के विवरण आदि अंकित नहीं किये गये थे। नमूना जांच किये गये लेखाओं में से किसी में भी कर बकायाओं के अंग्रेषित विवरण नहीं भरे गये थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया कृपा करेंगे पीछे बैठने की। कुछ नियम हैं उन नियमों को पढ़कर उनका पालन करें।

श्री कैलाश मेघवाल : यह है, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के यातायात विभाग की आपाधापी और अकुशलता। यह सब क्यों हो रहा है? आज राजस्थान का यातायात विभाग राजस्थान के खजाने में पैसा लाने में दिलचस्पी नहीं रखता; आज राजस्थान का यातायात विभाग राजस्थान के खजाने में पैसा आये, उसके लिए जो कार्यवाही की जानी चाहिए वह कार्यवाही करने में विश्वास नहीं रखता; आज राजस्थान का यातायात विभाग यह सब खामियां छोड़कर मोटर मालिकों को लाभ दे रहा है, बस आपरेटर्स को लाभ दे रहा है, दूसरों से जितना कर लिया जा सकता है, रोड टैक्स लिया जा सकता है, उसका उनको लाभ दिया जा रहा है। आज वह बात लेकर माननीय मन्त्री जी यहां नहीं आये, और माननीय मन्त्री महोदय कहते हैं कि सरलीकरण करें। नियम साफ हैं। आपके लैजर आप पूरे नहीं कर सके, वह आपसे नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, आपको यह आंकड़े मालूम हैं, जो मैंने अभी आपसे निवेदन किया, आप यह बताइये कि कितने तो अनिर्णीत, पेंडिंग मामले पड़े हैं जिनमें करोड़ों रुपये की बकाया है? कितने मामले ऐसे हैं और कितना धन आपका राजस्व विभाग में बकाया है? कितना धन राजस्थान के ट्रक ऑपरेटर्स पर बकाया है? कितना धन आपका ट्रक ऑपरेटर्स पर बकाया है और उस धन के बाकी होने के कारण क्या हैं? माननीय सभापति महोदया, यह हम पूछना चाहते हैं। आप कर प्रणाली को बदलना चाहते हैं, फ्लेट रेट और दूसरे ढग से कर लगाने का नया अध्यादेश राजस्थान सरकार ने निकाला और आपको यह सब मालूम नहीं। मैं चाहूंगा, प्रमाणिकता से माननीय यातायात मन्त्री यह बतायें कि आज उनके यातायात विभाग को मोटर के मालिकों में, बस ऑपरेटर्स और दूसरे चार्ज हैं लेखा लेने में कितना बकाया है? माननीय सभापति महोदय, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय, हालात इतने तरल नहीं हैं, हालात भयंकर रूप से गम्भीर हैं। कोई भी व्यक्ति

(184)

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रमाणिकता से, प्रतिबद्धता से राजस्थान के यातायात विभाग का कार्य ठीक करके जो करोड़ों रुपया चूक में जा रहा है, जो करोड़ों रुपया बाकी है, वसूल नहीं करना चाहते। माननीय सभापति महोदय, और कितने तरीके हैं ? आप ऐसा बिल ले आये। आपका पहले कर का निर्धारण होता था, उसमें कितनी कमी रहती थी, कितने ऐसे मामले आपके ध्यान में आये ? आज तक कभी आपने इस बात को देखने की कोशिश की है कि आपके नीचे के अधिकारी जो कर निर्धारित कर रहे हैं, वह कर निर्धारण कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं ? किसी अधिकारी के खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया ? कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को सीधा संरक्षण नहीं हो, ऐसी कोई कार्यवाई आपने नहीं की और असेसमेन्ट के बाद बकाया रकम पर जो ब्याज लिया जाना चाहिए था, वह ब्याज नहीं लिया गया, जो पैनल्टी की राशि ली जानी चाहीए थी, वह पैनल्टी राशि नहीं लगायी जाती और समझौते के आधार पर जो कर वसूल किया जाना चाहिए था, वह कर वसूल नही किया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा माननीय यातायात मन्त्री जी को कि हमारे राजस्थान में यातायात विभाग जो दयालु है दयालु इसलिए कहा जाता है, सब जानते हैं कि अस्थायी परमिट भी अगर दिया जाता है, कहीं के लिए भी, उस अस्थायी परमिट के लिए भी करों की वसूली होती है लेकिन हमारे यहां अस्थायी परमिट देने में कई केसेज में तो वसूली नहीं की गयी और वसूली की गयी तो बहुत कम वसूली की गयी। क्या इंगित करता है यह सारा लेखा-जोखा जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं ? माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं ट्रैक्टर और ट्राजिलयों के ऊपर आपका टैक्स वसूल होता है राजस्थान में। मैं पूछना चाहता हूं माननीय यातायात मन्त्री जी से कि क्या आपके ध्यान में आज तक यह आया कि किसी विशेष केस में, जिसमें ट्रैक्टर और ट्रालियों से, जो व्यापारिक काम में आते है, पूरा कर वसूल नहीं हुआ ? ऐसे कितने केसेज हैं वह आप बताइये, प्रमाणिगता से आंकड़े सदन के सामने रखिये। आपके अधिकारी अगर आपको सही जवाब दे दें, चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने आयेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी पूछता हूं कि किस तरह वाहनों पर टैक्स लगता है कि नहीं ? नगर पालिकाओं के वाहनों पर टैक्स लगता है कि नहीं ? निगम के वाहनों पर टैक्स लगता है कि नहीं ? इसी तरह प्रमाणिकता से नियम बने हुए है उन नियमो की अनुपालना नहीं करके कई तरह के वाहनों को टैक्स से मुक्ति दे करके टैक्स वसूल नहीं किया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचकघण्टी)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, बाहर

(श्री कैलाश मेघवाल)

से ग्राने वाले जो वाहन होते है उनकी जांच नहीं होती है, यातायात विभाग के ग्रधिकारियों को फुरसत नहीं है। बाहर से ग्राने वाले जों वाहन हैं उनसे टैक्स कम वसूल ही नहीं किया जाता है लेकिन उस टैक्स की वसूली में भी गड़बड़ियां हैं। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं ग्रापके द्वारा माननीय यातायात मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राप एक यात्रा में कही से भी चले जायें, चाहे जयपुर मे दिल्ली चले जायें, चाहे जयपुर से ग्रजमेर चले जावें, चाहे ग्रजमेर से उदयपुर चले जायें, कहीं चले जाये ग्रापको कहीं न कहीं यातायात विभाग का ग्रधिकारी जीप लेकर चैक करते हुए मिल जाएगा। मैं, यातायात मन्त्री जी, ग्रापसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के वाहनों के कितने टोकन हैं जो कि ग्राज की तारीख में जारी हो चुके हैं ग्रौर कितने टोकन हैं जो जारी नही हो रहे हैं? क्या इसका लेखा जोखा है ग्रापके पास? टोकन जारी होना चाहिए। बिना टोकन के वाहन सड़क पर चल नहीं सकता। एक तो वैसे ग्रनेक वाहन है जो बिना टोकन के चल रहे है लेकिन ग्रापके विभाग के पास रिकार्ड नहीं है, ग्रापके यहां समर्पित ग्रौर सरेण्डर किए हुए वाहन का रिकार्ड नहीं है, ग्रापका विभाग उनकी संख्या नहीं बता सकता। ग्रापका विभाग ग्राज क्या कर रहा है ग्रौर ग्रापका विभाग ग्रायन्दा के लिए क्या कर रहा है? माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ग्रापका विभाग प्रमाणिक ग्रांकड़े नहीं दे सकता। मैं ग्रापसे कहता हूं, ग्राप मेरे साथ चलिये, मैं ग्रापको बताना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया। माननीय यातायात मन्त्री जी कराधान के लिए नई प्रणाली, नई पद्धति, नए तौर तरीके से नई शब्दावली, बड़े ऊंचे ग्रादर्शों के साथ सामने ग्राए हैं। तो पुरानी प्रणाली को उन्होंने ठीक ढंग से लागू क्यों नहीं किया? इसके लिए ग्राप जवाबदार हैं या नहीं? यह जवाबदारी ग्रापकी है तो यह सदन जानना चाहता है कि वाहनों की पुरानी प्रणाली को ठीक ढंग से लागू क्यों नहीं कर सके? ग्रापकी प्रणाली ठीक ढंग से काम कर नहीं रही तो यह क्यों इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं? जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। इससे ग्रौर ज्यादा भ्रष्टाचार होने वाला है। इससे ज्यादा गड़बड़ियां पैदा होने वाली हैं ग्रौर ग्रापको इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, ग्रौर ग्रापके द्वारा, माननीय सभापति महोदया, माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं, बांदीकुई से से ग्राने वाले विधायक जैसा कह रहे थे, ग्रापके सरकारी खजाने को लाभ होने वाला नहीं है। मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं, ग्रौर, माननीय यातायात मन्त्री जी, शायद ग्रब फिर ग्रगले साल में इसके बाद मिलेंगे। तब मैं ग्रापनो ग्रांकड़ों से यह बता ऊंगा कि कोई लाभ नहीं हुग्रा लेकिन ग्राज प्राइवेट बस ग्रापरेटर्स ग्रपने टिकट की रेट बढ़ा देंगे। कितना टिकट रखना है, कैसे लेना है, कह देंगे कि हमारे पर टैक्स बढ़ गया इसलिए हम इस रेट पर नहीं चला सकते। इस ग्राधार पर पहले भी टिकट की दरें बढ़ाई गई हैं। इससे यातायात ग्रौर

(श्री कैलाश मेघवाल)

महंगा हो जाएगा । मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस गरीब देश का दुर्भाग्य है, इस गरीब देश में श्राम गरीब श्रादमी को बसों में भेड़ बकरी की तरह, पशुश्रों को जिस तरह से भरा जाता है उस तरह से भरा जाता है श्रौर हमारे जैसे कुछ लोग जो देश के कर्णधार कहलाते हैं कारों में जिस तरह से घूम लेते हैं उससे कोई मर्यादा नहीं रहती। हमारा कानून कल्याणकारी कानून है श्रौर इस में कल्याणकारी सरकार का श्राम श्रादमी को सस्ती यातायात की सुविधा देना पहला कर्त्तव्य है, माननीय सभापति महोदय । होना तो यह चाहिए था कि हम उस बिल का स्वागत करते जिसमें हमारे गांवों में कोनों कोनों में रहने वाला गरीब श्रादमी, हमारे देश के कोने कोने में रहने वाला मजदूर श्रौर किसान जो श्राज श्रपने सामाजिक श्रौर दूसरे कार्यों के लिए यात्रा करने के लिए विवश होता है उसकी यात्रा के लिए श्राप यह कहते कि लागत ही नहीं श्रनुदानित श्राधार पर राज्य सरकार श्रपनी तरफ से श्रनुदान देकर सस्ता यातायात उपलब्ध कराना चाहती है, उनको यातायात के सस्ते साधन उपलब्ध कराना चाहती है । ऐसा एक बिल श्रपनी घोषित नीति, श्रपने संविधान की, वेलफेयर स्टेट की नीति के श्रनुरूप श्राप लाते तो श्रापकी वाहवाही होती। मगर श्राप ऐसा बिल लाए हैं जिससे बखेड़ा होगा । श्राप ऐसा बिल लाये हैं जिससे श्रापका विभाग पिछले टाइम श्रसफल रहा है। श्राप ऐसा बिल लाये है जिससे श्रापकी कठिनाइयां श्रौर बढ़ेंगी लोगों की तकलीफ ज्यादा बढ़ेंगी । इसलिए मैं चाहता हूं श्रागे बढ़ने से पहले इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जो श्राज तक का तरीका था, प्रामाणिक था, वैज्ञानिक था उसको किसी प्रकार से बदलने की श्रावश्यकता नहीं है । श्रगर श्रावश्यकता है तो विभाग को ठीक ढंग चलाने की श्रावश्यकता है । श्रगर श्रावश्यकता है तो उन श्रधिकारियों को दण्ड देने की श्रावश्यकता है जो प्राइवेट बस श्रापरेटर्स से मिल करके राजस्थान के खजाने पर डाका डाल रहे हैं। उस श्रावश्यकता को पूरा करो। इस तरह का बिल लाने से श्रापका कोई भला होने वाला नहीं है । इस श्राधार पर इस श्रध्यादेश को निरस्त किया जावे, यह मेरा श्रापके द्वारा निवेदन है ।

श्री सभापति : डाक्टर उजला श्ररोड़ा। पांच मिनट में श्रपनी बात समाप्त करें, कृपया ।

श्रीमती उजला श्ररोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि, यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा 3 श्रगस्त, 1982 को प्रख्यापित राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) श्रध्यादेश, 1982, (श्रध्यादेश संख्या 7 सन् 1982) को श्रस्वीकार करता है ।

सभापति महोदय, मैं इस श्रस्वीकार करने के कारणों को बताना चाहूंगी ।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

माननीय मन्त्री महोदय बजट में इस तरह का प्रावधान नहीं लाकर,

(7.25 सांय)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

अब यह प्रावधान लाये हैं और इसमें न केवल बसें बल्कि मझली गाड़ियां, लोक सेवा, निजी माल वाहन तथा अन्य तीन पहियों पर चलने वाली संविदा कैरिज, मोटर साइकिल रिक्शा, स्कूटर और तीन पहियों वाले अन्य मोटरयान वगैरह और चार पहियों वाले संविदा कैरिज, मोटर कैब, स्टेशन वैगन और मिनी बसें इन सब पर एक समानीकरण पद्धति से यह चाहते हैं कि एक सा टैक्स लगाया जावे। बसों के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि तीन तरह के, अध्यक्ष महोदय, रूट हैं। एक अ श्रेणी का रूट जिसको कहना चाहिए पक्के टायर किए हुए मार्ग। ब श्रेणी का मार्ग, ग्रेवल किया हुआ मार्ग और स श्रेणी का मार्ग, ईसको कच्चा और रेतीला मार्ग कहेंगे। मान्यवर, परसों मंदिरों के बारे में यहां बताया गया था कि बड़े मंदिरों को, जिनको साढ़े ग्यारह रुपये मिलते थे उनको घटा कर हमने दस रुपया कर दिया है और जिनको चार रुपये मिलते थे उनको बराबर में लाने के लिए कुछ और बढ़ा दिया है। मान्यवर, आज क्या किया है? जो कच्चे मार्ग थे उन मार्गों पर इन्होंने अ श्रेणी के मार्गों के समान, बराबर टैक्स बढ़ाया है। मान्यवर, मध्य प्रदेश जो हमारे बराबर का प्रदेश है, में आप देखेंगे कि इन मार्गों में 12 पैसे प्रति आदमी के लगते हैं, ए और बी श्रेणी में दस किलोमीटर पर और दस पैसे लगते हैं कच्चे मार्ग पर। मन्त्री महोदय, क्या आपने इन मार्गों को अच्छा किया है? मैं कहती हूं कि कच्चे मार्गों को भी कभी सुधारने की योजना बनाई है? इन कच्चे मार्गों पर जो आप टैक्स लगायेंगे उससे पहले उन सब मार्गों को पक्का करा देंगे, जिससे उनके टायर नहीं फटेंगे, जिनसे उनकी गाड़ियां खराब नहीं होंगी? आप पैसा वसूल करना जानते हैं, सुविधा देना जानते नहीं। माननीय मन्त्री महोदय, आप यहां पर कहते हैं कि एक करोड़ सात लाख रुपया वसूल करने के हिसाब से यह बिल लाये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि इन्होंने जो अनुमान लगाया है उससे बढ़ कर के सात करोड़ के करीब उपलब्ध होना चाहिए। पर उपलब्ध होगा कैसे? आपका जो लीकेज है आपने पुराना कर लगा रखा है उसकी वसूली आप नहीं कर पाते। आपका जो विभाग है उसकी असमर्थता और अक्षमता आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि फिर किसलिए समानीकरण की बात करते हैं? अगर सुविधाओं में समानीकरण की बात की होती तो कोई बात मान ली जाती। अभी भी जो बसें चलती हैं, आपकी जो बसें सड़कों पर चलती हैं, वे टूटी हुई गाड़ियां, टूटी हुई सीटें, टूटे हुए शीशे, जो आप खुद चलाते हैं उनकी हालत तो देखिये। इसके बदले में प्राइवेट गाड़ियों को ले लें। उनमें बैठ कर तो फिर भी ऐसा लगता है कि सुविधा उपलब्ध हुई है। परन्तु आप तो यह जो इण्डस्ट्री है उसको समाप्त करने के लिए इस तरह का

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बिल लाये हैं। मैं कहना चाहूंगी कि यह बिल आपको यहां नहीं लाना चाहिए था बल्कि उन मार्गों, जो अभी भी कच्चे मार्ग थे, पर सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आॅफ सीजन, जिन दिनों में बरसात होती है या जिन दिनों में आंधी चलती है, हमारे यहां लगभग चार महीने रहता है। हिन्दुस्तान के अन्दर आप जानते हैं कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते, न शादियां होती हैं। लोग आते जाते नहीं। जब आंधियां चलती हैं तो रेत उड़-उड़ कर मार्गों को खराब कर देती है। उस आॅफ सीजन के चार महीने में केवल दो माह की छूट दी गई है जब कि आज छूट चार माह की होनी चाहिये। आप इस तरह का बिल ला रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी यह बिलकुल गलत बिल है। यह सताने वाला बिल है। इससे सेवा बढ़ेगी नहीं। लोग जो सेवा करना चाहते हैं वह इससे विरक्त होंगे। मन्त्री महोदय, आप ध्यान से मेरी बात सुनें। जो बस 20 सीट की है उसकी 600 रु. रेट है, लेकिन अगर 21 सीट की हो गई तो उस पर 600 से बढ़ कर 1260 रु. एक सीट बढ़ाते ही हो जायेंगे। अगर आपको बढ़ाना ही था तो पांच सीट की इकाई करते तो जो कमा कर खाता वह आपको भी कुछ देता। लेकिन एक सीट में इतना ऊंचा बढ़ा दिया....

श्री रामसिंह बिश्नोई : 21 होती ही नहीं, फिर 40 की होती है सीधी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप अपने सुझाव खुद दे देना, मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? इतने वयोवृद्ध सदस्य, बीच में डिस्टर्ब करें, मैं समझती हूं अच्छी बात नहीं है। वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध अनुभववृद्ध, धर्मवृद्ध, क्या कहूं? आपने देखी है, सिटी बसों की अव्यवस्था, सिटी बसें घाटे में जा रही हैं लेकिन उसमें भी बढ़ा कर बताया है। बिलकुल गलत व्यवस्था है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको एक बात कहना चाहूंगी, गत चुनावों में 77 में रामगढ़ के लिये मैंने सोचा, नेशनलाइज रूट करवा लें तो अच्छा रहेगा, प्राइवेट गाड़ियों वाले कमा कर खा रहे होंगे। मैंने प्रस्ताव रखा, उसी 15 अगस्त को रूट नेशनलाइज कर दिया। अब वहां के लोग इतने परेशान हैं कभी तो गाड़ी इतनी लेट जायेगी 6-6 घंटे लेट और कभी तीन गाड़ियां एक साथ चली जायेंगी। और गाड़ियों की स्थिति आप देखें तो दंग रह जायेंगे। अभी नौकायान के समय आप देखेंगे इन गाड़ियों की स्थिति। फिर कोई अन्य गाड़ी, ट्रक या प्राइवेट व्हीकल वाले जाना चाहते हैं तो उनको फ्लाइंग स्क्वायड वाले जाकर पकड़ लेते हैं। इसलिये, मंत्री महोदय, कोई व्यवस्था कर दें। मैं इतना जरूर कहूंगी कि नेशनलाइज रूट करने पर भी लोग संतुष्ट नहीं हैं, यात्री संतुष्ट नहीं हैं आपके उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हैं। फिर आपको किस हिसाब से ज्यादा पैसा दिया जाय? मैं कहना चाहूंगी, इनको नहीं दिया जाना चाहिये। मैं निवेदन करती हूं कि इस बिल को अस्वीकार किया जाय। इतना ही कहना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

श्री यदुनाथ सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्री जी।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने कुछ विचार जो ऑर्डिनेंस निकला उसके सम्बन्ध में रखे। मैं सबसे प्रथम उन्हें यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिल लाया जा रहा है उसकी मंशा कोई ऐसी नई नहीं है कि कोई नया दृष्टिकोण ऐसा हो जिससे कोई जनता पर किसी प्रकार का टैक्स लगा रहे हो, ऐसी बात नहीं है। यह मान्यता जो आपकी है कि किसी प्रकार के टैक्स की बढ़ोतरी करके राज्य सरकार कोई टैक्स ले रही है, यह नहीं है। बजट भाषण के दौरान यह घोषणा की गई थी कि पैसेंजर टैक्स का यूनिफिकेशन कर दिया जायेगा। जैसा कि माननीय सदस्य अजमेर से आने वालों ने सरलीकरण और इन सब शब्दों के बारे में कहा है, अगर उन्हें हिन्दी से कोई नफरत है वह बात दूसरी है। हिन्दी से जो अर्थ निकलेगा वही तो होगा उसके लिये इतने बड़े दुःखी हैं तो मैं कहता नहीं। सिम्प्लीफिकेशन कहेंगे तो हिन्दी अनुवाद सरलीकरण ही होगा, यह तो हिन्दी के शब्द कोष में इसका जो अर्थ होगा वही आयेगा। अनर्थ क्यों कर रहे हो? बात तो यह है कि आज जो किराया है और उसके साथ पैसेन्जर टैक्स सरचार्ज लिया जा रहा है उसका एकीकरण किया जा रहा है। पैसेन्जर टैक्स और जो हमारा किराया है उस सब को मिला कर आज जो किराया है उसमें इसी को मिला रहे हैं। इसमें कहां आ गया, जो आपने कह दिया इतना बड़ा घोटाला, यातायात विभाग में इतनी गड़बड़ियां? गड़बड़ियां यहा आपको नजर आ रही हैं यह तो आपने जो पढ़ कर सुनाया, है ही। अगर यह नहीं हो तो फिर कैसे हो?

(व्यवधान)

आप बैठिये। आप ही किताबें दिखा रहे हैं। मैं उस भाषा में बोलता नहीं, यह जिम्मेदारी सब के ऊपर आ चुकी है। आप जिस साल का जिक्र कर रहे हो, कभी 78 का, कभी 79 का, कभी 74 का, यह तो अलग-अलग समय का है. आपको भी प्रश्न कर लेता। तो मैं करना नहीं चाहता। मैंने किये हैं, मेघवाल जी, यह कोई बात नहीं। 78, 79, 80 के आप मुझसे पूछते हो, क्योंकि आज तो 78, 79, 80 में भी चाहे किया आपने हो, उसका जवाब देह मैं हूं क्योंकि आज इस विभाग को मैं चलाता हूं। सरकार में मैं बैठा हूं इसलिये इसका जवाब मैं दूंगा। मैं यह कह कर पीछा नहीं छुड़ाता कि राज आपका था, इनको देखने की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी। आपके समय में गड़बड़ियां हुई, यह कह कर मैं आप पर नहीं टालना चाहता। गड़बड़ियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, अगर इसके अन्दर आई हैं, इसमें आई हैं तो मुझे उनको ठीक करना चाहिये। मैं ठीक करने का प्रयास कर रहा हूं, और ठीक करूंगा यह मैं आपको कह सकता हूं।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

इसके साथ, मैंने जैसा कहा, मैंने तो केवल उनका किया है। आप रोज यह कहते हैं, अभी वृद्धि का लाये तो आपने विरोध किया कि यह बहुत लोगों पर अन्याय हो जायेगा। अगर टैक्स की चोरी को रोकने का कानून लाऊं तो उसका भी विरोध, नये रूट्स खोलने का भी विरोध और जो अगर टैक्स को लेने के लिये कानून लाऊं, जो बस ऑपरेटर जनता से टैक्स वसूल करते हैं उसमें जो सरकार का टैक्स है उसकी वसूली कर लेते हैं तो उसका भी विरोध। आप कह तो दूसरी बात रहे हैं कि मैं प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को फायदा पहुंचाना चाहता हूं परन्तु आपके अन्दर मन में दूसरी बात है। आप दूसरी भाषा बोल रहे हैं। आप तरफदारी करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं। बात आपकी यह है। परन्तु मैंने क्या किया ? मैंने यही तो कहा कि प्राइवेट जितनी भी बसेज चलती हैं उनका पैसेन्जर टैक्स है वह मैं फेयर को जोड़ कर पर किलोमीटर ले लूं। इसमें कौनसी दिक्कत आ रही है ? एक बात और बता देता हूं, जितना भी आप कर रहे हैं वह इसलिये कर रहे हैं क्यों कि यह आर्डिनेंस आया अगर बिल सीधा आता तो कुछ भी नहीं कहते। क्योंकि यह ऑर्डिनेंस आया और वह इस दृष्टि से आया कि इसके पीछे जो मकसद था, वह यह था तो इसके बाद ही मैं नोटिफिकेशन निकाल सकता था। जब किसी कानून में प्रावधान ही नहीं तो कानून की क्रियान्विति कैसे करेंगे, नोटिफिकेशन कैसे निकाल देंगे ? तो मैं आर्डिनेंस लाया। उसके बाद जो प्रक्रिया चलती है वह नोटिफिकेशन की प्रक्रिया चालू की गई है और इसमें कुछ टैक्सेज का प्रपोजल कर दिया। अब अगर सीधा बिल आता तो आपको पता ही नहीं होता कि सरकार क्या लगा रही है। तो मैं तो मैक्जिमम, अधिकतम सीमा की पावर ले रहा हूं। लेकिन मेरे पास रिप्रेजेंटेशन दिये हैं, लोग मिले हैं। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने और बहुत से दूसरे लोगों ने भी अपने-अपने विचार, अपनी-अपनी बात मेरे सामने और राज्य सरकार के सामने रखी हैं। उस पर मैं विचार कर रहा हूं। यह दृष्टिकोण भी मेरे दिल और दिमाग में है कि लोगों को भी सुविधा मिले और हमारा, जो सरकार का टैक्स है वह भी सीधी तौर से सरकार के खजाने में आ जाये। हम इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं, उनके पास से राजस्थान में मुझे जो पैसेन्जर टैक्स मिलता है वह 7 करोड़ रुपये है। और जिसकी अव्यवस्था का रोज यहां पर जिक्र करते हैं, राजस्थान रोडवेज के बारे में, उस से कितना टैक्स मिलता है ? उससे 14 करोड़ रुपये का टैक्स मिलता है। हमने सोचा कि यह जो रोज का असेसमेन्ट का है बहुत से असेसमेन्ट पड़े रहते हैं। बहुत से असेसमेन्ट 25 पर्सेन्ट पर करा लेते हैं, कोई 25 पर्सेन्ट केपेसिटी पर करा लेता है, बहुत से 30 पर्सेन्ट पर, बहुत से 35 पर्सेन्ट पर, बहुत से 40 पर्सेन्ट पर, बहुत से 45 पर्सेन्ट पर और ज्यादा से ज्यादा 50 पर्सेन्ट पर असेसमेन्ट करा लेते हैं। आप रोज हाउस में शिकायत करते हैं कि बसें नीचे भी और ऊपर भी भरी हुई चलती हैं। जहां एक तरफ माननीय सदस्य यह कहते हैं कि

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

वसें ऊपर और नीचे भरी हुई चलती हैं और इधर असेसमेन्ट होता है उनका 25 पर्सेन्ट, 35 पर्सेन्ट, 45 पर्सेन्ट या 40 पर्सेन्ट। तो सोचा सिम्प्लीफिकेशन करने के लिए इनका एक मापदण्ड निर्धारित कर दिया जाये। जो बस चलेगी उस पर पर-किलोमीटर इतना टैक्स वसूल किया जाये। इसमें कौन-सा नया टैक्स लगाया जा रहा है? जनता का टैक्स है, उसको सही तौर से खजाने में लाने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं समझता हूं, कोई गुनाह नहीं कर रहा हूं। मैं तो सही काम कर रहा हूं।

अभी आपने यह पूछा, कर निर्धारण की स्थिति क्या है। मैं आपको बताऊं, 1979-80 में 4869 केस पेन्डिंग थे; 1980-81 के अन्दर 3852 थे; 1981-82 के अन्दर 3642 हैं। इसी प्रकार से जो बढ़ते चले गये और जिनके वर्ष के दौरान निपटारे किये गये, वे 1979-80 में 5660 निपटाये; 1980-81 में 5239 निपटाये और 1981-82 में 6755 निपटाये गये। तो अब इस तरह से इनको माइन्स कर के यह शेष रह गये। अब इसी तरह से बकाया की वसूली काफी हुई है। सन् 1979-80 के अन्दर जो बकाया थी, उसकी 30 पर्सेन्ट वसूली हो गयी है। 1980-81 में 20 पर्सेन्ट वसूली हुई और 1981-82 में 28.39 पर्सेन्ट यानि 29 पर्सेन्ट वसूली हुई है। आपको मालूम होना चाहिये कि जो लोग अपील में चले गये हैं पैसेन्जर टैक्स में उन लोगों का बहुतों का आज नाम पता नहीं है। बसें बेच गये। आज उनका कोई पता नहीं है। पहले इस प्रकार का था कि साल भर के बाद असेसमेन्ट होता था। आज मेरी यह स्थिति है, इसके माध्यम से हर महीने जो भी टैक्स है पर-किलोमीटर की दर से मैं उसको ले लूंगा। जब टैक्स आ जायेगा फिर इस प्रकार की वसूली, इस प्रकार की बकाया, इस प्रकार का असेसमेन्ट, इस प्रकार की दिक्कतें अपने सामने नहीं रहेंगी। दिक्कतें बहुत-सी हैं। आज राजस्थान रोडवेज में कोई ब्लैक चलती है तो उसकी वजह से उस टैक्स को छोड़ दें? अपन ने तो टैक्स के मामले में बात की है। जो अव्यवस्था बताते हैं, उसको सुधारने का काम है, उसको सुधारेंगे। इसका उससे सम्बन्ध नहीं है। यह सीधा-सादा कानून है जो जनता टैक्स वसूल करते हैं वह टैक्स सरलीकरण से उनसे वसूल करें ताकि उनको रोज-रोज किसी प्रकार की दिक्कतें न रहें।

एक बात हमारी जयपुर देहात से आने वाली माननीय सदस्या ने कही, पक्के मार्ग, कच्चे मार्ग, दूसरे तरह के मार्ग। मार्ग कई तरह के हैं, परन्तु मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में और तरह के मार्ग हैं। कई पक्के मार्ग ऐसे भी हैं, जो कच्चे मार्ग से भी बुरे हैं। जैसे जैसलमेर का इलाका। पक्के रोड जरूर हैं, मिलिट्री ने बना दिये या फेमिन में बन गये। जोधपुर के इलाके में ऐसे मार्ग हैं, जहां 40-40 किलोमीटर तक एक ही गांव आता है। वहां कैपेसिटी क्या होगी? वहां पर कितना लोड फैक्टर होगा, यह सभी बातें हमको दृष्टि में रखनी होंगी। एक तरीके से नहीं कर सकते।

रेनी-सीजन का सवाल है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में चार महीने तक बरसात होती है। तो आप नहीं सोचें, मैं कहता हूं

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

चार महीने रेनी-सीजन की बात कहते हैं, यह राजस्थान की असेम्बली पांच महीने काम कर सकती है। अगर रेनी-सीजन राजस्थान में कहीं चार महीने का होता है, तो राजस्थान में चार महीने का आप कहते हैं। लेकिन वास्तव में रोज लोगों को आना-जाना पड़ता है। बहिन उजला अरोड़ा जी, आप मेरे साथ चलिये, आपको कहीं पर भी, किसी रूट पर भी दिखाऊं, अभी सितम्बर का महीना है, अभी आप किसी भी रूट पर चले जाइये बसों के ऊपर और नीचे आपको सवारियां नहीं मिलें तो मुझे आकर कह दीजिये। आप राजस्थान की विधान सभा में गलत स्टेटमेन्ट दे रही हैं। आपको मैं इस बात के लिये चैलेन्ज कर रहा हूं। यह जो बस ऑपरेटर्स हैं उन्होंने आज तक सही टैक्स नहीं दिया है, उन्होंने आज तक सरकारी खजाने का पैसा अपने काम में लिया है। उनकी अपनी तरह की लॉबिंग है। उन्होंने इस बात को रखा है। मैं सही तौर से कहना चाहता हूं कि जो सरकारी टैक्स है, वह सरकारी टैक्स सरकार के खजाने में जाना चाहिये और जो उनकी कमाई है, वह उनके पास जानी चाहिये। मैं यह नहीं चाहता कि जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं या बस चलाने वाले हैं उनको आर्थिक लाभ न हो, उनको किसी प्रकार की हानि हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार का अनार्थिक दृष्टिकोण उनके सामने पैदा हो जाये। मैं उनके जो हित हैं उनको भी सोचता हूं। कोई यह बात नहीं कि उनके हित को नहीं सोचता। जैसा मैंने कहा था, उनको लाभ नहीं होगा तो बसेज नहीं चलेंगी और फिर टैक्स किससे वसूल करूंगा? इसलिये यह दृष्टिकोण मेरा है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से लोगों ने, यह बात कहीं बीस सीटें ज्यादा होती हैं, इतनी हो जाती हैं। मैंने जैसा शुरू में कहा, जो भी हिसाब ले रहा हूं, वह मैक्जिमम ले रहा हूं, कोई मिनिमम नहीं ले रहा हूं। मैक्जिमम सरकार का यह होता है, इससे ज्यादा नहीं ले पायेंगे और इससे कम लगाने का सरकार को पावर है। मेरे पास बस ऑपरेटर्स आये थे। मेरे पास राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों, कांग्रेस आई के माननीय सदस्यों, जिन्होंने अपने तरीके से एक रिप्रेजेन्टेशन दिया था, उनकी दिक्कतों को, बताया। जो वाजिब बातें उन्होंने मुझसे कही हैं, जो वाजिब बातें मेरे ध्यान मे लायी गयी हैं, मेरे पास आये, तो मैंने स्वयं दो अमेन्डमेन्ट कर दिये। मैंने देखा कि यह दो खामियां रह गई हैं जिनसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है इसलिये मेरा यह अमेन्डमेन्ट है। बाबू राज बहादुर जी ने भी अमेन्डमेन्ट भेजा है परन्तु मैंने स्वयं ही राज्य सरकार की ओर से दो अमेन्डमेन्ट मूव कर दिये। इस तरह आपको आश्वासन देता हूं कि उनकी ग्रिवान्सेज, चाहे वह किसी सर्किल से मेरे पास आई हैं, को ध्यान में रखते हुए जो नोटिफिकेशन किया जायेगा। उनमें सभी के हितों का और राज्य सरकार का टैक्स वसूल करने का जो दृष्टिकोण है कि जनता का पैसा उनकी जेब में आया है उसको वसूल करे। इसको ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा मैं खयाल रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस लें और इस विधेयक को विचारार्थ लेने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव का उत्तर देना चाहें? श्री नाथूसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री कैलाश मेघवाल : तथ्यों के आधार पर आंकड़े सही दें। 31·3·1981 तक कितने केस पैण्डिग थे, यह बता दें ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : 31·3·1981 तक पैण्डिग हैं, 5239 ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह....

श्री जयकृष्ण शर्मा : Sorry. 1980–81 में 5239 निपटाये गये हैं और 3632 शेष हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का यह प्रतिवेदन है 1980–81 का और इसके अन्दर, सुन लीजिये, मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, आंकड़ों के मामलों में तो सही हों, बकाया रहे कर निर्धारण के मामले 1980–81 में 73825 थे। अध्यक्ष महोदय, वर्ष के दौरान वहां पर पूर्ण किये गये मामलों की संख्या है 25879, 31-5-81 को निर्णय के लिये बकाया रहे मामलों की संख्या है 47906। अब, मन्त्रीमहोदय, आप बताइये कि जो आंकड़े दिये हैं कितने भ्रामक हैं। हजारों में दिये हैं, दो तीन हजार में। मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि इसमें गलती तो नहीं रख सकते। या यह बता दें कि यह किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं महानियंत्रक ने गलती की तो ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य, मैं पैसेन्जर टैक्स की बतला रहा हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : कितने कर निर्धारण के यातायात विभाग के रोड टैक्स, माल टैक्स····

श्री जयकृष्ण शर्मा : ट्रक्स का जो असेसमेन्ट है उनका गुड्स टैक्स ईयरली है, उनका गुड्स टैक्स मन्थली है इसलिए उनका असेसमेन्ट अलग है इसलिए उसमें वह एड हो गया····

श्री कैलाश मेघवाल : क्या है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपको मैं बता रहा हूं। एक गुड्स टैक्स का और असेसमेन्ट होता है इसलिए गुड्स टैक्स के असेसमेन्ट के भी शामिल होंगे। आपके जो यह आंकड़े हैं उसमें से जो पैसेन्जर टैक्स के आंकड़े हैं वह बताये हैं मैंने।

श्री कैलाश मेघवाल : मोटरयान कराधान संशोधन अध्यादेश की बात चल रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और इस तरह से यह भ्रमित करना चाहते हैं। मैंने स्पष्ट पूछा है कि इस मोटरयान एक्ट के तहत कितना टैक्स लगाते हैं, इनके कितने मामले पैन्डिग हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं संशोधन गुड्स टैक्स का नहीं लाया हूं। मैं पैसेन्जर्स टैक्स का लाया हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य····

श्री जयकृष्ण शर्मा : ····गुड्स टैक्स का नहीं लाया हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

श्री कैलाश मेघवाल : भ्रमित करना चाहते हैं इस तरह से सही आंकड़े देना नहीं चाहते । सबको भ्रमित करना चाहते हैं । यह आंकड़े मेरे नहीं हैं । या तो आप यह कहिये कि जानकारी नहीं है । मैंने पूछा था कि कितना पैसा बकाया है, आप वह नहीं बता सके हैं । मैंने आपसे पूछा था कि आपके लेखे आंकड़े पूरे हैं या नहीं, इसको नहीं बता सके ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री कैलाश मेघवाल : रसीद बुक पूरी है या नहीं, यह नहीं बता सके ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, आखिर जवाब तो देना होगा सरकार को····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है । कृपया बैठ जायें ।

आप यह बतायें कि यह पैसेन्जर्स टैक्स के हैं या गुड्स टैक्स के भी उसमें शामिल हैं । वाद विवाद इसी बात का है । उसका हैडिंग पढ़िये ।

श्री कैलाश मेघवाल : आप बिराजये तो सही । मैं पढ़ता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मैं तो बैठ जाऊंगा ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मोटरयान कराधान संशोधन अध्यादेश अस्वीकार किया जाये, मैंने जितना इस विवाद में हिस्सा लिया उसमें स्पष्ट बात कही थी कि इसके अन्तर्गत जो-जो भी आपके टैक्स लगते हैं उनके बारे में बता दीजिए । रिकार्ड उठाकर देख लिजिये स्पेसिफिक किसी के लिए मैंने नहीं पूछा है । इसके अन्तर्गत आप रोड टैक्स लेते हैं, इसके अन्तर्गत आप पैसेन्जर्स टैक्स लेते हैं, इसके अन्तर्गत आप माल टैक्स लेते हैं । मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय के पास जो सूचना है वह पैसेन्जर्स टैक्स की है ।

श्री कैलाश मेघवाल : यह उस समय स्पेसिफाई कर देते । एक गलत सूचना देकर····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य····

श्री जयकृष्ण शर्मा : गलत सूचना देता तो क्यों देता ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : इन्होंने पैसेन्जर्स टैक्स का नाम लिया है ।

श्री कैलाश मेघवाल : उस समय नहीं लिया जब मैंने कहा । दूसरे, अध्यक्ष महोदय, मैंने दो बहुत पर्टीनेन्ट प्रश्न उठाये कि इनके कर लेखे पूरे हैं या नहीं । मैंने पढ़कर बताया है । इनकी रसीद बुक है, जिससे यह काटते हैं उसकी क्या व्यवस्था है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोले । स्थिति क्या है, आपके विभाग की, आपको यह मालूम है ? प्रामाणिकता से आपको

(श्री कैलाश मेघवाल)

जवाब देना चाहिए। मैंने प्रामाणिकता से आपके सामने तथ्य रखे हैं। इस तरह टाल-मटोल से क्या होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात कही गयी है इनके उद्देश्यों में। इनके उद्देश्यों में कहा गया है "कर के सरलीकरण, सुव्यवस्थितीकरण हेतु प्रयोजनार्थ एवं नीतिबद्ध आपरेशन द्वारा किये जाने वाले कर के अपवंचन से बचने के लिए।" माननीय अध्यक्ष महोदय, अप-वचन में कौन-कौन शरीक हैं, किस स्तर पर शरीक हैं और कैसे सारा हो रहा है—एक के बाद एक कई भ्रम मैंने गिना कर के कहा है। आपका विवाद ही सारा अपवंचन में शरीक है। उस विवाद को ठीक करने की बात नहीं कही गयी और सदन को जिस तरह से गुमराह किया जाता है....

श्री अध्यक्ष : सदन इस तरह गुमराह नहीं होगा। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर इसमें इन्होंने बताया है, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आखिर आप एक अध्यादेश लाये हैं और उस अध्यादेश को निरस्त करने के कारण रखे मैंने। आपके पास कारण नहीं हैं तो कहिये कि कारण नहीं हैं लेकिन भ्रमित नहीं कर सकते....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं भाषण नहीं कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, भाषण कर रहे हैं आप। दुबारा बहस शुरू नहीं होगी, माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, दुबारा भाषण नहीं होगा। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि कोई काम नहीं है सिवाय गलतबयानी करने के....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यदि सत्ता-पक्ष आपने जो विवाद में मुद्दे उठाये उनका ठीक तरह से जवाब नहीं दे सके तो अब सदन जांच करेगा। इस बात को देखेगा कि अपनी बात ठीक है या नहीं। क्योंकि यहां तो प्रभावित करने के लिए बहस की जाती है। इसलिए मेरे ख्याल से अब इसमें सदन का मत ले लेते हैं, माननीय सदस्य, क्योंकि अपना विवाद तो इतनी आसानी से समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए सदन से पूछ लेते हैं कि इसमें क्या राय बनती है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष : नहीं। एक माननीय सदस्य को अवसर मिलता है और उसका उपयोग कर लिया है श्री कैलाशजी मेघवाल ने, श्री नाथूसिंह जी के स्थान पर। अब दुबारा चर्चा नहीं होगी। इसलिए मैं प्रश्न को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर देता हूं मतदान हेतु।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा 3 अगस्त, 1982 को प्रख्या-

(196)

(श्री अध्यक्ष)

पित राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1982) को अस्वीकार करता है ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

यातायात मन्त्रीजी इस विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, यातायात) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने व प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में कुछ माननीय सदस्यों के संशोधन आये हैं कि इसे जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। जिन सदस्यों ने इस तरह का संशोधन प्रस्ताव दिया है उन माननीय सदस्यों के नाम हैं, श्री दाऊदयाल जोशी, श्री बंशीलाल पटवा, श्री नाथूसिंह, श्री यदुनाथ सिंह, श्री देवीसिंह भाटी, श्री हीरालाल आर्य, श्री बालचन्द्र आर्यवीर, श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह, श्री भैरूंलाल भारद्वाज, डॉक्टर उजला अरोड़ा, श्री रामकंवार बैरवा, श्री गोपाल पचेरवाल, श्री मेघराज तावड़, श्री महाराम चौधरी और श्री भगवानदास शास्त्री।

कौन माननीय सदस्य इस पर पहले बोलेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : कटारियाजी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : कटारियाजी ने तो ऐसा कोई प्रस्ताव पेश किया नहीं है।

अनेक माननीय सदस्य : दिया है साहब।

श्री बंशीलाल पटवा : तो, अध्यक्ष जी इनके बाद मेरा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम नहीं है। संशोधन प्रस्ताव तो करना पड़ेगा न।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : दाऊदयाल जोशी, वंशीलाल पटवा और उसके बाद है....

श्री राजबहादुर : सूची संख्या 1 में पहला नाम है और आखिरी नाम महाराम चौधरी का है।

श्री अध्यक्ष : अन्य सदस्यों के साथ नाम लिखा हुआ नहीं है।

आपके ही नाम से प्रस्ताव है। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं : "राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन लाया गया है इसके माध्यम से सरलीकरण के लिए जो यह कदम उठाया है वह उचित है, उत्तम है, इसमें दो राय नहीं है। जिस ढंग से अब तक टैक्सेशन वसूल होता था, दोहरी पद्धति होने के कारण, सन् 1951 के एक्ट के अन्तर्गत और 59 के एक्ट के अन्तर्गत रोड टैक्स की अलग फ्लैट रेट तय कर रखी है और पैसेंजर टैक्स की अलग, तो दोनों अलग अलग होने के कारण जितना पैसा हमारे पास आना चाहिए था वह पैसा नहीं आता था, उसमें चोरी होती थी। इसलिए उसका सरलीकरण करके दोनों को जोड़ कर करने से रेवेन्यू में लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके कारण से मोटर मालिकों को भी सुविधा होगी। लेकिन, श्रीमान्, इसमें जो कमियां रह गयी हैं उनमें एक तो यह थी कि हमारे यहां सब एक सी रोड नहीं, पक्की अलग हैं, खराब अलग हैं। इसके अन्तर्गत सबको एक ही लाइन में रखा है। 10 किलोमीटर पर 21 पैसा, यह अंतर क्यों रखा ? इसके कारण कच्ची रोड पर चलने वाले मोटर मालिक को ज्यादा नुकसान होगा, गाड़ी ज्यादा खराब होगी। आपको अंतर करना चाहिए था। यह शायद पता नहीं क्यों नहीं किया। मैं समझता हूं कि यह अंतर होना चाहिए। श्रीमान्, यही नहीं, हमने जिस प्रकार टैक्स को यहां लगाया है और फिर बाद में आपका कहना है कि हमने बढ़ाया नहीं लेकिन डायरेक्टली और इन्डायरेक्टली, निश्चित रूप से पैसेन्जर टैक्स बढ़ेगा, किराये में वृद्धि होगी। वह किराया मोटर मालिक से वसूल होने वाला नहीं है, वह धंधा तभी करेगा जब दो पैसे की आमदनी होगी, वरना छोड़कर घर चला जायेगा या तो यह होगा कि किराया बढ़ेगा, बढ़कर उसका सीधा असर पब्लिक पर पड़ने वाला है। मैं आपसे निवेदन करता हूं इस टैक्स को लगाने से पहले विचार करना चाहिए। दूसरे, सड़कें कैसी हैं। मध्य प्रदेश में यह रोड टैक्स लगाया गया है शायद उसी के आधार पर आपने यहां लगाने की सोची विचार मन में आया है। लेकिन दोनों के बीच में जो अंतर है, बहुत बड़ा अन्तर है। हमारे यहां प्रति 10 किलोमीटर पर 21 पैसा टैक्स लग रहा है, जब कि मध्य प्रदेश में 12 पैसा है और उन्होंने इसमें भी बायफरकेशन किया है। पक्की रोड पर 12 पैसा, कच्ची रोड पर उन्होंने 10 पैसा, टैक्स लगाया है जबकि हमने सारा मिलाकर 21 पैसा कर दिया....

श्री अध्यक्ष : कच्ची रोड भी कई तरह की हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अभी तक तो हमारे यहां तीन प्रकार की रोड थीं। उनके हिसाब से पैसेन्जर टैक्स लगता था। पक्की, ग्रेवल और कच्ची रोड, तीनों में टैक्स की सारी व्यवस्था थी। लेकिन जैसा मैं समझा हूं, हो सकता है मेरे समझने में गलती रह गयी हो, आप स्पष्ट कर देंगे, यह अंतर है मध्य प्रदेश और हमारे में। इससे लगेगा कि हमारे यहां के लोगों को मध्य प्रदेश जाने के लिए प्रेरित करेंगे, वहां जाकर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अपनी बसें लगायेंगे और तब शायद दो चार पैसे कमा पायेंगे। इस अन्तर को कम करने की कोशिश करें।

यही नहीं, श्रीमान्, जब ऑफ सीजन होता है, तो वहां जो टैक्स है मध्य प्रदेश में उन्होंने 12 पैसे से घटाकर 10 पैसा प्रति 10 किलोमीटर पक्की सड़क का और कच्ची सड़क पर 8 पैसे के हिसाब से किया है, जबकि हमारे यहां कामन करके 21 पैसे से 19 पैसे किया है, यह भी अंतर है। 10 और 19 का अंतर 10 किलोमीटर पर बहुत अधिक है। हमको इसके बारे में फिर से विचार करना चाहिए।

यही नहीं, हमारे यहां सिटी बसें चलती हैं। इस टैक्स के लिए आप अभी तो कह रहे हैं कि इसके कारण से कोई फर्क उन पर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगले बजट सत्र में पता चल जायेगा कि सिटी बसें को चलाने वाला किराया है, अपने आप, स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, कोई नकार नहीं सकता है, आप भी कम नहीं कर सकते और न हम कर सकते हैं। फिर आप यह प्रॉब्लम लेकर आयेंगे कि प्राइवेट वाले भाग गये। सच तो यह है कि मोटर ऑपरेटर जो कमा पाते हैं वह टैक्स की चोरी करके ही कमा पाते हैं। अगर इसको सच कहा जाय तो जिस प्रकार का हमारे यहां हिसाब-किताब बैठा है, उसमें आदमी ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कमाई करना चाहे तो शायद कमाई तो नहीं होगी, भागना ही पड़ेगा, इसमें से रास्ता निकालकर। रास्ता बंद कर दिया, इसका मुझे अफसोस नहीं, लेकिन कम से कम इस बात का विचार करें जैसा आपने अपने भाषण में कहा, हम इस बारे में सोचेंगे कि लोग किसी परेशानी के कारण छोड़कर नहीं चले जायें। हमने जो नियम बनाया है, 35 सीट की गाड़ी है, हमने तो 20 से बायफरकेशन कर दिया कि आपका इतना पैसा टैक्स लगेगा, 20 के बाद 21 सीट और 25 के बाद 40 सीट हुई, उस सब का पैसा आपने 54 सीट मानकर 50 सीट मानकर लम सम अमाउन्ट तय कर दिया, जस्ट डबल है। बढ़ानी है तो कम से कम 20 के बाद 30 का करते, 30 के बाद 40 का करते, 40 के बाद 50 करते। क्योंकि गांवों में जो गाड़ियां चलती हैं, 54 सीट की नहीं चलती हैं। कच्ची रोड पर चलने वाली 35-40 सीटों की हैं। इस प्रकार से रूट होते हैं, इसमें आयेगा।

यही की यही स्थिति जो हमारा माल ढोते हैं उसमें भी है उनके ऊपर भी इसी प्रकार टैक्स को एकदम बढ़ाया है। उनका जो टैक्स बढ़ेगा, उसमें ट्रक मालिक हैं, वह उस पैसे को नहीं देंगे। वह वापस अगर किसी पर पड़ेगा जो माल ढोता है, उसका अधिक पैसा लगेगा और घूमकर जनता पर आयेगा। आपने जो कुछ बढ़ाया है, बढ़ाने का रेशो हो, कहीं कहीं आपने 175 प्रतिशत बढ़ाया, कहीं पर आप 200 प्रतिशत को भी क्रॉस कर गये। मध्य प्रदेश से हमारे कई टैक्स 200 प्रतिशत से भी ऊपर निकल जाते हैं, कोई 175 प्रतिशत के ऊपर, कोई 150 प्रतिशत के ऊपर निकल जाते हैं। आपने सरलीकरण किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आजू-बाजू के स्टेट में किस प्रकार के टैक्से-

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

शन का हिसाब है ! अगर उसको मिलाते हुए लगाते तो शायद हमको इससे भी अधिक लाभ मिलता। मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं, फिर भी विचार करें। ऑफ सीजन 25 में प्रतिशत की जो छूट देते हैं, यह ऑफ सीजन 2 महीने का ही क्यों तय किया ? हमारे यहां एक महीने भी बरसात नहीं होती इस लिए एक महीना कर देना चाहिए। अब तक का जो नियम था उसमें ऑफ सीजन और कुछ राशि घटाकर उस पर टैक्स लगता था 25 प्रतिशत कम। इसलिए अगर ऑफ सीजन 4 महीने कर देते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश में है, हमारे यहां 2 महीने का ऑफ सीजन रखा उसे बढ़ा दें, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा अनर्थ नहीं हो जायेगा। हमारे यहां 8 दिन भी होती है, घटा देना, हमको एतराज नहीं होगा....

श्री अध्यक्ष : दो महीने आंधियां बहुत तेज चलती हैं....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : साधारणतः जो वर्षाकाल होता है, हमारी दृष्टि से, सबकी दृष्टि से, आवागमन का ऑफ सीजन होता है, नेचर से मिला है। हम कोई भी काम इस समय ज्यादा नहीं करते हैं, अपने खेतों में, अपनी जगह अपने काम में लगे रहते हैं। मन्त्री महोदय, फिर भी आपको लगता है 2 महीने तो हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर आप विचार कर सकें तो इसमें उत्तम होगा। मैं यह चाहूंगा कि सरलीकरण के कारण से यह कहकर बहुत अच्छा कर लिया, बाकी व्यवस्था तो एक कोने में, तो शायद आपके संशोधन लाने का मकसद पूरा नहीं होगा। केवल नाम लेकर, वाहवाही लूटकर चले जाओ, उसका दूसरा पक्ष उसमें देखा नहीं। बसें ऐसी हैं, शायद 50 के मॉडल की चल रही हैं, हॉर्न नहीं बजता बाकी सब कुछ बजता है, ऐसी गाड़ियां हमारे यहां चलती हैं। आदमी कैसे चढ़ जाता है, अपने भाग्य के भरोसे जाता है, न तो उनमें सीट हैं, न और कुछ। आप लोग सुधार करने के साथ साथ पैसेंजर की इस बात को भी ध्यान में रखें। इंजिन खुला हुआ है, बॉडी खुली हुई है, गेट का पता नहीं, चीटकनी का पता नहीं, सीटें हैं या नहीं। यही नहीं कि पैसे की आमदनी हो। यह आपका उद्देश्य हो सकता है लेकिन पैसे की आमदनी के साथ-साथ जो यात्री उसमें बैठकर जाता है, उसके मन में रहना चाहिए कि मैं पैसा देता हूं, उसका उपयोग होता है, ऐसा नहीं कि मेरी जेब खाली करते हैं या धक्के खाते रहेंगे। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विचार करें। माननीय सदस्यों से इसलिए आग्रह करना चाहता हूं कि हमें कोई बहुत जल्दी नहीं है कि जल्दी के कारण नहीं करेंगे तो आसमान टूटकर पड़ जायेगा, ता नहीं क्या होगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। आप सही मानकर पहले क्यों नहीं लाये, आपको पता था कि सितम्बर की 19 तारीख अन्तिम थी, असेम्बली चलने वाली थी, ला सकते थे लेकिन जैसी आपकी मन्शा थी सदन से निवेदन करता हूं कि इसको जनमत जानने हेतु भेजा जाये जिससे कि जनता अपनी राय को इसमें मिला सके, अच्छे-अच्छे सुझाव दे सके, और हम व्यवस्था को अच्छी कर सकें।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में एक संशोधन प्रस्ताव है। माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत और राजबहादुरजी का कि प्रवर समिति को सौंप दिया जाये।

दो संकल्प हैं।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : मैं तो हूं ?

श्री अध्यक्ष : प्रस्तावकर्ता तो हैं नहीं, आप तो समर्थक हैं।

श्री राजबहादुर : मैं तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : दोनों पर एक साथ ही चर्चा हो जाय।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय मैं यह संशोधन प्रस्ताव करता हूं : "राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करें।"

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन के सरलीकरण यूनिफिकेशन, रेशनेलाइजेशन, रिवीजन आफ टैक्स की बात है, यह स्वागत योग्य है इसमें दो राय नहीं हो सकती। क्योंकि बहुत वर्षों तक, जयपुर को छोड़िये, लेकिन यूनिफिकेशन ऑफ टैक्सेशन के बारे में....

श्री अध्यक्ष : आपने तो बहुत बड़े ट्रान्सपोर्ट व्हीकल्स और जहाजों का देखा है, बसों के मामले में आपका नहीं है।

श्री राजबहादुर : नहीं, गुड्स ट्रांसपोर्ट का। इसका तो मैं नहीं कह सकता ज्यादा इस बारे में, लेकिन ऑल इण्डिया परमिट्स, टूरिस्ट परमिट्स की शृंखला जो उस जमाने में देखी गई। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था, एक बड़ा भारी कर्स है रोड ट्रान्सपोर्ट के ऊपर मल्टी पाइन्ट टैक्सेज। अगर सरलीकरण होता तो पूरा होना चाहिये। मल्टी पाइन्ट टैक्सेशन, जैसा आप खुद जानते हैं, एक दफा हमने सर्वे करवाया दिल्ली से कलकत्ता कितनी जगह रुकना पड़ता है मोटर टैक्सीज और गुड्स वालों को ? 220 जगह जो। भी कुप्रथायें हैं या करप्शन हैं, जो सब चलता है। इसलिए आप जो भी दशा देख रहे हैं दो बातों से देख रहे हैं। एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले मोटर व्हीकल्स अमेंडमेन्ट बिलस, पर मैंने एक प्रश्न उठाया था आपकी राष्ट्रीयकरण की नीति क्या है ? उस बिल में मन्त्री महोदय, मैंने कहा था कि नगरीय सेवा में आपने मिनी बसेज को भी परमिट दिया है क्या यह काम राज्य परिवहन नहीं कर सकता था ? जहां तक इस प्रश्न के सोल्यूशन का सवाल है यह मानी हुई नीति है कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिये राष्ट्रीय मार्गों पर। डिस्ट्रिक्ट रोड्स को कनेक्ट करने वाली यह जो चीज है उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। बाकी को प्राइवेट सेक्टर को जिन्दा रखने के लिये, इसको रोजगार के अवसर देने के लिये छोड़ देना चाहिये और उसमें कोई ओवर लैपिंग नहीं होनी चाहिये। लेकिन इन दोनों में आपने राजस्थान में किन्हीं जिलों में तो तहसील लेवल तक के रूट्स का नेशनलाइजेशन कर दिया है और कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल रूट्स के नीचे के नहीं लिये हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेता हूं तो

(श्री राजबहादुर)

कुछ मेम्बर शायद नाराज हों कि उनके रूल्स का नाम लेते हैं। लेकिन यह फैक्ट है, यह कोई यूनिफिकेशन नेशनलाइजेशन की पॉलिसी नहीं है। अभी क्या है आज कोई पता नहीं है। अब भी क्या मन्शा है कि राष्ट्रीयकरण तो हो ही जायगा, कोई रेशनेलाइजेशन होगा या नहीं। दूसरी चीज, मैंने एक सुझाव यह भी दिया था कि राष्ट्रीयकरण की आपने स्वयं घोषणा की, तीन मार्गों के लिए कहा है जनवरी में चालू होंगे। 12 जनवरी को आपने आर्डर दिया, रुक जाइये। 12 जनवरी के बाद भी जून तक, जून में वे सुप्रीम कोर्ट से स्टे आर्डर ले आये जब कि सारा पब्लिकेशन हो गया। एक तो प्रोविजन किया तीन का। राष्ट्रीयकरण की क्या रीति-नीति है? और आगे जाना चाहते हैं? दूसरी बात यह कि आपने आर्डिनेन्स निकाला लेकिन टैक्सेशन के लिए वैसे ही आर्डिनेन्स का जो निकालना होता है वह आॅवनोक्शियस सा माना जाता है वह सही भी नहीं माना जाता। Rule by ordinances is no rule.

एक तरह से अगर आप देखें तो टैक्सेशन से बाद आॅर्डिनेशन निकालना, वह भी गड़बड़ है। टैक्सेशन में तो आपको पूरा मौका देना चाहिये। राज्य टैक्सेशन करता है लेकिन वह जो है आर्डिनेन्स की तारीफ में नहीं आता। खैर, क्या यह ऐसी जरूरी चीज हो गई थी कि 3 अगस्त को आॅर्डिनेन्स निकाला? यदि तारीख मुझे ठीक याद है, तीन अगस्त को आॅर्डिनेन्स निकाला। आॅर्डिनेन्स निकालने के बाद आपने कौनसे टैक्स लगाये हैं, कब कौनसा किया है, पता नहीं। फिर फोर्स में कब आया है यह? आपने लिखा है—

"from the date appointed in the official gazette."

इसमें बिल में भी आया है "date apqointed in the official gazette".

कब फोर्स में लाया गया? क्या ऐसी अनिवार्यता थी कि आर्डिनेन्स लाये? उसमें क्या बात हो गई?

अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां तक चार शब्द इस्तेमाल किये हैं रेशनलाइजेसन सिम्प्लीफिकेशन, यूनिफिकेशन एण्ड रिवीजन आॅफ टैक्स, चार आब्जेक्टिव्ज हैं, जहां तक मैं देख पाया हूं आपकी पहली चीज है, यूनिफिकेशन की बात लेते हैं। जो आपका अमेन्डिंग पैरा संक्शन का है, (4) में यह है—

"In addition to the tax add surcharge levied under section 4 and 4A of the principal Act...."

इसका मतलब यह नहीं कि खाली जहां गुड्स के ऊपर कर दिया और यूनिफिकेशन हो जायगा। यह पार्शियल यूनिफिकेशन है, अगर उसको मान लें। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ मेहनत तो करनी पड़ी लेकिन मुझे जो पेरेन्ट एक्ट है वह मिल गया। उसमें धारा (4) में गुड्स के लिए भी 4 (ए) लिया है और सरचार्ज के लिए भी देना पड़ता है। पूरा प्रोविजन है शिड्यूल और शिड्यूल में पूरा सब है, आप देखें तो आप यह कहेंगे कि हमने सारा

(श्री राजबहादुर)

यूनिफिकेशन कर दिया। यह दावा गलत है। फिर रोड टैक्स तो आप शामिल करते हैं। आपने जब पैसेन्जर और गुड्स टैक्स शामिल कर दिया तो रोड टैक्स को भी शामिल करते और यूनिफिकेशन पूरा करते। फिर कम से कम अपनी स्टेट में तो मल्टी पाइन्ट टैक्सेशन नहीं, सिंगल पाइन्ट टैक्सेशन होने चाहिये। एक दफा ट्रांसपोर्ट वालों ने टैक्स दे दिया छुट्टी हुई, आपको भी आराम। लेकिन यह मल्टी पॉइन्ट टैक्सेशन है, मतलब आप लोग जानते हैं, साथ में एक टैक्स नहीं हुआ अभी आपके टैक्स बाकी हैं, सरचार्ज बाकी है। उसके बाद भी आप इसे यूनिफिकेशन कैसे कहते हैं।

अब रेशनेलाइजेशन की बात है। यहां रेशनेलाइजेशन की बात करेंगे। एक तरीका था, ग्रेड बनाये हुए हैं आपने रूट्स के, ए क्लास बी क्लास और सी क्लास। ए क्लास जिसकी डामर की सड़क होती थी; बी होती थी ग्रेवल रोड और सी होती थी कच्ची रोड। घोड़ों और गधों को जैसे एक ही डण्डे से हांकना उसी प्रकार से कोई बस चल रही हो कच्चा रूट हो या पक्का रूट हो और चाहे ग्रेवल रोड हो, इसको रेशनेलाइजेशन कह दिया। मेरे ख्याल में तो यह रेशनेलाइजेशन की तारीफ में नहीं आता। और आपने कह दिया, इसके ऊपर तीस गाड़ियों के हिसाब से मैग्जिमम करके पर 10 किलो मीटर रूट हम कर सकें तो यह भी कोई रेशनेलाइजेशन नहीं। मैं आपको भी कहूंगा, मध्य प्रदेश को मिसाल न देते हुए, वैसे पहले आप खुद सोचिए take the initiative yourself. आपने तीन ग्रेड कर रखे हैं, तीनों ग्रेड रखिये, उनमें कोई फर्क नहीं करें, अब भी उसको नहीं बिगाड़ें। आप को मनीपोर करना है तो करिये। उसको भी आप बीच में कैसे नहीं कर सकते हैं वर्गीकरण रूट्स का? वह तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ चल सकता है। आपने चार महीने की बात कही, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। मैं तो कहूंगा, जाहिर है कि बरसात चार महीने यहां मानी जाती है और यह कहीं आपके यहां शायद पश्चिमी इलाके में कम होती है दो महीने की होती है। लेकिन हमारे जैसे इलाके में तो पूरे चार महीने लग जाते हैं जुलाई, अगस्त, सितम्बर, कभी तो 15 जून से भी शुरू हो जाती है और 15 सितम्बर तक चलती है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपके और हमारे इलाके में प्राइवेट बसेज हैं ही नहीं।

श्री राजबहादुर : अब देखिये, मन्त्री महोदय ने मान लिया कि मेरे और इनके इलाके में कम्पलीट नेशनलाइजेशन हो चुका है। शायद आपके इलाके में भी ऐसा है लेकिन हमारे इलाके भी बहुत से प्राइवेट आपरेटर्स को खाने कमाने दो। मैं तो एक्चुअली मानता हूं, रेशनेलाइजेशन होना चाहिये। रेशनेलाइजेशन कर दें तहसीलों को कनेक्ट करने वाली जो रोड है leave it free. ताकि छोटी आमदनी वाले, छोटी पूंजी वाले भी अपना गुजर कर सकें। आप इस समय तो दे नहीं सकते, नहीं करने देते, इसलिए मैं कहूंगा।

रेशनेलाइजेशन की एक मिसाल और देना चाहता हूं। आपने जो प्रावधान रखा है, मिनी बसेज अगर बीस सीटर हैं तो

(श्री राजबहादुर)

175 रु. पर-सीट पर-एनम रखा है लेकिन 20 के बाद 21 हो गई तो मामला कहां जाता है। 20 का 175 के हिसाब से होते हैं 3500 और 21 सीटों के ऊपर होते हैं 12600। यह रेशनेलाइजेशन क्या हुआ ? 20 पर 3500 और 21 पर 12600, यह रेशनेलाइजेशन नहीं हुआ। आप एक और ग्रेड बीच में बनाइये जो मीडियम रेन्ज की जो बसे को कवर कर सकें और यह गैप इतना बड़ा न रहे।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : गैप वाले भी 20 में ही आ जायेंगे।

श्री राजबहादुर : बीच में आने के और लाने के तरीकों से मैं परिचित नहीं हूं। लेकिन 21 वाले 20 में कैसे आ जायेंगे, उससे मैं अपरिचित हूं। मैं खाली उसका अन्दाजा लगा सकता हूं, लेकिन अपरिचित हूं, यह युक्ति नहीं मालूम। मैं 20 को 20 मानता हूं, 21 को 21 मानता हूं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह सरकार के सोचने की बात है।

श्री राजबहादुर : खैर, आप यकीन नहीं करेंगे कि इन्क्रीज 200 पर्सेन्ट हो जाती है जो आज की रेट है उसके अनुसार। फिर आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, आपने एक बात फरमा दी अपने स्टेटमेंट में कि हम टैक्स बढ़ा नहीं रहे हैं, टैक्स लगा नहीं रहे हैं। मन्त्री महोदय, आपने जो स्टेटमेंट दिया है वह युक्तिसंगत नहीं है, तर्कसंगत नहीं है सत्यसंगत नहीं है, जबकि आप टैक्स लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर नहीं बढ़ा रहे होते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन आप टैक्स को बढ़ा रहे हैं सरलीकरण के नाम पर, नेशनलाइजेशन के नाम पर। और यह कह कर कि बढ़ा नहीं रहे हैं, मन को संतुष्ट कर लिया है। लेकिन इससे आप किसी और को संतुष्ट कर पायेंगे ? मैंने फिर आपके वेरियस सैक्शन्स को स्टडी किया है, यह मेरोइन्ट्रेस्टेड विषय है इसलिये और फिर मेरे पड़ोसी हैं इसलिये मैंने सोचा, ठीक है, मैं आपका लिहाज भी करता हूं, इसलिये मैंने देखा कई सैक्शंस में, जिसमें अमेंडमेंट करते हैं उस पर तो मौका आयेगा तब कहूंगा। आप सरलीकरण की बात करते हैं, नेशनलाइजेशन की बात करते हैं, तो मेरा कहना यह है कि आप इसको मेहरबानी करके प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें। जनता में आपका विश्वास नहीं है, तो ठीक है, आप जनमत नहीं जानना चाहते हैं तो ठीक है। this is the fittest case for select coammittee. इससे अपनी यह बात भी रह जायेगी और सातवीं विधान सभा में अभी तक कोई बिल सलेक्ट कमेटी को गया भी नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। ऐसी कोई खास बात नहीं है, दो महीने, ढाई महीने, तीन महीने में ऐसा कोई पहाड़ टूटकर गिरने वाला नहीं है जिससे कि इस सारी कार्यवाही को आज ही करना आवश्यक हो। यह 51 वाला जो आपका राजस्थान मोटर टैक्सेशन एक्ट है आप इसको भी देख लें। आप यह नहीं करेंगे तो आप क्लेरिफिकेशन रूल्स का क्या करेंगे ? नेशनलाइजेशन वगैरह का सवाल उठता है और मल्टी पाइन्ट टैक्सेशन और सिंगल पाइन्ट टैक्सेशन, यह सारे जो सवाल हैं उनका क्या करेंगे ? फिर यह कहूंगा, रूल्स में अमेंडमेंट

(श्री राजबहादुर)

है । और मैं तो इस बात के बहुत खिलाफ हूं कि सात बजे या आठ बजे तक बैठा जाये और फिर आज तो लगता है कि 11 बज जायेंगे, 12 भी बज सकते हैं । तो मेरी आपत्ति है । आप हमको किस बात की सजा दे रहे हैं ? इसमें कोई मान-अपमान की बात नहीं है । यह बात नहीं है कि हम लोग मेजर कम्युनिटी के हैं और ये माइनर के हैं । इससे कोई आपकी इन्सल्ट नहीं मानी जायेगी । लेकिन आप इसको आधी-अधूरी मत छोड़ो, अधकचरी मत छोड़ो । अभी यह अपरिपक्व है, कई बातों पर विचार करना है । कोई तीन-चार लोगों के अमेंडमेंट आये हैं उससे कुछ पोजीशन इम्प्रूव हुई है । इसलिये इसको आप प्रवर समिति के सुपुर्द करें । मुझे भी जो बारबार कहना पड़ता है नहीं कहना पड़ेगा । इन्हीं शब्दों के साथ बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करता हुं कि प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें । मेरा मानना है मैं समझता हूं कि ये सब जबरन यहां पर बैठाये गये हैं, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं बैठा है इनके दिमाग में मेरी बातों का या आपकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा । इन्हें कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या कहा जा रहा है और क्या हो रहा है । They are sitting for the sake of sitting

यह मैं आप सब लोगों का अपमान करने लिये नहीं कह रहा हूं, आपकी हालत बयान कर रही है कि क्या हाल है । मेरी हालत मत पूछो मेरे चेहरे को देखो, मेरी हालत मेरी सूरत बता देगी । तो आपकी हालत तो आपका चेहरा बता रहा है, आपकी हालत जानने के लिए तो आपकी सूरत देखने की जरूरत है समय काफी हो गया है इसलिये कहता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : बंशीलाल पटवा ।

कितने माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

समय सीमा पांच पांच मिनट है ।

श्री बंशीलाल पटवा : कोई मन्त्री नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रिगण उधर बैठे हैं ।

श्री राजबहादुर : बिलकुल इतने रह गये हैं ।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मोटर व्हीकल टैक्सेशन बिल पर विचार किया जा रहा है । मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिन बातों का जिक्र किया है उनका रिपीटिशन तो मैं करना नहीं चाहता हूं लेकिन कुछ बातें हैं जिनका कि मुझे थोड़ा-सा अनुभव के तौर पर पता लगा है उनका मैं प्रकटीकरण करना चाहूंगा ।

जहां तक इस बिल का सवाल है, यह गुड्स टैक्सेशन का स्थान लेगा । अभी जैसा कि बाबूजी ने कहा रोड टैक्स आबकारी आदि सब टैक्सों को एक साथ लेना चाहिए था यदि सरकारीकरण चाहते हैं । उनका कहना यथार्थ है । उनको अगर आप सरल करना चाहते हैं तो ऐसा सरलीकरण ज्यादा अच्छा होता । आप यात्रियों की

(श्री बंशीलाल पटवा)

सुविधा के लिये कुछ करना नहीं चाहते हैं। जहां तक यात्रियों की सुविधा की बात है हमारा राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है जिसमें रेगिस्तानी इलाका भी है मेवाड़ स्टेट भी है, पहाड़ी इलाका भी है और इधर दूसरा इलाका है। तो, अलग अलग इलाके हैं जिनमें कुछ मार्गों पर बसें चल रही हैं जिस प्रकार से दूसरी स्टेट्स में चल रही। है वहां पर जिस प्रकार ए, बी, सी श्रेणी में बंटी हुई रोड्स है, डामर रोड अलग है, मैटल रोड अलग हैं, कच्चा मार्ग अलग है, इसी तरह से यहां पर तीन श्रेणी के मार्ग हैं। कहीं पर पक्की है यहां तो फिर 10 किलो मीटर कच्चा है फिर पांच किलो मीटर कच्चा है। इस तरह के मार्ग यहां पर हैं। इस तरह की हमारे यहां पर हालत है। उन रोड्स की क्या स्थिति है, किस तरह की है, यह तो आपने भी बताया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छी रोड्स का तो नेशनलाइजेशन हो चुका है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। यह अच्छी बात है। जो अच्छी बात है वह करनी चाहिए। राष्ट्रीयकरण करते हैं उससे कोई एतराज नहीं है। उससे एतराज की बात भी नहीं है। लेकिन जो अलग अलग टैक्सेशन अलग अलग सलेब्स पर किया है, इतनी सीट पर इतना और इतनी सीट पर इतना इसके बारे में इतना ही कहना है कि अगर आपको सरलीकरण करना है तो इनको अलग अलग करने के बजाय एक साथ करते। रोड टैक्स को भी शामिल करके इसका सरलीकरण करना चाहिए। इस प्रकार से सरलीकरण हो सकता है, इसका आपको सोचना चाहिए। टैक्स पूरा आना चाहिए। इसी तरह से जो मोटर आपरेटर्स बदमाशी करते हैं उसको रोका जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ यात्रियों की सुविधा के लिये हम देखते हैं कि जो गाड़ियां चलती है उनकी क्या हालत है। लोग छतों पर चलते हैं, उसके बारे में भी हमको विचार करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि जो टैक्स लगाया है, 30 पैसा पर 10 किलोमीटर पर सीट, उस पर वापस विचार करिये। हमारे यहां पर क्या है; हमारे पड़ोसी स्टेट्स में क्या है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप बिलकुल कम कर दें, मैं यह नहीं चाहता हूं कि सरकार को नुकसान हो जाये, इस तरह की बात नहीं चाहता हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि यात्रियों को मिलने वाली सुविधायें बढ़ें और यात्रियोंकी सुविधा के लिए ट्रान्सपोर्ट की सुविधा, व्यवस्था ठीक करें। रोड्स की क्या हालत है, इन परिस्थितियों में इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें।

मेरा इसके साथ साथ यह और निवेदन है कि कच्चे रोड पर जो गाड़ियां चलती हैं अगर उसमें पैसे आपने कम नहीं किये तो मैं समझता हूं कि बहुत सी गाड़ियां के परमिट सरेण्डर हो जायेंगी और गांवों में गाड़ियां नहीं चलेंगी। आप उन रोड्स का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते हैं आपने अपनी रोडवेज की गाड़ियां तो चलाई नहीं हैं, वहां पर चला भी नहीं सकते हैं। इसके साथ-साथ आपके जो अरबन एरिया हैं जयपुर है, भीलवाड़ा है? उदयपुर है उसके आस-पास का जो एरिया है उसमें आप, मन्त्री महोदय, स्वयं जानते हैं कि क्या हालत है। लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती है तो, उसके बारे में

(श्री बंशीलाल पटवा)

आपने क्या सोचा है ? जब टैक्स बढ़ जायेगा तो इन बसों की क्या स्थिति होगी ? रोड्स की तो जो हालत है वह तो आपको पता ही है ऐसी रोड्स पर बसों की छतों पर लोग चलेंगे तो क्या होगा ? इसके साथ-साथ यातायात की सुविधा चाहते हैं वह करें इसके साथ-साथ अलग-अलग रेट रखी है टू-व्हीलर, फोर व्हीलर आदि पर । तो आप कम से कम टू-व्हीलर फोर व्हीलर आदि पर तो टैक्स कम कर दीजिये । अरबन एरिया में जो लोग रहते हैं और आस-पड़ोस में जाते हैं उनके आवागमन के लिए यहां पर जो 12 सीट की गाड़ी चलती है उन पर तो कम कर दें ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्री बंशीलाल पटवा : बस, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में । श्रीमान्, मैं यह कहना चाहता हूं कि दशा सुधारें, आप यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ायें । यह समाजवादी सरकार है, आप कहते हैं लेकिन है भी या नहीं । आप समाजवादी व्यवस्था बनाये । नेशनलाइजेशन की बात छोड़ दें, आप टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं उसके लिये आप रोड्स का ए, बी, सी में बांट दें । एक ही बात बोल रहा हूं नेशनलाइजशन तो ए श्रेणी की रोड का है बाकी का क्या होगा ? और आप सरलीकरण करना चाहते हैं, इसको भुल कर आप सरलीकरण करना चाहते हैं तो, वह नहीं होगा । यह सरलीकरण तो है नहीं । यह दोहरी मार पड़ेगी टैक्स की । इससे यात्रियों पर कर भार बढ़ेगा ।

इसके साथ-साथ मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे व्हीकल जो अरबन एरियाज के नजदीक गांव में जाते उनको सुविधा मिले । जैसे मैं भीलवाड़ा में रहता हूं वहां से 6 किलो मीटर दूर रूपारी हैं वहां आपकी बसें नहीं जा सकतीं । जब कि उसके पड़ोस में नेशनलाइजड रूट है मांडलगढ़ । वहां गाड़ी जाती है लेकिन वहां बस नहीं जाती वे कान्तीबरों में नहीं जाती है । इसी तरह की स्थिति राजस्थान के अन्य कई इलाकों में है । तो अरबन एरियाज के नजदीक जितने गांव हैं, वहां जो छोटे व्हीकल जाते हैं आप उनको उत्साहित कीजिये ताकि कम से कम गाड़ी तो चला सकें और टैक्स कम किया जाय । लेकिन रोड टैक्स जो सरलीकरण के नाम पर लगाया गया है, अनुचित है । मेरा निवेदन है कि छोटे व्हीकल्स के बारे में भी विचार करें । बड़े व्हीकल्स के बारे में जो ए,बी,सी, श्रेणियां की हैं और कुछ नहीं तो ए. और. बी. ही बना ले लेकिन ए, बी सी बना रहे हैं तो इस तरह की स्थिति खड़ी होगी इस पर गंभीरता से विचार करें ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं सोचता हूं इसका जो भी स्वरूप है इसके लिये हमने संशोधन किया बहुत जल्दी नहीं है । बाबूजी ने कहा प्रवर समिति को भेज दें, जिसका हमने संशोधन दिया है एक माह, तीन माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय । सरलीकरण के हम पक्ष में हैं विरोध में नहीं, लेकिन सवाल इस बात का है कि दोहरी मार पड़ेगी, यात्रियों को असुविधा होगी

(श्री बंशीलाल पटवा)

गाड़ियों के परमिट्स सरेंडर हो जायेंगे हालात खराब होंगे। इसलिये मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982 को जनमत जानने हेतु परिचलित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी। कृपया समय का ध्यान रखें। बार-बार मुझे आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करने करने की आवश्यकता नहीं पड़े।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कौनसी विकट परिस्थिति आई है कि 11-11,12-12 बजे तक बैठाये रखते हैं ?

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। सरकार यह जो विधेयक ला रही है या बिल ला रही है, इसमें सरलीकरण की बात कही गयी है। लेकिन सरलीकरण के साथ-साथ में जो यह अधिक भार पड़ रहा है उस भार का सामान्य आदमियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जबकि सुविधा तो आप उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं सबसे ज्यादा भार पड़ेगा उन पर, जिन आदमियों के पास खुद के साधन नहीं हैं, जो दूर-दूर ढाणियों में रहने वाले हैं। जिन गांवों में पहले से ही रोडवेज की बसें नहीं जाती है बड़ी मुश्किल से कोई ठेकेदार प्रयत्न करने अपनी बस लगाने की कोशिश करते हैं फिर यदि उन पर ज्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा तो वहां जो बसें जानी शुरू हुई हैं वह भी नहीं जायेंगी तो फिर गांवों में रहने वाले जो आदमी हैं उनको कितनी असुविधा होगी। उस असुविधा को दूर करने के लिये, स्पेशली जिन क्षेत्रों में बरसात कम होती है उनका आफ सीजन तो इस हिसाब से 8 महीने होता है और 8 महीने उन बस आपरेटर्स के लिये ऐसा एरिया घोषित करना चाहिये जिसमें उनको टैक्स छोड़ कर थोड़ी रियायत देनी चाहिये जिससे वे उन एरियाज में अपनी बस चलायें।

यह तो किया नहीं और सबका एक भाव कर दिया। शहरों में तो बड़ी-बड़ी सड़कें हैं। गांवों के अंदर जो कच्चे मार्ग हैं बड़े बड़े धोरे, टीबे हैं खड्डे पड़े हुए हैं उनमें अगर बस आपरेटर्स बस चलायेंगे तो उसको मेंटेन करने के लिये उन पर कितना भार पड़ेगा इसका भी थोड़ा बहुत ध्यान नहीं रखा गया। सरलीकरण की जो बात कही गयी है उसमें भी पूरा सरलीकरण नहीं हुआ है थोड़ा बहुत सरलीकरण हुआ है। इससे बस आपरेटर्स को सुविधा तो होगी टैक्स भी वसूल होगा लेकिन इसके अंदर अनियमिततायें और भ्रष्टाचार मिटाने के लिये जो बात कही है उससे मैं सहमत नहीं हूं। भ्रष्टाचार तो रग-रग में फैल गया। यूं भी होशियार आदमी हैं और जिनको अटकल आ गई उनको समुद्र की लहरें गिनने के लिये भी रखा जाय तो वहां भी चूक नहीं करेंगे। तो इसका तो रास्ता निकाल ही लेंगे।

(श्री महाराम चौधरी)

मन्त्री महोदय ने नकल तो की है लेकिन नकल के अंदर थोड़ी बहुत अकल की कसर रह गई है। इसको सुविधाजनक बनाने के लिये और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध कराने के लिये मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस टैक्स को आप घटायें और घटा कर इस तरह से करें कि पहाड़ी क्षेत्रों और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए सुविधा मिले वरना वहां बच्चे स्कूल के लिए पहुंचेंगे नहीं बीच में ही रह जायेंगे....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये....

श्री महाराम चौधरी : एक दो सुझाव हैं। आपरेटर्स को थोड़ा बहुत इस मामले में प्रोत्साहन देने के लिए रियायत करें।

श्री अध्यक्ष : अपने क्षेत्रों में अनुदान मिलना चाहिये।

श्री हीरालाल आर्य। संक्षेप में।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982 लाया जा रहा है इसके तहत अब तक इन वाहनों पर टैक्सेज थे उन्हें वसूल करने की प्रक्रिया समाप्त कर यह जो विशेष रोड टैक्स लगाने की जो व्यवस्था इस अधिनियम में आप कर रहे हैं, उस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था है और मन्त्री महोदय ने फरमाया था कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं। एक तरफ आप यह तो स्वीकार करते हैं कि अब तक हमें जो टैक्स से आमदनी होती है वह 6 करोड़ के आसपास है और यह टैक्स और लगाने से 14 करोड़ प्रतिवर्ष के आसपास होगी। तो यह बढ़ोतरी कहां से होगी? यह जो बढ़त के पैसे वसूल किये जायेंगे वे बस आपरेटर्स से नहीं किये जायेंगे? क्योंकि वे भी दो पैसे कमाने के लिये यह धंधा करते हैं और उनको भी इन्डायरेक्ट यह जनता से वसूल करना पड़ेगा, किराये के रूप में। मेरा निवेदन यह है कि जब जनता पर अतिरिक्त टैक्स का भार पड़ेगा तो यह ठीक नहीं है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि इस अधिनियम के माध्यम से अब तक जो तीन श्रेणियां हैं सड़कों की, वे समाप्त की जाकर केवल एक श्रेणी रखी जा रही है, ए श्रेणी। मुझे आश्चर्य है, क्या सोचने-समझने का तौर-तरीका है आप लोगों का कि कच्चे और पक्के मार्ग में कोई अन्तर ही नहीं है। कच्चे और पक्के मार्ग की व्यवस्था नहीं करके आपने केवल एक तरह की सड़क की व्यवस्था की है। इसमें मुझे भ्रष्टाचार की बू आती है। पक्की सड़क पर कौन लोग चलायेंगे, कच्ची सड़क पर कौन लोग चलायेंगे, यह जो व्यवस्था होगी उसमें निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को पनाह मिलेगी। इसलिये यह जो व्यवस्था की है, केवल एक ही श्रेणी की रोड की वह समाप्त

209

(श्री हीरालाल आर्य)

की जाकर कम से कम कच्चे और पक्के की व्यवस्था तो आप कीजिये । यह जो टैक्स....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कोरम नहीं है ।

श्री हीरालाल आर्य : और यह जो विशेष....

श्री अध्यक्ष : आपने आसन और अपने आपको नहीं गिना ।

श्री हीरालाल आर्य : यह विशेष टैक्स के नाम से जो टैक्स बढ़ाया है, वह भी अधिक है । कच्चे और पक्के मार्ग की व्यवस्था के आधार पर टैक्स में भी अधिक और कम किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, कच्चे रास्ते पर जो बसे चलेंगी उन पर ज्यादा खर्चा आयेगा क्योंकि उन बसों के रख-रखाव के लिये ज्यादा खर्चा आयेगा । वहां पर बसें ज्यादा खराब होंगी, इसलिये ग्रामीण क्षेत्रों में दूर-दराज गांवों में अपनी बसों को कोई भी चलाना नहीं चाहेगा और इस प्रकार गांवों के लोगों को कभी-कभी बसें जो मिल जाती थीं वह अब मिलनी बन्द हो जावेंगी और इससे जनता को असुविधा ही बढ़ेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर चर्चा के अवसर पर मैं मन्त्री महोदय को विशेष तौर से यह कहना चाहता हूं कि इस टैक्स का प्राइवेट बस आपरेटर्स पर अधिक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आपकी जो रोडवेज की बसें हैं उनकी तो हालत बहुत खराब है । अध्यक्ष महोदय, रोडवेज की जिस तरह की व्यवस्था आप देखते हैं उससे जनता में रोडवेज के प्रति विश्वास समाप्त हो रहा है । आज हमारे कोटा और बारां डिपो के बसों की हालत बहुत खराब है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषयान्तर हो रहे हैं ।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि बसों की हालत खराब है और बसें समय पर नहीं चलती हैं । इसका सीधा प्रभाव प्राइवेट बसेज के आपरेटर्स पर पड़ेगा । तो, एक तो यह निश्चित आप करिये कि आप अच्छी तरह से बसें चला पायेंगे । आप कर-भार लगा कर प्राइवेट बसों के द्वारा जनता को जो सुविधा मिल रही थी उससे भी जनता को वन्चित करेंगे । इसके लिये आप अपनी बसों की हालत सुधारें ताकि आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़े । आज प्राइवेट बसों में लोगों को विश्वास है क्योंकि वह बसें समय पर आती हैं और समय पर जाती हैं । इसलिये, अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है इसके पास होने के पहले मेरा निवेदन है कि इस बिल को जनमत जानने हेतु जनता में परिचलित किया जावे, इसको जनता की ओपीनियन लेकर ही पास करें, ऐसा मेरा निवेदन है । इसलिये इसको एक महीने के लिये जनता में जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ।

श्री अध्यक्ष : यातायात मन्त्री जी ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं ।

(210)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर पांच दफा चर्चा है, मैं आपको अवसर दे दूंगा। इस पर दो दफा चर्चा तो हो चुकी है और अभी तीन दफा चर्चा और होगी। मुख्य बिन्दु आपके पास कोई हो नया तो आप बाद में बोल देना। मैं आपको अवसर दे दूंगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, यातायात) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, इस विधेयक को लाने के लिये मेरी मन्शा कोई यह नहीं थी कि टैक्स को बढ़ाया जाय। माननीय सदस्यों को कुछ शंकायें थीं जो उन्होंने व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में टैक्स कम है और राजस्थान में पैसेन्जर टैक्स ज्यादा है। तो मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बता दूं कि मध्य प्रदेश में पैसेन्जर टैक्स 25 प्रतिशत है और राजस्थान में पैसेन्जर्स टैक्स जो है वह साढ़े 36 प्रतिशत हैं। यह भी कहा गया कि जो टैक्स जनता से वसूल हो रहा है उसको कम करना न्यायोचित होगा। हां ठीक है, कुछ बातें आपने जो रखी हैं मैंने अभी कुछ देर पहले सदन में कहा था कि मैं जो शिड्यूल बना रहा हूं वह मैक्जिमम, अधिकतम सीमा है इसके लिये बहुत से लोग मेरे से मिले और लोगों ने रिप्रजेन्टेशन्स भी दिये। जब कोई कानून बनाया जाता है तब यह जिक्र अपने आप ही आ जाता है।

मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि यहां जो 21 पैसे की बात बतायी वह आप लोगों को तब ही मालूम पड़ा जब मैंने आपको बताया। अगर यह सीधा ही विधेयक आता तो उसमें आपको यह जिक्र नहीं होता। क्योंकि यह तो ऑर्डिनेन्स बिल था और इसका नोटिफिकेशन ऑर्डिनेन्स का बिल होने के नाते 45 दिन में होना चाहिये, इसलिये नोटिफिकेशन निकालना पड़ा। अगर सीधा विधेयक आता तो माननीय सदस्यों को कैसे पता लगता क्योंकि तब तो यह विधेयक पास होने के बाद नोटिफिकेशन निकलता और उसमें आपको 21 पैसे की बात का पता ही नहीं लगता। आपको वैसे पता भी नहीं लगता। यह तो मैक्जिमम सीमा हमने रखी है।

यह 21 पैसे की जो बात है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बतला दूं कि कच्चे और पक्के रूट की बात का अन्तर वैसे भी होना चाहिये और आता भी है। पर मेरे मन में इसमें किसी प्रकार की दूसरी भावना नही है। यह बात सही है कि पक्के रूट में 78 प्रतिशत लोड फैक्टर आता है और कच्चे रूट में 63 प्रतिशत लोड फैक्टर आता है। अब इसमें माननीय सदस्यों को थोड़ा समझने की जरूरत है। यह जो अन्तर है किराये में और साढ़े 36 प्रतिशत पैसेन्जर टैक्स जो वसूल किया जाता है, इसमें एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने अभी विधान सभा के एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि सन् 75-76 से लेकर सिटी बसों के किराये मे कोई वृद्धि नहीं की गयी है, यह प्रश्न के दौरान में बताया था। उसमें मैंने स्वीकार किया कि सिटी बसेज के लिये नोटिफिकेशन आयेगा, वह अलग आयेगा। इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाद में अगर कोई बात आये

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

और यहां पर माननीय सदस्य यह कहें कि सिटी बसों का फेयर बढ़ा दिया गया तो मैं यह और निवेदन कर दूं कि वह नोटिफिकेशन 75-76 में फेयर राइज का निकला था, यह तब किया था। सन् 75-76 में बसों का किराया बढ़ाया गया था। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर किराया बढ़ेगा तो उसका अलग नोटिफिकेशन होगा क्योंकि ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है और यह उससे सम्बन्धित नहीं है।

इसके अलावा ऑफ सीजन की बात कही है। तो, ऑफ सीजन के बारे में मैंने जो कहा है वह यह है कि साल में दो महीने ऑफ सीजन होता है उसके लिये मैंने कन्सेशन्स दिये हैं, वह मैंने आपको कहा। अभी बाबू राजबहादुरजी ने अपने अनुभव के आधार पर कहा और हम भी कभी कॉर्पोरेशन्स की मीटिंग में जाते हैं या कान्फ्रेंस में जाते हैं तो हमें इस बात की वहां पर चिन्ता होती है। यह जो पाइन्ट है कि जगह-जगह पर ट्रक्स और बसेज को ठहराते हैं और ऑक्ट्राय के लिये बहुत सारी बातें हैं यह शायद मेरे ख्याल से आपके समय में ही हुआ होगा या आपके बाद में हुआ होगा। उसके बाद में केन्द्रीय सरकार ने ट्रक्स के लिये नेशनल परमिट जैसे डब्ल्यू0 जेड0 परमिट और एन0 जेड0 परमिट की व्यवस्था की है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी रोडवेज में कुछ सुधार हुआ है और कुछ सुधार हो भी रहा है। बहुत ठीक है।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्यों को बैठने के लिये सीट नहीं है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : वह बात ठीक है, पर मैं यह आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें काफी सुधार हो रहा है। केन्द्रीय सरकार....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। हाउस में कोरम नहीं है।

श्री रामसिंह बिश्नोई : अब हो गया है। वह आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : अब अगर आप बाहर चली जावें तो कोरम समाप्त हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : वह जा रहे हैं। यह दूसरे आ गये हैं। तो, माननीय सदस्य ने एक बात बार-बार कही कि हमारी नेशनलाइजेशन की नीति क्या है, हमारी नीति क्या है। तो, अध्यक्ष महोदय, वह भी जानते हैं कि हमारी नीति क्या है। हमारी नीति देश में राष्ट्रीयकरण करने की है। राजस्थान की जो आर्थिक हालत है वह, अध्यक्ष महोदय, खराब है और उसके लिये आज जो नेशनलाइजेशन है। उन सड़कों पर रोडवेज की बसेज के लिए जिन रूट्स को हमने पहले ले लिया है उनकी वजह से हमारे कॉर्पोरेशन की जो हालत है....

श्री राजबहादुर : आपने भरतपुर में राष्ट्रीयकरण कर दिया पर भीलवाड़ा में राष्ट्रीयकरण नहीं किया।

श्री जयकृष्ण शर्मा : वह तो आप भी जानते हैं जो नेशनलाइजेशन की नीति हमारी है। हम चाहते हैं कि हमारे यहां पर रोडवेज का नेशनलाइजेशन हो, अधिक से अधिक रूट हाथ में लिये जायं और हम इसके लिये प्रयास भी कर रहे हैं। यहां पर रोजाना हाउस में माननीय सदस्य यह कहते हैं कि रोडवेज की हालत बहुत खराब है पैसेन्जर्स को बहुत दुख पाना पड़ता है। लेकिन इतनी बात मैं आपको यहां पर निवेदन कर दूं कि हमने प्रयास किया है और शायद माननीय सदस्यों को खुशी भी होगी कि हमारे यहां पिछले 6 माह में राजस्थान रोडवेज की हालत में सुधार हुआ है। इसके लिये हमने प्रयत्न भी किया है इससे आपको खुशी होगी।

एक माननीय सदस्य : आपने विधायकों के बैठने की सीट तो नहीं रखी है। कोई सुधार नहीं हुआ है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : ऐसी बात नहीं है, सुधार तो हुआ है।

(व्यवधान)

इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल जो ऑर्डिनेन्स के मार्फत लाया गया है उसमें हमने कोई नये टैक्स नहीं लगाये है। जो टैक्स वसूल करने हैं वह मैं आपको बता दूं कि वही टैक्स वसूल करना है, जैसे कि मैं मेरा कान इस तरह पकड़ लूं या उस तरह से, बात एक ही है कोई नया पैसा वसूल नहीं करना है। कॉर्पोरेशन में रूल्स बने हुए हैं, इनमें एक, दो और तीन और ए, बी, और सी की कैटेगरी बनी हुई है। हमने सन् 1975 में विचार किया था और उसमें हमने पैसेन्जर टैक्स को इसके साथ में ही मिलाने के लिये विचार किया जिससे कि असेसमेण्ट में सुविधा होवे।

हमने ए बी और सी तीन क्लास कीं। तैयार करके यह किया कि जो यात्री भार निकलता है उसको इन क्लासों के अन्दर बांट दिया। हमने मोटर मालिकों से कहा कि आप अपनी इच्छा से इस बात को कर लें और 75 प्रतिशत ए क्लास में, 60 प्रतिशत बी क्लास में और 50 प्रतिशत सी क्लास में मान लें। लेकिन राजस्थान के एक भी बस ऑपरेटर ने इसको नहीं किया। तो आपने यह कहा कि उनके ऊपर छोड़ दीजिये, छोड़कर 1975 से 1982 आ गई, सात साल हो गये और यही बात चलती रही। मैं बार-बार ऐसी बातें कहने का आदी नहीं, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि हमारी नीति राष्ट्रीयकरण को और आगे बढ़ाने की है, और तेज गति से चलने की है। जैसा उन्होंने कहा कि मेरे आने के बाद एक साल से कोई रूट नहीं लिया गया। मैं खुद कहता हूं, जब से मैंने यह विभाग सम्भाला है तब से कोई नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि हाउस में भी माननीय सदस्य और बाहर के व्यक्ति भी जानते हैं कि राजस्थान पथ परिवहन निगम में अव्यवस्था है। इसको भी आप जानते हैं कि इसको सुधारने का मैंने प्रयत्न किया है। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने यह जो प्रस्ताव दिया है उसमें मैं अपनी असहमति जाहिर करता हूं और माननीय सदस्यों को अनुरोध करूंगा कि इसको वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य तब बोलें जब आपके पास कोई नया सुझाव हो। वरना आपने कह दिया कि आर्डिनेंस तो निकाल दिया और इसको पास करना है। मुख्य बिन्दु हैं उसको आप रखें, नहीं तो हम कैसे निर्णय पर पहुंच सकेंगे ? इसमें जो खास बातें आई हैं उन पर विचार कर सकेंगे, यह मेरा माननीय सदस्यों और मंत्रीजी से निवेदन है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने हेतु प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किये जायं।

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार। माननीय श्री रतनलाल तांबी, श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री दीपेन्द्र सिंह।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड में टैक्स और सरचार्ज दोनों हैं। यह दोनों राजस्थान में लगाये गये हैं। यह अलग-अलग प्रक्रिया है। टैक्स पर सरचार्ज भी है। मेरा निवेदन है कि इस रूल की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मंत्री महोदय इसको उचित समझते हैं तो कम से कम सरचार्ज हैं, जो टैक्स पर रखा गया है, इसको एक ही परिभाषा में माना जाये। यह उपयुक्त नहीं है। इसलिये मैंने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है

"Part (ii) shall be deleted,"

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें जो सरचार्ज जोड़ा गया है उसको हटा दें।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री दीपेन्द्रसिंह, श्री मोहनलाल मोदी, श्री नानूराम कुमावत।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने कुछ बात कही थी। मन्त्री महोदय ने उसको इंगित करके कुछ शब्द कहे थे। मुझे उनके बारे में बात कहनी है। मैं कहना चाहती हूं....

श्री अध्यक्ष : आपको अगर कोई सामान्य चर्चा करनी है, इस खण्ड में अगर आपका कोई सुझाव है तो....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तृतीय वाचन पर बोलना चाहती हूं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : वही रखा गया है। इसमें कोई विसंगति या विरोधाभास न हो, इसके लिये इसे रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य इसे विथड्रा करना चाहते हैं ?

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री रतनलाल ताम्बी ने जो संशोधन प्रस्ताव खण्ड 2 में प्रस्तुत किया है, उसको वापस लेने की इजाजत दी जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

माननीय सदस्य, इसको वापस लें।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री राजबहादुर : खण्ड 2 में मेरा भी एक संशोधन था, अब तो वह पास हो गया इसलिए मेरा संशोधन आपने कवर कर लिया।

श्री अध्यक्ष : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन खण्ड 3 में है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड 3 में यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं (1) In sub-section (2) of section 4 of the principal Act sought to be substituted by clause (3) of the Bill, after the words "Tax shall be payable", the words "under this section" shall also be inserted, and for the words "and also" the word "or" shall be substituted.

2. After the said sub-section (2) of section 4, the following provisos shall be added, namely:

"Provided that the period of such surrender or the period of such non-use, as the case may be, shall be for a period not less than three months :

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

Provided further that if the vehicle is found plying after the certificate of registration has been surrendered, the owner shall pay the tax for the entire period during which the certificate of registration remained surrendered."

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करूंगी कि मैं हिन्दी जानती हूं मुझे आपने हिन्दी में नहीं भेजा है।

श्री अध्यक्ष : जो मूल विधेयक है वह अंग्रेजी में है, इसका अनुवाद हिन्दी में नहीं हो सकता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमारी परम्परा यह है कि जो विधेयक लाना चाहते हैं वह प्रसारित नहीं करते हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : प्रसारित किया गया है।

श्री अध्यक्ष : इसका हिन्दी अनुवाद भी प्रसारित किया गया है। आपने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मूल अनुवाद अंग्रेजी में है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसका हिन्दी में अनुवाद आना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : इसका हिन्दी अनुवाद सरक्यूलेट किया गया है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : बहिन, बैठ जायें, मैं हिन्दी में पढ़ देता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको हिन्दी आती है इसलिये मैंने कहा है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : (1)–ख0 3—मूल अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2), जिसे विधेयक के खण्ड 3 के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है, में शब्दों "मोटरयान के स्वामी द्वारा" के पश्चात् शब्द "इस धारा के अधीन" अन्तर्स्थापित किये जावेंगे और शब्दों "और कराधान अधिकारी को इस बात का समाधान भी करा देता है" के स्थान पर शब्द "या कराधान अधिकारी को इस बात का समाधान करा देता है" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(2) धारा 4 की उक्त उप धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात्:—

"परन्तु ऐसे अभ्यर्पण की कालावधि या उपयोग में ऐसे न आने की कालावधि यथा स्थिति तीन माह से कम कालावधि नहीं होगी।"

श्री अध्यक्ष : अब तो समझ में आ गई न बात ?

एक माननीय सदस्य : अब मारवाड़ी में एक बार और कह दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : तो कृपया सदन को समझा दीजिये न हिन्दी में फिर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे समझ में आई है बात, अगर इनके शब्दों के अनुसार ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो आप वाली कठिनाई है वह हमारी भी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने सुन लिया है। जो मुझे बोलना होगा, वह मैं बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर : मन्त्री महोदय ने जो संशोधन किया है, उसमें मेरा संशोधन कवर हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : मतलब आप मूव नहीं कर रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें मेरी बात आ जाती है।

श्री अध्यक्ष : उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव खण्ड 3में प्रभारी मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत नहीं किया संशोधन प्रस्ताव एवं श्री रतन लाल ताम्बी ने प्रस्तुत नहीं किया। प्रश्न यह है कि खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 श्री राजबहादुरजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे। करना है ?

श्री राजबहादुर : जी हां, करूंगा। मेरा खण्ड 4 में यह संशोधन प्रस्ताव है :

In the proposed clause 4-B, sought to be inserted after the words 'the rates fixed' (in line 7 of the clause) the words "on the basis of passengers capacity of passenger buses and registered laden weights on goods vehicles." shall be insertee.

मेरा कहना यह है कि जो कन्स्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, स्पेशल रोड टैक्स का कर रहे हैं वह किस रूप में कर रहे हैं ? उसका भी कोई आधार होना चाहिये। स्पेशल

(9.01 रात्रि)

(श्री अहमदबक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

रोड टैक्स कर रहे हैं उसमें आधार तो होना चाहिये। आधार इन्डीकेटेड नहीं है इसमें। इस क्लॉज में आधार इन्डीकेटेड नहीं है कि किस आधार पर करेंगे। पैसेन्जर की कैपेसिटी पर करेंगे या कैसे करेंगे ? मुझे एक बात और कहनी है, दोहरानी है

(श्री राजबहादुर)

कि 21 पैसे जो हमने रखे हैं वे रखे हैं मैक्जिमम, वहां तक की लिमिट है। लेकिन जो आपका पुराना एक्ट है उसमें भी यही है—Not exceeding so much.

वह भी उतना ही हो जाता है। मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं। कम से कम क्लसिफिकेशन के जो रूट्स हैं उसको करते समय आप इसका ध्यान रखते कि 21 पैसे की जो दर है वाकई आप उसे एक साथ नहीं कर देते, कुछ भेद रखते हैं कि आज का जो वजन है रोड आपरेटर्स के ऊपर उस वजन में इजाफा न हो। आज, जैसा मैंने बताया कि 20 सीटर के 175)00 प्रति सीट देना पड़ता है और 21 सीटर का 600)रु. प्रति सीट पर-एनम। इस हिसाब से कितना बढ़ जाता है, 9,100 रु. एक साल का वजन बढ़ जाता है। इसलिये मैं कहूंगा कि दोनों बातों को देखते हुए 4 और 4-ए दोनों में सरचार्ज भी है, पैसेन्जर टैक्स है, गुड्स भी है और बड़ा कॉम्पलीकेटेड है। इसे आप सरलीकरण कहते हैं। 4 और 4-ए को पढ़ लीजिये इसके शिड्यूल को पढ़ लीजिये आपको मालूम पड़ जायगा कितनी काम्पलीकेटेड सारी टेबल है। 4 और 4-ए आपके पास नहीं होगा, मेरे पास है, मैंने मंगा लिया था, मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट जो आपका सन् 1951 का है। Be true and faithful to your words. किस तरह की आपने मैक्जिमम लिमिट रखी है। इसी में जो वाहन हैं, जो आपरेटर्स हैं उनको राहत भी दे सकते हैं, वह राहत दीजिये—एक तो मेरा यह कहना है। दूसरा यह है कि जो वाहनों का आप रख रहे हैं इसमें कोई मापदण्ड से गुड्स टैक्स लगायेंगे। अगर इस तरह का मुझे कोई आश्वासन दे देंगे तो मुझे प्रेस करने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री जी उत्तर देंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : ए वैसे तो सिटिंग कैपेसिटी पर निर्भर करता है, और गुड्स टैक्स का है, जैसा आपने कहा, वह माल ढोने की कैपेसिटी पर निर्भर करता है जो कि आर एन डब्ल्यू में से यू एल डब्ल्यू माइनस करके लेते हैं। यह इसमें परन्तुक है। इसके अलावा आपसे कहना चाहूंगा, जैसा आपने कहा, मैक्जिमम, अधिकतम सीमा है उसके बारे में आपने जो भावना व्यक्त की है, उसका मैं बहुत अधिक ख्याल रखूंगा।

श्री राजबहादुर : यह आश्वासन हो गया है आपका।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : जी हां, ठीक है। मैं प्रेस नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री राजबहादुर

(श्री उपाध्यक्ष)

ने प्रस्तुत किया है उसको वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

श्री राजबहादुर : स्वीकृति मिल गई, मैंने प्रेस ही नहीं किया। मैं वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

प्रभारी मन्त्री जी संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड 5 में निम्न संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

विधेयक के खण्ड-5 (2) द्वारा मूल अधिनियम की धारा 5 (1) में जो परन्तुक और जोड़ा जाना है उसमें, शब्दों "मंज़िली गाड़ी" के पश्चात् शब्द "तथा ऐसे प्रवर्गों की संविदा कैरिज जो विहित की जाय" अन्त: स्थापित किये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर : यह मैंने इसलिये रखा है कुछ डिस्कशन करने और अपने विचार प्लेस करने का मौका बहुत मिल जाता है। "provided further that the special Road Tax payable under sec. 4 B in respect of a Stage carriage shall be paid monthly in advance or other wise and on or before such date as may be prescribed."

इसमें मैंने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, "In the proviso to part (ii) of clause 5 the words or otherwise and on "be deleted."

इसमें otherwise का जो लफ्ज है वह अनिश्चित सा रह जाता है और काफी अनसरटेनिटी रहती है इसलिये गड़बड़ करने की गुंजाइश मिल जाती है अधिकारियों को। अगर आप रखना चाहें तो रखें वरना, मैं समझता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। जो आपने कह दिया, तो वह एडवान्स होगा, एडवान्स होगा या फिर मन्थली होगा ? लेकिन उसके पश्चात् कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी : क्लॉज फ़ाइव,न ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, खण्ड 5।

श्री रतनलाल ताम्बी : खण्ड 5 के उपखण्ड (1) के प्रोविजो में मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है :

Add the words "and contract carriage" after the words "stage carriage in Proviso to sub section (1) of section 5 sought to be added.

इसमें जो प्रोविज़ा जोड़ा गया है उसके लिये हैं। मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कि इससे कुछ समस्या बढ़ जाती है। इसलिये सहानुभूतिपूर्वक विचार करके....

खण्ड 4 पर बात चल रही न, साहब ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपने पढ़ा ही नहीं इसे।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 5 चल रहा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसमें समस्या का समाधान हो गया, साहब। स्टेट-कैरिज जोड़ा हुआ नहीं है, मन्त्री महोदय ने अपने अमेन्डमेंट से जोड़ दिया है। इसलिये मैं ठीक समझता हूं। मेरा संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री रतनलाल ताम्बी ने प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री राजबहादुर : मुझे संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाव।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री राजबहादुर ने प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री राजबहादुर : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री घनश्याम जैन।

(अनुपस्थित)

श्री दीपेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री माणकमल मेहता।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री नानूराम कुमावत।

(अनुपस्थित)

मन्त्री महोदय !

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा है, यह ध्यान में आया है कि जो कान्ट्रेक्ट कैरिज है, वह स्टेट कैरिज के साथ सम्मिलित नहीं है और कान्ट्रेक्ट कैरिज को जो टैक्स देना पड़ेगा वह दूसरी तरह से देना पड़ेगा उनको तीन महीने का एडवांस देना पड़ता था जो मैं पहले लाया था उसके अनुसार। अब इसमें ऐसा है कि स्टेट कैरिज मंथली देते हैं, उसी तरह से कान्ट्रेक्ट कैरिज भी देंगे। इसलिए दूसरा जो है "on otherwise" वह हटा दिया जाय तो उससे बस ऑपरेटर्स को कोई फायदा ही है। मैंने सोचा, उनको भी राहत मिले। 'otherwise' का मतलब है राज्य सरकार आदेश करेगी, कोई डी0टी0ओ0 या आर0टी0ओ0 को पावर दे देगी, जैसे इन लोगों ने मिलकर जिनकी दिक्कतें थीं, मुझे बतायी थीं उसको मैंने वाजिव समझा और इसलिए अमेण्डमेंट मूव कर दिया, अपनी तरफ से।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रभारी मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

((स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि जो श्री राजबहादुरजी ने.... वापस कर दिया इन्होंने क्या ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : वह तो गया।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : विथड्रा होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : आपने अनुमति दी क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति दे दी।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 5 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 6 और 7 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 और 7 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 और 7 स्वीकार किये गये।

खण्ड 8। श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर : खण्ड 8 में संशोधन करने की बात नहीं है। इसमें इन्होंने पांच रुपये रखा है।

(व्यवधान)

अच्छा, साहब माफ किया। नहीं करता प्रेस।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो बिल प्रस्तुत किया है, उसमें 5 रुपये प्रतिदिन, फाल्ट होने पर पेनल्टी का प्रोविजन है। मैं कहना चाहूंगा कि ट्रांसपोर्ट में इस भार का सबसे पहला कारण आपका असेसमेन्ट में देर होना है। पैसे में नहीं होने, यह पेनल्टी इतना बड़ा भार है कि रकम का इन्ट्रेस्ट भी कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि या तो इसको हटा दिया जाय और यह नहीं हो तो कम से कम एक रुपया रोज रखा जाय। पांच रुपये तो बहुत बड़ी बात है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम जैन।

(अनुपस्थित)

श्री दीपेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल मोदी।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री माणकमल मेहता ।

(अनुपस्थित)

श्री तानूलाल कुमावत ।

(अनुपस्थित)

कोई नहीं बोले । प्रभारी मन्त्री ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रोविजो पहले भी था और अब भी थोड़ा सा-गौर से माननीय सदस्य, अगर इस पर विचार करें तो 10 तारीख तक टैक्स जमा कराने की आजकल भी एक व्यवस्था है कि 31 तारीख तक टैक्स ले लेंगे । 10 दिन बाद टैक्स जमा करते हैं और 15 तारीख को रिटर्न देते है, जब 10 तारीख को टैक्स दे देंगे तो 5 दिन बाद रिटर्न देने का क्या कारण है ? कोई कारण समझ में नहीं आता । क्या किसी को भी छूट देने से फिर दूसरी बात होगी । इसलिए अधिकतम सीमा है पांच रुपये की और पर डे अगर पेनल्टी होगी ही नहीं तो रिटर्न नहीं देंगे । और 12 महीने तक रिटर्न नहीं देंगे तो हमें क्या मालूम पड़ेगा ? इसलिए यह समय पर रिटर्न दे देंगे । साल भर में एकाध रिटर्न देर से देगा तो खुद ही कम लगायेगा । पांच रुपये तो ज्यादा से ज्यादा है । दो रुपये और एक रुपया भी लग सकता है, वार्निंग भी दे सकता है और कम भी कर सकता है । कोई पाबन्दी नहीं है । पांच रुपया तो अधिकतम है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह संशोधन श्री रतनलाल ताम्बी....

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : तो ठीक है ।

प्रश्न यह है कि श्री रतनलाल ताम्बी ने खण्ड 8 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रस्ताव प्रदान की गई ।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 9 और 10 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 और 10 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 और 10 स्वीकार किये गये ।

खण्ड 11–श्री राजेबहादुर ।

श्री राजबहादुर : इसमें मैं संशोधन प्रेस करूंगा क्योंकि इसमें अपील का अधिकार बिलकुल ले लिया है और स्टे का भी प्रोविजन नहीं है। ऐसा है चाहे रिपीट कर देंगे लेकिन अपील का अधिकार नहीं लेना चाहिए, न स्टे का लेना चाहिए। रिलीफ की गुंजाइश रखनी चाहिए, ऑपरेटर्स को There is no reason why they should be deprived. इसका मतलब यह होगा कि You are depriving them from their right. इसकी तरह भी यह हो जाता है। I don't understand why you are depriving them.

मैं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं "part (ii) of the clause be deleted."

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, पहले ऐसा था कि कोई ऐसी अपील कर देता था तो अपील करते ही स्वतः स्टे हो जाता था और हमारा टैक्स वसूल नहीं हो पाता था। अब हमने ऐसा कर दिया कि अपील करने का अधिकार नहीं छीना, हमने कहा, अपील में जाइये परन्तु टैक्स जमा करा जाइये। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य पढ़ रहे थे कि कितना रुपया लोगों की तरफ बकाया रह गया इसलिए यह हमने कर दिया कि पूरा जमा कराओ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 11 में श्री राजबहादुर द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 11 स्वीकार किया गया।

खण्ड 12 से 15 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 से 15 स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

खण्ड 12 से 15 स्वीकार किये गये।

खण्ड-16 श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड-16 में मेरा निम्न संशोधन प्रस्ताव है :

In Schedule-A sought to be added,-

(i) in column 3 of	1 (a) The expression "Rs. 0.15 Paise" shall be substituted for the expression "Rs. 0.30 Paise"

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(ii) in column 3 of	1 (b) The expression "Rs. 0.20 Paise" shall be substituted for the expression "Rs. 0.40 Paise"
(iii) in column 3 of	1 (c) The expression "Rs. 0.25 Paise" shall be substituted for the expression "Rs. 0.50 Paise"
(iv) in column 3 of	1 (d) The expression "Rs. 0.30 Paise" shall be substituted for the expression "Rs. 0.60 Paise"
(v) in column 3 of	2 (i) The expression "Rs. 500-/" shall be substituted for the expression "Rs. 750/-"
(vi) in column 3 of	2 (ii) The expression "Rs. 250/-" shall be substituted for the expression "Rs. 450/-"
(vii) in column 3 of	2 (iii) The expression "Rs. 200/-" shall be substituted for the expression "Rs. 375/-"
(viii) in column 3 of	5 (2) (a) The expression "Rs. 200/-" shall be substituted for the expression "Rs. 250/-"

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(ix) in column 3 of	5 (2) (b) The expression "Rs. 300/-" shall be substituted for the expression "Rs. 350/-"
(x) in column 3 of	5 (2) (c) The expression "Rs. 500/-" shall be substituted for the expression "Rs. 900/-"
(xi) in column 3 of	5 (3) (e) The expression "Rs. 150/-" shall be substituted for the expression "Rs. 180/-"
(xii) in column 3 of	5 (3) (f) The expression "Rs. 0.20 Paise" shall be substituted for the expression "Rs. 0.60 Paise"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे बिल को जो प्रस्तुत किया गया है, इसमें सबसे ज्यादा कठिनाई, दिक्कत और परेशानी जुड़ी हुई है। सौभाग्य से कहें या दुर्भाग्य से, मैं इस व्यवसाय के बारे में अनुभव रखता हूं और मैं इससे सम्बन्धित हूं इसलिये कुछ विस्तार से आपको निवेदन करना चाहूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के मोटर मालिक संघ के सभी लोगों ने मिलकर तत्कालीन यातायात मन्त्री महोदय माननीय प्रभाकर जी से गत वर्ष मांग की थी कि अभी जो असेसमेन्ट के तौर तरीके और असेसमेन्ट की पद्धति है, इससे, मन्त्री महोदय, यह व्यवसाय काफी प्रभावित है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह सारा असेसमेन्ट का तरीका, टैक्स की वसूली और लगाने का तरीका भ्रष्टाचार से परिपूर्ण रहता है। बहुत सारे बन्धु इस बात को मानकर चलेंगे। मैं इसको स्वीकार करना इसलिए भी उचित समझूंगा, क्योंकि माननीय मन्त्री महोदय ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ए क्लास पर 78 पर्सेन्ट और बी क्लास पर 63 पर्सेन्ट ऑक्यूपेन्सी पर वह सारा टैक्स आता है। माननीय मन्त्री महोदय ने

(श्री रतनलाल ताम्बी)

यह भी फरमाया कि ग्रभी जो रेट्स लगायी गयी हैं, वह वर्तमान किराये में ग्रौर यात्री कर पर मिलाकर लगायी गयी हैं। ग्राप ग्रौर हम सब जानते हैं, यात्री कर ग्रौर टैक्स लगाने के बाद सौ पर्सेन्ट के हिसाब से यह वसूली होगी। ग्रभी 75 पर्सेन्ट ए-क्लास में ग्रौर बी-क्लास में 55 से 60 ग्रौर सी क्लास में 45 पर्सेन्ट के ग्रासपास होता था ग्रौर इसी बचत से मोटर मालिक ग्रपनी बसों को ठीक प्रकार से चला पाते थे। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, ग्राज टैक्स की चोरी की बात कर रहे हैं, टैक्स की चोरी करना एक तरह से ग्रपराध है। पर मजबूरी क्या है, यह भी मैं ग्रापके सामने निवेदन करना चाहता हूं। पहला नीवेदन यह है कि मोटर मालिक स्वयं मोटर चलाते नहीं हैं, नौकरों के भरोसे पर मोटरें चलती हैं, चोरी करने में सबसे पहले उनका हाथ रहेगा। वह कितना लाकर मोटर मालिक को देगा, एक सवाल यह सामने है। दूसरा सवाल यह सामने है कि ग्रसेसमेंट करने की पद्धति ग्रलग-ग्रलग डिस्ट्रिक्ट में, ग्रलग-ग्रलग तौर तरीके हैं, उस सब में भ्रष्टाचार सारा घुसा हुग्रा था। इसीलिए हम बराबर कहा करते थे कि मोटर मालिक लाखों रुपयों का धन्धा करने के बावजूद भी सरकार की निगाह में चोर कहलाता है। इस चोरी से बचने के लिए, चोर कहलाने से बचने के लिए यह यूनिफिकेशन वाली बात राजस्थान के मोटर मालिकों की ग्रोर से थी, न कि सरकार की ग्रोर से थी। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि माननीय यातायत मन्त्री महोदय ने इस बात को गम्भीरता से चिन्तन करने के बाद यूनिफिकेशन वाली पद्धति को स्वीकार किया ग्रौर उसके साथ-साथ सरलीकरण, समानीकरण सब तरह की बातें सामने ग्राई हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरलीकरण हुग्रा, एक हद तक इसको स्वीकार करने में कठिनाई नहीं है। लेकिन इन सारी बातों को वर्क ग्राउट करेंगे तो निश्चित रूप से ग्राज के दिन प्राइवेट ग्रॉपरेटर्स के यहां से टैक्स की रकम राज्य के खजाने में सात करोड़ रुपया ग्राती है। मन्त्री महोदय यह बतायें कि टैक्स ग्रौर यात्री कर मिला कर हम ले रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं लगाया। ग्राप ग्रौर हम सभी इस बात को ग्रसेस करके देख लें कि इस नई पद्धति से 14 करोड़ रुपया राज्य के खजाने में पहुंचेगा। सात करोड़ रुपया कहां से ग्राएगा? कैसे मोटरें चलेंगी? ये सारे प्रश्न काफी गंभीरता से विचारणीय हैं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मन्त्री महोदय हम लोगों से भी मिले, ग्रॉफिसर्स से भी मिले, इन सारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद कुछ बातों के लिए उन्होंने एहसास किया ग्रौर यह माना कि वास्तव में कुछ बातें इस प्रकार की हैं जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। तो मैं सुझाव के तौर पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी बात....

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : ग्रापको बताना चाहिए कि ग्रापकी उनसे क्या बात हुई।

श्री रतनलाल ताम्बी : हमारी बात, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

भाई, एक मिनट के लिए सुन लीजिए। कोई बात कह रहा हूं, शांति से कहने दीजिए। तैयारी कर रखी है, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि राजस्थान में मध्य प्रदेश की प्रणाली को अपनाया गया है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। आर्डर आर्डर।

श्री रतनलाल ताम्बी : राजस्थान में मध्य प्रदेश की प्रणाली को अडॉप्ट किया गया है। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं...

(व्यवधान)

राजस्थान की कर व्यवस्था में और मध्य प्रदेश की कर व्यवस्था में अन्तर है, इस बात को स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है। पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको बोलने दीजिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं है। जो संशोधन इनको देना हो वह संक्षेप में दे दें। यह तो भाषण दे रहे हैं। जो भी आपकी मन्त्री महोदय से बात हुई है वह बता दें। या फिर आपकी बात हो गई मन्त्री महोदय से तो फिर क्या कह रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : इतने लम्बे भाषण का कोई औचित्य नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : सारी बातें इसी में तो हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामसिंह विश्नोई : कौन सी बात हुई है, मन्त्री महोदय बतायें हमको।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अभी वापस ले लेंगे। फिर क्यों इतना लम्बा भाषण दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि धारा 16 के अन्तर्गत जो शिड्यूल है, अनुसूची है उसमें यह निवेदन करना है कि 21 पैसे की अधिकतम रेट मन्त्री महोदय ने प्रस्तावित की है और नोटिफिकेशन भी इसके बारे में 21 पैसे का निकाला है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं, माननीय सदस्य। बातें नहीं।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं यह चाहूंगा और इस हिसाब से मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि अभी मन्त्री महोदय ने जो प्रस्तावित किया है उसको 30 की जगह 15 पैसे मैक्सिमम ए क्लास रूट पर रखा जाय, इसी तरह से बी क्लास और सी क्लास रूट हैं, उन पर मेरा निवेदन है कि उसकी रेट 12 पैसा रखी जावे। इसके साथ-साथ वर्षाकाल के बारे में है। इस साल आपने दो महीने माना है। बरसात कानून के अनुसार कोई स्थायी नहीं है कि दो महीने ही होगी। हमारी परम्परा से तीन मौसम माने गए हैं, चार-चार महीनों के, वर्षाकाल, सर्दी और ग्रीष्म काल। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक ऑफ सीजन की बात है वास्तव में बरसात के दिनों में ट्रैफिक कम चलता है। शादियां कम होती हैं और दूसरे कामों में लगे रहने से, खेती बाड़ी में लगे रहने से कम यात्रा होती है। इसलिए मध्य प्रदेश की प्रणाली को आपने अडॉप्ट किया है तो चार महीने की छूट हो और उन दिनों में 25 पर्सेन्ट की छूट भी हो।

श्री रामसिंह बिश्नोई : चार महीने हमारे यहां तो बरसात होती नहीं है....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : गाड़ियों के बाबत भी मैं निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह बिश्नोई : मेरा निवेदन है कि आप चार महीने बरसात करा दें और हम आपको टैक्स माफ करा देते हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसी तरह से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऑफ-सीजन 15 जून से माना जाना चाहिए और 15 अक्टूबर तक रहना चाहिए। बरसात का हमेशा एक सीजन रहता है। इसके साथ-साथ इसके स्थान पर इस शिड्यूल में, 6 (2) (बी) है, उसमें अभी पर-सीट पर स्पेशल टैक्स लगाया गया है, इसके बजाय....

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस खण्ड में यह संशोधन कहां है? सदन का समय क्यों बरबाद किया जा रहा है?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, Nobody to speak. Please, Let himb speak.

श्री रतनलाल ताम्बी : मन्त्री महोदय, ने 20 सीट तक की बसों का स्पेशल रोड टैक्स 175) रु0 प्रति सीट प्रति वर्ष रखा है....

(व्यवधान)

मैंने प्रस्ताव दिया है, इसके बारे में बोलने का मुझे पूरा अधिकार है। मैं चाहूंगा कि मुझे शांति से सुना जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

(228)

श्री रतनलाल ताम्बी : बीस सीट तक की कैपेसिटी जिसकी है उसके 175) रुपया और उसके बाद पांच-पांच सीट के आधार पर उसके आगे फ्लेट रेट के आधार पर छः सौ रुपया प्रति सीट रखी गई है। यह राशि बहुत ज्यादा है। मेरा निवेदन है कि शिड्यूल 6 (2) (ए) में जो (ई) है उसको डिलीट किया जावे, यह मेरी मांग है। इसके साथ-साथ, इसी तरह से सिटी बसेज जो हैं उनके बारे में कुछ प्रस्ताव मेरे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वहां की परिस्थिति को देखते हुए 750 रुपया, 450 रुपया और 375) रु. की ए, बी और सी कैटेगरी की गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय राजस्थान ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के माध्यम से........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बातें नहीं करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : जो आधार है, दोनों के तुलनात्मक दृष्टि से जब मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें कई मामलो में रोडवेज के बीच और निजी मोटर मार्गों के बीच में अन्तर है। इसलिए मैं, मन्त्री महोदय, समय की कमी और वातावरण को देखते हुए ज्यादा लम्बा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके रोडवेज के और इनके बीच में कानून में कई मामलों में अन्तर है। दस किलोमीटर के बजाय पांच किलोमीटर की स्टेजेज के अन्तर के आधार पर मानने की बात भी मैं खास तौर पर निवेदन करना चाहूंगा। समय की कमी है परन्तु असेसमेंट के आधार पर, मैं कागजात लाया हूं, नयी टैक्स प्रणाली के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। अभी वर्तमान मे आपका असेसमेंट 20602 रुपये का है मोटर मालिकों से, 16896 रुपया जमा करायें वहां अब 51018 रुपये 24 पैसे वसूल करेंगे। इस तरह से कुछ मिलाकर 304·6 रुपया डेढ़ सौ प्रतिशत से अधिक पैसा; वर्तमान में जो टैक्स आपके असेसमेंट के आधार पर दिया जा रहा है, उससे अधिक लिया जाएगा। यह चार्ट मैं आपको प्रस्तुत कर चुका हूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसी तरह से कई रूट्स को आप देख लें, कहीं डेढ़ सौ पर्सेंट, कहीं दो सौ पर्सेंट, कहीं 175 पर्सेंट तक ज्यादा लिया जाएगा। इसलिए आपकी यह बात तो स्वागत करने की है कि जितना आज की तारीख में किराया और उसके साथ टैक्स मिला कर बनता है उतना राजस्थान के मोटर मालिकों को देने में किसी को कोई एतराज नहीं है परन्तु इसका भी पर्सेन्टेज के आधार पर जो असेसमेंट था उसको आप दूर नहीं रखें, उस पर आप गम्भीरतापूर्वक विचार करें। वैसे मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मन्त्री महोदय से जब-जब भी मिले हैं उन्होंने इन समस्याओं को बहुत गम्भीरता से सुना है, जैसा में निवेदन कर रहा

(व्यवधान)

हूं, इन प्रश्नों पर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और जो संशोधन यहां प्रस्तुत किये हैं, इन संशोधनों को उन्हीं परिप्रेक्ष में आप लेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। श्री घनश्याम जैन।

(अनुपस्थित)

श्री दीपेन्द्रसिंह

(अनुपस्थित)

श्री माणकमल मेहता

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल मोदी

(अनुपस्थित)

श्री नानूराम

(अनुपस्थित)

श्री रामसिंह विश्नोई : इन सबको गलती महसूस हो गई इसलिए चले गए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिहारीलाल पारीक ! बोलेंगे ?

(व्यवधान)

श्री बिहारीलाल पारीक : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं जानता हूं लेकिन समय के अभाव में दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

वास्तव में मंत्री महोदय ने जो टैक्स लगाया उनकी भावना है कि भ्रष्टाचार मिटे। लेकिन एक निवेदन मैं यह कर रहा हूं कि आपने टैक्स तो लगा दिये, पास भी हम कर देंगे कोई झंझट नहीं परन्तु एक लीकेज भयंकर है कि ये मोटर मालिक जो वहां पर उनकी मोटरें चलाते हैं उनके साथ लूट होती है, वह उनके लिए राठौड़ी टैक्स है। इसके लिये अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो गजब हो जायेगा। कहीं भी इन्सपेक्टर खड़े होकर सौ-सौ रुपया उनसे ले लेते हैं। ये थानेदार उनकी बसें ले जाने की बात करते हैं। यह टैक्स देने में उनको कोई तकलीफ नहीं है। यह तो यों ही कहा जा रहा है कि हमारा टैक्स कम हो। जैसे यह कह रहे थे कि परमिट बनाते हैं, पर्सनल परमिट थोड़े दिनों के लिए। जो उनकी गाड़ी जाती है, दिल्ली-जयपुर आते जाते हैं, उस टैक्स में थोड़ा ज्यादा बढ़ाया गया है। उसमें उनका कहना है कि पहले हमारा एक था और अब ढाई गुना कर दिया है इसको कम किया जाय। कम करें या नहीं करें, लेकिन लीकेज वहां पर है, अत्याचार वहीं पर है राज्य सरकार के अधिकारी इनको लूटते हैं, बुरी तरह से लूटते हैं। दो हजार रुपया इनका एक इंसपेक्टर कमाता है, मैंने भी देखा है। मेरी कोई गाड़ियां नहीं हैं। पर वास्तव में बहुत अन्याय हो रहा है इसलिए आपके माध्यम से मैं पैरवी कर रहा हूं। एक और निवेदन है, भावणा को कोई काम्पीटिशन नहीं है। जिनकी बसें चलती हैं, जो कमाते हैं वे तरकीब से कमाते हैं, जो अपन बन्द कर रहे हैं तो क्या होगा कि वे जितनी भी हम लोगों को सुविधा दे रहे हैं वह कम हो जायेंगी। मैंने देखा है, बसों के रिजर्वेशन के लिए पैसा दे देते हैं तो हो जाती है और पैसा नहीं देते हैं तो अच्छी बसों का भी नहीं होता। 20-20 बार

(श्री बिहारीलाल पारीक)

चक्कर लगाने पड़ते हैं इसके लिए इनको सबक मिलना चाहिये। मुझे मालूम है मंत्री महोदय बहुत सजग हैं और बहुत अच्छी बात करने जा रहे हैं।

मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र के बारे में पिछली बार भी मैंने प्रश्न रखा था कि इनकी सरकारी बसों का माण्डल और भीलवाड़ा के बीच में रूट है कई बार इनकी बसें रुकती नहीं। गये साल भी मैंने शिकायत की थी, अधिकारियों से कहा था लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें ताकि यातायात असुविधा मिट सके। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, मौसम नहीं है इसलिए बन्द कर रहा हूं। वास्तव में जो दोनों टैक्स एक कर दिये, उसका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री जी।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 2–3 बार कह दिया कि यह शिड्यूल अधिकतम सीमा का है। मैंने सभी बातें सुनी हैं देखी हैं इसलिये सब बातों पर विचार किया जायेगा। अगर बसेज नहीं चलेंगी तो मैं टैक्स लगाऊंगा किस पर? तो उन्हें भी खयाल में रखना है और राज्य सरकार का टैक्स वसूल होता है वह भी राज्य के खजाने में जाय, दोनों ही बातों का ध्यान रखूंगा। असेसमेंट प्रणाली के अन्दर यह दोष नहीं होते, जैसा उन्होंने कहा है तो विधेयक को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? इसलिए जो कुछ भी विभाग के खिलाफ शिकायतें हैं, इंसपेक्टर या दूसरे लोग अनियमितताएं करते हैं उसकी माननीय सदस्य दूसरे प्रकार से शिकायत करें। फिर अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो उनको कहने का अधिकार है। शिड्यूल मैंने अधिकतम सीमा का दिया है। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पैसेन्जर टैक्स सरकारी खजाने में आय और बस ऑपरेटर्स को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका मैं खयाल रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो माननीय सदस्यों ने संशोधन पेश किये हैं उसको वापस लें और इसको पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री रतनलाल तांबी और अन्य सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, वे स्वीकार किए जायं?

श्री रतनलाल तांबी : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय केआश्वासन से मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय। संशोधन प्रस्ताव वापस लेने से पहले हाउस से इजाजत लेनी पड़ेगी, उसके बाद वापस ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री रतन लाल तांबी और अन्य सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, जिनको विथड्रा करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

अनेक माननीय सदस्य: No, No.

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप डिवीजन क्लेम करते हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, डिवीजन क्लेम कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : डिवीजन की घंटी बजावें।

(मत विभाजन घंटी)

मैं दुबारा पढ़ देता हूं।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री रतनलाल तांबी ने खण्ड 16 में प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी गई।

श्री रतनलाल तांबी : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 16 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत) .

खण्ड-16 स्वीकार किया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करूंगी कि ध्वनि मापक यंत्र लगाये जायें अन्यथा हमारा स्वर बहुत तेज है उनका मद्दिम है। हमारे स्वर को मान्यता न हो....

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 17 में संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 17 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड 17 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री जयकृष्ण शर्मा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : यह कहिए, संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान रमोटयान

(232)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982 संशोधित रूप में पारित किया जाये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि यहां पर मंत्री महोदय ने....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने दो प्रस्ताव रखे गये। मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूं, किस प्रस्ताव पर विचार किया जाये ?

श्री उपाध्यक्ष : बोनाफाइड मिस्टेक हो गई है। संशोधन पेश करने में होती है। संशोधन पास हो गये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने दो प्रस्ताव हैं, किस पर बोलें ?

श्री उपाध्यक्ष : संशोधित रूप में....

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले वाले का क्या हुआ। Is it pending ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। डा० उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से यह आग्रह किया था कि आप जो टैक्स लगाने जा रहे हैं, उसमें ऑफ-सीजन की परिभाषा चार महीने रखी जाये परन्तु उन्होंने मेरे सुझाव का मजाक उड़ाया। बरसात का सीजन चार महीने का होता है। ऑफ सीजन बरसात को मानते हैं। यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि राजस्थान में अधिकतर रेतीले टीले हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र है, में जिस समय आंधियां चलती हैं पूरा मार्ग समतल-असमतल हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या केवल जयपुर को ही राजस्थान मानती हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपके निर्वाचन क्षेत्र में भी घूमी हूं, जहां हवाएं चलती हैं। मान्यवर, हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने जयपुर विकास प्राधिकरण का बिल प्रस्तुत किया है उसमें नगरीय विकास के अलावा समुद्र विकास की बात कही है। यह समुद्र कहां से आ गया ? उन्हें समुद्र दिखाई दे रहा है और इन्हें रेत के टीले नजर आ रहे हैं। चार महीने तक आंधियां चलती हैं। इसलिये इस पर व्यावहारिक रूप से सोचना चाहिये। लेकिन व्यावहारिक रूप से विचार नहीं किया। इसलिये मैं पुनः आग्रह करती हूं कि ऑफ-सीजन की परिभाषा चार महीने ही हो। आप यह परिभाषा दो महीने की बना रहे हैं, इसको चार महीने की मानें। श्राद्ध पक्ष चलता है 16 दिन और इसमें कोई इधर-उधर नहीं जाता है, कोई मांगलिक काम इन दिनों नहीं होता है। इसलिए यातायात भी नहीं होता है तो बस वालों को इनकम नहीं होगी। जो रेत के टीले हैं, सुमेरपुर पंचायत जयपुर जिले में हैं, वहां पर रेत से रास्ता इतना खराब हो जाता है कि कभी इधर और कभी उधर टीले बन जाते हैं और इससे मार्ग

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए ऑफ-सीजन की चार महीने की परिभाषा दें। इनको तो कोई गड़बड़ नजर नहीं आती है। हमने जो संशोधन, सुझाव दिए उनको आपने स्वीकार नहीं किया और आप अब तीन, चार संशोधन ले आये। प्रारम्भ में मंत्री महोदय इसको नकारते रहे। हमने उल्लेख किया तो उसको नहीं माना और आप संशोधन ले आये। आप कहें वह सही और हम कहें वह गलत– यह आपका नजरिया है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। जिसके पास बुद्धि है, अच्छे सुझाव हैं, मैं तो यह मानती हूं कि वह उससे लेना चाहिए और इनसे राजस्थान की जनता को आराम देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, पक्के मार्ग और कच्चे मार्ग दोनों मार्गों पर मत्री महोदय ने बराबर टैक्स बढ़ाया है। यह गलत है। गरीब आदमी से अमीर आदमी जितना टैक्स वसूल करेंगे, यह ठीक नहीं है। कच्चे रास्ते पक्के नहीं कराये गए हैं। इसका कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया गया है कि किन किन मार्गों को आप खुलवा रहे हैं और बसों को क्या सुविधा देंगे—

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सदस्य सो रहे हैं।....

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी रात तक नींद नहीं आयेगी ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अपनी योजना बतावें कि कच्चे मार्ग और पक्के मार्ग पर क्या-क्या सुविधा करने वाले हैं। कुछ नहीं है। कच्चे मार्ग है फिर भी 30 पर्सेन्ट लगा दिया है। आप सुविधा नहीं देंगे। उन पर इतना टैक्स लगा दिया यह ठीक नहीं है।

जयपुर में जो सिन्धी कैम्प बस स्टैण्ड है वह सबसे बड़ा है परन्तु वहां पर भी कोई पूरी व्यवस्था नहीं है। लोग, यात्री गिर जाते हैं। शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कोई खिड़की की व्यवस्था नहीं है। जो पूछ-ताछ का दफ्तर है वहां पर घूम कर जाना पड़ता है। वह मालूम नहीं पड़ता है। ऐसी अवस्था है और ऊपर से आपने लगभग सारे पर टैक्स बढ़ाया है। आप क्या कहना चाहते हैं ? क्या यह बढ़ा हुआ टैक्स नहीं है ? आपने यह जो बिल प्रस्तुत किया है उसमें बढ़ा हुआ टैक्स नजर आता है। मुझे बता दें कि आपको नजर नहीं आता है और मुझे नजर आता है। परन्तु आप कोई भी बात मानने को तैयार नहीं हैं।

श्री गुलाबचंद कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(गरण पूरक घंटी)

(गरण पूर्ति के पश्चात्)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का कोई लक्ष्य नहीं है। राजस्थान का कितना खर्चा हो रहा है, इनको कोई फिक्र नहीं है। ये तो सचेतक महोदय ने लड्डू-पूड़ी मंगवा दी वह खा रहे हैं। इनको जनता की सेवा करने की कोई परवाह नहीं है। मेरा एक सुझाव है, जो टैक्स लगाया नगरीय में और ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मार्ग पर लगाया है, मैंने तीन परिभाषाएं प्रारम्भ में पढ़कर सुनायी थीं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

ध्यान देकर सुने, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी, इनमें आपको रेट इस प्रकार रखनी चाहिए ए श्रेणी में 15 पैसे प्रति सवारी प्रति 10 किलोमीटर पर....

(व्यवधान)

कोई नहीं सुन रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी बात को अपनी बात में रख कर कह दें, आप....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि 10 बज रहे हैं कोई वित्त विधेयक नहीं है, कोई डिमान्ड्स नहीं है कोई ऐसा मसला नहीं है कि आज की आज ही इस विषय को पास करना आवश्यक हो। ऐसे समय में, इस प्रकार से बैठने से क्या मतलब है ?

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय आज का बिजनेस समाप्त नहीं हो तब तक के लिए बढ़ाया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : समाप्त होने से मतलब क्या है ? इसका कोई अर्थ ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : यह व्यवस्था दे दें कि आज का बिजनेस पूरा हो गया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : सत्ता पक्ष के 15 लोग ही बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उससे क्या होता है ? कोरम तो दोनों को मिलाकर बनता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इनकी कोई रुचि नहीं है कि सदन की कार्यवाही चले। ये इतनी सी संख्या में बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इससे मुझे कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से तो कोरम है इसलिए कार्यवाही चल सकती है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमारा आपसे निवेदन है कि आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इसका मतलब यह है कि इनका मूड नहीं है। इनका मन तो पूड़ियों में है। आप इनकी भावनाओं को समझें। इन परिस्थितियों में कोई काम किस प्रकार हो सकता है ? मेरे कहने का मतलब तो यह है कि आज की कार्यवाही नहीं चले। आप यहीं सभा समाप्त कर दें, यही मेरा मतलब है।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आप भी तो अपना कर्त्तव्य निभाइये।

श्री उपाध्यक्ष : बाधा न डालें, माननीय सदस्य। एक महिला बोल रही हैं उनको सुनें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह सुझाव देना चाहूंगी कि जो पक्के मार्ग हैं ..

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : पक्के-कच्चे सब हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनको ताड़ना दीजिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और माननीय मुख्य सचेतकजी को भी, जो कि सदस्यों को यहां से उठाकर पिछले कमरों में ले गये डिब्बों के पास में। कोई सुनने वाला नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : अपनी बात कहें आप तो। मैं सुन रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिए कह रही हूं कि यह सब उसके लिए चर्चा कर रहे हैं, आप व्यवस्था दें, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मेरा एक सुझाव था, मंत्री महोदय, जो अच्छी रोड हैं, जो ठीक रोड हैं उन पर तो 15 पैसे प्रति 10 किलोमीटर के हिसाब से रखें और जो कुछ खराब हैं वहां पर 10 पैसे प्रति 10 किलोमीटर के हिसाब से रखें....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, ये मजाक कर रहे हैं, इनका मूड ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : बहुत अच्छा मूड है।

श्री उपाध्यक्ष : समय का ध्यान ही रखें।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : समय का आपको ध्यान रखना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके सहयोग के बिना क्या कर सकता हूं। सहयोग दें, कृपया।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या ध्यान रखें? आपने तो एल० एम० बी० से मंगा कर खा लिया। उन गरीबों का तो ध्यान रखो जो यहां पर खड़े हैं, सुबह सात बजे से आ जाते हैं। हमको तो भूखों मरना है तो मर जायेंगे, हम तो डायटिंग भी कर लेंगे। लेकिन उन गरीबों का ध्यान रखो, वे सात बजे से आये हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं। क्या बात कर रहे हैं? माननीय सदस्या को जल्दी खतम करने दें।

(व्यवधान)

D-38

श्री दाऊदयाल जोशी : समय खराब नहीं कर रहा हूं। आपने तो एल. एम. बी. से मंगा लिया, ये गरीब तो होटल में खाने जायेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यहां से जायेंगे तो होटल भी बन्द मिलेंगे। ये अब जायेंगे और फिर सुबह सात बजे आयेंगे। आज भूखों रहेंगे और कल भी भूखें आयेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य सही कह रहे हैं, प्रहरी हैं.... -

श्री उपाध्यक्ष : आप तो अपनी बात कह दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने अपनी बात में इनकी बात भी मिला दी है और फिर कह रही हूं एक तो रोड्स को सुधारें और रोड्स के लिये एक मास्टर प्लान बनाया जाय जिस पर उसी हिसाब से टैक्स लगाया जाय। आपने जो टैक्स लगाया है वह ठीक नहीं है। मेरा आपको सुझाव है कि कुल 10 किलोमीटर पर 10 पैसे प्रति सीट के हिसाब से रखे और मैंने जो सुझाव दिया है उसको मानें। मंत्री जी, यह जरूरी है, व्यावहारिक है। एक तो जो रोड्स के हिसाब से टैक्स लगाने का सुझाव और एक जो चार महीने आफ सीजन करने का सुझाव रखा है उसका उत्तर दें। साथ ही इस बात का उत्तर दें कि आपको बढ़े हुए पैसे की कितनी अनुमानित आय होगी। जो पैसा बताया है उससे कितनी आय होगी और जो मैंने बताया है उससे आपको कितनी आय होगी। अगर इनको नहीं करते हैं तो इसको पास नहीं किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : हम बोलेंगे। पहले ये बोलेंगे और फिर मैं बोलूंगा।

एक माननीय सदस्य : उजलाजी ने कह दिया है कि मंत्री जी उत्तर देंगे। फिर क्या है।

श्री दाऊदयाल जोशी : नहीं कोई जरूरी नहीं है। सबको बोलने का अधिकार है। रात को दो बजे तक चलायेंगे, चलाइये।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, बोलिये। आप शान्त रहें, आपको भी मौका मिलेगा :

(व्यवधान)

शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप लोगों ने तो खा भी लिया और ठूंस भी लिया। बात करते हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी तक नहीं आये हैं। उनके उत्तर दें। एक तो हमारे जो पास के स्टेट्स हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, पंजाब हो या दिल्ली हो उनके यहां पर क्या इसी पैटर्न पर टैक्स है ? है तो हमारे यहां पर कम्पेरिजन में कितना ज्यादा टैक्स है ? इसमें क्या अन्तर है ? उनके और हमारे में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कितना गैप है ? अगर बहुत बड़ा अन्तर है तो क्या इसका असर हमारे ट्रान्सपोर्ट पर होने की कोई सम्भावना नहीं है या है ? एक तो यह जवाब दें। दूसरा, एक आपने कहा कि 21 पैसा मैक्जिमम है। हम यह कैसे मान लें कि आप यह मैक्जिमम नहीं लगायेंगे ? अगर लगायेंगे तो इसके लिये तय कौन करेगा ? यह कौन तय करेगा कि यहां पर ज्यादा लगेगा और यहां पर कम लगेगा ? तीसरा यह है कि जो यात्री लोग जाने वाले हैं, तीर्थ यात्रा पर या शादी ब्याह पर या जो टूरिस्ट हैं उनसे आप जो पैसा ले रहे हैं वह अब तक जो 1951 और 1959 से टैक्स लगता था, पैसेन्जर टैक्स और रोड टैक्स दोनों को मिलाकर कर दें। 175 रुपया कर रहे हैं तो यह कम्पेरीजन में कितना हो गया ? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम तो बढ़ा ही नहीं रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। सुझाव दे रहा हूं कि जो हरिद्वार जयपुर से लोग जाते हैं उनके लिये कोई सीधी बस व्यवस्था नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी व्यवस्था करें, वहां तो आपको भी जाना है।

उस स्थिति में मेरा अनुरोध यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : बातें नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : ....जयपुर से सीधी बस सेवा हरिद्वार के लिए करें। हमको तो कम सुविधा मिलेगी, आपको बहुत सुविधा मिलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री परसराम मोरदिया : अभी आप कह रहे थे कि ऊपर वालों का ध्यान रखो।

श्री हंसराज शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़े-बहुत सुझाव हैं जिनकी ओर मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। आपने सरलीकरण का जो कानून बनाया है, नियम बनाये हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं सरकार को भी इसके लिए बधाई देना चाहूंगा, उसमें, पहले मंत्री जी को दे दूं। आपने 3 सरलीकरण किए हैं। एक, आपका स्वयं का व्यक्तिगत, दूसरा, सरकार का, तीसरा सरलीकरण हत्याकरण का। 3 सरलीकरण किए हैं। जितने ट्रान्सपोर्टर हैं, बस मालिक हैं, उनका हत्याकरण किया है। सरकार का सरलीकरण और आप स्वयं का भी सरलीकरण किया है। इस प्रकार की आम जनता में धारणा है।

उपाध्यक्ष महोदय, शहर में सी.टी.एस. जब आप बन्द करेंगे, उससे पहले आपने बहुत बड़ा उपाय सोचा है। वह उपाय क्या है कि सारे शहर में जितनी भी रोडवेज बस चल रही थीं, उन रोडवेजों को आपने विभाग से, अपने कर्मचारियों से चलाने में असमर्थता प्रकट की। असमर्थता प्रकट करने के बाद उन रूटों पर जो सरकारी गाड़ियां, टंडीरे चल रहे थे उनको बंद कर दिये। बंद करने का कारण क्या था ? यह जो बड़े डीलर थे, जिनकी मिनी बसें या अन्य प्रकार की मेटाडोर गाड़ियां थीं, जो करोड़ों रुपयों का स्टाक था, उसको निकालने की कोशिश है। इस मामले में भ्रष्टाचार की गंध आती

(श्री हंसराज शर्मा)

है। मैं चार्ज लगाता हूं, जिन कम्पनियों के पास करोड़ों रुपयों का सामान स्टॉक में पड़ा था, उनसे मिल कर के रोडवेज की गाड़ियां बंद करायीं, प्राइवेट, मिनी बस वालों को परमिट दिये, परमिट देकर गाड़ियां चलायीं और इस तरह अपना सरलीकरण किया है। इस प्रकार की आम जनता में धारणा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी प्रकार से दूसरी ओर ले जाना चाहूंगा। यहां एक बात बड़े जोरों के साथ कही थी, रोडवेज में बड़ा उद्धार कर रहे हैं, आपके द्वारा जो तोहफा दे रखा है जयपुर को दिल्ली का, एयरकंडीशन, उसकी कभी एक लाइन बन्द रहती है तो कभी दूसरी चालू है, कभी तीसरी नहीं, कभी एयरकंडीशन चालू है, कभी नहीं। कभी आपने देखने का प्रयास किया? केवल डींग मारने से कुछ नहीं होगा। केवल आप यह कह दें कि सरलीकरण कर रहे हैं। हमारे जितने भी मालिक थे, कर्मचारी थे, चोर थे, चोरियां करते थे, लेकिन आप आंख मीचकर, बंद कर क्यों बैठे थे? आंखें खोली क्यों नहीं? सस्पेण्ड क्यों नहीं किया अधिकारियों को? जिनके पास गाड़ियां थीं, उनके लाइसेंस, परमिट कैंसिल किये आपने? किये क्या? आप केवल उनको परेशान करना चाहते हो। उसमें रूटों का जिक्र किया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, रूटों पर उन्हीं की परमिट बन्द करोगे जहां के नम्बर दो का रास्ता,

(10.07 रात्रि)

(श्रीमती विद्या पाठक सभापति, पदासीन)

उनके तो नहीं होंगे। उनके परमिट बन्द करोगे जो या तो खिलाफ हैं या नम्बर दो में मिलने नहीं आते हैं, यही धारणा है। आने वाले समय में लोगों को परेशान करेंगे। परेशान करने की दृष्टि से, अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में जा सकते थे, उससे भी वंचित किया है।

सभापति महोदय, मैं दूसरी ओर एक निवेदन और करना चाहूंगा। जैसे आपने नगर पालिका क्षेत्र में मिनी बसों के चार्जेज तय किये हैं, 20 सीटों पर 750, 400 और 375। अगर मान लीजिए, कोई आदमी कह देता है, इस रूट पर दो बस नहीं चलाई जायें, नियम बना रखा हैं, 750 रुपये प्रति सीट के हिसाब से टैक्स होता है, वह सम्पूर्ण टैक्स देना होगा, अगर टैक्स देगा तो जिस रूट पर 10 गाड़ियों के आवागमन का साधन है, 5 गाड़ियों के आवागमन की सवारियां हैं, वह सवारियां भरकर अकेला ले जायेगा। जितने लोग जाने वाले हैं, उसमें नीचे ऊपर इस प्रकार भरेंगे, जैसे मुर्गी खाने में मुर्गियां भरी जाती हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपकी यह परम्परा गलत है। होना यह चाहिए था कि कम सीटें रखोगे, उन पर टैक्स कम लेंगे। यदि आप टैक्स कम लोगे, और 20 सीट वाली का टैक्स कम लोगे, लोग ज्यादा गाड़ियां लगायेंगे, ज्यादा लोग नहीं भरेंगे। आपके चैकिंग करने वाले अधिकारी भी समय-समय पर चैकिंग कर सकते हैं। लेकिन चैक करने का तो प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि जब सरकार जिस तरह की होगी, वैसे ही कर्मचारी होंगे। ऐसे आदमी हों जो आपके माध्यम से आगे बढ़ें, लोगों

(श्री हंसराज शर्मा)

को बढ़ावा मिले, इस प्रकार से, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज 5 से 9 टन वाला, जो लास्ट पैराग्राफ में है, उनको इन्होंने एक बात बतायी है, जो टैक्स यहां के लोग देंगे, उनको तीन हजार रुपया प्रति वर्ष होगा, और टेम्प्रेरी परमिट के होंगे माहवार 500 रुपए, इस प्रकार तीन हजार से 6 हजार, दुगुना। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, इसका असर किस पर पड़ेगा? या सरकार को प्रोफिट होगा? लेकिन पैसा आयेगा कहां से, इतना विचार कीजिए। इसका बहुत रिएक्शन होगा। बाहर की गाड़ियां टैम्प्रेरी परमिट से माल लेकर राजस्थान में आयेंगी, ज्यादा किराया वसूल करेंगी, जब ज्यादा किराया वसूल करेंगी, माल जब राजस्थान में आयेगा, निश्चित रूप से कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन आपने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब कीमतें बढ़ेंगी, जनता से वसूल होंगी। यह क्या टैक्स नहीं है? आप चाहे इस दरवाजे से घुसो और चाहे उस दरवाजे से घुसो, मेरी तो मान्यता है कि कान चाहे आप इस हाथ से पकड़ो, चाहे उस हाथ से पकड़ो बात एक ही है।

साथ ही साथ आप बारबार टैक्स की बात करते हो, बारबार टैक्स बढ़ाते जा रहे हो, जनता के कंधे पर टैक्स बढ़ा रहे हो। आपने कभी यह भी ध्यान दिया है, मोटर मालिकों की हालत क्या है। जैसे हम कहते हैं कि 750 रुपये उस गाड़ी का प्रत्येक सीट प्रति वर्ष लगेगा लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब गाड़ी में 60 सीटें हैं, उसके हिसाब से टैक्स करें तो साल भर में 45 हजार टैक्स और देना पड़ेगा, चाहे गाड़ी की कीमत 45 हजार नहीं हो। इस प्रकार के टैक्सेज हैं उनकी वजह से नगर पालिका में असुविधा होगी। साथ ही साथ मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा। मेरा निवेदन यह है कि आपने कभी इस ओर सोचा क्या, कितने मोटर मालिक चोर हो सकते हैं, जो चोरी करें? लेकिन आपने पूछा, डीजल का क्या भाव है? आपके डीजल का भाव, जिस समय टैक्स था, उस समय क्या था और आज इतने बढ़ा रहे हैं, आज क्या है? आज एक टायर की कीमत 5 और 6 हजार रुपए है। जब आपकी कच्ची रूटों पर एक गाड़ी वाला माल लेकर जायेगा, जरा सा कच्चे में उतार गया....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

...एक टायर गया, 5 हजार रुपए का टायर फटेगा। आप बताइये, एक टायर से गाड़ी चल जायेगी क्या? टायर फटेगा, निश्चित फटेगा। सारी गाड़ी का एक्सीडेन्ट हो जायेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि टैक्स लगाने के पहले उसकी आर्थिक स्थिति की तरफ भी ध्यान दो। मैं आपसे एक आग्रह कर देना चाहता हूं राजस्थान में बराबर किराया बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ा रहे हो, जब टैक्स बढ़ेंगे तो जो गाड़ियां चलाने वाले हैं वे आर्थिक स्थिति में पिछड़ जायेंगे। वह भी संगठित हैं, राजस्थान के सारे बस मालिक इकट्ठे होकर आपके दरवाजे पर धरना देंगे तो आपको 2-5-10 दिन जैसी सरकार की नीति है, चाहे राजी से, चाहे बेराजी से झुकती है, और झुकेगी। और झुकेगी तो उनका किराया ज्यादा बढ़ेगा। किराया ज्यादा बढ़ेगा,

(श्री हंसराज शर्मा)

आपको उनको स्वीकृति देनी पड़ेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सारी बातों के आधार पर जो भी टैक्स लग रहे हैं, जो भी बढ़ रहे हैं, इससे सरलीकरण कर रहे हो, सरकार का या आपका ? जितने भी गाड़ी मालिक हैं, उनके सरलीकरण की बात कह कर राजस्थान की जनता को गुमराह मत करो।

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पूर्व की परम्परा है उसके आधार पर राजस्थान के अन्दर करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया है वह वसूल क्यों नहीं किया ? जिन अधिकारियों ने वसूल नहीं किया जिनमें आज पैसा बकाया रहा उनको सस्पैंड क्यों नहीं किया ? लेकिन आपको इस बात की चिंता नहीं है। आपको चिंता है किसी मिनिस्टर ने कह दिया मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में आर. टी. ओ. का ऑफिस खोल दो, चाहे स्वीकृति हो या नहीं लेकिन हजारों लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं। चाहे मेरे मकान का किराया कम मिलता है, चाहे अध्यक्ष हो चाहे मंत्री हो, चाहे सदस्य हो, चाहे संबंधी हो उसको सहायता, सहयोग देने के लिए आपने ऐसा कर रखा है। मैं आगाह करना चाहता हूं, आखिर में भ्रष्टाचार कहां तक चलेगा और अगर यह कह दूं कि ठेका ले लिया है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : सरलीकरण के माध्यम से राजस्थान में जितने भी मालिक हैं ट्रकों और बसेज के उनको समाप्त करना है तो यह आपकी नीति गलत होगी। आपको झुकना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। जनता पर मेहरबानी करो अकाल से पीड़ित है, आपको ध्यान नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हंसराज शर्मा : बाहर गाड़ी सीमेंट को लेकर जाएगा, उनको किराया क्या मिलेगा ? कितना किराया लगेगा ? इसलिये मेरा निवेदन है कि मेहरबानी करके जनता को बख्शिये। जो आपने किया है उस संबंध में आम जनता की धारणा है कि आपके द्वारा किये गए सरलीकरण में भ्रष्टाचार की गंध का आभास आता है।

श्री सभापति : माननीय श्री महाराम चौधरी। 5 मिनट। माननीय सदस्यों को नींद आ रही है। संक्षेप में।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य सो रहे हैं।

श्री महाराम चौधरी : यह अतिरिक्त रोड टैक्स या स्पेशल रोड टैक्स और पैसेंजर टैक्स का जो भार है।

श्री सभापति : आप नींद में तो नहीं बोल रहे हैं।

श्री महाराम चौधरी : मुझे तो नींद नहीं आई।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। अगर आपको कुछ नहीं बोलना है तो बैठ जाइए। दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने दें।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, जो एक्ट एण्ड रूल्स बनाए हैं उनके आधार पर सरकार अपना कार्य कुशलता से नहीं कर सकती तो फिर उसका जो भार है वह जनता पर डालती है। अपने काम को, क्योंकि जिस तरह से रूल्स बने हुए हैं उनका अगर सुचारू रूप से पालन कराया जाय और जो पुराने टैक्सेज बकाया पड़े हैं उनको ठीक ढंग से वसूल किया जाय तो आमदनी काफी बढ़ सकती है और पैसेंजरों को, आम जनता को इससे सुविधा हो सकती है। अब अतिरिक्त जो भार बढ़ाया जा रहा है, लगाया जा रहा है अगर वास्तव में कान्ट्रेक्ट बसेज का मूल्यांकन किया जाय तो साल भर में डिफरेंस पड़ जाता है। कहां 175 और कहां यह भार बढ़ जाता है 600 का। साल के अन्त तक का पूरा इसमें निकालें तो 3500 रु० के बजाय 12 हजार 600 रुपया उनको देना पड़ेगा। और 9 हजार एक सौ रुपया इसमें ज्यादा लग जायेगा। यह भार जाकर पड़ेगा ग्रामीण जनता पर और किसानों पर। ग्रामीण जनता, जो पहले ही अभावग्रस्त है और आप उसकी दूसरी योजनाएं सुचारू रूप से नहीं चलने देते हैं वह तो भार से पहले ही दबी हुई है उसको ही इसकी तकलीफ महसूस होगी। यह पैसा वसूल कर यदि किसानों के विकास पर लगाया जाय तो भी कोई चिन्ता नहीं लेकिन यह पैसा पूरा वसूल होगा नहीं और इस पैसे का ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों पर उपयोग होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो व्यवस्था राजस्थान रोडवेज की है उससे पैसेन्जर्स को इतनी असुविधा होती है। हमारे दूसरे साथियों ने कहा है कि बसों की हालत देखी जावे तो गन्तव्य स्थान पर कोई बस पहुंचती ही नहीं है और सिवाय हार्न्स के गाड़ी की सभी चीजें बोलती हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि जो भी अमेन्डमेन्ट आप लेकर आये हैं और यह जो भार लग रहा है उस भार को कम किया जावे और उधर टैक्स का सरलीकरण भी किया जावे जिससे आम जनता को सुविधा हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बोलना चाहें तो दो मिनट में बात कह दें।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : दो मिनट ही बोलूंगा। मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं। हम रात दिन इस राज्य परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते हैं, उस वक्त कई दफा देखते हैं कि इन बसों में जो व्यवस्था है वह सही रूप से नहीं है। जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं या कण्डक्टर हैं वे जानते हैं कि पैसेन्जर की सुविधा के लिये बसें लगाई गई हैं लेकिन मर्जी चाहे वहां रोक दी और मर्जी चाहे वहां खाली लेकर चले जायेंगे। बीच में बैठने वाले पैसेन्जर हाथ को ऊंचा करते रह जायेंगे और खाली बस चली जायेगी। उनकी तनख्वाह पक जाती है लेकिन पैसेन्जर को दिक्कत होती है।

(श्री मेरू लाल मीणा)

दूसरा, जो पैसेन्जर टिकट लेकर बस स्टेन्ड से नहीं बैठता है उसके ऊपर पांच रुपया पेनल्टी लगाने वाली बात जो रखी है, उसमें क्या होता है कि कोई पैसेन्जर दौड़ कर ठीक समय पर पहुंच जाता है बस जितने बजे जा रही है उस समय और वह जाने से पहले खिड़की से उसको जो ड्राइवर ने नम्बर दे दिया, कण्डक्टर अपनी शीट लेकर रवाना हो गया उसके पास जब पैसेन्जर पहुंचा और मुश्किल से बस पकड़ी तो उसको नीचे उतार दिया और बैठ गया। अब होता क्या है कि उस वक्त वह बैठ नहीं पाता, एक घन्टे या डेढ़ घन्टे बाद दूसरी बस मिलती है उस वक्त तक वह पैसेन्जर वहां स्टेन्ड पर ही बैठा रहता है। यह भी देखा गया है कि पांच रुपये भर कर पैसेन्जर बैठ भी गया तो अगले स्टेन्ड का वह टिकट काटेगा और पैसा लेगा वहां से पूरा। बहुत से पैसेन्जर बोलते हैं, हमने भी कई दफा बोला कि, भाई, इनको बिठा दो, इनको जाने की तकलीफ है बस चूक जायेगी अगले स्टेन्ड से तो टिकट काटेगा और पैसा पूरा लेगा वहां से। तो चोरी तो वैसे ही है, पैसेन्जर से पूरा पैसा ले लिया और उसने पांच रुपये भी दे दिये। पैसेन्जर तो मजबूरी में मारा गया। इसी हालत में जो बसों की व्यवस्था है वह ठीक नहीं है।

दूसरा, अभी जो टैक्स जमा करने की बात चल रही थी उसमें एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि रोड परिवहन निगम द्वारा जो सरकार का टैक्स है वह जमा करा दिया गया है या नहीं? और नहीं कराया गया तो क्यों नहीं कराया गया? सरकार में पैसा जमा नहीं होता है और पैसेन्जर से पैसा बराबर लिया जाता है। क्यों नहीं सरकार में जमा होता है? इसलिये मैं चाहूंगा कि यह पैसा इतना नहीं बढ़ायें। यह भी सही है कि जो गांव की जनता है वह ज्यादा पैसा बढ़ने से बसों में बैठना पसंद नहीं करती। वे ट्रकों में जाते हैं, भले ही उनकी जिन्दगी खतरे में होती हो, लेकिन उनके पास पैसा इतना होता नहीं तो वह ट्रकों में बैठकर जाते हैं। इस प्रकार जितना पैसा बढ़ायेंगे वह बसों में बैठना पसंद नहीं करेंगे।

तो बढाने से भी फायदा क्या हुआ? जितना कम किराया होगा उतनी ज्यादा बसें काम करेंगी, इनकम भी ज्यादा होगी। इसलिए किराये में बढ़ोतरी नहीं की जाय और जो पांच रुपये लगाये हैं उसकी छूट होनी चाहिये। यही मेरा सुझाव है।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय यातायात मन्त्री महोदय ने जो बिल पेश किया है उसका मैं इस रूप में तो स्वागत करता हूं कि उन्होंने जो बसों के मालिकों द्वारा चोरियां होती थीं उसको किसी हद तक कम करने की व्यवस्था की है। माननीय सभापति महोदय, मैं उनके इस कदम की सराहना करता हूं कि उन्होंने अपने विवेक को काम में लेकर इस प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने की व्यवस्था की है। माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान मैं इस विभाग के रेवेन्यू में जो बहुत लीकेज होती है उसकी तरफ

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

आकर्षित करना चाहूंगा । अगर यह लीकेज को रोकने की व्यवस्था करेंगे और कुछ कठोर कदम उठायेंगे तो निश्चित रूप से यह राजस्व दुगुना-तिगुना बढ़ सकता है। माननीय सभापति महोदय, आज डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट आफिसर हैं उनके ऊपर आर. टी. ओ. हैं और उनके ऊपर ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर हैं, इस तरीके की चेन है। अब तो यह कहा जा सकता है कि जो मौजूदा ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर हैं, बहुत ईमानदार और बड़े ही सहयोगी आदमी हैं । उनसे पहले जो ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर थे उनके टाइम पर तो नेशनल परमिट में हरेक में बोलियां लगती थीं। माननीय सभापति महोदय, इस तरह के जो तौर-तरीके थे उससे उन्होंने इस विभाग को बहुत बदनाम कर रखा था। इसी तरह से इसके साथ जुड़ा हुआ है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम । इस विभाग के उपर एक बहुत बड़ा कलंक था उसमें भी पिछले दिनों से कुछ सुधार हुआ है। जब से वहां पर यह कानून लागू करा है कि किसी भी बस स्टेन्ड से चलना पड़ेगा। अगर बस स्टेन्ड पर टिकट लेते हैं तो ठीक है लेकिन उसके बाद टिकट लेंगे तो पांच रुपया जमा कराने के बाद ही टिकट मिलेगा । माननीय सभापति महोदय, यह एक बहुत अच्छा सुझाव था, इस पर अमल होने से हमारी रोडवेज की रेवेन्यू बढ़ी है। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बारे में एक एतराज किया, उनका एतराज अपनी जगह सही है परन्तु मैं इस कदम को एप्रिशियेट करता हूं।

माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को मैं निवेदन करूंगा कि आपने टैक्स बढ़ाया या कुछ भी किया परन्तु कामशियल सर्विसेज हैं उनके द्वारा हमको जो सुविधायें मिलनी चाहिये वे नहीं मिलतीं। आज राजस्थान रोडवेज की इस प्रकार की हालत है, जो बसें हमारे जयपुर को दिल्ली से जोड़ती हैं, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह स्टेट की फास्ट सर्विस है, उनकी यह हालत है कि कहीं पर उनका समय निश्चित नहीं है जो पांच घण्टे में पहुंच जायेंगे। उनके शिड्यूल में पांच घण्टे हैं और साढ़े पांच-छः घन्टे में दिल्ली पहुंचते हैं। अगर कहीं टायर पंक्चर हो गया तो इनके पास दूसरा टायर नहीं, उसी को बनवाइये तब आगे बढ़ेंगे। इस तरह की व्यवस्था है। जब सुपर डीलक्स बसों में यह व्यवस्था नहीं है तब, माननीय मन्त्री महोदय, दूर ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली रोडवेज की बसों की क्या हालत होगी, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। मन्त्री महोदय ने भी कहा था, मेरे आने के बाद इस विभाग में सुधार हुआ है तो, माननीय मन्त्री महोदय, स्पष्ट करेंगे क्या सुधार हुआ है, क्या सुविधायें उपलब्ध कराई हैं। अगर वह इस सदन में अपने वक्तव्य से प्रमाणित कर देंगे तब हम भी मानेंगे कि जो वक्तव्य दिया है वह सही है। परन्तु कोई प्रमाण नहीं। एक उपलब्धि इस राजस्थान पथ परिवहन निगम की जरूर है.....

(10.25 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने एक उपलब्धि की है, एक कीर्तिमान स्थापित करा है कि जयपुर से दिल्ली जाने वाली एयरकण्डीशन्ड बसों में ब्ल्यू फिल्म दिखाना शुरू कर दिया। यह एक उपलब्धि है, कीर्तिमान है जिसके लिए यातायात मन्त्री महोदय को मैं बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके ऊपर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसी बसों के मालिक हैं उनके द्वारा कमिटेड यह एक आफेन्स है, लीगल आफेन्स है। उनके लिए मैं पूछना चाहूंगा, मन्त्री महोदय ने क्या कार्यवाही की। मन्त्री महोदय यह भी अवगत करायेंगे सदन को, इस तरीके की जो हरकत हुई है, एक दण्डनीय अपराध था उसके लिए उन्होने क्या कदम उठाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में यातायात की स्थिति इतनी बिगड़ रही है हमारे झुन्झुनू जिले के डिपो की यह हालत है कि वहां की 90 पर्सेन्ट बसेज बिलकुल चालू हालत में नहीं हैं, उनको ढकेल कर बाहर लाया जाता है और ढकेल कर अन्दर ले जाया जाता है। यह एक बहुत बड़ा मजाक है। इसके ऊपर विचार करें। माननीय मन्त्री महोदय, थोड़ी और व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश करें, नहीं तो भाषण देने में तो मेरे को कोई जोर नहीं आता। परन्तु पहली आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगह बसों की। 80 पर्सेन्ट रूट्स का नेशनलाइजेशन हो चुका है परन्तु बसेज नहीं चलतीं। इसका क्या कारण है? मन्त्री महोदय कहते हैं, मैंने पिछले एक साल में किसी नये रूट का नेशनलाइजेशन नहीं किया। आपने नये रूट का नेशनलाइजेशन नहीं किया परन्तु जो बसें हैं उनकी हालत भी नहीं सुधरी इसलिए उनको सुधारा जाय। टैक्स के लिए जो यह बिल लाये हैं उसका तो मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने जो प्राइवेट बस मालिक थे उनके द्वारा जो भी शोषण हो रहा था, गवर्नमेंट का सारा का सारा जनता से तो पैसा वसूल कर लेते थे परन्तु वह सरकार के खजाने में नहीं पहुंचता था, उसको रोकने के लिए कदम उठाया उसके लिए उनकी सराहना करता हूं। धन्यवाद।

व्यवस्था का प्रश्न
विधेयक पर
विचार के लिये पर्याप्त समय

श्रीमती विद्या पाठक पाइन्ट आफ आर्डर मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में उठाना चाहती हूं कि सदन को मेहरबानी करके मोक हाउस बनाने से रोकिये। माननीय अध्यक्ष महोदय साढ़े दस बज रहे हैं, चल रहा विषय कोई इमर्जेन्सी की बात नहीं है, हम लोग डिबेट आगे चलाने में बिलकुल प्रिपेयर्ड नहीं हैं। माननीय मुख्य सचेतक महोदय मानीटर की तरह घूम-घूमकर, सदस्यों को हिला–हिलाकर जगा रहे हैं। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं इस कारण जितनी गम्भीरता से विधायी कार्य होना चाहिये वह आज रात को नहीं हो पायेगा अब जो बाकी बची हुई कार्यवाही है वह कल की लिस्ट में ले लीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। ऐसा है जैसा कि मैं पूर्व मे कई बार माननीय सदस्यों को निवेदन कर चुका हूं, इस सदन के अन्दर किस कार्य के लिए कितने दिन दिये जायं, यह कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर सदन तय करता है। जैसा मैंने, शायद आपको, मुझे याद है, आज भी निवेदन किया था, माननीय सदस्यों को कि आसन अपने विवेक से अल्प अवधि के प्रस्तावों पर वक्तव्य आदि देने की व्यवस्था कराता है। यह सदन की जो सामान्य कार्यवाही है उससे हट कर के एक सुविधा के रूप में माननीय सदस्यों के लिए आसन ऐसी व्यवस्था करता है। माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि आज जैसे करीब तीन बजे तक का समय उसमें चला गया था और आप यह भी मानेंगे कि जिन विषयों पर चर्चा हुई वे विषय भी काफी उपयोगी थे। तो उस दृष्टि से जब समय निश्चित हो जाता है और सदन ने समय निश्चित कर दिया तो उस स्थिति में आसन के पास और कोई विकल्प नहीं है कि उस समय के अन्दर उस कार्य को समाप्त किया जाय।

माननीय सदस्य भी जानते हैं कि आसन को यह अधिकार है कि पीठासीन व्यक्ति चाहे, और अगर समयावधि सदन ने तय कर दी है तो प्रत्येक विधेयक या विचारणीय विषय के लिए समय निश्चित किया जा सकता है। लेकिन इसको भी मैं कोई अच्छी व्यवस्था नहीं मानता कि यह जो नियम है उसका कड़ाई से पालन करें। इसलिए माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए कुल समय जितना दिया जाना चाहिए उससे हम अधिक समय देते हैं। जहां तक यह प्रश्न है कि अब कोई विधेयक पारित हो सकता है या नहीं, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में जो मूल प्रश्न हैं, या जो मुख्य बिन्दु हैं वह 4–5 हैं। यह भी आप अच्छी तरह से जानते हैं वह मुद्दे कितनी दफा सदन के समक्ष रखे गये। इस अध्यादेश को सदन अस्वीकार करता है तो वही की वही बात, इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये, तो वही की वही बात प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये, इसको विचारार्थ लिया जाये, तो वही की वही बात इसमें खण्डशः विचार होगा, इसको पारित किया जाये, तो वही की वही बात। मैं बार-बार सदस्यों से निवेदन करता हूं, इस विधेयक पर भी कई माननीय सदस्यों से निवेदन करके गया था कि जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर एक-दो-तीन माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोलें। जो विधेयक सदन के सामने आ जाता है वह सदन की सम्पत्ति हो जाती है और उसमें आसन को छोड़ कर कई सदस्यों को बोलने का अधिकार है। यदि हर सदस्य एक-एक मिनट बोले तो इसमें तीन-चार घण्टे का समय लग जाता है। मैं समझता हूं इस विधेयक पर जितने मुद्दे थे उन पर विचार कर लिया, वैसे डिबेट का अन्त नहीं इसलिये अब मैं इसको पारण हेतु आधा घण्टे का समय निश्चित करता हूं। इसके सम्बन्ध में जितने भी प्रश्न हैं वह पूछ लिये गये, उसके बारे में अपनी क्या कार्यवाही होनी चाहिये मैं इस बारे में दोनों पक्षों से राय लूंगा। अब यह शिकायत नहीं होनी चाहिये कि इतनी देर बैठ गये। अब आधा घण्टा और बैठें। मंत्रीजी का उत्तर सुनलें। उन्होंने बहुत पहले से

(श्री अध्यक्ष)

सूचित कर दिया था, इस अध्यादेश के माध्यम से। इसलिये मेरा निवेदन है कि इतनी चर्चा इस पर हो गई अब सदस्य इसको पास कर दें।

विधेयक का पारण

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया है ब्लू फिल्म के बारे में। यह बस राजस्थान पथ परिवहन निगम से अनुबंधित है। जब यह रास्ते में आ रही थी तो उसके क्लीनर ने कैसेट में ब्लू फिल्म रख कर उसको चला दिया तब मालूम पड़ा। उसके बाद हमने केस रजिस्टर किया और पुलिस को केस दे दिया। यह पुलिस केस बनता है।

श्री अध्यक्ष : आपने देखा क्या ? आपको यह कैसे मालूम पड़ा कि कैसेट में ब्लू फिल्म थी ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : दो सदस्यों ने शिकायतें की थीं जो उसमें सफर कर रहे थे। उसके आधार पर कैसेट को जब्त कर लिया गया। आपने जो भी सुझाव दिये, जो भी रोडवेज में अव्यवस्था है उसको सुधारने की कोशिश की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982 को संशोधित रूप में पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान यात्री और माल कराधान (निरसन) विधेयक, 1 82

श्री जयकृष्ण शर्मा : एक निरसन का भी है, इसके बिना पास नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि सदस्यों की सुविधा हेतु दो मिनट के अन्दर बता दें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप तो प्रस्ताव रखवायें, पास हो जायेगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री और माल कराधान (निरसन विधेयक, 1982 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री और माल कराधान (निरसन) विधेयक, 1982 विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री और माल कराधान (निरसन) विधेयक, 1982 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री और माल कराधान (निरसन) विधेयक 1982 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : एक निवेदन है कि राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियों और पेंशन....

(व्यवधान)

आप पूरी बात तो सुन लीजिये।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें रात के ढाई बजेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा निवेदन यह है कि जिस वक्त यह विधान सभा भंग हुई थी, कई माननीय सदस्यों ने चार-चार महीने तक का मकान किराया नहीं दिया, उनका किराया रह गया था उसको लेने के सम्बन्ध में...

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10.37 बजे शुक्रवार, दिनांक 17 सितम्बर, 1982 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 104 का जांच प्रतिवेदन

(1) श्रीमान महा निरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर के निर्देश पर श्रीमान उप महा निरीक्षक कारागार, जयपुर के आदेश क्रमांक—नि०स० (उ. म. नि.) 35195 दिनांक 2-12-80 के द्वारा मुझ (बी. एस. साईवाल). को केन्द्रीय कारागृह, अजमेर के प्रांगण में पौषाहार सामग्री (आटा व दलिया) के जमीन में गाढ़े जाने और उसके बरामद करने के सम्बन्ध में जांच करने के आदेश दिये गये।

(2) संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि दिनांक 12-11-80 के बाद दोपहर एक गुप्त लिखित सूचना के आधार पर जो कारागृह के किसी बन्दी द्वारा भेजी गई थी श्रीमान नगर दण्डनायक, अजमेर ने केन्द्रीय कारागृह, अजमेर पर आकर उद्योग शाला की रंगाई शाला (कोलीखाना) के पीछे के जंगले वाले द्वार के अन्दर बाईं तरफ कचरे के गड्ढे से 7–79 क्विटल आटा बरामद किया जिसका विस्तृत उल्लेख संलग्न "फर्द मौका निरीक्षण जो मार्क': "ए" किया है, में किया गया है। नगर दण्डनायक महोदय, अजमेर ने इस मामले की प्रशासनिक जांच करने के मुझे आदेश दिये थे। जांच कर यह ऐसा मामला था जिसमें न तो बन्दी और ना ही कारागृह का कोई कर्मचारी बयान देने अथवा तथ्यों की जानकारी कराने सामने आने को तैयार था, अतः मैंने स्टाफ और बन्दियों को अधिसूचना दिनांक 18-11-80 तक लिखित में या मौखिक रूप से मुझे सूचना देने के लिये पृथक-पृथक अधिसूचना दिनांक 13-11-80 को जारी की किन्तु दिनांक 18-11-80 की शाम तक किसी भी तरह से मुझे कोई सूचना नहीं मिली और दिनांक 19-11-80 को मोहर्रम के अवकाश के दिन कारागृह के मनोरंजन वार्ड में इसी प्रकार का एक और काण्ड हुआ। इस काण्ड मे कुछ बन्दियों की मदद से कारागृह के पौषाहार सामग्री कनिष्ठ लिपिक श्री करणसिंह ने कचरे के गड्ढे से दलिया काफी मात्रा में निकाल कर 31 कट्टों में भर कर अपने स्टोर में रखा जो परिस्थितियों एवं साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित हो चुका है। इस सम्बन्ध में संलग्न फर्द मौका निरीक्षण जो मार्क "बी" "सी" व "डी" किये है, के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है दिनांक 19-11-80 के इस काण्ड से जहां कुछ कुछ तथ्य सामने आने लगे, वहीं इसी काण्ड को लेकर दण्डित बन्दियों ने दिनांक 20-11-80 व 21-11-80 को खाना नहीं खाया दिनांक 21-11-80 को श्रीमान उप महा निरीक्षक कारागार श्री अंसारी साहब ने भूख हड़ताली बन्दियों से वार्ता की और आटा व दलिया जिन स्थानों से निकल उस जगह का निरीक्षण किया और बंदियों के बताये स्थानों पर और भी खुदाई कराई किन्तु कुछ नहीं मिला, पर मनोरंजन वार्ड के पौषाहार बैरक के पीछे वालो

बैरिक में जहां खाली बारदानी रखे जाते हैं उसके गटर में सोयाबीन का तेल काफी मात्रा में डाला जाना बन्दियों ने बताया अतः इस गटर की मिट्टी को लेकर रसायनिक जांच के लिये भेजा गया है ताकि इस सम्बन्ध में तथ्य भी सामने आ सके। श्री अंसारी साहब ने भी दिनांक 21 व 22-11-80 को इन मामलों के बारे में अपनी जांच पड़ताल की और बन्दियों के बयान लिवाये गये।

(3) आटा व दलिया काण्ड चूंकि फैक्ट्री सुपरवाइज़र श्री श्यामलाल व कनिष्ठ लिपिक श्री करणसिंह के कार्य क्षेत्रों में हुआ था अतः परिस्थितियों को देख उन्हें नोटिस दिया गया जिसकी प्रति संलग्न है। नोटिस के उत्तर में जो कि मूल ही संलग्न है। दोनों ही कर्मचारियों ने अपने को निर्दोष बताने पर तथा पैरा नम्बर 1 के अनुसार जांच के आदेश मिलने पर निम्न बन्दियों व कर्मचारियों के बयान लिये गये—

1. बन्दी बालू पुत्र सांवता केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
2. श्री हरमुख सिंह निरीक्षक पोषाहार समाज कल्याण विभाग, अजमेर
3. बन्दी अकबर खां पुत्र नूरखां केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
4. बन्दी काना पुत्र लाला केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
5. बन्दी तरसेम कुमार पुत्र सरदारी लाल केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
6. बन्दी ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
7. बन्दी हरनेकसिंह पुत्र सन्तासिंह, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
8. बन्दी जोगेन्द्रसिंह पुत्र थानासिंह केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
9. बन्दी सत्यनारायण पुत्र लक्ष्मी नारायण, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
10. श्री अकबर खां पुत्र पीरू खां, प्रहरी केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
11. श्री सत्तार खां पुत्र मोहरू खां, प्रहरी केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
12. श्री शैलेन्द्र शेखर पुत्र प्रयाग नारायण, प्रहरी केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
13. श्री श्यामलाल पुत्र नत्थीलाल प्रहरी, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
14. श्री नाथलाल व्यास, कारापाल, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
15. श्री भरतसिंह, उप कारापाल, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
16. बन्दी शंकरसिंह पुत्र नारायणसिंह, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
17. बन्दी पुखराज पुत्र शिवप्रसाद केन्द्रीय कारागृह, अजमेर

18. श्री ब्रजेश कुमार सहायक फैक्ट्री मैनेजर केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
19. बन्दी कालू पुत्र सोहन केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
20. श्री नाहरसिंह चीफ हैड वार्डर केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
21. श्री करणसिंह कनिष्ठ लिपिक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
22. बन्दी सुरेन्द्रसिंह पुत्र शिवनारायणसिंह, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
23. श्री लाल चन्द्र डायर, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
24. श्री श्यामलाल फैक्ट्री सुपरवाईजर, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर

कारागृह के कुछ शरारती व नेतागिरी में भाग लेने वाले बन्दियों ने जिसके लिये मैंने अपने अ. शा. पत्र क्रमांक 5249 दिनांक 29-11-80 में श्रीमान महा निरीक्षक कारागार महोदय को निवेदन किया था, मेरे भरसक समझाने के उपरान्त भी मुझे बयान देने से इन्कार कर दिया और कहा कि वे अपने बयान उप महा निरीक्षक कारागार श्री अंसारी साहब को दे चुके हैं, बार-बार नहीं देंगे। ये वे बन्दी है जो उद्योग शाला में अपना कार्य पूरा नहीं करते है और दूसरे काम करने वाले बन्दियों को उकसाते रहते हैं। अक्सर बीमार पड़ कर काम चोरी करते देखे गये हैं। इन में कुछ सोडेमिस्ट भी है जो इसी फिराक में रहते हैं कि उन्हें अपनी हविश मिटाने का कब मोका मिले। उपरोक्त व्यक्तियों के जो बयान लिये गये हैं, मूल ही अवलोकनार्थ संलग्न है।

4 मनोरंजन वार्ड में हुआ दलिया काण्ड --

दिनांक 19-11-80 को मौके पर उपस्थित व्यक्तियों की उपस्थिति में जो फर्द मौका निरीक्षण तैयार की गई जिसे मार्क "बी" किया गया है तथा फर्द मौका निरीक्षण दिनांक 6-12-80 जिसे मार्क "सी" किया गया है और कार्यवाही दिनांक 8-12-80 जिसे मार्क "डी" किया गया है, के अवलोकन और बन्दी बालू पुत्र सांवता, बन्दी अकबर पुत्र नूर खां, कान्हा पुत्र लाला व ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण जिसने यह भी बयान में बताया है कि 2 1/2 – 3 माह पहले आई. जी. साहब श्री रामानुज जी जेल का मुआयना करने पधारे थे तो उसके दो चार दिन पहले मनोरंजन वार्ड में दलिया गाड़ा गया था और दिनांक 19-11-80 को जब कि वह तन्हाई में बन्द था उसने ड्यूटी प्रहरी अकबर खां को मनोरंजन में फावड़े चलाने की आवाज व उड़ती हुई धूल को देखकर ड्यूटी अकबर खां को मनोरंजन की तरफ देखने के लिये कहा और प्रहरी अकबर खां जिसे कि मैं एक निष्ठावान व ईमानदार प्रहरी मानता हूं के बयानों और उसके गेट पर सूचना भिजवाने से तथा ड्यूटी प्रहरी शैलेन्द्र शेखर के बयान जिसमें कि उसने अपनी नौकरी के

डर से सच्चाई को छिपाते हुये जो बयान दिये हैं और अपनी ड्यूटी की स्थिति का वर्णन किया है और कारापाल श्री नथलाल व्यास, उप कारापाल श्री भरतसिंह के बयानो से स्पष्ट है कि मनोरंजन वार्ड में 20 कोटड़ियों की दीवार के पीछे गड्ढे से श्री करणसिंह कनिष्ठ लिपिक ने बन्दी वालू, काना, विक्रम व अकबर की मदद से दलिया खोदकर एवं 31 कट्टों में भर कर अपने पोषाहार बैरिक में रखे इसके लिये स्पष्ट रूप से श्री करणसिंह दोषी पाये जाते हैं। जब कि श्री करणसिंह ने गड्ढों से दलिया निकाला है तो उन्हें इस बात का भी पता होगा कि दलिया कब और किस के माध्यम से गाड़ा गया है। दलिया गाड़ने के बारे में बन्दी ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण, बन्दी सत्यनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण, पुखराज पुत्र शिवप्रसाद ने अपने बयानों में कहा है कि यह दलिया करीब दो-ढाई माह पहले आई.जी. साहब के निरीक्षण के कुछ पूर्व मैनेजर श्यामलाल व बाबू करणसिंह की मिली भगत से मनोरंजन में गाड़ा गया। कनिष्ठ लिपिक श्री करणसिंह और फैक्ट्री मैनेजर श्री श्यामलाल ने अपने बयानों में जाहिर किया है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है श्री करणसिंह ने अपने बयानों में यह तो जाहिर किया है कि पोषाहार स्टोर की सफाई करते समय कचरे में जो दलिया निकलता था वह खड्डों में डाला जाता था लेकिन इतनी मात्रा में जितना कि गड्ढे से दलिया निकला है कचरे के माध्यम से खड्डे में डाला जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। श्री करणसिंह ने अपने बयान में यह भी कहा कि दिनांक 15 7-80 को समाज कल्याण विभाग से 650 बैग दलिये के जेल पर प्राप्त हुए थे उनमें से 30 बैग खुले थे और खराब थे किन्तु पोषाहार निरीक्षक श्री हरमुखसिंह ने अपने बयानों में यह जाहिर किया है कि बैरक के अन्दर दांई तरफ 31 बैग खुले व सुतली से मुंह बन्द किये मिले जिनमें जो दलिया मिट्टी और कचरा मिला हुआ है तथा गला हुआ है इस प्रकार का दलिया कभी उनके केअर से आज तक जेल पर नहीं भेजा गया। उन्होंने बताया कि 31 बैगों में भरा हुआ यह दलिया खाने के काम का नहीं है और इसे जानवर भी नहीं खा सकते तथा उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 8-12-80 में यह निवेदन किया है कि इन 31 बैग दलियों को भंडार से पृथक कर नष्ट करवा दें। उपरोक्त व्यक्तियों के बयानों से एवं परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री करणसिंह कनिष्ठ लिपिक पोषाहार के दलिये को गाड़ने और गड़े दलिये को निकालने के वे दोषी हैं और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिए सही व पर्याप्त आधार हैं।

(5) गटर से निकाली मिट्टी की जांच के सम्बन्ध में—

यद्यपि कनिष्ठ लिपिक श्री करणसिंह ने अपने बयान में गटर से सोयाबिन के तेल की पीपियां खाली करने के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की है किन्तु बन्दी पुखराज पुत्र शिवप्रसाद व बन्दी सत्यनारायण पुत्र लक्ष्मी नारायण के बयानों से यह जाहिर होता है कि लगभग 80 पीपी सोयाबिन के तेल की गटर में डाली गई। इस स्थान की मिट्टी को रसायनिक जांच के लिये भेजी गई है। जांच रिपोर्ट आने पर ही इस बारे में निष्कर्ष निकल सकेगा।

(6) कोली खाने में हुआ आटा काण्ड —

दिनांक 12-11-80 को कोली खाने में उपस्थित व्यक्तियों की मौजूदगी में श्रीमान् नगर दण्डनायक, अजमेर ने जो फर्द मौका निरीक्षण, जो संलग्न है और जिसे मार्क "ए" किया है, से स्पष्ट है कि फैक्ट्री मैनेजर श्री श्यामलाल के कार्य क्षेत्र में जहाँ वह अधिकतर ड्यूटी के दौरान अपना समय व्यतीत करते हैं, यह काण्ड हुआ। बन्दी तरसेम कुमार पुत्र सरदारी लाल ने अपने बयान में कहा है कि दिनांक 24 या 25 या 25-10-80 को बन्दी पूर्णसिंह पुत्र लाभसिंह ने उसे बताया था कि कोली खाने में मैनेजर श्यामलाल ने हम लोगों से 10-12 बोरी दलिये के आटे की कचरे के गड्ढे में गड़वाई है। बन्दी तरसेम जेल सर्विस में होने के कारण जेल अधिकारियों के डर के मारे उन्हें कोई इस बारे में सूचना नहीं दे सका क्योंकि उसे डर था कि यदि उसे वापस फैक्ट्री में भेज दिया गया तो मैनेजर श्याम लाल उसकी सजा खराब कर देगा अतः जेल अधिकारियों से डर कर उसने कलेक्टर अजमेर और मुख्य सचिव, जयपुर को कोली खाने में गड़े आटे की सूचना दिनांक 26-10-80 को डाक के द्वारा भेजी थी उसी के आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट, अजमेर ने आकर आटा बरामद किया, बन्दी सत्यनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण ने अपने बयान में बताया है कि आई. जी. साहब के पधारने के लगभग एक सप्ताह पहले फैक्ट्री बन्द होने के बाद मैनेजर श्री श्यामलाल ने उसे, बन्दी जोगेन्द्र और बालू को रोका और बोला कि चक्की से आटे की बोरी लानी है अतः हम चक्की पर गये जहां बन्दी पूर्णसिंह और महिपाल मिले और चीफ साहब नाहरसिंह जी भी वहीं मौजूद थे जिन्होंने चक्की घर के दरवाजे खोले और चक्की घर से आटे की कोई 10 बोरियां लेकर कोली खाने में पहले से खुदे गड्ढे में डाला बन्दी पुखराज ने अपने बयान में यह कहा कि आज से करीब 2 माह पहले श्यामलाल मैनेजर ने मुझे व बन्दी रमेश को फैक्ट्री छूटने पर रोका और हमें साथ लेकर मनोरंजन वार्ड में गये जहां बाबू करणसिंह पहले से मौजूद थे और यहां से हम लोग 50-55 कट्टे दलिये के लाकर चक्की घर पर रखे और दो तीन कट्टे दलिये के मैंने चक्की में भी डाले इस प्रकार बन्दी पुखराज के बयानों से लगता है दलिये को पीस कर आटा बनाया गया और चक्की घर में यह आटा रखा गया। किन्तु चक्की घर में काम करने वाले बन्दी कालू पुत्र सोहन और चीफ हैड वार्डर श्री नाहरसिंह ने अपने बयानों में कहा कि उन्हें दलिया के पीसे जाने और कोली खाने में खड्डे में आटा गाड़ने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी प्रकार एक्जी. जेलर श्री नथलाल व्यास और उप कारापाल श्री भरत सिंह ने अपने बयानों में कहा कि उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फैक्ट्री मैनेजर श्री श्यमलाल ने अपने लिखित उत्तर में जो कि संलग्न है और अपने बयानों में यह बताया है कि वो कभी मनोरंजन वार्ड के पोषाहार बैरिक में नहीं गये और न ही बाबू करणसिंह से मिलकर मनोरंजन वार्ड में दलिये को खड्डे में गड़वाया। सोयाबीन के तेल को गटर में डाले जाने के बारे में उन्हें पता नहीं, ना ही दलिया चक्की घर से पिसा उसके बारे में वह कुछ जानते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जो बन्दी मेरा नाम लेता है तो यह बन्दियों की शरारत है और मुझे बदनाम करने के लिए बन्दी ऐसा करते हैं। कोली खाने में हमेशा

दलिया ठीक बना है और पूरी मात्रा में दलिया बाहर बन कर जाता रहा है और ना ही कभी कोई शिकायत इस बारे में पौषाहार निरीक्षक ने की है। श्री श्यामलाल ने अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि कोली खाने के पीछे के गेट की चाबी फैक्ट्री बन्द होने के बाद गत 4-5 सालों से उन्हीं के पास रहती है और गेट में जमा नहीं कराई जाती कोली खाने के पीछे के गेट की चाबी श्री श्यामलाल के पास रहने से इस बात का सन्देह उत्पन्न होता है कि हो सकता है कि किसी दिन सायं को या अवकाश के दिन कोली खाने के पीछे का गेट खोल कर वहां आटा गाड़ा गया हो। किन्तु मेरा यह सन्देह प्रहरी श्री श्यामलाल पुत्र श्री नथी लाल बन्दी शंकरसिंह पुत्र नारायण सिंह जो कि कोली खाने में ही हमेशा काम करता आया है श्री बिजेश कुमार सहायक फैक्ट्री मैनेजर, श्री लालचन्द्र पुत्र श्री बीरबल राम डायर तथा बन्दी सुरेन्द्रसिंह पुत्र शिवनारायणसिंह जो कि कोली खाने में ही काफी अर्से से काम करता आया है और अपने अच्छे चाल चलन के कारण तीन बार पेरोल पर भी जा चुका है के बयानों से मेरे द्वारा जो ऊपर सन्देह व्यक्त किया है दूर हो जाता है कि फैक्ट्री आवर्स में श्री श्यामलाल की मौजूदगी में कदाचित आटा खड्डे में नहीं गड़ा गया और हो सकता है यह किसी षड़यन्त्र जिसमें कारागृह के शरारती बन्दी और कर्मचारी शामिल हों के द्वारा किया गया हो। बन्दी तरसेम कुमार, ओमप्रकाश व सहायक फैक्ट्री मैनेजर बिजेश कुमार, चीफ हैड वार्डन श्री नाहरसिंह आदि ने अपने बयानो में यह बताया है कि श्री श्यामलाल जी का व्यवहार ठीक नहीं है। किन्तु बन्दी सुरेन्द्रसिंह और बन्दी शंकरसिंह और प्रहरी सत्तार खां जो कि अधिक समय से फैक्ट्री में ड्यूटी देता आया है ने अपने बयानों में कहा है कि मैनेजर का व्यवहार हमेशा अच्छा रहा है कुछ बन्दियों के साथ जो काम नहीं करते हैं उनका व्यवहार शख्त रहा है। शंकरसिंह बन्दी जो कि मैं समझता हूं शरारती फौजी ग्रुप के बंदियों से सम्पर्क रखता है ने अपने बयान के अन्त में कहा है कि मैनेजर किसी बन्दी को नाजायज तौर से नहीं दबाते हैं। चूंकि आटा कोली खाने के गड्डे से बरामद हुआ है और कोली खाना श्री श्यामलाल फैक्ट्री मैनेजर का कार्य क्षेत्र है और जब वहां इतनी बड़ी घटना हुई और यह बेखबर रहे। इससे श्री श्यामलाल जी अपनी नैतिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकते है। अतः वह इसके लिए दोषी हैं।

(7) बन्दी तरसेम कुमार ने अपने बयानों में यह भी कहा है कि उसने जो गुप्त सूचना श्रीमान कलेक्टर, अजमेर और मुख्य सचिव, जयपुर को दिनांक 26-10-80 को दी थी उसमें कोली खाने से दो बोरी अजवान की भी जेल को मैटाडोर जिसका कि वाहन चालक टिल्लूमल था, जेल गेट से बाहर गई किन्तु वह और दूसरे बन्दी इस बारे में कोई प्रमाण व साक्ष्य नहीं दे पाये। मेरी जांच पड़ताल के दौरान भी इस सम्बन्ध में कोई तथ्य मेरे सामने नहीं आये। अतः अजवान वाली बात को मैं केवल कुछ एक शरारती बन्दियों की शरारत मानता हूं।

(8) **निष्कर्ष**—जांच की परिस्थितियों एवं साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री करणसिंह कनिष्ट लिपिक जो पौषाहार सामग्री के भी भण्डारी का काम करते हैं

दलिये के सम्बन्ध में दोषी पाये गये हैं और इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार है श्री श्यामलाल फैक्ट्री सुपरवाइजर आटा काण्ड के सम्बन्ध में नैतिक रूप से जिम्मेदार है और इन्हें चाहिए कि वह बन्दी एवं अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ सद्व्यवहार कर उनका वांछित सहयोग प्राप्त करें और अपने कार्य क्षेत्र में होने वाले कार्यकलापों के प्रति जागरूक रहें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना घटित न हो सके ।

दिनांक 12-11-80 को कोली खाने के गड्ढे से जो आटा बरामद हुआ था उसकी रसायनिक जांच सार्वजनिक विश्लेषक जन-स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर के द्वारा कराई जा चुकी है और उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में जो कि संलग्न है रिमार्क्स में अडल्ट्रेटेड (Adulterated) बताया है ।

भवदीय,

ह०

(वी. एस. साईवाल)
जांच अधिकारी एवं कार्यवाहक
अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर

केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
दिनांक 27 दिसम्बर, 80

———

255

दिनांक 12–11-80 को माननीय नगर दण्डनायक महोदय, अजमेर द्वारा केन्द्रीय कारागृह, अजमेर की उद्योगशाला में रंगाई कक्ष में जमीन से आटा बरामद किये जाने के सम्बन्ध में:—

आपके दूरभाष आदेश दिनांक 21–11–80 को अनुपालना में उक्त विषयक तथ्यात्मक जांच का जांच प्रतिवेदन निम्नांकित रूप से प्रेषित है:—

दिनांक 4-7-79 को प्रधान कार्यालय, जयपुर में समाज कल्याण अधिकारी व कारागार विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पोषाहार केन्द्र का भोजन कारागृहों में पकाया जावे। निर्णय के अनुसार प्रति केन्द्र प्रतिमाह पर दलिया व अन्य भोजन पकाने हेतु 20)00 की राशि भोजन पकाने वाले को व 5)00 की राशि प्रति केन्द्र, हिसाब रखने वाले, अतिरिक्त देखभाल करने वाले कर्मचारी को देना ओवर हैड चार्जेज के रूप में तय किया गया। निर्णय में पर्यवेक्षण के लिए किसी एक कारापाल। प्रहरी को नियुक्त करने के निर्देश थे। इसके साथ-साथ अधिक से अधिक 10 छोटी सजा के बन्दियों को भी इस कार्य में लगाने के निर्देश थे, जिनकी आय उद्योगशाला में जमा कराने के निर्देश थे। 10 विचाराधीन बन्दियों को इस कार्य में लगाया जाना हो, तो उनकी पूरी राशि देने के आदेश थे। स्टोरेज के सम्बन्ध में निर्णय था कि एक माह से अधिक का सुखा सामान एवं लकड़ी कारागृह में नहीं रखी जावे।

उक्त आदेशों की पालना में केन्द्रीय कारागृह, अजमेर पर दिनांक 1-1-1980 से पोषाहार केन्द्र चालू किया गया।

इस कारागृह पर पोषाहार केन्द्र चालू करने पर व्यवस्था इस प्रकार की गई कि श्री भोपालसिंह तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक को स्टोरेज व हिसाब का चार्ज दिया गया, श्री श्यामलाल, उद्योगशाला पर्यवेक्षक व श्री जगमोहनसिंह सहायक कारापाल को पर्यवेक्षण हेतु लगाया गया।

प्रारम्भ में 50 पोषाहार के केन्द्रों का भोजन पकाने का कार्य हाथ में लिया गया, जो संख्या कम व अधिक होती रही। वर्तमान में 40 केन्द्रों के भोजन पकाने की व्यवस्था है।

श्री भोपालसिंह कनिष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 6-5-80 से स्टोर व हिसाब का कार्य श्री करणसिंह, कनिष्ठ लिपिक कर रहे हैं।

श्री जगमोहनसिंह सहायक कारापाल का स्थानान्तरण हो जाने पर किसी अन्य कर्मचारी को नहीं लगाया गया और यह कार्य श्री श्यामलाल, उद्योगशाला पर्यवेक्षक एवं श्री करणसिंह कनिष्ठ लिपिक, दोनों के ही बीच चलता रहा है।

इस पोषाहार केन्द्र से सम्बन्धित दो घटनायें केन्द्रीय कारागृह, अजमेर पर घटित हुई, जिनका विवरण निम्नांकित है :—

(1) **प्रथम घटना**—श्रीमान् नगर दण्डनायक महोदय, अजमेर दिनांक 12-11-80 को लगभग 2-30 बजे केन्द्रीय कारागृह, अजमेर पर आये। प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर वे जेल के मुख्य द्वार से चलकर रसोईघर व चक्की के रास्ते से रंगाई शाला के पिछले दरवाजे से अन्दर गये। वे अन्दर बाईं तरफ जहां कचरे का गड्ढा है और मिर्च की पौध उगी है। उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने कार्यवाहक अधीक्षक, श्री भगवानसिंह साईवाल, कारापाल श्री नथलाल व्यास, उद्योगशाला पर्यवेक्षक श्री श्यामलाल, सहायक उद्योगशाला पर्यवेक्षक श्री बृजेशकुमार, उप कारापाल श्री भरतसिंह महा मुख्य प्रहरी श्री नाहरसिंह, राशन स्टोर कीपर श्री नेमीचन्द स्टोर कीपर, श्री करणसिंह की उपस्थिति में 10-15 बन्दियों की सहायता से उक्त कच्चे स्थल की खुदाई कराई गई। करीब 3 फीट गहरी खुदाई में सफेद आटे की शक्ल में पदार्थ आने पर करीब 5'×5' हिस्से की खुदाई पूरी कराई गई, जहां से 7 क्विन्टल 79 किलो आटा निकला। नगर दण्डनायक महोदय ने जांच फर्द तैयार की और आटे को वास्ते जांच रसायन शाला भिजवाया, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो परिशिष्ट "स" पर उपलब्ध है।

श्री साईवाल को उक्त आटा निकासी की जांच सुपुर्द की गई थी, जो उनके द्वारा दिनांक 27-12-80 को पूर्ण कर मुख्यालय को प्रस्तुत की।

(2) **दूसरी घटना**—दिनांक 19-11-80 को लगभग 2 बजे श्री करणसिंह स्टोर कीपर ने चार बन्दी सर्वश्री बालू, विक्रम, अकबर व काना को मनोरंजन शाला में ले जाकर खुदाई की और उसमें से गड़ा हुआ दलिया बाहर निकाल कर मनोरंजन शाला में जहां पर पोषाहार केन्द्र बनाया हुआ है, रख दिया। बाद में सूचना मिलने पर उपाधीक्षक श्री साईवाल व अन्य अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। इन तीनों खुदाई करने वाले बन्दी सर्व श्री विक्रम, अकबर व काना को कोठड़ी में पृथक रखा। इस बात पर अन्य बन्दी उत्तेजित हो गये और उन्होंने जिलाधीश महोदय को शिकायत लिख कर भेजी और समाधान न होने पर दिनांक 20-11-80 से फैक्ट्री हड़ताल व भूख हड़ताल प्रारम्भ की। कारागृह, अधीक्षक ने जिला प्रशासन के निर्देश पर पुलिस में इस सम्बन्ध की एक एफ० आई० आर० दर्ज करवा दी, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न परिशिष्ठ "द" पर उपलब्ध है।

घटना के क्रम की जांच की गई। इस सम्बन्ध में प्रहरी श्री अलादीन, जिसने उक्त खुदाई की सूचना दी, प्रहरी श्री शैलेन्द्र, जिसकी ड्यूटी मनोरंजन भवन पर थी, व बन्दी सर्व श्री बालू, विक्रम, काना एवं अकबर के बयान लिये गये। श्री अकबर ने अपने बयानों में कहा कि उनकी ड्यूटी दिनांक 19-11-80 को प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक तन्हाई पर थी, उन्होंने मनोरंजन भवन के अन्दर खट-खट की आवाज सुनी तो जाकर देखा, तो पाया कि प्रहरी शैलेन्द्र शेखर, जिसकी ड्यूटी मनोरंजन भवन पर थी, अन्दर नहीं था और बाहर फाटक का ताला लगा हुआ था। उसने बन्दी महिपाल को भिजवा कर कारापाल श्री नथलाल व्यास को बुलवाया, इसके पश्चात् अन्य और अधिकारी भी वहां पर आ गये और मनोरंजन भवन में श्री करणसिंह कनिष्ठ लिपिक व चारों बन्दियों को वहां पाया।

प्रहरी श्री शैलेन्द्र ने अपने बयानों में बताया कि इसी दिन उसकी ड्यूटी में लगभग 4 बजे श्री करणसिंह, कनिष्ठ लिपिक चार बन्दियों को, बालू, विक्रम, काना व अकबर को लेकर आये और कहा कि मनोरंजन भवन में सफाई करनी है। 20 मिनट बाद श्री करणसिंह के पुनः बुलाने पर उसने ताला खोल दिया। अन्य बन्दी कन्हैयालाल, पुखराज पुत्र श्री शिवप्रसाद, महिपाल पुत्र श्री राजपाल, पूर्णसिंह पुत्र श्री लाभसिंह, काना पुत्र श्री लाला, अकबर पुत्र श्री नूरखां, बालू पुत्र श्री सावता, विक्रमसिंह पुत्र श्री करणसिंह आदि के बयान लिए।

बन्दी बालू पुत्र श्री सांवला, जो कि दलिया गैंग का इन्चार्ज था, उसने अपने बयानों में बताया कि लगभग 1-30 बजे श्री करणसिंह कनिष्ठ लिपिक ने मनोरंजन भवन की सफाई के लिए कहा था, जिस पर 3 बन्दी विक्रमसिंह, अकबर व काना को लेकर मनोरंजन भवन गया और उसमें गड्ढे की खुदाई की, जिसमें करीब 28-29 कचरे के साथ दलिया मिले हुए कट्टे भरे गये। इस बयान की पुष्टि बन्दी विक्रमसिंह पुत्र श्री किशनसिंह, बन्दी अकबर पुत्र श्री नूरखां व बन्दी काना पुत्र श्री लाला ने अपने बयानों में की।

श्री करणसिंह कनिष्ठ लिपिक के बयान लिए गये। उन्होंने अपने बयानों में स्वीकार किया कि 25 कट्टे दलिये के अधिक हैं, जब कि उन्होंने दिनांक 19-11-80 को खुदाई करने से इन्कार किया। दिनाक 12-11-80 को नगर दण्डनायक महोदय, अजमेर ने दलिये का भौतिक सत्यापन किया था, उस समय 53 कट्टे थे, इस प्रकार श्री करणसिंह के कथन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 12-11-80 के बैलेन्स के अनुसार भौतिक गणना करने पर 25 कट्टे अधिक मिले हैं। ये कट्टे मनोरंजन भवन में दिनांक 16-11-80 को गड्ढे में से खुदाई कर निकाला हुआ दलिया ही है, जो कि अधिक मात्रा में उपलब्ध था।

उक्त दोनों घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्पूर्ण जांच प्रकरण के तथ्यों के आधार पर निम्नांकित बिन्दु सामने आते हैं—

बिन्दु सं० 1—क्या केन्द्रीय कारागृह, अजमेर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पोषाहार केन्द्र कारागार विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप संचालित किया गया है ?

बिन्दु नं० 2—कोलीखाने में आटा गड़वाने व मनोरंजन भवन में दलिया गड़वाने व खुदवाने के लिए कौन दोषी है ?

बिन्दु सं० 3—क्या कोलीखाने में आटा गड़वाने व मनोरंजन भवन में दलिया गड़वाने व निकालने की कार्यवाही प्रशासनिक शिथिलता के कारण तो नहीं हुई है।

उक्त तीनों बिन्दुओं के सम्बन्ध में जांच निष्कर्ष जो निकले हैं, निम्नांकित रूप से है—

बिन्दु संख्या—1—समाज कल्याण विभाग के कल्याण अधिकारियों व कारागार विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक प्रधान कार्यालय, जयपुर में हुई, जिसकी कार्यवाही विवरण जो कि सभी कारागृहों को प्रेषित किया था, के बिन्दु 3 पर यह अंकित था कि कि पोषाहार केन्द्र कारागृहों पर प्रत्येक सेन्टर के हिसाब से स्टोर कीपर को 5)00 तथा 20)00 प्रति सेन्टर के हिसाब से पर्यवेक्षक को दिये जावेंगे। पर्यवेक्षक के रूप में किसी सहायक कारापाल या प्रहरी को यह कार्य दिये जाने के निर्देश थे, साथ ही यह भी निर्देश थे कि छोटी सजा के बन्दी ही इस कार्य में लगाये जावें।

केन्द्रीय कारागृह, अजमेर पर जब पोषाहार केन्द्र का कार्य प्रारम्भ किया गया तो अधीक्षक ने पर्यवेक्षक के रूप में श्री श्यामलाल उद्योगशाला पर्यवेक्षक व श्री जगमोहनसिंह सहायक कारापाल को संयुक्त रूप से लगाया। इसके पश्चात श्री जगमोहनसिंह सहायक कारापाल का स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात् श्री श्यामलाल उद्योगशाला पर्यवेक्षक को ही पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत रखा। इस प्रकार इस कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना अधीक्षक द्वारा की गई।

उक्त कार्यवाही विवरण में यह भी निर्देश है कि केवल छोटी सजा के बन्दियों को ही इस कार्य में लगाया जावें यथा सम्भव विचाराधीन बन्दियों को ही इस कार्य में लगाया जावे, किन्तु इस आदेश की भी अवहेलना की गई। इस कार्य में लगाये जाने वाले बन्दियों की सूची परिशिष्ठ "अ" पर उपलब्ध है, जिसमें स्पष्ट है कि बड़ी सजा के बन्दियों को ही इस कार्य हेतु काम में लिया जाता रहा है, जिसके लिए अधीक्षक व

उद्योगशाला पर्यवेक्षक स्पष्टतया उत्तरदायी है। परोक्ष रूप में उपाधीक्षक और कारापाल प्रवर्तक भी जिम्मेदार हैं।

बिन्दु सं० 2—दिनांक 12-11-80 को नगर दण्डनायक महोदय ने अचानक छापा कर उद्योगशाला के रंगाई कक्ष में से आटा बरामद किया जो कि लगभग 7 क्विन्टल 79 किलो था। इसकी रसायनिक जांच कराने पर यह आटा मिलावटी पाया गया। यह आटा कब गाड़ा गया और किसके द्वारा गाड़ा गया, इसकी जानकारी प्राप्त की गई, इस सम्बन्ध में श्री श्यामलाल उद्योगशाला पर्यवेक्षक जिनकी रंगाई शाला में यह गड़ा हुआ आटा बरामद हुआ और जो कि दलिया बनाने के स्थान से कुछ ही दूर पर बरामद हुआ तथा इस पोषाहार कार्यक्रम के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त थे और समाज-कल्याण विभाग से प्रतिमाह पर्यवेक्षक शुल्क लिया करते थे, का बयान लिया गया तो उन्होंने यह तो स्वीकार किया कि पोषाहार केन्द्र के दलिये पकाई का पूरा पर्यवेक्षण करते थे, किन्तु उन्होंने इस बात से अनभिज्ञता प्रकट की कि दलिया गड्डा खोद कर कब और क्यों गाड़ा गया ?

श्री करणसिंह, कनिष्ठ लिपिक ने भी इस सम्बन्ध में अपनी अनभिज्ञता जाहिर की कि वहां पर यह गड्डा किस प्रकार किया गया और इसमें आटा डाला गया। जांच से स्पष्ट है कि पोषाहार केन्द्र के आटे का दलिया नहीं होता, तब तक गाड़ने की स्थिति नहीं आती। इससे स्पष्ट है कि स्टोर कीपर श्री करणसिंह, जिनके चार्ज में पोषाहार केन्द्र का स्टोर है तथा श्री श्यामलाल जिनके अधीन पर्यवेक्षण कार्य था, यदि दोनों ही व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व की पालना नियमानुसार करते, तो यह घटना घटित नहीं होती।

इससे सम्बन्धित दूसरा प्रश्न यह है कि वस्तुतः कोलीखाने में आटा किसके कहने पर गड़वाया गया और मनोरंजन भवन में दलिये गेहूं का किसके कहने पर गड़वाया गया और फिर बाद में दिनांक 19-11-80 को किसके कहने पर खुदवाया गया।

जहां तक दिनांक 19-11-80 को मनोरंजन भवन में गड्डा खुदवाकर लगभग 21 कट्टे दलिया मय कचरे के भरवाने का प्रश्न है, श्री करणसिंह के कहने पर, बन्दी बालू, विक्रम, काना एवं अकबर द्वारा यह कार्यवाही की गई, किन्तु कोलीखाने में आटा गड़वाने का व मनोरंजन भवन में दलिये गड़वाने के सम्बन्ध में जानकारी ली गई। स्टाफ के सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की, किन्तु बन्दी पूर्णसिंह पुत्र श्री लाभसिंह ने बताया कि श्री श्यामलाल उद्योगशाला पर्यवेक्षक के कहने पर उसने अपने दो साथी बन्दी महिपालसिंह पुत्र श्री राजपालसिंह व रामभरोसे पुत्र श्री तेजपाल की सहायता से करीब 11-12 बोरी आटा कोलीखाने में पहले से खुदे हुए गड्डे में डाला और फावड़े से आटे पर मिट्टी व कचरा डाल दिया। बाद में उस पर मिर्ची के पौधे लगवा दी गई। बन्दी पूर्णसिंह के बयानों की पुष्टि बन्दी महिपालसिंह व रामभरोसे ने अपने बयानों में की।

बन्दी पूरणसिंह ने अपने बयान में यह बताया कि पोषाहार के दलिये को चक्की पर पिसवाकर आटे में परिवर्तन कर बन्दियों को खिलाया जाता था। बन्दी पूर्णसिंह ने बताया कि श्री श्यामलाल ने आटा गड़वाने का कारण यह बताया कि इस दलिये के आटे को मिलाने पर बन्दियों की रोटियां लाल, कड़क व फटी हुई बनती हैं, जिससे यह गड़वाया जा रहा है क्योंकि बन्दी चिल्लाते हैं।

बन्दी पूर्णसिंह ने यह भी बताया कि कोलीखाने में आटा गड़वाने के पांच-छः दिन बाद श्री श्यामलाल उद्योगशाला पर्यवेक्षक के कहने पर फैक्ट्री छूटने के पश्चात मनोरंजन भवन में वह अपने साथी बन्दीगहीपालसिंह व रामभरोसे के साथ मनोरंजन भवन में गया तो देखा कि श्री करणसिंह बाबू के साथ बन्दी सर्व श्री सत्यनारायण एवं पुखराज वहां पर खड़े हुए थे। मनोरजन भवन में स्थित पोषाहार केन्द्र से करीब 60–70 दलिये के कट्टे मनोरंजन भवन में पूर्व में खुदे हुए दो गड्ढों में दलिया डाल दिया गया और उनमें से एक गड्ढे में जिसमें कचरा पड़ा था, आग लगाई और आधा घण्टे तक श्री श्यामलाल जी यह देखते रहे कि दलिया जलता है नहीं ? दलिया नहीं जला तो श्री श्यामलाल व बाबू श्री करणसिंह ने आपस में बात की कि दलिया नहीं जलेगा। बाद में इस पर मिट्टी डलवा दी गई। बन्दी सत्यनारायणसिंह व पुखराज ने इसकी पुष्टि अपने बयानों में की।

बन्दी पूर्णसिंह व उसके अन्य साथी बन्दियों के बयानों के सन्दर्भ में जांच की गई। बन्दी पूर्णसिंह के इस बयान पर कि पोषाहार के दलिये को आटे के रूप में बन्दियों को रोटियां बनाकर खिलाई जाती थी, राशन स्टोर के अभिलेख की जांच की गई, राशन स्टोर के अनुसार निम्नांकित तिथियों को कारागृह से बाहर गेहूं भेज कर आटा पिसवाया गया—

(1) दिनांक 29–2–80 को 524 किलो

(2) दिनांक 3–3–80 को 455 किलो

(3) दिनांक 8–7–80 को 987–500 किलो

यह आटा दुर्गा फ्लोर मिल, पुलिस लाइन, अजमेर के यहां पिसवाया गया। कारागृह से बाहर आटा पिसवाने की उपरोक्त दिनांक 20–2–80, 3–3–80 एव 8–7–80 को राशन स्टाक रजिस्टर के अनुसार आटे का बेलेन्स क्रमशः 262–220 किलो, 302–320 किलो एवं 132–895 किलो था।

स्टोर मेन्टीनेन्स पत्रावली में दिनांक 29–2–80 व 3–3–80 को चक्की खराब होने के कारण उसकी मरम्मत कराने सम्बन्धी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है और न ही

सामान खाते के रजिस्टर में चक्की मरम्मत सम्बन्धी सामान क्रय किया गया है, किन्तु दिनांक 8-7-80 को चक्की में 3 बैरिंग लगाने की रिपोर्ट भी शामिल है।

कारागृह के बाहर पिसवाये गये उपरोक्त आटे का गेटपास में कोई अंकन नहीं है। राशन गोदाम में आने वाली अन्य सामग्री का यथा सब्जी, तेल, मसाले आदि का उपरोक्त तिथियों में अंकन किया हुआ है। उपरोक्त तिथियों का सामान का गेट रजिस्टर अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, अजमेर द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

इसके अतिरिक्त श्री भवानसिंह साईवाल, उपाधीक्षक, ने इस घटना की जांच रिपोर्ट दिनांक 27-12-80 के अन्तर्गत यह तथ्य प्रकट किया है कि श्री श्यामलाल, उद्योगशाला पर्यवेक्षक के पास कोलीखाने, जिसमें पोषाहार केन्द्र का दलिया बनाया जाता है और जिसमें से माननीय नगर दण्डनायक महोदय, अजमेर दिनांक 12-11-80 को आटा खुदवाकर निकलवाया गया था, उसके पिछले दरवाजे की चाबी रहती थी, फैक्ट्री के पिछले दरवाजे की चाबी नियमानुसार फैक्ट्री मैनेजर द्वारा अपने पास रखने का कोई नियमों के अन्तर्गत औचित्य नहीं है। यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि कोलीखाने का यह पिछला दरवाजा, जिसकी चाबियां श्री श्यामलाल के पास रहती थी, राशन स्टोर व राशन गोदाम से नजदीक ही हैं। उद्योगशाला पर्यवेक्षक द्वारा चाबी अपने पास रखना संदिग्धता उत्पन्न करता है और बन्दियों के इस कथन को कि श्री श्यामलाल द्वारा ही बन्दियों की सहायता से यह आटा गड़वाया गया था, बल मिलता है।

कुछ बन्दियों ने कोलीखाने में आटा गड़वाने और मनोरंजन भवन में दलिया गड़वाने के सम्बन्ध में जानकारी दी कि कुछ माह पूर्व समाज कल्याण विभाग के कुछ अधिकारी। कर्मचारी पोषाहार केन्द्र की खाद्य सामग्री बेचते हुए पकड़े गये और उनमें से कुछ को निलम्बित किया हुआ है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है। महानिरीक्षक कारागार ने माह जुलाई, 1980 में कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर का आकस्मिक निरीक्षण किया था और यह अफवाह थी कि महानिरीक्षक महोदय कभी केन्द्रीय कारागृह, अजमेर का आकस्मिक-निरीक्षण कर सकते हैं। अतः पोषाहार केन्द्र से सम्बन्धित जेल कर्मचारी/अधिकारी जिनके कि पास बैलेन्स से अधिक सामान था, के बारे में चिन्तित थे। उनको यह भय था कि कहीं समाज कल्याण विभाग की तरह महानिरीक्षक महोदय भी अधिक मात्रा में उपलब्ध सामान की जांच कर, कठोर कार्यवाही न कर दें। इस भय से आतंकित होकर श्री श्यामलाल जो कि पोषाहार कार्य का पर्यवेक्षण करते थे और श्री करणसिंह क० लि० जो कि पोषाहार के स्टोरकीपर थे, दोनों ने मिलकर कोलीखाने में आटा एवं मनोरंजन भवन में दलिया गड़वा दिया। कुछ बन्दियों ने यह भी जानकारी दी है कि पोषाहार केन्द्र के प्रयुक्त होने वाला तेल जो कि बैलेन्स से अधिक मात्रा में था, पोषाहार स्टोर के शोकपिट (गटर) में डाल दिया।

बन्दियों के कथन की पुष्टि इन बन्दियों से होती है श्रीमान् महानिरीक्षक कारागार

ने कारागार प्रशिक्षण संस्थान का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 15–7–80 को किया था और उन्होंने इसी क्रम में केन्द्रीय कारागृह, अजमेर का निरीक्षण भी दिनांक 10–9–80 को किया था।

उक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि बन्दियों के आटे की पिसाई में अनियमितता बरती गई। चक्की खराब न होने की स्थिति में और बैलेन्स में आटा होते हुए भी आटा पिसवाने हेतु बाहर भिजवाया गया, जिसका गेट पास नहीं काटा गया, जिससे भी संदिग्धता प्रकट होती है। इसी प्रकार श्री श्यामलाल द्वारा चाबी अपने पास रखना संदिग्धता उत्पन्न करता है और बन्दियों के इस कथन को बल मिलता है कि श्री श्यामलाल द्वारा ही कुछ बन्दियों के माध्यम से कोलीखाने में आटा और मनोरंजन भवन में दलिया गड़वाने की कार्यवाही की गई, जो कार्यवाही महानिरीक्षक महोदय द्वारा किये जाने वाले आकस्मिक निरीक्षण के भय से की गई।

इस सम्बन्ध में श्री करणसिंह कनिष्ठ लिपिक (स्टोरकीपर) व श्री श्यामलाल उद्योगशाला पर्यवेक्षक दोषी प्रतीत होते हैं।

बन्दियों ने अधोहस्ताक्षरकर्ता की जांच के दौरान यह भी बताया कि बैलेन्स से अधिक पोषाहार का तेल मनोरंजन कक्ष में बनाये गये पोषाहार केन्द्र के स्टोर की नाली से तेल बहाया गया था। इस पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने मौके का निरीक्षण किया था और वहां पर यह पाया कि मिट्टी के ढेले जो कि शोकपिट में थे कुछ गिले और चिकने नजर आये, उसमें से नमूना लेकर श्री साईवाल को दिये गए। रसायनशाला से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

बिन्दु नं 3—क्या कोलीखाने में आटा गड़वाने व मनोरंजन भवन में दलिया गड़वाने व निकालने की कार्यवाही प्रशासनिक शिथिलता के कारण तो नहीं हुई है? चूंकि जांच से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि कोलीखाने में आटा किस दिन गाड़ा गया था। अतः उस दिन ड्यूटी पर तैनात दोषी प्रहरियों का तो पता नहीं लगाया जा सकता, किन्तु फिर भी जिन प्रहरियों की निरन्तर ड्यूटी फैक्ट्री में आती रही है वे प्रहरी इसके लिए दोषी हैं, जिनमें सर्वश्री श्यामलाल व सत्तारखां मुख्य हैं। इस सन्दर्भ में प्रहरी अधिकारी जो कि इन प्रहरियों की निरन्तर ड्यूटी फैक्ट्री में ही लगाते रहे, वे भी इसके लिए दोषी है। श्री श्यामलाल उद्योगशाला पर्यवेक्षक जिनके कि पास अनधिकृत रूप से कोलीखाने के पिछले गेट की चाबी रहती थी और जिसको कि पता महा मुख्य प्रहरी को रखना चाहिए, जो उसने नहीं रखा, उसके लिए सम्बन्धित महा मुख्य प्रहरी दोषी है।

कोलीखाने में 7–79 क्विन्टल आटा बरामद हुआ और यह आटा कोलीखाने में गड्डे से बरामद किया गया। श्रीमान् नगर दण्डनायक महोदय, अजमेर द्वारा दिनांक 12–11–80 को अपनी उपस्थिति में खुदवाकर निकलवाये गये आटे से यह बिन्दु स्पष्ट

है कि आटा गाड़ा गया है। 7-79 क्विन्टल आटे की बरामदगी से यह सिद्ध होता है कि आटा भारी मात्रा में गाड़ा गया है। अतः यह ऐसा कार्य है कि जिसको इकट्ठा करने और गाड़ने की कार्यवाही में अधिक समय लगना स्वाभाविक है। इसी प्रकार मनोरंजन भवन में भी दलिया भारी मात्रा में गाड़ा गया और प्रशासनिक अधिकारियों को इसका अनुमान तक भी न हो पाया। यह इस बात को सिद्ध करता है कि उनका प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण ढीला था और जिसके लिए अधीक्षक/उपाधीक्षक एवं सम्बन्धित कारापाल सभी उत्तरदायी है। दिनांक 19-11-80 को श्री करणसिंह कनिष्ठ लिपिक की उपस्थिति में जो दलिया मनोरंजन भवन में से खुदवाकर निकलवाया गया और मिट्टी मिले हुए 31 कट्टे दलिये के मनोरंजन भवन से बन्दियों द्वारा रखे गये। इसके लिए श्री करणसिंह स्टोर कीपर तो जिम्मेदार है ही, किन्तु साथ ही प्रहरी श्री मुनेन्द्रकुमार गौड़, जिसकी ड्यूटी मनोरंजन भवन पर थी, भी इस कार्यवाही को न रोकने और अपनी ड्यूटी पर सचेत न रहने के लिए दोषी है।

घटना के सम्बन्ध में बन्दियों की मांग पर जिला प्रशासन के निर्देशों की पालना में उपाधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर ने पुलिस में एफ० आई० आर० दर्ज करवा दी है, जिसकी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

जांच प्रतिवेदन वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह० एम० ए० अंसारी,
18-8-81

264

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 105 की सूची व विवरण

परिशिष्ट "क"

सहकारी श्रमिक ठेका समिति लि० के आदर्श उप नियम

4—प्रत्येक व्यक्ति जिसका चाल चलन अच्छा हो, आयु 18 साल या अधिक हो स्वस्थचित्त का हो, श्रमिक एवं कारीगर हो और समिति के कार्यक्षेत्र में रहता हो समिति का सदस्य हो सकेगा।

समिति के प्रमोटर्स की सूची

क्र० सं०	नाम सदस्य/पिता का नाम	जाति
1—	श्री मीठालाल/श्री डूलराज	जैन
2—	श्री मांगीलाल/श्री भीमाराम	तेली
3—	श्री बाबूखां/श्री समसुदीन	तेली
4—	श्री शिम्भूखां/श्री सुलतानखां	लुवार
5—	श्री अब्दुल सत्तार/श्री समसुदीन	तेली
6—	श्री कैलाशचन्द/श्री भंवरलाल	हरिजन
7—	श्री शिवनारायण/श्री रामा	नाई
8—	श्री रेवत/श्री भुभार	देवासी
9—	श्री बाबूखां/श्री नेनेखां	लवार
10—	श्री गणेश/श्री भेरा	मेवात्या
11—	श्री ज्ञानचन्द/श्री मीठालाल	जैन
12—	श्री भंवरलाल/श्री मादा	हरिजन
13—	श्री धुन्नसिंह/मेगासिंह	राजपूत
14—	श्री बन्सीसिंह/श्री भूरासिंह	
15—	श्री मदनसिंह/श्री जीवनसिंह	
16—	श्री पुष्पादेवी पत्नि श्री गणपतसिंह	

265

परिशिष्ट (ख)

समिति द्वारा लिये गये ठेकों का विवरण

(अ) सिंचाई विभाग से :—

क्र० सं०	कार्य का नाम	ठेके की राशि	प्राप्त राशि
1.	सालनवाड़ी	13168.38	7450.00 प्रथम निर्माण बिल

(ब) सार्वजनिक निर्माण विभाग

2.	माल ढुलाई का कार्य सेन्दड़ा से अमरपुरा सड़क कि० मी० % से 4/500		38336.00
3.	माल ढुलाई का कार्य खेमा की बेरी से बलेपना कि० मी० % से 10 %		19370.00

268

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 108 की सूची

रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	नाम प्रा० स्वा० केन्द्र	सी० ए० एस	मेलनर्स या कम्पाउण्डर	एल० एच० वी०	एम० ग्राई०	प्रस्ताव
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रा० स्वा० केन्द्र, ग्राहोर	—	—	1	—	15
2.	प्रा० स्वा० केन्द्र, सायला	—	1	—	—	3
3.	प्रा० स्वा० केन्द्र, सियाना	1	1	1	—	2
4.	प्रा० स्वा० केन्द्र, माडोली नगर	2	2	1	1 (एक)	2
5.	प्रा० स्वा० केन्द्र, भीनमाल	—	1	—	—	4

257

1	2	3	4	5	6	7
6.	प्रा० स्वा० केन्द्र, बडगांव	1	1	1	—	5
7.	प्रा० स्वा० केन्द्र, सांचोर	—	—	2	—	10
	योग :—	4	6	6	1 (एक)	41

1. सी० ए० एस० सियाना में करीब एक वर्ष से रिक्त है। माडोली नगर में करीब दो माह से रिक्त है। बडगांव में करीब एक वर्ष से रिक्त पद है। इन रिक्त पदों पर डाक्टरों का पदस्थापन दिनांक 28-8-82 को किया गया है। कार्यग्रहण सूचना अपेक्षित है।

2. कम्पाउण्डर :—सायलों में करीब पाच वर्ष से रिक्त पद है। सियाना में करीब एक माह से रिक्त है। मांडोलीनगर में करीब पांच वर्ष से एक पद रिक्त है तथा एक पद करीब छः माह से रिक्त है। भीनमाल में करीब पांच वर्ष से रिक्त है। बडगांव में करीब पांच वर्ष से रिक्त पद है।

3. एल. एच. वी. :—एल. एच. वी. के रिक्त पद करीब पांच वर्ष से सभी स्थानों पर है।

4. स्वास्थ्य निरीक्षक :—मांडोलीनगर में करीब पांच वर्ष से रिक्त पद है।

5. प्रसाविका :—सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर करीबन पांच वर्ष से रिक्त पद है।

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके प्रश्न एवं उनके उत्तर)

पंचायत समिति केशवरायन पाटन में 'गरीब को छप्पर' योजना के तहत निर्मित आवास

111. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति केशवराय पाटन जिला बून्दी में 'गरीब को छप्पर' योजना के तहत कितने मकानों का निर्माण कराया गया तथा किस किस ग्राम में ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गरीब को छप्पर की योजना के आधार पर भवन निर्माण हेतु अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो कृपया निम्न जानकारी सदन के पटल पर रखें :—

1. कितना अनुदान दिया गया, 2. किस व्यक्ति को अनुदान दिया गया है—उसका नाम, जाति, पता, 3. भवन निर्माण पूरा किया गया या नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि गरीब को छप्पर योजना में पंचायत समिति केशवराय पाटन में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में जिलाधीश बूंदी तथा जिला प्रमुख बूंदी को शिकायतें प्राप्त हुई हैं और शिकायतों पर जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा पंचायत समिति का रिकार्ड जब्त कर जांच की गई है ? यदि हां, तो जांच में किसे अपराधी माना गया और अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति केशवराय पाटन में गरीब को छप्पर योजना के तहत 142 मकानों का निर्माण कराया गया है जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। ये सभी भवन पूर्ण हो चुके हैं।

(3) जी हां। शिकायत के आधार पर जांच के दौरान संबन्धित रिकार्ड सीज किया जा चुका है। जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रारम्भिक जांच में सरपंच व विकास अधिकारी दोषी पाये गये हैं। जिलाधीश से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

कार्यालय जिलाधीश बून्दी

ग्रामीण आवासीय अनुदान की सूची वर्ष 1980–81

1. श्री हजारी लाल/गोपीराम मीणा	ईश्वर नगर	750–00
2. श्री राधाकिशन/रामनाथ मीणा	" "	750–00
3. श्री पूनम सिह/कजोड़ राजपूत	चिताबा	750–00
4. श्री छीतरलाल/मन्ना बैरवा	नोताड़ा	750–00
5. श्री लटूरलाल/रतना चमार	मालिकपुरा	750–00
6. श्री गोरधन/धूलीलाल बैरवा	" "	750–00
7. श्री लटूरे/छीतर बैरवा	" "	750–00
8. श्री गेन्दीलाल/मोडूलाल	" "	750–00
9. श्री हीरासिह/उदा राजपूत	" "	750–00
10. श्री बक्षू/रतना चमार	नोताड़ा	750–00
11. श्री कल्याण/दल्ला बैरवा	पापड़ी	750–00
12. श्री ग्यारसीलाल/रामलाल गूजर	" "	750–00
13. श्री फून्दीलाल/कजोड़ खटीक	" "	750–00
14. श्री रामनाथ/कन्हैयालाल मीणा	लक्ष्मीपुरा	750–00
15. श्री रसाला/मोडू बंजारा	बलकासा	750–00
16. श्री मोती/गणेश मीणा	" "	750–00
17. श्री सदर्दा/रतना बंजारा	" "	750–00
18. श्री घासीलाल/बुद्धा बंजारा	" "	750–00
19. श्री सेठानी/मीत्रया बंजारा	" "	750–00
20. श्री प्रभू/जयलाल रेगर	" "	750–00
21. श्री रामनारायण/देवा रेगर	" "	750–00
22. श्री बुद्धा/अंता बंजारा	" "	750–00
23. श्री नाथू/लक्ष्मण बैरवा	ईश्वर नगर	750–00

24.	श्री किशनगोपाल/गोवरीलाल बैरवा	ईश्वर नगर	750–00
25.	श्री पांत्या/भवाना बैरवा	,, ,,	750–00
26.	श्री गोपाल/भोलू बैरवा	,, ,,	750–00
27.	श्री सीताबाई/भंवरलाल मीणा	,, ,,	750-00
28.	श्री जगन्नाथ/गीत्याराव	,, ,,	750–00
29.	श्री प्रभूदास/ओंकारदास	पापड़ी	750–00
30.	श्री केसर/मथुरालाल	,, ,,	750–00
31.	श्री सुन्दरा/माधो गूजर	,, ,,	750–00
32.	श्री छीतर/अमरलाल	,, ,,	750–00
33.	श्री सूरजमल/बाबूलाल मीणा	,, ,,	730–00
34.	श्री किशन/नाथू बैरवा	इन्द्रपुरिया	750–00
35.	श्री श्रवण/दल्ला बंजारा	बलकासा	750–00
36.	श्री छीतरलाल/मथुरालाल मीणा	,, ,,	750–00
37.	श्री मोहनलाल/सुन्दरलाल	ढगारिया	750–00
38.	श्री रामचन्द्र/रघुनाथ मीणा	पापड़ी	750–00
39.	श्री बजरंगा/ बलाई	बादांमाल	750–00
40.	श्री कल्याण/माधो गूजर	पापड़ी	750–00
41.	श्री मथुरा/लोडक्या बैरवा	घाटकां बराना	750–00
42.	श्री कंवरलाल/नन्दा बैरवा	,, ,,	750–00
43.	श्री नाथू/किशना बैरवा	,, ,,	750–00
44.	श्री गोपीलाल/नन्दा बैरवा	,, ,,	750–00
45.	श्री रामदेव/नन्दा बैरवा	,, ,,	750–00

271

कार्यालय जिलाधीश बून्दी

ग्रामीण आवासीय अनुदान की सूची वर्ष 1981–82

1. श्री चौथमल/नाथूलाल बैरवा	बलकासा	750–00
2. श्री जगदीश/भंवरलाल बैरवा	,,	750–00
3. श्री कन्हैयालाल/नानकराम	सखावदा	750–00
4. श्री भैरू/रामा रेगर	,,	750–00
5. श्री रामनाथ ग्रा0 रामा	बोरदा काछियान	750–00
6. श्री रामदेव ग्रा0 रामनाथ बैरवा	ईसरदा	750–00
7. श्री हीरालाल/कालू मीणा	उतराना	750–00
8. श्री हजारीलाल/कुम्भालाल मीणा	उतराना	750–00
9. श्री रामनारायण/मंगला मीणा	पापड़ी	750–00
10. श्री रामरतन/किशना मीणा	पापड़ी	750–00
11. श्रीमती धोलीबाई पत्नि नन्दा गूजर	कोडक्यो	750–00
12. श्री तेजमल ग्रा0 धूलीलाल बैरवा	जैथल	750–00
13. श्री मोहनलाल/कंवरलाल बैरवा	,,	750–00
14. श्री नन्दकंवर/पन्नालाल बैरवा	,, ,,	750–00
15. श्री बाबूमोहम्मद/जब्बार मोह0 मुसलमान	गेन्डोली	750–00
16. श्री मंगला/रामा मीणा	देई खेड़ा	750–00
17. श्री बिहारीपुरी/शम्भूपुरी	,, ,,	750–00
18. श्री भट्टूलाल/हेरबख्श मीणा	,, ,,	750–00
19. श्री गोकुल ग्रा0 भंवरलाल हरिजन	मायजा	750–00
20. श्री नाथूलाल ग्रा0 लोडक्या बलाई	,, ,,	750–00
21. श्री भंवरलाल ग्रा0 लाला मीणा	चरकवाड़ा	750–00
22. श्री मोहनलाल ग्रा0 केशरा	बलकासा	750–00
23. श्री गोबरीलाल/शंकरलाल बलाई	देई खेड़ा	750–00
24. श्री दल्ला/मोती बैरवा	देई खेड़ा	750–00
25. श्री नन्दलाल ग्रा0 राधाकिशन मीणा	,, ,,	750–00
26. श्री रामनिवास/रतनलाल मीणा	,, ,,	750–00

272

27.	श्री नोरामता/देवीराम बैरवा	झाली जी का बारना	750–00
28.	श्री शिवजी जोशी/गोपाल जोशी	रड़ी	750–00
29.	श्री पन्नालाल ग्रा0 बाला नाई	चड़ी	750–00
30.	श्री नन्दकिशोर ग्रा0 भूलीलाल	कमोलर	750–00
31.	श्री रमजानी ग्रा0 जब्बार मुसलमान	गेन्डोली	750–00
32.	श्री मोहनलाल ग्रा0 चतुर्भुज मीणा	रड़ी	750–00
33.	श्री छीतरलाल ग्रा0 नन्दा धोबी	लेसरदा	750–00
34.	श्री रामनिवास/कल्याण मीणा	मायजा	750–00
35.	श्री रंगलाल ग्रा0 देवीराम माली	सूनगर	750–00
36.	श्री सीताराम ग्रा0 गरूड़दास वैरागी	सूनगर	750–00
37.	श्री गोबरीलाल/सीताराम मेघवाल	,, ,,	750–00
38.	श्री शम्भूसिंह/किशोरसिंह राजपूत	,, ,,	750–00
39.	श्री नन्दलाल/भूरालाल बैरवा	,, ,,	750–00
40.	श्री गोपाललाल ग्रा0 गोरधन	,, ,,	750–00
41.	श्री मोहनलाल ग्रा0 कंवरलाल मेघवाल	अरनेठा	750–00
42.	श्री छीतरलाल ग्रा0 गोमदा चमार	,, ,,	750–00
43.	श्री माधो/घूल्या बैरवा	अरनेठा	750–00
44.	श्री रामनिवास/छीतर गूजर	मीया	750–00
45.	श्री छीतर ग्रा0 बिरधीलाल नायक	माधोराजपुरा	750–00
46.	श्री नन्दा ग्रा0 चम्पा मेघवाल	चितावा	750–00
47.	श्री किशनलाल ग्रा0 धूलीलाल ग्रा0	भीया	750–00
48.	श्री लटूरलाल/छोगा धोबी	गुढ़ली	750–00
49.	श्री बालू ग्रा0 गोवर्द्धन कीर	बड़ा खेड़ा	750–00
50.	श्री जगन्नाथ ग्रा0 रामा हरिजन	,, ,,	750–00
51.	श्री भूरालाल ग्रा0 माधोलाल बैरवा	,, ,,	750–00
52.	श्री कंवरा/खाना मीणा	चरड़ाना	750–00
53.	श्री सीताराम ग्रा0 अमरा मीणा	,, ,,	750–00

54.	श्रीमती केसरबाई बैरवा/गेन्दीलाल मीणा	चरड़ाना	750-00
55.	श्री कल्याणलाल ग्रा0 बरधा गूजर	सखावदा	750-00
56.	श्री कालू ग्रा0 भवाना मेघवाल	करवाला की झोप	750-00
57.	श्री बद्रीलाल ग्रा0 मोती कुम्हार	जलोदा	750-00
58.	श्री रामप्रताप ग्रा0 भवाना बैरवा	करवाला की झोप	750-00
59.	श्री नैनगा ग्रा0 भवाना बैरवा	" "	750-00
60.	श्री रामपाल ग्रा0 घूलीलाल छीपा	" "	750-00
61.	श्री गोपाललाल ग्रा0 नारायण बैरवा	झालीजी का बराना	750-00
62.	श्री रामदेवा ग्रा0 देवीकिशन बैरवा	" "	750-00
63.	श्री बाबूलाल ग्रा0 किशना बैरवा	" "	750-00
64.	श्री हीरा ग्रा0 मांग्या मेघवाल	फौलाई	750-00
65.	श्री नाथूलाल ग्रा0 रामनारायण नट	फौलाई	750-00
66.	श्री रघुनाथ ग्रा0 हीरा मेघवाल	" "	750-00
67.	श्री गेन्दीलाल ग्रा0 घूलीलाल माली	पापड़ी	750-00
68.	श्री छोटूलाल ग्रा0 किशना बैरवा	" "	750-00
69.	श्री श्रवणलाल ग्रा0 बाला कोली	जलोदा	750-00
70.	श्री मोतीलाल ग्रा0 गनेशलाल बलाई	" "	750-00
71.	श्री भूरया ग्रा0 सांकार हरिजन	अलोदा	750-00
72.	श्री कस्तूर ग्रा0 बाल्या	नोताड़ा	750-00
73.	श्री लटूर ग्रा0 बरधा बैरवा	" "	750-00
74.	श्री छोली ग्रा0 मोती बैरवा	" "	750-00
75.	श्री मोडूलाल ग्रा0 ग्यारसीलाल गूजर	माखीदा	750-00
76.	श्री कल्याण ग्रा0 भैरूलाल मीणा	माखीदा	750-00
77.	श्री गोवरीलाल ग्रा0 घूलीलाल	" "	750-00
78.	श्री रामनारायण ग्रा0 कंवरिया बलाई	गेन्डोली	750-00
79.	श्री उदा ग्रा0 डालू बलाई	उमरथूना	750-00
80.	श्री भैरू ग्रा0 गंगाराम बैरवा	लवान	750-00
81.	श्री भूरालाल ग्रा0 अमरा कुम्हार	आजन्दा	750-00
82.	श्री हीरालाल ग्रा0 लटूर चमार	बोया खेड़ा	750-00
83.	श्री सुखदेव ग्रा0 गंगाराम बैरवा	गुहाटा	750-00

84. श्री गिरिराज ग्रा0 जगन्नाथ	बलकासा	750–00
85. श्री पन्नालाल ग्रा0 सुखदेव मेघवाल	,, ,,	750–00
86. श्री सुवालाल ग्रा0 देवीलाल मीणा	चितावा	750–00
87. श्री सीताराम ग्रा0 मन्ना तेली	देईखेड़ा	750–00
88. श्री मोड़ू ग्रा0 रामा बैरवा	देही खेड़ा	750–00
89. श्री केशरीलाल ग्रा0 नेनम चमार	,, ,,	750–00
90. श्री मोहनलाल ग्रा0 गनेशलाल मीणा	,, ,,	750–00
91 श्री मोड़ूलाल ग्रा0 हर बक्श मीणा	,, ,,	750–00
92. श्री भैरू ग्रा0 छीतर	,, ,,	750–00
93. श्री किशन ग्रा0 श्रवण चमार	,, ,,	750–00
94. श्री भोलू ग्रा0 नाथू मीणा	,, ,,	750–00
95. श्री रामनिवास ग्रा0 बजरंग माली	,, ,,	750–00
96. श्री बिहारी ग्रा0 शम्भूपुरी	चाहिचा	750–00
97. श्री मंगला ग्रा0 श्रीराम मीणा	चाहिचा	750–00

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्थानान्तरण

112. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) व **श्री शिवदानसिंह राठौड़** (जैतारण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जुलाई, 1981 से अगस्त, 1982 तक कितने चिकित्सकों, कितने पृथक पृथक ग्रेड मेल नर्स व फीमेल नर्सेज के स्थानान्तरण किये गये हैं? कृपया जिलेवार व राज्य स्तर की संख्या सदन के पटल पर रखें।

(2) विभाग में अन्य विभिन्न पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के उक्त अवधि में कुल कितने स्थानान्तरण किये गये ?

उत्तर

(1) परिशिष्ट सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) अन्य विभिन्न पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के उक्त अवधि में क्रमश: 71 एवं 681 स्थानान्तरण किए गए।

275

क्र सं.	नाम जिला	चिकित्सक (मीएएस)	मेल नर्स ग्रेड-I	मेल नर्स ग्रेड-II	फीमेल नर्सेज
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	52	5	20	10
2.	अलवर	45	1	23	15
3.	बांसवाड़ा	16	4	—	4
4.	बाड़मेर	18	2	6	3
5.	भरतपुर	30	1	14	11
6.	भीलवाड़ा	30	3	6	16
7.	बीकानेर	42	9	9	15
8.	बून्दी	23	2	9	3
9.	चितौडगढ़	34	1	1	15
10.	चुरू	45	—	10	17
11.	धौलपुर	8	2	6	10
12.	डूंगरपुर	14	1	1	3
13.	गंगानगर	57	1	14	10
14.	जयपुर	133	15	51	68
15.	जैसलमेर	12	1	3	3

1	2	3	4	5	6
16.	जालोर	18	—	10	5
17.	झालावाड़	22	3	4	4
18.	झूंझनू	28	—	8	7
19.	जोधपुर	30	1	4	16
20.	कोटा	28	6	14	16
21.	नागौर	44	1	10	13
22.	पाली	52	14	11	9
23.	सवाईमाधोपुर	43	1	18	15
24.	सीकर	43	1	12	5
25.	सिरोही	33	—	—	4
26.	टोंक	31	2	16	16
27.	उदयपुर	66	—	18	35
	योग	997	77	298	348

ग्राम तलावड़ा-नायपुर सड़क का निर्माण

113. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

खण्डार तहसील में ग्राम तलावड़ा से नायपुर तक सड़क का ठेका कृषि उपज मण्डी समिति, सवाई माधोपुर द्वारा किन किन शर्तों पर किसको दिया गया था ? सड़क के अपूर्ण रहने के क्या क्या कारण रहे हैं ? अब सरकार इसे कब तक पूरा करने का विचार रखती है ?

उत्तर :--

सड़क का ठेका श्री रामप्रसाद गोयल पुत्र श्री लड्डूलाल निवासी सवाई माधोपुर को दिया गया। ठेके की शर्तों का विवरण परिशिष्ट 1 में सदन के पटल पर रखा दिया गया है।

ठेकेदार द्वारा कार्य बन्द कर देने के कारण सड़क नहीं बन पाई अब दुबारा टेण्डर लेकर कार्य पूरा कराया जावेगा।

(शर्तों का विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

NAME OF WORK : Constt. of road from Naipur to Talawara 4 km. at K.U.M.S. SWM.

NAME OF CONTRACTOR :

TIME OF COMPLETION :

SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT

1. Work will be carried out as per Rajasthan P.W.D. Specification in General and any item not included in it will be carried out as per instruction of Engineer Incharge.

2. All arrangements regarding water and T and P required for the job will be made by the contractor.

3. Sales Tax and other taxes if any will be paid by the contractor as per rules over and above the rates specified in the 'G' Schedule and he is bound to follow labour laws and fair wage clause.

4. In case any material is required to be tested by the contractor will have to make all arrangements at his own cost.

5. The work shall be completed within the period as mentioned in notice inviting tenders.

6: Rates provided in the **'G' Schedule** are inclusive of all loads and no extra-load shall be paid over and above the rates provided in the **'G' Schedule.**

7. In case of any excess issue of centrolled material etc. i.e. cement, Coal & Steel etc. the contractor shall be charged at the double rates plus 10% Supervision charge plus 5% Storage Charges plus sales tax as applicable extra at store.

8. Most of the rates in **'G' Schedule** of this tender have been taken from the current basic schudule of rates in force as applicable to this erea. If there is any clerical or typing error in the **'G' Schedule** the rates and nomenclature as given in the relevant B.S.R. will prevail.

9. The contractor shall have to prepare and maintain the diversion road during the construction period at his own cost. In case he fails to do so, the department is free to construct such road chargeble to the contractor.

10. The quantum of work can be increased or decreased at the discretion of the Engineer Incharge.

11. Conditional tenders are liable to be rejected.

12. Machineries and other T & P may be given, on hire to the contractor if available with the Rajasthan State Agriculture Marketing Board. If the machinery is not available the contractor shall make his own arrangement. The cost of transportation of T & P to the site of work and back to workshop shall be borned by the contractor.

13. In case of Rajasthan State Agriculture Marketing Board, owned Machinery days for machenical defects shall not be counted for calcu- hire charges. Information regarding the defects must by lating the days of sent by the contractor telegraphically to the Ansistant Engineer Inchage and the express dellivery letter be despatched within a day or two of the occurance.

279

14. The rates of hire charge of road machinery shall be governed as per B.S.R. in force.

15. Other conditions shall be as per printed agreement and schedule 'G' enclosed.

Signature of tendering
Contractor

Exocutive Engineer,
Raj. State Agri. Mktg. Board.
Jaipur.

बन्द औद्योगिक इकाइयां

114. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(1) राजस्थान वित्त निगम ने 31 मार्च, 1982 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कितनी बन्द पड़ी हुई औद्योगिक इकाइयों को चालू करवाया एवं इसी वर्ष के दौरान वित्त निगम द्वारा प्रदत्त ऋण वाली कितनी नई इकाइयां बन्द हो गई ?

(2) 31 अगस्त, 1982 को राजस्थान वित्त निगम द्वारा प्रदत्त ऋण वाली कुल कितनी इकाइयां बन्द हैं एवं वित्त निगम की उनमें कितनी धनराशि लगी हुई है ?

(3) जयपुर, अलवर, जोधपुर एवं कोटा जिले में 31 अगस्त, 1982 तक कितनी इकाइयां बन्द हैं एवं वित्त निगम का कितना धन उनमें लगा हुआ है ? कृपया इकाइयों के नाम धनराशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) इन औद्योगिक इकाइयों का इस बड़े परिमाण में बन्द होने के क्या कारण हैं एवं उनको दूर करने के क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम ने 31 मार्च, 1982 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 62 बन्द औद्योगिक इकाइयों को पुनः उत्पादन योग्य बनाया तथा 1981-82 में वित्त निगम द्वारा सहायता प्राप्त 137 बन्द औद्योगिक इकाइयों का पता चला ।

(2) 31 अगस्त, 1982 को राजस्थान वित्त निगम द्वारा सहायता प्राप्त 214 औद्योगिक इकाइयां बन्द थी तथा उनमें निगम की 2·48 करोड़ रुपये की राशि विनियोजित है ।

(3) 31 अगस्त, 1982 को जयपुर, अलवर, जोधपुर एवं कोटा जिलों में 99 इकाइयां बन्द थीं एवं जिनमें निगम का 149.76 लाख रुपया लगा हुआ था । जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

क.स.	जिले का नाम	इकाइयों की संख्या	धनराशि (रु. लाखों में)
1.	जयपुर	59	65·23
2.	अलवर	23	41·63
3.	जोधपुर	7	31·52
4.	कोटा	10	11·38
		99	149·76

(4) इकाइयों के नाम, धनराशि सहित इनकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

इसके अतिरिक्त निगम ने वर्ष 1981-82 के दौरान भारतीय औद्योगिक पुन-निर्माण निगम कलकत्ता के सहयोग से औद्योगिक पुनर्जीवन योजना प्रारम्भ की है जिसके अन्तर्गत बन्द एवं रुग्ण इकाइयों को निम्नांकित उद्देश्यों के लिये सहायता प्रदान की जा रही है—

(1) बन्द इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए आवश्यकता पर आधारित प्रारंभिक खर्च ।

(श्री वित्त मंत्री)

2) पुनर्स्थापना योजना के अनुसार अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के लिये मार्जिन ।

3) सीमित पूंजीगत व्यय जो कि सामान्य अर्थों में इकाई की पुनर्स्थापना के लिये आवश्यक है ।

4) केश लोसेज की पूर्ति हेतु ।

(ब) बन्द इकाइयों की परिसम्पत्ति का हस्तान्तरण

इसके अन्तर्गत जब ऋणी स्वयं इकाई में पुनः उत्पादन शुरू करने में प्रबन्ध आर्थिक व्यवस्था आदि कारणों से असमर्थ होता है तो निगम राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इकाई को परिसम्पत्ति का अधिग्रहण कर सार्वजनिक नीलामी द्वारा सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को हस्तान्तरण कर देता है ।

राजस्थान में औद्योगिक इकाइयां मुख्यतः निम्न कारणों से बन्द होती हैं:—

1) कार्यशील पूंजी के अभाव में ।

2) विद्युत शक्ति का अभाव ।

3) कच्चे माल के अभाव में ।

4) कुप्रबन्ध के कारण एवं प्रबन्धकों के आपसी झगड़ों के कारण ।

(5) तकनीकी ज्ञान सम्पन्न व्यक्तियों को उपलब्ध न कर पाने के कारण ।

6) ऋणी की रुचि का अभाव ।

7) बाजार में मन्दी के कारण ।

8) परियोजना का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण ।

9) बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक दशाओं के कारण ।

10) श्रमिक असहयोग एवं आन्दोलनों के कारण ।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा पोषित इकाइयों में पुनः उत्पादन शुरू करने के लिए निम्न प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं—

अ) ऋणी के स्वयं द्वारा पुनः उत्पादन इसके अन्तर्गत निगम ऋणी को निम्न सुविधाएं प्रदान करता है :

1) मूलधन की किश्तों का पुनः निर्धारण ।

2) अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करके ।

3) बैंकों को कार्यशील पूंजी हेतु सिफारिश ।

4) राज्य सरकार के अन्य विभागों से सम्पर्क कर इकाइयों को सुविधाएं प्रदान करना ।

5) विद्युत उत्पादन हेतु जनरेटिंग सेट्स के लिए अनुदान सहित आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना ।

जयपुर, अलवर, जोधपुर एवं कोटा जिले की बन्द इकाइयां

क्र.सं.	इकाई का नाम	वितरित किया गया ऋण (लाख रुपयों में)
1	2	3
	जयपुर जिला	
1.	मैसर्स बी. बी. आइल मिल्स	0.35
2.	,, भारत ब्रीक्स बिल्डर्स	0·61
3.	,, जगदीश आइल एण्ड दाल मिल	0.65
4.	,, जनता इण्डस्ट्रीज	0.20
5.	,, अम्बा कारपेट्स	0.22
6.	,, सी. टी. प्रोसेज	0.76
7.	,, महाराजा ड्रेसेज	0.53
8.	,, आशा आइल मिल्स	0.45
9.	,, गिरिराज आइल मिल	0.41
10.	,, रामटन इण्डस्ट्रीज	0.36
11.	,, मयूर आफसेट प्रिन्टर्स	0·65
12.	,, अशोका आइल मिल	0.12
13.	,, हनुमान सहाय शर्मा	0.20
14.	,, इलेक्ट्रानिक इण्डिया	1.06
15.	,, जी. एन. पी. प्रिन्टर्स	0.07
16.	,, एज्यूकेशनल इक्वीप्मेंट्स	0.07
17.	,, एलाइड मैन्यूफैक्चर्स	0.89
18.	,, गुप्ता मैटल्स	1.91
19.	,, गुप्ता मोमबत्ती उद्योग	0.10
20.	,, मार्डन वियर्स	0.47
21.	,, मल्टी गारमेन्ट्स	0.19
22.	,, बक्शी फार्मास्यूटीकल्स	1.26
23.	,, टेलीविजन कम्बाइण्ड	1.50
24.	,, के. के. इण्डस्ट्रीज	0.95
25.	,, मारुती स्टोन क्रशर	0.59

1	2	3
26.	मैं. न्यू एज ग्राइस फैक्ट्री	1.41
27.	,, लक्ष्मी वेजीटेबिल एण्ड केमिकल्स	0.31
28.	,, निशेत इलेक्ट्रिकल्स	2.00
29.	,, जयपुर ग्रारियन्ट कारपेट्स इण्ड.	0.88
30.	,, रमेश ग्रायल मिल्स	1.42
31.	,, विजय ग्रायल इण्डस्ट्रीज	0.79
32.	,, विशाल टेप इण्डस्ट्रीज	0.51
33.	,, पोली किंग्स प्रा. लि.	5.49
34.	,, महावर ग्राइल इण्डस्ट्रीज	1.50
35.	,, स्वरूपसिंह राठौड़	0.35
36.	,, जैकब जोसेफ	0.44
37.	,, नवलकिशोर सैनी	0.70
38.	,, जगजीतसिंह	1.91
	विश्वकर्मा श्रौद्योगिक क्षेत्र शाखा	
39.	मैं. जैन जरी प्राड्क्स	1.00
40.	,, गोयल प्लास्टिक	1.97
41.	,, मोनो कैप्स	5.00
42.	,, जी. सी. टिन प्राडक्ट्स	0.60
43.	,, खन्ना बिल्डर्स	1.06
44.	,, पुरोहित ग्राइस फैक्ट्री	1.43
45.	,, खण्डेलवाल स्टील उद्योग	0.77
46.	,, प्यारे ड्रग फार्मा लेबोरेटरी	0.32
47.	,, विशाल इलेक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज	0.46
48.	,, गणेश उद्योग	1.97
49.	,, इन्टरनेशनल फेल्ट्स	3.82
50.	,, जांगिड कोल उद्योग	1.21

D84

1	2	3	4
51.	मैं. केसरी दाल एण्ड ग्राइस मिल		1.24
52.	,, रिलाइबल प्लास्टिक		2.20
53.	,, फलेक्सटे ट्यूबलरस		1.74
54.	,, ए. के. गोलेछा		0.98
55.	,, विजय ग्राइल एण्ड दाल		1.11
6.	,, मेघदूत शू		3.75
57.	,, विजय कास्टिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज		1.21
58.	,, ग्रशोका उद्योग		0.10
59.	,, विशाल एन्टरप्राइजेज		1.00
			65.23

जिला ग्रलवर

1.	मैसर्स ग्राफिक इण्डस्ट्रीज	1.28
2.	,, कृष्णा एण्ड कम्पनी	13.00
3.	,, रिमको	2.00
4.	,, राजस्थान ग्लास कन्टेनर्स	1.40
5.	,, राजस्थान ब्लेड्स	4.47
6.	,, गोयल ग्राइल एण्ड इण्डस्ट्रीज	0.13
7.	,, ग्रलवर ड्रग एण्ड सेनीटरी प्राडक्ट्स	0.34
8.	,, शर्मा ग्रायल मिल	0.12
9.	,, प्रताप ग्रायल मिल्स	1.15
10.	,, पुरोहित प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग	0.84
11.	,, यूनाइटेड इन्जीनियर्स वर्क्स	1.68
12.	,, ग्ररावली टूल्स प्रा. लिमिटेड	2.88
13.	,, विजय इलेक्ट्रिक लेम्पस	1.26
14.	,, ग्रग्रवाल सीमेंट उद्योग	2.67
15.	,, सन्जू कृषि यन्त्र उद्योग	1.97
16.	,, ग्रोम फोटो कापियर्स	0.14
17.	,, स्वास्तिक मेट्ल्स	1.28

1	2	3
18.	मैं. जय भारत मेटल्स	0.66
19.	,, राजस्थान केमिकल्स प्राडक्ट्स	0.21
20.	,, नलवाया उद्योग	2.69
21.	,, ओसवाल सोप फैक्ट्री	0.15
22.	,, पुरोहित बेबी आइसक्रीम	0.30
23.	,, श्री केमिकल्स	1.01
		41.63

जोधपुर जिला

1.	,, सी. के. उद्योग	5.91
2.	,, केलीवूल इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन	1.90
3.	,, अम्बिका आइस केण्डी	0.07
4.	,, हरगुन गम इण्डस्ट्रीज	2.30
5.	,, परमार होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट	2.84
6.	,, शारदा आयल मिल्स	1.50
7.	,, राठी केमिकल्स	17.00
		31.52

कोटा जिला

1.	,, एस. एल. इण्डस्ट्रीज	1.00
2.	,, स्टेण्डर्ड रेडीमेड गारमेन्ट्स	0.71
3.	,, मोना निट वियर्स	0.49
4.	,, गंगवाल प्लास्टिक्स	0.63

1	2	3
5.	मैं नेशनल आफसेट प्रेस	3.95
6.	„ एवर इण्डस्ट्रीज	2.67
7.	„ पाल ब्रादर्स	0.46
8.	„ डायमण्ड स्टोन पोलीशिंग इण्डस्ट्रीज	0.61
9.	„ माण्डेलिया इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन	0.65
10.	„ अरविन्द उद्योग	0.21
		11.38

उदयपुर शहर एवं आस पास की कृषि भूमि का विक्रय

116. श्री भेरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या नगर आयोजना राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर व इसके समीप की कृषि भूमि को कुछ व्यक्तियों द्वारा आवासीय व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-खण्ड काट कर विक्रय किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इन भू-खण्डों के आवंटन को नियमित कर दिया जावेगा ?

(2) क्या इन भू-खण्डों पर मकान व दुकान के निर्माण भी करा लिये गए हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि भूमि रूपान्तरण नियमों के अनुसार निर्धारित मापदण्ड पूरा करने वाले मामलो को ही नियामित किया जायेगा।

(2) कुछ भू-खण्डों पर मकान एवं दुकान के निर्माण भी करा लिये गये हैं।

ग्राम पंचायत एवं नगरपालिकाओं को प्रदत्त अनुदान

117. श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपया करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को दिया जाने वाला अनुदान मार्च, 1982 तक 1971 की जनगणनानुसार किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका में निवास करने वालों में राज्य सरकार ने अनुदान में भेद रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) जनगणना विभाग द्वारा राज्य में की गई जनगणना की सूची विभाग को कब प्राप्त हुई ? क्या राज्य सरकार पंचायत को 1981 की जनगणनानुसार अनुदान देना चाहती है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका के अनुदान के नियमों में अन्दर हैं। नगरपालिकाओं को अनुदान प्रति व्यक्ति एक रुपया जनरल पर्पज के लिये व चार रुपया संशोधित वेतनमान का चुकारा करने हेतु, इस प्रकार कुल पांच रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दिया जाता है जबकि ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिये 2.25 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दिया जाता हैं।

(3) जनगणना विभाग की सूची जनगणना विभाग से अभी तक पंचायत विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार

(पंचायत राज्य मन्त्री)

पंचायत को 1981 की जनगणना के आंकडों के अनुसार अनुदान चालू वित्तीय वर्ष 1982-83 से देने पर गम्भीरता से विचार कर रही है।

राजस्थान नहर योजना का क्रियान्वयन

118. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या राजस्थान नहर राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मन्त्री परिषद् द्वारा राजस्थान नहर का तत्स्थलीय निरीक्षण किया गया ? यदि हां, तो कृपया द्वितीय चरण में लगी धन-राशि के आंकड़ों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) राजस्थान नहर योजना कितने वर्षों में पूरी होगी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। द्वितीय चरण में मार्च 1982 तक धन राशि रु. 102.80 करोड़ व्यय की जा चुकी है। वर्ष वार खर्च की सूची संलग्न है (परिशिष्ट "क")

(2) योजना के निर्माण कार्यों को वर्तमान आकार व अनुमानों के अनुसार वर्ष 1985-86 में पूरा करने का लक्ष्य है। वर्ष 1982-83 से वर्ष 1985-86 तक इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्षवार जिस धनराशि की आवश्यकता होगी, वह संलग्न तालिका में दर्शायी गयी है। " (परिशिष्ट "ख")

परिशिष्ट "क"

राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण पर खर्च की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा।

वर्ष	धनराशि जो खर्च की गई (करोड़ रुपये)
1973-74 तक	4.5) ✻✻
1974-75	1.50)
1975-76	4.26
1976-77	5.99
1977-78	13.18
1978-79	14.56
1979-80	16.64
1980-01	15.52
1981-82	26.56 (महालेखाकार से मिलान होना बाकी है)
योग:—	102.80

✻✻1974-75 व्यय के लेखे स्टेज I व II के सम्मिलित थे। स्टेज I व II के पृथक लेखे 1975-76 से रखे जा रहे हैं। इसलिए 1974-75 तक उपरोक्त अंकित 6.09 करोड़ मुख्य अभियन्ता द्वारा बतायी गई राशि हैं।

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान नहर परियोजना के द्वितीय चरण (वर्तमान आकार व अनुमानों के अनुसार) के कार्य को वर्ष 1985-86 में पूरा करने के लक्ष्य हेतु धनराशि की आवश्यकता :—

वर्ष	धनराशि (करोड़ रु०)
1982-83	33.9 (21.4 करोड़ वर्तमान प्रावधान के विपरीत)
1983-84	60
1984-85	55
1985-86	55.46
योग:—	204.36

जयपुर विकास प्राधिकरण

119. **श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) :** क्या नगरीय विकास एवं आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण का गठन किस तिथि को हुआ ?

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण के गठन के पूर्व जयपुर विकास न्यास की माह जुलाई में कितनी बैठकें हुईं ?

(3) इन बैठकों में मालवीय नगर योजना में किन-किन व्यक्तियों के आवासीय भू-खण्डों का विनियमन किया गया ? क्या राज्य सरकार न्यास की इस कार्यवाही को उचित एवं नियमित मानती है ?

(4) क्या मालवीय नगर योजना में भू-खण्ड विनियमन हेतु अन्य व्यक्तियों के आवेदन पत्र भी विचाराधीन थे ? यदि हां, तो क्या उन प्रार्थना-पत्रों को भी स्वीकार किया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर का गठन 16 जुलाई, 1982 को हुआ ।

(2) केवल एक बैठक दिनांक 13 जुलाई, 1982 को हुई ।

(3) इस बैठक में चार व्यक्तियों सर्व श्री स्वरूप नारायण सक्सेना, परमानन्द रछोया, गोवर्धन लाल शर्मा व सुभाष विश्नोई को पूर्व में आवंटित आवासीय भू-खण्डों के विनिमय में मालवीय नगर योजना में अन्य भू-खण्ड दिये गये । न्यास के द्वारा की गई कार्यवाही के लिये वह सक्षम था । राज्य सरकार इसे उचित मानती है ।

(4) जी हां, अब प्राधिकरण का गठन हो चुका है । इन मामलों पर प्राधिकरण द्वारा विचार कर के नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

पंचायत समिति चेचट की फल योजना

120. **श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कोटा जिले की पंचायत समिति चेचट के लिये फल योजना स्वीकृत कर दी गई है ?

(2) क्या इस योजना हेतु नियुक्त अधिकारी बिना साधन व बिना कार्यालय के न तो कोई कार्य कर पाते हैं और न गांवों में जाकर किसानों से सम्पर्क कर पाते हैं ?

(4) इस योजना के सुचारु रूप से संचालन हेतु सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(कृषि मन्त्री)

(2) जी नहीं। कार्यालय व अन्य साधन बजट आदि उपलब्ध किये जा चुके हैं।

(3) योजना के संचालन हेतु प्रशिक्षण, बैंक से ऋण, प्रशासनिक एवं अन्य तकनीकी व्यवस्था, जो भी आवश्यक रहेगी, कार्यवाही की जावेगी।

आयुर्वेद रसायन शाला

121. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष में व वर्ष 1981-82 में राजस्थान की चारों रसायन शालाओं ने कितनी दवाइयां तैयार की तथा राजकीय औषधालयों को कौन-कौन सी औषधि कब-कब कितनी-कितनी उपलब्ध कराई गई? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या औषध निर्माण शालाओं का कार्य सन्तोषजनक रहा है? यदि नहीं, तो उक्त कार्यों के सुचारु सम्पन्नता के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

(3) क्या निर्धारित सूचियों के अनुसार सभी औषधियों का निर्माण प्रारम्भ किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 में चारों राजकीय आयुर्वेद रसायनशालाओं में तथा इस वर्ष अगस्त, 1982 तक दो रसायन-शालाओं में निर्मित औषधियों की सूची क्रमशः परिशिष्ट 1 व 2 पर प्रस्तुत है। राजकीय औषधालयों को वर्ष 1981-82 में वितरित की गई औषधियों की सूची परिशिष्ट 3 पर प्रस्तुत है। औषधि वितरण कब कब हुआ, यह विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि औषधियों के वाउचर विभिन्न दिनों में औषधालय अनुसार हजारों की संख्या में कटे है।

वर्ष 1982-83 के औषध वितरण की सूचना केवल अजमेर व भरतपुर रसायन शालाओं से प्राप्त हुई है, जो परिशिष्ट 4 व 5 पर संलग्न है। शेष दो रसायन शालाओं उदयपुर व जोधपुर की सूचना आना शेष है। प्राप्त होने पर सदन को प्रेषित कर दी जावेगी।

(2) जी हां। किन्तु इन निर्माण शालाओं के कार्य को पूर्णतया सन्तोषजनक बनाने के लिए गत वर्षों के व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर निविदा शर्तों में सुधार कराने हेतु मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी हां। मांग के अनुसार सभी औषधियों के निर्माण हेतु लक्ष्य निर्धारित कर निविदायें आमन्त्रित की गई थीं। किन्तु व्यापारियों द्वारा अनेक घटकों की सामयिक आपूर्ति न करने से कुछ औषधियों का निर्माण अधूरा रहा है।

293

आयुर्वेद विभागान्तर्गत संचालित चारों राजकीय आयुर्वेद रसायन शालाओं में निर्मित

सिद्ध औषधियों की मात्रा एवं मूल्य, वर्ष 1981–82 :

क्र.सं.	नाम औषध	इकाई	मात्रा	राशि
1	2	3	4	5
		रस		
1.	आनन्द भैरव रस	किलो	87·000	10875·00
2.	शुद्ध गंधक	,,	240·000	5040·00
3.	चन्द्रामृत रस	,,	252·000	43344·00
4.	रामबाण रस	,,	132·000	18480·00
5.	रसमाणिक्य	,,	45·750	18700·00
6.	श्वासकुठार रस	,,	350·000	24451·00
		वटी		
7.	अर्क वटी	,,	2345·000	65660·00
8.	अमरसुन्दरी वटी	,,	270·600	13224·75
9.	तिन्दुक वटी	,,	546·400	65620·00
10.	रसोनादि वटी	,,	219·050	32150·17
11.	लवंगादि वटी	,,	236·400	33568·80
12.	व्योषादि वटी	,,	426·500	19192·50
13.	संजीवनी वटी	,,	504·500	40280·00
14.	गंधक वटी	,,	1642·050	93901·25
15.	मरिच्यादि वटी	,,	335·750	12807·00
16.	हिंग्वादि वटी	,,	327·750	30808·50
17.	कुटजघन वटी	,,	197·050	35810·00

294

1	2	3	4	5
		गुग्गुल		
18.	गोक्षुरादि गुग्गुल	किलो	204·100	31635·50
		भस्में		
19.	बालसुधा	"	1452·000	36753-25
20.	विषाण भस्म	"	1000·000	127116·30
21.	शुभ्रा भस्म	"	1210·000	25061·70
		चूर्ण		
22.	आंवला चूर्ण	"	199·250	1394·75
23.	तालिसादि चूर्ण	"	2404·000	105776·00
24.	बिल्व चूर्ण	"	278·000	2224·00
25.	बहेड़ा चूर्ण	"	799·500	4797·00
26.	शतावरी चूर्ण	"	78.250	998·25
27.	हरितकी चूर्ण	"	1960·000	20076·05
28.	पंचसकार चूर्ण	"	880·750	19376·50
29.	पुष्करमूल चूर्ण	"	75 000	1200·00
30.	कुटज चूर्ण	"	87·500	875·00
		क्वाथ		
31.	गोजवादि क्वाथ	किलो	655·500	24909·00
32.	धान्य पंचक क्वाथ	"	580·000	8700·00
33.	वरुनादि क्वाथ	"	762·000	18402·30
		शल्य-शालाक्य-लेप तेल		
34.	पामाहर लेप	किलो	2302·500	80857·00

1	2	3	4	5
35.	जात्यादि तेल	किलो	1176·800	44718·40
36.	नारायण तेल	"	138·800	10271·20
37.	चन्द्रोदय वर्ती	"	99·700	9963·02
38.	नेत्रबिन्दु	"	3000·000	30000·00
39.	कृष्ण मरहम	"	732·000	23153·16
40.	वेदना नाशक	"	1350·000	27000·00
		रस		
41.	अश्वकंचुकी रस	किलो	402·800	56392·00
42.	मल्लसिन्दुर	"	68·650	82380·00
43.	समीरपन्नग रस	"	28·255	22764·00
44.	वृष्य योग	"	300·550	55301·20
		वटी		
35.	विर्ण्मज्वारादि वटी	"	742·000	29692·00
46.	एलादि वटी	"	399·000	38304·00
		पर्पटी		
47.	रस पर्पटी	"	255·000	44100·00
48.	श्वेत पर्पटी	"	517·250	25862·50
		भस्म पिष्टी		
49.	घृताश्म पिष्टी	"	783·750	8257·20
		चूर्ण		
50.	अग्निसंदीपन चूर्ण	"	21·700	737·80

1	2	3	4	5
51.	शांति–वर्धक चूर्ण	किलो	1932 000	187404 00
		क्वाथ		
52.	अगरादि घूप	"	275 000	11000 00
53.	मन्थर ज्वहर क्वाथ	"	350·850	21051·00
		आसव आरिष्ट		
54.	द्राक्षारिष्ट	लीटर	340·000	6800 00
		अवलेह		
55.	द्राक्षावलेह	किलो	355 000	21300 00
56.	ब्रम्ह रसायन	"	1547·000	40222·00
57.	च्यवनप्राश	"	1060·000	31800·00
		शल्य शालाक्य-लेप-तेल		
58.	दशांना लेप	किलो	1595·000	44660 00
69.	निशा तेल	लीटर	47 200	2832·00
60.	दशन संस्कार	किलो	1635·250	78492 00
		यूनानी औषध		
1.	अर्क अजवायन	किलो	302 500	4840 00
2.	कुर्स अन्जवार	"	94·500	14100·00
3.	अर्क पान	"	426·500	24708·00
4.	शर्बत सहतूत	"	125·000	1375 00
5.	शर्बत संदल	"	256 000	6144 00
6.	शर्बत उन्नाब	"	90·000	1800·00

1	2	3	4	5
7.	हब्बे काकड़ा सींगी	किलो	171·050	15068·00
8.	अर्क सौंफ	"	240·000	2640·00
9.	हब्बे रसोत	"	89·000	5250·00
10.	हब्बे दाद	"	100·000	14000·00
11.	स.त्रियाकेश्किम	"	67·000	1340·00
12.	स. तीन	"	9·450	227·70
13.	शर्बत वनफसा	"	204·500	3272·00
14.	हब्बे जिसाद स्याह	"	87·500	6125·00
15.	हब्बे हाजिम	"	518·000	4124·00
16.	अर्क मकोय	"	240·000	3360·00
17.	श. बीजबन्द	"	76·500	1377·00
18.	हब्बे मुफीद	"	65·750	1841·00
			योग	21,40,114·75

नोटः—उक्त दवाओं के अलावा, वेसलीन, ऐरण्ड स्नेह, तारपीन तेल, सोडाबाईकार्ब, गाज, बैण्डेज काटन, एडेसिव प्लास्टर, बोरिक तथा होम्योपैथिक औषधियों आदि का क्रय किया जाकर रिपैकिंग करके पृथकशः सप्लाई की जाती है, जिसकी राशि अलग हैं।

आयुर्वेद विभागान्तर्गत संचालित चारों राजकीय आयुर्वेद रसायन शालाओं में निर्मित सिद्धौषधियों की मात्रा एवं मूल्य वर्ष 1982-83:

क्र.सं,	नाम औषध	इकाई	मात्रा	राशि
1	2	3	4	5
1.	शिवा गुटिका	किलो	90·000	22950 00
2.	समीरपन्नग रस	,,	19·385	9692·50
3.	च्यवन प्राश	,,	613·000	18390·00
4.	व्योषादि वटी	,,	310·000	12400·00
5.	अश्वगंधा चूर्ण	,,	2462·000	59097·00
6.	शिरशूलहर वटी	,,	408·000	11438 00
7.	रस सिन्दूर	,,	10·600	7675·00
8.	द्राक्षावलेह	,,	837·000	50220·00
9.	रसपर्पटी	,,	50·000	9800·00
10.	अगरादि धूप	,,	875·000	43800·00
11.	तिन्दुक वटी	,,	266 000	46880 00
12.	योगराज गुग्गुल	,,	158·500	14265·00
13.	द्राक्षारिष्ट	लीटर	1663·000	26608·00
14.	रामबाणरस	,,	264 000	35640·00
15.	आंवला चूर्ण	किलो	4083·000	32668·00
16.	त्रिफला चूर्ण	,,	2621·000	18347·00
		यूनानी		
1.	रोगन गुल	किलो	194 000	5178·00

1	2	3	4	5
2.	शर्बत संदल	लीटर	39·000	992·00
3.	शर्बत वनफसा	,,	204·000	6074·00
4.	अर्क अजवायन	,,	208·000	2088·00
5.	अर्क सौंफ	,,	101·700	1118·70
6.	शर्बत सहतूत	,,	112·500	1800·00
7.	शर्बत अंजुवार	,,	39·000	546·00
8.	शर्बत उन्नाब	,,	202·000	5656·00
9.	सफूफ बीजबन्द	किलो	139·000	2502·00
10.	हब्बे जीफनफस	,,	59·000	40915·00
11.	सफूफ मुदिर	,,	42·700	4355·40
12.	मरहम सफेद काफुरी	,,	48·800	2244·80
13.	खमीरा गाजवान सादा	,,	353·500	14140·00
14.	जोशांदा	,,	120·000	3020·00
15.	हब्बे रसाद	,,	31·150	2261·05
16.	सफूक त्रियाकीशिकम	,,	66·000	1056·00

नोट:—उक्त दवाओं के अलावा, वेसलीन ऐरण्ड स्नेह, तारपीन तेल, सोडावाईकार्ब, गाज, बेण्डेजकाटन, एडेनसिव प्लास्टर, बोरिक तथा होम्योपेथिक औषधियों आदि का क्रय किया जाकर रिपैकिंग करके पृथकशः सप्लाई की जाती हैं, जिसकी राशि अलग है।

2. उदयपुर एवं भरतपुर रसायन शालाओं के निर्माण की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। रसायनशाला जोधपुर में चूर्ण निर्माण शुरू हो चुका है, सूचना अपेक्षित हैं।

राजकीय औषधालयों को वर्ष 1981-82 में वितरित की गई औषधियों की मात्रा व मूल्य

क.सं.	नाम औषध	इकाई	मात्रा	राशि
1	2	3	4	5
1.	आनन्द भैरव रस	किलो	225·100	28137·50
2.	शुद्ध गंधक	,,	1475 000	30975 00
3.	चन्द्रामृत रस	,,	157·700	27124·40
4.	रामबाण रस	,,	355·000	49700·00
5.	रस माणिक्य	,,	75 950	30380·00
6.	लक्ष्मीविलास रस	,,	3·200	550·40
7.	श्वास कुठार रस	,,	387·700	26719·00
8.	त्रिभुवनकीर्ति रस	,,	148·300	18537·50
9.	अर्क वटी	,,	3379·600	94628·80
10.	अमर सुन्दरी वटी	,,	518·400	33646·00
11.	आरोग्यवर्द्धनी वटी	,,	35·400	6726·00
12.	करंजादि वटी	,,	20·750	3984·00
13.	चन्द्र प्रभा वटी	,,	325·000	55250·00
14.	तिन्दुक वटी	,,	565·000	98875·00
15.	रसोनादि वटी	,,	1159·550	162337·00
16.	लवंगादि वटी	,,	795·600	112975·00
17.	व्योषादि वटी	,,	530·000	23850·00
18.	संजीवनी वटी	,,	1195·750	95660·00

1	2	3	4	5
19.	गंधक वटी	किलो	2294·550	103254·75
20.	मरिच्यादि वटी	,,	517·500	18630·00
21.	हिंग्वादि वटी	,,	327·750	30808·50
22.	कुटजघन वटी	,,	197·050	39500·00
23.	गोक्षुरादि वटी	,,	210·550	32635·25
24.	गोदन्ती भस्म	,,	4604·250	46042·50
25.	कपर्दिका भस्म	,,	3311·200	185427·20
26.	प्रवालमूल भस्म	,,	2148·250	51558·00
27.	बाल सुधा	,,	2454·950	68738·60
28.	मुक्ता शुक्ति भस्म	,,	381·450	5721·75
29.	विषाण भस्म	,,	2669·500	387077·50
30.	शंख भस्म	,,	1717·500	24045·00
31.	शुभ्रा भस्म	,,	2358·500	42453·00
32.	मण्डूर भस्म	,,	282·450	11298·00
33.	अविपतिकर चूर्ण	,,	70·000	3080·00
34.	अश्वगंधा चूर्ण	,,	2·000	48·00
35.	आंवला चूर्ण	,,	209·500	1466·50
36.	तरुणी कुसमाकर चूर्ण	,,	546·000	24024·00
37.	तालीसादी चूर्ण	किलो	1763.000	77572.00
38.	बिल्व चूर्ण	,,	342.500	2740.00
39.	बहेडा चूर्ण	,,	1129.200	6775.00
40.	लवणभास्कर चूर्ण	,,	38–500	1232.00
41.	शतावरी चूर्ण	,,	727.950	8733.40

(302)

1	2	3	4	5
42.	हरितकी चूर्ण	किलो	4761.750	42855.75
43.	हिंगवष्टक चूर्ण	"	1-250	75.00
44.	पंचसकारचूर्ण	"	2662·750	58580.50
45.	भुवनेश्वर चूर्ण	"	530.750	5307.50
46.	पुष्कर मूल चूर्ण	"	500.250	8004.00
47.	मंजिष्ठादि चूर्ण	"	4540.500	172539.00
48.	ईसबगोल भूसी	"	306.500	7662.50
49.	कुटज चूर्ण	"	87.500	875.00
50.	गोज्वादि क्वाथ	"	692.500	26315 00
51.	दशमूल क्वाथ	"	75.500	1057.00
52.	धान्य पंचक क्वाथ	"	729.250	10938.75
53.	मंजिष्ठादि क्वाथ	"	29.300	586.00
54.	वरुणादि क्वाथ	"	662.000	13240.00
55.	कर्पूरधारा	"	411.920	123576.00
56.	नवांयसलोह	"	146 500	16408.00
57.	पुनर्नवामण्डूर	"	-200	28.00
58.	पामाहार लेप	"	2301.250	80543.75
59.	जात्यादि तेल	"	1828.000	69464 00
60.	नारायण तेल	"	154.800	11455.20
61.	पंचगुण तेल	"	36.400	1965.60
62.	चन्द्रोदयवर्ती	"	220.200	220.20
63.	नेत्र बिन्दू	"	3526.200	35262.00
64.	कृष्णमरहम	"	2125.300	68009.60
65.	वेदना नाशक	"	936.800	18736.00
66.	काटन	"	4800 पेकेट	53460.00
67.	बैण्डेज बडी	"	7835 दर्जन	109690.00

1	2	3	4	5
68.	गाज	किलो	17806 मीटर	26709.00
69.	लिन्ट	"	2104 नग	115720.00
70.	एडिसिव प्लास्टर	"	7411 नग	88932.00
71.	बण्डेज छोटी	"	24924 दर्जन	174468.00
72.	जिंक आक्साइड	"	4579	137370.00
73.	वेसलीन सफेद	"	653.700	16342.50
74.	सोडाबाई कार्ब	"	2667.750	21342.00
75.	बोरिक एसिड	"	666.250	7995.00
76.	अर्श कुठार रस	"	101.200	5464.80
77.	अश्वकंचुकी रस	"	389.600	54544.00
78.	मृत्युंजय रस	"	96.300	15408.00
79.	मल्ल सिन्दूर	"	49.575	59490.00
80.	रस सिन्दूर	"	6–650	4821.25
81.	समीरपन्नग रस	"	42.435	33948.00
82.	वृष्य योग	"	130.350	23984.40
83.	सोमसरवा वटी	"	5–550	777.00
84.	शिरशूलहर वटी	"	197.250	5523.00
85.	विषमज्वरादि वटी	"	1127.000	45080.00
86.	एलादि वटी	"	493.350	47361.60
87.	रस पर्पटी	"	213.300	41806.80
88.	श्वेत पर्पटी	"	517.250	25862.50
89.	अकीक पिष्टी	"	236.700	4970.70
90.	अग्निसंदीपन चूर्ण	"	453.950	15434.30
91.	प्रवाहिकान्तक चूर्ण	"	366.000	6222.00

304

1	2	3	4	5
92.	शांतिवर्द्धक चूर्ण	किलो	1962.250	168753.50
93.	यवानिखाण्डव चूर्ण	"	1406.500	39382.00
94.	लवंगादि चूर्ण	"	13.500	540.00
95.	अगरादि धूप	"	569.750	22790.00
96.	जन्मघुटी क्वाथ	"	443.750	10650.00
97.	पुनर्नवादी क्वाथ	"	944 000	14160.00
98.	मन्थरज्वहर क्वाथ	"	75.100	4506.00
99.	अशोकारिष्ट	लीटर	359.800	6476.40
100.	द्राक्षारिष्ट	"	1064.000	21280.00
101.	अर्क विसूचिकान्तक	"	445.600	5347.20
102.	द्राक्षावलेह	किलो	349.250	20955.00
103.	ब्रहमरसायन	"	920.000	23920.00
104.	च्यवनप्राश	"	1321.750	39652.50
105.	दद्रुदावानल	"	105.750	1903.50
106.	दशांगलेप	"	3171.750	88809.00
107.	निशातेल	लीटर	48.800	2928.00
108.	दशनसंस्कार	किलो	3416.950	273356.00

बहुमूल्य औषधियों की सूची :-(सप्लाई)

1.	मुक्तापंचामृत	किलो	-093	1427.10
2.	प्रवालपंचामृत	"	-500	480.00
3.	बसन्तमालती	"	-055	93.50
4.	कस्तूरी भैरव रस	"	-050	250.00
5.	हरदेश्वर रस	"	-300	228.00
6.	चन्द्रशेखर रस	"	-010	6-30

325

परिशिष्ट-4

राजकीय आयुर्वेद औषध वितरण केन्द्र डिपो अजमेर, वर्ष 1982—83 (31 अगस्त तक) आयुर्वेद औषधालयों को उपलब्ध कराई गई औषधियां:—

क.सं.	नाम औषधि
1.	मल्ल सिन्दूर
2.	तिन्दूक वटी
3.	रसोनादि वटी
4.	व्योषादिवटी
5.	बाल सुधा
6.	वृष्य योग
7.	श्वासकुठार रस
8.	चन्द्रामृता रस
9.	कर्पूर रस
10.	रस माणिक्य
11.	रामबाण रस
12.	अश्वकंचुकी रस
13.	योगराज गुगुल
14.	गोदन्ती भस्म
15.	प्रवाल भस्म
16.	मु. शु. पिष्टी
17.	प्रवाल पिष्टी
18.	द्राक्षावलेह
19.	च्यवनप्राश
20.	धामाहर लेप
21.	रस सिन्दूर
22.	समीर पन्नग रस
23.	रस पर्पटी
24.	अगरादि धूप
25.	शिवागुटिका
26.	शिरशूलहर वटी
27.	जन्म घूंटी
28.	धान्यपंचक क्वाथ

क्र.सं.	नाम औषधि
29.	सन्निपातहर क्वाथ
30.	ऐरण्ड तेल
31.	तारपीन तेल
32.	बोरिक ऐसिड
33.	कोटन
34.	तालीसादी चूर्ण
35.	हरित की चूर्ण
36.	अश्वगंधा चूर्ण
37.	मण्डूर भस्म
38.	विषाण भस्म
39.	चित्रकादि वटी
40.	वेदना नाशक
41.	जात्यादि तेल
	द्राक्षारिष्ट
43.	ब्रह्म रसायन
44.	अबुल्वक चूर्ण
45.	एलादि वटी
46.	रज: प्रवर्तनी वटी
47.	साबुन
48.	समाचार पत्रों की रद्दी
49.	अर्कीक पिष्टी

राजकीय आयुर्वेद औषध वितरण केन्द्र, डिपो अजमेर
वर्ष 1982—83 में (अगस्त 82 तक) होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालयों
की उपलब्ध कराई होम्योपैथिक एवं यूनानी औषधियों की सूची—

होम्योपैथिक औषधियां

1.	ग्लोब्यूल्स
2.	बायोकेमिक टेबलेट (12 Type Med.)
3.	सुगर आफ मिल्क (35 Type Med.)
4.	मदर टिंचर एक्सटरनल (30 Type Med.)
5.	मदर टिंचर इन्टरनल
6.	सिनरेरिया मेरिटिमा

क्र.सं.	नाम औषधि
7.	बोरोकेलेन्डुला पाऊडर
8.	मुनिबल आयल
9.	एल्फा टॉनिक
10.	होम्यो अन्टिमेंन्ट
11.	कोटर्न
12.	बोरिक ऐसिड
13.	साबुन

यूनानी औषधियां

1.	अर्कपानी
2.	अर्क अजवायन
3.	अर्क मकोय
4.	अर्क सौंफ
5.	रोगन गुल
6.	शर्बत बनपशा
7.	शर्बत उन्नाब
8.	शर्बत अन्जुबार
9.	शर्बत शहतूत
10.	शर्बत चन्दन
11.	खमीरागाजवान सादा
12.	मरहम सफेद काफूरी
13.	सफुफ मुदीर
14.	सफूफ जर्द मरहम
15.	सफूफ बीजबन्द
16.	सफू त्रियाकेशिकम
17.	हब्वे रसोत
18.	हब्वे जिकन्नफस
19.	हब्वे दाद
20.	हब्वे काबिद नौसादरी
21.	हब्वे कियाद स्याह
22.	कुर्स अन्जुबार
23.	हब्वे काकड़ा सिगी

क्र.सं.	नाम औषधि
24.	जौसादा (क्वाथ)
25.	ईसबगोल दाना
26.	कर्पूर रस
27.	गोदन्ती भस्म
28.	कोटन
29.	तारपीन तेल
30.	ऐरण्ड तेल
31.	साबुन
32.	बोरिक ऐसिड
33.	समाचार पत्र की रद्दी
34.	मु. शु. पिष्टी
35.	अकीक पिष्टी

309

वर्ष 1982-83 में आयुर्वेद फार्मेसी भरतपुर द्वारा वितरित की गई औषधियों का विवरण

क्र. सं.	नाम औषधि	मात्रा	मूल्य
1.	अश्वकचुकी	19,800 ग्राम	2,772,00
2.	बोरिक पाउडर	433,250 ग्राम	6,205,50
3.	एरन्डस्नेह	122 लीटर	2,196,00
4.	रूई	960 बन्डल	11,520,00
5.	च्यवनप्राश	100 किलो	3,000,00
6.	वेदनानाशक	60 लीटर	1,200,00
7.	नेत्रबिन्दु	60 लीटर	600,00
8.	वृष्ययोग	38,800 ग्राम	6,208,00
9.	रजाप्रवर्त्तनी वटी	28,300 ग्राम	3,820,50
10.	चन्द्रामृतारस	30 किलो	5,160,00
11.	कर्पूररस	30 किलो	10,500,00
12.	ब्रह्मरसायन	118 किलो	3,894,00
13.	मन्थरज्वरहर क्वाथ	40 किलो	2,480,00
14.	मरिच्यादिवटी	25 किलो	1,550,00
15.	एलादि वटी	25 किलो	2,250,00
16.	मल्लसिंदूर	5 किलो	6,000,00

310

1	2	3	4
17.	अमरसुन्दी	9 किलो	738,00
18.	अश्वगंधा चूर्ण	120 किलो	2,880,00
19.	शिरसूल वटी	25 किलो	700,00
20.	तालिसादिवटी	176 किलो	5,808,00
21.	तिन्दुकटी	30 किलो	5,400,00
22.	द्राक्षारिष्ट	67 लीटर	1,072,00
23.	अगरादि धूप	41·500 ग्राम	2,075,00
24.	रामबाण रस	7·800 ग्राम	953,00

राजस्थान, नहर परियोजना में खालों के खुदाई की बकाया मजदूरी

122. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : क्या राजस्थान नहर राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्थान नहर परियोजना खण्ड (20) के खाला की आर. डी. 1203 से 1211 की खुदाई हेतु ग्राम भवाय दिधु, टोटा, चिनु, बरडाना, चान्दसर व कानासर के अनुसूचित जाति व जन-जाति के मजदूरों को कार्य पर लगाया गया था और इन मजदूरों को ठेकेदारों द्वारा उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हो, तो मजदूरों की कितनी धनराशि बकाया है ? इन गरीब मजदूरों को उनकी मजदूरी की राशि दिलाने हेतु राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

उत्तर

इस कार्य का एक ही ठेकेदार था जिसने मजदूरों को पूरा भुगतान नहीं किया। बकाया धनराशि मजदूरों के प्रार्थना पत्रों के अनुसार 50,000/- रुपये से 90,000/- रुपयों के बीच बताई है। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार मजदूरों को उनकी बकाया राशि दिलाई जाने की कार्यवाही की जा रही है।

नाथद्वारा में नगर विकास न्यास का गठन

123. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या नगरीय विकास एवं आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार सन् 1977 से पूर्व में स्थापित नाथद्वारा में नगर विकास न्यास का पुनर्गठन किया जाना है ?

(2) यदि हां, तो नाथद्वारा में नगर विकास न्यास की स्थापना कब तक की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) शीघ्र ही की जावेगी।

पंचायत समिति सराड़ा में विभिन्न कार्यों पर व्यय

124. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सराड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1981-82 में पंचायत समिति सराड़ा में माध्यमिक एवं प्राथमिक स्कूल्स, दवाखाने तथा पेय जल हेतु सार्व-

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

जनिक कुओं के निर्माण पर कितना रुपया खर्च किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) व्यय राशि से कितने भवन पूर्ण हो गये और कितने अधूरे पड़े हैं ?

(3) पंचायत समिति द्वारा पेयजल हेतु कितने कुयें खुदवाये गये ? प्रत्येक कुए पर कितना रुपया व्यय हुआ तथा इनमें से कितने अधूरे हैं ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सराड़ा में माध्यमिक एवं प्राथमिक स्कूल भवनों पर 1,57,821 रुपये 14 पैसे औषधालय भवनों पर 14,742 रुपये 37 पैसे एवं सार्वजनिक कूपों के निर्माण पर 25,394 रुपये 72 पैसे खर्च किया गया हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) दो शाला भवन व दो औषधालय भवन के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 19 शाला भवन एवं एक औषधालय भवन के कार्य अपूर्ण हैं।

(3) पंचायत समिति द्वारा पंचायतों के माध्यम से वर्ष 81-82 में कुल आठ कुओं के निर्माण का कार्य कराया गया। इन पर कुल 25,394 रुपये 72 पैसे व्यय हुआ। उपरोक्त सभी कुओं के कार्य अपूर्ण हैं।

वर्ष 81-82 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत पंचायतों के माध्यम से सम्पादित कार्यों का विवरण पंचायत समिति सरा

(जिला—उदयपुर)

क्र. सं.	नाम कार्य	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य पूर्ण अपूर्ण
1.	उ. प्रा. वि. सगतड़ी	47000/-	16299-24	अपूर्ण
2.	उ. प्रा. मु. खेड़ा	25000/-	10918-75	"
3.	उ. प्रा. वि. बलुआ	37200/-	8548-95	"
4.	उ. प्रा. वि. बोरी	99000/-	11991-05	"
5.	उ. प्रा. वि. कुण्डा	47900/-	3601-09	"
6.	सैकण्डरी स्कूल भोराई	37200/-	6257-31	"
7.	उ. प्रा. वि. पलोदड़ा	37200/-	15109-80	"
8.	उ. प्रा. वि. महुवाड़ा	37200/-	13680-77	"
9.	उ. प्रा. वि. खवर	47900/-	—	—
10.	प्रा. वि. चावण्ड	37200/-	10933-01	अपूर्ण
11.	प्रा. वि. सिघटवाड़ा	37200/-	996-81	"
12.	उ. प्रा. वि. देवपुरा	25000/-	5000-00	"
13.	प्रा. वि. धनकावाड़ा	37200/-	8974-12	"
14.	प्रा. वि. पहाड़ी	10000/-	—	"

315

क्र. सं.	नाम कार्य	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य पूर्ण अपूर्ण
15.	उ. प्रा. वि. पलोदड़ा ।।	37200/-	12414-20	"
16.	प्रा. वि. केजड़	12000/-	1768-00	पूर्ण
17.	प्रा. वि. कातनवाड़ा	37200/-	14781-21	अपूर्ण
18.	प्रा. वि. निमोदा	37200/-	8892-18	"
19.	प्रा. वि. बेलवड़ी	37200/-	—	—
20.	प्रा. वि. दर्जीनपुरा	11000/-	3403-65	पूर्ण
21.	प्रा. वि. बाशा	37200/-	6250-00	अपूर्ण
	योग	771,200/-	157821-14	

औषधालय–भवन

क्र. सं	नाम कार्य	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	आवश्यक धन राशि, कार्य पूर्ण होने पर
1.	सुरखण्ड खेड़ा	25000/-	10919-75	पूर्ण
2.	सैमारी	25000/-	2313-32	,,
3.	औषधालय बरामदा से माल	8000/-	1579-30	6000-00 की मांग कर रखी हैं।
	योग	58,000/-	14742-37	

सार्वजनिक कूप

क्र. सं.	नाम कार्य	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	आवश्यक धन राशि कार्य पूर्ण करने पर
1.	जामड़ा घाटा कुई	6660/-	3671-87	3000/- अपूर्ण
2.	हरनाछापर कुई	6660/-	5953-11	1000/- अपूर्ण
3.	सिपुर ढाणी कुई	6660/-	2118-61	4000/- अपूर्ण
4.	चोकड़ा लिम्बड़ी कुई	7000/-	4846-25	2000/- अपूर्ण
5.	खरबर पाणी कुआ	6000/-	2155-03	5000/- अपूर्ण
6.	सा. कुआ फला बटोड़ी	7000/-	1900-00	5000/- अपूर्ण
7.	टोकर कूप	5000/-	3292-75	3000/- अपूर्ण
8.	धनकावाड़ा कूप	7000/-	1447-10	5500/- अपूर्ण
	योग	51980/-	25394-72	28500/-

नियुक्ति पर लगा प्रतिबंध हटाना

125. श्री हरीसिंह (कुम्हेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राज्य सेवा में नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) यदि नहीं, तो सरकार का बेरोजगारी दूर करने का क्या कार्यक्रम है ?

उत्तर

(1) राज्य सेवा में केवल कनिष्ठ लिपिकों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक है। सरकार इस रोक को हटाने पर विचार कर रही है एवं शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत समिति मूंडवा व नागौर में ट्यूब वैल्स की खुदाई

126. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या भू-जल विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति, मूण्डवा एवं पंचायत समिति, नागौर को भू-जल विभाग द्वारा ब्लास्टिंग मशीनें एवं बोरिंग मशीनें पीने के पानी के कुओं को गहरा करने के लिये उपलब्ध करायी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी ?

(2) नागौर जिले में लाकुकित नी ब्लास्टिंग बोरिंग एवं ट्यूबवैल खोदने की मशीनें सन् 1981 से क्रियाशील है एवं कितने कृषि ट्यूब वैल खोदे गये हैं ? कृपया काश्तकार का नाम एवं ग्राम सहित पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) सूखा संभाव्य क्षेत्र परियोजना द्वारा 1 अप्रेल, 1981 से 20 अगस्त, 1982 तक कृषि कार्य हेतु जो ट्यूब वैल खोदे गये हैं, उससे सम्बद्ध काश्तकारों के नाम, पिता का नाम एवं ग्राम तथा कुओं पर हुए कुल व्यय की पूर्ण सूची कृपया सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पंचायत समिति की मांग प्राप्त होने पर मशीनें उपलब्ध करवा दी जावेगी।

(2) नागौर जिले में वर्ष 1981–82 से 3 मशीनें कार्यरत है। कुओं को गहरा करने के लिये अलग से ब्लास्टिंग युनिट नहीं है। कृषि नलकूपों की सूची मय काश्तकारों के नाम, गांव का नाम सदन के पटल पर रखा दी गयी है।

(3) सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 अप्रेल, 1981 से 20 अगस्त, 1982 तक कृषि कार्य हेतु जो नलकूप बनाये गये हैं, उन काश्तकारों के नाम, गांव का नाम और कुओं पर हुए कुल व्यय की सूची सदन की पटल पर रख दी गयी है।

(318)

प्रपत्र "अ"

नागौर जिले में कृषि व नलकूप खोदने की सूची वर्ष 1981–82

क्र.सं.	पार्टी का नाम	कार्य स्थलगांव	विशेष विबरण
1.	2.	3.	4.
1.	श्री शिवलाल एण्ड पार्टी	बासनी	
2.	श्री मेहरानन्द ,,	,,	
3.	,, हनवन्त सिंह ,,	बाकलियावास	
4.	,, नन्द लाल ,,	रियान्स	
5.	,, गोपाराम ,,	नरसिंग भरसिंग	
6.	,, माधूराम ,,	टालनपुर	
7.	,, प्रेमाराम ,,	,,	
8.	,, मानाराम ,,	कुण्डल	
9.	,, हिम्मताराम ,,	बांसवों की ढाणी	
10.	,, फत्ताराम ,,	,,	
11.	,, प्रतापराम ,,	टूंकलिया	
12.	श्रीमती हस्तोदेवी ,,	जारड़ीया	
13.	श्री सोहनराम ,,	चक बोरड़ी (लाडनू)	
14.	,, मांगीलाल ,,	खींवसेर	
15.	,, जगदीश प्रसाद ,,	,,	
16.	जोराराम ,, (प्रथम)	,,	
17.	,, जोराराम ,, (द्वितीय)	,,	
18.	,, सूजाराम ,,	गोटन	
19.	,, चूनाराम ,,	,,	
20.	,, हापूराम ,,	,,	
21.	,, मूल्तानाराम ,,	,,	

1.	2		3	4
22.	श्री तारा राम	एण्ड पार्टी	गोटन	
23.	,, नाथूराम	,,	,,	
24.	,, पहाड़ सिंह	,,	,,	
24.	,, राम देव चौधरी	,,	,,	
26.	,, अमरसिंह ,,	,,	गांगूनड़ा	
27.	श्रीमती देवकंवर ,,	,,	नोखा चन्दावत	
28.	श्री भीखाराम ,,	,,	बासनी सेजा	
29.	,, पूनाराम ,,	,,	,,	
30.	श्रीमती भेरूकंवर/अनूपसिंह	,,	बाकलिया	
31.	श्री उदयसिंह	,,	रोल चांदावत	
32.	,, हरदीन राम	,,	गोटन	
33.	,, हनुमान एण्ड पार्टी		,,	
34.	,, बक्सा राम	,,	बोटन	
35,	,, श्यामलाल	,,	कुण्डल	
36.	,, सांवलराम	,,	बासनी सेजा	
37.	,, सीताराम	,,	,,	
38.	,, मोहाराम	,,	,,	
39.	,, भीखसिंह	,,	जारोड़ा कलां	
40.	,, अमरसिंह	,,	कासवों की ढ़ाणी	
41,	,, बाबूलाल	,,	,,	
42.	,, रमजीराम	,,	,,	
43.	,, मानसिंह	,,	कुकलिया	
44.	,, सगराम	,,	धनापा	
45.	,, हिम्मताराम	,,	,,	
46.	,, अन्धाराम	,,	जारोड़ा कला	
47.	,, गुमानाराम	,,	दालनपुर	

1	2		3	4
48.	श्री मेहराम	एण्ड पार्टी	टुकलिया	
49.	,, फतेहसिंह	,,	टालनपुर	
50.	,, गोपीराम	,,	बासनी सेजा	
51.	,, जोमसिंह	,,	टालनपुर	
52.	,, प्रेमसिंह	,,	खींवसर	
53.	,, मुल्तानाराम	,,	,,	
54.	,, घोकलराम	,,	,,	
55.	,, नन्दकिशोर	,,	,,	
56.	,, भीखाराम	,,	,,	
57.	श्रीमती धापकंवर	,,	,,	
58.	श्री प्रेमाराम	,,	,,	
59.	,, गणपत सिंह	,,	,,	
60.	,, रामधन	,,	,,	
61.	,, हेलाराम	,,	,,	
62.	,, जोंबरी लाल	,,	,,	
63.	,, हरीसिंह	,,	,,	
64.	,, जेठाराम	,,	,,	
65.	,, लूम्बाराम	,,	,,	
66.	,, सोहनराम	,,	,,	
67.	,, रामकिशन	,,	,,	

321

वर्ष 1982–83 में माह अगस्त, 1982 तक निर्मित कृषि नलकूपों की सूची:—

1	2		3	4
1.	श्रीमती गानू देवी एण्ड पार्टी		खींवसर	
2.	श्री मोहनराम	,,	चैरास	
3.	श्रीमती केसर देवी	,,	खींवसर	
4.	श्री वली मोहम्मद	,,	,,	
5.	,, सुखाराम	,,	,,	
6.	,, जोगाराम	,,	,,	
7.	,, सोमसिंह	,,	वासनी सेजा	
8.	,, संग्रामराम	,,	,,	
9.	,, लखाराम	,,	जारोदा कलां	
10.	,, ज्ञालाराम	,,	बिटटन	
11.	,, हरीशचन्द्र	,,	,,	
12.	,, रूपाराम	,,	टूंकलिया	
13.	,, धनाराम	,,	टालनपुर	
14.	,, धूलाराम	,,	धनापा	
15.	,, पने सिंह	,,	लम्बाजाटान	
16.	श्रीमती रूप देवी/ शिवदान		टाडास	
17.	,, श्री मांगीलाल	,,	,,	
18.	,, भोगराम	,,	,,	
19.	,, शिवलाल	,,	जारोदा कलां	
20.	,, खुंमाराम	,,	खींवसर	
21.	,, घनश्याम	,,	,,	
22.	,, मोड़ाराम	,,	बिटटन	

———

322

नागौर जिले में कृषि कार्य हेतु वर्ष 1981–82 में निम्नलिखित कृषकों के यहां बोरिंग कार्य परक्यूशन मशीनों द्वारा कृषि नलकूपों का निर्माण :

क्र. सं.	पार्टी का नाम	कार्य स्थान गांव
1.	श्री गोबिन्द राम	कुचेरा
2.	,, श्यामसुन्दर सारड़ा	सान्छवरड़
3.	,, रामानन्द गौशाला I	लाडनू
4.	,, शिवकरण	डागावास
5.	,, रामानन्द गौशाला–II	लाडनू
6.	,, बुद्धी प्रकाश	गाजू
7.	,, रामपाल पुत्र श्री रूगाराम	मेड़ता सीटी
8.	,, मंगाराम पुत्र श्री राम	मोकाला
9.	,, भोलाराम	हसीयाल
10	,, रामदीन पुत्र श्री लखाराम	बासनी कलां
11.	,, भंवर सिह एण्ड पार्टी	मेड़ता सिटी
12.	,, गणेश राम	खियाला

323

प्रपत्र "ब"

नागौर जिले में सूखा संभाव्य क्षेत्र परियोजना द्वारा निर्मित नलकूपों की सूची (वर्ष 1981-82)

क्र.सं.	पार्टी का नाम	कार्य स्थल (गांव)	नलकूप की लागत	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.
1.	श्री शिवलाल एण्ड पार्टी	बासनी	11002.00	....
2.	,, महंरा नन्द "	"	36666.50	पंप व विद्युत सहित
3.	,, हनवन्त सिंह "	वांकलियावास	35594.00	.... "
4.	,, नन्दलाल "	रियान्स	10548.80	....
5.	,, गोपाराम "	नरसिंग भरसिंग	32022.52	पंप व विद्युत सहित
6.	,, माधूराम "	टालनपुर	39023.50	"
7.	,, प्रेमाराम "	,,	36964.50	"
8.	,, मानाराम "	कुनड़ल	31352.50	"
9.	,, हिम्मताराम "	कासबो की ढाणी	34244.50	"
10.	,, फताराम "	,,	35404.50	"
11.	,, प्रतापराम "	ट्ंकलियां	12862.40	"
12.	श्रीमती हस्तीदेवी "	जारडीयां	असफल	....
13.	श्री सोहनराम "	चक वोरड़ी (लाडनू)	38322.00	पंप व विद्युत सहित
14.	,, मांगी लाल "	खींवसर	10270.00	....
15.	,, जगदीश प्रसाद "	,,	11710.00	....
16.	,, जोराराम "	,,	13616.00	....
17.	,, जोराराम "	,,	12500.00	....
18.	,, सूजाराम "	गोटन	40355.00	पंप व विद्युत सहित
19.	,, चूनाराम "	,,	असफल	....

324

1	2	3	4	5
20	श्री हापूराम	एण्ड पार्टी गोटन	असफल	....
21.	,, मुल्तानाराम	,, ,,	39756.50	पंप व विद्युत सहित
22.	,, ताराराम	,, ,,	15160.00	....
23.	,, नाथूराम	,, गोटन	असफल	....
24.	,, पहाड़सिह	,, ,,	15660.00	....
25.	,, अमरसिह	,, गांगूड़ा	असफल	....
26.	,, रामदेव चौधरी	,, गोटन	39530.00	पंप व विद्युत सहित
27.	श्रीमती देवकंवर	,, नौखा चांदावत	13100.00	....
28.	श्री भीखाराम	,, बोसनी सेज	असफल	....
29.	,, पूनाराम	,, ,,	10358.80	....
30.	श्रीमती मेड़कवंर अनूपसिह	बांकलियां	9757.00	....
31.	श्री उदयसिह एण्ड पार्टी	रोल चांदावात	11730.00	....
32.	,, हरदीन राम ,,	गोटन	15432.00	....
33.	,, हनुमान ,,	,,	असफल	....
34.	,, बस्साराम ,,	,,	9348.00	....
35.	,, श्यामलाल ,,	पुन्डलू	7550.00	....
36.	,, सांवलराम ,,	बासनी सेजा	12422.00	....
37.	,, सीताराम ,,	,,	10955.00	....
38.	,, मोडाराम ,,	,,	34806.00	पंप व विद्युत सहित
39.	,, भीखसिह ,,	जारोड़ा कलां	आंशिक असफल	....
40.	,, अमरसिह ,,	कासवों की ढाणी	9426.00	....
41.	,, बाबूलाल ,,	,,	9180.00	....
42.	,, रामजी राम ,,	,,	10056.00	....
43.	,, कानसिह ,,	कुंकलिया	9482.00	....
44,	श्री सगराम ,,	घनापा	11176.00	....
45.	,, हिम्मताराम ,,	,,	9496.00	....

1	2		3	4	5
46.	श्री ग्रन्धाराम	एण्ड पार्टी	जारोड़ा कलां	37660.00	....
47.	,, गुमानाराम	,,	टालनपुर	15510.00	....
48.	,, मेहराम	,,	टुंकलियां	11450.00	....
49.	,, फतेहसिंह	,,	टालनपुर	11552.00	....
50.	,, घोपीराम	,,	बासनी सेजा	8922.00	....
51.	,, जोगसिंह	,,	टालनपुर	असफल	....
52.	,, प्रेमसिंह	,,	खींवसर	10112.00	....
53.	,, मुल्तानाराम	,,	,,	10420.00	....
54.	,, घोकलराम	,,	,,	9450.00	....
55.	,, नन्दकिशोर	,,	,,	9400.00	....
56.	,, भीखाराम	,,	,,	14360.00	....
57.	श्रीमती घापकंवर	,,	,,	असफल	....
58.	श्री प्रेमाराम	,,	,,	9482.00	....
59.	,, गणपतसिंह	,,	,,	असफल	....
60.	,, रामधन	,,	,,	9810.00	....
61.	,, हेलाराम	,,	,,	22414.00	....
62.	,, जौवरीलाल	,,	,,	22414.00	....
63.	,, हरीसिंह	,,	,,	28052.00	....
64.	,, जेठाराम	,,	,,	28164.00	....
65.	,, लुम्बाराम	,,	,,	22322.00	....
66.	,, सोहनराम	,,	,,	24018.00	....
67.	,, राधाकिशन	,,	,,	9880.00	....

326

वर्ष 1982--83 में माह अगस्त तक नागौर जिले में सूखा संभाव्य क्षेत्र परियोजना द्वारा निर्मित नलकूपों की सूची :—

क्र.सं.	पार्टी का नाम		कार्य स्थल (गांव)	नलकूप की लागत	विशेष विवरण
1	श्रीमती गानू देवी	एण्ड पार्टी	खींवसर	26934.00	
2.	श्री मोहनराम	"	बैराश	25318.00	
3	श्रीमती केशर देवी	"	खींवसर	26692.00	
4.	श्री वली मोहम्मद	"	"	23726.00	
5.	" सुखाराम	"	"	27[illegible]24.00	
6.	" जोगाराम	"	"	30408.00	
7.	" रामसिंह	"	बासनी सेजा	22402.00	
8.	" संग्राम राम	"	"	24460.00	
9.	" लखाराम	"	जोरादा कलां	21908.00	
10.	" झालाराम	"	बिटटन	मूल्य प्राप्त नहीं हुआ है।	
11.	" हरीशचन्द्र	"	बिटटन	"	
12.	" रूपाराम	"	टुकलियां	"	
13.	" घनाराम	"	तालनपुर	"	
14.	" धूलाराम	"	घनापा	"	
15.	" पनेसिंह	"	लम्बा जाटान	"	
16.	श्रीमती रुपदेवी/शीवदान	"	टाडास	"	
17.	श्री मांगीलाल	"	"	"	
18.	" जोगराम	"	"	"	
19.	" शिवलाल	"	जारादा कलां	"	
20.	" खुमाराम	"	खीवसर	"	
21.	" घनश्याम	"	"	"	
22.	" मोड़ाराम	"	बिटटन	"	

जयपुर शहर की कच्ची बस्तियां

127. **श्री ग्रमरा राम चौधरी** (पचपदरा) : क्या नगरीय विकास एवं आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर की ग्रब तक कितनी कच्ची बस्तियों को राज्य सरकार ने नियमित रूप से बसाया है ? जो कच्ची बस्तियां नाले के बहाव में स्थित है उन पर ग्रब तक क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

(2) पुन:स्थापन एवं पुनर्वास बिभाग, जयपुर शहर में ग्रब तक कितने कच्ची बस्ती निवासियों ने मय तीन किश्तों के ग्रावेदन-प्रत्र प्रस्तुत किये है ? उनको कब तक मकान ग्रावंटित किये जावेंगे ?

(3) कच्ची बस्तियों के वे निवासी जो कि नाले के बहाव में स्थित है एवं वे ग्रपना ग्रावेदन-पत्र मय किश्त पुनर्वास विभाग में जमा नहीं कराना चाहते है उनके विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं ?

(4) जो कच्ची बस्ती निवासी नाले के बहाव में निवास करते है एवं वे ग्रापने ग्रनधिकृत कब्जे से नहीं हटना चाहते हैं उन पर क्या कार्यवाही की जा रहीहै एवं जिन्होंने मय तीनों किश्तें ग्रपना ग्रावेदन पत्र पुनर्वास विभाग में भर दिये हैं उनको ग्रवैध कब्जे से कब हटाया जावेगा ?

(5) सूरज नगर, नागतलाई कच्ची बस्ती जो कि नई ग्रनाजमन्डी सूरज पोल गेट के बाहर, नागतलाई के नाले में स्थित हैं, क्या उसको सुयोग्य ढंग से बसाने ग्रथवा नाले को पाटने का मामला सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1)जयपुर शहर की प्राधिकरण क्षेत्र की 70कच्ची बस्तियों में इन कच्ची बस्तियों के निवासियों को नियमित किये जाने की कार्यवाही की गयी है नाले के वहाव में स्थित कच्ची बस्तियों के सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा मुरलीपुरा एवं विद्यार नगर योजना में पक्के मकान बनाकर बाढ़ से पीड़ित कच्ची बस्तियों के निवासियों को बसाये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(2) ग्रब तक कुल 52 कच्ची बस्तियां के कुछ 2783 निवासियों में ग्रावासन हेतु ग्रावेदन-प्रत्र प्रस्तुत किये है ग्रौर इनमें से ग्रब तक 731 व्यक्तियों में तीनों किश्त जमा करा दी हैं । ग्रावंटन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर किये जावेगे । जिनकी नवम्बर के ग्रन्त तक पूर्ण करने की संभावना है ।

(3) कच्ची बस्तियां के ये निवासी जो नाले के बहाव में स्थित हैं एवं जिन्होंने ग्रब तक इस विभाग में ग्रावेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं उनको जिस जगह वे बैठे हैं का नियमन किया जायेगा ।

(4) जिन कच्ची बस्तियों के निवास नाले के बहाव में निवास कर रहे हैं एवं उन्हें समाचार पत्रों के माध्य से चेतावनी दी जा चुकी है उन्हें सुरक्षित

(328)

(नगरीय विकास एवं आयोजना मन्त्री)

स्थानों पर स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही हैं एवं जिन्होंने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर तीनों किश्तें जमा करा दी है उनके अबंध कब्जे की भूमि को मकान आवंटन करते समय राज्य सरकार अपने कब्जे में ले लेगी।

(5) सुरजनगर नागतलाई कच्ची बस्ती का प्रश्न है यह कच्ची बस्ती सुरजपोल दरवाजे के निकट कृषि उपज मण्डी के क्षेत्र में स्थित है। कृषि उपज मण्डी समिति को तत्कालीन नगर विकास न्यास द्वारा योजना स्थानान्तरित करते समय मन्डी समिति से समझौता किया गया था जिसकी शर्त के अनुसार इस कच्ची बस्ती के निवासियों को बसाये जाने का उत्तरयादित्व कृषि उपज मण्डी समिति का है।

नगर विकास न्यास, जोधपुर, द्वारा भू-खण्ड आवंटन

128. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर): क्या नगरीय विकास एवं आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने जोधपुर के पश्चिमी पटेल नगर के कतिपय जन-प्रतिनिधियों, नगर विकास न्यास के सदस्यों एवं न्यास अधिकारियों को आवंटित भू-खण्डों की अगली कार्यवाही और कब्जा देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है तथा न्यायालय ने जोधपुर नगर विकास न्यास से जवाब तलब किया है ?

(2) नगर विकास न्यास जोधपुर ने जन-प्रतिनिधियों, न्यास के सदस्यों और न्यास अधिकारियों को भू-खण्ड किन-किन नियमों/आधारों अथवा सिद्धान्तों के अनुसार आवंटित किये थे ?

उत्तर

(1) यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पश्चिमी पटेल नगर में जन-प्रतिनिधियों, नगर विकास न्यास के सदस्यों एवं अधिकारियों को जो भू-खण्डों आवंटित किये गये उनको कब्जा देने पर रोक लगा दी और न्यास से इस संबध में जवाब मांगा है। परन्तु इससे राज्य सरकार के आदेश पर न्यास द्वारा भू-खण्ड का आवंटन निरस्त कर देने की वजह से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई है।

(2) नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा जन प्रतिनिधियों, न्यास के सदस्यों एवं अधिकारियों को भू खण्ड न्यास के निर्णयानुसार आवंटित किये गये थे। न्यास का निर्णय राज्य सरकार ने नियमानुसार नहीं माना और आदेश दिये कि निर्णयानुसार कार्यवाही नहीं की जावे।

उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा प्राध्यापकों का चयन

129 **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर बिश्वविद्यालय में प्राध्यापकों के चयन हेतु साक्षात्कार पिछले जून, जुलाई, अगस्त माह में हुये है ? यदि हां, तो साक्षात्कार के समय प्रत्येक विषय में कितने पद रिक्त थे जिनके लिए कितने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया ? कृपया सूची विषयवार मय मैरिट लिस्ट सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उदयपुर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कई कार्यरत प्राध्यापकों को जिनमें कई पी एच. डी. योग्यता वाले भी थे, साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता न रखने वाले व्यक्तियों का भी चयन कर दिया गया ? यदि हां, तो किस किस विषय में ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

———

(330)

Kistx

LIST

Assistant Professor Economics.

1.	Dr. (Mrs) Chakravati Asstt. Prof. Since August., 1978	Matric II Inter I 55% Deficient B.A. II 46% at B.A M.A. I 65 % Ph.D.

Assistanc Professor History

2.	Dr N S Chundawat working as Asstt. Prof. since 11.9.1976.	P.U.C. III 42. 4% Deficient B A. II 57. 17% at P.U C M.A. 1 60.12% ph.D.

Aststant Professor Commerce

3.	Shri R.L. Tamboli Asstt. Prof. since 25. 9. 1975.	Sec. II 49.83% Deficient P.U. C III 43.67.% at P.U.C. B. Com II 54.6% M Com. I 66.35%

Assistant Prof. English

4.	Shri R. K. Joshi Asstt. Prof since 14.11.77	Sec.II 55% Deficient at Hr. Sec 53% M.A. B.Sc. II 51.6% M.A. II 5 %
5.	Miss Soun Jal Asstt. Prof. since 15.11.77	H.S. II 45.6% Deficient at Inter III 44.9% H.S. Inter B.A. III 46.0% and B A. M.A. I 63%

ग्राम गूगल कोटा तथा ग्राम बिजोरावास (अलवर) में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना

130. **श्री सुजान सिंह यादव** (बहरोड़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ग्राम गूगल कोटा पंचायत समिति नीमराना जिला अलवर में उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार ग्राम विजोरावास तहसील बहरोड़ जिला अलवर में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह भी सही है कि दोनों ग्रामों में भवन उपलब्ध हैं?

उत्तर

(1) राज्य सरकार सन् 1982-83 में ग्राम गूगल कोटा, पंचायत समिति नीमराना जिला अलवर में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के बारे में गुणावगुण के आधार पर शीघ्र विचार करेगी।

(2) राज्य सरकार सन् 1982-83 में ग्राम विजोरावास तहसील बहरोड़ जिला अलवर में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के बारे में गुणावगुण के आधार पर शीघ्र विचार करेगी।

(3) जी हां, इन दोनों ग्रामों में विद्यालय भवन उपलब्ध हैं।

लाडनूं के व्यापारियों में कृषि उपज मंडी शुल्क की बकाया

131. **श्री राम धन** (लाडनूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं के ऊन के व्यापारियों में कृषि उपजमंडी का मंडी शुल्क बकाया है? यदि हां, तो किस-किस व्यापारी में कितना कितना? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन व्यापारियों से वसूली के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां।

लाडनूं में उनका कार्य करने वाली तीन फर्मों में 31-3-80 तक 22501·62 रु. मण्डी शुल्क बकाया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मण्डी समिति द्वारा सभी फर्मों को अनुज्ञापत्र लेने व मण्डी शुल्क जमा कराने हेतु समय समय पर नोटिस दिये जाते रहे हैं।

कृषि उपज मण्डी समिति डीडवाना के गौण मण्डी प्रांगण लाडनूं के ऊन के व्यापारियों में मण्डी शुल्क की बकाया राशि का विवरण 31-3-80 तक

क्र.सं.	फर्म का नाम	व्यापार की गई राशि	मण्डी शुल्क की बकाया राशि
1.	ग्राम स्वराज समिति लाडनूं	11,16,760·00	11,167·60
2.	उम्मेद सिंह विजय सिंह ,,	8,77,294·00	8,772 94
3.	नोपा राम छोगाराम ,,	2,56,108 00	2,561·08
		22,50,162·00	22,501·62

ग्राम पंचायत का नगरपालिका में क्रमोन्नति का आधार

132. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायतों को नगरपालिका में क्रमोन्नत करने के क्या आधार हैं ?

(2) क्या ग्राम पंचायत बेगूं व रावतभाटा उक्त मापदण्ड में आते हैं ? यदि हां, तो उक्त ग्राम पंचायतों को अब तक नगरपालिका में क्रमोन्नत नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 5 में किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित करने हेतु 8000 अथवा अधिक की जनसंख्या आवश्यक है ।

(2) जी हां । इस सम्बन्ध में आवश्यक औपचारिकताओं का पालन किया जा रहा है । नियमानुसार आवश्यक औपचारिकतायें पूरी होने के बाद यथाशीघ्र कार्यवाही की जावेगी ।

तहसील मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलना

133. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार ने प्रत्येक तहसील मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय ले लिया है ?

(श्री राम कंवार बैरवा)

(2) यदि हां, तो कब तक राजस्थान के सभी तहसील मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोल दिये जावेंगे ?

(3) अब तक ऐसे कितने तहसील मुख्यालय हैं, जहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है ? कृपया स्थानों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या जिन तहसीलों पर अभी तक उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं उनको विद्यालय खोलते समय प्राथमिकता दी जायेगी ?

उत्तर

(1) विचाराधीन है।

(2) सम्बन्धित प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है तथा शीघ्र निर्णय लिया जावेगा।

(3) उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर 55 तहसील मुख्यालय ऐसे हैं जहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं। इनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) हां।

तहसील मुख्यालय की सूची जहाँ रा. उ. मा. विद्यालय नहीं हैं।

जिला	तहसील मुख्यालय का नाम
अलवर	1. किशनगढ़वास
	2. रामगढ
	3. बानसर
बाड़मेर	4. शिव
	5. धोरीमन्ना
	6, पचपदरा
बीकानेर	7. लूणकरणसर
	8. कोलायत
बूंदी	9. नैनवा
	10. केशवराय पाटन
भीलवाड़ा	11. हुरड़ा (सहाडा)
चूरू	12. सरदार शहर
	13. रतनगढ़
डूंगरपुर	14. आसपुर
चित्तौड़	15. छोटीसादड़ी
झालावाड़	16. झालरा पाटन
	17. खानपुर
	18 अकलेरा
	19. पचपहाड़
जालौर	20. आहोर
	21. जसवन्तपुरा

जिला	तहसील मुख्यालय का नाम
जोधपुर	22. भोपालगढ़
	23. शेरगढ़
कोटा	24. किशनगंज
	25. छबड़ा
	26. मांगरोल
	27. दिगोद
	28. पीपल्दा
नागौर	29. डीडवाना
	30. जायल
	31. रियाबड़ी
पाली	32. खारची
	33. रायपुर
सवाई माधोपुर	34- बामनवास
	35. बोंली
	36. नादोती
सिरोही	37. रेवदर
	38 शिवगंज
	39. नीम का थाना
	40. अनूपगढ़
	41. रायसिंह नगर
	42. हनुमानगढ़ टाउन
उदयपुर	43. कोटरा
	44. सराड़ा

जिला	तहसील मुख्यालय का नाम
	45. लसाड़िया
	46. कुम्भलगढ़
जयपुर :	47. भोजमाबाद (दूदू)
	48. बैराठ (विराटनगर)
	49. कोटपूतली
	50. लालसोट
	51. दौसा
	52. चाकसू
	53. बसवा
	54. फुलेरा
	55. आमेर

कुल—55

————

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न सं. 95 की सूची

List of Other Backward Classes

(1) Thrugh out the Staje except Ajmer District :

1. Bonjare
2. Baeri
3. Badera
4. Bagaria
5. Bhat
6. Bhoi (Sagarvanshi Mali)
7. Chetta
8. Chanta
9. Dakot
10. Damami
11. Daroga
12. Dhandi
13. Dhankas
14. Dhoobi
15. Dholi
16. Gaderia
17. Gadie Lohar
18. Ghanaeha
19. Ghanehi
20. Hazuree
21. Hela
22. Jogi
23. Julaha
24. Kahar
25. Kalal
26. Kangi
27. Kanvi
28. Khant

338

29. Kharol
30. Kumbher
31. Labana
32. Lakhera
33. Lohar
34. Metat and Mer
35. Mehra
36. Maha Brahmin
37. Mires
38. Merasi
39. Megia
40. Nagarehee
41. Nai
42. Naik
43. Nairia
44. Oed (Beldar)
45. Patwa (Phadal)
46. Pinjara
47. Rai
48. Raena Rajput
49. Rawat
50. Rebhari
51. Sad
52. Sensi (Seohar)
53. Satiya (Sindhis)
54. Sikilighar
55. Teli .
56. Sirkiwala
57. Thatera

IN AJMER DISTRICT ;

1. Aheer
2. Banjare
3. Cheeta
4. Daroga
5. Dhakad
6. Gadolia
7. Gujar
8. Jat

9. Kahar
10. Khati
11. Kumbar
12. Lodha
13. Lohar
14. Mali
15. Mena
16. Merat
17. Nai
18. Nayar
19. Rawat
20. Rebari
21. Sadhu
22. Teli
23. Scheduled Castes who have Embraeed Christian religions.

ग्रुप–I

शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 13/25 शिक्षा–1/77 जयपुर, दिनांक 2 मार्च, 1982

—: आदेश: —

इस विभाग द्वारा समय समय पर निकाले गये शिक्षण शुल्क सम्बन्धी आदेशों के अतिक्रमण में राज्यपाल महोदय निम्न आदेशों की स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. समस्त राजकीय शिक्षण संस्थाओं में इस आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार सन् 1982–83 से शिक्षण शुल्क लिये जायेंगे। ये आदेश 1 जुलाई, 1982 से लागू माने जावेंगे।

2. आयकर नहीं देने वाले राज्य कर्मचारियों 'राजपत्रित तथा अराजपत्रित' के परिवार के सदस्यों से सामान्य, तकनीकी एवं व्यावसायिक दोनों प्रकार की राजकीय शिक्षण संस्थाओं में कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा। उन्हें आयकर दाता न होने का प्रमाण पत्र कार्यालयाध्यक्ष से प्राप्त करके संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना होगा। यह सुविधा पंचायतो/जिला परिषद् कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को भी मिलेगी।

3. समस्त अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों से चाहे उनके माता पिता/अभिभावक आयकर दाता हों, अथवा न हों, चाहे उन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार से छात्रवृति मिलती हो, कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा। अन्य शुल्कों की वसूली भी उनसे अक्टूबर में की जावे ताकि इसे जुलाई सितम्बर को इनको देय छात्रवृति, यदि वह देय हो, से समायोजित किया जा सके। इसके अतिरिक्त छात्रनिधि शुल्क भी इनसे आधी दर से वसूल किये जावें।

4. जिन छात्राओं के माता पिता अभिभावक आयकर दाता नहीं हैं, उन छात्राओं से कालेज स्तर तक को शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा लेकिन यह छूट उन्हें तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा में नहीं मिलेगी।

341

5. यह आदेश वित्त विभाग के आई० डी० संख्या – 584/वित्त, (व्यय) 1/82 दिनांक 9/2/1982 के द्वारा प्राप्त सहमति से पारित किये जाते हैं।

ह०/–
मनमोहन अग्रवाल
विशेषाधिकारी, शिक्षा

(342)

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 100 की सूची

Extract From Schedule Attached to the Rajasthan Medical and Health (Subordinate) Service Rules, 1965

S. No.	Name of post	Source of recruitment with percentage. Direct / Promotion rectt.	Minimum qualification and experience for direct recruitment.	Post from which promotion is to be made.	Minimum qualification and experience required for promotion.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7
			GROUP 'A-V' (Para Medical Cadre (Medical)			
1.	Radiographer	— 100%	—	Assistant Radiographer	5 years service as Assistant Radiographer	—

1	2	3	4	5	6	7
2.	Assistant Radiographer	50% 50%	Secondary or its equivalent with 18 months Radio-graphers Course passed.	X-ray Technician	5 Years service as X-ray Technician	After promotion all the X-ray tech. this post shall be filled 100% by direct recruitment.
3.	X-Ray Technician	It is a dying cadre and in future no recruitment shall be made on this post.				

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 101 की सूची

प्रा० स्वा० केन्द्र	गांव का नाम जहां स्वास्थ्य उपकेन्द्र है	स्वास्थ्य उपकेन्द्र के प्रारम्भ का वर्ष	स्वास्थ्य उप केन्द्र बन्द/चालू	स्वास्थ्य उप केन्द्र बन्द अवधि
पोकरण	1. खेतोलाई	1959	चालू	
	2. छायण	28-7-76	बन्द	28-7-76
	3. उजला	25-3-77	बन्द	25-3-77
नाचना	4. चांदण	29-5-78	चालू	
	5. अवाय	1980	बन्द	1980
	6. नेडाई	1960-61	बन्द	1978
तागड़	7. चेलक	4-5-79	बन्द	4-5-79
	8. रासला	1968	बन्द	1979
	9. हाबूर	1968	बन्द	1979

उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त उपकेन्द्र परिवार के पक्ष के भी स्वीकृत है।

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 103 की सूची

क्रम संख्या	नाम पद जो रिक्त है	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त है।
1.	चिकित्सक (सी०ए०एस०)	5	अप्रेल 82 से
2.	सहायक नर्सिंग अधीक्षिका	1	जुलाई 82 से
3.	नर्सिंग अधीक्षिका श्रेणी प्रथम	1	अप्रेल 1982 से
4.	सिस्टर	5	,, ,,
5.	स्टाफ नर्स	3	,, ,,
6.	सिस्टर ट्यूटर	2	,, ,,
7.	मेलनर्स श्रेणी-2	35	अप्रेल एवं जुलाई 82 से
8.	पब्लिक हैल्थ नर्स	1	अप्रेल 1982 से
9.	प्रसाविका	2	जुलाई 1982 से
10.	रेडियोग्राफर	1	अप्रेल 1982 से
11.	कार्यालय अधीक्षक श्रेणी-2	1	अप्रेल 1982 से
12.	वरिष्ठ लिपिक	1	,, ,,
13.	कनिष्ठ लिपिक	1	,, ,,
14.	वाहन चालक	2	,, ,,
15.	कारपेन्टर	1	,, ,,
16.	मेकेनिक	1	,, ,,

क्रम संख्या	नाम पद जो रिक्त है	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त है।
17.	टेलर	1	अप्रेल 1982 से
18.	इलेक्ट्रीशियन	1	,, ,,
19.	कुक	5	,, ,,
20.	धोबी	3	,, ,,
21.	वार्ड बाय	41	,, ,,

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 104 का विवरण

आयुर्वेद विभाग में दिनांक 31–7–82 तक बकाया रिस्क मनी का व्यापारी/फर्म एवं वर्ष अनुसार विवरण (अता. प्रश्न संख्या 352)

क. सं.	नाम फर्म	70–71	71–72	72–73 73–74	74–75	75–76
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० रामगोपाल शर्मा एण्ड कं. जयपुर	—	—	—	—	—
2.	मै० मांगीलाल भगवान सहाय जयपुर	—	—	—	30–00	15–92
3.	मै० गर्ग डेण्टल एण्ड आप्टीकल, अजमेर	1258–12	—	—	—	—
4.	मै० कन्सल कम्पनी, देहली	—	314–41	—	—	—

348

क्र. सं.	नाम फर्म	76–77	77–78	78–79	78–80	योग
1	2	8	9	10	11	12
1.	मै० रामगोपाल शर्मा एण्ड कंपनी, जयपुर	—	—	226–92	764–35	991–27
2.	मै० मांगीलाल भगवान सहाय, जयपुर	1025–00	326–95	27–88	—	1425–75
3.	मै० गर्ग डेण्टल एण्ड ग्राप्टीकल, ग्रजमेर	—	—	—	—	1258–12
4.	मै० कन्सल कंपनी, देहली	—	—	—	—	314–41

1	2	3	4	5	6	7
5.	मै० जयभारत ट्रेडिंग कं० जयपुर	—	—	545–94	—	—
6.	मै० किशन लाल मदनलाल हैदराबाद	—	—	—	—	—
7.	मै० दीनदयाल औषधालय, ग्वालियर	—	—	—	—	—
8.	मै० गोपाल एण्ड कं., ग्वालियर	—	—	—	1149–62	798–96
9.	मै० फरसोईया ट्रेडिंग कंपनी, जयपुर	—	—	—	—	1581–00
10.	मै० सन्तोष फार्मेस्युटिकल्स, ग्वालियर	—	—	—	—	—
11.	मै० श्रीनाथ द्वारका दास, जयपुर	—	—	—	585–30	—
12.	मै० मेहरा ब्रदर्स, अमृतसर	—	—	—	—	4310–00
13.	मै० हिमाचल ड्रग फार्मा, अमृतसर	—	—	—	—	865–08
14.	मै० शारदा पोलीथिन वैग्स, जयपुर	—	—	—	—	234–52
15.	मै० महावीर जड़ी बूटी, शिवपुरी	—	—	—	—	310–80
16.	मै० एस. पी. फार्मा, अजमेर	—	—	—	—	—

(349)

1	2	8	9	10	11	12
5.	मै० जयभारत ट्रेडिंग पकम्नी, जयपुर	—	—	—	—	545–94
6.	मै० किशनलाल मदनलाल, हैदराबाद	3297–00	2492–88	—	—	5789–88
7.	मै० दीनदयाल ग्रोष. ग्वालियर	832–00	65–00	2159–12	—	3056–12
8.	मै० गोपाल एण्ड कम्पनी, ग्वालियर	—	—	126–45	3168–00	5243–03
9.	मै० फरसोईया ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर	—	—	—	—	1581–00
10.	मै० सन्तोष फार्मेस्युटिकल, ग्वालियर	1047–92	—	15740–30	465–00	17253–22
11.	मै० श्रीनाथ द्वारकादास, जयपुर	211–50	23573–28	—	—	24370–08
12.	मै० मेहरा ब्रदर्स, अमृतसर	—	—	—	—	4510–00
13.	मै० हिमाचल ड्रग फार्मा, अमृतसर	60–06	—	—	—	925–14
14.	मै० शारदा पोलीथिन बैग्स, जयपुर	—	—	—	—	234–52
15.	मै० महावीर जड़ी बूटी, शिवपुरी	26–00	—	1090–00	—	1426–80
16.	मै० एस. पी. फार्मा, अजमेर	—	3173–74	—	—	3173–74

1	2	3	4	5	6	7
17.	मै० लीफो फार्मा, पटना (बिहार)	—	—	—	—	—
18.	मै० मंगलम ढोलिया बिल्डिंग, जयपुर	—	—	—	—	—
19.	मै० नवशल्य चिकित्सा उद्योग, जयपुर	—	—	—	—	—
20.	मै० जयपुर अयुर्वेदिक स्टोर, जयपुर	—	—	—	—	—
21.	मै० दामोदरदास रामशरण दास, जयपुर	—	—	—	—	—
22.	मै० ईस्टर्न ड्रग्स एण्ड सेनेटरी प्रोडक्ट, मेरठ	—	—	—	—	—
23.	मै० महेश कार्पोरेशन, जयपुर	—	—	—	—	—
24.	मै० रंगवाला ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर	—	—	—	—	—
25.	मै० जेठमल, भगवानदास बुव, जोधपुर	—	—	—	—	—
26.	मै० क्राफ्ट सेन्टर एण्ड इण्डस्ट्रीज, भरतपुर	—	—	—	—	—
27.	मै० वर्दिया पेपर एन्टरप्राइजेज, अजमेर	—	—	—	—	—
	योग	1258-12	314-41	545-94	1764-92	8316-28

351

1	2	8	9	10	11	12
17.	मै० लीफो फार्मा, पटना (बिहार)	—	—	—	3567-40	3567-40
18.	मै० मंगलम ढोलिया बिल्डिंग, जयपुर	8524-50	72-08	4761-20	291-00	13648-78
19.	मै० नवशल्य चिकित्सा उद्योग, जयपुर	13340-00	—	—	—	13340-00
20.	मै० जयपुर आयुर्वेदिक स्टोर, जयपुर	—	37866-30	—	—	37866-30
21.	मै० दामोदरदास रामशरण दास, जयपुर	—	—	7182-86	28248-24	35431-10
22.	मै० ईस्टर्न ड्रग्स एण्ड सैनेट्री प्रोडक्ट, मेरठ	—	15300-00	—	—	15300-00
23.	मै० महेश कार्पोरेशन, जयपुर	—	—	12393-40	—	12393-40
24.	मै० रंगवाला ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर	—	—	523-98	—	523-98
25.	मै० जेठमल भगवानदास, बूव जोधपुर	—	56-00	15733-51	—	15789-51
26.	मै० क्राफ्ट सेन्टर एण्ड इण्डस्ट्रीज, भरतपुर	—	—	—	5597-75	5597-75

1	2	8	9	10	11	12
27.	मै० वर्दिया पेपर एन्टरप्राइजेज, अजमेर	—	—	5071–96	—	5071–95
	योग	28363–98	82926–23	65037–58	42101–74	230629–20

नोट : वर्ष 1980–81 एवं 1981–82 में किसी भी फर्म/व्यापारी से "रिस्क पर्चेज" नहीं की गई है। अतः इन वर्षों की कोई राशि बकाया नहीं है। 1·4·82 के पश्चात् 31·7·82 तक रिस्क पर्चेज से 19140/- की हानि कोटन एब्जोर्वेन्ट एवं हिंगुल हंसपाद के क्रय के कारण हुई। विगत निम्न प्रकार है :—

मैसर्स रंगवाला ट्रेडर्स, जयपुर कोटन एब्जोर्वेन्ट	11,600–00	हानि राशि
मैसर्स गजेन्द्र ट्रेडर्स, अजमेर हिंगुल हंसपाद	7,540–00	हानि राशि
	19,140–00	

35M

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 105 का विवरण

क्रम संख्या	अनधिकृत भवन निर्माण वर्ष 1981–82	अतिक्रमण वर्ष 1981–82
1. नगर परिषद् द्वारा पकड़े गये मामले	128	132
2. नगर परिषद् द्वारा निपटाये गये मामलों की संख्या	36	18
3. न्यायालय में किये गये चालान की संख्या	46	95
4. न्यायालय द्वारा निपटायें गये मामलों की संख्या	13	20

358

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 107 की सूची

सूची आराजियात कृषि भूमि बाकै रुघनाथपुरा जिसे नगरपालिका प्रतापगढ़ द्वारा अवाप्त करने का निर्णय लिया गया।

क्रमांक	खसरा नं०	क्षेत्रफल बघा बिस्वा	लगान रु० पैसे	नाम कृषक भूमिधारी
1	2	3	4	5
1.	34।1	2 – 5	2 – 25	1. श्री नन्दलाल, दुलीचन्द कुलमी 2. श्री भंवरलाल, जगन्नाथ कुलमी 3. श्री कंवरलाल, नानूराम कुलमी 4. श्री मोतीलाल, नानूराम कुलमी 5. श्री राधेश्याम, छोटेलाल ब्राह्मण 6. श्री बसन्तीलाल, छोटेलाल ब्राह्मण 7. श्री कन्हैयालाल, चुन्नीलाल कुलमी 8. श्री रामगोपाल, केसूराम कुलमी
2.	23।1	2 – 5	3 – 56	1. श्री इन्दरमल, छगनलाल 2. श्री मानमल, रतनलाल 3. श्री रामकुमार, चांदमल 4. श्री जयन्तीलाल, सज्जनलाल 5. श्री माणकलाल, रतनलाल
3.	30।1	0 – 2	0 – 10	1. श्री इन्दरमल, छगनलाल
	28	0 – 7	0 – 53	2. श्री मानमल, रतनलाल
	24।1	1 – 6	1 – 96	3. श्री राजकुमार, चांदमल
	22।1	0 – 2	0 – 10	4. श्री माणकलाल, रतनलाल
4.	26।1	1 – 4	1 – 21	श्री मनसुखलाल, सौभागमल
5.	27	0 – 7	चाह	
	31।1	2 – 12	3 – 91	श्री सौभागमल, क़स्तूरचन्द
	30।2	0 – 6	0 – 27	

1	2	3	4	5
6.	22।2	0 – 13	0 – 65	श्री अभयकुमार, चांदमल
	23।2	2 – 1	3 – 10	
7.	24।2	2 – 0	3 – 00	श्री पारसकुमार, चांदमल
	25	0 – 15	1 – 12	
	22।3	0 – 3	0 – 14	
8.	26।2	2 – 00	2 – 00	श्री चांदमल, कस्तूरचन्द
	31।7	0 – 19	1 – 40	
	34।2	1 – 5	1 – 25	

ह०
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका, प्रतापगढ़

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 113 की सूची

क्रम सं०	नाम जिला	वर्ष 81-82				वर्ष 82-83 (जुन 82 तक)			
		कुल आवासिय भूं खण्ड	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य	कुल आवासीय भू खण्ड	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर	2052	1363	503	186	—	—	—	—
2.	भीलबाड़ा	3247	1355	1185	707	348	113	116	119
3.	बुन्दी	1734	714	540	480	615	293	239	83
4.	चितौड़गढ़	3915	1153	1010	1702	1155	204	219	732
5.	टोंक	2252	1193	258	801	238	74	25	139
6.	उदयपुर	3694	639	1167	1888	—	—	—	—

2	2	3	4	5	6	7	8.	9	10
7.	भरतपुर	5238	4497	53	688	—	—	—	—
8.	बाड़मेर	1646	760	318	568	166	49	106	11
9.	पाली	3897	2106	374	1417	672	333	78	261
10.	बांसवाड़ा	3000	472	2112	416	—	—	—	—
11.	जालोर	5421	1889	926	2606	146	27	69	50
12.	जैसलमेर	1154	490	214	450	198	72	24	102
13.	कोटा	5397	1950	962	2485	219	125	23	71
14.	सिरोही	1088	556	198	334	566	233	161	172
15.	अलवर	4105	372	123	3610	742	372	123	247
16.	जोधपुर	2369	1204	90	1075	140	64	—	76
17.	डूंगरपुर	1505	192	809	504	486	44	297	145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	झालावाड़	3384	1522	425	1437	787	514	130	143
19.	नागौर	1867	1113	—	754	—	—	—	—
20.	सीकर	3736	1683	369	1674	276	137	25	114
21.	सवाई माधोपुर	10405	4816	2019	3570	2269	1248	510	511
22.	झुन्झुनूं	3949	1882	212	1855	11	11	—	—
	कुल योग	75056	31921	13927	29207	9034	3913	2145	2976

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 118 की सूची

पंचायत समिति सुल्तानपुर

ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर बकाया की सूची

क्र. सं.	नाम सहकारी समिति	मूल	सूद	योग
1	2	3	4	5
1.	ग्राम सेवा सहकारी समिति नोताड़ा	43268-20	43268-20	86568-40
2.	,, ,, सुल्तानपुर	3455-89	3455-89	6911-78
3.	,, ,, मेहदी	500)	500)	1000)
4.	,, ,, नीमोदा	1356-17	1356-17	2712-34
5.	,, ,, सुरोला	2431-34	2431-34	4862-68
6.	,, ,, कोटसुवा	741-06	741-06	1482-12
7.	,, ,, सीमल्या	7980-85	8980-85	15961-70

1			2	3	4	5
8.	„	„	रेफ	2178-00	2178-00	4356-00
9.	„	„	खेडलीतवरान /मोतीकुम्रा	8656-58	8656-58	17313-16
10.	„	„	123/म्रार मोती कुम्रा	3755-57	3755-57	5711-14
11.	„	„	1438/म्रार	1383-78	1383-78	2767-56
12.	„	„	लुठादीन	306-00	306-00	612-00
13.	„	„	सुल्तानपुर	30108-49	30108-49	60216-98
			योग	110644-13	110644-13	221288-26

(361)